..., 22 अक्तूबर, 1982/30 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय सूची

अंक 16, शुक्रवार, 22 अक्तूबर, 1982/30 आश्विन, 1904 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर : 1—24

*तारांकित प्रश्न संख्या : 290, 293, 294, 296, 302, 303 और 305

प्रश्नों के लिखित उत्तर : 25—416

तारांकित प्रश्न संख्या : 270 से 272, 274 से 289, 291, 292, 297 से 301, 304 और 306 से 309

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2907 से 2925, 2927 से 3035, 3037, से 3125, 3127 से 3137, 3139 से 3160, 3162 से 3219, 3221, से 3229 और 3231 से 3380

सभा पटल पर रखे गये पत्र 416—426

राज्य सभा से संदेश 427

विधेयकों पर अनुमति 427—432

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 432
51वां प्रतिवेदन

याचिका समिति 432
दसवां प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 433—436
तेरहवां प्रतिवेदन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 436—454

दिल्ली में आप्रवास वीसा की जालसाजी का पता चलने का समाचार
श्री रामविलास पासवान 436

*किसी नाम पर अंकित * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या 437

प्रो० अजित कुमार मेहता 443

डा० कृपासिन्धु भोई 451

श्री सत्यनारायण जटिया 453

नियम 377 के अधीन मामले 455—466

(एक) केरल के उत्तरी भाग के लिए पर्याप्त रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्री वी०एस० विजयराघवन 455

(दो) कुष्ठ नियंत्रण हेतु उपाय

श्री रास बिहारी बहेरा 455

(तीन) एसेटिक एसिड के विनिर्माताओं की मदद करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

डा० कृपासिन्धु भोई 456

(चार) 1930 में कारावास का दण्ड भोगने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को पेंशन देना

श्री केशवराव पारधी 457

(पांच) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बिजली की भारी कमी

श्री दिगम्बर सिंह 457

(छः) केन्द्रीय विद्यालयों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में बी०ए० (गणित) तथा बी०एस०सी० (गणित) के बीच विषमता को दूर करने की आवश्यकता

श्री सुधीर गिरी 458

(सात) कृत्रिम धागे का आयात रोकने और रूई के निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह चौधरी 458

(आठ) तमिलनाडु और पांडिचेरी के कपड़ा मजदूरों द्वारा हड़ताल किए जाने की सम्भावना

श्री ईरा मोहन 459

(नौ) पटना जंक्शन पर आरक्षण की सुविधा

श्री रामावतार शास्त्री 460

(दस) कांग्रेस (इ) के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा संसद के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

श्री कल्पनाथ सोनकर 461

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में रेल डाक सेवा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

श्री रामेश्वर नीखरा 462

(बारह) नगरीय क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में हो रही भारी वृद्धि को रोकने की मांग

श्री ए०टी० पाटिल 463

(तेरह) कुंचिलीबाड़ी के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान 464

(चौदह) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले मध्य प्रदेश के लोगों को वित्तीय सहायता

श्री प्रताप भानु शर्मा 465

(पन्द्रह) आन्ध्र प्रदेश के नांदियाल में एस०टी०डी० की सुविधा

श्री अनन्त रामुलु मालु 466

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 468—469

विचार करने का प्रस्ताव

श्रीमती शीला कौल 468

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 469

5वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

विधेयक पुर :स्थापित

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक 469—470

(धारा 8 आदि का प्रतिस्थापन)

विज्ञापनों में नारी शरीर प्रदर्शन पर पाबन्दी विधेयक 470

प्रतिछात्र प्रवेशार्थ शुल्क प्रतिषेध विधेयक 470

संविधान (संशोधन) विधेयक 471

(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

कृषि कर्मकार विधेयक 471

संविधान (संशोधन) विधेयक 471—480

(अनुच्छेद 338 आदि का प्रतिस्थापन)

विचार करने का प्रस्ताव

श्री निहार रंजन लास्कर 472

श्री जी०एम० बनातवाला 475

एकान्तता अधिकार विधेयक 480—516

विचार करने का प्रस्ताव

श्री वी०एन० गाडगिल 480

श्री मूलचन्द डागा 499

श्री राम जेठमलानी 503

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी 506

श्री त्रिलोक चन्द्र 508

श्री ए०टी० पाटिल 511

विधेयक पुरःस्थापित

श्रमजीवी स्त्री कल्याण विधेयक 516—517

संविधान (संशोधन) विधेयक 517

(नये अनुच्छेद का अन्तःस्थापन)

संविधान (संशोधन) विधेयक 517

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

आधे घण्टे की चर्चा 518—532

दिल्ली में वाइरल ज्वर और मलेरिया

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार 518

श्री बी० शंकरानन्द 523

डा० ए० कलानिधि 525

श्री सुधीर गिरि 527

लोक सभा

शुक्रवार, 22 अक्तूबर, 1982/30 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिविलियन अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

*290. श्री शिव शरण वर्मा†
श्री मंगल राम प्रेमी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविलियन अध्यापकों के वेतनमान सामान्य स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों की तुलना में बहुत कम हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार सामान्य स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों तथा इन सिविलियन अध्यापकों के वेतनमानों में समानता लाने का है और यदि हां, तो कब ;

(ग) ये वेतनमान कब तक लागू कर दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। सिविलियन अध्यापकों के लिये शिक्षा में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इन लोगों के लिये निम्नलिखित वेतनमान बनाए गए हैं :—

(1) 260-400 रुपए (अन्डर ग्रेजुएट अध्यापकों के लिए)

(2) 330-560 रुपये (ग्रेजुएट अध्यापकों के लिए)

दूसरी ओर जनरल स्कूलों के अध्यापकों को व्यावसायिक डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक होना चाहिये और उन्हें 330-560 रुपये के वेतनमान में रखा जाता है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए भेदभाव का सवाल नहीं उठता है।

श्री शिव शरण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी

से यह पूछना चाहता हूं कि सिविलियन टीचर्स के वेतनमान सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान की अपेक्षा बहुत निम्न है और इनकी पदोन्नति भी समय-समय पर नहीं हो पाती है, यह उनके लिए एक बड़ी विडम्बनापूर्ण बात है, क्या सरकार उनके वेतनमान में कोई सुधार लाते हुए सामान्य विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनके स्केल के बराबर करने के लिए तैयार हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सिविलियन टीचर्स का वेतनमान अन्य अध्यापकों के वेतनमान के समान करने के लिये तैयार हैं, यदि हाँ, तो वह उच्च वेतनमान क्या होगा और उसे कब से लागू करने के लिये तैयार हैं ? इसी क्रम में मुझे यह भी कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व जो सिविलियन टीचर्स नियुक्त किए गए थे, वे सरप्लस में करके, विभिन्न विद्यालयों में, दूसरे निम्न पदों पर नियुक्त कर दिए गए हैं और उनके पूर्व वेतनमान की अपेक्षा उन्हें निम्न वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार वास्तव में सरकार उनके साथ जो अन्याय कर रही है, मैं इसके सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि जिनको सरप्लस में निकालकर दूसरे विभागों में नियुक्त किया गया है क्या उनका वेतनमान भी नये वेतनमान को समान करने के लिये सरकार तैयार है ? यदि, हां तो कब तक ?

श्री के० पी० सिंह देव : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है कि जहां तक वेतनमानों का सम्बन्ध है उनमें न तो कोई भेदभाव है और न ही कोई असंगति है। वास्तव में, तीसरे वेतन आयोग से पूर्व सिविल स्कूलों के अध्यापकों को दो वेतनमान दिये जा रहे थे अर्थात ग्रेजुएट अमापकों के लिये 130-200 रु० और अन्डर-ग्रेजुएट अध्यापकों के लिए 110-180 रु० तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उनके वेतनमानों में संशोधन करके ग्रेजुएट अध्यापकों के लिये 330-560 रु० और अंडर-ग्रेजुएट अध्यापकों के लिये 260-400 रुपये कर दिया गया था।

जहां तक फालतू अध्यापकों का सम्बन्ध है जितने भी अध्यापक फालतू पाये गए थे, उन्हें उनकी योग्यता एवं उनकी इच्छानुसार वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करा दिये गये थे। यदि माननीय सदस्य महोदय को कोई विशिष्ट मामला मालूम हो जिसमें लोगों को कम वेतन या कम वेतनमान मिल रहा हो तो उस मामले की हमें जानकारी दे सकते हैं और हम उसकी जांच करेंगे।

श्री पी० नामग्याल : क्या सरकार सभी अध्यापकों के लिये एक चल वेतनमान (रनिंग ग्रेड) की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी क्योंकि हमारे देश में अध्यापकों के वेतनमान बहुत ही कम हैं और उनके कारण सरकारी अध्यापक अन्य सेवाओं में जाने के प्रयास करते रहते हैं ? इस प्रवृति को रोकने के लिये क्या सरकार अर्हता रोक और दक्षता रोक को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक रनिंग ग्रेड की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ताकि उनमें इस सेवा में रहते हुए हताशा की भावना घर न कर सके।

श्री के० पी० सिंह देव : सशस्त्र सेनाओं में शिक्षण कार्यक्रम सैनिक एकक शिक्षा प्रशिक्षकों

की सहायता से चलाया जाता है, जो उन लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। परन्तु यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

श्री रामेश्वर नीखरा : क्या मंत्री महोदय को सन् 1978 में पूछे गए प्रश्न संख्या 245 की जानकारी है, जिसमें तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जो सरप्लस टीचर घोषित किए गए हैं उनकी पे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद पार्लियामेंट मेम्बर्स ने 20 प्रश्न पूछे हैं और मैंने भी करीब 15 पत्र लिखे हैं और लिस्ट भी दी है। क्या कोई कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई ? अभी अगर मैं जानकारी दूं तो क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री के० पी० सिंह देव : इस पर पत्र व्यवहार हो चुका है। और सदस्य महोदय ने इसे हमारे नोटिस में ला दिया है। हम अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं और हम इस पर बाद में विचार-विमर्श करेंगे।

वनस्पति घी का सार्वजनिक वितरण

*293. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिये वनस्पति घी का प्रति मास एक निर्धारित मात्रा में सार्वजनिक वितरण करने का है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) उपभोक्ताओं को उचित दर की दुकानों से मिलने वाले वनस्पति घी के ब्रांड के मूल्यों, पैकिंग साइज, मासिक मात्रा आदि का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि वनस्पति का वितरण उचित दर की दुकानों द्वारा नहीं किया जा रहा है, अत: ब्यौरे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष जी, उत्तर में सरकार ने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है और आगे कहा है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि असली घी 35-40 रुपए किलो खाना तो आजकल स्वप्न की बात हो गई है। यह तो सम्भव नहीं है। चीपेस्ट अगर कोई एडीबल आयल है तो वनस्पति घी है। आज स्थिति यह है कि जब पीक पीरियड होता है तो सरकार की नीतियों

और उसके इकरारनामे के बावजूद प्रीमियम लेकर यह तेल 16, 17 या 18 रुपये किलो तक मिलता है। नार्दर्न स्टेट्स में लोग वनस्पति घी असली घी के सबस्टीट्यूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी इस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हों तो चूंकि यह भी एक आवश्यक वस्तु है इस वास्ते इसको आवश्यक वस्तु मानते हुए इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्दर शामिल करने में क्या दिक्कत है।

नागरिक विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : इस प्रश्न पर कि इसे आवश्यक वस्तु जिस तरह से आठ और आवश्यक वस्तुएं हैं जो कि फेयर प्राइस शाप्स से बांटी जाती हैं, उसमें शामिल किया जाए एक बार नहीं अनेक बार विचार हुआ है और हाल के वर्षों में ही नहीं बल्कि बहुत पहले इस पर विचार हुआ है। 1968, 1970, 1972, 1973 में भी इस पर विचार हुआ था। बार-बार हमने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और कोशिश की है कि वे इस पर विचार करें कि इसको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन शाप्स के जरिये बांटा जाए लेकिन इस बात पर राज्य सरकारों की सहमति नहीं हो पाई है। कारण उन्होंने यह बताया है कि कभी-कभी हो सकता है कि ट्रेड में कठिनाई मालूम पड़ती हो लेकिन अभी वनस्पति का उत्पादन और उसकी आवश्यकता दोनों करीब-करीब स्थिर हो गई हैं आपस में। इसलिए अगर कभी कोई ऐसी कठिनाई उठती है तो वह अस्थायी होती है, स्थायी नहीं।

दूसरी बात यह है कि हमने यह देखा है मार्किट सर्वे से कि जो खाने वाले लोग हैं अगर कहीं पर कोई कमी की बात होती है तो इस कारण से होती है कि चायस ब्रांड पर और पैकेट पर वे जोर देते हैं, अगर डालडा नहीं मिलता है कहीं पर तो वे रसोई का जो दूसरा ब्रांड है घी का उस पर जोर नहीं देते हैं और इस कारण से फौरन हमारे पास रिफलैक्ट होता है कि डालडा की कमी है।

एक बात यह भी है कि जहां हम गेहूं, चीनी, चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टाक बना सकते हैं, उसको रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रेस कर सकते हैं, यह काम हम वनस्पति घी के साथ नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक इसका समय सिर्फ छः महीने ही है और इससे अधिक समय तक हम इसको रख नहीं सकते हैं। इसलिए फैक्ट्री उत्पादन के साथ-साथ इसको हम बाजार में भेजते हैं और अभी पिछले कुछ वर्षों से इसका मूल्य भी स्थिर हो गया है। कभी अगर कहीं पर कमी होती है तो मैंने बताया है कि ब्रांड के कारण होती है। दूसरी बात मैंने यह बताई है कि बफर स्टाक हम इसका नहीं बना सकते हैं।

जहां तक उतार-चढ़ाव का सम्बन्ध है उत्पादन में यह देश में पैदा होने वाले तेल और बाहर से जो मंगाते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा प्रमुख भाग इसका यह है कि हम देश की बेकरीज और मार्गेरीन बनाने में भी इसको खर्च करते हैं। इन कारणों से यह सम्भव नहीं है कि इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिये बांटा जाए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मंत्री महोदय ने फेयर प्राइस शाप्स के जरिये इसको बांटने में अपनी मजबूरी बताई है या यह बताया है कि लोगों को एक खास ब्रांड चाहिये होता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि डालडा या रथ की भूख उस क्लास को हो सकती है जिसको पूरी और हलवा रोजाना चाहिए खाने के लिए लेकिन जिसको दाल में छोंक देने के लिए, सब्जी में छोंक देने के लिए वनस्पति घी चाहिये उसको कोई खास ब्रांड नहीं चाहिये और न उसको उस ब्रांड की आवश्यकता होती है। इसलिए यह कहना कि इस कारण हम इसको नहीं कर पा रहे हैं ठीक नहीं है।

स्वयं सरकार के पास दो वनस्पति कारखाने हैं जिनका उत्पादन काफी अधिक है, गणेश फ्लोर मिल और दूसरा जिसके राष्ट्रीयकरण का अभी बिल पास हुआ है, अमृतसर आयल दोनों का उत्पादन इतना अधिक है और ब्रांड भी दोनों का इतना अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ राज्यों को सिलैक्ट करके विशेषकर दिल्ली को जहां की पापुलेशन भी बहुत ज्यादा है और जहां की मार्किट एडीबल आयल की प्राइस को भी कंट्रोल करती है इस काम को आप कर सकते हैं और गणेश फ्लोर मिल, डी० सी० एम०, अमृतसर आदि का वनस्पति आप यहां एक्सपेरिमेंट के तौर पर फेयर प्राइस शाप्स के जरिये दे सकते हैं। आप इसकी प्राइस को हर महीने रिवाइज भी करते रह सकते हैं और कह सकते हैं कि एडीबल आयल की प्राइस वेरी करती है इस कारण से कि एस० टी० सी० जिस रेट पर सप्लाई करती है तेल उसकी कीमत घटती बढ़ती रहती है और इस तरह से प्राइस को कोरिलेट करके एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप दिल्ली और कुछ अन्य प्रमुख शहरों को वनस्पति घी फेयर प्राइस शाप्स के जरिए लोगों को दिला सकते हैं। क्या आप इसके बारे में सोचेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने सिर्फ एक कारण और वह भी हल्का सा बताया है जब मैंने कहा कि ब्रांड और साइज की वजह से कभी-कभी कमी महसूस होती है। प्रमुख कारण यह बताया है कि जौ, गेहूं, चीनी, चावल आदि हैं जिस तरह से इन पदार्थों को हम जमा कर सकते हैं उस तरह से वनस्पति घी को नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका उत्पादन फैक्ट्री से सीधे बाजार में भेजना होता है। बफर स्टाक बनाने की कठिनाई इस कारण जो पैदा होती है वह मैंने आपको बताई है। मैंने आपको यह भी बताया है कि 1975 से अब तक जो मांग है और जो सप्लाई है, दोनों करीब-करीब स्थिर हो गई हैं। अगर किसी भाग में कोई कमी होती है तो वह कमी स्थानीय कारणों से होती है। साधारणतया इसके मूल्य 1975 से स्थिर हैं। आपने गणेश और अमृतसर की बात कही है। यह ठीक है कि अमृतसर मिल का राष्ट्रीयकरण हो गया है। इनके जरिये हम सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं का छठा हिस्सा ही पूरा कर सकते हैं। जब तक सारी जो मांग है इसको हम पूरा न कर पाएं तब तक हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिये बांटें।

जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि की मार्किट की तुलना में

दिल्ली की मार्किट अधिक स्थिर है। यहां पर इसकी उपलब्धता और जगह से अधिक है। इसलिए इसकी आवश्यकता हमने महसूस नहीं की है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि वनस्पति के वितरण में डिमांड और सप्लाई का विशेष महत्व होता है। लेकिन इनके साथ-साथ उसके उत्पादन का भी विशेष महत्व होता है। देश में तेजी के साथ इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने डिमांड सप्लाई और प्रोडक्शन के बारे में ताजा कोई सर्वे करवाया है यदि हां तो उस सर्वे के अनुसार डिमांड सप्लाई और प्रोडक्शन में कितना गैप है और आने वाले पांच दस सालों में कितनी स्थापित क्षमता की हमको जरूरत पड़ेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : हर तेल वर्ष नम्बर से प्रारम्भ होता है और अक्तूबर में समाप्त होता है। इसमें हम इसकी उपलब्धता और मांग दोनों पर विचार करते हैं। अभी मांग और उत्पादन में कोई खास बहुत बड़ा फर्क नहीं है। उदाहरणार्थ देश में जो लाइसेंस्ड कैपेसेटी है वह 14 लाख टन की है और इंस्टाल्ड है वह 13 लाख टन की है। पिछले तीन वर्षों के उत्पादन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 1979-80 में वह 6.79 लाख टन था, 1980-81 में 8.27 लाख टन हो गया अर्थात् इसमें बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1981-82 में आशा की जाती है कि यह नौ लाख टन होगा अर्थात् दस प्रतिशत की इसमें वृद्धि होगी। इसको देखते हुए हम समझते हैं कि अभी कोई इम्बैलेंस ऐसा नहीं है जिसके कारण हम आगे कोई फिर विचार करें। ज्यों ही हम इसकी आवश्यकता महसूस करेंगे तो हमारी नीति है कि हम बढ़ाने में पहले जो आयल सीड्स प्रोड्यूस ग्रोवर्स कोआपरेटिव्ज को देंगे, फिर पब्लिक सैक्टर को देंगे, फिर जोइंट सैक्टर को देंगे फिर उन प्राइवेट सैक्टर्स को देंगे जो बैकवर्ड एरियाज में वहां के लोकल लोगों ने ही बनाया हो कम्पनी को। यह हमारी नीति है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : दिवाली का मौसम आया है, पूरे देश में लोग मिठाई खाते हैं, शुद्ध घी तो खरीद नहीं सकते हैं, वनस्पति ही खरीदते हैं। इसलिये जो मांग श्री कृष्ण कुमार गोयल ने की है, वह जनता पार्टी के राज्य में सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे, उस समय भी किया था कि कम से कम दिवाली के समय, देखने के लिये भी, डालडा और वनस्पति आयल राशन पर मिलता था। तो क्या आप भी इतना कोटा देने की व्यवस्था करेंगे ?

दूसरे यह कि जब इस प्रकार के त्यौहार आते हैं तो उसकी कमी हो जाती है, आर्टिफिशियल स्केयर्सिटी पैदा कर दी जाती है और कारण यह दिया जाता है कि कारखानों की सफाई उसी समय होती है। तो आप अभी से किसी कारखाने को सफाई की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि उस बहाने से वह मार्किट में इसकी कमी करते हैं। यह पोलिसी पहले भी अपनायी थी। अतः आप बतायें कि दिवाली और क्रिसमस में वह चीजें देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं पूर्णतया सहमत हूं कि दिवाली के अवसर पर यह आवश्यक

है कि इसकी उपलब्धिता को बाजार में बढ़ाया जाय । यह प्रश्न दूसरा है उनका कहना है कि इस कठिनाई को हम इस पर कंट्रोल लगा कर के दूर कर सकते हैं । लेकिन मेरा कहना है कि इस समय जो कि हम उनको वनस्पति बनाने के लिए 60 प्रतिशत बाहर से आयात किया हुआ तेल देते हैं इसी को ख्याल में रखते हुए पिछले सितम्बर, अक्तूबर में बढ़ा करके 60 से 80 प्रतिशत कर दिया है ताकि उत्पादन बढ़े । तो आप जो कहती हैं कि कंट्रोल इस पर किया जाय उससे हम सहमत नहीं है । मेरे ख्याल से कमी नहीं आएगी ।

दूसरी बात आपने जो कारखानों की सफाई की कही है उसका मुझे पता नहीं था । मैं इसको देख लूंगा कि क्या है और इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा ।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा परिवर्तनीय ऋण जारी किया जाना

*294. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने हाल में परिवर्तनीय ऋण पत्र पूंजी बाजार में जारी की हैं जिन पर यह प्रलोभन दिया गया है कि वेस्पा स्कूटर के वार्षिक उत्पादन के 25 प्रतिशत आरक्षित कोटे में से ऋण पत्र धारक को वरीयता के आधार पर स्कूटर आबंटित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस कम्पनी को कितती नई पूंजी लेने के लिए अधिकृत किया है और जनता के लिए कितने ऋण पत्र जारी किए गए हैं ;

(ग) इन ऋण पत्रों से कुल कितनी पूंजी जमा हुई है और अधिक जमा होने या आबंटन न किए जाने के कारण इसमें से कितनी धनराशि लौटाई गई है या लौटाई जा रही है ;

(घ) क्या कम्पनी के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों द्वारा आबंटन किए जाने के लिए कोई कोटा आरक्षित/निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या इस प्रकार का आरक्षण करना और वरीयता पर स्कूटर देना सामान्य प्रक्रिया है और क्या इसके लिए उनके मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त थी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मेसर्स लोहिया मेशीन्स लिमिटेड ने सममूल्य पर नकद 2,82,500 प्रतिभूत रूपांतरणीय ऋणपत्रों के सार्वजनिक निर्गम के लिए एक प्रास्पेक्ट्स (विवरण-पत्र) जारी किया । प्रत्येक ऋणपत्र 200 रुपए का था । इनके सम्बन्ध में अभिदान 7 सितम्बर, 1982 को आरम्भ हुआ । प्रोस्पेक्ट्स

में निम्नलिखित अभिकथन दर्ज था जो कि आबंटितियों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों के आबंटन के बारे में था :

"बोर्ड ने कम्पनी द्वारा वर्ष भर में विनिर्मित स्कूटरों के 25 प्रतिशत भाग को उन सफल आबंटितियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रारक्षित करने का निर्णय किया है, जिनको इस विवरण-पत्र की शर्तों के अनुसार ऋणपत्र आबंटित किए जाएंगे, किन्तु इस प्रयोजन के लिए इनमें अनिवासी भारतीयों और विदेशस्थ भारतीय मूल के व्यक्तियों को तरजीही आधार पर आबंटित ऋणपत्र शामिल नहीं होंगे।"

पूंजी निर्गम नियंत्रक ने कंपनी को नकद सममूल्य पर 200 रुपया प्रति ऋणपत्र के मूल्य के 2,82,500 प्रतिभूति रूपांतरणीय ऋणपत्र निम्नलिखित रीति से जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी :

(i) मौजूदा शेयर होल्डरों को	20,000 ऋणपत्र कुल मिलाकर 40 लाख रुपए के।
(ii) मौजूदा जमाकर्ताओं को	3,750 ऋणपत्र कुल मिलाकर 7.50 लाख रुपए के।
(iii) कर्मचारियों, व्यापारिक सहयोगियों आदि को.	6,250 ऋणपत्र कुल मिलाकर 12.50 लाख रुपए के।
(iv) अनिवासी भारतीय तथा विदेशस्थ भारतीय मूल के व्यक्तियों को स्वदेश प्रत्यावर्तन के आधार पर	50,000 ऋणपत्र कुल मिलाकर 100 लाख रुपए के।
(v) विवरण पत्र के माध्यम से जनता को	2,02,500 ऋणपत्र कुल मिलाकर 406 लाख रुपए के।
	जोड़ : 565 करोड़ रुपए।

(उपर्युक्त (i) से (iv) तक में से अनमिदत्त अंश, यदि कुछ रह जाए, सार्वजनिक पेशकश में शामिल कर दिया जाएगा)

इन ऋणपत्रों के सम्बन्ध में कुल अभिदान 32.4 करोड़ रुपए का हुआ है और अनाबंटन के कारण जो रकम लौटाई जाती है वह कुल 30.38 करोड़ रुपए है। (ऋण-पत्रों में मूल्य का 50 प्रतिशत एप्लीकेशन राशि होने के आधार पर)।

कंपनी के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों द्वारा आबंटन के लिए निर्धारित ऋणपत्र पूंजी निर्गम नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित आरक्षणों के अनुसार हैं, जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट है।

सामान्यतया सरकार, आवश्यकतानुसार, कम्पनियों को ऋणपत्रों के निर्गम के 7-1/2 प्रतिशत तक के भाग को कम्पनी के कर्मचारियों तथा व्यापारिक सहयोगियों आदि के लिए आरक्षित करने की अनुमति देती है। तरजीही आधार पर स्कूटर की पेशकश के सम्बन्ध में पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह पेशकश कम्पनी द्वारा अपने स्वविवेक के आधार पर की गई है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : महोदय, स्कूटरों के वार्षिक उत्पादन को 25 प्रतिशत भाग का ऋण पत्र धारकों के लिए वरीयता के आधार पर आरक्षित करने सम्बन्धी एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री ने 13 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1613 के उत्तर में यह बताया है कि ऐसा निर्णय करने का इरादा इसलिए किया गया है कि इससे इस परियोजना में भारी संख्या में छोटे-छोटे निदेशकर्त्ता अपनी पूंजी लगा सकेंगे। यदि ऐसा है, तो क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि कम्पनी के उन निदेशकों और अन्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए इस प्रकार के छोटे आरक्षित किये जाने का क्या औचित्य है जो अनेकों वर्षों से तथाकथित छोटे निवेशकर्त्ताओं की कीमत पर इस सुविधा के अधिकाधिक भाग का लाभ उठा रहे हैं?

इसके अलावा, क्या मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछ सकता हूं कि निदेशकों और अन्य लोगों के लिये अधिक शर्तों पर इस प्रकार के भारी संख्या में ऋणपत्रों को आरक्षित किये जाने या निर्धारित किये जाने के पीछे क्या तर्क है?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि दोनों ही पूरक प्रश्न समाप्त हो गये है।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, यह बहुत बड़ा भाग नहीं हैं। वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, कुल आबंटन का 7-1/2 प्रतिशत अंश ही निदेशकों, अधिकारियों, व्यापारिक सहयोगियों तथा कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाता है। इन सभी के लिये कुल मिलाकर 7-1/2 प्रतिशत का कोटा आरक्षित किया जाता है और यही स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धान्त है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निदेशकों को भी स्कूटरों की आवश्यकता होती है?

श्री प्रणब मुखर्जी : आपने प्रश्न सुना ही नहीं है। यह स्कूटर के आबंटन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह ऋणपत्रों के आबंटन से सम्बन्धित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने समझा कि आप उन्हें स्कूटर भी दे रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक स्कूटरों का सम्बन्ध है उन्होंने स्थिति स्वीकार कर ली है। अब वह ऋणपत्रों के अंश के आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : स्कूटर भी ।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक स्कूटरों का सम्बध है, जैसा कि उद्योग मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट किया है जनवरी 1978 से स्कूटरों के वितरण पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। इसलिए, यदि कोई किसी विशिष्ट तरीके से स्कूटरों का वितरण करना चाहता है, अर्थात् स्कूटर-निर्माता और इसके वितरक किसी भी तरीके से इसका वितरण करना चाहते हैं तो वह अपने तरीके से ऐसा कर सकते हैं। जहां तक ऋणपत्रों की अनुमति का सम्बन्ध है, और जहां कंट्रोलर आफ कैपिटल इशूज का नियन्त्रण भी है, यदि उन्होंने उसका उल्लेख कर भी दिया हो, तो भी हम उनसे यह नहीं पूछेंगे कि वे भावी क्रेताओं के लिये अपने ऋणपत्रों को किस प्रकार आकर्षक बनाते हैं। स्कूटर वाली बात यहां संगत नहीं है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, इन वर्गों के लोगों के लिये 7-1/2 प्रतिशत भाग आरक्षित किया जा सकता है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस प्रकार के ऋणपत्रों के आबंटन के लिए आवेदनपत्रों को भेजते समय कम्पनी के बैंकरों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि अंतिम आबंटन होने तक क्या उन्हीं के पास रहती है ? उन मामलों में आबंटन का निर्धारण कैसे किया जाता है जहां प्रत्येक ऋणपत्र-धारक के लिये स्कूटर के तरजीही आबंटन की ऐसी शर्तों के देखते हुए अधिक-अंशदान जमा हो जाता है ? क्या कम्पनी को इस राशि का उपभोग करने की अनुमति है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आवेदन-पत्र भेजने की अंतिम तारीख और अंतिम आबंटन के बीच सामान्यतया कितना अन्तर होता है और वह अधिकतम संख्या क्या है जो किसी आवेदक को अर्थात् तथा कथित छोटे निवेदनकर्त्ता को आबंटित की जा सकती है अथवा उसे आबंटित की जाने की आशा है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक इकट्ठी की गई कुल राशि का और आबंटन न होने पर वापस की गई राशि का सम्बन्ध है, उसे मैंने विवरण के अन्तिम भाग में बता दिया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ने उन आंकड़ों को देख लिया होगा। वापसी की सही तारीख मुझे मालूम नहीं है। यह अवश्य है कि हम इस राशि का अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं देंगे। माननीय सदस्य को यह ज्ञात ही है कि इस राशि का उपयोग पोलेराइजेशन संयंत्र लगाने के लिये किया गया है। यह राशि उसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जानी है। मेरा ख्याल है कि उसने अपनी सहमति 7 जुलाई, 1982 को दी थी। परन्तु पूरे अंशदान की सभी तारीख और इसके बाद इसमें कितना अन्तर रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी।

डा० बसन्त कुमार पंडित : कम्पनी ऋणपत्र, शेयर आदि जारी कर रही है। करोड़ों रुपये की राशि इकट्ठी कर ली गई है और अपेक्षित अंशदान से भी अधिक राशि जमा हो चुकी है। क्या सरकार ने राशि को अंशदाताओं को वापस करने की भी कोई तारीख निर्धारित की है और यदि हां तो वह समय सीमा क्या है जब इस प्रकार की कम्पनियां और खासतौर से यह कम्पनी उन लोगों का पैसा वापस करेगी जिन्हें ऋणपत्र आबंटित नहीं किये गये हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इस मामले विशेष में, कितना समयान्तर है, मुझे मालूम नहीं है और जैसाकि मैंने बताया है कि इस बारे में जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। सामान्यतः यह वास्तविक अंशदान पर निर्भर करेगा। ऋणपत्रों के स्वरूप को देखते हुए कंट्रोलर आफ कैपिटल इशूज द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया है। परन्तु इसके लिए कोई एक सीधा-सीधा सूत्र नहीं है। जहां तक इस कंपनी विशेष का सम्बन्ध है, मैंने बता ही दिया है कि सही तारीख की जानकारी प्राप्त करनी होगी।

श्री ई० बालानन्दन : उत्तर से यह पता चलता है कि स्कूटर आबंटित करने की शर्त के कारण करोड़ों रुपया अपेक्षित अंशदान से अधिक इकट्ठा हो गया है। कम्पनी ने उन लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया है और जिन लोगों ने पैसा दिया है, वे स्कूटर की मांग भी करेंगे। इसलिये, क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि उन लोगों को जिन्हें स्कूटर नहीं दिया जा रहा है, उनका पैसा बिना विलम्ब के वापस कर दिया जाये, चाहे उन्होंने कितनी भी राशि जमा कराई हो।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक ऋणपत्र के न दिये जाने पर धनराशि की वापसी का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का इस विषय में हस्तक्षेप है। जैसा कि मैंने बताया ही है कि वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि आप स्कूटर लेना चाहते हैं तो यह मामला आपके बीच है और स्कूटर बेचने वाले के बीच में हैं अर्थात् स्कूटर खरीदने वाले और स्कूटर बेचने वाले के बीच यह मामला है। मैं बीच में कैसे आ सकता हूं ? कृपया इस मामले में सरकार को बीच में मत लाइये।

परन्तु, ऋण पत्रों के आवंटन न लिये जाने के मामले में राशि वापस करने के लिए एक निर्धारित अवधि है और उस अवधि का पालन किया जाना चाहिये।

अमरीका को इन्जीनियरी सामान का निर्यात

*296. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि अमरीका को नई मदों का निर्यात आरम्भ करने के लिये उनके बाजार का पता लगाने हेतु तुरन्त सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने वे नई मदें तय की हैं जिनका अमरीका को निर्यात किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंजीनियरी निर्यात

संवर्धन परिषद ने संयुक्त राज्य अमरीका को नई निर्यात मदों के संवर्धन के लिए द्रुत बाजार सर्वेक्षण करने की जरूरत का उल्लेख करते हुए वाणिज्य मत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) तथा (ग) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात संवर्धन के लिए 1981 में 27 नई मदों का पता लगाया। इन मदों के ब्यौरे अनुबन्ध के अनुसार हैं।

(घ) सरकार इन मदों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात बढ़ाने तथा संयुक्त राज्य अमरीका को नई मदों के निर्यातों के संवर्धन के लिए द्रुत बाजार सर्वेक्षण करने के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से किसी भी पहल का स्वागत करती है।

विवरण

संयुक्त राज्य अमरीका में निर्यात संवर्धन के लिए चुनी गई नई मदें

क्रमांक	मदें
1.	स्टोव्स, सी० आई०
2.	ताले तथा पैडलाक
3.	कैस्टर्स
4.	पावर ट्रांसमिशन के लिए चेनें
5.	इलैक्ट्रिक मोटरें
6.	इलैक्ट्रिक मोटरों के हिस्से
7.	जैनरेटरों के हिस्से
8.	कृषि तथा फार्म मशीनरी के हिस्से
9.	कृषि तथा फार्म मशीनरी तथा उपकरण
10.	सिलाई मशीन सुइयां
11.	मैटलवर्किंग मशीन औजारों के हिस्से
12.	होयस्ट्स तथा बिन्चेज
13.	हाइड्रोलिक जैक्स
14.	तोलने की मशीनरी

क्रमांक	मदें
15.	बाल बियरिंग्स
16.	गरारियां तथा हिस्से
17.	चेन स्प्रोकेट्स, कलचेज
18.	इंजेक्शन मोल्डस फार रबड़ एण्ड प्लास्टिक
19.	नान-कैलकुलेटिंग आफिस मशीनों के हिस्से
20.	रैक्टीफायर्स तथा रैक्ट्रीफाइंग साधित्र
21.	क्वायल्स तथा एण्डक्टर्स
22.	प्रिटेन्ड सर्किट बोर्ड ।
23.	स्टोरेज बैटरियां ।
24.	पर्मानेन्ट मैंगनेट्स
25.	मोटर साइकिलें
26.	रेलवे इंजनों तथा चल स्टाक के हिस्से
27.	शल्य-चिकित्सा उपकरण

श्री भीकू राम जैन : माननीय मन्त्री ने कहा है कि इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई नया द्रुत बाजार सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी तरफ से कोई कदम उठाये हैं या क्या सरकार जैसा कि आपके उत्तर (ग) में उल्लिखित है, न केवल अमरीका को बल्कि अन्य सभी देशों को वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद की ओर से कोई पहल किये जाने की प्रतीक्षा कर रही है, विशेषकर जबकि ऐसी वस्तुएं उन देशों में बहुत अच्छी किस्म की बनाई जाती है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने ऐसी 27 मदों का पता लगाया है जो अमरीका को निर्यात की जा सकती हैं।

जहां तक अन्य देशों को निर्यात करने का निबन्ध है वे बाजारों से पता लगाते हैं। वे रिपोर्ट तैयार करते हैं और उन रिपोर्टों को हमारे देश में विनिर्माताओं को उपलब्ध कराते हैं और उनके इन प्रयासों में जहां तक आवश्यक तथा सम्भव होता है, सरकार उनकी मदद करती है।

श्री भीकू राम जैन : उत्तर (ख) और (ग) में माननीय मंत्री ने बताया है कि इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात संवर्द्धन के लिए 1981 में 27 नई मदों का पता लगाया था। जहां तक अमरीका का सम्बन्ध में निर्यात संवर्द्धन परिषद ने यही कुछ किया है और मदों की संख्या 27 है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका तथा अन्य देशों को और अधिक मदों के निर्यात के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद के अलावा कोई और प्रयास भी किया गया है या सरकार केवल इस परिषद पर निर्भर हैं और संघों का व्यक्तियों या सरकारी विभागों की अन्य एजेंसियों की सिफारिशों पर कोई और प्रयास भी कर रही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसका उत्तर हां में है। हमने कई देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने के कई ढंग हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था जो सरकार द्वारा द्रुत सर्वेक्षण से सम्बद्ध है। सर्वेक्षण इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने किया है और उन्होंने वस्तुओं का पता लगाया है। उन वस्तुओं के बारे में भी हम उनकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन न केवल अमरीका बल्कि अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने के दूसरे तरीके भी हैं। संयुक्त आयोग की बैठकें होती हैं। व्यापार मेले आयोजित किये जाते हैं। शिष्ट मंडल भेजे जाते हैं और यहां उनका स्वागत किया जाता है। मदों का पता लगाया जाता है और कई बातें हैं जो सरकार द्वारा विभिन्न देशों को निर्यात-प्रोत्साहन के लिए निरंतर की जाती हैं।

श्री सुनील मैत्रा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या 1980-81 की तुलना में वर्ष 1981-82 में अमरीका को इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है या कम हुआ है। यदि हां, तो कितना बढ़ा या घटा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : निर्यात बढ़ रहा है ? मैं ब्योरा बाद में दूंगा।

श्री के० राममूर्ति : निर्यात संवर्द्धन परिषदों में से इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद से उसके स्वायत्तता के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने इस परिषद के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह प्रश्न परिषद के गठन के बारे में है। इसके लिए फिर से नोटिस दिया जाना चाहिए।

हीरा व्यापारियों की तस्कर गतिविधियां

*302. **श्री भैरावदन के० गधावी :** क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हीरे के व्यापार में तस्करी को रोकने के लिए गत दो वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने कितने छापे मारे ;

(ख) इन छापों का क्या परिणाम निकला ;

(ग) जिन लोगों पर ये छापे मारे गये हैं उनका ब्यौरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या सरकार को ऐसे हीरा व्यापारियों का ब्यौरा बताने वाली कोई जानकारी प्राप्त हुई है जो हीरे के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में हीरे के अवैध व्यापार और गतिविधियों में लगे हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया ।

विवरण

(क) से (ग) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1981 में तथा वर्ष 1982 में (सितम्बर तक) हीरों की तस्करी के बारे में ली गई तलाशियों की संख्या, उनमें अभिग्रहीत हीरों का मूल्य और ऐसे मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत हीरों का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1981	33	10.36	5
1982	23	34.85	8

(सितम्बर तक)

अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में कानून के तहत समुचित कार्यवाही शुरू की गई है । इनमें से वर्ष 1982 में गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द भी किया गया था ।

(ख) ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जिनमें हीरों के व्यापारी भी शामिल हैं, समय-समय पर

सूचना एकत्र की जाती रहती है जो कथित रूप से हीरों के गैर-कानूनी व्यापार में एवं उनकी तस्करी में अन्तर्ग्रस्त पाए जाते हैं ।

श्री भेरावदन के० गधावी : जबकि अन्य मामलों में सरकार ने तस्करी को रोकने का प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन जहां तक हीरों का सम्बन्ध है विवरण से ऐसा लगता है कि गतिविधियां वृद्धि पर हैं क्योंकि 1981 में 33 छापे मारे गए और 10.36 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई थीं, 1982 में केवल 23 छापे मारे और 34.85 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई थीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ हीरे के कुछ बड़े व्यापारियों के कार्यालय विदेशों में हैं और वे हेरा-फेरी करके, अंडर-इनवाइसिंग और ओवर इन-वासिंग द्वारा तस्करी करते हैं और क्या इन आंकड़ों में वे अभिग्रहण भी शामिल हैं जो हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले लोगों की वस्तुओं के किये जाते हैं ।

श्री पट्टाभि राम राव : हाँ श्रीमान्, इन आंकड़ों में यथासंभव सभी अभिग्रहण शामिल किये गए हैं ?

श्री भेरावदन के० गधावी : मेरे प्रश्न के भाग (घ) के बारे में···

एक माननीय सदस्य : हमें उत्तर सुनाई नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आपका उत्तर सुना नहीं जा सका है । आप इसे दोहरा सकते हैं ।

श्री पट्टाभि राम राव : यथासंभव सभी अभिग्रहण इन आंकड़ों में शामिल किये गए हैं ।

एक माननीय सदस्य : इन्हें किस सीमा तक शामिल किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिस सीमा तक आप चाहते थे उस सीमा तक शामिल किया गया है ।

श्री पट्टाभि राम राव : समस्या यह है कि उनकी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या विदेशों में रहने वाले कुछ अन्य लोगों के माध्यम से अपनी एजेंसियां हैं । यह पता लगाना कठिन होता है कि उनमें से वास्तव में कौन इन गतिविधियों में शामिल होता है ।

श्री भेरावदन के० गधावी : मेरे प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर गोलमोल है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन लोगों के नाम दिये गए हैं जो हीरों की तस्करी करते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे ऐसा उनकी अनुमति से करते हैं ?

श्री भेरावदन के० गधावी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं जो इन गतिविधियों में शामिल हैं और क्या कोई कार्रवाई की गई थी या कोई छापा मारा गया था या उन लोगों के बारे में कोई जांच की गई थी और यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : हमारे पास कुछ जानकारी है और विशेषकर उन व्यक्तियों के नाम हैं जो माननीय सदस्य के दिमाग में हैं। लेकिन इस मामले के स्वरूप को देखते हुए मैं यह नहीं बता सकता कि मैं अब क्या कार्रवाई करने जा रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व जब आंध्र के एक अतिविशिष्ठ व्यक्ति हवाई जहाज से विदेश से लौटकर आ रहे थे तो अचानक उनके सामान से कई हीरे निकल कर हवाई जहाज के फर्श पर बिखर गये थे, क्या यह पता लगा था कि वे हीरे किसके थे क्या वे किन्हीं तस्करों के थे। **(व्यवधान)**. उस अति-विशिष्ट व्यक्ति का नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमान, मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भूतलक्षी प्रभाव सहित इसकी जाँच की जाए। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या उस समय कोई कार्रवाई की गई थी?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो यह जानना चाहते थे कि सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह एक विशेष मामले के बारे में है। आप मुझसे यह आशा नहीं कर सकते कि हर जगह और देश के हर भाग में क्या-क्या हुआ उस सबकी जानकारी मैं दूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हीरे-पन्ने खास तौर से मध्य प्रदेश की खदानों से निकलते हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि ये हीरे-पन्ने वहीं के वहीं नीलाम कर दिए जायें लेकिन, सरकार ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि जहां भी इसकी मार्केट मिले—चाहे लंदन में, बम्बई में मद्रास में—वहां जाकर उनको नीलाम किया जाए। इसी कारण इसमें स्मगलिंग होती है। जहां खदान होती है अगर वहीं पर इनको नीलाम किया जाए तो यह स्मगलिंग रुक सकती है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी?

श्री प्रणब मुखर्जी : इस मामले में उपयुक्त प्रशासनिक तन्त्र द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मेरा मंत्रालय उपयुक्त मंत्रालय नहीं है।

डा० कृपासिंधु भोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप हमेशा बहुत गम्भीर प्रश्न ही करते हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : प्रश्न सं० 302 भी बहुत गम्भीर है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 302 है।

डा० कृपासिंधु भोई : जनता के शासनकाल में उड़ीसा में एक गलत व्यापार हुआ था। वह क्या था ? अफसरों, राजनीतिज्ञों और ठेकेदारों की मिलीभगत से बोलनगिर और कालाहांडी जिलों में एक ऐसा क्षेत्र है जहां से काफी मात्रा में बहुमूल्य पत्थर जैसे हीरा, पन्ना और अन्य उपलब्ध पत्थरों को तस्करी करके लंदन को भेजा गया है। लंदन में एक हीरे का मूल्य 5 करोड़ रुपये से भी अधिक है। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है या नहीं और यदि मन्त्रालय को कोई जानकारी मिली है तो क्या मन्त्रालय इस मामले की जांच करेगा और राज्यों को अनुदेश जारी करेगा कि उस क्षेत्र को पूर्वेक्षण के लिए अंकित किया जाए और उस क्षेत्र की उचित सुरक्षा की जाए ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हां, श्रीमान। यदि मुझे और विस्तृत जानकारी मिल जाएगी तो मैं अवश्य इस मामले को देखूंगा। फिलहाल मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं इस्पात और खान मंत्रालय में था, तब हम ऐसी जानकारी एकत्र किया करते थे। बहुमूल्य पत्थरों या धातु का मिल जाना ही इस बात का संकेत नहीं है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से सही पाया जाएगा। सोने का उदाहरण लें। गोल्ड-कन्टेंट एक पौंड में 8 से 10 ग्राम तक हो सकता है। यह अर्थक्षम नहीं हो सकता है। अतः किसी धातु का मिल जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसे निकालना वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्त होगा। अतः देश के कई भागों में बहुमूल्य पत्थर तथा धातु मिलती है लेकिन उन्हें निकालना अर्थक्षम होगा या नहीं इसका पता केवल प्रशासी मंत्रालय ; इस्पात और खान मंत्रालय ही लगा सकता है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका पता लगाएगा।

जहां तक तस्करी का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं यह बढ़ रही है। हम उचित उपाय कर रहे हैं और हमने काफी जब्तियां की हैं और जब्त किए गए सामान के मूल्य से यह संकेत मिलता है कि इस दिशा में उचित कार्रवाई की जा रही है।

सिलीगुड़ी में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण

*303. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाग-डोगरा हवाई अड्डे पर उड़ान की कुछ पाबन्दियां हैं और उस अड्डे पर भवन निर्माण की पाबन्दियां हैं क्योंकि बागडोगरा हवाई अड्डा पूर्णतया रक्षा विभाग के नियन्त्रण में हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो व्यक्ति विमान यात्रियों को विदा करने अथवा उन्हें लेने आते हैं, वे रक्षा क्षेत्र में प्रायः बहुत परेशान किये जाते हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर बंगाल के असैनिक यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार की सिलीगुड़ी में अथवा सिलीगुड़ी के आस-पास एक अलग हवाई-अड्डा बनाने की कोई योजना और कार्यक्रम है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। तथापि इस हवाई अड्डे पर एक सिविल एयर टर्मिनल काम्प्लेक्स भी विद्यमान है।

(ख) परेशान किए जाने का कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि कम से कम माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि बागडोगरा हवाई अड्डे में स्थान की अत्यधिक कमी है। प्रश्न के भाग (ख) के बारे में उन्होंने कहा है कि परेशान किए जाने का कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है। रिक्शावाले, टैक्सीवाले और स्कूटर वाले परेशान किए जाने की कोई रिपोर्ट रक्षा कर्मचारियों को किस प्रकार कर सकते हैं। यह हवाई अड्डा पूरी तरह से रक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है और बागडोगरा हवाई अड्डे में रात्रि उड़ान की सुविधा है। लेकिन ये विमान को उतरने की अनुमति नहीं देते हैं। सिविल 8 उड़ान के मामले में भी गर्मियों में सायं पांच बजे के बाद विमान उतरने का कोई अवसर नहीं है और हवाई अड्डा बागडोगरा मुख्य सड़क से बहुत दूर है। टर्मिनस स्टेशन सार्वजनिक सड़क से बहुत दूर है और वहां आम रास्ते की अनुमति नहीं है। रिक्शाओं को भी वहां पर चलने की अनुमति मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इन सभी मामलों को रक्षा विभाग के साथ उठायेंगे अर्थात् बागडोगरा हवाई अड्डे में इंडियन एयरलाइंस के विमानों को रात्रि के समय उतरने की सुविधायें देना, हवाईअड्डे के लिये सार्वजनिक आम रास्ते को खोलने की अनुमति देना आदि। हवाईअड्डे में अत्यधिक स्थान की समस्या को हल करने के लिए नई इमारत का निर्माण करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : हमें रक्षा मंत्रालय से कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। हालांकि बागडोगरा हवाईअड्डा सैनिक हवाईअड्डा है तथापि हमें वहां पर इंडियन एयर लाइंस के विमानों के संचालन के लिए उनकी अनुमति प्राप्त है और हमें प्रत्येक उड़ान के लिये अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। जहाँ तक सिविल एयर टर्मिनल काम्प्लेक्स का सम्बन्ध है, यह सच है कि हम इसका विस्तार करना चाहते हैं क्योंकि हमने अब बोइंग-737 विमान सेवा शुरू कर दी है और इसलिये हमें अधिक यात्री मिलते हैं जिसके लिए हमें अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है और इसलिए हमने इस इमारत के नवीकरण के लिए 22.83 लाख रुपये आवंटित किए हैं। अब प्रश्न यह है कि रक्षा मन्त्रालय ने कहा है कि उनकी दृष्टि से यह वर्तमान स्थल उपयुक्त नहीं हो सकता और इसलिए हमने उनसे कहा है कि वे वैकल्पिक स्थल के लिये क्या सुझाव देंगे अथवा क्या हम इसी में सुधार कर सकते है ? इस पहलू पर मुझे आशा है कि हमें उनसे उत्तर प्राप्त होगा और सिविल काम्प्लेक्स टर्मिनल बिल्डिंग के लिये आबंटित की गई 22.83 लाख रुपये की राशि खर्च की जायेगी और बोइंग विमान सेवा को शुरू करने के कारण अपेक्षित सुविधायें वहां पर उपलब्ध कराई जायेंगी।

श्री अमर राय प्रधान : मैंने पूछा है कि क्या आप हवाई अड्डे पर रात के समय विमान

उतरने की सुविधा की अनुमति देंगे और क्या आप इस मामले में रक्षा विभाग के साथ विचार-विमर्श करेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : हमें रात के समय विमान उतरने की सुविधा की आवश्यकता नहीं है । अतः हमने इस मामले में उनसे नहीं पूछा है । इण्डियन एयरलाइंस को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती । जिस दिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम उनसे पूछेंगे । मुझे आशा है कि कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अमर राय प्रधान : माननीय मन्त्री महोदय भली-भांति जानते हैं कि अधिकांश विमान उड़ानों में दो घन्टे अथवा तीन घन्टे का विलम्ब हो जाता है । इन्डियन एयरलाइंस 489 और 490 की बहुत सी उड़ानें रद्द की गई थी जिसका कारण उनका दो अथवा तीन घन्टे का विलम्ब होना था । दो बार से अधिक यह मेरे साथ हुआ था । जब मैं विमान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था तो इन्हें रद्द किया गया था क्योंकि इनमें दो से अधिक अथवा तीन घन्टे का विलम्ब हुआ था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय सिलीगुड़ी में अथवा इसके निकट किसी स्थल पर एक नये हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए पुनर्विचार करेंगे ताकि यह न केवल सैनिक लोगों की, अपितु सिविल लोगों की भी जो नेपाल और भूटान जाना चाहते हैं । आवश्यकता पूरी कर सके ।

श्री भागवत झा आजाद : उसी कारण, जिसका माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है, और अन्य बातों के लिए हम अपनी सुरक्षा तथा इन्डियन एयरलाइन्स की सुरक्षा के लिये रक्षा विमान-क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं । जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है अर्थात यह विमान के विलम्ब से चलने के बारे में है । मैंने इसे नोट कर लिया है । मैं इन्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के साथ दो महत्वपूर्ण बातों कर विचार-विमर्श कर रहा हूं जिन्हें शीघ्र किया जाना चाहिए और वे इन पर गौर कर रहे हैं अर्थात स्थिति में सुधार करना और अच्छा जनमत बनाना और माननीय सदस्य की बात कि विमान को चलाने में देरी न की जाये । दूसरी बात यह है कि भोजन की किस्म में सुधार होना चाहिये । इन दोनों बातों पर मैं गौर कर रहा हूं और मुझे आशा है कि इनमें सुधार होगा । यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह कृपया मुझे लिखकर दें ताकि मैं देख सकूं कि क्या कोई सुधार किया जा सकता है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वस्तुतः माननीय मन्त्री महोदय ने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या यातायात और दूरी को देखते हुए आप सिलीगुड़ी में नये हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे जो सिक्किम, दार्जिलिंग और अन्य स्थानों को जाने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा । इसको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस पर कार्यवाही करेंगे ? वह इस मामले में क्या कदम उठायेंगे ? इसे स्पष्ट बतायें ।

श्री भागवत झा आजाद : जहाँ तक स्पष्ट रूप से बताने का सम्बन्ध है, जी नहीं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों नहीं ?

श्री डूमर लाल बैठा : पहले के पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने 2 अक्तूबर, 1982 से पूर्णिमा के लिये वायुदूत सेवा शुरू करने के लिये आश्वासन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि यह सेवा क्यों शुरू नहीं की गई ?

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, यह प्रश्न चर्चाधीन, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अतः यह संगत नहीं है।

हथकरघा क्षेत्र को प्रौद्योगिकीय समर्थन

*305. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय समर्थन में वृद्धि करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय सहायता में वृद्धि के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए : :

(क) देश के विभिन्न भागों में भारत सरकार द्वारा स्थापित 23 बुनकर सेवा केन्द्रों तथा सलेम (तमिलनाडू), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और गोहाटी में स्थित 3 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों में सतत अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों। ये संस्थान, अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के अलावा, हथकरघा प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और हथकरघा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में हुनर में सुधार करने तथा उसे अद्यतन करने के उद्देश्य से अल्पकालिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।

(ख) हथकरघा फैब्रिक्स, को बेहतर फिनिश प्रदान करने तथा उसकी पहनने सम्बन्धी क्वालिटियों को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत करघा पूर्व तथा करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना।

(ग) करघों के आधुनिकीकरण के लिये सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को उपदान।

(घ) डिजाइन तथा उत्पाद विकास पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद और दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बतूर के साथ घनिष्ट सहयोग।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने प्रश्न पूछा था और मुझे नहीं मालूम कि मेरे प्रश्न के तीन भागों को किसने खत्म किया है और चौथा भाग जिसे मैंने पूछा था, अब अधिक संगत नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बहुत खराब बात है।...(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल सकता हूं। मैंने प्रश्न पूछा है, अत: मुझे बोलने दीजिये।

सुदृढ़ माफिया जैसा एक ग्रुप है जो उनके पीछे कार्य कर रहा है जो विभिन्न देशों को कपड़ा निर्यात करते हैं। ये इंस्पेक्टर और कुछ अधिकारी हैं। इस बारे में मुझे उनके प्रति कुछ आशंका हैंयें।

मैं अपने प्रश्न के तीन भागों को पढ़ना चाहता हूं :

(क) ऐसे बेईमान निर्यातकों, जो हथकरघा कपड़े के रूप में विद्युतचालित करघा कपड़े का निर्यात कर रहे है, की समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहीं करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) ऐसे निर्यातकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) ऐसे बेईमान निर्यातकों द्वारा बिगाड़ी गई प्रतिष्ठा को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है ?

मेरे प्रश्न के ये तीन भाग हैं जिन्हें खत्म किया गया है।

मेरे प्रश्न का चौथा भाग यह है :

"और हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय समर्थन में वृद्धि करने के लिये अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?"

यहां पर यह हुआ है कि 'और' तथा 'अन्य' जैसे शब्द हटा दिये गये हैं और अब प्रश्न यह है :

"हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय समर्थन में वृद्धि करने के लिये किन उपायों पर विचार किया जा रहा है।"

मैं इस तरह से प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। मेरे प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, इस बारे में जांच के आदेश दें।

श्री सतीश अग्रवाल : यह अत्यन्त गंभीर बात है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यह प्रश्न क्यों पूछा था। मद्रास में एक बैठक हुई थी जहाँ वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री, श्री पी० ए० संगमा, गये हुए थे वहां पर उन्होंने यह उल्लेख किया था जो 25 सितम्बर के 'बिजनेस स्टेंडर्ड' में एक समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ :

"वाणिज्य मंत्रालय में केन्द्रीय उप-मंत्री श्री पी० ए० संगमा ने सोमवार को चेतावनी दी कि हथकरघा वस्त्रों के रूप में विद्युतचालित करघा वस्त्रों का निर्यात कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं और वह किन्हीं अनियमितताओं को सहन नहीं करेगी।"

ऐसे मामले में सरकार को मेरे प्रश्न का उत्तर देने में संकोच नहीं होना चाहिये ? महोदय लेकिन यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।

अब, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस प्रश्न को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित करें और इसमें इन सभी भागों को शामिल करें।

श्री जगदीश टाईटलर : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि इन निर्यातकों द्वारा, जो हथकरघा कपड़े के रूप में विद्युतचालित करघा के कपड़े का निर्यात कर रहे हैं, अनियमिततायें की गई हैं। क्योंकि उनके पास उनके समाचार हैं, अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हथकरघा कपड़े के रूप में विद्युतचालित करघा कपड़े का निर्यात कर रहे ऐसे बेईमान निर्यातकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मंत्रालय इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है...(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस प्रश्न को किसने बदला है ?...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह प्रश्न श्री टाईटलर की सम्पत्ति नहीं है। यह प्रश्न सदन की सम्पत्ति है। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रश्न की कांट-छांट की गई थी और इस प्रश्न की कांट-छांट क्यों की गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह कांट-छांट मंत्रालय ने की है अथवा सचिवालय ने ? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टाईटलर ने अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछा तो उन्होंने कुछ बातें

उठायी हैं मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि उन्होंने जो कुछ उल्लेख किया है, उसके बारे में वह अध्यक्ष महोदय, को लिखें और उनसे उत्तर प्राप्त करें।

मन्त्री महोदय, आप उनके पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं···(व्यवधान) श्री टाईटलर ने जो कुछ कहा है, मैंने उसे नामंजूर नहीं किया है मैंने कहा है : वह इस मामले के बारे में अध्यक्ष महोदय को लिखें। ···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जब आप पीठासीन होते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब वह अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखेंगे तो इस मामले की जांच की जायेगी और उन्हे उचित उत्तर दिया जायेगा···(व्यवधान) यदि वह इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते तो उन्हें सदैव इस मामले को इस सदन में उठाने का अधिकार है (व्यवधान) श्री टाईटलर, क्या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय बोलें।···(व्यवधान)

श्री शिवराज वी० पाटिल खड़े हुए···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है : आपने अभी-अभी अपनी अवशिष्ट शक्तियों के अधीन···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्पष्टीकरण मांगा है। प्रश्न काल में आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी-अभी आपने विनिर्णय दिया है कि यदि माननीय सदस्य को इस प्रश्न की कांट-छांट के बारे में कुछ शिकायतें हैं, तो वह अध्यक्ष महोदय को लिख सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इस पीठ पर विराजमान होतें हैं तो उसके पास अध्यक्ष महोदय की सभी शक्तियाँ और अधिकार हैं। अपने दायित्व को मत छोड़िये। अन्यथा यह पीठ अपनी महत्ता को खो देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैंने कहा है कि वह अध्यक्ष महोदय को लिख सकते हैं तो इसका आशय पीठ से है। वह मेरे उत्तर से संतुष्ट है। जैसे प्रत्येक माननीय सदस्य कहता है, श्री टाईटलर ने कुछ पृष्ठभूमि दी है। और इस पृष्ठभूमि मैं उन्होंने कहा है कि उनके प्रश्न का कुछ भाग कार्यालय द्वारा निकाल दिया गया है।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किसके द्वारा और क्यों ? किसके प्राधिकार से यह किया गया है ?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न के बारे में यदि कोई हिस्सा हटाया जाता है अथवा ऐसा किया जाता है तो यह किया जाता है···(व्यवधान) यह अध्यक्ष के आदेशों के अधीन, अध्यक्ष के प्राधिकार के अधीन किया जाता है। अतः मैंने उनसे अध्यक्ष महोदय को लिखने के लिये कहा है।

कुछ माननीयसदस्य : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।···(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो के रेल कर्मचारियों की संख्या में तुलनात्मक वृद्धि

*270. **श्री अश्फाक हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे में श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या में अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तुलना में असमानुपातिक रूप से वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों संवर्गों में कार्यभार और उत्तरदायित्वों के अनुरूप वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी तथा नगरपालिका अस्पतालों में स्वच्छता तथा संक्रमण संबंधी स्थिति

*271. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी तथा नगरपालिका अस्पतालों में स्वच्छता और संक्रमण संबंधी स्थिति निरन्तर अधिकाधिक खराब होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने कभी सभी अस्पतालों में, या कम से कम सरकारी अस्पतालों में वायु-प्रदूषण तथा स्वच्छता की स्थिति का कोई विश्लेषण कराया है, और

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों में बेक्टेरिया तथा रोगाणु जाँच की व्यवस्था है और क्या तत्संबंधी रिपोर्ट राज्य तथा केन्द्र के स्वास्थ्य निदेशकों के पास भेजी जाती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) सार्वजनिक अस्पतालों को आमतौर पर रोगियों और उनके साथ आए व्यक्तियों की भीड़ के बीच काम करना पड़ता है जिससे इन अस्पतालों में सफाई का काम बहुत बढ़ जाता है। ऐसी प्रतिकूल स्थिति के बावजूद सफाई का उचित स्तर बनाये रखने के लिए कठिन प्रयास किये जाते हैं। जहाँ तक संक्रमण का संबंध है, अनेक सार्वजनिक अस्पतालों में अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समितियाँ हैं जो परस्पर संक्रमण की घटनाओं की नियमित रूप से निगरानी रखती हैं। सफाई और अस्पताल-संक्रमण ऐसी समस्यायें हैं जिन पर अस्पतालों में ही निगरानी रखी जानी होती है। आपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष आदि जैसे अधिक जोखिम वाले स्थानों में जीवाणु और सूक्ष्म संबंधी परीक्षण किए जाते हैं।

भारतीय रेलवे के विकास के लिए विश्व बैंक से अनुदान

*272. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे में कुछ विकास करने के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये का अनुदान देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राशि के उपयोग के लिए रेलवे द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किन-किन रेलवेज को लाभ पहुंचेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगटन 'रेल आधुनिकीकरण और अनुरक्षण परियोजना-II' के लिए भारतीय रेलों को 4000 लाख डालर का क्रेडिट देने को सहमत हो गये हैं जो 360 करोड़ रुपये के बराबर है।

(ख) इस क्रेडिट/ऋण को निम्नलिखित के लिए दिया गया है :—

(1) डीजल पुर्जा कारखाना, पटियाला।

(2) अनुरक्षण की यूनिट विनिमय प्रणाली।

(क) रेल इंजन के पुर्जों की खरीद।

(ख) पहिया एवम् धुराओं की खरीद।

(3) आधुनिक बहुमुखी प्रोटो-टाइप वातानुकूल बिजली इंजनों का विकास और खरीद।

(4) उच्च क्षमता वाले माल डिब्बों के निर्माण के लिए पुर्जों की खरीद।

(5) तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण।

(ग) इससे भारत की सभी रेलों को लाभ होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

*274. **श्री आनन्द सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-मान लगभग एक दशक पूर्व पुनरीक्षित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो मूल्य सूचकांक में भारी वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार उनके वेतन-मानों का पुरीक्षण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नये वेतनमान कब तक लागू कर दिये जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षकों सहित विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमान 1-1-1973 से संशोधित किए गए थे। इसी तारीख से सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान भी संशोधित किए गए थे। अत: शिक्षकों के वेतन-मानों को आगे संशोधित करने के सम्बन्ध में उस समय विचार किया जायेगा जब केन्द्रीय सरकार भी अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय करेगी। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मरम्मत किए जा रहे प्राचीन मन्दिर

*275. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री मोहन लाल पटेल } क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार के संरक्षणाधीन प्राचीन मन्दिरों की संख्या क्या है; और

(ख) मरम्मत किए जा रहे मन्दिरों और स्मारकों का ब्यौरा क्या है और ऐसा किसके निरीक्षण में किया जा रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) परिरक्षण संबंधी अधिसूचना की प्रविष्टियों के अनुसार 1000 पुराने मंदिर केन्द्रीय सरकार के परिरक्षणाधीन है।

(ख) पुरातत्वीय सिद्धान्तों के मानदण्डों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशिक्षित कार्यकारी कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में केन्द्रीय परिरक्षित संस्मारकों की मरम्मत की जाती है। उन मंदिरों और संस्मारकों की सूची सदन के पटल पर रखी जा रही है, जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष मरम्मत का प्रावधान किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5552/82]

बर्धवान से न्यू जलपाईगुड़ी तक दोहरी लाईन

*276. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बंगाल तथा आसाम से कलकत्ता आने वाली गाड़ियों के विलम्ब से चलने का एक मुख्य कारण यह है कि उनके लिए लाइन क्षमता का अभाव है; और

(ख) क्या सरकार का बर्दवान से न्यू जलपाईगुडी तक दोहरी रेल लाइन का निर्माण करने के लिए कोई योजना तथा कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) बर्दवान-खाना एक चौहरी लाइन खंड है और साइंथिया-साहिबगंज लूप लाईन एक दोहरी लाइन खंड है। अन्य खंडों के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन बारसोई और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच के वर्तमान मीटर आमान खंड को बड़े आमान में बदलने का प्रस्ताव है ताकि इन स्टेशनों के बीच बड़े आमान की एक अतिरिक्त लाइन की व्यवस्था हो सके।

दिल्ली में भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने के उपाय

*277. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से बड़े नगरों में भिखारियों की संख्या में हो रही वृद्धि के क्या कारण है; और

(ख) दिल्ली में विद्यमान कानून को सख्त बनाकर भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भिखारियों, आवाराओं इत्यादि से संबंधित आंकड़ों की 1971 की जनगणना के आंकड़ों से तुलना करने के लिए 1981 की जनगणना के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि भिखारियों, आवाराओं इत्यादि की संख्या में वृद्धि हुई है या नहीं।

(ख) दिल्ली संघ क्षेत्र में बम्बई भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम लागू है। दिल्ली में इसको अधिक तेजी से लागू करने के लिए अभियान चलाया गया है। सरकार ने हाल ही में 2 भिखारी गृहों और कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारियों के लिए एक गृह को स्वीकृति प्रदान की है जो कि भिक्षावृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए उपायों हेतु अतिरिक्त ढाचा प्रदान करेंगे।

दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो द्वारा पुस्तकों का मुद्रण

*278. **श्री फूल चन्द वर्मा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भी दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो ने पुस्तकें मुद्रित कराई थीं;

(ख) यदि हां, तो पुस्तकों के पिछले स्टाक तथा इस वर्ष मुद्रित कराई गई अतिरिक्त पुस्तकों का कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या उपरोक्त स्टाक में से इस वर्ष पुस्तकें बेची गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने मूल्य की तथा शेष स्टाक का मूल्य कितना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पुस्तकों के पिछले स्टाक (31-3-1982 की स्थिति) की कीमत 56,81,810.78 रु० है और इस वर्ष के दौरान 22,45,931 अतिरिक्त पुस्तकें मुद्रित की गईं।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वर्ष के दौरान 58,01,503.05 रु० की राशि की पुस्तकें बेची गई। पुस्तकों के शेष स्टाक की कीमत 51,51,361.53 रु० है।

सिगरेट की खपत में विशेषकर महिलाओं में होने वाली खपत में कथित वृद्धि

*279. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में विशेषकर महिलाओं में सिगरेट की खपत में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अशिष्ट प्रकार के विज्ञापनों के जरिये लोगों को धूम्रपान के लिये आकर्षित करने की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि तम्बाकू उद्योग सिगरेट की खपत बढ़ाने के लिये खेल प्रतियोगिता, फिल्म नाइट और सौन्दर्य प्रदर्शन कार्यक्रम प्रायोजित करते हैं तथा बिक्री में वृद्धि के लिये अन्य योजनाओं को चलाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश में महिलाओं में सिगरेट की खपत में वृद्धि होने का कोई सबूत नहीं है।

(ख) और (ग) सिगरेटों के निर्माता समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं में तथा प्रमुख सड़कों के किनारों पर विज्ञापन-पटो के जरिये अपनी सिगरेटों का विज्ञापन करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने अपनी बिक्री बढ़ाने की दिशा में खेलकूद और अन्य गतिविधियों में प्रतियोगितायें भी प्रायोजित की हैं।

(घ) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1975 के उपबन्धों के अधीन सिगरेटों के सभी निर्माताओं अथवा उनका व्यापार करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बिक्री के लिए रखे गए सभी डिब्बों अथवा पैकिटों में "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" सांविधिक चेतावनी को स्पष्ट रूप से दिखायें। ऐसी चेतावनी सभी विज्ञापनों में दिखाई जाने की जरूरत है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से कह दिया गया है कि वे इस कानून का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपनी वाणिज्यिक सेवा में सिगरेट और अन्य तम्बाकू से बनी चीजों के बारे में विज्ञापन न लेने का निर्णय किया है।

पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

*280 **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 31 अगस्त, 1982 तक पिछले छः महीनों में पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय को पासपोर्ट कार्यालयों के विरुद्ध 280 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन सभी मामलों को संबंधित पासपोर्ट कार्यालयों के साथ तत्काल उठाया गया था ताकि पासपोर्ट शीघ्र जारी किए जा सकें।

दवाओं के गैर-चिकित्सकीय प्रयोग में वृद्धि

* 281. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जम्मू मैडिकल कालेज के मनोचिकित्सा विभाग द्वारा किये गये

अध्ययन की ओर आकृष्ट किया गया है जिससे पता चलता है कि दवाओं के गैर-चिकित्सकीय उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मनोचिकित्सकों के दल द्वारा किये गये अध्ययन की ओर भी आकृष्ट किया गया है जिससे भी यह पता चलता है कि शराब, तम्बाकू, नींद की गोलियाँ, अफीम, एल० एस० डी० और कैनाबिस का प्रयोग बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो दवाओं के अवैध और हानिकर प्रयोग को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यकाही करने का है अथवा क्या कार्यकाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है। वैसे, जम्मू व कश्मीर सरकार से अनुरोध किया गया है कि यदि उसके पास इस अध्ययन के बारे में कोई सूचना हो तो भेज दें।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि उनके मनश्चिकित्सा विभाग ने 1974-1980 के दौरान दवाओं के गैर-चिकित्सकीय उपयोग पर छः अध्ययन किये। ये अध्ययन विभिन्न वर्गों में और विशेष अवधियों के लिए किए गए थे। इसलिए गैर-चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए इन दवाइयों के उपयोग में वृद्धि हुई अथवा कमी। इस बारें में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

(ग) नशीली औषधियों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर नियंत्रण खतरनाक औषध अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे वित्त मंत्रालय लागू करवाता है। साइकोट्रोपिक औषधियों का आयात, बिक्री और निर्माण औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। इन औषधियों के आयात, निर्माण और बिक्री पर कड़ा नियंत्रण रखने की कानूनी व्यवस्था करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियम हाल ही में संशोधित किए गये हैं।

इस कानून को लागू करने वाली सभी संबंधित एजेंसियों औषधियों के अवैध इस्तेमाल के बारे में सजग हैं और वे समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले निवारक और अन्य उपाय करती रहती है।

रेल विभाग के केटरिंग कर्मचारी

* 282. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में रेल विभाग के केटरिंग कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लोक सभा अध्यक्ष के नाम आल इण्डिया रेलवे केटरिंग सर्विसेज वर्कर्सयू नियन, बेंगलूरू द्वारा भेजा गया 28 दिसम्बर, 1981 का एक अभ्यावेदन लोक सभा सचिवालय से मार्च, 1982 में प्राप्त हुआ था। हाल ही में कुछ अन्य संसद सदस्यों के माध्यम से भी इस अभ्यावेदन की प्रतियाँ प्राप्त हुई थीं।

(ख) आल इण्डिया रेलवे केटरिंग वर्कर्स यूनियन एक गैर-मान्यता प्राप्त संगठन है। प्रश्न के भाग 'क' में उल्लिखित इस अभ्यावेदन में 23 माँगें रखी गयी हैं जिनमें कमीशन में वृद्धि, उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस का भुगतान, कशीशन बेयरों/टेंडरों को समाहित करना, मजदूरी की दर का पुनर्निर्धारण, खानपान कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सरणि आदि जैसी माँगें शामिल हैं। इस ज्ञापन में उल्लिखित माँगें अधिकांशतः दक्षिण रेलवे में व्याप्त स्थिति के सन्दर्भ में की गयी हैं। दक्षिण रेलवे ने इन मांगों की जाँच की है और आवश्यक होने पर गुण-दोष के आधार पर इस मामले में समुचित कार्रवाई की है।

(1) 500 से अधिक कमीशन बेयररों/बेंडरों को नियमित कर्मचारियों के रूप में समाहित करना।

(2) वरिष्ठता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के कमीशन बेयररों/बेंडरों को समाहित करना जिसका निर्धारण जमानत जमा करने की तारीख के आधार पर किया जाता है।

(3) इस कोटि की पदोन्नति सरणि की व्यवस्था,

(4) क्वार्टरों की उपलब्धता के अनुसार क्वार्टरों की व्यवस्था।

(5) तदर्थ आधार पर पदोन्नत सहायक प्रबन्धकों को उचित चयन के बाद नियमित करना।

(6) सभी सुपर फास्ट गाड़ियों में प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की व्यवस्था।

(7) कार्य के रोस्टर घन्टों से अधिक घंटों तक काम करने के लिए नियमों के अन्तर्गत यथा अनुमेय समयोपरि का भुगतान।

(8) रसोईघरों में भाप कोयला या चारकोल के बदले धीरे-धीरे कुकिंग गैस की व्यवस्था।

(9) प्रत्येक खानपान यूनिट से पैंट्रीयान में सामग्री ले जाने के लिए ट्रालियों की व्यवस्था।

फरीदाबाद एन० आई० टी० रेलवे स्टेशन के पास मारे गये और घायल हुए श्रमिक

* 283. **श्री जगपाल सिंह**
श्री शिव शरण वर्मा } क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद एन० आई० टी० रेलवे स्टेशन के निकट एक रेल इंजन की शंटिंग के दौरान छः श्रमिक मारे गये और अन्य छः घायल हुए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लाइन पर लम्बे समय से रेलगाड़ियों के न चलने के कारण इसे बन्द हुआ समझा जाता था;

(ग) यदि हाँ, तो मृतकों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को सरकार द्वारा अभी तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और सरकार द्वारा घायलों को और मृतकों के परिवारों तथा आश्रितों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और;

(घ) मुआवजे की कितनी राशि अभी दी जानी शेष है और वह कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। 5-8-82 को लगभग 0.40 बजे जब एक दूसरे "खाली" डीजल इंजन के साथ जुड़ा हुआ एक डीजल इंजन फरीदाबाद में शंटिंग ग्रीवा पर चल रहा था, तब 5 व्यक्ति मारे गये और 6 घायल हो गये। ये व्यक्ति अनधिकृत रूप से रेल पथ पर और उससे बिल्कुल निकट सो रहे थे।

(ख) जी नहीं। शंटिंग ग्रीवा नियमित रूप से शंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है।

(ग) और (घ) मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को राहत के रूप में 10, 2:0 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

घायलों और मृत व्यक्तियों के आश्रितों को किसी सुविधा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है क्योंकि ये अनुमेय नहीं है। क्षतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत अदालत द्वारा फैसला दिये जाने के बाद क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रचार के लिए रेडियो और दूरदर्शन का प्रयोग

*284. **श्री राम अवध** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावशाली रूप से प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा रेडियो और दूरदर्शन का किस हद तक प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) परिवार नियोजन शिक्षा और प्रचार कार्यों के लिए रेडियो और दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है। आकाशवाणी के केन्द्र हर महीने परिवार कल्याण से सम्बन्धित बहुत से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। विविध भारती के विज्ञापन प्रसारण सेवा से भी प्रतिदिन एक स्पाट और जिंगल तथा सप्ताह में एक-एक बार "कौन कहां और कब" तथा "परिवार मंगल", दो प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे सप्ताह में एक बार निर्धारित समय पर कोई नियमित कार्यक्रम भी चलायें।

इसी प्रकार दूरदर्शन को भी परिवार कल्याण कार्यक्रम पर हर रोज कम से कम एक कार्यक्रम दिखाने के लिए राजी किया गया है। इसके लिए दूर दर्शन को फिल्में और अन्य सामग्री दी जाती है। इसके अतिरिक्त सात केन्द्रों से सप्ताह में एक बार निरोध पर एक विज्ञापन दिखाया जाता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के वाणिज्य सर्किटों का इस्तेमाल करने पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए 1982-83 के दौरान लगभग 65 लाख रुपयों का नियतन किया हुआ है।

काम में लाये जा सकने वाले जलपोत को स्क्रैप के लिए तोड़ दिया जाना

*285. **श्री राम विलास पासवान**
श्री राम गोपाल रेड्डी } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ब्लिट्ज" दिनांक 25 सितम्बर, 1982 में "सी वर्दी शिप ब्रोकन डाउन फार स्क्रैप" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टील इण्डया, केरल लिमिटेड ने यह जलपोत मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन, कलकत्ता से खरीदा था;

(ग) यदि हां, तो क्या मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट की अपेक्षा के अनुसार यह जलपोत नौवहन के महानिदेशालय के साथ पंजीकृत था;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जलपोत की स्क्रैप मूल्य से कम मूल्य पर बेचा गया था;

(च) क्या जलपोत के स्किपर ने नौवहन के महानिदेशक से अपील की थी कि जलपोत पर उसके पूर्वाधिकार के संरक्षण के लिए निदेशालय मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि समुद्र यात्रा ठीक ढंग से पूरी नहीं हुई थी;

(छ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच कराने का है, और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) (क) जी हां।

(ख) मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन ने आबंटन के आधार पर स्टील इंडस्ट्रियल केरल लि० को स्क्रेपिंग के लिए एम० वी० "अनस्तासीस" बेचा था।

(ग) और (घ) चूंकि एम० वी० अनस्तासीस एक विदेशी जहाज है इसलिए यह नौवहन महानिदेशक के यहां पंजीकृत नहीं है।

(ङ) यह जहाज तोड़ने के लिए स्ट्रैप लागत पर मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा खरीदा गया था और स्ट्रेप करने के लिए स्टील इन्डस्ट्रियल केरल लि० को आवंटित किया गया था।

(च) जी हां।

(छ) इस समय सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) मामला न्यायालय में है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का काडर पुनरीक्षण

*286. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए काडर पुनरीक्षण को हाल में अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सेवा के कार्यकरण में सुधार होगा और 525 अधिकारियों को तत्काल पदोन्नति प्राप्त होगी ;

(ग) क्या विशेषज्ञों के लिए, फिलोटिंग रिजर्व का सिद्धान्त बनाया गया है ;

(घ) क्या काडर पुनरीक्षण से सेवा में विभिन्न वर्गों के पदों पर अर्ह तथा अनुभवी कार्मिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे ; और

(ङ) काडर पुनरीक्षण के बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा जिसमें अन्य संगठनों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पद भी शामिल हैं, के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने तथा इसके कार्यसंचालन में सुधार लाने के लिए काडर पुनरीक्षण को हाल ही में अनुमति दी गई है। इससे लगभग 525 अधिकारियों को पदोन्नतियां

मिलेंगी जिनमें से 202 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पदों पर पदोन्नत होंगे ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने, इसके काम काज में सुधार लाने तथा इसके सदस्यों के पदोन्नति के अवसरों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस काडर की समीक्षा का काम शुरू कर दिया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) इस सेवा को चार स्वतंत्र भागों में अर्थात जनरल ड्यूटी और प्रशासनिक, जन स्वास्थ्य, गैर-शिक्षण विशेषज्ञों तथा शिक्षण विशेषज्ञों में पुनर्गठित किया जा रहा है। उपयुक्त सभी चारों भागों के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अलग-अलग माध्यम होंगे। तथापि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, अपर महा-निदेशक के पदों और उस ग्रेड के छः समान पदों पर पदोन्नति के लिए विचार करते समय वे सुपर टाइम ग्रेड—I स्तर पर एक सम्मिलित वरिष्ठता में समाविष्ट हो जायेंगे ।

(ख) इस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के और अधिक अवसर उपलब्ध करने के लिए जूनियर क्लास—I के 338 पदों (700-1300 रुपये) का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सीनियर क्लास—I पद (1100-1600 रुपये) किया जा रहा है, सीनियर क्लास—I के 80 पदों का दर्जा बढ़ाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में (1500-2000 रुपये) किया जा रहा है और विशेषज्ञ ग्रेड—II के 83 पदों (1100-1800 रुपये) का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विशेषज्ञ ग्रेड—I (1800-2250 रुपये) दिया जा रहा है ।

(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के अधिकारियों के लिए 2000-2250 रुपये के 26 पद (एक नया चयन ग्रेड) बनाने के लिए सहमति दे दी गई है ।

(घ) विशेषज्ञ ग्रेड—II (1100-1800 रुपये) के अधिकारियों के लिये विशेषज्ञ ग्रेड—I (1800-2250 रुपये) में विभागीय पदोन्नति कोटे को वर्तमान 30 प्रतिशत तक बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जायेगा। इसी प्रकार ड्यूटी वर्ग के अधिकारियों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड (1500-2000 रुपये) के पदों में पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति कोटा 20 प्रतिशत के बजाय शत प्रतिशत होगा ।

(ङ) विशेषज्ञों और सुपर टाइम ग्रेड—I की सेवा में अनिर्दिष्ट का आरक्षण का एक नया सिद्धांत अपनाया जायेगा । इससे उन अधिकारियों के पदोन्नति के मार्ग खुल जायेंगे ओर समग्र रूप

से काफी वरिष्ठ होने और अधिक वर्षों सेवा करने के बावजूद भी अपने क्षेत्र की विशिष्टताओं में रिक्तियों के अभाव के कारण अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति नहीं पा सके हैं।

(च) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक का एक और पद बनाया जा रहा है।

(छ) लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक और दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पद का दर्जा बढ़ाकर सुपर-टाइम ग्रेड—I किया जा रहा है ताकि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंध किया जा सके।

कानपुर और हाथरस के बीच की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*287. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लखनऊ और कानपुर तथा कानपुर और अनवरगंज के बीच मीटर गेज लाइन को 1983 तक बड़ी लाइन में बदलने का कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस लाइन को बदलने से फरुखाबाद कासगंज और एटा का राज्य की राजधानी लखनऊ के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहेगा और लोगों को वहां से यात्रा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ; और

(ग) क्या लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार कानपुर और हाथरस के बीच की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलेगी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लखनऊ से कानपुर तक तथा कानपुर से अनवरगंज तत मीटर लाइन का बदलाव करने के लिए सर्वेक्षण 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन का बदलाव करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच करने के बाद ही इस मामले पर विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) एटा और फरुखाबाद पहले से ही बड़ी लाइन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। कासगंज भी बरेली के रास्ते लखनऊ से वैकल्पिक मीटर लाइन के मार्ग से जुड़ा हुआ है। कानपुर से हाथरस तक मीटर लाइन खंड का बदलाव करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रांची लोहारडागा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*288. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची-लोहारडागा सकरी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसे चन्दवा रेलवे स्टेशन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई सर्वेक्षण कार्य किए गये हों तो वे क्या हैं और अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस परियोजना पर निर्माण कार्य कितनी जल्दी आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रांची-लोहारडागा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, प्रस्ताव की जांच करने और टोरी तक उसका विस्तार करने के लिए एक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच कर लिये जाने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो और योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाए।

बन्द की जा रही सायंकालीन विधि कक्षाएं

*289. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही सायंकालीन विधि कक्षाओं को धीरे-धीरे बन्द किया जा रहा है;

(ख) क्या "बार काउन्सिल आफ इण्डिया" ने इस बारे में कोई सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत भारतीय बार-परिषद् अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण प्रयोजन के लिए विधि शिक्षण के स्तर निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। इसके अनुसरण में, भारतीय बार-परिषद् एल० एल० बी० पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण तथा परीक्षा के स्तर का समय-समय पर निर्धारण करती रही है।

अगस्त, 1979 में, भारतीय बार परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों से जून, 1982 तक मौजूद प्रात:कालीन एवं सायंकालीन कालेजों और विभागों को पूर्णकालिक दिवा कालेजों और विभागों में बदल देने का अनुरोध किया था। बार-परिषद के अनुसार, किसी विधि कालेज अथवा विभाग को पूर्ण-कालिक कालेज अथवा विभाग समझा जायेगा यदि उसकी कार्य अवधि प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 6½ घंटे हो, जिसमें लेक्चर और शिक्षकों के साथ सम्पर्क, पुस्तकालय कार्य और अन्य शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक कार्यकलाप शामिल हैं ; प्रत्येक कार्य दिवस पर कम से कम 8 घंटे के लिए पुस्तकालय खुलता हो; और अशंकालिक शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षक संख्या की 25% से अधिक न हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसने बार-परिषद की इस सिफारिश पर विचार किया, का यह विचार था कि इसके सभी तीनों विधि केन्द्र बार-परिषद द्वारा निर्धारित उपर्युक्त सभी तीनों शर्तों को पूरा करते हैं। अत: विश्वविद्यालय ने बार-परिषद को सूचित किया कि इसके तीनों विधि केन्द्र पूर्ण-कालिक संस्थायें हैं और इसलिए वे बार-परिषद् के निर्णय से प्रभावित नहीं होते।

आय कर की वसूली

*291. **श्री भीम सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान आय कर की वसूली में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष वसूली में कितनी कमी हुई; और

(ग) ऐसी संस्थायें और व्यक्ति कितने हैं जिनकी ओर 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर की राशियां बकाया हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान बकाया तथा चालू मांग में से उगाही/ घटौती से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	निम्नलिखित में से वर्ष के दौरार उगाही/घटौती	
	बकाया मांग	चालू मांग
1979-80	340.60	1665.75
1980-81	422.01	2036.21
1981-82	468.76	2130.05

उपर्युक्त से पता लगेगा कि पिछले दो वर्षों के दौरान बकाया और चालू मांग में से उगाही/घटौती के आंकड़े वर्ष 1979-80 के मुकाबले बढ़ गए हैं। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि पिछले दो वर्षों में आय-कर की वसूली में कमी रही है।

(ग) 31-3-82 की स्थिति के अनुसार, जिन मामलों में आय कर की मांगें 10 लाख रुपये अथवा उससे कम की थी, उनकी संख्या 936 थी।

रक्षा मन्त्रालय द्वारा जूतों तथा अन्य चर्म वस्तुओं की खरीद

*292. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय द्वारा जूतों तथा अन्य चर्म वस्तुओं की खरीद खुले टेंडर द्वारा अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से की जाती है;

(ख) क्या भारतीय चमड़ा निगम को बहुराष्ट्रीक कम्पनी बाटा और अन्य गैर-सरकारी कम्पनियों के समान माना जाता है अथवा सरकारी क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) क्या इन खरीदारियों के बारे में कोई शिकायतें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा खरीद परिस्थितियों के अनुसार खुले या सीमित टेंडरों या सीधी बातचीत के माध्यम से की जाती है।

(ख) सरकारी नीति के अनुसार भारत लेदर कारपोरेशन (न कि लेदर कारपोरेशन आफ इण्डिया) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र की वृहद स्तर की यूनिटों की बजाए खरीद/लागत के मामले में प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का उपयोग

*297. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी**
श्री बापू साहिब परुलेकर } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में लोगों द्वारा बैंक सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विशेष रूप से अपेक्षाकृत कम विकसित तथा बैंक रहित राज्यों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाजाल के विस्तार को अनिवार्यतः आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के आधारभूत अंग के रूप में अपनाया गया है।

शाखाजाल के विस्तार से इसकी अवस्थिति के क्षेत्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियों में उत्तरोत्तर सहायता के सुनिश्चय के वास्ते, विभिन्न उपाय किये गये है, जिनमें ये शामिल हैं :— समूह के तौर पर प्राथमिकता क्षेत्र में दिये जाने वाले अग्रिमों, कृषि तथा इसकी सहायक गतिविधियों को एक अलग क्षेत्र के रूप में, कृषि क्षेत्र के भीतर छोटे तथा सीमांतिक किसानों और भूमि हीन मजदूरों तथा विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिये गये अग्रिमों के लिए लघु उद्योगों वाले क्षेत्रों के भीतर कारीगरों एवं ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी बैंक शाखाओं के वास्ते ऋण : जमा अनुपातों के लिए ऋण प्राचलों (पैरामीटर) का विनिर्धारण, ऋण आयोजनायें तैयार करना तथा विशिष्ट बैंकों को विशिष्ट ऋण परिव्ययों का आबंटन, पिछड़े क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के लिए ब्याज दरों में रियायत देना, फार्मों एवं स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, शाखा, प्रबन्धकों को अधिक शक्तियां प्रदान करना, अधिक ऋण देने के लिए समुचित स्टाफ, विशेष रूप से, कृषि क्षेत्र में फील्ड स्टाफ, की व्यवस्था, उचित प्रशिक्षण तथा स्टाफ की उन्मुखता, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम के माध्यम से निर्धन लोगों तक पहुँचने के वास्ते जिला विस्तार एजेंसियों के साथ संयुक्त प्रसास करना तथा जमाओं के साथ-साथ बैंकों की ऋण योजनाओं को प्रचारित करने का प्रयास करना जिससे कि ग्रामीण जनता तक पहुँचा जा सके।

रांची हवाई अड्डे पर रात के समय विमान उतरने की सुविधायें

*298. श्रीमती सुमति उरांव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची हवाई-अड्डे पर निकट-भविष्य में रात के समय विमान उतरने की सुविधायें जुटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधायें कब तक जुटा दी जायेंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) सुविधाओं के 1983 के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं है।

समेकित ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका

*299. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास के ऋण आधारित निर्धनता रोधी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक की समग्र प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं रही है और वास्तव में यह बहुत धीमी है;

(ख) क्या बैंकों में, जिनसे इन कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये जाने की आशा की गई थी, अपनी भूमिकाएं भलीभांति नहीं निभाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो बैंक से धन लेकर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि निर्धन ग्रामीण लोगों को बैंकों से लाभ मिल सके ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अन्तर्ग्रस्त परिचालन एजेंसियों ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने तंत्र को तेज कर दिया है। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बैंक, सहकारी तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में ऋण के रूप में उत्तरोत्तर अधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1980-81 में वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा भुगतान किये गये ऋण की राशि 207 करोड़ रुपए थी जो 1981-82 में बढ़कर 486 करोड़ रुपए हो गई। उपर्युक्त संवितरित ऋण राशि का अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भुगतान किया गया था। इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर कदम उठाते रहे हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिये गये हैं—

1. लीड बैंक इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित ग्राम और परिवार भामग्राही बैंकों की विशिष्ट शाखाओं को नियत कर दिये जायें।
2. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिला परामर्शदात्री समिति की स्थाई समिति की महीने में एक बैठक होनी चाहिए।
3. प्राप्त आवेदन लगभग एक पखवाड़े के अन्दर अवश्य निपटाये जाने चाहिए।
4. बैंकों को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें आवंटित योजनाए शाखा स्तर पर निपटा दी जाएं और इस प्रयोजन के लिये शाखा स्तर के अधिकारियों को उपयुक्त स्वैच्छिक शक्तियां दी जाएं।

5. छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए आवश्यक सुलभ मार्जिन मनी के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर-इंडिया के विमान बेड़े में विमानों की संख्या

*300. **श्री नवीन रवाणी :** क्या नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स और एयर-इण्डिया के विमान बेड़े में विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एशियाड 82 के दौरान मांग को पूरा करने के लिए बेड़े में और विमान जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) इंडियन एयरलाइंस — 53

एयर इंडिया — 18

एयर इंडिया के लिए एक और एयरबस नवम्बर, 1982 में आनी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयात नीति का और अधिक उदार बनाया जाना

*301. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात करने वाले एककों के लिए आयात नीति को और अधिक उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) निर्यात अभिमुख एककों के पक्ष में आयात नीति को और उदार बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है ताकि उत्पादन तथा निर्यातों में सहायता देने के लिए उसमें आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन किये जा सकें।

1983 के लिए सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात संबंधी नीति

*304. श्री बी० वी० देसाई
श्री मोहम्मद असरार अहमद } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाए वस्त्रों और बुने हुए वस्त्रों के लिए 1983 की कोटा वितरण नीति 1982 की नीति से काफी भिन्न है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फर्मों के ठेकों के आधार पर जिन पर पहले बातचीत हो चुकी हैं आरक्षण के उपबन्धों को समाप्त कर दिया गया है;

(ग) सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संबंधी नीति में किए गए अन्य परिवर्तन क्या हैं;

(घ) सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यातकर्ताओं ने इसका किस सीमा तक स्वागत किया है और यह किस सीमा तक उनके लिए लाभदायक होगा।

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार ने सार्वजनिक सूचना सं० 37-ई० टी० सी०/82 दिनांक 18-9-82 के अन्तर्गत उन चुनिन्दा देशों को, जिनके साथ भारत के द्विपक्षीय वस्त्र करार हैं, सिले-सिलाए परिधानों तथा निट-वीयर के निर्यात के लिए 1983 के लिए परिधान निर्यात नीति की घोषणा की है। 1983 के लिये नीति पिछले वर्षों की नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव तथा साथ ही अन्य संबद्ध कारणों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अनेक पहलुओं की दृष्टि से 1983 की नीति 1982 की नीति के अनुरूप है।

2. 1983 की नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित प्रणालियों तथा दरों के अनुसार वितरित किए जाएंगे :

प्रणाली	वार्षिक स्तर 1983 की प्रतिशतता
(क) विगत निष्पादन	50
(ख) एफ० सी० एफ० एस० लघु आर्डर	35
(ग) विनिर्माता/निर्यातक	10
(घ) केन्द्रीय/राज्य निगम	5

विगत निष्पादन तथा विनिर्माता/निर्यातक प्रणालियों के अन्तर्गत आबंटन 1982 नीति की तुलना में कुछ हद तक बढ़ा दिये गये हैं।

(2) नई नीति में एक नई प्रणाली अर्थात पहले आओ पहले पाओ लघु आर्डर शुरू की गई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, मात्राएं पुख्ता संविदाओं तथा साखपत्रों सहित दिये गए आवेदन पत्रों के आधार पर पहले-आओ-पहले पाओ आधार पर आबंटित की जाएंगी। मात्राओं का आबंटन नीति में निहित अन्य शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित मात्रा सीमा के अन्दर ही किया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन का आधार 1982 के दौरान एफ० सी० एफ० एस० संविदा आरक्षण प्रणाली की तरह पुख्ता संविदाएं होंगी।

(3) विगत निष्पादन तथा विनिर्माता/निर्यातक प्रणालियों के मामले में निर्यात के लिए मात्राओं के आबंटन के लिए पूर्ण कैलेन्डर वर्ष को एक अवधि के रूप में माना जायेगा। केन्द्रीय/राज्य निगमों तथा एफ० सी० एफ० एस० लघु आर्डर प्रणालियों के मामले में वर्ष की बुनी हुई मदों के संबंध में तीन चार मासिक अवधियों (अर्थात जनवरी-अप्रैल, मई-अगस्त तथा सितम्बर-दिसम्बर) और निटेड मदों के लिए दो अवधियों (जनवरी-अगस्त तथा सितम्बर-दिसम्बर) में विभक्त किया जाएगा। बुनी हुई मदों के लिए मात्राओं का वितरण 50 : 35 : 15 के अनुपात में तीन अवधियों के बीच किया जाएगा; जबकि निटेड मदों के लिये मात्राओं का वितरण 85 : 15 के अनुपात में दो अवधियों के बीच किया जाएगा। ये प्रावधान 1982 की नीति के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(4) 1982 के दौरान की तरह, विगत निष्पादन हकदारी का हिसाब लगाने वाला अभिकरण होगा, परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद। विगत निष्पादन हकदारी का हिसाब लगाने की आधार अवधि 1980, 1981 तथा जनवरी-जून, 1982 के दौरान औसत वार्षिक निर्यात होगी। 1982 के दौरान आधार अवधि 1980 तथा जनवरी-जून, 1981 थी। विगत निष्पादन हकदारी की अन्तरणीयता की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन होगी। 1982 में रही शर्तों के अलावा, यह शर्त रखी गई है कि जिस निर्यातक ने एक विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से अन्तरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है वह किसी अन्य निर्यातक को उसी देश/श्रेणी में किसी हकदारी का अन्तरण करने का पात्र नहीं होगा।

(5) धीमी गति वाली मदों, न्यूनतम निर्यात कीमत तथा साखपत्रों से संबंधित प्रावधान 1982 नीति के अनुरूप हैं।

2. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परिधान निर्यातक समुदाय ने आमतौर पर 1983 नीति का स्वागत किया है। सरकार को आशा है कि घोषित नीति ढांचे से निर्यातकों को अपने निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

खाद्य कार्ड जारी करने के लिये सरकारी क्वार्टर में उप-किरायेदारी

* 306. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास में उप-किरायेदारी पर रहने वाले व्यक्तियों को खाद्य कार्ड जारी कराने के लिये इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है/रसीद दिखानी होती है कि सरकारी

आवास के आवंटी ने सरकारी क्वार्टर में उप-किरायेदारी के बारे में सम्पदा निदेशालय को इत्तला दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य पूल के आवास के आबंटियों के साथ सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न पूल वाले सरकारी कर्मचारियों को और इसके विपरीत अवस्था में सम्पदा निदेशालय द्वारा सरकारी क्वार्टर में आवंटी के साथ रहने की अनुमति दी जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) जहां तक सामान्य पूल के आवास का संबंध है, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, सरकारी आवास शेयर करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश) के पर्यटन केन्द्र

*307. **श्री राम लाल राही** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पर्यटन केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ;

(ग) इस योजना का कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(घ) पर्यटकों को इस काम्पलैक्स में किस प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) जी, नहीं। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय का सीतापुर जिले में कोई पर्यटक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

कशीशन एजेंटों के घरों पर आयकर संबंधी छापे

*308. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों के दौरान आय कर अधिकारी ने कमीशन एजेंटों के घरों पर छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्थानों पर छापे मारे गए तथा इन छापों में कुल कितने मूल्य का बिना हिसाब-किताब का सामान और कीमती वस्तुएं पकड़ी गईं ; और

(ग) इन छापों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर प्राधिकारियों ने 7 अक्तूबर, 1982 को लखनऊ में खाद्यानों के कमीशन एजेंटों तथ व्यापारियों की तीन फर्मों के मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यबाहियां की थी। इन कार्यवाहियों में 15,300/-रु० की प्रथमदृष्ट्या लेखा बाह्य नकदी पकड़ी गई थी।

(ग) कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में कोई व्यवस्था नहीं है।

निर्यात गृह योजना का पुनरीक्षण

* 309. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि निर्यात गृह निर्यात बढ़ाने में किस सीमा तक सहायक सफल सिद्ध हुए हैं, योजना का गहन पुनरीक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण में सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिल नाडु सरकार का पौष्टिक मध्याह्न-भोजन योजना के लिए सहायता हेतु अनुरोध

2907. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने पौष्टिक मध्याह्न-भोजन योजना के लिए किसी सहायता हेतु कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु सरकार ने बच्चों के लिए पोषाहार मध्याह्न भोजन योजना के लिए सहायता माँगी थी। चूँकि बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम एक राज्य क्षेत्र कार्यक्रम है इसलिए खाद्य एवं प्रशासन सम्बन्धी खर्च राज्य सरकार द्वारा ही वहन करना होता है फिर भी 2 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए इस कार्यक्रम की उन्नति के लिए यूनिसेफ सहायता का प्रबन्ध किया गया है। इसमें बाल कल्याण संयोजकों के प्रशिक्षण तथा कुछ वजन मापी एवं विकास कार्डों के लिए कागज की सप्लाई करना शामिल होगा।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों को आबंटित आपातकालीन क्वार्टरों का खाली कराया जाना

2908. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आपातकालीन क्वार्टर आबंटित किए जाते हैं और यदि हाँ, तो ये क्वार्टर कितने समय के लिए आबंटित किए जाते हैं ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या क्या है, जिनमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आपातकालीन क्वार्टरों के कब्जाधारियों ने सम्पदा निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव (आफर) के बाद भी क्वार्टर खाली नहीं किए हैं और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी, तथा ऐसे मामलों की संख्या क्या है, जिनमें निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी क्वार्टरों को खाली नहीं किया गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आगे और क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में नैमित्तिक मजदूरों की भर्ती

2909. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में नैमित्तिक मजदूरों की भर्ती हेतु प्रशासन द्वारा कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या असली कार्य प्रमाण पत्रों वाले कुछ योग्य व्यक्तियों को उनके दिल्ली पार्सल आफिस दिल्ली की भेजे गये दिनांक 14 जुलाई, 1982 के अभ्यावेदन के अनुसार नियुक्त करने से मना कर दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्या जारी प्रमाणपत्रों से प्राप्त अधिकार पर सामान होने वाले कुछ कुली नैमित्तिक श्रम दरों पर अब भी नई दिल्ली पार्सल आफिस में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले नियोक्ताओं द्वारा जारी किए गए नियुक्ति कार्ड प्रस्तुत किए बिना, 20 अगस्त, 1978 से पूर्व भर्ती किए गए इस प्रकार के व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायत स्तर पर आंख और कान के रोगों का उपचार तथा सर्किल आपरेशन

2910. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंख और कान के रोगों के उपचार के लिए तथा सर्जिकल आपरेशन के लिए ब्लाक स्तर पर प्रबन्ध किए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्लाक स्तर पर बुखार तथा अन्य रोगों के इलाज के लिए डाक्टरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन आंख और कान के इलाज की तथा सर्जिकल आपरेशन करने की कोई व्यवस्था नही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लाक स्तर पर आंख और कान के रोगों के इलाज के लिये तथा सर्जिकल आपरेशन करने के लिए डाक्टरों की व्यवस्था करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) ब्लाक स्तर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। वे चिकित्सा अधिकारी आंख और कान की छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और नेमी किस्म के छोटे सर्जिकल आपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र शिविर लगाने के लिए स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देती है।

प्रत्येक चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक केन्द्र का चरण-बद्ध तरीके से दर्जा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन केन्द्रों को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति, स्त्री रोग, बाल-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य क्षेत्र में अपेक्षित सुविधायें प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा। इसके अलावा क्षेत्र परिचय की वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में चरण-बद्ध तरीके से एक और नेत्र विज्ञानी की व्यवस्था की जा रही है।

वाराणसी में गंगा के ऊपर पुल

2911. **श्री जैनुल बशर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वाराणसी, मुगल सराय और रामनगर के लिए एक बाई-पास बनाने के लिए वाराणसी में गंगा पर पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और कब पूरा होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) वाराणसी में गंगा पर पुल का निर्माण वाराणसी, राम नगर और मुगल सराय क्षेत्र में एक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने की परियोजना का एक अंग है जिस पर लगभग 40-45 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सम्पूर्ण परियोजन के कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरेवार विवरण तैयार किए जा रहे हैं। यह बताना संभव नहीं है कि इस पुल के निर्माण में कितना समय लगेगा।

दिल्ली और अमृतसर के बीच जी० टी० रोड को चौड़ा किया जाना

2912. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और अमृतसर के जी० टी० रोड (शेरशाहसूरी मार्ग) को चौड़ा करने और इस पर लेनें बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस कार्य की प्रगति हाल में कुछ कम हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सड़क पर अमृतसर तक यह कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली में जी० टी० रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-1) की लम्बाई 19 किलोमीटर है और यह 4 लेनों वाली है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग-1 कुल 183 किलो मीटर लम्बा है जिसमें से दिल्ली/हरियाणा सीमा से मुरथल तक 21 किलोमीटर सड़क 4 लेन वाली बना दी गई है। छोटे पुल और उस पर पहुंच मार्ग को छोड़कर यह सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-1 का 24 किलोमीटर, मार्ग पंजाब से गुजरता है। इसमें से 5.52 किलोमीटर सड़क पहले से ही 4 लेन वाली है। अगले 22.5 किलोमीटर को 4 लेनों वाला बनाने का काम चल रहा है और दो आवरसीज को छोड़कर जिनके 31-3-84 तक पूरा होने की आशा है, उस सड़क के 31-3-1983 तक पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) छठी योजना में हरियाणा पंजाब में लगभग 124 किलोमीटर लम्बे खंड को 4 लेनों में बदलने की व्यवस्था है। तथापि इसका निर्माण प्रत्येक वर्ष कोष के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। शेष पहुंच मार्गों को 4 लेनों में बदलने का काम बिभिन्न निर्माण कार्यों की प्राथमिकता और संसाधनों के उपलब्ध होने पर अगली योजना में प्रारम्भ किया जाएगा।

सांगली-मीरज लाइन को पुन: शुरू करना

2913. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शुरू किए जाने वाली अपनी प्रस्तावित योजना में, दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत सांगली-मीरज बड़ी लाइन को फिर से शुरू करने और माधव नगर स्टेशन की मुख्य लाइन के अन्तर्गत लाने की परियोजना को शामिल किया था ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कार्य में किन कारणों से विलम्ब किया जा रहा है ; और

(ग) परियोजना कब शुरू की जाएगी और यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित योजना की एक वित्तीय पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट दक्षिण मध्य रेलवे

से प्राप्त हो गयी है और उसकी तकनीकी दृष्टि से छानबीन की जा रही है। आगे की कार्रवाई इसकी जांच पूरी कर लिए जाने के बाद की जायेगी, बशर्ते कि योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति मिल जाय।

छठी योजना के दौरान उष्ण-कटिबंधीय (ट्रापिकल) रोगों को रोकने का प्रावधान

2914. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में उष्ण-कटिबंधीय बीमारियों को रोकने, उर्वरता व्यवस्थापन, पोषण-आहार, मातृ और बालकल्याण के लिए किन्हीं प्रावधानों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से(ख) छठी पंच-वर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं ; छठी योजना के मध्यकालीन समीक्षा के समय इनमें वृद्धि किए जाने की संभावना है।

1. ट्रापिकल रोगों का नियन्त्रण 271.79 करोड़ रुपये।

2. परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसमें मातृ-शिशु स्वास्थ्य और ग्राम स्वास्थ्य गाईड योजनाएं शामिल हैं।

(क) मूल परिव्यय	1111.32 करोड़ रुपये
(ख) बाद में बढ़ाई गई रकम	240 करोड़ रुपये
कुल	1351.32 करोड़ रुपये

प्रधान अध्यापकों के बढ़े हुए वेतनमान

2915. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ शासी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों का वेतनमान बढ़ा दिया है और इसे 440-750 रुपए पर निश्चित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी राज्यों को परामर्श देगी कि वे तदनुसार अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाएं ; और

(ग) क्या सरकार समान कार्य निष्पादित कर रहे कर्मचारियों के लिए कम से कम शिक्षा

के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर वेतमान निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि एक जैसा कार्य निष्पादन करने वाले कर्मचारियों के वेतन और सेवा स्थितियों के मामलों में कोई क्षेत्रीय विषमता नहीं रहे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। हालांकि स्कूल शिक्षा समवर्ती सूची में है लेकिन अभी भी यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अध्यापकों के वेतनमान अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में प्रचलित वेतन ढांचे तथा प्रत्येक राज्य सरकार की वित्तीय क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के सार्वजनिक साधनों में सुधार

2916. **डा० आर० रोथुआमा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों/मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के संघ क्षेत्रों में राज्य स्वामित्व के सार्वजनिक परिवहन बसों, टैक्सियों और तीन पहिए के स्कूटरों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इन पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के सार्वजनिक साधनों में सुधार करने के लिए या तो केन्द्र सरकार द्वारा अथवा राज्यों द्वारा कौन सी ठोस योजनाएं अथवा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) ऐशोसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग की 31--3-1981 को समाप्त अवधि अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	सरकारी बसें	टैक्सी	थ्री व्हीलर, स्कूटर
1.	मिजोरम	67	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	—	—
3.	नागालैंड	121	54	79
4.	मेघालय	69	128	अनुपलब्ध
5.	मणिपुर	106	अनुपलब्ध	107
6.	त्रिपुरा	142	350	114

(ख) पूर्वोत्तर परिषद की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल स्वीकृत योजना परिव्यय में से 45.6 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र के लिए है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों के अनुरक्षण और सड़क में सुधार के लिए भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

समस्तीपुर-हावड़ा तथा जयनगर-प्रयाग एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव

2917. **श्री भोगेन्द्र झा** . क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले समस्तीपुर से हावड़ा के लिए दो एक्सप्रेस तथा एक फास्ट पैसेन्जर गाड़ी चलती थी और इतनी ही वहां आती थी और फिर भी भीड़ रहती थी ;

(ख) क्या अब समस्तीपुर को पूरी तरह इससे वंचित कर दिए जाने के कारण बहुत ही घनी आबादी वाले मिथिला क्षेत्र के यात्रियों को असहनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर हाजीपुर लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदले जाने के बाद मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, और साथ लगने वाले नेपाली क्षेत्रों के यात्रियों को दक्षिण और पश्चिम की ओर जाने के लिए सीधी गाड़ी लेना असम्भव हो गया है ;

(घ) क्या जयनगर-वाराणसो के लिए सीधा डिब्बा यात्रियों के किसी उपयोग का नहीं है क्योंकि उसे 12 घण्टों से अधिक समय के लिये बरौनी में रोका जाता है ; और

(ङ) नितान्त अल्प सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए समस्तीपुर-हावड़ा और जयनगर-प्रयाग के लिए अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने का विचार है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यह सही है कि समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर खण्ड के बड़े आमान में बदलाव से पूर्व समस्तीपुर में दो एक्सप्रेस और एक तेज सवारी गाड़ी आरम्भ/समाप्त होती थीं। तथापि, इस समय, समस्तीपुर और हावड़ा/सियालदह के बीच के यात्रियों के लिए बड़ी लाइन की चार जोड़ी गाड़ियाँ जिनमें दो एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं, उपलब्ध हैं जिनसे समस्तीपुर की यात्री जनता की आवश्यकताएं भली-भांति पूरी होती हैं।

(ग) मधुबनी, दरभंगा और उसके आस-पास के यात्री समस्तीपुर/बरौनी में सुविधाजनक ढंग से गाड़ी बदलकर समस्तीपुर के दक्षिण और पश्चिम की ओर यात्रा कर सकते हैं।

(घ) चूंकि कोई अन्य उपयुक्त मेल लेने वाली गाड़ी उपलब्ध नहीं है इसलिये जयनगर-वाराणसी थ्रू यात्री डिब्बा बरौनी में अप दिशा में 12 घंटे-15 मिनट और डाउन दिशा में 10 घण्टे-10 मिनट खड़ा रहता है।

(ङ) राजेन्द्र पुल जैसे मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण और

समस्तीपुर और हवड़ा में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण भी समस्तीपुर और हावड़ा के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बरौनी-बछवाड़ा खण्ड पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण जयनगर-प्रयाग गाड़ी आरम्भ करना भी परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। इसके अतिरिक्त थू. यातायात के कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण वाणिज्यिक दृष्टि से भी यह व्यावहारिक नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों की दक्षता अवरोध को पार करने की अनुमति न दिया जाना

2918. **श्री राजेश पायलट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में कार्य कर रहे कितने फार्मासिस्टों को गत पांच वर्ष या अधिक से दक्षता-अवरोध को पार करने की अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) क्या उपरोक्त (क) में उल्लिखित मामलों में सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों को सूचित करने हेतु सरकारी अनुदेशों का इस तरह के सभी मामलों में पालन किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) छः।

(ख) और (ग) दक्षता रोध रोकने का निर्णय तीन फार्मासिस्टों के विरुद्ध लिया गया था और उन्हें इसकी सूचना भी दे दी गई है जैसा कि अपेक्षित है। अन्य तीन के बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

सुपर फास्ट गाड़ियों का देरी से चलना

2919. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी गाड़ी को 'सुपर फास्ट' गाड़ी का नाम देने के लिये क्या शर्तें तय की गई हैं और ऐसी गाड़ियों के नाम क्या हैं और उसके लिए कितना अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है ; और

(ख) उन सुपर फास्ट गाड़ियों के नाम क्या हैं जो पिछले छः महिनों के दौरान 7 दिन से अधिक अवसरों पर तीन घण्टे से अधिक देरी से पहुंची ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ, सुविधाजनक समय समग्र रफ्तार आदि तथ्यों का उचित ध्यान रखकर पूरक

प्रभारों की वसूली के प्रयोजन के लिए गाड़ियों का नाम "सुपरफास्ट गाड़ियां" रखा जाता है। वर्तमान ऐसी गाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. 3 डाउन/4 अप फ्रन्टियर मेल
2. 1 अप/2 डाउन हावड़ा-कालका मेल
3. 16 अप/15 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस
4. 301 अप/302 डा० दक्षिण एक्सप्रेस
5. 39 डाउन/40 अप/वृन्दावन एक्सप्रेस
6. 80 अप/79 डाउन ताज एक्सप्रेस
7. 153 अप/154 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस
8. 82 अप/82 डाउन तथा 103/104 डीलक्स एक्सप्रेस
9. 121 अप/122 डाउन तमिलनाडु एक्सप्रेस
10. 123 अप/124 डाउन आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस
11. 125 अप/126 डाउन के० के० एक्सप्रेस
12. 171 अप/172 डाउन जम्मू तवी-बम्बई सैन्ट्रल एक्सप्रेस
13. 501 अप/502 डाउन पिंक सिटी एक्सप्रेस
14. 141 अप/142 डाउन कोरोमन्डल एक्सप्रेस
15. 119 अप/120 डाउन गोमती एक्सप्रेस
16. 135 डाउन/136 अप बम्बई एक्सप्रेस
17. 59 डाउन/60 अप गीतांजली एक्सप्रेस
18. 101 डाउन/102 अप मीनार एक्सप्रेस
19. 19 डाउन/20 अप कोणार्क एक्सप्रेस
20. 173 अप/174 डाउन हिमगिरि एक्सप्रेस
21. 155 अप/156 डाउन तिनसुकिया मेल
22. 181 अप/182 डाउन सर्वोदय एक्सप्रेस
23. 75/76 कोवई एक्सप्रेस
24. 25 डाउन/26 अप एस० सी० एक्सप्रेस/पश्चिम एक्सप्रेस
25. 21 अप/22 डाउन आगरा फोर्ट-जयपुर एक्सप्रेस

इन गाड़ियों में यात्रा करने पर वातानुकूल दर्जे के लिए 25 रुपये, वातानुकूल 2 टियर शयनयान/प्रथम दर्जा/वातानुकूल कुर्सीयान के लिए 12 रुपये, दूसरे दर्जे के शयनयान के लिए 6/- रुपये तथा दूसरे दर्जे की सीट के लिए 2/- रुपये पूरक प्रभार लिया जाता है।

(ख) सितम्बर, 1982 को समाप्त पिछले छ: महीनों के दौरान निम्नलिखित सुपरफास्ट गाड़ियां अपने गंतव्य स्थानों पर 7 दिन से अधिक दिन 3 घण्टे से अधिक देरी से पहुंची :—

1. 103 न्यू दिल्ली हावड़ा ए० सी० एक्सप्रेस
2. 155/156 तिनसुकिया मेल
3. 2 कालका-दिल्ली-हवड़ा मेल
4. 20 कोणार्क एक्सप्रेस
5. 174 हिमगिरि एक्सप्रेस

संचालन और रखरखाव विंगों में संरचनात्मक परिवर्तन

2920. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुधार आयोग ने सरकार को प्रस्तुत अपने खण्ड प्रतिवेदन में इस बात का सुझाव दिया है कि सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए संगठन में खासतौर पर रेलवे के संचालन और रख-रखाव विंगों में दूरगामी संरचनात्मक परिवर्तन किये जाएं ;

(ख) यदि हां, तो सुधार आयोग द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं और उनके सुझावों में से कितने स्वीकार कर लिये गए हैं ; और

(ग) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनके कार्यान्वयन से रेलवे को कहां तक सहायता मिली है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलवे सुधार समिति ने मई, 1982 में अपनी रिपोर्ट का भाग-1 प्रस्तुत किया था जिसमें केवल नवीकरण के संसाधनों, परिसम्पत्तियों के बदलाव, संरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम से सम्बन्धित सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट के इस भाग में दी गयी 16 सिफारिशों और 80% अवलोकनों को स्वीकार कर लिया गया है। रिपोर्ट का दूसरा भाग हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस भाग में रेलों पर होने वाले परिवहन के विभिन्न पहलुओं पर लम्बी अवधि के संदर्शों का उल्लेख किया गया है। दोनों रिपोर्टों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई और स्थानीय रूप से खरीदी गई दवाओं को दिए जाने से पूर्व कार्ड-बोर्ड पैकेट और उनका लिटरेचर हटाया जाना

2921. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कार्य कर रही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों को उनके मंत्रालयों अथवा महा-निदेशक स्वास्थ्य योजना अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा ऐसे कोई अनुदेश जारी किए गए हैं कि ऐसी औषधियों के कार्ड-बोर्ड पैकेट हटा दिए जाने चाहिए और उनकी सीलें खोल दी जानी चाहिए जो विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं और सुपर बाजार से मंगवाई जाती हैं और केवल तभी वे दवाएं रोगियों को दी जाएं, औषधियों के साथ रखी औषधियों की संरचना और उनके प्रयोग के तरीके से सम्बन्धित लिटरेचर भी हटा दिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुदेश जारी करने में किन बातों को महत्व दिया गया है ;

(ग) क्या लोकुला जैसी सैंसिटिव औषधियों के मामले सील तथा बाहरी पैकेट का हटाया जाने से उसके अरक्षित हो जाने और दूषित हो जाने के खतरे की संभावना है ; और

(घ) क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा यह अनुदेश जारी किए गए थे कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में रोगियों को दवाइयां देने से पहले दवाइयों के गत्ते वाले डिब्बे रख लिये जाएं, ट्यूबों, बोतलों, शीशियों इत्यादि पर लगे लेबलों तथा सीलों को बिगाड़ दिया जाये । दवाइयों का सम्भव दुरुपयोग रोकने के लिये ही यह हिदायतें जारी की गई हैं । दवाइयों के साथ मिलने वाला साहित्य दवाई निर्धारित करने वाले डाक्टर के मार्ग-निर्देशन के लिए होता है । सील खोल देने या पैकेट का बाहरी हिस्सा निकाल देने से दवाई खराब हो जाने का कोई खतरा नहीं होता ।

सेवा में आने से पूर्व नसबन्दी कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता

2922. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नसबन्दी आपरेशन करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियम भारत पर्यटन विकास निगम, एकाधिकार तथा अवरोध

व्यवहार निगम, राज्य व्यापार निगम और एयर इन्डिया आदि अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर भी लागू होता है ;

(ग) क्या यह उन कर्मचारियों (महिला/पुरुष) पर भी लागू होता है जो सेवा में आने से पूर्व नसबन्दी आपरेशन कराते हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो, क्या उन कर्मचारियों को भी इसके लाभ देगी जो सेवा में आने से पूर्व नसबन्दी कराते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नसबन्दी करवाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :

(i) मकान बनाने के लिये दी जाने वाली अंतिम राशि पर ब्याज की पर 1/2 प्रतिशत कम होगी, और

(ii) एक विशेष वेतन वृद्धि जो भविष्य की वेतन वृद्धियों में समाहित नहीं की जाएगी ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

(घ) नहीं ।

"क" तथा "ख" जोन के राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करते समय हिन्दी का प्रयोग

2923. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभाग द्वारा 1982 के पहले छः महीनों के दौरान "क" तथा "ख" जोन में आने वाली प्रत्येक राज्य सरकार को जारी किये मूले पत्रों की कुल संख्या कितनी है और उनमें हिन्दी तथा अंग्रेजी के पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार वहां इस प्रकार के राज्यों को इस तरह के सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजने का प्रावधान है और इस प्रावधान का कार्यान्वयन न करना अधिनियम का उल्लंघन है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के राज्यों को अंग्रेजी में मूल पत्र भेजने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाएं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के बारे में नियम

2924. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये और सरकार को 27 जनवरी, 1982 को प्रस्तुत किए गए उन नियमों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर रखा जाएगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन पर कब विचार किये जाने की सम्भावनाएं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (पंजीकरण) विनियम, 1982 सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में फार्मासिस्टों को हड़ताल अवधि का वेतन न दिया जाना

2925. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य नगरों में फार्मासिस्टों ने जुलाई और नवम्बर, 1978 में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि के लिए रोके गए वेतन की राशि कितनी है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना कर्मचारी संघ की दिल्ली शाखा ने केन्द्र सरकार से उक्त अवधि से सम्बन्ध वेतन का भुगतान करने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों ने नवम्बर, 1978 में हड़ताल कर दी थी। जिन फार्मासिस्टों को उनको अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के दौरान हड़ताल पर माना गया था उन्हें "काम नहीं, वेतन नहीं" के सिद्धांत पर उस अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि हड़ताल की अवधि को "काम नहीं, वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर नियमित कर दिया जाए। अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ की मांग पर कोई और निर्णय नहीं लिया गया है।

बदले जाने वाले वैगन

2927. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के पास इस समय कितने वैगन हैं और कितने वैगनों को प्रतिवर्ष बदलने की आवश्यकता पड़ती है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 31-3-1982 को रेलों के स्वामित्व में कुल 5,38,474 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) (बड़ी और मीटर लाइन) थे। प्रतिवर्ष जितने माल डिब्बों का बदला जाना आवश्यक होता है, उनकी संख्या, आयु के आधार पर नाकारा होने वाले माल डिब्बों की संख्या पर निर्भर करती है।

नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष

2928. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में 1977 से कोई भी नियमित पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है जिस कारण पुस्तकालय के प्रबन्ध में बहुत गड़बड़ है और उपर्युक्त अर्हता प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के स्थान पर शिक्षा मन्त्रालय के एक उप-सचिव को पुस्तकालय के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या सरकार पुस्तकालय के कार्य क्षेत्र, कार्यकरण और उद्देश्यों को परिभाषित करने वाली स्पष्ट नीति तैयार करने में असफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सम्मानित नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता को पुनः सम्मान दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद कुछ समय से खाली पड़ा हुआ है, यद्यपि, खाली जगह को संघ लोक सेवा आयोग के जरिये भरने के प्रयत्न किए गए हैं। आयोग ने इस पद के लिए, अब फिर विज्ञापन दिया है और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 18 अक्तूबर, 1982 थी। इस दौरान, पुस्तकालय के सामान्य प्रबन्ध तथा पाठकों और अध्येताओं के लिए पुस्तकालय सेवाओं के अनुरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के क्षेत्र, कार्यों और उद्देश्यों को काफी पहले अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेज कर्मचारी संघ के सदस्यों पर लाठी प्रहार

2929. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
डा० ए० यू० आजमी } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविश्वविद्यालय और कालेज कर्मचारी संघ के सदस्यों पर 2 अक्तूबर, 1982 को उस समय लाठी प्रहार किया गया जब वे डी० यू० सी० के० यू० और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के बीच हुए करार के क्रियान्वयन की अपनी मांग के समर्थन में उप कुलपति के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) संघ ने, जनवरी-फरवरी, 1982 में विश्वविद्यालय तथा उनके बीच हुए करार के तुरन्त कार्यान्वयन पर बल देने के लिए, 6 सितम्बर, 1982 से एक आन्दोलन आरम्भ किया था । विश्वविद्यालय ने इस करार को कार्यान्वित करने के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाये हैं, जिसके कुछ उपबन्धों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है । हालांकि, विश्वबिद्यालय ने संघ को, उठाए गए कदमों से अवगत करा दिया था । फिर भी कर्मचारियों ने आन्दोलन का सहारा लिया और पूरक परीक्षाओं में जो कि चल रही थीं, बाधा डालने का प्रयत्न किया । यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षाओं के प्रबन्ध में रुकावट न पड़े, विश्वविद्यालय ने पुलिस की सहायता मांगी । 2 अक्तूबर, 1982 को जब विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारियों ने परीक्षा शाखा में प्रवेश किया, कुछ कर्मचारी बाहर एकत्र हो गए और परीक्षा शाखा में बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न किया । इस कारण, प्रवेश-द्वार पर पहरा दे रही पुलिस तथा कर्मचारियों के बीच टकराव हो गया, जिसके फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया ।

बडनेरा में माल डिब्बा फैक्टरी

2930. *श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में बडनेरा में स्थापित की जा रही माल डिब्बा फैक्टरी की वर्तमान स्थिति क्या है ?*

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : प्राइवेट, सरकारी और रेलवे क्षेत्रों में माल डिब्बा निर्माण यूनिटों में पहले से ही विकसित क्षमता द्वारा माल डिब्बों की आवश्यकताएं पर्याप्तरूप से पूरी की जा रही हैं और महाराष्ट्र में बडनेरा में कोई

माल डिब्बा फैक्टरी स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर इस समय रेलों द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

बलूरघाट-पश्चिम दीनाजपुर रेल लिंक

2931. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि बलूरघाट और पश्चिम दीनाजपुर जिला मुख्यालय के लिए एक रेल लिंक की तत्काल आवश्यकता है ;

(ख) क्या वे जन उपयोगिता को देखते हुए वाणिज्यिक शर्तों को उदार बनाने पर विचार करेंगे ;

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में कौन से नए कदम उठाए जाएंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) बेलूरघाट में रेल यातायात सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार किए जाने की दृष्टि से, चालू वित्त वर्ष के दौरान, बिना पारी के, 22-4- 982 को एकलाखी से बेलूरघाट तक (90 कि० मी०) बड़े आमान की नयी रेल लाइन के निर्माण के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवम्-यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दे दी गयी है। इस सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 11.72 लाख है। सर्वेक्षण का काम अब जोर-शोर से चल रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने, सभी दृष्टियों से रिपोर्टों की जांच कर लिये जाने के पश्चात् इस परियोजना के बारे में और आगे विचार किया जायेगा, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो और इसे योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो जाये।

239 अप/240 डाउन समदारी पालनपुर यात्री रेल गाड़ी को पुन: चलाना

2932. **श्री विरदा राम फुलवरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 239 आप-240 डाउन समदारी पालनपुर यात्री रेलगाड़ी 25 जुलाई, 1982 से नहीं चल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रेलगाड़ी को प्राय: रद्द कर दिया जाता है जिससे स्थानीय यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक पुन: चलाया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। उत्तर रेलवे के समदड़ी-भिलडी खण्ड पर अधिक वर्षा होने से लाइन में गंभीर दरारें पड़ जाने के कारण 239 अप/240 डाउन समदड़ी-पालनपुर सवारी गाड़ी को 25 जुलाई, 1982 से रद्द कर दिया गया था। इसके बाद भाप कोयले में कमी आयी जिसके फलस्वरूप यह गाड़ी 10-10-82 से ही दोबारा चलायी जा सकी यद्यपि रेल-पथ 13/14-8-81 से चालू हालत में कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के लिए परिक्रमा रेल की योजना

2933. श्री सुनत कुमार मण्डल
श्री अमर राय प्रधान
श्री पीयूष तिरकी } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने, कलकत्ता के लिए प्रस्तावित परिक्रमा रेल योजना जो काफी लम्बे समय से ठप्प पड़ी है, के सम्बन्ध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस अवस्था में है ;

(ग) परियोजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है, इसमें अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी, और क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) वह कौन सी बाधा है जिससे इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद इस परियोजना को रोके रखा गया है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) महानगरीय परिवहन दल ने बाली और वालीघाट स्टेशनों के बीच सम्पर्क लाइन के साथ-साथ दम-दम से प्रिन्सेप घाट तक प्रस्तावित उपनगरीय परिक्षेपण लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत अनुमान तैयार करने की सिफारिश की थी। प्रस्तावित उपनगरीय परिक्षेपण लाइन का अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कर लिया गया था।

इस प्रस्ताव पर सोवियत परामर्शदाताओं के साथ परामर्श करके विधिवत विचार किया गया था जो इस निर्णय पर पहुंचे कि उपनगरीय परिक्षेपण लाइन से पहले ही से भीड़-भाड़ युक्त केन्द्रीय कारोबार जिले में अनेक दैनिक यात्री आयेंगे जो इनसे सम्बन्धित नहीं है। अतः कलकत्ता

में सामूहिक द्रुत परिवहन प्रणाली के रूप में परिक्रमा रेलवे की तुलना में रेलवे बोर्ड भूगत रेल लाइन का निर्माण करने के लिए सहमत हो गया था।

बिहार में स्मारकों की मरम्मत

2934. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में उन महत्वपूर्ण स्मारकों के नाम, अनुमानित लागत और अन्य ब्यौरे क्या हैं जिनकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चालू वर्ष के दौरान मरम्मत की थी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : पुरातत्व सर्वेक्षण के पास बिहार के सुरक्षित संस्मारकों की सूची में यादगारें नहीं है।

मानिकगढ़-चन्दूरा रेलवे लाइन का निर्माण

2935. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मानिकगढ़-चन्दूरा रेलवे लाइन के निर्माण को तेज करने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उपलब्ध चूना पत्थर को निकालने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि आगामी वर्ष के लिये कम-से कम 6 करोड़ रुपये आबंटित किये जायें ताकि इस महत्वपूर्ण लाइन का काम 1983-84 तक पूरा किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मानिकगढ़-चन्दूरा लाइन के निर्माण को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 1982-83 में इस कार्य के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी है। संसाधनों की कठिन स्थिति के कारण इस कार्य के लिए और अधिक धन आबंटित करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम का बस बेड़ा

2936. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के बेड़े में इस समय कितनी बसें हैं और कितनी बसें सड़कों पर चल रही हैं ;

(ख) कितनी बसें खराब पड़ी हैं ;

(ग) उनकी मरम्मत कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) एशियाड के दौरान अनुमानत: कितनी बसों की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) इस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 30-9-82 को दिल्ली परिवहन निगम के पास 3450 बसें थीं। इसके अलावा इसने 694 गैर सरकारी बसों को विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत लगा रखा था। इस महीने औसत रूप में 3300 की अपनी और 694 गैर सरकारी बसें सड़क पर चलीं।

(ख) 1031 इनमें से 56 बसें स्क्रैप करने के लिए और शेष 47 को भारी मरम्मत के लिए रुकी पड़ी हैं।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम का अनुरक्षण पक्ष 'खराब' बसों की मरम्मत जिनकी संख्या काफी कम है, कम से कम समय में करने का विशेष प्रयास कर रहा है।

(घ) और (ङ) एशियाड के समय लगभग 5000 बसों की आवश्यकता पड़ेगी। इस बारे में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) 500 अतिरिक्त बसे लगाई जा रही हैं।

(2) हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज से 500 अतिरिक्त बसें लगाना।

1981-82 के दौरान खुदाई कार्य

2937. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या है, जहां पर 1981-82 में खुदाई की गई थी ; और

(ख) खोज कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1981-82 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, गुफ्करल, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर ; हम्पी, जिला बेल्लारी, कर्नाटक ; हुलास, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ; खजुराहो, जिला छत्तरपुर, मध्य प्रदेश ; सराय टीला, नालंदा,

जिला नालन्दा, बिहार ; श्रृंगवेरपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ; रामपुरम्, जिला कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में उत्खनन कराया है ।

(ख) इन उत्खननों में फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय की विभिन्न चरणों की सड़कें और संरचनाएं ; गुफकरल में सुविचारित मृण्पात्र विहीन नवपाषाणी स्तर की विद्यमानता ; हम्पी में स्तम्भों वाला विशाल संरचनात्मक परिक्षेत्र और केन्द्रीय मण्डप सहित एक भवन ; हुलास में हड़प्पाकालीन उत्तरोत्तर स्तरों का एक चबूतरा और एक मृण्मय सील जिस पर सिंधु घाटी के तीन लिपि चिह्न हैं ; खजुराहो में ईंटों वाली संरचनाओं के परिक्षेत्र का दुर्लभ साक्ष्य ; सराय टीला नालंदा में प्रदक्षिणापथ के साथ-साथ चलने वाली चहारदीवारी और अनेक मूर्तियां ; श्रृंगवेरपुर में उत्खनित तालाब के तल में वृत्ताकार दीवारों की विद्यमानता के अतिरिक्त संभरक नहर और उत्खनित तालाब के पश्चिमी किनारे पर बना एक चबूतरा और एक जीना और रामपुरम में उत्खनित पूर्वपाषाणी संस्कृतियों से सम्बन्धित तीन चरण प्रकाश में आए हैं ।

टूंडला में स्कूल चलाने के लिए आवास उपलब्ध कराने की शर्तें

2938. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टूंडला में हनुमान मन्दिर के निकट कम्पनी बाग कलौनी में स्कूल चलाने के लिये रेल प्रशासन ने उत्तर रेलवे के एक्स एस० एल० डब्ल्यू० आई०/टूंडला के कब तथा किन शर्तों पर आवास उपलब्ध कराया है ; और

(ख) एस० एल० डब्ल्यू० आई० टूंडला की स्कूल चलाने के लिये जिन शर्तों के अधीन भूमि और इमारत उपलब्ध कराई जाती है उसकी जाँच के लिये रेल प्रशासन के पास क्या तंत्र है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) टूंडला में हनुमान मन्दिर के निकट प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए रेलवे की कोई इमारत नहीं दी गयीं थी बल्कि उस कालौनी में रहने वाले रेल कर्मचारियों ने मुख्यतः रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये रेलवे भूमि के अन्तर्गत पड़ने वाली एक ऐसी पुरानी भूमि को धीरे-धीरे विकसित करके उस पर एक स्कूल बनाया गया है जहां कूड़ाकरकट डाला जाता था । इस स्कूल के अस्तित्व का पता 1975 में चला ।

(ख) स्कूल की प्रबन्धक समिति को भूमि के लिए कोई औपचारिक लाइसेंस नहीं दिया गया है । इसलिए अभी तक कोई शर्त निर्धारित नहीं की गयी है । बहरहाल, स्कूल के प्रबन्धकों के साथ एक सेवारत रेल कर्मचारी भी सम्बद्ध है ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण

2939. **श्री वी० के० नायर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य सामाजिक वानिकि कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह कार्य पूरा हो गया है और किस पर यह कार्य चल रहा है और पूरे किये गये कार्य का प्रतिशत क्या है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी राज्य राजमार्गों पर इस परियोजना को गंभीरता से आरम्भ करने की सलाह दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) इससे कृषि मंत्रालय सम्बन्धित है तो राज्य सरकारों से सूचना एकत्र कर रहा है और यह उनके द्वारा बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्य राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य सामाजिक वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। इसे नये 20 सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 12 के तहत शामिल किया गया है।

रेल सुधार समिति

2940. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सरीन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित रेल सुधार समिति ने अभी तक सरकार कोई को रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अब कितनी अवधि निर्धारित की गई है और क्या इस अवधि को बढ़ाने के लिये समिति ने (i) अनुमति मांगी है और (ii) अनुमति दी गई है ; और

(घ) किस सम्भावित तारीख तक समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कहा गया है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग मई, 1982 में तथा दूसरा भाग अक्तूबर, 1982 में प्रस्तुत किया था। पहले भाग में केवल परिसम्पत्तियों के नवीकरण, बदलाव के लिए संसाधन जुटाने, संरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में सिफारिशें की गयी हैं। दूसरा भाग रेल परिवहन के विभिन्न पहलुओं के दीर्घगामी सापेक्षिक महत्व से सम्बन्धित है।

(ग) और (घ) रिपोर्ट के विभिन्न भागों को प्रस्तुत करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। समिति की रिपोर्ट उनके कार्यकाल पूरा होने के अन्त तक, अर्थात मई, 1983 तक, प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र में पोलियोग्रस्त बच्चे

2941. डा० सरदीश राय
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थोपीडिक विमान सम्बन्धी परीक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि महाराष्ट्र में लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे पोलियो के शिकार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय प्रवृत्त उन कमियों का पता लगाने के लिये, जिनके कारण बड़ी संख्या में बच्चे पोलियो के शिकार हो रहे हैं और अपंग हो रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र राज्य में दौरा करने के लिये चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल भेजेगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें 17 जिलों में बच्चों में पोलियों की घटनाओं के बारे में सचेली बाल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है। सरकार को इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि नहीं मिली है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय द्वारा किये गये एक नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रति हजार बच्चों के पीछे 1.5 से 1.9 की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 0-4 वर्ष की आयु के बच्चों में पोलियो की घटनाओं की दर प्रति हजार बच्चों के पीछे 0.09 से 1-87 तक थी। इसे देखते हुए महाराष्ट्र में किसी विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है।

एन० सी० जिन्दल पब्लिक स्कूल, दिल्ली

2942. श्री के० ए० राजन
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री नारायण चौबे } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० जिन्दल पब्लिक स्कूल, दिल्ली के उप-प्रधानाचार्य और एक चपरासी को प्रश्न-पत्र बाहर कर देने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उनको आरोप-पत्र दे दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बाद में स्कूल की प्रबन्ध समिति द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्य को निलम्बित कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, एन० सी० जिन्दल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली के उप-प्रधानाचार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न-पत्रों का पहले ही पता लग जाने के सिलसिले में 20-4-1982 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके विरुद्ध दण्ड विश्वासघात और चोरी के आरोप लगाए गए थे। स्कूल के एक चपरासी को इसी मामलों में 30-3-82 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के उपबन्धों के अनुसार स्कूल की प्रबन्धक समिति द्वारा स्कूल की सेवाओं से निलम्बित कर दिया गया था। उन्हें कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया क्योंकि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल की प्रबन्धक समिति द्वारा 18-8-82 से निलम्बित कर किया गया था क्योंकि लेखा परीक्षा के समय उनके द्वारा अनुरक्षित और संचालित लेखों/विधियों के घोटाले के उदाहरण प्रकाश में आये थे।

राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा बनाए गए अतिरिक्त संसाधन

2943. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन निगम से प्रतिवर्ष कितने अतिरिक्त संसाधन बनाए ; और

(ख) बजट प्रावधान के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कितने ससाधन बनाये जाने का अनुमान था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सड़क परिवहन निगमों जिनकी संसाधनों की स्थिति की योजना आयोग ने समीक्षा की और उसका मूल्यांकन किया है। अनुमानित साधनों और निगमों द्वारा वर्ष 1980-81 और 1981-82 मेंअतिरिक्त संसाधनों को जुटाने से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/राज्य सड़क परिवहन निगम	अनुमानित आन्तरिक संसाधन 1980-85	अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा किये गए प्रयास से संचित धनराशि	
			1980-81	1981-82
1.	आंध्र प्रदेश	174.62	8.86	7.95
2.	आसाम	12.37	0.10	0.28
3.	बिहार	18.86	0.69	1.14
4.	गुजरात	64.57	—	12.36
5.	हिमाचल प्रदेश	2.83	0.40	1.23
6.	जम्मू और कश्मीर	14.15	1.62	—
7.	कर्नाटक	19.92	8.50	—
8.	केरल	8.43	5.25	2.50
9.	मध्य प्रदेश	19.32	2.90	—
10.	महाराष्ट्र	155.61	8.50	20.12
11.	मणीपुर	1.37	—	—
12.	मेघालय	0.03	0.07	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	उड़ीसा	22.92	—	2.56
14.	पेप्सू सड़क परिवहन निगम	22.19	3.70	—
15.	राजस्थान	26.18	2.11	10.5*
16.	त्रिपुरा	1.09	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	105.14	5.93	7.31
18 से 20.	पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता राज्य परिवहन निगम, उत्तरी बंगाल राज्य परिवहन निगम आर दुर्गापुर राज्य सड़क परिवहन निगम)	1.98	2.28	—
	योग	665.44	50.91	65.13

*इसमें राजस्थान प्राइवेट गुड्स ट्रांसपोर्ट (प्राइवेट आपरेटर आदि) से प्राप्त 4.53 करोड़ रुपए का राजस्व शामिल है।

सड़कों के लिए धन की कमी तथा कुप्रबन्ध के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ द्वारा किया गया अध्ययन

2944. श्री हरिकेश बहादुर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में सड़कों के लिए धन की कमी तथा कुप्रबन्ध के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ द्वारा किए गए अध्ययन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस धनराशि को दिल्ली में गत चार वर्षों से 'फैंसी' परियोजनाओं पर लगाया जा रहा है जिससे अव्यवस्था और एक के बाद दूसरी अड़चनें पैदा हो रही हैं ;

(ग) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन को सलाह देने हेतु नागरिक सड़क प्रयोक्तास मिति गठित करेगी ; और

(घ) दिल्ली की सड़कों पर गत पांच वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सरकार को फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा सड़क परिवहन की समस्याओं और सम्भावनाओं के बारे में हाल में आयोजित गोष्ठी की जानकारी है जिसमें सड़क क्षेत्र के लिए धनाभाव का विशेष उल्लेख किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) 87.72 करोड़ रुपये (लगभग)

दिल्ली में पर्यावरण स्वच्छता में सुधार

2945. **श्री भीकू राम जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवारकल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में पर्यावरण स्वच्छता के बहुत खराब होने के अखबारों के समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है और टाइफाइड, डिसेन्ट्री और अन्य बीमारियां दूसरा प्रमाण है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में सूचीबद्ध बीमारियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक होती है ; और

(ग) राजधानी में स्वच्छता में सुधार और सफाई रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) दिल्ली में आस-पास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इसके कारण टाईफाइड, अतिसार तथा अन्य ऐसे रोगों की दर में वृद्धि हुई है। इस बात को देखते हुए दिल्ली में ऐसे रोगों के कथित प्रकोप की किसी अन्य जगह के प्रकोप की दर के साथ तुलना नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य रक्षा और सफाई के अपेक्षित स्तर को बनाए रखना दिल्ली प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरण का एक सतत् दायित्व है।

माही पुल का निर्माण

2946. **श्री जय नारायण रोत** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माही पुल अभी भी निर्माणाधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पुल के निर्माण के लिए अब तक कितनी राशि मंजूर की गई और आबंटित की गई है और कितनी इस पर व्यय की जा चुकी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय गुजरात में धुवरण से पाडरा तटीय राजमार्ग खंड पर मुजपुर के समीप माही पर पुल के निर्माण के बारे में है। यह पुल राज्य सड़क पर है इसलिए इसका सम्बन्ध मुख्यतः गुजरात सरकार से है। इस पुल के निर्माण पर 252.14 लाख रुपए की कुल लागत में से भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत 75 लाख रुपए की ऋण सहायता मंजूरी की। शेष राशि राज्य सरकार अपनी योजनागत संसाधनों से पूरा करेगी। इस पुल का कार्य मई 1981 में शुरू किया गया था। इसके मई 1985 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। मंजूर की गई 75 लाख रुपए की सम्पूर्ण राशि आबंटित कर दी गई है। पता चला है कि सितम्बर, 1982 तक इस पुल पर 158.19 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं।

हिजली टाइडल नहर और उड़ीसा तटीय नहर का बढ़ाया जाना

2947. **श्री सत्य गोपाल मिश्र**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के हिजली टाइडल नहर/उड़ीसा तटीय नहर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर दिया है ;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से) (ङ) केन्द्रीय सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में हिजली टाइडल केनाल और उड़ीसा कोस्ट केनाल में सुधार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन परिषद की सिफारिश पर राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के मुख्य इंजीनियर व प्रशासक द्वारा केनाल का संयुक्त निरीक्षण होना था। केनाल के पश्चिम बंगाल वाले हिस्से का संयुक्त निरीक्षण पूरा हो गया है और उड़ीसा का निरीक्षण शीघ्र पूरा होने वाला है। संयुक्त निरीक्षण के आधार पर राज्य सरकारें केनाल के सुधार के लिये प्रस्ताव तैयार करेगी।

दिल्ली के पोलीटेक्निकों में हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि सिखाने की सुविधा

2948. **श्री भीखा भाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपि सिखाने की सुविधा दिल्ली प्रशासन के दो पोलीटेक्निकों में उपलब्ध है ;

(ख) क्या इस प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है ;

(घ) कुल कितने उम्मीदवारों को इसमें प्रवेश दिया गया ; और

(ङ) इन पोलीटेक्निकों में अंग्रेजी आशुलिपि का अध्ययन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) तकनीकी शिक्षा बोर्ड (दिल्ली) की पाठ्यक्रम समिति ने हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है और चालू शैक्षिक सत्र से इसे अपनाने के लिये तकनीकी शिक्षा बोर्ड (दिल्ली) के अध्यक्ष को औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। तथापि, अनुमोदन की प्रत्याशा में, संस्थाओं द्वारा छात्रों के प्रशिक्षण के लिये पाठ्यचर्या का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) 520.

(घ) 48.

(ङ) 212.

कैंसर रोगी सहायता समिति, दिल्ली को अनुदान

2949. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन कैंसर रोगी सहायता समिति, दिल्ली के लिए पर्याप्त राशि दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कैंसन रोगी सहायता समिति को अनुदान के रूप में 20,000 रुपये का चैक दिया गया था ;

(ग) क्या उक्त चैक का भुगतान रोक दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान कैंसर रोगी-सहायता सोसायटी, डी-25 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली को केवल 5,000/- (पांच हजार रुपये) का सहायता अनुदान दिया गया।

(ख) नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारी की भूमिका

2950. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1976 में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में संशोधन के बाद न तो खाद्य निरीक्षक और न ही वेन्डर नमूना दे सकता है और अब नमूनों के दो अलग-अलग भाग रखने हेतु एक पृथक् स्वतंत्र प्राधिकारी बना दिया गया है और उसे स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी का नाम दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्राधिकार एक जांच अधिकारी की तरह काम करके मुकदमें के लिए तथा उस पर काम करती है और इससे व्यापारियों में उसको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता भूमिका का सन्देह उत्पन्न होता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"यूनीसेफ" द्वारा भारत में खर्च की गई राशि

2951. **श्री अमल दत्त** : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनीसेफ द्वारा भारत में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के लिये राज्यवार तथा कार्यक्रम

बार वर्ष 1979-80 और 1981-82 के दौरान कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव था और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ख) "यूनीसेफ" द्वारा वर्ष 1982-83 तथा बाद के वर्षों के दौरान ऐसी कितनी राशि, राज्यवार और कार्यक्रमवार खर्च किए जाने का विचार है जिसके लिए इसने कार्यक्रम तैयार किया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. यूनिसेफ सहायता के मामले में सहायता का निर्धारण कार्यक्रम की आवश्यकताओं से उत्पन्न कार्यक्रम निवेशों के रूप में होगा। ये कार्यक्रम वे होंगे जिन पर संचालन की योजना में सहमति हो गई हो, भारत के मामले में यह योजना (तीन कैलेण्डर वर्ष) 1981-83 की अवधि के दौरान बच्चों के लिए सेवाओं के संचालन की बृहद् योजना है। यूनिसेफ की प्रतिबद्धता की कोई वार्षिक अन्तिम तारीख नहीं होती, यह तब तक वैध रहेगी जब तक संचालन की योजना वैध हो। इसको कार्यक्रमों की प्रगति के अनुसार वास्तविक सहायता के रूप में रूपान्तरित किया जाता है और ऐसा रूपान्तरण संचालन की योजना में मूल रूप से लगाए गए अनुमान से पहले अथवा बाद में हो सकता है ;

2. यूनिसेफ की वचनबद्धता का अभिप्राय अमेरिकन डालरों से है। यह एक आंकलन है।

3. योजनागत कुल व्यय 1979 के लिए 29,197,300 डालर ; 1980 के लिए 34,780,600 डालर और 1981 के लिए 30,033,880 डालर था।

4. यूनिसेफ ने 1982 और 1983 के दौरान संचालन की योजना में जिन कार्यक्रमों पर सहमति हुई थी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1982 में अपने नियमित बजट में से 30,713,000 डालर की और विशेष प्रयोजनों के लिए निर्धारित राशि में से 1,500,000 डालर और 1983 में अपने नियमित बजट में से 38,219,000 डालर और विशेष प्रयोजनों के लिए निर्धारित राशि में से 8,000,000 डालर तक की अधिकतम राशि खर्च करने की योजना बनाई है।

5. राज्यवार विश्लेषण का कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि रिकार्ड इस ढंग से नहीं रखे जाते हैं।

6. 1979, 1980 और 1981 के दौरान कार्यक्रम-वार जारी की गई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :—

(मूल्य हजार डालरों में)

	1979	1980	1981
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रबोधन, सूचना/कार्यक्रम सहायक संचार; राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ; कृषि विश्वविद्यालयों में खाद्य एवं पोषाहार की शिक्षा	569.2	747.1	998.8
खाद्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी ; जल एवं पर्यावरण सम्बन्धी स्वच्छता ; स्वास्थ्य एवं पोषाहार अनुभाग ; परिवहन, उपकरण और अनुरक्षण सेवा ; शिक्षा विकास ; बाल विकास	16,103.3	16,739.6	16,820.9
समेकित बालविकास सेवाएं/विशेष पोषाहार कार्यक्रम ; क्षेत्रीय विकास में सामाजिक परिव्यय ; ग्रामीण विकास के लिए मूल सेवाएं/ग्रामीण के क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास ; शहरी विकास	5,045.0	6,024.3	5,887.9
कुल-नियमित कार्यक्रम	21,717.5	23,511.0	23,707.6
बाढ़/चक्रवात पुनर्वास	4,965.4	6.788.0	—
कुल जोड़	27,682.9	30,299.0	23,707.6
पानी, पुनर्वास, स्वास्थ्य बिदार समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में विशिष्ट प्रयोजन सहायता	1,514.4	4,481.6	6,326.2

आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों के लिये सुपर फास्ट रेल सेवा

2952. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों के लोगों के लिये सुपरफास्ट रेल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बार-बार किये जा रहे अनुरोध पर कोई ध्यान दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नयी दिल्ली और वाल्तेरु/विशाखापत्तनम के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाना या उसका विस्तार करना मार्गवर्ती खंडी पर लाइन क्षमता की तंगी तथा कोचिंग स्टाक और टर्मिनल सुविधाओं जैसे संसाधनों की कमी के कारण इस समय व्यावहारिक नहीं पाया गया है। लेकिन, वाल्तेरु और नयी दिल्ली के बीच यातायात की निकासी के लिए सप्ताह में 32 सीधे सेवा डिब्बे उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की मांगें

2953. **श्री चित्त महाटा :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ने हाल ही में अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ समय-समय पर शिक्षकों के लिए एक समय-बद्ध पदोन्नति योजना लागू करने, वेतनमानों में नया संशोधन करने, और अधिक आवास सम्बन्ध सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग करता रहा है।

(ग) शिक्षकों के वेतनमानों में नया संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों की योग्यता पर आधारित पदोन्नति योजनायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार कर ली गई हैं जिन्हें, राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है। आयोग जीवन बीमा निगम और हुडको आदि जैसी एजेन्सियों में आवास निर्माण के लिए प्रयाप्त संसाधनों के बढ़ाए जाने की संभावना पर भी विचार कर रहा है।

ई० एम० यू० रेलगाड़ी सेवाओं का कनेक्शन कराने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की फीडर सेवाएं

2954. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली ई० एम० यू० रेलगाड़ी सेवा के साथ समन्वय करके दिल्ली परिवहन निगम की जो फीडर सेवाएं चलाने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ई० एम० यू० सेवाओं के आरम्भ हो जाने के बाद भी उनमें से कौन-सी सेवायें नहीं चलती हैं ; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की सभी निर्दिष्ट फीडर सेवाएं कब तक आरम्भ हो जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) रेल अधिकारियों के साथ समन्वय कर और ई० एम० यू० समय सारणी के साथ तालमेल बैठाते हुए दिल्ली परिवहन निगम ने 10 रेलवे स्टेशनों से फीडर सेवा प्रारम्भ करने की योजना बनाई है। इनमें से निम्नलिखित स्टेशनों से सेवा प्रारम्भ हो गई है—

1. लाजपत नगर रेलवे स्टेशन
2. सेवा नगर रेलवे स्टेशन
3. सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन
4. ब्रार स्क्वेयर रेलवे स्टेशन
5. कीर्ति नगर रेलवे स्टेशन
6. दया बस्ती रेलवे स्टेशन
7. निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
8. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

(ख) लोधी कालोनी रेलवे स्टेशन और चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन नामक शेष दो रेलवे स्टेशनों से इसको शुरू करने के लिए लोधी कालोनी रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है जबकि चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकरण इस कार्य को कर रहा है। इनके पूरा होते ही दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा चालू हो जाएगी।

(ग) शेष स्टेशनों पर पहुंच मार्ग सुविधाओं के विकास होने के बाद सेवा प्रारम्भ हो जाएगी ।

बम्बई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को 19-9-1982 को पटरी से उतार देने का प्रयास

2955. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को 19 सितम्बर, 1982 को मकरपुरा के निकट रेल मार्ग पर लकड़ी के स्लीपर रख कर पटरी से उतार देने का प्रयास किया गया था ;

(ख) क्या अधिकारियों ने तथ्यों का पता लगाने के लिये कोई जांच की है ; और

(ग) क्या भविष्य के लिये कोई पूर्वोपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 19-9-82 को 151 डाउन बम्बई-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का इंजन पटरी पर पड़े एक लकड़ी के स्लीपर से टकरा गया था जो इटोला और मकरपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच इंजन के काउ-केचर के साथ फंस गया था । गाड़ी रोक दी गयी और स्लीपर को हटा दिया गया ।

(ख) पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है जो प्रगति पर है।

(ग) निम्नलिखित अहतियाकी उपाय किये गये है—

(i) गैंगमैनों की गश्त के अतिरिक्त राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गश्त लगाना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(ii) गुजरात राज्य ग्राम रक्षक दल और होमगार्ड भी गश्त के लिए तैनात किये गये हैं ।

(iii) राज्य पुलिस प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के साथ भी निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

कम्प्यूटर सैल में पद

2956. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कम्प्यूटर सैल में कुछ तृतीय श्रेणी के पदों को स्थायी पदों के रूप में बदल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन पदों पर कितने कर्मचारी स्थायी घोषित किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो जो कर्मचारी 1968 से लगातार कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड के संगणक केन्द्र में संवर्ग-बाह्य पदों पर तैनात कर्मचारी विभिन्न स्रोतों से लिये गये थे । संगमक केन्द्र में कार्यरत कुछ कर्मचारी अपने-अपनेमूल संवर्गों में पहले से ही स्थायी हैं । इस केन्द्र के कर्मचारियों के लिए एक पृथक संवर्ग बनाने के प्रश्न पर अधिकारियों की एक समिति विचार कर रही है । केन्द्र में पात्र कर्मचारियों को स्थायी पदों पर स्थायी करने के सम्बन्ध में, उक्त समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जायेगा ।

रेलवे के खर्च सम्बन्धी आंकड़े

2957. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय सहित अनेक रेल प्राधिकारियों द्वारा यह अनुभव किया गया है कि डीजल-इंजन, भाप इंजन, विद्युत इंजन, इ० एम० यूज०, बाक्स वैगन्स, नान बाक्स वैगन्स आदि जैसे विभिन्न मदों के रख-रखाव और मरम्मत पर पृथक-पृथक रूप से राजस्व खर्च के आंकड़े जो रेलवे में विभिन्न मदों के व्यय की औसत में सम्मिलित होते हैं, कई बार भ्रामक निष्कर्ष दर्शाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान उपरोक्त मदों से सम्बन्धित पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनुरक्षण और मरम्मत पर औसत राजस्व व्यय की गणना रेल इंजनों के लिए समीकृत इंजन कि० मी० के हिसाब से सवारी और माल डिब्बों के लिए चौपहियों के हिसाब से और बिजली गाड़ी स्टाक के लिए यूनिटों के अनुसार की जाती है । इस प्रकार औसत आंकड़े भ्रामक निष्कर्ष नहीं दर्शाते । इसलिए, आंकड़ों का उपयोग इस आधार को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन में तेजी लाने के प्रयास

2958. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन प्रयासों में तेजी लाने का है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए आरम्भ की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन के तरीकों के कार्यों का एक विवरण संलग्न है (विवरण-I) ।

(ग) सारे देश में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण संलग्न है (विवरण-II) ।

विवरण

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान परिवार नियोजन तरीकों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अनुमानित कार्य निष्पादन

परिवार नियोजन तरीके	लक्ष्य (हजारों में)		उपलब्धियां (हजारों में)		उपलब्धियों की प्रतिशतता	
	1980-81	1981-82	1980-81	1981-1982	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6	7
नसबन्दी	2896	2896	2041	2784	70.5	96.2
आई० यू० डी० निवेदन	791	791	623	744	78.8	94.2
प्रचलित गर्भनिरोधकों के समीकृत उपयोगकर्त्ता	5042	5042	3699	4377	73.4	86.8
खाई जाने वाली गोलियों के समीकृत उपयोगकर्त्ता	495	495	89	112	17.9	22.6

विवरण-II

सारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) "छोटे परिवार के सिद्धांत" को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(2) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा छोटे परिवार की धाराओं के सम्बन्ध में आवश्यकता और जागरुकता देने के लिए गहन प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) प्रत्येक दम्पत्ति को अपने मनभाता तरीका चुनने की छूट है।

(4) परिवार कल्याण की सेवायें और सामग्री लोगों को घरों के यथा संभव निकट प्रदान की जा रही हैं।

(5) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयत्नों का एक अभिन्न अंग है।

(6) महिला साक्षरता की सुविधाओं और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है।

(7) स्कूलों तथा कालेजों में तथा बाहर युवाओं को जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा की जानकारी दी जा रही है। यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रारम्भ की जायेगी।

(8) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्न स्तर पर ग्रामीण संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जा रहा है और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जा रहा है।

(9) अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क किये जाएंगे।

(10) लड़कियां और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सन्बन्धी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जायेगा।

(11) ग्रामीण अथवा समुदाय स्तर पर सभी विवाहों के रिकार्ड रखे जाएंगे।

(12) सभी स्तरों पर निकट मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रशासनिक तंत्र ठीक करने और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के उपाय किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं

(1) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना, जिसे अब केन्द्र के धन से चलाई जा रही योजना बना दिया गया है, के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को परिवार नियोजन की जानकारी और सूचना देने और लोगों के घरों के पास नान-क्लिनिकल तरीकों से सम्बन्धित सेवाएं और सामग्री उपलब्ध करने के लिए स्वास्थ्य गाइड (जो मुख्यतया महिलाएं ही होंगी) जिम्मेदार होंगे।

(2) 1984 के मध्य से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर गैर-आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 की ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक-एक तथा आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 3,000 की जनसंख्या के लिए एक-एक अतिरिक्त उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(3) छठी योजना के दौरान प्रसवोत्तर कार्यक्रम, को 400 उप मण्डलीय/तालुक स्तर अस्पतालों में बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे अस्पतालों में प्रसूति के लिए आई महिलाओं को प्रसवपूर्व और प्रसव के बाद परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(4) 12 राज्यों के 46 चुनिंदा जिलों में बाह्य सहायता से स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है।

जगीरोड से बदरपुर तक का सर्वेक्षण

2959. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जगीरोड से बदरपुर तक बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य की क्या प्रगति है और यह कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अगस्त, 1992 के अन्त तक प्रारम्भिक इन्जीनियरी सर्वेक्षण पर केवल 3.75 प्रगति हुई है। यातायात सर्वेक्षण अभी प्रारम्भ किया जाना है। तथापि, इसे शीघ्र पूरा करने के लिए मै० राइट्स को सर्वेक्षण का काम सौंप दिया गया है, जो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक ऐरियल सर्वेक्षण तकनीकी अपना रहे हैं। इसको पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

2960. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्वीय स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा उड़ीसा में किन-किन स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है ;

(ग) उन पुरातत्वीय स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या विशेष संरक्षण कार्य आरम्भ किये गए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा के केन्द्रीय परिरक्षित संस्मारकों और स्थलों की सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) संस्मारकों का वार्षिक मरम्मतों और रखरखाव कार्यों के अतिरिक्त उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकता की दृष्टि से परिरक्षण किया जाता है। संरचनात्मक मरम्मतों, यथा, छतिग्रस्त और विनष्ट चिनाई और ईंटों की चिनाई को नई चिनाई द्वारा बदलना, खुले जोड़ों और दरारों में ग्राउटिंग और टीप करना, संरचनाओं के आगे बाहर की ओर लटके भागों को सहारा देने के लिए टेक लगाना आदि और समुद्री क्षार, वर्षा के जल, वनस्पति आदि के द्वारा क्षतिकर क्रियाओं के विरुद्ध पत्थरों के रासायनिक उपचार का कार्य भी हाथ में लिया गया है। कोणार्क में सूर्य मन्दिर के सम्बन्ध में भूदृश्य निर्माण की योजना विशेष रूप से इस प्रकार तैयार की गई है कि ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ यथासमय समुद्रीय क्षार और रेतीली हवा की क्रियाओं से पत्थरों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। पुरी में जगन्नाथ मन्दिर में मुख्य मन्दिर की बाहरी दीवार के अलंकृत ढांचों को उसके ऊपर से पलस्तर हटाकर अनावृत्त करने तथा क्षतिग्रस्त चिनाई को सुस्थिर करने में विशेष रुचि ली जा रही है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5553/82]

राजस्थान में गिनी-कृमि के शिकार लोग

2961. श्री राम सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली में संचारी रोग विषय पर हाल में हुए दो दिन के सम्मेलन में पटल पर रखी गई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि राजस्थान राज्य के

27 जिलों में से 23 जिलों में गिनी-कृमि अर्थात् "नारू" नाम से प्रसिद्ध स्थानिक रोग फैला हुआ है ;

(ख) गिनी-कृमि स्थानिक रोग की रोकथाम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सात राज्यों के अस्सी जिले इस गिनी-कृमि स्थानिक रोग के शिकार हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गिनी कृमि की बीमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के 80 जिलों में स्थानीय रूप से फैलने वाली बीमारी है। स्थानीय रूप से इस बीमारी के फैलने वाले क्षेत्रों में गिनी-कृमि उन्मूलन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने में गिनी-कृमि रोग से प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जाती है। यह पता कर लिया गया है कि ऐसे गांव और पीने के पानी के उनके स्रोत कौन-कौन और कहां-कहां हैं।

इस कार्यक्रम से सम्बन्धित जिला स्तर के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। बीमारी के स्थानीय रूप से फैलने वाले जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इस बीमारी से निपटने के लिए उपकरण, तकनीकी प्रलेख, तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध कर दी गई है। इस रोग से प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी को साफ और शुद्ध बनाने के लिए रसायन का प्रयोग कर फील्ड परीक्षण किए गए हैं। घर-घर जाकर गिनी कृमि रोगियों का पता लगाया जा रहा है।

रेलवे द्वारा मेला कर की वसूली

2962. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष के दौरान आयोजित किये गये उन मेलों के नाम और संख्या क्या हैं जिनके लिए रेलवे ने मेला कर वसूल किया है ;

(ख) इस प्रकार वसूल की गई राशि कितनी है तथा उसके वितरण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कर वसूल करने के लिए किसको प्राधिकारी बनाया गया था ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1980 से अब तक तीन अवसरों पर मेला कर वसूल किया गया है :

(1) गोदावरी पुष्करण मेला, 1980

(2) अर्ध-कुम्भ मेला, हरिद्वार, 1980 और

(3) कुम्भ मेला, इलाहाबाद, जनवरी, 1982

ये कर रेल यात्री सीमा कर अधिनियम, 1956 के अधीन वसूल किए जाते हैं। रेल सेवा प्रभार के रूप में कुछ प्रतिशत राशि अपने पास रखने के बाद एकत्रित की गई पूरी राशि राज्य सरकार को दे दी जाती है। इन तीन अवसरों पर एकत्रित की गई मेला कर की राशि के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भाभर-जालोर लाईन

2963. **श्री भेराबदन के० गधावी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भाभर और जालोर के बीच, बरास्त, सूई गाम, वाप, घराड़ और सांचोर एक रेल लाइन बिछाने का है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जालोर वर्तमान समदड़ी-मारवाड़-भीलड़ी मीटर लाइन पर पहले से ही है। सुईगांव, वाव, थारड और संचोर होकर भाभर और मारवाड़ को मिलाने वाली एक लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करने वाले मेडिकल कालेज

2964. **श्री हरिहर सोरन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कुछ ऐसे मेडिकल कालेजों का पता लगाया है जो इसके द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते ;

(ख) यदि हां, तो उन मेडिकल कालेजों के नाम क्या हैं और उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं जहां पर वे स्थित हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्य करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने निम्नलिखित कालेजों में शिक्षण स्टाफ, भवनों, उपकरणों, पुस्तकालय, रिहायशी मकानों, आदि की उपर्युक्त प्रबन्ध में जिसके लिए उन्होंने न्यूनतम स्तर निर्धारित किए हुए हैं, कुछेक कमियां पायी हैं :

बिहार

1. एस० के० मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर।

2. नालंदा मेडिकल कालेज, पटना ।

3. मगध मेडिकल कालेज, गया ।

4. पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद ।

5. राजकीय मेडिकल कालेज, भागलपुर ।

पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान ।

2. उत्तरी बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुडी ।

पंजाब

1. गुरू गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदकोट ।

दिल्ली

1. यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश

1. जे० एल० एन० मेडिकल शालेज, अलीगढ़ ।

2. एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा ।

(ग) परिषद ने इन कमियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को लिखा है ।

बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच यात्री रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बे

2965. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया सरकार को यह जानकारी है कि बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच दिन में चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बे न होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों की यह नीति है कि धीमी गति की पैसेंजर गाड़ियों में पहले दर्जे के स्थान उपलब्ध न कराये जाएं । तथापि, बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच रात की लम्बी दूरी की पैसेंजर

गाड़ियों, अर्थात 3 बी० एच० एल०/4 बी० एच० एल०, में पहले दर्जे के स्थान की व्यवस्था की गयी है। दिन के समय पहले दर्जे के स्थान के लिए कोई मांग भी नहीं है।

कोच फैक्टरियों में उत्पादन

2966. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कोच फैक्टरियों में संस्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है ; और

(ख) प्रतिदिन की औसत संस्थापित क्षमता की तुलना में प्रतिदिन का वास्तविक उत्पादन कितना है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। सवारी डिब्बा कारखाना (आई० सी० एफ०) मद्रास अपनी पूर्ण स्थापित क्षमता से कार्य कर रहा है।

(ख) सवारी डिब्बा कारखाना की प्रति वर्ष 720 से 750 डिब्बे बनाने की क्षमता है, जो कि डिब्बों की किस्म और उत्पादन मिश्र पर निर्भर करती है। प्रतिदिन औसत उत्पादन लगभग 2.5 डिब्बे हैं जो कि इसके दैनिक उत्पादन क्षमता के समरूप है।

छपरा और नई दिल्ली तथा छपरा और हावड़ा के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

2967. **प्रो० सत्य देव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर रेलवे के अन्तर्गत छपरा जंक्शन से नई दिल्ली तक और छपरा से हावड़ा तक एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। तथापि, 19/20 हवडा-गोरखपुर एक्सप्रेस से छपरा और हावड़ा के बीच एक सीधी गाड़ी सेवा पहले से ही उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छपरा से नयी दिल्ली के बीच एक्सप्रेस गाड़ियां और हावड़ा के लिए अतिरिक्त गाड़ी चलाना मार्गवर्ती खण्डों पर सतृप्त लाइन क्षमता, कोचिंग स्टाक की कमी और छपरा,

दिल्ली एवम हावड़ा क्षेत्रों में अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण परिचालनिक रूप से व्यावहारिक नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग न० 17 का अनुरक्षण

2968. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 17 भारत के उन राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है जिनका अनुरक्षण बहुत ही घटिया किस्म का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) खतरनाक जोड़ों को दूर न करने के क्या कारण है ;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग की आमतौर पर स्टैंडर्ड चौड़ाई कितनी होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 की वर्तमान चौड़ाई कितनी है ;

(ङ) सरकार ने वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की थी ; और

(च) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के अनुरक्षण में केरल सरकार का पूरा सहयोग मिलता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 का जो हिस्सा घाट के क्षेत्र में होकर गुजरता है उसमें मोड़ आना स्वाभाविक है। आर्थिक कठिनाईयों के होते हुए भी विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्ग में संख्या 17 का सुधार किया जा रहा है और उसकी मरम्मत भी की जा रही है। इसमें मोड़ों को सुधारने का कार्य भी शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां के चलने के लिए एक लेन वाली सड़क 3.75 मीटर और दो लेन वाली सड़क 7 मीटर चोड़ी होनी निर्धारित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक और केरल से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग में गाड़ियों के आने जाने के लिए 587 किलोमीटर में एक लेन व 660 किलोमीटर में दो लेन की सड़क बनी हुई है। इस राजमार्ग में 20 किलोमीटर में कोई भी सड़क नहीं बनी हुई है और यातायात के लिए एक अस्थाई रास्ता उपलब्ध है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए राज्यवार धन आवंटित किया जाता है।

इन राजमार्गों की मरम्मत के लिए धन का वितरण कार्य की प्राथमिकता और सम्पूर्ण वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्ष 1981-82 में केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुरक्षण कार्य के लिए लगभग 197 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई।

(च) जी हां।

सूरतगढ़ बीकानेर और सूरतनगर अनुपगढ़ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2969. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री बड़ी लाइन को बीकानेर तक बढ़ाने के बारे में 7 अक्तूबर, 1982 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ से बीकानेर तक बड़ी लाइन पहले की तरह बीकानेर शहर से गुजरेगी या रेल विभाग द्वारा बीकानेर शहर के बाहर एक स्टेशन बनाने का विचार है ;

(ख) सूरतगढ़-अनुपगढ़ बड़ी लाइन की जैलसर मन्डी से बिछाने में क्या कठिनाई है ;

(ग) क्या जैलसर अनाज मण्डी सरूपसर जंक्शन से केवल एक किलोमीटर दूर है और इससे रेल विभाग की आय बढ़ सकती है और यदि हां, तो सूरतगढ़ अनुपगढ़ बड़ी लाइन को जैलसर से न निकालने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या बड़ी लाइन के कार्यालयों को सूरतगढ़ की बजाय सरूपसर जंक्शन ले जाने का विचार है ; और

(ङ) क्या इसका मतलब यह होगा कि सूरतगढ़ में पहले ही बन चुके कार्यालय बेकार हो जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) ; (क) शहरी क्षेत्र से बाहर बीकानेर रेलवे स्टेशन के नये स्थान के लिए राजस्थान सरकार को प्रभूति निक्षेप सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ख) और (ग) सूरतगढ़-सरूपसर-अनूपगढ़ के बीच बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के लिए अनुमोदित योजना में जैतसर मंडी के रास्ते किसी नयी लाइन के निर्माण का विचार नहीं है। यदि सूरतगढ़-अनूपगढ़ लाइन जेतसर मंड़ी से गुजरती है तो प्रर्याप्त कृषि भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। इससे रेलवे लाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा जहां वह नहर को पार करेगी। इससे प्रोजेक्ट का खर्च बढ़ेगा।

(घ) से (ङ) कार्यालयों को सूरतगढ़ से सरूपसर बदलने का कोई मतलब नहीं है।

रंग रोगन उद्योग में श्रमिकों को सूत्र-कैंसर का रोग

2970. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई० सी० एम० आर०) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में रंग रोगन उद्योग में अधिकतर श्रमिकों को मूत्र-कैंसर रोग है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग को कम करने और इस संकट को समाप्त करने के लिए कोई उपाय किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के लिए 500 नई बसें

2971. **श्री सज्जन कुमार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम के लिए 500 नई बसें खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये बसें दिल्ली सड़कों पर कब चलनी शुरू हो जाएंगी ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इनमें से कितनी बसें ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएंगी ; और

(घ) ये बसें ग्रामीण मार्गों पर कब तक चलाए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम एशियाई खेलों के दौरान सभी बसों को सड़क पर चलाने के प्रयास कर रहा है।

(ग) और (घ) विशिष्ट क्षेत्रों/मार्गों के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किए गए हैं। आवधिक यातायात सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न मार्गों पर बसें चलाई जाती हैं।

नौवहन पोतों के पंजीकरण की योजना

2972. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के बन्दरगाहों में नौवहन पोतों के पंजीकरण की कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) मशीनयुक्त पालपोतों के निर्माण और मौजूदा पालपोतों को मशीनयुक्त करने के लिए ऋण देने की स्कीम के तहत भारत सरकार ने सम्बन्धित पार्टियों को ऋण देने के लिए समुद्री राज्य सरकारों को अग्रिम के रूप में ऋण देती है जिसे ब्याज सहित वापस करना होता है। 1981-82 में उक्त स्कीम के तहत कुछ आवेदकों को ऋण देने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उसी वर्ष प्रस्ताव पर विचार करने के लिए केरल सरकार से कुछ और सूचना मंगवाई गई थी किन्तु अभी तक यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रोढ़ शिक्षा योजना को लोकप्रिय बनाया जाना

2973. श्री नवीन रवाणी : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र और पिछड़े समाज में प्रौढ़ शिक्षा योजना को लोकप्रिय बनाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है, इस प्रकार इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। नई परियोजनाओं के आवंटन में उन जिलों को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है जिनमें साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है, जैसा 1981 की जनगणना में निर्धारित किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, प्रवासी श्रमिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लक्षित वर्गों को शामिल करने हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने पर भी बल दिया जा रहा है ताकि यथासम्भव कम-से-कम समय में देश से निरक्षरता का उन्मूलन किया जा सके।

हुबली और करवाड़ के बीच रेल लाइन की मांग

2974. श्री० के० नायकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसको हुबली और करवाड़ के बीच रेल लाइन की मांग की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार ने परियोजना की सम्भाव्यता और लाभप्रदता का पता लगाने के लिए कोई सरकारी दल भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार रेल लाइन का निर्माण कार्य कब शुरू करेगी ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बिगत में हुबली और मारवाड़ के बीच एक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए किये गये एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण/यातायात पुनर्मूलांकन सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रस्तावित लाइन अर्थ सक्षम नहीं रहेगी। इसे देखते हुये और धन की भारी तंगी के कारण, इस लाइन के निर्माण के बारे में विचार करने के लिये भावी बेहतर आर्थिक समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बहरहाल, हाल ही में स्थिति की समीक्षा की गई है और नवीनतम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित लाइन के लिए एक यातायात पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण करने हेतु अब कार्रवाई की जा रही है। पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच कर लिए जाने के पश्चात इस लाइन के निर्माण के बारे में निर्णय किया जायेगा, बशर्ते कि इसे योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो जाये।

दिल्ली नगर निगम के उन स्कूलों को साथ के किसी स्कूल में मिलाना जिनमें 175 छात्र हैं

2975. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के 175 से कम छात्रों वाले स्कूलों को साथ के स्कूलों में मिला दिया जाता है या उन्हें द्वितीय पारी वाले स्कूलों से सम्बद्ध कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1 मई, 1982 के पश्चात् इस प्रकार मिलाए गए स्कूलों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आज भी ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनमें निर्धारित संख्या से कम छात्र हैं और जहां उनके नजदीक अन्य स्कूल चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं तथा उन्हें अन्य स्कूलों के साथ कब तक मिला दिया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कम दाखिला वाले अलाभकर स्कूलों को साथ के स्कूलों अथवा पारियों में चलने वाले स्कूलों में मिलाना या सम्बद्ध करना पर्याप्त स्थान तथा कक्षा कमरों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता पर निर्भर करता है। 175 या कम का दाखिला स्तर ही किसी स्कूल को मिलाने का मापदण्ड नहीं है। यदि किसी स्कूल में कक्षा कमरे पर्याप्त संख्या में नहीं है और कक्षा कमरे सीमित संख्या में होने के कारण सभी बच्चों को स्थान देना सम्भव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 175 या कम दाखिला वाले स्कूलों को भी चलाया जाता है।

इस वर्ष के दौरान मई, 1982 से अब तक निम्नलिखित 12 प्राथमिक स्कूलों को मिलाया गया :

(1) एम० सी० प्राथमिक (बालिका) स्कूल, दरीबा-नई-द्वितीय पारी।

(2) एम० सी० प्राथमिक (बालिका) स्कूल, अजमेरी गेट—प्रथम पारी।

(3) एम० सी० प्राथमिक स्कूल, प्रेमनगर—प्रथम पारी।

(4) एम० सी० प्राथमिक स्कूल, चौक दाल मण्डी—द्वितीय पारी।

(5) एम० सी० प्राथमिक स्कूल (बाल), रामनगर रोड।

(6) एम० सी० प्राथमिक स्कूल (बालिका); मुबारकपुर देबास।

(7) एम० सी० प्राथमिक स्कूल, महरौली विस्तार।

(8) एम० सी० प्राथमिक स्कूल (बाल), मुबारकपुर—द्वितीय पारी।

(9) एम० सी० प्राथमिक बालिका स्कूल लारेन्स रोड, सी० IV

(10) एम० सी० प्राथमिक बाल स्कूल, मोती नगर-ईस्ट-II।

(11) एम० सी० प्राथमिक बाल स्कूल, आर० के० पुरम, सैक्टर-7

(12) एम० सी० प्राथमिक स्कूल, गजमीर खां।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए ऐसे स्कूलों के नाम देने का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा प्रणाली में पुनः सुधार

2976. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में शिक्षा प्रणाली में पुनः सुधार करने में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और वे कठिनाइयां क्या हैं ; और

(ग) इन कठिनाइयों पर काबू पाने तथा शिक्षा प्रणाली में पुनः सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से संशोधन करने हेतु 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी। राज्य सरकारों ने कार्यान्वयन हेतु इस नीति को स्वीकार कर लिया। इस प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयां सामने आईं लेकिन विश्वसनीय उपायों और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा राज्य शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन जैसे मंचों के उपयोग से इन्हें कारगर ढंग से दूर कर दिया गया। इस समय, उच्च शिक्षा संस्थाओं में भारी वृद्धि, प्रति व्यक्ति शुल्क को

समाप्त करने आदि जैसे समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी कठिनाइयों को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा समवर्ती अधिकारों के अन्तर्गत कुछ विधायी उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

हिन्द महासागर से सोवियत संघ का हटाने का प्रस्ताव

2977. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि अमरीका दियागो गार्सिया में अपना सैनिक अड्डा उठा ले और उसे उसके सही हकदार को दे दे, तो सोवियत संघ ने अपने युद्धपोतों को हिन्द महासागर के विवादास्पद क्षेत्रों से हटाने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने सोवियत संघ के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के लिए सोवियत संघ अन्य क्या छूट देने को सहमत है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) जी नहीं। प्रधान-मन्त्री की सोवियत संघ की यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और सोवियत संघ दोनों ने "हिन्द महासागर में खतरनाक स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की" और "इस क्षेत्र में सभी विदेशी सैनिक और नाविक अड्डों को समाप्त करने, नये अड्डों की स्थापना को रोकने की मांग की और हिन्द महासागर में विदेशी सेना के अड्डों की स्थापना करने के किसी प्रयास की निन्दा की।" उन्होंने दियागो गार्सिया सहित क्षागोज द्वीपसमूह पर मोरीशस की प्रभुसत्ता के न्यायोचित दावे सम्बन्धी अपने समर्थन को भी दोहराया।"

सोवियत रूस ने हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा और हिन्द महासागर के सम्बन्ध में एक सम्मेलन का 1983 के पूर्वार्ध में आयोजन करने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा के निर्णय का समर्थन किया है। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री के हाल के दौरे के दौरान दिए गए भोज के समय अपने भाषण में हिन्द महासागर में जहाजरानी करने वालों से आग्रह किया कि वे ऐसा सम्मेलन न होने तक कोई ऐसा कदम न उठायें जिनसे इस क्षेत्र में स्थिति जटिल हो जाये। उन्होंने इन देशों से अपने समुद्री जहाज न भेजने, सैनिक अभ्यास न करने अथवा इसका आधुनिकीकरण न करने अथवा अपने अड्डों का विस्तार न करने का अनुरोध किया। रूस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हिन्द महासागर में अपनी सैनिक उपस्थिति सीमित करने तथा कम करने के लिये द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने हेतु सोवियत रूस की सहमति प्रकट की।

ऐसे क्षेत्र, जहां रेल सेवा उपलब्ध नहीं है

2978. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वे क्षेत्र कौन से हैं जहां आज भी रेल सेवा उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) उनमें से क्षेत्र कौन से हैं जहां रेल सेवाओं की व्यवस्था किए जाने का विचार है और कब तक ; और

(ग) क्या उन क्षेत्रों में जहां कोई रेल सेवा नहीं है, बस का किराया कम रखने के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय उन राज्यों से है जो अब तक रेल लाइनों से सम्बद्ध नहीं है।

मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, अण्डमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली के सिवाय सभी राज्य रेलों से सम्बद्ध हैं। तथापि, निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में निम्नलिखित रेल लाइनों की व्यवस्था की जा रही हैं। इनके पूरा होने की अनन्तिम तारीखें भी, जो संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, प्रत्येक के सामने दी गयी हैं :—

1. मिजोरम : मिजोरम राज्य में मीटर लाइन ले जाने के लिए 15 करोड़ रुपये की लागत से लाल-बाजार भैरवी मीटर लाइन रेल सम्पर्क (49 कि० मी०) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस लाइन के 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है ;

2. मणिपुर : 26.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सिल्चर-जिरीबाम मीटर लाइन रेल सम्पर्क (49 कि० मी०) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है।

3. नागालैण्ड : 6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अंगुरी-तुली मीटर लाइन रेल सम्पर्क (17.07 कि० मी०) निर्माण कार्य प्रगति पर है और 1985 तक पूरा होने की आशा है।

4. अरुणाचल प्रदेश : 10.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बलीपाड़ा-भालुकपोंग मीटर लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के दिसम्बर, 1984 तक पूरा होने की आशा है।

5. मेघालय : 8.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुवाहाटी-बरनीहाट बड़ी लाइन रेल सम्पर्क (24.82 कि० मी०) के निर्माण कार्य का अनुमोदन किया गया है। तथापि, राज्य सरकार अभी तक इस लाइन के बरनीहाट तक के निर्माण के लिए सहमत नहीं हुई है और उन्होंने इसे असम-मेघालय सीमा पर बरदुआ स्थान पर समाप्त करने का सुझाव दिया है। गृह मन्त्रालय, उत्तर पूर्वी परिषद् और अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों के परामर्श से इस सुझाव की जांच की जा रही है। इस लाइन के पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि, लाइन को बरनीहाट या बरदुआ पर समाप्त करने का विनिश्चय किए जाने के पश्चात् ही निर्धारित की जायेगी।

(ग) यह रेल मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

सफाई की खराब स्थिति के कारण टायफाइड, हिपेटाइटिस, पेचिस और गैस्ट्रो इन्टेराइटिस रोगों का बढ़ना

2979. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली तथा दिल्ली में सफाई की स्थिति सबसे अधिक खराब होने के कारण टायफायड, हिपेटाइटिस, पेचिस और गैस्ट्रो इन्टेराइटिस रोगों में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार के पास सफाई की स्थिति को सुधार कर इन रोगों की बढ़ोतरी रोकने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) स्वास्थ्य रक्षा और सफाई के अपेक्षित स्तर को बनाए रखना केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन और स्थानीय प्राधिकारियों का सतत दायित्व है।

लिंक एक्सप्रेस का देर से चलना

2980. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर वाल्टेयर लिंक एक्सप्रेस बराबर देर से चल रही है ;

(ख) गाड़ी को समय पर चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस मार्ग पर जंजीर बहुत खींची जाती है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 17 अप रायपुर-वाल्तेरु लिंक एक्सप्रेस का समयपालन पिछले कुछ समय से संतोषजनक नहीं रहा है, जिसका मुख्य कारण है इसकी सम्पर्क गाड़ी, अर्थात् 138 डाउन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का विलम्ब से पहुंचना और विजयनगरम् और रायपुर मार्ग के कुछ खण्डों पर खतरे की जंजीर के अधिक खींचे जाने की घटनाएं ।

इस गाड़ी का समय से चलना सुनिश्चित करने के लिए इस बुराई के विरुद्ध पुलिस की सहायता से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

रेलवे वर्कशाप जमालपुर में सिन्क्रोन्स जैकों की निर्माण परियोजना

2981. **श्री डी० पी० यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशाप, जमालपुर में बिजली से चलने वाले सिन्क्रोन्स जैकों के निर्माण की कोई परियोजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की रूपरेखा क्या है और इसकी भावी विकास योजना क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । जमालपुर कारखाना बिजली से चलने वाले साइन्क्रोन्स जैकों, जोकि वाइटिंग जैकों के रूप में जाने जाते हैं, का निर्माण कर रहा है ।

(ख) पहले यह उत्पादन चार जैक प्रतिमाह था, जो बढ़कर अब अप्रैल, 1982 से छः जैक प्रतिमाह हो गया है । भविष्य में भी उत्पादन का यही स्तर बनाये रखा जायेगा ।

जैन तीर्थ यात्रियों के लिए आरक्षण

2982. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा रतलाम रेल लाइन के चौमहला रेलवे स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस में कितने टिकटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है ;

(ख) क्या उनेल गांव देखने के लिए जैन तीर्थयात्रियों को तीन टिकटों की आरक्षण सुविधा दिये जाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा अन्य स्थानों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रबन्ध कब तक किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन सवारी गाड़ियों में से किसी में भी चौमहला स्टेशन को आरक्षित स्थान का कोई कोटा आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन० सी० ई० आर० टी० में कर्मचारियों की नियुक्ति

2983. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1982 से एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पद के नाम क्या हैं ; कितने पद हैं, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और कितने व्यक्तियों को चयन सूची में रखा गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के मुख्यालय से सम्बन्धित सूचना संलग्न है। चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाए व्यक्तियों की संख्या	चयन सूची में रखे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	हिन्दी में रीडर	1	33	24	1
2.	तमिल में लेक्चरर	1	19	7	1

1	2	3	4	5	6
3.	बंगाली में लेक्चरर	1	11	7	2
4.	रसायन शास्त्र में लेक्चरर	3	284	72	10
5.	बनस्पति शास्त्र में लेक्चरर	1	130	37	1
6.	जीव-विज्ञान में रीडर	1	33	16	1
7.	गणित में रीडर	1	54	27	3
8.	गणित में लेक्चरर	5	193	73	12
9.	शिक्षा में रीडर तथा गैर-औपचारिक शिक्षा तथा ई० आर० आई० सी० में रीडर	6	387	162	15

बिहार में रेलवे का विकास

2984. **श्री कुवर राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रेलवे के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनायें हैं ; और

(ख) उसका योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

परियोजना का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	अनुमानित लागत (आंकड़े करोड़ रुपयों में)
1	2	3
नयी लाइन		
1. तलगड़िया-तपकाडीह	33	7.70
2. सकरी-हसनपुर	75	10.89

1	2	3
3. चितौनी-बगाह	28.41	61.00
आमान परिवर्तन		
1. बरौनी-कटिहार	182	34.00
2. समस्तीपुर-दरभंगा	38	12.00
3. कटिहार-बरसोई-सिलीगुड़ी जंक्शन न्यू जलपाईगुड़ी	209	42.70
दोहरी लाइन बिछाना		
1. किउल-जमालपुर	51	6.80
सर्वेक्षण		
1. मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	60	सर्वेक्षण प्रगति पर है।
2. दरभंगा-जयनगर	68	,,
3. आरा-सासाराम	135	,,
4. डेहरी-आन-सोन-पिपराडीह	63	,,
5. बड़वाडीह-करोंजी	154	,,
6. रांची-लोहारडगा-टोरी	69	,,
7. रांची-गिरडीह, हजारी बाग कोडरमा के रास्ते	252	,,
8. दुमका-वैधनाथधाम	63	,,
9. सांगुलि-वाल्मीकी नगर	110.13	21.00 सर्वेक्षण, रिपोर्ट की जानकारी की जा रही है।
10. मुजफ्फरपुर से रक्सौल, संगौली के रास्ते	129	19.00 ,,
11. हाजीपुर में बछवाड़ा तक समानान्तर बड़ी लाइन	71.45	18.19 ,,

आई० एन० ए० को सुपर बाजार के निकट नयी दिल्ली नगर पालिका का कूड़ा-करकट स्थल

2985. श्री हरीश कुमार गंगवार : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एन० ए० के सुपर बाजार नई दिल्ली के निकट एक खुले गन्दे नाले पर नयी दिल्ली नगर पालिका का एक कूड़ा करकट स्थल है जिससे उठने वाली दुर्गन्ध और सडांध के कारण किदवई नगर के सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले निवासियों का रहना कठिन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि आई० एन० ए० सुपर बाजार के सामने गन्दे नाले के पास एक कूड़ाघर है जो कि किदवई नगर के क्वार्टरों के नजदीक है। इस कूड़ेघर में मांस, मछली, सब्जी तथा जल मार्किट का कूड़ा-कचरा एकत्र किया जाता है और इस कूड़े को नियमित रूप से वहां से हटाया जाता है।

ह्वेन सांग स्मारक

2986. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा बिहार में ह्वेन सांग स्मारक पूरा हो गया है और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे राज्य सरकार को किस तारीख को सौंपा गया है और इसके निर्माण में कितना समय लगा तथा इसकी मूल रूप से अनुमानित लागत कितनी थी और अन्तिम रूप से कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ग) इस स्मारक को किस उपयोग में लाया गया है ; और

(घ) यदि राज्य सरकार को अभी नहीं सौंपा गया है तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्मारक का निर्माण कार्य जनवरी, 1961 में प्रारम्भ हुआ। स्मारक, जब यह पूरा हो जायेगा, बिहार सरकार को सौंप दिया जायगा। प्रारम्भ में 13.97 लाख रु० के अनुमानित व्यय की परिकल्पना की गई थी तथा कुल अन्तिम व्यय, जिसका अनुमोदन कर दिया गया है, 35.55 लाख रुपये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्मारक भवन के निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण स्मारक की ऊपरी छत के लिए जापान से विशेष प्रकार की खपरेलों का आयात तथा कुछ अन्य छुट-पुट कार्य हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आशा है कि निर्माण कार्य दिसम्बर, 1983 तक पूरा हो जायगा।

गुजरात विद्यापीठ

2987. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद पर, जिसे केन्द्रीय सरकार का शतप्रतिशत अनुदान मिलता है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि लागू करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) हाल ही के एक पत्र में संसद के कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि गुजरात विद्यापीठ का प्रबन्ध जो एक समझा जाने वाला विश्वविद्यालय है, एक प्राइवेट स्वामित्व की पद्धति पर है तथा यदि यह जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय आदि जैसी अन्य संस्थाओं की पद्धति पर एक सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य करता है तो यह उपयुक्त होगा। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि सरकार उनके सुझाव पर विचार करेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अपने-अपने अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। तथापि, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं किसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रही हैं। इनमें से अधिकांश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियां हैं। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद बम्बई पब्लिक न्यास अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

गुजरात विद्यापीठ के विधान को संशोधित करने के प्रश्न पर 1963 में तब विचार किया

गया था जब इसको विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित किया गया था। विद्यापीठ कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थी। क्योंकि विद्यापीठ एक पंजीकृत न्यास है. अतः इसके विधान तथा नियमों में कोई भी संशोधन तब ही किया जा सकता है जब न्यास का सामान्य शासी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाए।

दक्षिण पूर्व रेलवे में वैगन लदान की स्थिति

2988. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे में वैगन लदान की स्थिति बड़ी खराब रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) । (क) से (ग) केवल अगस्त, 1982 के महीने के दौरान रेल यातायात के प्रमुख उपयोगी कर्त्ताओं से कम यातायात उपलब्ध होने के कारण कुछ गिरावट आयी है जिसका प्रभाव समग्र रेल प्रणाली और साथ ही दक्षिण पूर्व रेलवे के लदान पर पड़ा है। लदान दक्षिण पूर्व रेलवे पर अगस्त के महीने में 9600 से 9900 के स्तर से घटकर 9100 मालडिब्बे रह गया। तथापि, यातायात सितम्बर में बढ़कर लगभग 9300 माल डिब्बे हो गया है और अक्तूबर के महीने में 10 तारीख तक 9600 माल डिब्बे तक पहुंच गया है। प्रमुख ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क कायम रखा जा रहा है और अब रुख बदल गया है।

भारत में "ओपन हार्ट सर्जरी" करने वाले संस्थान

2989. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन संस्थाओं के नाम क्या हैं, राज्यवार, जिनमें "ओपन हार्ट सर्जरी" की जाती है और प्रत्येक संस्था में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं ;

(ख) साधारण समय में की जाने वाले हृदय शल्य चिकित्सा की तुलना में एक रोगी को हृदय रोगी विभाग में पहली बार आने में औसतन कितना समय लगता है ; और

(ग) इस समय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हृदय रोग का आपरेशन किए जाने वाले रोगियों का तीन चार मास के भीतर आपरेशन हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में ओपन हार्ट सर्जरी निम्नलिखित संस्थाओं में की जा रही है।

केरल

1. समारीतन अस्पताल, अलवेज।
2. श्री चित्र तिरुमल अनुसंधान केन्द्र, त्रिवेन्द्रम।

मध्य प्रदेश

1. कस्तूरबा अस्पताल, भोपाल।

महाराष्ट्र

1. जे० जे० ग्रुप अस्पताल, बम्बई
2. के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई
3. बम्बई अस्पताल, बम्बई
4. जसलोक अस्पताल, बम्बई
5. डा० बालाभाई नानावती अस्पताल, बम्बई।
6. एम० एम० वाडिया हृदय रोग विज्ञान संस्थान पुणे।
7. सशस्त्र सेना मैडिकल कालेज, पुणे (40 पलग)

तमिलनाडु

1. दक्षिण रेलवे मुख्यालय अस्पताल पेगम्बूर, मद्रास।
2. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मद्रास।
3. क्रिश्चियन मैडिकल कालेज अस्पताल, वेलोट (50 पलंग)।

उत्तर प्रदेश

1. जी० एस० बी० एम० मैडिकल कालेज, कानपुर (30-35 पलंग)

पश्चिमी बंगाल

1. एस० एस० के० एम० अस्पताल, कलकत्ता

दिल्ली

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (35 पलंग)

2. जी० बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली (44 पलंग)

चंडीगढ़

1. स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ ।

(ख) विभिन्न संगत कारणों के आधार पर यह स्थिति समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है ।

(ग) स्वास्थ राज्य का विषय है । वैसे, सीमित संसाधनों के अन्दर विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से गाजीपुर जिले में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों का खोला जाना

2990. श्री जैनुल बशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितने प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) उन्हें किन स्थानों पर खोलने का विचार है ; और

(ग) उन पर कार्य कब आरम्भ किया जाएगा और वे कब तक पूरे हो जाएंगें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की स्थापना के लिए कोई सहायता नहीं देता है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को दिन भर तथा रात में काम करने के लिए मार्ग दर्शन

2991. जैनुल बशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को सुबह और शाम की

पारियों के अलावा दिन भर काम करने तथा रात में भी काम करने के लिए क्या मार्ग दर्शन निर्धारित किये गये हैं, यदि कोई हैं ;

(ख) राजधानी में कुछ औषधालयों द्वारा पूरे दिन काम करने के परिणामस्वरूप क्या अनुबन्ध प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या उपरोक्त प्रयोग के परिणामस्वरूप यह सुविधा अन्य औषधालयों में भी बढ़ाई जायेगी और इनका चयन किस प्रकार किया जायेगा ; और

(घ) क्या ऐसे औषधालय की एक विशेषता यह भी है कि इसमें चिकित्सा अधिकारी और पैरा मैडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय स्थान होना चाहिए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ औषधालय पूरे दिन कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा रात्रि में वहां आपाती सेवाओं की व्यवस्था भी है। ये प्रबन्ध प्रयोगिक आधार पर किए गए हैं और इनकी सराहना की गई है। अत्यधिक कार्य-भार वाले 15 औषधालयों में 12 घण्टे कार्य करने की व्यवस्था करने का विचार है।

सरकारी उपक्रमों में खपाए गए रेलवे अधिकारियों को विशेष पास

2992. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मन्त्री सरकारी उपक्रमों में खपाये गये रेलवे अधिकारियों को विशेष पास के बारे में 15 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उसे सभा-पटल पर रखेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसमें कितना समय और लगेगा ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गयी है और सभा-पटल पर रखे जाने के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गयी है। बहरहाल, संलग्न विवरण में सूचना दी गयी है।

विवरण I

क्र० सं०	लेखा अधिकारियों के नाम	रेलवे पर नियुक्ति की तारीख	प्रतिनियुक्ति पर जाने की तारीख	सरकारी उपक्रम में स्थायी रूप से समाहित होने की तारीख	कुल रेलवे सेवा
1.	श्री के० के० चटर्जी	6-2-58	27-12-80	31-10-81	23 वर्ष 8 महीने 26 दिन
2.	श्री बी० के० राय	25-10-44	18-4-78	1-8-80	35 वर्ष 8 महीने 7 दिन
3.	श्री एच० कृष्णामूर्ति	1-10-59	29-4-78	29-8-81	21 वर्ष 7 महीने 28 दिन
4.	श्री सुब्रह्मनियम	15-6-43	—	9-3-78	34 वर्ष 8 महीने 22 दिन
5.	श्री आर० एन० पात्रा	5-9-44	1-8-77	1-11-77	33 वर्ष 1 महीना 27 दिन
6.	श्री पी० एस० बामी	24-1-57	—	24-1-80	23 वर्ष
7.	श्री डी० बी० तेलंग	22-10-58	—	1-1-79	20 वर्ष 2 महीने
8.	श्री वी० जी० पणिकर	13-1-49	—	25-5-81	32 वर्ष

आगरा के निकट दक्षिण एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

2993. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा में 21 डाउन दक्षिण एक्सप्रेस की गम्भीर दुर्घटना के मामले में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(घ) जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 27-1-82 को आगरा छावनी में 21 डाउन दक्षिण एक्सप्रेस की दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, बम्बई द्वारा की गयी है जो नागर विमानन मन्त्रालय के अधीन कार्य कर रहे एक स्वतन्त्र सांविधिक प्राधिकारी हैं। जांच अधिकारी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है और उसकी अनन्तिम जांच के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी। बहरहाल सभी पहलुओं तथा ब्यौरे से पूर्ण उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

नवम्बर को परिवार कल्याण के रूप में मनाया जाना

2994. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1982 मास को परिवार कल्याण मास के रूप में मनाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों को प्रेरणात्मक सम्बन्धी प्रयत्नों को तेज करने और सेवाओं में वृद्धि करने के लिए गाइड किया जाता है। सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का भी सहयोग मांगा जाता है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रचार यूनिटों को सभी प्रकार की सहायता देने के निर्देश दिये जाते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के सभी पहलुओं का प्रचार करने तथा परिवार

नियोजन तरीकों की जानकारी और उन्हें अपनाए जाने के बीच के अन्तर को कम करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेज करने के लिए ऐसे अभियान चलाये जाते हैं। लाभार्थियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

सुपरफास्ट गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

2995. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी कुछ सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का विचार है जिनकी रफ्तार कुछ समय पहले घटा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन गाड़ियों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने तथा लम्बी दूरी वाली गाड़ियों के चलने के समय को कटाने के लिए कोई सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ग्यारह जोड़ी गाड़ियों में से, जिनकी निर्धारित गति मई, 1982 की समय सारणी में 100 कि० मी० प्रति घण्टे से घटाकर 90 कि० मी० प्रति घण्टे कर दी गयी थी, पांच जोड़ी गाड़ियों यानी 175/176 नीलाचल एक्सप्रेस, 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस, 141/142 कोरोमंडल एक्सप्रेस, 59/60 गीतांजलि एक्सप्रेस और 1/2 हावड़ा-दिल्ली कालका मेल की निर्धारित गति 90 कि० मी० प्रति घण्टे से बढ़ाकर 95 कि० मी० प्रति घण्टे कर दी गयी है।

(ग) से (ङ) प्रत्येक छः महीने के बाद समय-सारणी में संशोधन करते समय स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है और यातायात के स्वरूप तथा यात्री जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए जहां कहीं व्यावहारिक होता है, चालन समय को कम करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

देश में बहरे व्यक्तियों की संख्या तथा बहरेपन के कारणों के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण

2996. **श्री रामविलास पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बहरे व्यक्तियों की कुल संख्या तथा बहरेपन के कारणों के बारे में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो कब ;

(ख) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा ; और

(ग) विश्व में बहरे व्यक्तियों की कुल सख्या क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभाग ने 1981-82 में बहरे व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कराया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि विश्व के कुछ क्षेत्रों में ठीक प्रकार से जांच-पड़ताल नहीं हुई है इसीलिए विश्व में बहरे लोगों का सही अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

क्षय रोगी तथा क्षय रोग की दवाओं की कीमतों में वृद्धि

2997. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोगियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इस रोग के कारण क्या हैं ;

(ग) विश्व में क्षय रोगियों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि क्षय रोग की दवाओं की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है और यदि हां, तो कीमतों में कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार ने क्षय रोग की व्याप्तता के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर हाल में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया गया था और यदि नहीं, तो यह कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अनुमान है कि एक करोड़ व्यक्ति एक्सरे के हिसाब से फेफड़ों के सक्रिय क्षय रोग से पीड़ित हैं जिनमें से लगभग 25 लाख रोगी संक्रामक हैं ।

(ख) क्षय रोग का मूल कारण ट्यूबरकल बैसिली का संक्रमण है ।

(ग) विश्व भर में क्षय रोगियों की संख्या कितनी है इसके बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) 3 अगस्त, 1982 से स्ट्रेप्टोमाइसिन के थोक मूल्य को बढ़ाकर 660.75 रुपये प्रति

किलो ग्राम के स्थान पर 847.42 रुपये प्रति किलो ग्राम कर दिया गया है और तदनुसार इसके योगों के मूल्य भी संशोधित कर दिये गये हैं।

सरकार ने हाल ही में स्वदेशी बल्कइग इथेन्यूटाल हाइड्रोक्लोराइड का मूल्य 620 रुपये प्रति किलो ग्राम से बढ़ाकर 837 रुपये प्रति किलो ग्राम करने की अनुमति दे दी है जो 1981-82 के दौरान आयातित इथेम्बटाल हाइड्रोक्लोराइड की स्वदेश पहुंचने पर जो कीमत पड़ती है अर्थात् 912.80 रुपये प्रति कि० ग्रा० से कम है। इथेम्ब्टांल-हाइड्रोक्लोराइड पर आधारित योगों के मूल्यों का संशोधन अभी किया जाना है।

(ङ) क्षय रोग के रोगियों का पता लगाने के लिए सभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पिछला राष्ट्रीय नमूना क्षय-रोग सर्वेक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1955-58 के दौरान किया गया था। इस समय देश में एक नया राष्ट्रीय क्षय रोग सर्वेक्षण कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

हृदय रोग के कारण होने वाली मौतें तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे और अधिक संस्थानों का खोला जाना

2998. **श्री राम विलास पासवान :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हृदय रोगियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष हृदय के दौरे से मरने वालों की औसत संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार हृदय रोगों के उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे और अधिक संस्थान खोलने का है और यदि हां तो कहां पर और कब तक ; और

(घ) क्या हृदय रोगों के बारे में सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां तो कब और यदि नहीं तो कब तक किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ख) हृदय रोगों की सूचना देना जरूरी नहीं है, इसलिए देश में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सीमित वित्तीय साधनों में ही हृदय रोगों के इलाज की सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास लगातार किए जाते हैं।

(घ) हृदय रोगों के बारे में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने युवा लोगों में खताधात और इशमिक हृदय रोग के सम्बन्ध में वेल्लूर, हैदराबाद और बम्बई में एक सहयोगात्मक अध्ययन किया गया है ताकि इनके साथ जुड़े हुए महामारी विज्ञान सम्बन्धी पहलुओं का पता चल सके।

जठर रोगों के कारण प्रति वर्ष मरने वालों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सर्वेक्षण

2999. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जठर रोगियों की संख्या रोग के कारणों तथा इस कारण मरने वालों की संख्या के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण किये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं ।

(ख) राष्ट्रीय अतिसार रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अतिसार जैसे रोगों से होने वाली रुग्णता दर और मृत्यु दर का पता लगाने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में तदर्थ अध्ययन करने का प्रस्ताव है ;

विकलांगों के लिए रियायती दरों पर/नि:शुल्क रेल यात्रा

3000. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मन्त्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को रियायती दरों पर अथवा नि:शुल्क रेल यात्रा करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी अल्पवयस्क विकलांग व्यक्ति को नि:शुल्क यात्रा करने की अनुमति है ;

(घ) क्या सरकार ने उन विकलांग व्यक्तियों को कोई रियायत दी हैं जो चिकित्सा या चिकित्सा परामर्श के लिए वर्ष में दो या तीन बार कुछ अन्य नगरों की यात्रा करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी थी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) भारतीय रेलें नेत्रहीन व्यक्तियों, कैंसर क्षय रोग पीड़ितों और बिना छूतछात वाले कोढ़ पीड़ितों को पहले और दूसरे दर्जे के किराये में 75 प्रतिशत की रियायत की सुविधा देती हैं बशर्ते कि वे कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। विकलांग व्यक्तियों को, जो मार्गरक्षी के बिना यात्रा नहीं कर सकते, भी यह रियायत दी जाती है। यह रियायत किसी भी संख्या में यात्रा के लिए उपलब्ध है और इसका लाभ अल्पव्यस्क विकलांग भी उठा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों द्वारा की गयी यात्राओं के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए निधियां ।

3001. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए 77.02 लाख रु० की राशि रिलीज की जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या राशियां रिलीज कर दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं होता । कोई 1982-83 की योजना वाले निर्माण कार्यों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार संबंधी निर्माण कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश को 760 लाख रुपये आबंटित किये गए हैं ।

"क" और "ख" राज्यों को अंग्रेजी तथा हिन्दी में पत्र भेजा जाना

3002. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय/विभाग द्वारा वर्ष 1982 के पहले 6 महीनों में जोन "क" और "ख" में प्रत्येक राज्य सरकार को कितने मूल पत्र भेजे गए और उनमें से अंग्रेजी तथा हिन्दी के पत्रों की अलग अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम 1963 में यह उपबन्ध है कि ऐसे राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाएं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसे राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजे जायें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) "क" और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों को 1982 के पहले छ : महीनों में भेजे गए मूल पत्रों के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि इन राज्यों को, जिनमें "क" और "ख" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालय आदि भी शामिल हैं, 1982 के पहले छः महीनों में कुल 20, 80 पत्र भेजे गए जिनमें 7898 हिन्दी में तथा 12,482 अंग्रेजी में थे ।

(ख) ऐसा उपबन्ध राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत बनी राजभाषा नियमावली, 1976 में है ।

(ग) हिन्दी पत्रों का उत्तर निश्चित रूप से हिन्दी में दिया जाता है। मंत्रालय से भेजे जाने वाले अधिकांश मूल पत्र भी हिन्दी में भेजे जाते हैं। फिर भी, चूंकि स्वयं ये राज्य अनेक बार अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मंत्रालय भी अंग्रेजी में उत्तर भेज देता है।

(घ) "क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में ही भेजे जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच-बिन्दु निर्धारित कर दिए गए हैं।

क्षेत्र क और ख की राज्य सरकारों को मूलरूप से हिन्दी में पत्र भेजना

3003. **श्री रामावतार शास्त्री : तथा नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में प्रथम छमाही के दौरान मंत्रालय द्वारा क और ख क्षेत्र की प्रत्येक राज्य सरकार को मूल रूप से जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से हिन्दी और अंग्रेजी के पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य भाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार ऐसे राज्यों को ऐसी सभी पत्रों को मूल्य रूप से हिन्दी में भेजने का उपबन्ध है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों को मूल रूप से अंग्रेजी में पत्र भेजने के कारण क्या हैं; और

(घ) ऐसे राज्यों को भविष्य में मूल रूप से हिन्दी में पत्र भेजने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जोन क और ख के प्रत्येक राज्य सरकार को मूलत: हिन्दी में जाने वाले पत्रों के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) राजभाषा अधिनियम, 1963 में ऐसे राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों को ऐसे पत्र हिन्दी में भेजने की व्यवस्था राजभाषा (संघ सरकार के काम काज में प्रयोग) नियम, 1976 में है।

उक्त नियम के प्रावधानों के अनुपालन का प्रयास किया जा रहा है और इस बारे में प्रगति की समीक्षा नियत अवधि के पश्चात् राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में की जाती है। चेक प्वाइंट भी स्थापित किए गए हैं।

छितौनी बागहा रेल पुल

3004. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) उत्तर पूर्व रेलवे में छितौनी बागहा रेल पुल की क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा किस तारीख को तथा किस वर्ष में रखी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि इस पुल के निर्माण के लिए इसके चारों ओर जमा किए गए सामान को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीयी कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) : 9·1 प्रतिशत।

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा 22.10.73 को इस पुल की नींव रखी गयी थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस योजना को छोड़ने का, कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्तावित पुल के बचाव कार्यों के निर्माण के लिए सिंचाई मंत्रालय द्वारा अपेक्षित धन की व्यवस्था कर दी गई है। इसी बीच; इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित तकनीकी समिति ने प्रस्तावित पुल की तकनीकी अपेक्षाओं के सम्बन्ध में सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे में किये गये नमूना अध्ययनों के आधार पर हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसकी जाँच की जा रही है। तकनीकी समिति की सिफारिशों को दृष्टिगति रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इस परियोजना के लिए अनुमान का संशोधन भी किया जा रहा है। इस कार्य को पूरी गति से प्रारम्भ करने से पूर्व, संशोधित अनुमानों के अनुसार अपेक्षित धन की व्यवस्था का मामला उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों तथा सिंचाई मंत्रालय के साथ निपटाया जाना होगा।

मध्य तथा पश्चिम रेलवे के पास ई० एम० यू० डिब्बे (रैक)

3005. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य तथा पश्चिम रेलवे के पास 1 सितम्बर, 1982 के दिन कितने ई० एम० यू० डिब्बे थे;

(ख) प्रत्येक रेलवे के पास ऐसे कितने डिब्बे हैं जिनको बदला जाना है;

(ग) इन रेलों को बम्बई उपनगरीय रेल सेवा के लिए इस वित्तीय वर्ष में अब तक कितने नए डिब्बे सप्लाई किए गए तथा 31 मार्च, 1983 तक कितने डिब्बे दिये जायेंगे; और

(घ) इनमें से प्रत्येक रेलवे ने बम्बई उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए कितने डिब्बों के क्रयादेश दिये हैं और उनकी डिलीवरी की अनुसूची क्या है ?

रेल मंत्रालय में संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) मध्य रेलवे : 68 रैक
पश्चिम रेलवे : 60 रैक

(ख) मध्य रेलवे : 13 रैक
पश्चिम रेलवे : 3 रैक

(ग) मध्य रेलवे : 3 पूरे रैक
पश्चिम रेलवे : कुछ नहीं

मैसर्स जेसप्स; कलकत्ता द्वारा दिये गये वचन के अनुसार 10 रैकों की सप्लाई (पहले से सप्लाई किए गए 3 रैकों सहित) किये जाने की संभावना है।

(घ) (i) बदलाव तथा परिवर्धन दोनों लेखों में रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये क्रयादेश के अनुसार रैकों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे : 29 रैक

पश्चिम रेलवे : 10 रैक

(ii) अभी तक का सुपुर्दगी अनुसूची का कार्यक्रम इस प्रकार है :

वर्ष	मध्य रेलवे	पश्चिम रेलवे
1982-83	10 रैक	—
1983-84	8 रैक	2 रैक
1984-85	1 रैक	3 रैक

बकाया रैकों के लिये कार्यक्रम बाद में निश्चित किया जायेगा।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण ऋण

3006. श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह दिल्ली परिवहन निगम में भी कर्मचारियों को ऋण देने की योजना कब लागू की जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को मकान बनाने के एडवांस के लिए दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने एक संकल्प पास किया है। दिल्ली परिवहन निगम के बजट में जरूरी प्रावधानों के किए जाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

1982-83 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का लागू किया जाना

3007. श्री मोहन लाल पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लागू की गई है।

(ख) क्या यह योजना गुजरात में भी प्रायोजित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के लिए कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है और गुजरात में किए गए कार्य की क्या प्रगति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1982-83 के दौरान निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ आरम्भ की गई हैं :—

1. पुरुष बहूउद्देशीय कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण।

2. जन-स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे अन्य विशेषज्ञों, परा-चिकित्सकों और पैरा-प्रोफेशनलों का प्रशिक्षण।

उपर्युक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ केवल कार्मिकों को प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित है। तथापि, उनका रोजगार राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग है।

(ख) और (ग) गुजरात सहित राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे उपर्युक्त (1) और (3) में उल्लिखित योजनाओं के बारे में अपने प्रस्ताव भेज दें। गुजरात सरकार से प्रस्ताव मिलने पर आवश्यक वित्तीय आबंटन किया जाएगा। जहां तक जन-स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रश्न है उन्हें केन्द्रीय प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। राज्यों द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजे गए सभी उम्मीदवारों पर होने वाला खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे वहन किया जाएगा।

जोनल रोड के चौराहे पर बिलंकर रोशनियों की व्यवस्था करना

3008. श्री जैनुल बशर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री जोनल रोड पर यातायात की अधिकता के सर्वेक्षण के बारे में 8 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में आम रास्ते पर यातायात की अधिक सघनता का निर्धारण करने के लिए कितनी पैसेन्जर कारों का सिद्धांत नियत किया गया है;

(ख) क्या उनको पता है कि भावी एशियाड खेलों के संबंध में पालम हवाई अड्डे से

गुजरने वाले अत्यधिक यातायात को ध्यान में रखते हुए मुख्य सड़क (राव तुलाराम मार्ग) पर यातायात की संघनता में पर्याप्त वृद्धि होगी;

(ग) क्या इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस चौराहे पर बिलंकर रोशनियां लगाने की आवश्यकता पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) शहरी क्षेत्र में सड़कों पर भीड़ भाड़, सड़क की चौड़ाई, चौराहों के छोटे बड़े होने और यातायात के विभिन्न साधनों की संख्या पर निर्भर करती है। राव तुलाराम मार्ग 4 लेन के कैरेजवे का है। इस पर अधिकतम यातायात के समय प्रति घंटा लगभग 3000 गाड़ियां आ जा सकती हैं। यह क्षमता मौजूदा यातायात और एशियाड के दौरान होने वाले अधिक यातायात के लिए पर्याप्त है। दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि उनके द्वारा जेवरा क्रासिंग की व्यवस्था की गई है और वे लोग चेतावनी संकेत भी लगा रहे हैं। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने सड़कों पर बिलंकर लाइट लगाने के बाबत अभी विचार नहीं किया है।

विमान अपहरण कर्त्ताओं को लौटाया जाना

3009. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष यादव } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स के बोइंग विमान को 1981 में लाहौर में उतरने के लिए मजबूर करने वाले पांच सिख विमान अपहरण कर्त्ताओं को वापस लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) पाकिस्तान सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह मामला हाल ही में पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) 30 सितम्बर, 1981 से सरकार विभिन्न अवसरों पर मौखिक और लिखित रूप में पाकिस्तान सरकार से गिरफ्तार विमान-अपहरण कर्त्ताओं को वापिस करने के लिए कहती आ रही है।

(ख) राष्ट्रपति जिया ने आश्वासन दिया है कि पूछताछ पूरी हो जाने के बाद विमान-अपहरणकर्त्ता भारत को लौटा दिए जायेंगे। लेकिन यह आश्वासन अभी पूरा होना है।

(ग) और (घ) अगस्त, 1982 में विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस मामले को पुनः उठाया गया था। सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को बराबर उठा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

3010. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अधिक लाभ देने का निर्णय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई राशि का ब्योरा क्या है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को छात्रवृत्तियों का लाभ मिलेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को दिए गए और अधिक लाभ दर्शाए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5554/82]

रेलवे सुरक्षा बल के कम्पनी कमान्डर की पदोन्नति तथा स्थानान्तरण

3011. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त सुरक्षा निदेशक, रेलवे बोर्ड को पत्र क्रमांक 78-सं० (ई)/130/5 दिनांक 5 फरवरी, 1979 द्वारा सूचित किया गया था कि रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर रेलवे कादर के कम्पनी कमाण्डर की रेलवे सुरक्षा विशेष बल में पदोन्नति नहीं की जा सकती ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे के कुछ कर्मियों का रेलवे सुरक्षा विशेष बल में सहायक कमाण्डरों के रूप में स्थानान्तरण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि 5 फरवरी, 1979 के आदेशों का पालन नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों का 1979 में पदोन्नति पर रेलवे सुरक्षा विशेष बल में स्थानान्तरण नहीं किया गया, जब वे कर्मचारी रेलवे विशेष बल में आने के इच्छुक थे ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 5-2-79 को उत्तर रेलवे की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी कि उत्तर रेलवे संवर्ग के विशिष्ट अधिकारी को केवल उसी रेलवे पर पदोन्नत किया जा सकता है। निरीक्षक को रेलवे सुरक्षा विशेष बल में, जिसका अपना निजी संवर्ग और पैनल है, पदोन्नति नहीं किया जा सका।

(ख) जी हाँ। सहायक सुरक्षा अधिकारियों/सहायक कमाण्डेण्टों को सरकारी हित में रेलवे सुरक्षा विशेष बल में तथा विलोमत: स्थानान्तरित किया गया है।

(ग) उपर्युक्त संदर्भित 5-2-79 का स्पष्टीकरण निरीक्षकों पर लागू होता है। एक बार एक निरीक्षक को अपनी रेलवे में सहायक सुरक्षा अधिकारी/सहायक कमाडेण्ट के रूप में पदोन्नति किए जाने पर उसे एक रेलवे से दूसरी रेलवे में अथवा रेलवे सुरक्षा विशेष बल से क्षेत्रीय रेलों पर तथा विलोमत: स्थानान्तरित करने का आदेश सरकारी हित में दिया जा सकता है।

शिकोहाबाद (उत्तर रेलवे) में रेलवे सामान की चोरी

3012. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व शिकोहाबाद सिविल पुलिस ने शिकोहाबाद (उत्तर रेलवे) से चुराया गया सामान भारी मात्रा में बरामद किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि शिकोहाबाद में केन्द्रीय आरक्षी बल और रेलवे पुलिस बल की सांठ-गांठ से चोरी की गई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे पुलिस बल द्वारा इसे क्यों नहीं रोका जा सका और चोरी के मामलों का पता लगाने में इसकी असफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की बात भी सामने आयी है और एक डायरी मिली है जिसमें चोरी से सम्बद्ध अधिकारियों के बीच धन के बंटवारे का ब्यौरा है ; और

(ङ) तत्काल की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जुलाई 1982 में में सिविल पुलिस शिकोहाबाद ने कुछ कच्चा लोहा, जी० आई० पाइप और डीजल तेल से भरे ड्रम, जिन्हें रेलवे से चुराए होने का सन्देह था, तथा एक देशी पिस्तौल बरामद किया था।

(ख) और (ग) पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की जांच पड़ताल पूरी होने पर राजकीय रेलवे पुलिस/ रेल सुरक्षा बल की सांठ-गांठ, यदि कोई हुई, का निर्धारण किया जा सकेगा ।

(घ) और (ङ) जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने 2 नोट-बुक बरामद की थीं, जिनमें रुपये पैसों के लेन-देन के सम्बन्ध में कुछ प्रविष्टियां की गयी थीं । इन इन्दराजों से, ऐसा लगता है कि कुछ सरकारी कर्मचारी, जिनके रैंकों का उल्लेख किया गया था, ऐसे लेन-देन में सम्मिलित थे । सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से इन मामलों की गहराई से जांच करने और इन लेन-देनों में सम्मिलित अधिकारियों का पता लगाने का अनुरोध किया गया है । पुलिस की जांच पड़ताल के परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । इसी दौरान शिकोहाबाद में तैनात रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों और आफिसर कमांडिंग रे० सु० ब० इटावा जिनके अधिकार क्षेत्र में शिकोहाबाद आता है, को पहले ही स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

अमेरिकन दूतावास पाठशाला द्वारा नियोजित अमेरिकन नागरिकों से भारतीय आयकर की कटौती करना

3013. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अमेरिका के दूतावास तथा अमेरिकन दूतावास पाठशाला को उनके मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व जानकारी के बिना यहां रहने वाले अमेरिकन नागरिकों को नियोजित करने की अनुमति है ; और

(ख) क्या किसी विशेष दूतावास और राजनयिक परिसरों में स्थित इसी प्रकार के किसी संगठन द्वारा ऐसे व्यक्तियों से, जिनको 200 रु० प्रतिदिन और अधिक दर पर उनकी अदायगी की जा रही है, भारतीय आयकर को कटौती की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) एक समझौते के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका का राजदूतावास, अपने मामले में अमरीकी नागरिक नियुक्त करने पर इस की सूचना विदेश मन्त्रालय को समय-समय पर देता रहता है । विदेश मन्त्रालय के साथ सम्पन्न एक समझौते के अनुसार, अमरीकी राजदूतावास स्कूल, अमरीका के राष्ट्रिकों को अपने कर्मचारियों के रूप में नियुक्त कर सकता है । लेकिन, इन कर्मचारियों की भर्ती की जानकारी भारत सरकार को बराबर दी जाती है ।

(ख) संयुक्त राज्य राजदूतावास स्कूल और विदेश मंत्रालय के बीच समझौते के अनुसार, संयुक्त राज्य राजदूतावास स्कूल के अमरीका—राष्ट्रिक कर्मचारियों की एक सीमित संख्या को भारतीय आयकर से छूट दी जा सकती है ।

कोढ़ निरोधक टीका तैयार करने के लिए कलकत्ता के डाक्टरों द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान को कोढ़ रोगियों के चर्म के कटे टुकड़े भेजे जाना

3014. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोढ़ निरोधक टीका तैयार करने के लिए कलकत्ता के डाक्टरों द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष को प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए कोढ़ रोगियों की चर्म के टुकड़े भेजे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या डाक्टरों ने नैतिकता समीक्षा समिति की स्वीकृति ले ली है जो मानव पर टीका तैयार करने का प्रयत्न करने के लिए अनिवार्य है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीव रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष कलकत्ता के कुष्ठ रोगियों और कुछ अन्य कुष्ठ क्लिनिकों से त्वचा की बॉयओप्सियां प्राप्त करते रहे हैं। चर्म रोगों, जिनमें कुष्ठ रोग भी शामिल हैं, से पीड़ित रोगियों की बॉयओप्सियां उनके रोग के निदान और उपचार की एक मानक और स्वीकृत नेमी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया विश्व भर में अपनाई जाती है। इस मामले में यह सामग्री एक ऐसा योग तैयार करने में इस्तेमाल की गई थी जो रोग निदान करने और रोगियों के रोग की दशा के वर्ग का पता लगाने में सहायक होता है। यह परीक्षण नहीं बल्कि एक मानक प्रक्रिया है। प्राप्त की गई सामग्री कुष्ठ रोधी वैक्सीन के एक घटक के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती। यह वैकसीन ऐसे बैक्टीरिया पर आधारित होती है जो रोगजनक नहीं होता औ प्रयोशाला में पैदा किया जा सकता है।

(ग) अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान के जीव रसायन विभाग में कोई क्लिनिकल परीक्षण नहीं किए गए। इस मामले में भारत के औषधि नियंत्रक द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार संस्थान की इस प्रकार के परीक्षण करने वाली संबंधित नीतिशास्त्र समिति द्वारा नीतिशास्त्र संबंधी क्लीयरेंस ली जानी है।

देश में शराब की खपत में वृद्धि

3015 **श्री स्वामी इन्द्रवेश** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शराब की खपत में हो रही वृद्धि की दर को देखते हुए सरकार इस बुराई को नियन्त्रित करने के अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिए कोई नए कदम उठायेगा ;

(ख) क्या इस बारे में कोई कठिनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री : (श्री पी० के० थुगन) : (क), से (ग) मद्य निषेध नीति की क्रियान्विति एक राज्य विषय है। फिर भी केन्द्र

सरकार ने मद्य निषेध को लागू करने के लिए समय-समय पर राज्यों को मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। भारत सरकार ने उत्पाद राजस्व में 50 प्रतिशत की हानि की क्षति पूर्ति करना प्रारम्भ किया है जो वित्तीय वर्ष 1977-78 की राजस्व प्राप्ति पर आधारित है। केन्द्र सरकार जन संचार के माध्यम से एवं शिक्षाप्रद प्रचार के लिए अनुदानों के माध्यम से स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहित करते हुए शराब की बुराईयों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की नियुक्ति

3016. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2 (आठ क) में स्पष्ट है कि किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के रूप में केवल एक ही अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है क्योंकि शब्द 'नियुक्त अधिकारी' है जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 2 (छः) के मामले में है जबकि धारा 4, 8 और 9 से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक से अधिक उद्यमों तथा व्यक्तियों की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अनुसार एक स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण नियुक्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बो० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना करना

3017. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी पुरालेखीय नीति को कार्यान्वित करने की योजना के रूप में भोपाल में 'राष्ट्रीय मानव संग्रहालय' स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यह निर्णय कब किया गया था और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा क्या प्रगति प्राप्त की गई है;

(ग) इसकी आरंभिक आयोजना एवं योजना के ब्यौरे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के लिए भोपाल में सबसे अधिक उपयुक्त स्थान, प्लाट के साइज तथा उसकी स्थिति का निश्चय कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को पुरालेखीय नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को सरकार के एक अधिनिस्थ कार्यालय के रूप में 1977 में स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी संस्था होगी जहां प्रागैतिहासिक समय से लेकर आज तक के मानव और उसके कार्यकलायों को दर्शाया जाएगा जिसमें मानवजाति के समग्र परिप्रेक्ष्य में मानव पर विचार करते हुए मानव के जैविक और सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखा जायेगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किया जाएगा :—

(क) मानव की जैव-सांस्कृतिक ग्राह्यता और प्रकृति पर विजय।

(ख) भारतीय मानव का जैव-सांस्कृतिक विकास।

(ग) भारतीय समाज का एकतात्मक और विभिन्नात्मक विकास।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना प्रारम्भ में अस्थाई तौर पर नई दिल्ली में की गई थी, किन्तु बाद में इसे अस्थाई रूप से भोपाल में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस संग्रहालय के लिए भोपाल में 100 एकड़ भूमि आवंटित की है। संग्रहालय अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। क्योंकि यह भारत में अपनी किस्म का पहला संग्रहालय है, इसलिए, इसके गठन और विकास के सम्बन्ध में सरकार की सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की गई है। इस समय, सम्पूर्ण मास्टर प्लान को तैयार करने से पहले संग्रहालय के संकल्पित दस्ताबेज को उप-समिति द्वारा संशोधित किया जा रहा है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने के क्षेत्र का विकास

3018. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने का क्षेत्र जिस पर दुकानें तथा मार्किटें हैं, उत्तर रेलवे की सम्पत्ति है;

(ख) क्या रेलवे स्टेशन 'कोरि अलाइन' करने हेतु तथा यातायात और यात्रियों को होने वाली परेशानी और दिक्कतें कम करने के लिए सारे क्षेत्र का विकास करने की योजना बनाई है; और

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने सड़क को चौड़ा करने अथवा बाइ-पास का निर्माण करने के लिए जो रेलवे स्टेशन का डिजाईन फिर से तैयार करने का काम पूरा करने के लिए जरूरी होगा, अनुमति दे दी है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । जोरावर सिंह मार्ग से दिल्ली मेन स्टेशन के लिए दूसरे प्रवेश मार्ग की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया गया है । बहरहाल, इस प्रयोजन के लिए रेलवे के पास भूमि उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

राज्य विद्युत बोर्डों की ओर बकाया भाड़ा

3019. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या रेल मन्त्री राज्य विद्युत बोर्डों से भाड़े की वसूली के बारे में 15 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में स्थित राज्य विद्युत बोर्डों की सूची क्या है और 30 जून, 1982 के दिन भाड़े की कितनी राशियां बकाया थीं; और

(ख) क्या रेलवे ने इस बीच बकाया राशियों पर ब्याज लेने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किस दर पर और उपरोक्त प्रत्येक बोर्ड की ओर ब्याज की कितनी राशियां बकाया है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

30-6-82 को राज्य बिजली बोर्ड के नाम बकाया भाड़े से सम्बन्धित विवरण

(लाख रुपयों में)

मध्य रेलवे बिजली बोर्ड का नाम	मण्डल	रकम
1. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	भुसावल	694.52
2. ,, ,,	नागपुर	273.69
3. मध्य प्रदेश राज्य बिजली परिषद्	नागपुर	4.32

1	2	3
4. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, फरीदाबाद	झांसी	242.88
5. उ० प्र० राज्य बिजली बोड	झांसी	20.09
6. बदरपुर ताप बिजली संयंत्र	झांसी	38.22
		1273.72
पूर्व रेलवे		
1. पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	हावड़ा	97.58
,, ,,	सियालदह	4.20
2. उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद	धनबाद	210.65
3. बिहार राज्य बिजली बोर्ड	दानापुर	24.14
4. तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	खड़गपुर	53.32
5. दामोदर घाटी निगम		
दुर्गापुर ताप बिजली घर	आसनसोल	14.09
पतरातु ताप बिजली घर	धनबाद	9.89
		423.87
उत्तर रेलवे		
1. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	दिल्ली	1888.33
2. बदरपुर ताप बिजली संयंत्र	दिल्ली	752.10
3. गुरु नानक देव ताप बिजली संयंत्र, भटिंडा	दिल्ली	241.62
4. पानीपत ताप बिजली संयंत्र	दिल्ली	178.29

1	2	3
5. उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद		
दरहुआगंज	इलाहाबाद	610.34
जमुना ब्रिज	इलाहाबाद	12.16
मेनपुरी	इलाहाबाद	512.39
पनकी	इलाहाबाद	514.45
कानपुर	इलाहाबाद	191.19
चन्दौसी	मुरादाबाद	14.54
सोहवाल	लखनऊ	29.74
लखनऊ	लखनऊ	19.32
		4464.47
दक्षिण रेलवे		
तमिलनाडु बिजली बोर्ड	मद्रास	286.12
दक्षिण मध्य रेलवे		
1. आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	सिकन्दराबाद	32.71
2. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	सिकन्दराबाद	16.27
		48.98
दक्षिण पूर्व रेलवे		
1. पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	खड़गपुर	9.16
2. ,, ,,	आंद्रा	1.03
3. आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	वाल्तेरु	2.27
4. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	नागपुर	1.14
5. मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	बिलासपुर	0.24
		13.84

1	2	3
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	कुछ नहीं	
पश्चिम रेलवे	कुछ नहीं	
पूर्वोत्तर रेलवे	कुछ नहीं	
	कुल जोड़	6511.00

विजयवाड़ा में आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा पारित संकल्प

3020. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री विजयवाड़ा में आल इण्डिया मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा पारित संकल्प के बारे में 5 अगस्त, 1982 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 4056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काडर पुनर्गठित समिति ने जनवरी 1982 में भारतीय रेलों के स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर्स के काडर का पुनर्गठन करने का निर्णय किया था; और

(ख) क्या ए० आई० आर० एफ० और ए० एफ० आई० आर० दोनों फैडरेशन ने स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेण्ट स्टेशट मास्टरों सहित कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के काडर पुनर्गठन को लागू न करने के कारण पिछले जे० सी० एम० का बहिष्कार किया था ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जैसा कि 5-8-82 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 4056 के उत्तर में पहले भी स्पष्ट किया गया है, अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा पारित उल्लिखित संकल्प प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की कोटि में संवर्ग पुनर्गठन को 1-1-79 तथा 1-10-79 से लागू कर दिया गया है जिसे विभागीय परिषद (रेलवे) में पारित किया गया था और सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की कोटि में तथा ग्रुप (ग) और (घ) के कर्मचारियों की कुछ अन्य कोटियों की ओर आगे पुनर्संरचना के कुछ प्रस्तावों की जांच, संवर्ग पुनर्गठन समिति द्वारा की गयी है। लेकिन इनको अभी विभागीय परिषद द्वारा पारित किया जाना है और सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाना है।

(ख) संयुक्त परामर्श-तन्त्र की योजना के अन्तर्गत 18-8-82 को आयोजित विभागीय परिषद (रेलवे) की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने भाग लिया था। विचार-विमर्श के बाद कर्मचारी पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जब तक संवर्ग पुनर्गठन समिति के विनिश्चय कार्यान्वित नहीं किए जाते तब तक और आगे वार्ता जारी रखने का कोई लाभ नहीं होगा। इसके बाद विभागीय परिषद की बैठक अन्य किसी विषय पर विचार किए बिना समाप्त हो गयी।

अपूर्ण परियोजनाओं के नाम

3021. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी आधारशिला 1972 या उसके-बाद रखी गई थी और जो अभी अपूर्ण हैं ; और

(ख) उपयुक्त परियोजना की आधारशिलायें किन्होंने रखी थीं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सचिवालय और सीमापुरी के बीच और अधिक बसें चलाया जाना

3022. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय तथा सीमापुरी जमुना पार क्षेत्र के बीच डी. टी. सी. रूट संख्या 280 पर सुबह से रात तक केवल 5 बसें चल रही हैं ;

(ख) क्या दो बसों के बीच 35 मिनट से 1 घण्टे तक का अन्तर आ जाता है और इस कारण जनता को भारी असुविधा होती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रूट पर और अधिक बसें लगाने अथवा बसों की फ्रीक्वेन्सी बढ़ाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) रूट संख्या 280 केन्द्रीय सचिवालय और सीमापुरी के बीच नहीं चलती है। इन स्थानों के बीच रूट संख्या 340 चलती है। यहां 13 बसें चलती हैं जिनमें 5 बसें डीलक्स बसें हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी 10/20/40 मिनट की है।

(ग) सर्वेक्षण से पता चला कि केन्द्रीय सचिवालय और सीमापुरी के बीच मौजूदा यातायात की आवश्यकता को पूरा करने में मौजूदा सेवा पर्याप्त है।

दमदम से प्रिंसेप घाट तक सबरबन 'डिस्पर्सल लाइन' का निर्माण

3023. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में योजना आयोग के महानगरीय परिवहन दल ने दमदम से प्रिंसेप घाट तक एक 'सबरबन डिस्पर्सल लाइन' का निर्माण करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में प्रवेश न पा सकने वाले छात्र

3024. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शैक्षिक वर्ष 1981-82 और 1982-83 में दिल्ली में स्कूलों में तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में भारी संख्या में छात्रों को विभिन्न कक्षाओं तथा एम०बी०बी०एस० और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया गया ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी वर्षों में इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि छात्र दिल्ली में किसी न किसी स्कूल में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके। जहां तक कालेजों में दाखिले का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय तथा इसके कालेज बी०ए०/बी०एस०सी०/बी० कॉम पाठ्यक्रमों में लगभग 25,000 छात्र दाखिल करते हैं। चालू वर्ष के दौरान, अनुमानतः 34,000 छात्र, जिन्होंने दिल्ली में स्कूलों से अर्हता प्राप्त की थी, कालेजों में प्रवेश पाने के पात्र थे। विश्वविद्यालय ने कालेजों को, उनकी स्वीकृत दाखिले की क्षमता से 10% और अधिक छात्र दाखिल करने की सलाह दी थी। शेष छात्र, यदि हों तो पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करा सकते थे अथवा प्राइवेट छात्रों के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठ सकते थे।

इंजीनियरी, औषधि फार्मेसी इत्यादि के पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले व्यावसायिक कालेजों तथा तकनीकी पाठयक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले पालिटेक्निकों की भी दाखिले की क्षमता सीमित है। स्पष्टतः, ये संस्थाएं दाखिला चाहने वाले सभी छात्रों को दाखिल नहीं कर पाएंगी।

बलूरघाट मालदा लाइन का निर्माण कार्य

3025. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बलूर घाट से मालदा तक की नई रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया है ;

(ख) इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान इस नए निर्माण कार्य के लिए बजट में क्या प्रावधान रखा गया है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) एकलाखी से बलूरघाट तक मालदा और एकलाखी के बीच पहले से ही मौजूद रेल सम्पर्क के रूप में एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही इस परियोजना की अनुमानित लागत का पता चलेगा।

(ग) 1982-83 में इस नये रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वेच्छा से नसबन्दी/बन्ध्याकरण आपरेशन करानेवाले व्यक्ति

3026. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शन वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की पृथक-पृथक कुल संख्या क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान स्वेच्छा से अपनी नसबन्दी/बन्ध्याकरण आपरेशन कराए हैं तथा पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान ये आपरेशन स्वेच्छा से कितने-कितने व्यक्तियों ने कराए थे;

(ख) जनता के कौन-कौन से वर्ग परिवार नियोजन के उपायों को अपना रहे हैं तथा कौन-कौन से वर्ग नहीं अपना रहे हैं, और

(ग) परिवार नियोजन के उपाय न अपनाने वाले लोगों को जो, या तो इन उपायों से अनभिज्ञ हैं अथवा जानबूझ कर ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रेरित करने अथवा शिक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरा नन्द) : (क) 1977-78 से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वेच्छा से पुरुष/महिला नसबन्दी आपरेशन करवाने वालों की अलग-अलग कुल संख्या वर्षवार दी गई है :

वर्ष	किए गए पुरुष/महिला नसबन्दी आपरेशनों की संख्या (हजारों में)	
	ग्रामीण	नगरीय
1977-78	492	457
1978-79	952	533
1979-80	1218	560
	2662	1550
1980-81	1371	669
1981-82	1911	879
	3282	1548

(ख) लोगों के सभी वर्ग ब्रिटिश नियन्त्रण तरीकों को अपना रहे हैं।

(ग) सभी स्तरों के लोगों को परिवार नियोजन शिक्षा देने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए परिवार नियोजन के सभी तरीकों के बारे में सूचना विभिन्न जन प्रचार माध्यमों जैसे, रेडियो फिल्म, टेलिविजन, प्रदर्शनियों, सिनेमा, स्लाइडों, होर्डिगों और भित्त चित्रों के जरिए दी जा रही है। एक दूसरे के साथ पत्र-व्यवहार और ग्रुप चर्चायें भी आयोजित की गई हैं। सारे देश में लगाये गए परिवार कल्याण नेता शिविरों में विस्तार शिक्षा क्षेत्र स्टाफ द्वारा नियोजन के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियानों का भी आयोजन किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की विधि

3027. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जहां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वहां इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निधि क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पृथक-पृथक रूप से कितने अनपढ़ लोगों को लाभ पहुंचा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। गत तीन वर्षों में कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के शामिल किए गए प्रौढ़ों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-I)

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारें, स्वैच्छिक एजेंसियां, नेहरू युवक केन्द्र और विश्वविद्यालय महाविद्यालय जैसी विभिन्न एजेंसियां सम्बद्ध हैं।

(ग) 1981-82 के दौरान ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-II)

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 5555/82)

अंग्रेजी और हिन्दी में भेजे गए पत्र

3028. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 की पहली छमाही के दौरान उनके मन्त्रालय में 'ए' और 'बी' क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य को कुल कितने मूल पत्रादि भेजे हैं तथा उनमें से कितने पत्र अंग्रेजी और कितने हिन्दी में लिखे गए थे;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 में यह व्यवस्था है कि इन राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में लिखे जाएं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में इन राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा मूल पत्र व्यवहार के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) से (घ) राज्यों का 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण राजभाषा (संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के अन्तर्गत किया है न कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन। राजभाषा 1976 और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'क' और 'ख' क्षेत्रों के राज्यों के साथ मूल पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाना चाहिए। रेल मंत्रालय को अभी यह लक्ष्य प्राप्त करना है।

गोआ में नदी नौचालन निगम की स्थापना के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल की रिपोर्ट

3029. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल ने केन्द्रीय सरकार को पर्यटन, व्यापार, नदी यात्रा और माल परिवहन के हित में गोआ में नदी नौचालन निगम की स्थापना के बारे में एक रिपोर्ट भेजी थी;

(ख) क्या उपरोक्त प्रस्ताव की सम्भाव्यता का अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) गोआ में नदी नौचालन निगम की स्थापना के बारे में यू० एन० सी० पी० दल द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है । गोआ, दमण और दीव संघ राज्य ने अपनी आर्थिक संवृद्धि के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों की क्षमता का पूरा-पूरा विकास करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक नदी नौचालन निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है। पता चला है कि गोआ, दमण और दीव सरकार ने इस बारे में अध्ययन का काम परामर्शकों की एक फर्म को सौंपा है परामर्शकों की रिपोर्ट मिलने पर ही इसका ब्यौरा उपलब्ध हो सकेगा ।

उत्तरी क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों का चंडीगढ़ में हुआ सम्मेलन

3030. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1982 में उत्तरी क्षेत्र के स्वास्थ्य मन्त्रियों का चंडीगढ़ में कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध के क्या परिणाम रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्मेलन ने 1981-82 की विभिन्न उपलब्धियों, आई समस्याओं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 1982-83 की भावी योजनाओं पर जिन्हें प्रधान मन्त्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है, गहराई से विचार किया। सम्मेलन में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे ।

: छोटी और मध्यम दर्जे की जहाजरानी कंपनियों का बड़ी जहाजरानी कंपनियों में विलय

3031. श्री जगदीश टाईटलर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) क्या ऐसी छोटी और मध्यम दर्जे की जहाजरानी कंपनियों ने, जिन्हें समाप्त होने की आशंका है, केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि या तो बड़ी जहाजरानी कंपनियों में अथवा अपने काम का विस्तार करने की इच्छुक साधन सम्पन्न गैर-जहाजरानी कंपनियों में उनके विलय संबन्धी पाबन्दियों को समाप्त कर दिया जाए ;

(ख) ऐसी गैर जहाजरानी कंपनियों से जो जहाजरानी व्यापार शुरू करने की इच्छुक हैं संविधान पहलू के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करने का है कि इस सम्बन्ध में छोटी और मध्यम दर्जे की जहाजरानी कंपनियों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) गैर नौवहन कंपनियों को नौवहन का उद्योग शुरू करने की अनुमति दी जा रही है।

(ग) छोटी और मझोली नौवहन कंपनियों को अन्य नौवहन कंपनियों के बराबर माना जाता है।

क।२७।

नए और विद्यमान पत्तनों के विकास के लिए ऐतिहासिक और भौगोलिक करण

3032. श्री जगदीश टाईटलर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए पत्तनों का विकास करते समय तथा विद्यमान पत्तनों का विस्तार करने और उनमें माल ढ़लाई संबन्धी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों पर ध्यान दे रही है ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय करने के बारे में विचार कर रही है कि नौभार-परेषक कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र से अपने तैयार उत्पादन का अधिक से अधिक निर्यात करते हैं, न कि बम्बई पत्तन से, जैसा कि वे वर्तमान समय में कर रहे हैं ; और

(ग) भारत में पत्तनों के विकास और वृद्धि तथा नए पतनों की स्थापना के लिए किए जा रहे हैं उपायों का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) नये पत्तनों की स्थापना और मौजूदा पत्तनों के विकास के बारे में योजना बनाते समय भौगोलिक परिस्थिति, समुद्री स्थिति, उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं, यातायात की मात्रा और संबंधित तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। आजकल पत्तन की स्थापना करने में किसी स्थान के ऐतिहासिक संदर्भ का कोई महत्त्व नहीं है।

(ख) कांडला पत्तन अपने यहां निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पत्तन शुल्क में कुछ रियायत, लाइनर जहाजों को घाट की सुविधा देने में प्राथमिकता, निर्यात होने वाले माल को अधिक समय तक निःशुल्क पड़े रहने की छूट आदि दे रहा है।

(ग) छठी योजना अवधि में सिर्फ न्हावा शेवा पत्तन को ही नए महापत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पत्तन परियोजना की स्वीकृति 8 जून, 1982 को की गई थी जिसकी अनुमानित लागत 592 करोड़ रुपये है। इस परियोजना पर 1983 के मध्य से काम प्रारम्भ होने की संभावना है।

छठी योजना में दस अन्य मौजूदा महा पत्तनों में पत्तन सुविधाओं के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 521 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नौवहन उद्योग को वित्तीय रियातें

3033. **श्री जगदीश टाईटलर**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन उद्योग, जो पहले से ही मन्दी से ग्रस्त है और नकद घाटा उठा रहा है, सरकारी काम में अफसरशाही के कारण विलम्ब से भी परेशान है ;

(ख) क्या सरकार ने रोग ग्रस्त नौवहन उद्योग को अनेक वित्तीय रियायतें देने की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इसमें ब्याज और ऋण की किस्तों के भुगतान में समय छूट देना भी शामिल है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) हाल के नौवहन संकट के संदर्भ में नौवहन उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में इंडियन शिपआनर्स एसोशियेशन के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

रेलवे के लेखा विभाग में चयन पदों को भरा जाना

3034. श्री जगपाल सिंह
श्री मंगलराम प्रेमी } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1980 को भारतीय रेल विभाग के लेखा विभाग के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप क्षेत्र-वार कुल कितने पदों का सृजन हुआ जिन्हें दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरा जाना था और उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं ?

(ख) उन आरक्षित पदों की, जिन्हें अभी तक नहीं भरा गया है नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

(ग) पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

(घ) दूसरी श्रेणी के आरक्षित पदों के चयन के लिए 'कामन जोन आफ कन्सीडरेशन' रखने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सेफेस्ट जोन आफ कन्सीडरेशन रखने का है जैसा कि तीसरी श्रेणी के पदों के लिए किया गया है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कठिनाइयां आयी हैं ?

रेल मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सम्भवत: सूचना रेलों के लेखा विभागों के गैर क्रियाशील प्रवरण ग्रेड के पदों के सम्बन्ध में मांगी गई है। 1-4-80 से रेलों के लेखा विभागों का पुनर्गठन किए जाने के परिणामस्वरूप श्रेणी-II के किसी पद का सृजन नहीं किया गया है। पुनर्गठन योजना में केवल 330-560 रुपये के वेतनमान में ग्रेड-I के क्लर्कों की कोटि के लिए 425-700 रुपये के वेतनमान वाले प्रवरण ग्रेड के पदों के सृजन की परिकल्पना की गयी है। ऐसे पदों की संख्या और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) सरकार के वर्तमान आदेशों में श्रेणी-II (ग्रुप 'बी') के आरक्षित पदों के बारे में विचार करने के लिए एक अलग जोन की व्यवस्था नहीं है।

भारतीय रेलवे में लेखा विभाग में चयन ग्रेड

3035. श्री जगपाल सिंह
श्री शिवशरण वर्मा } : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में चयन ग्रेड की अर्हता के लिए 14 वर्ष का सेवा-काल पूरा करने का वेतनमान का 3/4 पार करने का क्या आधार है;

(ख) क्या रेलवे के अन्य विभागों में भी यही प्राविधान है और यदि नहीं, तो केवल लेखा विभाग में ही ऐसे प्राविधान रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चयन ग्रेड के पदों को भरने के लिए 14 वर्ष का प्रतिबन्ध हटाने का है, और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों पर वर्ग 'ग' और 'घ' में प्रवरण ग्रेड पदों की नियुक्ति के लिए शर्तें, राष्ट्रीय परिषद (सं. वा. त.) में विचार-विमर्श के बाद तृतीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य मानदण्ड पर आधारित हैं। इनमें से एक शर्त यह है कि कर्मचारी ने या तो उस ग्रेड के संशोधित तथा पूर्व संशोधित दोनों वेतनमानों की सेवा को मिला-कर सामान्य ग्रेड में 14 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा उसने सामान्य ग्रेड के संशोधित वेतनमान का तीन चौथाई भाग पूरा कर लिया हो । ये शर्तें रेलों पर सभी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ग) और (घ) ये शर्तें सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं, अतः इस मामले में एक पक्षीय विनिश्चय लेना रेल मंत्रालय के लिए संभव नहीं है।

दिल्ली और आगरा के बीच जमुना नदी में होवर क्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव।

3037. **श्री राम अवध** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जमुना नदी में दिल्ली से आगरा तक होवर क्राफ्ट चलाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली से आगरा तक यमुना नदी में 'होवर क्राफ्ट' चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

रेलवे कर्मचारियों की संख्या

3038. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न रेलों में अस्थाई, स्थाई और नैमित्तिक विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी नियत हैं;

(ख) 1 अप्रैल; 1982 को वास्तव में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत थे; और

(ग) 1 अप्रैल, 1982 को कुल कितने रिक्त स्थान थे और उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माल गाड़ियों द्वारा ढोया जाने वाला औसत कुल भार

3039. **श्री दयाराम शाक्य**
श्री सूरज भान } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 से वर्ष 1980-81 तक माल गाड़ियों द्वारा ढोये जाने वाले कुल औसत भार में कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी;

(ख) उसी अवधि में कोयले की खपत में कितने प्रतिशत गिरावट आई,

(ग) कोयले की खपत में अन्तर आने के क्या कारण हैं; और

(घ) कोयले की खपत पर औसतन कितना खर्च हुआ है, और 1975-76 और 1980-81 के दौरान माल गाड़ियों ने औसतन कितना भार ढोया ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन वर्षों में डीजल और बिजली रेल इंजनों से चलाई जाने वाली बड़ी लाइन और मीटर लाइन की गाड़ियों के सम्बन्ध में माल गाड़ियों के औसत समय भार में (इंजन के भार सहित) वृद्धि हुई है, जबकि भार रेल इंजनों के मामले में औसत भार में गिरावट आई है क्योंकि अब भाप इंजनों का उपयोग निम्न स्तर की गाड़ियों में किया जा रहा है, बहुत से भाप शेड बन्द कर दिये गये हैं

और भाप इंजनों को जमा करके नकारा कर दिया गया है । इन वर्षों में भाप रेल इंजनों से चालित माल गाड़ियों के औसत भार में प्रतिशत गिरावट नीचे दी गई है :

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत की कमी-बेशी	
	बड़ी लाइन	छोटी लाइन
1975-76	—	—
1976-77	—4.94	—2.64
1977-78	+2.30	+0.45
1978-79	—3.25	+5.54
1979-80	—4.48	—0.14
1980-81	—5.23	—1.85

(ख) और (ग) : गाड़ी भार में कमी और भाप रेल इंजनों का निम्न स्तर की गाड़ियों में अधिक उपयोग होने के कारण कोयले की खपत बढ़ जाती है और इस प्रकार खपत में गिरावट आने का प्रश्न ही नहीं उठता। खपत में वृद्धि होने का अन्य कारण घटिया किस्म के कोयले की कुल खपत 1975-76 में 131.4 लाख टन से गिर कर 1980-81 में 110.8 लाख टन रह गई है।

(घ) 1975-76 और 1980-81 वर्षों के दौरान कोयले पर व्यय क्रमश: 143·05 करोड़ रु० और 195·95 करोड़ रुपये रहा था। इन वर्षों के दौरान ब०ला० और मी०ला० सेवाओं में भाप रेल इंजनों द्वारा कर्षित माल गाड़ियों का औसत सकल भार नीचे दिया गया है :

वर्ष	इंजन भार सहित औसत सकल भार (टनों में)	
	ब०ला०	मी०ला०
1975-76	1235	683
1980-81	1052	691

खाड़ी देशों के जेलों में नजरबंद भारतीय

3040. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाड़ी देशों के जेलों में नजरबन्द भारतीयों की वास्तविक संख्या क्या है और उन्हें किन आरोपों पर कारावास दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : खाड़ी के देशों की जेलों में नजरबन्द भारतीयों की संख्या और उनके खिलाफ लगाये गए अभियोगों के बारे में संबंधित भारतीय मिशनों से निम्नलिखित सूचना मिली है :

(1) सऊदी अरब : 42 भारतीय राष्ट्रिक । इन पर सऊदी अरब में निषिद्ध औषधियों की तस्करी और घातक यातायात दुर्घटनाओं के आरोप हैं ।

(2) बहरीन : 7 भारतीय राष्ट्रिक । इन पर हत्या, अनैतिकता, नशीले पदार्थों के आयात और इन्हें रखना, बेईमानी, विश्वास-भंग, स्त्रियों के साथ बलात्कार के प्रयत्न, बहरीन में अवैध-प्रवेश और अनजाने में किसी की हत्या तथा ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने के आरोप हैं ।

(3) ओमान : 44 भारतीय राष्ट्रिक । इन पर अवैध आप्रवासन, हत्या, मद्यपान, चोरी, नशीले पदार्थों के प्रयोग, श्रमिक-अपराध और मार-पीट के आरोप हैं ।

(4) कतार : 22 भारतीय राष्ट्रिक । इन पर यातायात से संबंधित दुर्घटनाएं, मद्यपान से संबंधित अपराध, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, गबन, जालसाजी, चोरी और उद्यम व्यापित रहने के आरोप हैं ।

(5) इराक : 4 भारतीय राष्ट्रिक । इन पर हत्या और यातायात सम्बन्धित दुर्घटनाओं के आरोप हैं ।

(6) ईरान : 23 भारतीय राष्ट्रिक । इन पर विदेशी मुद्रा की हेराफेरी, वीजा आदि की जालसाजी, यातायात से संबंधित दुर्घटना, हथियारों की अवैध बिक्री अवैध प्रवेश और प्रवास, नशीले पदार्थों की तस्करी और हत्या के आरोप हैं ।

(7) कुवैत : 95 भारतीय राष्ट्रिक । इन पर जालसाजी, दवाईयों का अवैध व्यापार करना, अवैद्य शराब, बलात्कार, गबन, धोखाधड़ी, मानहानि, हत्या, चोरी, अवैध प्रवेश, टेलीफोन टेप करना, सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना, यातायात से सम्बन्धित दुर्घटनाओं के आरोप हैं ।

आबूधाबी स्थित हमारे राजदूतावास ने सूचित किया है कि उनके द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों ने वहां की जेलों में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में अभी तक अपेक्षित जानकारी नहीं भेजी है ।

रांची विश्वविद्यालय को केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव

3041. **श्रीमती सुमति उर्रांव** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची विश्वविद्यालय बिहार को अन्य केन्द्र प्रशासित

विश्वविद्यालयों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकारी आदेश कब तक जारी होने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उम्मीदवारों का चयन

3042. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में विभिन्न पदों पर गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत उम्मीदवारों का चयन किया गया है;

(ख) भारतीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के शैक्षिक और प्रशासनिक वर्ग की विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने पद हैं और उनमें कितने पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं; और

(ग) सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोटे को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)

(क) से (ग) : विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया संख्या देखिए एल० टी० 3056/82]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) में सी०सी०एस० नियमों का अपनाया जाना

3043. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने कर्मचारियों के लिए नियमों को स्वीकार कर लिया है और निलम्बित कर्मचारियों को उनके भरण-पोषण भत्ते के नियम

मित भुगतान और प्रति तीन महीने बाद उसकी पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के नियमों और अन्य कार्यविधियों के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है जो सरकार के नोटिस में आया है.

(ग) उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है जहां, न तो एक भी वर्ष भरण-पोषण भत्ते का भुगतान किया गया है न प्रति तीन मास पश्चात् जैसा कि नियमों में अपेक्षित है, निलम्बन की पुनरीक्षा की गई है; और

(घ) उन मामलों पर क्या कार्यवाही की गई है जहां अनुशासन सम्बन्धी कार्यविधियों में नियमों, कार्यविधियों ओर आदेशात्मक नियमों, का पूरी तरह उल्लंघन करना सरकार के नोटिस में लाया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा०शै०अ०प्र०प०) ने अपने कर्मचारियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 तथा मूल नियमावली और पूरक नियमावली अपनाई है।

(ख) से (घ) इन नियमों तथा पद्धतियों का और कोई उल्लंघन सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन।

3044. श्री **कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने ऐसे अनेक मामले आये हैं जिनमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने न्यायालयों के आदेशों का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाहियों को बन्द और हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विरुद्ध दिल्ली और अन्य स्थानों में जहां क्षेत्र सलाहकार और रीजनल कालेजों के प्रिंसिपल कार्यरत हैं, न्यायालय की अवमानना के कितने मामले लम्बित हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उनके कर्मचारियों द्वारा दायर किये गए न्यायालय की अवमानना के (तथाकथित) तीन मामले लड़ रही है।

सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों में काम कर रहे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल

3045. **श्री भीम सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों के कितने प्रिंसिपलों को सेवा निवृत्ति के बाद भी सेवा में बने रहने के लिए कहा गया है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इससे कनिष्ठ लोगों की पदोन्नति के अवसरों में रुकावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)

(क) दिल्ली प्रशासन ने सीनियर माध्यमिक स्कूल के किसी भी प्रिंसिपल को सेवा निवृत्ति के बाद प्रिंसिपल का कार्य करने के लिए नहीं कहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुरुलिया-कोटशिला लाइन को बदलना

3046. **श्री चित्त महाटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुरुलिया-कोटशिला मीटर गेज रेल लाइन को ब्राड गेज में बदलने का है,

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) : मीटर आमान की लाइन को बड़े आमान की लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को बजट में शामिल कर लिया गया और सर्वेक्षण कार्य के पूरा

हो जाने के बाद इस परियोजना के बारे में विनिश्चय किया जायेगा बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो और योजना आयोग से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाये।

रेल डिब्बों का अल्प उपयोग

3047. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्षों में सवारी गाड़ी का एक डिब्बा एक दिन (24 घंटों) की प्रतिशतता में से औसत कितने समय 'गाड़ी में चलता रहा;

(ख) उपरोक्त अवधियों में सवारी डिब्बों का दिन (24 घंटों) में आरम्भिक तथा अंतिम स्टेशनों पर खड़े रहने तथा 'पी. ओ. एच. एण्ड साईडलिंग ऐंड. स्पेयर' की निर्धारित और वास्तविक प्रतिशतता क्या है;

(ग) सबारी डिब्बों के कम उपयोग की स्थिति को सुधारने के लिए इन वर्षों में क्या कदम उठाये गए तथा उनके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) ताज एक्सप्रैस, गीतांजली एक्सप्रेस, लखनऊ मेल तथा बम्बई फिरोजपुर मेल के प्रत्येक चक्कर में 'टर्मिनल फ्लाई ओवर एट बोथ एन्डस' के घंटे कितने हैं और इन प्रत्येक सवारी डिब्बों के प्रत्येक के बेकार घंटों के कारण राजस्व की अनुमानित हानियां कितनी हुईं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक सवारी यान के गाड़ियों में चालन समय दिखाने के लिए नियमित रूप से आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। यात्री यानों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रति वाहन दिन वाहन कि०मी० के सूचकांक से आंकी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, यात्री यानों के वाहन कि०मी० प्रति वाहन दिन इस प्रकार थे :—

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1979-80	319	189
1980-81	314	186
1981-82	317	181

(ख) दो ट्रर्मिनलों के बीच अन्तर्विष्ट दूरी सेवा के फेरों, सेवा की किस्म और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सवारी गाड़ी के रेक सम्पर्क के रूप में संकलित होते हैं। दोनों छोरों

के टर्मिनलों पर सवारी गाड़ियों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है ताकि उपरोक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके और उसकी उचित प्रकार से देखभाल की जा सके।

कारखानों में सवारी डिब्बों को भेजने और वापस लाने में लगे यात्रा समय सहित कारखानों में सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग करने में औसतन 28 दिन तक का समय लगता है। आवधिक ओवर हाल के लिए अनुमेय समय का प्रतिशत 7·5 है। कारखानों में जाने वाले सवारी डिब्बों के मामले में 2·5 और उन सवारी डिब्बों का जिन्हें मरम्मत के लिए इंगित किया गया है और जिन की मरम्मत लाइनों में मरम्मत की जानी आपेक्षित है का प्रतिशत 4 है। इसके विपरीत पिछले 3 वर्षों के दौरान निष्क्रियता का कुल प्रतिशत, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, इस प्रकार था :—

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1979-80	13.90	11.53
1980-81	13.47	12.75
1981-82	15.75	11.55

(ग) कोचिंग स्टाक की उपयोगिताओं में सुधार लाने के लिए 21 और 17 (यानों) सवारी डिब्बों के साथ चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों के रेकों के संयोजन के मानकीकरण करने के उपाय किए जा रहे हैं। सवारी डिब्बों के संयोजन का धीरे-धीरे मानकीकरण करने के साथ ही अधिक से अधिक रेक सम्पर्कों को समाकलित किया जाएगा। 1-10-1982 से दक्षिण की ओर जाने वाली के रेकों अर्थात् 123/124 आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस, 121/122 तमिलनाडु एक्सप्रेस और 125/126 केरल एक्सप्रेस तथा 127/128 कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ियों का मानकीकरण किया गया है। कलिंगा एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर सप्ताह में 3 बार करने के लिए 143/144 कलिंगा एक्सप्रेस और 71/78 उत्कल एक्सप्रेस के रेक सम्पर्कों को समाकलित किया गया है।

(घ) गाड़ियों के रेकों को दोनों छोरों के टर्मिनलों पर खड़ा करने के समय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

गाड़ी	स्टेशन	गाड़ी खड़ी रहने का समय	
		घंटे	मिनट
79/80 ताज एक्सप्रेस	आगरा छावनी	8	40
	नई दिल्ली	8	40

59/60 गीतांजली एक्सप्रेस	हावड़ा	24	05
	बम्बई	7	55
29/30 लखनऊ मेल	लखनऊ	14	05
	नई दिल्ली	13	40
5/6 फिरोजपुर-बम्बई मेल	फिरोजपुर	14	30
		27	45

टर्मिनलों पर गाड़ियों के छूटने और टर्मिनलों पर गाड़ियों के पहुंचने के समय को ध्यान में रखकर प्रत्येक रेक के खड़ा रहने के समय का निर्धारण किया जाता है। इन समयों में यात्रियों की सुविधाओं और मार्गवर्ती उपलब्ध रेल मार्गों को ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा; टर्मिनलों पर गाड़ियों का खड़ा रहना, यात्री सुविधाओं और सेवाओं के लिए संरक्षा जिसके लिए इन रेकों का उपयोग किया जाना है दोनों को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण के लिए अपेक्षित समय की पूर्ति करता है। ये टर्मिनल समय सेवा की किस्मों के लिए अनिवार्य हैं और इस प्रकार इनसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है।

यात्री डिब्बों का निर्माण करने वाली यूनिटों की क्षमता का उपयोग

3048. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०सी०एफ०, बी०ई०एम०,एल० और जोसेप कम्पनी नामक यात्री डिब्बों का निर्माण करने वाली यूनिटों की अधिष्ठापित क्षमता का 1974-78, 1978-81 और 1981-82 में कितने प्रतिशत उपयोग हुआ;

(ख) यात्री डिब्बों का निर्माण करने वाली यूनिटों के द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग करने, और यात्री डिब्बों के चालन में कमी आने के कारण रेल विभाग की आय में कितना घाटा हुआ ; और

(ग) यदि यात्री डिब्बों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग होना है तो क्या दूसरी यात्री डिब्बा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सवारी डिब्बा कारखाना, भारत अर्थ मूवर्स लि० और जेसप्स की सवारी डिब्बों के निर्माण की

लाइसेंसशुदा/प्रस्थापित क्षमताएँ क्रमश: 750 सवारी डिब्बे (बिजली गाड़ी यूनिटों सहित,) 300 सवारी डिब्बे और 350 सवारी डिब्बे (बिजली गाड़ी यूनिटों सहित) हैं।

बहरहाल इन कारखानों की क्षमता की उपयोगिता का मूल्यांकन इन इकाइयों की सम्भावित उत्पादन क्षमता के संदर्भ में करना है।

नीचे दी गयी तालिका में, विभिन्न वर्षों के लिए उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक उत्पादन के आंकड़े दिखाये गए हैं, जिनसे पता चलेगा कि इन 3 इकाइयों की उपलब्ध उत्पादन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है:

वर्ष	सवारी डिब्बा कारखाना		भारत अर्थमूवर्स लि०		जेसप्स	
	रेलवे द्वारा नियोजित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	रेलों द्वारा नियोजित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	रेलों द्वारा नियोजित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन
74-75	570	570	256	253	208	207
75-76	517	517	200	220	120	178
76-77	571	575	100	180	98	146
77-78	652	671	260	211	12	15
78-79	750	752	275	223	36	शून्य
79-80	710	712	300	550	157	62
80-81	714	720	270	176	98	26
81-82	720	730	270	300	132	43

(ख) शुद्धता की दृष्टि से हानि की ठीक-ठीक मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(ग) चूंकि मौजूदा यूनिटों की वर्तमान निर्माण क्षमता हमारी मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, अत: रेल क्षेत्र में एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

युवा मेडिकल ग्रेजुएटों को पड़ने वाली दवाइयों की लत को रोकने के लिए कार्यवाही

3049. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दवाओं का गैर-चिकित्सीय प्रयोग चिन्ताजनक अनुपात तक बढ़ गया है और एक चौथाई से एक तिहाई युवा बिना 'प्रिसक्रिप्सन' की विभिन्न दवाओं का प्रयोग करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है युवा मेडिकल ग्रेजुएटों के बीच दवाओं की लत बहुत अधिक है; और

(ग) क्या सरकार युवाओं को पड़ी इस लत को रोकने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार से "डाइनेबाल" को हटाना

3050. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "डाइनेबाल" जो "एना बोलिक एजेंट" है और जिसका सामान्य रूप से वजन और भूख बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था, को सीबा-गीगी आफ इण्डिया ने बाजार से हटा दिया है; और

(ख) इस दवा को बाजार से हटाने के क्या कारण है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) डायनेबाल मेसर्स, सी बा-गी गी (भारत), बम्बई द्वारा बेचे जाने वाले एक एनाबोलिक स्टी रायड पदार्थ मेथांडिनन का एक ब्रांड है। मेर्सस सी बा-गी गी (भारत) ने 8 अप्रैल, 1982 को औषधि नियन्त्रक (भारत) को सूचित किया है कि स्विट्जरलैंड में उनके मुख्यालय ने डायनेबाल की विश्वव्यापी बिक्री बन्द करने का निर्णय किया है। फर्म के अनुसार इस दवा को बन्द करने का कारण यह है कि बाइरलाइजेशन (मेस्कुलिनाइजेशन) जैसे इसके अहित प्रभावों की तुलना में इसके क्लिनिकी लाभ अधिक नहीं है। इसके अलवा, खिलाड़ी और अन्य लोग अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैसर्स सी बा-गीगी, (भारत) ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने "डायनेबाल" का उत्पादन और वितरकों उसकी बिक्री रोक दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित गैर-सरकारी निदेशक

3051. **श्री भीखाभाई** : क्या शिक्षा और संस्कृत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संस्थाओं के अन्तर्नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों का सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन रोकने वाला कोई विशिष्ट खण्ड नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक नामांकित न करने के क्या कारण हैं, जो सरकारी क्षेत्र में विश्वास रखते हैं और जिनके पास उद्योग वाणिज्य, प्रशासन ट्रेड यूनियन या सामाजिक क्षेत्र की प्रमाणित योग्यता है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्कृष्ट व्यक्तियों के नामांकन की सिफारिश उनके मन्त्रालयों के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उनके मन्त्रालय के अधीन उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों के नाम क्या है, जिनके बोर्डों में गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामांकित किए जायेंगे तथा उनका कार्यकाल कितना होगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) इस समय केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अर्थात् एजूकेशनल कन्सलटेंट्स इण्डिया, लिमिटेड इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन है । इसकी कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

इस कम्पनी के संस्था ज्ञापन और नियमावली में ऐसी कोई धारा नहीं है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों को निदेशक मण्डल में गैर-शासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त करने से वंचित करती हो । इस समय बोर्ड में एक गैर-शासकीय अंशकालिक अध्यक्ष, एक पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक तथा प्रतिनिधि (प्रत्येक का एक) है :

1. शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय
2. वित्त मन्त्रालय
3. विदेश मन्त्रालय
4. रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मन्त्रालय

5. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

7. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय

8. प्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान

: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व्यक्तियों के नामांकन से सम्बन्धि कोई सिफारिश मन्त्रालय में लम्बित नहीं है।

संस्था ज्ञापन के अनुसार बोर्ड में दो से कम तथा 12 से अधिक निदेशक नहीं होंगे। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, इस समय 10 निदेशक हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कार्यकलाप बढ़ेंगे और अधिक निदेशकों को नियुक्त करना आवश्यक समझा जाएगा तो शेष दो रिक्तयों को भरा जाएगा।

मनोरोग और न्यूरोटिक बीमारियों से ग्रस्त रोगी और डाक्टर तथा रोगी अनुपात

3052. **श्री बी० एस० विजय राघवन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न मनोरोग और न्यरोटिक बीमारियों के कुल कितने रोगी हैं;

(ख) देश में इस समय उनके इलाज के लिए कुल कितनी सेवाऐं उपलब्ध है;

(ग) उन रोगियों का प्रतिशत क्या है, जिन्हें चिकित्सा सुविधा वास्तव में मिलती है;

(घ) डाक्टरों और रोगियों के बीच क्या अनुपात है; और

(ङ) मानसिक रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि किसी एक समय में लगभग एक प्रतिशत व्यक्तिय 1000 व्यक्तियों में से 10 मनोविकारों से पीड़ित थे।

(ख) 24 मानसिक अस्पतालों में लगभग 20,000 पलंग हैं और सरकारी तथा शिक्षण अस्पतालों में 2500 मनोरोग पलंग हैं।

(ग) से (ङ) मानसिक रोगियों के उपचार के लिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के अनुसार मानसिक अस्पतालों में भर्ती करने की अपेक्षा बाह्य रोगी स्तर पर और जनरल अस्पताल की मनश्चिकित्सा यूनिटों में मानसिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाते समय मुख्य जोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को मानसिक स्वास्थ्य में प्र०-

मिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और वाह्य रोगी सेवाओं को बढ़ाया जाता है तथा जनरल अस्पताल के मनश्चिकित्सा यूनिटों को सक्षम बनाने पर जोर दिया जाता है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के निदेशक की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कोरिया के प्रेसीडेंट के साथ भेंट

3053. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1982 के "इण्डियन एक्प्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत की समाचार एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के महाप्रबन्धक की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कोरिया के प्रेसीडेन्ट श्री किम इल सुंग के साथ हुई भेंट का ब्यौरा प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या महाबन्धक की भेंट शिष्टाचार के नाते थी या शासकीय भेंट थी और यदि शासकीय थी, तो क्या भारत सरकार से पूर्वानुमति ली गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस भेंट को किसने प्रायोजित किया था;

(घ) इसमें विदेशी मुद्रा सहित कितना व्यय हुआ और यह व्यय किसने वहन किया;

(ङ) क्या भेंट का ब्यौरा प्रकाशित करने के लिए भी अनुमति ली गई थी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हाँ। कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ पी०टी० आई० के महाप्रबन्धक (निदेशक नहीं जैसा कि समाचार पत्र में छपा है) के इन्टरव्यू का पाठ 9-7-1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपा था। इसे "इन्टरऐड्स" द्वारा भुगतान के आधार पर जारी किया गया था।

(ख) और (ग) पी० टी० आई० के महाप्रबन्धक गुट-निरपेक्ष समाचार एजेन्सी पूल की समन्वय समिति की 7वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता के रूप में प्योंगयांग की यात्रा पर गए थे। प्योंगयांग जाने-आने का हवाई खर्च सरकार ने दिया था। बैठक में भाग लेने वाले सभी विदेशी प्रतिनिधि-मण्डलों के स्थानीय आतिथ्य-सत्कार का खर्च कोरिया जनलोक गणराज्य की सरकार ने वहन किया था। अपनी व्यावसायिक हैसियत में महाप्रबन्ध ने इस यात्रा का लाभ उठाते हुए राष्ट्रपति को लिखित प्रश्न भेजे। उन प्रश्नों के उत्तर पी० टी० आई० के महाप्रबन्धक के भारत वापस आने के काफी देर बाद मिले थे। लिखित उत्तर प्राप्त होने पर पी० टी० आई० ने इस इन्टरव्यू को एक समाचार के रूप में जारी किया था जिसे 7 जुलाई, 1982 को भारत के कुछ

समाचार-पत्रों ने प्रकाशित किया था। 9 जुलाई, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित खबर से पी० टी० आई० का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ङ) पी० टी० आई० के महाप्रबन्धक को विदेशी राज्याध्यक्षों के साथ इन्टरव्यू के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सी० जी० एच० एस० डिस्सपेंसरी, गुड़गांव के डाक्टरों और कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, समयोपरि भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान

3054. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव की डिस्पेंरिया दिल्ली की उप-नगरीय सी० जी० एच० एस० डिस्पेंरिया हैं, जिनके मुख्यालय और वित्तीय नियन्त्र भी दिल्ली में स्थित हैं;

(ख) क्या गुड़गांव की सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी के डाक्टरों और कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता समयोपरि भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते में कमी की गई है, जबकि अन्य डिस्पेंसरियों के कर्मचारियों को दिल्ली की दर पर भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कटौती की गई है और उसका औचित्य क्या है : और

(घ) क्या इस भेदभाव के कारण गुड़गांव के कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है और यदि हाँ, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें दिल्ली की दर पर उपर्युक्त भत्ते पुन: कब्र तक दिये जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) हां

(ख) और (ग) गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर-भत्ता उन्हीं दरों पर दिया जाता है जिन दरों पर ये भत्ते दिल्ली में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों को दिये जाते हैं। जहाँ तक गुड़गाँव का सम्बन्ध है, इसे वर्ग "य" वाले नगरों में शामिल किया गया है तथा वहाँ पर कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ता 7-1/2 प्रतिशत की दर से पाने के पात्र हैं तथा उन्हें नगर भत्ता देय नहीं है। ये भत्ते नगरों के वर्गीकरण तथा वहाँ कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सरकारी नियमों के अनुसार दिये जाते हैं।

(घ) कुछ कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वैसे मकान-किराया-भत्ता तथा नगर भत्ता नगरों के वर्गीकरण के अनुसार दिया जाता है।

सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, गुड़गांव के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति

3055. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सी० जी० एच० एच० की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में दो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं :

(ख) क्या गुड़गांवा स्थित सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में औसतन 80 से 90 नए रोगी प्रतिदिन आते हैं और इसमें केवल एक चिकित्सक है;

(ग) क्या यह सच है कि सी० जी० एच० एस० के निदेशक ने इस डिस्पेंसरी के लिए एक और आयुर्वेदिक चिकित्सक (महिला को प्राथमिकता) की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पद को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस पद पर कब तक नियुक्ति हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सामान्यतया प्रत्येक आयुर्वेदिक औषद्यालय में दो आयुर्वेदिक चिकित्सक दिए जाते हैं। गुड़गांव में इस समय केवल एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है। दूसरा चिकित्सक देने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा।

दिल्ली के अनैतिक व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए लोग

3056. **श्री एन० ई० होरो** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और अब तक अनैतिक व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने पुरुष और महिलायें गिरफ्तार की गई हैं;

(ख) उनमें से कितने लोगों पर न्यायालयों में मुकद्दमा चलाया गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी०के० थंगन) : (क) (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			जिन व्यक्तियों का चालान किया गया
	कुल	पुरुष	महिलाएँ	
1979	103	31	72	103
1980	294	26	268	294
1981	212	23	137	177
1982 (30.9.82) तक	159	29	130	86

ईरान में इन्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का ठेका

3057. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को ईरान में एक ठेका मिला है;

(ख) यदि हां, तो ठेका कुल कितनी धनराशि का है;

(ग) इण्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड उस देश में क्या निर्माण-कार्य करेगी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी संस्थान के निदेशक द्वारा धन का दुरुपयोग

3058. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की प्रशासकीय परिषद ने निर्देश द्वारा धनराशि को खर्च करने के तरीकों की जांच के लिए दूसरी जांच समिति गठित की है जैसा कि समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है; और

(ख) क्या मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्व जाँच समिति को ठप करने के लिए इस समिति को नियुक्त किया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) निरीक्षण दल द्वारा सितम्बर, 1981 में दी गई सूचना के अनुसार निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की जांच करते समय संस्थान की शासी परिषद ने 2 जुलाई, 1982 को हुई अपनी बैठक में अध्यक्ष को (केन्द्रीय शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण उप मंत्री) खरीद की वस्तुओं की जांच करने के लिए एक उप समिति गठित करने का अधिकार प्रदान किया। उस बात पर बल दिया गया कि उप-समिति को अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को बहुत जल्द प्रस्तुत करनी चाहिए । अध्यक्ष को रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया जिसे बाद में शासी परिषद की अगली बैठक में रखा जायेगा । उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अध्यक्ष के विचाराधीन है । अत: निरीक्षण दल की रिपोर्ट को ठप्प करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यात्रियों के लिए कनाडा द्वारा वीसा पर प्रतिबन्ध

3059. **श्री भीकू राम जैन**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह
श्री गुफरान आजम
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारतीय यात्रियों के सम्बन्ध में वीसा नीति मेंपरिवर्तन किया है;

(ख) क्या वहां के भारत कनाडा समुदाय ने मांग की है कि वीसा पर प्रतिबंध अनुचित है और भारत से आने वाले यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों को बिना वीसा कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी जाए ;

(ग) क्या इस मामले में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) कनाडा सरकार ने कनाडा की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिकों के लिए 15 अक्तूबर, 1981 से वीसा की अपेक्षाएं शुरू की हैं ।

(ख) कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने इस विषय पर जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनकी सरकार को जानकारी है ।

(ग) और (घ) जी हां । विभिन्न स्तरों पर कनाडा के प्राधिकारियों की जानकारी में यह

बात लाई गई है कि कनाडा द्वारा वीसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाना राष्ट्रमंडल देशों के बीच निर्बाध आवागमन के अनुकूल नहीं है। कनाडा द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों के लिए नई वीसा प्रणाली शुरू करना एक-तरफा निर्णय था।

तम्बाकू-उत्पादों की बिक्री के बारे में विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

3060. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिग्रेट और बीड़ी जैसे तम्बाकू-उत्पादों की बिक्री के बारे में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिबन्ध लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि धूम्रपान सम्बन्धी सांविधिक चेतावनी में उल्लिखित बात का जनता पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

चावल खाने वाले लोगों की अपेक्षा गेहूं खाने वाले लोगों में पथरी होने की अधिक सम्भावना

3061. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक दैनिक समाचारपत्र (दक्कन हैरल्ड दिनांक 25 सितम्बर, 1982) में प्रकाशित इस समाचार को और दिलाया गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में किए गए अध्ययन के अनुसार चावल खाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा गेहूं खाने वाले व्यक्तियों को मूत्रनलिका में पथरी होने की अधिक सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) समाचार पत्र में सम्भवत: राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में किए गए एक अध्ययन का उल्लेख किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि गेहूं के सेवन से मूत्र में यूरिक-एसिड का घुलना कम हो जाता है। मूत्राशय में पथरी का बनना कई बातों पर निर्भर करता है जिसमें आहार भी सम्मिलित है। उपर्युक्त अध्ययन से पता चलता है कि जब मूत्र की अन्य अवस्थाएँ पथरी पैदा करने वाली हों तो गेहूँ के सेवन से मूत्र द्वारा पथरी बनने की सम्भावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं।

मनखुर्द-पनवेल रेल सम्पर्क

3062. **जगन्नाथ पाटिल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि मनखुर्द-पनवेल रेल-सम्पर्क परियोजना का काम उच्च प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया जाना चाहिए;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने तथा महाराष्ट्र सरकार के एक उपक्रम 'सिडको' ने केन्द्रीय सरकार से कलवे-वाणी (न्यू बॉम्बे) के बीच रेल परियोजना का काम शुरू करने की जो सिफारिश की है, तथा 'सिडको' ने इसकी लागत के निमित्त 2 करोड़ रुपये की धनराशि के अंशदान का प्रस्ताव किया है; और

(ग) इन दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) मनखुर्द रेल सम्पर्क परियोजना के मनखुर्द-बेलापुर खंड, चरण-1 के लिए तकनीकी आर्थिक परियोजना रिपोर्ट, जिसकी अनुमानित लागत 76 करोड़ रु० थी, रेल मन्त्रालय द्वारा योजना आयोग को संस्तुत किया जा चुका है, जो सामान्य रेलवे योजनाओं से बाहर ऐसी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करता है उनके अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

जब कि उपर्युक्त परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग के पास लम्बित है, मनखुर्द से थाणे क्रीक तक 4-7 कि०मी० रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से बम्बई महानगर क्षेत्र विकास में प्राधिकरण ने महानगर परिवहन परियोजना संगठन को कहा है कि मनखुर्द से थाणे ग्रीन तक 4.7 कि०मी० लम्बी एक रेलवे लाइन बना दी जाए जो उपर्युक्त मनखुर्द-बेलापुर खंड का एक भाग है, जिसमें उसकी लागत के लिए 2 करोड़ रु० के अंशदान का प्रस्ताव भी गया है।

रेल मन्त्रालय का यह विचार है कि जब तक योजना आयोग द्वारा मनखुर्द-बेलापुर की समस्त योजना की स्वीकृति नहीं दी जाती, रेलवे नगर एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तावित रेलवे लाइन का आंशिक निर्माण नहीं कर सकती है।

चिकित्सा शिक्षा योजना के नए रूप में क्रियान्वयन पर रिपोर्ट

3063. **श्री हरिहर सोरन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से चिकित्सा शिक्षा योजना को नए रूप में क्रियान्वयन से हुई प्रगति पर रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रगति की रिपोर्ट केन्द्र को भेजी है ; और

(ग) उन राज्यों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणीपुर, उड़ीसा, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(ग) राज्यों के बहुत से कालेजों ने स्नातक-पूर्व तथा इंटर्नशिप दोनों स्तरों पर ग्रामीण प्रशिक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग करने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी हैं। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी चिकित्सा देखभाल, परिवार नियोजन तथा अन्य सेवाओं का विस्तार किया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थान को तीन मोबाइल क्लिनिक उपलब्ध किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहे हैं।

सहायक सुरक्षा अधिकारी की पदोन्नति और तैनाती

3064. **श्री बाला साहब पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल के उन सहायक सुरक्षा अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1974 में उत्तरी रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में नियुक्त किया गया था और वे अभी भी इलाहाबाद डिवीजन में तैनात हैं और उन्हें इलाहाबाद डिवीजन में ही रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि टुंडला, हरदुआगंज और शिकोहाबाद के क्षेत्र भी, जहां बहुत अधिक चोरियां हुई हैं, उन्हीं अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जो उसी डिवीजन में 1974 से कार्यरत है; दूसरी रेलवे या आर०पी०एस०एफ० इन अधिकारियों का स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे सुरक्षा बल का केवल एक सहायक सुरक्षा अधिकारी है जिसे 1974 में तैनात किया गया था तथा अभी तक उसी मण्डल में तैनात है। इस अवधि के दौरान, वह इलाहाबाद मण्डल के तीन विभिन्न स्थानों पर तैनात रहा। किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट मण्डल में कितने ही समय तक तैनात किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) इन स्थानों पर कुछ गम्भीर चोरी के मामले हुए हैं । वर्ष 1978 में हरदुआगंज में चीनी के बोरों की चोरी हो जाने के समय यह अधिकारी कानपुर में तैनात था जिनके अधिकार क्षेत्र में हरदुआगंज (जिला अलीगढ़) था । अगस्त, 1981 में टुण्डला में तथा जुलाई 1982 में शिकोहाबाद में चुरायी गयी सामग्री बरामद करते समय यह अधिकारी टुण्डला में तैनात था । दोनों ही स्थान उनके अधिकार क्षेत्र में थे । इन मामलों के अलावा, किसी अन्य गम्भीर और बड़ी मात्रा में चोरी के मामलों की रिपोर्ट नहीं मिली है । इनमें से किसी भी मामले में इस अधिकारी की सांठ-गांठ या उसकी ओर से ड्यूटी में चूक नजर नहीं आयी है । यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक निरीक्षक

3065. **श्री बाला साहब पवार :** क्या रेल मन्त्री बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक निरीक्षकों के बारे में 25 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वाणिज्यिक निरीक्षक 455-700 रुपये के ग्रेड में अभी भी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं, यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया है;

(ख) क्या 455-700 के वेतमान में सी.एम. आई. के पद पहले मुख्यालय द्वारा नियन्त्रित किए जाते थे परन्तु अब इनका नियन्त्रण प्रभागी नियन्त्र द्वारा किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार हरिजनों के लिए आरक्षित पदों को शीघ्र भरने का है, और यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । इन पदों को नियमित आधार पर भरने के वास्ते एक लिखित परीक्षा के लिए प्रबन्ध कर लिये गये हैं और इस चयन में अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों के बारे में भी विचार किया जायेगा ।

(ख) 455-700 रु० के वेतनमान में सी.एम.आई. का पद अभी भी मुख्यालय द्वारा नियन्त्रित किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

टुंडला में यार्ड, प्लेटफार्म और लोकोशैड से चोरी के मामले

3066. **श्री बाला साहब पवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टुंडला में सितम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक यार्ड प्लेटफार्म और लोकोशैड से चोरी के कितने मामलों का पता लगा है और इस अवधि में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी कि अपराध और चोरी के मामलों को पंजीकृत किया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें उचित दंड दिया जाए ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सितम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक की अवधि में टुंडला में यार्डों, प्लेटफार्मों और लोकोशेडों से चोरियों के 65 मामले दर्ज किये गये थे। इनमें से 49 मामलों का पता लगाया जा सका।

(ख) रेल सम्पत्ति की चोरियों के मामलों की रोक-थाम करने और उनका पता लगाने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे सभी मामले जिनकी रिपोर्ट मिलती है अथवा जिन्हें नोटिस में लाया जाता है, उपयुक्त वैध कार्रवाई करने के लिए दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

भारतीय रेलवे का परामर्श-दात्री तन्त्र

3067. **श्रीमती प्रमिला दंडवते**
श्री बापू साहिब परुलेकर
श्री चिन्तामणि जैना } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय रेलवे के मंग परामर्शदात्री तन्त्र का पुनर्गठन न करने का निर्णय किया है : और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

दिल्ली नगर निगम के वर्ष 1973 से निलम्बित फार्मेसिस्ट तथा निलम्बन भत्ते का भुगतान न किया जाना

3068. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधीन अस्पतालों में नियुक्त ऐसे फार्मेसिस्टों की कुल संख्या क्या है ? जो अगस्त 1973 से निलम्बित हैं तथा उनके निलम्बन के क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसे फार्मेसिस्टों की कुल संख्या क्या है जिनको निलम्बित करने के बाद उनका निलम्बन भत्ता भी रोक दिया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर दी जाएगी।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए आबंटित धनराशि

3069. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष वार उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, मरम्मत और निर्माण-कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि का अनुरोध किया है; और

(ख) उक्त अवधि में, वर्ष वार केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और विकास		राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत	
	संशोधित अनुमान के स्तर पर आवश्यकता	प्रत्येक कार्य के लिए अनुज्ञेयता की जांच करने के बाद आबंटित कोष	संशोधित अनुमान के स्तर पर धन की आवश्यकता	प्रत्येक मद के लिए अनुज्ञेयता की जांच करने के बाद आबंटित धन
1980-81	521.78	370.00	285.11	152.60
1981-82	576.52	380.00	293.67	199.21

छात्रों में नशीली दवाओं के प्रयोग के बारे में अध्ययन

3070. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों में नशीली दवाओं के प्रयोग के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयु-वार और राज्य-वार नशीली दवाओं का प्रयोग करने वाले छात्रों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने छात्रों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों में नशीली दवाओं के प्रयोग का अध्ययन भी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। चुने हुए विश्वविद्यालयों में इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के आधार पर 7 विश्वविद्यालय केन्द्रों पर विभिन्न नशीली दवाओं के प्रचलन की दरों की प्रतिशतता विवरण I में दी गई हैं।

(ग) दो अध्ययन आयोजित किए गए; एक दिल्ली में औद्योगिक कार्यकर्ताओं के संबंध में और दूसरा राजस्थान के अजमेर ज़िले में ग्रामीण समुदायों के बीच। इनका विवरण क्रमशः II और III में दिया गया है।

विवरण I

विभिन्न केन्द्रों पर विभिन्न औषधियों के प्रचलन की प्रतिशतता (1976)

औषधि	बम्बई	मद्रास	दिल्ली	जयपुर	हैदराबाद	वाराणसी	सागर
अल्कोहल	15.1	9.5	12.2	9.8	11.8	10.4	9.3
तम्बाकू	8.1	15.2	10.5	9.2	8.1	15.1	10.9
पीड़ानाशक	12.6	1.2	20.9	2.3	5.2	13.8	15.2
प्रशान्तक	1.0	1.0	2.9	1.2	1.6	2.5	1.2
एम्फेटामाइन्स	0.2	0.4	0.3	0.5	0.7	1.3	1.6
बारबीच्यूरेटस	0.6	1.4	0.6	0.4	0.9	1.8	0.5
कन्नाविस	0.4	1.5	1.3	0.9	1.0	10.9	8.0
एल. एस. डी.	0.07	0.4	0.2	0.2	0.1	0.9	0.2
कोकीन	0.05	—	0.03	0.09	0.1	0.96	0.1
पैथीडाइन	0.05	0.08	0.2	0.2	0.1	0.9	0.1
ओपियम्	0.4	0.03	0.5	0.2	0.1	0.9	0.3
कुल	4151	3580	3991	4081	2097	3852	4415

विवरण II

"औद्योगिक कार्यकर्ताओं में नशीली दवाओं के प्रयोग" के बारे में केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए एक अध्ययन आयोजित किया गया था। इसमें 4000 कार्यकर्ताओं के नमूने के साथ दिल्ली में 16 फ़ैक्टरियों का अध्ययन किया गया।

2. इसके निष्कर्षों से प्रकट होता है कि कार्यकर्ताओं के अधिकांश अर्थात 71.05% नशीली दवाओं का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, 10.43% नियमित उपभोक्ता हैं और 18.53% कभी-कभी प्रयोग करने वाले हैं (तम्बाकू को नशीली दवा के रूप में शामिल नहीं किया गया था परन्तु अल्कोहल को शामिल किया गया था)।

3. निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि इस समस्या के लिए कई बातें संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इनमें ये बातें महत्वपूर्ण हैं: (क) औद्योगिक ढांचे में कठोर परिश्रम (ख) मनोरंजन के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी (ग) पर्यावरण सम्बन्धी और आर्थिक तथ्य।

विवरण III

राजस्थान में अजमेर जिले के ग्रामीण समुदायों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग

पीड़ानाशक	58.4%
तम्बाकू	44.6%
अल्कोहल	24.7%
ओपियम	10.4%
केन्नविस	4.0%
प्रशान्तक	0.1%

प्रतिवादियों द्वारा हीरोइन, मोरफिन, पैथीडाइन और हालनसीनोजन जैसी नशीली दवाइयों के प्रयोग की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।

* टिप्पणी : कुल 4670 व्यक्तियों का अध्ययन किया गया था।

उज्जैन-नागदा लाइन को दोहरा करना

3071. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत उज्जैन और नागदा जंक्शन के बीच बड़ी लाइन को दोहरा

करने का काम किस तारीख को शुरू हुआ तथा क्या इस लाइन को दोहरा करने सम्बन्धी काम को पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इसी सैक्शन पर उज्जैन से नईखेड़ी तथा पिपलोडा बगला से नागदा जंक्शन तक की लाइनों को दोहरा करने का काम किस तारीख को शुरू किया गया था।

(ग) नईखेड़ी और पिपलोडा के बीच की लाइन को दोहरा करने का काम कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) उज्जैन-नागदा सेक्शन पर अगस्त 1982 में औसतन कितनी माल गाड़ियां और सवारी गाड़ियां एक दिन में चली तथा इन मालगाड़ियों और सवारीगाड़ियों का अनुपात क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नागदा-उज्जैन के बीच 19.17 कि० मी० लम्बाई में कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने की स्वीकृति 7-8-78 को दी गयी थी। नागदा तथा पिपलोडा बागला के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और इसे 3-6-81 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। नाईखेड़ी तथा उज्जैन के बीच (8.38 कि० मी० में) दोहरी लाइन पूरी हो चुकी है और 20-9-77 को यातायात के लिये खोल दी गयी है। जहां तक नाईखेड़ी तथा पिपलोडा बागला खंड पर दोहरी लाइन बिछाने का सम्बन्ध है, यह एक अनुमोदित कार्य है। अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(घ) उज्जैन-नागदा खंड पर अगस्त, 1982 में प्रत्येक ओर से चलायी गयी माल तथा सवारी गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या क्रमशः 13.6 तथा 3 थी। इन माल तथा सवारी गाड़ियों के बीच का अनुपात 82 : 18 था।

एक्सरे फिल्मों की कम सप्लाई और भारतीय तथा आयातित फिल्मों के मूल्य

3072. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एक्सरे फिल्म बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में प्रयोग के लिए एक्सरे फिल्में खरीदी जाती हैं और उनका खरीद मूल्य कितना है;

(ख) क्या एक्सरे फिल्मों की आवश्यकता आयातित फिल्मों से पूरी की जाती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी आयातित फिल्मों की संख्या कितनी है तथा उनका खरीद मूल्य कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) से (ग) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के लिए फिल्मों की आवश्यकता पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड, मद्रास द्वारा पूरी की जाती है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। आवश्यकता के कुछ भाग का आयात भी किया जाता है।

छपरा-पिपरा बाजार रेल लाइन

3073. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छपरा-पीपरा बाजार (मोतीहारी) रेल लाइन की कुल लागत कितनी है; और

(ख) क्या सरकार भारत और नेपाल के बीच आवागमन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लगाएगी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छपरा से पीपरा (मोतीहारी) तक प्रस्तावित नयी लाइन के निर्माण के लिए अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जिस लाइन का सुझाव दिया गया है उसमें गण्डक नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाना शामिल है, इसलिए केवल भली प्रकार से सर्वेक्षण किए जाने के बाद ही वास्तविक अनुमानित लागत बतलायी जा सकती है।

धन की भारी तंगी को देखते हुए, इस समय अधिक लागत वाली और अलाभप्रद परियोजनाओं को आरम्भ करना सम्भव नही होगा।

छपरा-वाराणसी छोटी लाइन को
बड़ी लाइन में बदलना

3074. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) छपरा-वाराणसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) क्या विभाग द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद भी यह प्रस्ताव लंबित पड़ा है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) *1979* में वाराणसी-छपरा खण्ड पर 206 कि०मी दूरी में मीटर लाइन में बदलने के लिए एक प्रारम्भिक इन्जीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण के आदेश दिये गये थे। सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जाँच की जा रही है।

इसकी व्यावहारिकता, वित्तीय अर्थ क्षमता, धन उपलब्ध होने की स्थिति की जाँच कर लेने

और योजना आयोग से इसकी स्वीकृति मिलने पर इस निर्माण कार्य को आरम्भ करने के बारे में विचार किया जायेगा । अतएव, इस समय इसके पूरा हो जाने की लक्ष्य तिथि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सदाकत आश्रम, पटना के सामने गंगा पर पुल

3075. **प्रो० सत्यदेव सिंह** क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सदाकत आश्रम, पटना के सामने गंगा नदी पर एक नए पुल बनाने के लिए चुने गए स्थल की मिट्टी के परीक्षण के सम्बन्ध में पुणे से रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) पुल बनाने में हुए विलम्ब की अवधि कितनी है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) पुल के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए सैण्ट्रल एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणें मे नमूना प्रयोग किए जा रहे हैं। ये नमूना प्रयोग अन्तिम चरण में हैं। इस पुल का तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए एक प्रारम्भिक इन्जीनयरी एवं यातायात सर्वेक्षण भी 1981-82 के बजट में सम्मिलित किया गया है और यह सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस परियोजना को शुरू करने के बारे में अन्तिम निर्णय बिहार सरकार के साथ परामर्श करके तथा सेन्ट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे से ब्यौरेवार रिपोर्ट तथा इस सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उनकी जांच कर लिए जाने के पश्चात् किया जाएगा,, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो और योजना आयोग इसकी स्वीकृति दे दे।

सरजू नदी पर माँझी पुल

3076. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माँझी (बिहार) में सरजू नदी पर प्रस्तावित सड़क पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख)

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बेलियां-छपरा मार्ग पर माँझी घाट के समीप सरजू नदी पर प्रस्तावित पुल का जब निर्माण होगा तब यह पुल राज्य सड़क पर होगा और इस प्रकार इसके निर्माण के लिए मुख्यत: उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें उत्तरदायी हैं। अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऋण सहायता के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत फरवरी, 1979 में 4.50 करोड़ रुपये ऋण सहायता के रूप में अनुमोदित किए गए जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को बराबर राशि रखी गयी है। इस पुल की अनुमानित लागत अब 7.40 करोड़ रुपये बताई गयी है। इस पुल के निर्माण के लिए धन जुटाने के बारे में व्यवस्था अभी तय नहीं की गई है। जिसका कारण यह है कि इसके निर्माण पर जो धन राशि नियत राशि से अधिक खर्च होगी उसके वहन करने के बारे में राज्य सरकारों की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण से यह कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

स्वैच्छिक संगठनों को नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने के लिए प्रोत्साहन और महाराष्ट्र के लिए केन्द्रीय आबंटन

3077. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "20 सूत्री कार्यक्रम" महत्त्वपूर्ण विषयों में से एक है, ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना :

(ख) क्या स्वास्थ्यकर स्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में आपरेशन करने के लिए नेत्र सर्जनों का पता करने और उन विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को जो मानवीय हितों के लिए कार्य करना चाहें, समुचित सरकारी सहायता देने के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार की गई है; और

(ग) 1981 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और 1982 के लिए धनराशि का आबंटन निश्चित किया गया और अब तक कितनी धन राशि का उपयोग किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृष्टिविकार नियन्त्रण कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों तथा 50 000 से कम की आबादी वाले कस्बों में नेत्र शिविर आयोजित करने के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे नेत्र शिविरों तथा उनके लिए वित्तीय सहायता देने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में प्रशिक्षण प्राप्त और अनुभवी नेत्र सर्जनों

की व्यवस्था करने और नेत्र आपरेशन करने के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य दशा निर्धारित की गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5557/82]

(ग) 1981-82 के दौरान भारत सरकार द्वारा नेत्र शिविरों का आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र के 16 स्वैच्छिक संगठनों 168020/- रुपये का अनुदान मंजूर किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार ने सितम्बर, 1982 के पहले सप्ताह तक महाराष्ट्र के 12 स्वैच्छिक संगठनों को 68220/- रुपये पहले ही मंजूर कर दिए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह शक्ति दी है कि वे इन्ट्राआकुलर आपरेशनों का काम करने के लिए नेत्र शिविरों का आयोजन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को 1-9-1982 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे सहायता अनुदान मन्जूर कर दें।

ऐसे क्षेत्र, जहां रेल सेवा उपलब्ध नहीं है

3078. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वे क्षेत्र कौन से हैं जहां आज भी रेल सेवा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) उनमें से क्षेत्र कौन से हैं जहां रेल सेवाओं की व्यवस्था किए जाने का विचार है और कब तक; और

(ग) क्या उन क्षेत्रों में जहां कोई रेल सेवा नहीं है, बस का किराया कम रखने के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय उन राज्यों से है जो अब तक रेल लाइनों से सम्बद्ध नहीं हैं।

मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, अण्डमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली के सिवाय सभी राज्य रेलों से सम्बद्ध हैं। तथापि, निम्नलिखित राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों में निम्नलिखित रेल लाइनों की व्यवस्था की जा रही है। इनके पूरा होने की अन्तिम तारीखें भी, जो संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, प्रत्येक के सामने दी गई है :—

1. **मिजोरम** : मिरोजम राज्य में मीटर लाइन ले जाने के लिए 15 करोड़ रुपये की लागत से लाल-बाजार भैरवी मीटर लाइन रेल सम्पर्क (49 कि०मी०) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस लाइन के 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है।

2. **मणिपुर** : 26.98 करोड़ रुपये की अनुमति लागत से सिल्चर-जिरीबाम मीटर-लाइन रेल सम्पर्क (49 कि०मी०) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है।

3. **नागालैण्ड** : 6 करोड़ रुपये की अनुमति लागत से अंगुरी-तुली मीटर लाइन रेल सम्पर्क (17·07 कि०मी०) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 1985 तक पूरा होने की आशा है।

4. **अरुणाचल प्रदेश** : 10.97 करोड़ रु० की अनुमातित लागत से बलीपाड़ा-भालुकपोंग मीटर लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के दिसम्बर, 1984 तक पूरा होने की आशा है।

5. **मेघालय** : 8·20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुवाहाटी-बरनीहाट बड़ी लाइन रेल सम्पर्क (24.82 कि०मी) के निर्माण कार्य का अनुमोदन किया गया है। तथापि, राज्य सरकार अभी तक इस लाइन के बरनीहाट तक के निर्माण के लिए सहमत नहीं हुई है और उन्होंने इसे असम-मेघालय सीमा पर बरदुआ स्थान पर समाप्त करने का सुझाव दिया है। गृह मन्त्रालय, उत्तर पूर्वी परिषद् और अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों के परामर्श से इस सुझाव की जांच की जा रही है। इस लाइन के पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि, लाइन को बरनीहाट या बरदुआ पर समाप्त करने का विनिश्चय किये जाने के पश्चात् ही निर्धारित की जायेगी।

(ग) यह रेल मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

डीजल इंजन के पुर्जे बनाने वाली पटियाला स्थित फैक्टरी को विश्व बैंक ऋण

3079. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने डीजल इंजन पुर्जे बनाने वाली पटियाला स्थित फैक्ट्री के लिए भारतीय रेलवे को ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा कितनी धन राशि का ऋण दिया गया है; और

(ग) क्या रेल विभाग इस प्रकार के पुर्जों के निर्माण के लिए पूंजी निवेश करने की स्थिति में नहीं था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्राययय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ। विश्व बैंक ने "रेलवे आधुनिकीकरण ओर अनुरक्षण परियोजना II" के लिए 4000 लाख डालर का ऋण देना स्वीकार किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ पटियाला के पुर्जे कारखाने के लिए लगभग 550 लाख डालर शामिल है।

(ग) योजना में निवेश परिव्यय के लिए धन की व्यवस्था राष्ट्रीय बचत और विदेशी श्रोतों

सें की जाती है। विदेशी सहायता के लिए निर्धारित परियोजनाएँ समग्र वितीय और आर्थिक अर्थ-क्षमता पर निर्भर करती है।

दरभंगा-जयनगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3080. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा-जयपुर छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रलय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दरभंगा-जयनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण अभी भी किया जा रहा है। मीटर लाइन से बड़ी लाइन में वास्तविक आमान-परिवर्तन का निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी जांच कर लिए जाने के बाद ही किया जायेगा बशर्ते कि तकनीकी व्यावहारिकता हो या वह अर्थसक्षम हो तथा धन उपलब्ध हो और योजना आयोग उसकी स्वीकृति दे दे।

सरकारी-हसनपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण

3081. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकारी-हसनपुर रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट और योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और भूमि का अधिग्रण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। 74.90 कि०मी० से अधिक लम्बी सकरी से हसनपुर तक मीटर आमान की एक नयी लाइन का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है। बहरहाल, धन की अत्यन्त तंगी होने के कारण इस परियोजना पर अधिक प्रगति नहीं हो सकी है।

पंजाब मेल का देरी से चलाना

3082. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों से बम्बई से फिरोजपुर और गंगानगर तक चलने वाली पंजाब

मेल दिल्ली स्टेशन से कितने दिन विलम्ब से पहुँची और दिनांक-वार कितने घन्टे विलम्ब से आई;

(ख) क्या इस रेल के विलम्ब से पहुँचने के कारण और भटिंडा में सम्पर्क रेल न मिलने के फलस्वरूप यात्रियों को कई घन्टों तक इन्तजार करना पड़ता है और विशेषरूप से सूरतगढ़ के यात्री भटिंडा में छूट जाते हैं;

(ग) क्या पंजाब मेल के विलम्ब से पहुँचने के कारण सूरतगढ़ का डिब्बा भटिंडा में पड़ा रहता है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि रेल निश्चित समय पर पहुँचे ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) जब 37 अप पंजाब मेल भन्टिडा में बहुत अधिक विलम्ब से पहुंचता है तो दिल्ली-सूरतगढ़ के दो थ्रू यात्री डिब्बे भटिण्डा में ही रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ कालका-सूरतगढ़ एक्प्रेस के अलावा मेल लेने वाली कोई अन्य गाड़ी नहीं है ।

(घ) 37 अप पंजाब मेल के चालन में सुधार लाने के लिए सभी व्यावहारिक प्रयास किये जा रहे हैं ।

विवरण

माह	ठीक समय तथा 30 मिनट तक का विलम्ब	31 से 60 मिनट तक का विलम्ब	61 से 120 मिनट तक का विलम्ब	120 मिनट से अधिक का विलम्ब
अप्रैल '82	2	7	11	10
मई '82	6	5	13	5
जून '82	4	5	10	11
जुलाई '82	13	8	7	3
अगस्त '82	15	4	3	6
सितम्बर '82	22	3	2	3

एन०सी०ई०आर०टी० में कर्मचारियों की नियुक्ति

3083. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1982 से एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा शिक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके पद के नाम क्या हैं; कितने पद हैं, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कितने व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और कितने व्यक्तियों को चयन सूची में रखा गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के मुख्यालय से सम्बन्धित सूचना संलग्न है। चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र०स०	पद का नाम	पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	सत्साक्षात्कार के लिए बुलाए व्यक्तियों की संख्या	चयन सूची में रखे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	हिन्दी में रीडर	1	33	24	1
2.	तमिल में लेक्चरर	1	19	7	1
3.	बंगाली में लेक्चरर	1	11	7	2
4.	रसायन शास्त्र में लेक्चरर	3	284	72	10
5.	वनस्पति शास्त्र में लेक्चरर	1	130	37	1
6.	जीव-विज्ञान में रीडर	1	33	16	1
7.	गणित में रीडर	1	54	27	3
8.	गणित में लेक्चरर	5	193	73	12
9.	शिक्षा में रीडर तथा गैर-औपचारिक शिक्षा तथा ई०आर०आई०सी० में रीडर	6	387	162	15

महेन्द्रनाथ उत्तरपूर्व रेलवे में हाल्ट स्टेशन

3084. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के चेनवा और एकमा स्टेशनों के बीच महेन्द्रनाथ में एक हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्ष 1979 में पूर्वोत्तर रेलवे ने चेनवा और एकमा स्टेशनों के बीच कि०मी० 359/8-9 पर एक हाल्ट स्टेशन खोलने का निर्णय इस शर्त पर किया था कि स्थानीय लोगों द्वारा श्रमदान के जरिये मिट्टी डालने का कार्य किया जाएगा। स्थानीय लोगों द्वारा इस अश्वासन के पूरा न करने के इस हाल्ट के निर्माण में देरी हो रही है। बिहार राज्य सरकार ने प्रस्तावित हाल्ट के लिए अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है। मिट्टी सम्बन्धी काम तथा अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा हो जाने पर उक्त हाल्ट खोला जाएगा।

नई रेल लाइनों के अत्यावश्यकता (अर्जेंसी) प्रमाण पत्र और रेल लाइनों को बदलने की परियोजनायें

3085. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वित्तीय वर्षों के दौरान (एक) नई रेल लाइनों के निर्माण (दो) रेल लाइनों को बदलने की परियोजनाओं के लिए कोई 'अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र' (अर्जेंसी सर्टिफिकेट) जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो जिन नई रेल लाइनों और रेल लाइनें बदलने की परियोजनाओं के लिए ये प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं; उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई रेल लाइनों का निर्माण/रेल लाइनें बदलने की परियोजनाओं में हुई प्रगति की नवीनतम स्थिति क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परियोजना को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में रेलवे बोर्ड द्वारा निम्न-

लिखित नयी लाइनों/आमान परिवर्तनों के लिए तात्कालिकता प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। उनका आवंटन और प्रगति नीचे दी गयी है :—

रेलवे लाइन	रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत तात्कालिकता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	परिव्यय 1982-83	प्रगति
1	2	3	4	5
1. नयी हल्दवानी से रामपुर तक नयी बड़ी लाइन-पूर्वोत्तर रेलवे	23-5-80	50	(करोड़ रु० में) 0.50	13.95%
2. मुरादाबाद से रामनगर तक मीटर आमान का बड़े आमान में बदलाव-पूर्वोत्तर रेलवे	23-5-80	50	0.05	12.20%
3. पूर्वोत्तर रेलवे-वाराणसी से भटनी मीटर आमान का बड़े आमान में बदलाव-पूर्वोत्तर रेलवे	8-5-80	25	0.9005	10.4%
4. समस्तीपुर से दरभंगा मीटर लाइन से बड़ी लाइन से आमान परिवर्तन पूर्वोत्तर रेलवे	18-3-81	60	0.20	—
5. लालाघाट से भैरावी तक नयी मीटर लाइन-पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	29-4-80	160	1.50	4.31%
6. गुवाहाटी से बरनीहाट नयी बड़ी लाइन-पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	30-1-81	259	0.10	1.3%
7. आमगुड़ी से तुली नयी-बड़ी लाइन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	26-5-81	50	1.00	2.15%
8. गुवाहाटी से डिबरुगढ़ बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन-पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	30-7-81	100	0.40	अंतिम स्थान निर्धारण इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण चालू है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

1	2	3	4	5
9. बंगलूरु सीटी से मैसूर तक मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन-दक्षिण रेलवे	18-8-82	3.76 करोड़	50 लाख	8.60%
10. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	24-5-82	30 लाख	30 लाख	अंतिम सर्वेक्षण प्रगति पर है।
11. दक्षिण रेलवे-एर्णाकुलम	25-7-80	237	300 लाख	30% अनुमान स्वीकृत।
12. अलेप्पी-कायामकुलम	16-4-82	1.40 करोड़	1.40 करोड़	—
13. डिंडीगुल, मदुरै और मैयाची के रास्ते करुर से तिरुनेलवल्ली तूतिकोरिन तक समानान्तर बड़ी नयी लाइन/आमान परिवर्तन	23-7-81	50	1.70 करोड़	चरण-1
14. कोरापुट-रायागदा बड़ी नयी लाइन/दक्षिण पूर्व रेलवे	13-8-81	20	1.00 करोड़	
15. दक्षिण मध्य रेलवे-मानीकगढ़-चंदूर बड़ी नयी लाइन	30-1-81	50	2 करोड़	प्राक्कलन स्वीकृति
16. दक्षिण मध्य रेलवे-गुंटूर मचेरला मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन	29-11-80	40	35 लाख	3%
17. पश्चिम रेलवे-कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच बड़ी नयी लाइन।	31-1-81	100	450 लाख	3.30%
18. भुज-नलिया मीटर लाइन	26-12-81	25	300 लाख	
19. उत्तर रेलवे नागंल डैम-तलवाड़ा	6-5-82	25	125 लाख	कार्य शुरू करने के लिए अन्तिम प्रबन्ध किया जा रहा है।
20. उत्तर रेलवे-कालका-परवानू	17-4-82	50	50 लाख	

1	2	3	4	5
21. सूरतगढ़ से सरुपसर तक मिली-जुली लाइन का निर्माण और सरुपसर-अनूपसर नयी लाइन का आमान परिवर्तन।	30-7-82	100	2·00 करोड़	—

ह्वेन सांग स्मारक

3086. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा बिहार में ह्वेन सांग स्मारक पूरा हो गया है और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे राज्य सरकार को किस तारीख को सौंपा गया है और इसके निर्माण में कितना समय लगा तथा इसकी मूल रूप से अनुमानित लागत कितनी थी और अन्तिम रूप से कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) इस स्मारक को किस उपयोग में लाया गया है; और

(घ) यदि राज्य सरकार को अभी नहीं सौंपा गया है तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी नहीं।

(ख) स्मारक का निर्माण कार्य जनवरी 1961 में प्रारम्भ हुआ। स्मारक, जब यह पूरा हो जाएगा, बिहार सरकार को सौंप दिया जाएगा। प्रारम्भ में 13.97 लाख रु० के अनुमानित व्यय की परिकल्पना की गई थी तथा कल अन्तिम व्यय, जिसका अनुमोदन कर दिया गया है, 35.55 लाख रु० है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्मारक भवन के निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण स्मारक की ऊपरी छत के लिए जापान से विशेष प्रकार की खपरेलों का आयात तथा कुछ अन्य छुट-पुट कार्य हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को आशा है कि निर्माण कार्य दिसम्बर, 1983 तक पूरा हो जाएगा।

विदेशी पर्यटकों के लिए 'दी ग्रेट इण्डियन रोवर' और 'हिमालयन क्वीन'

3087. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए 'दी ग्रेट इण्डियन रोवर' और 'हिमालयन क्वीन' नामक दो रेलगाड़ियां चलाने का निर्माण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो दो परियोजनाओं के अन्तर्गत, पृथक-पृथक, पर्यटन संवर्द्धन का स्वरूप और सम्भावना क्या है और पर्यटकों के लिए क्या मुख्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है;

(ग) ये दोनों रेलगाडियां कब तक चलाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) पहले चलाई गई रेलगाड़ियां 'पैलेस आन व्हील्स' की तुलना में दोनों रेल गाड़ियां कैसे होंगी ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) 30-12-1982 से कलकत्ता-गया-वाराणसी-गोरखपुर (लुम्बिनी और कुशीनगर के लिए)—कलकत्ता के बीच बौद्ध परिपथों पर एक विशेष पर्यटक गाड़ी "दी ग्रेट इंडियन रोवर" चलाने का विनिश्चय किया गया है। 'हिमालयन क्वीन' गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन मन्त्रालय के परामर्श से अभी जांच-पड़ताल की जा रही है। दि ग्रेट इंडियन रोवर के विपणन, प्रबन्ध और प्रोत्साहन का काम भारती पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया है। दि ग्रेट इंडियन रोवर के यात्रियों के लिए गाड़ी में ठहरने, गाड़ी में और उसके बाहर खान-पान प्रबन्ध, बौद्ध धार्मिक स्थलों आदि के नियोजित भ्रमण आदि की व्यवस्था की जायेगी। "पैलेस आन व्हील्स" मीटर लाइन की गाड़ी है जिसमें प्रामाणिक पुराने सैलून लगे हैं और जिसकी मार्ग सूची में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के स्थान शामिल हैं। दि ग्रेट इण्डियन रोवर बड़ी लाइन की गाड़ी है जिसमें पहले दर्जे के वातानुकूलित डिब्बे लगे होते हैं और जिसकी मार्ग सूची में पूर्वी भारत के बौद्ध तीर्थ स्थल आते हैं।

श्री बिल्ली नायर का दक्षिण अफ्रीका की जेल में बंद रखा जाना

3088 **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र पेनल की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत मूल का दक्षिण अफ्रीकी बिल्ली नायर नामक एक स्वतन्त्रता सेनानी 1964 से दक्षिण अफ्रीका की जेल में पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रिहाई के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

विदेशी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम : (क) जी हाँ। पृथग्वासन विरोधी विशेष समिति के समय, राजनैतिक कैदियों से सम्बद्ध कृतिक बल के अध्ययन द्वारा 31 अगस्त, 1982 को दिए गए वक्तव्य में इसका जिक्र किया गया है;

(ख) और (ग) दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत सरकार के राजनैतिक या कोंसली सम्बन्ध नहीं हैं। इसकेब ावजूद हमने दक्षिण अफ्रीका की प्रजातिवादी शासन की पृथग्वासन और प्रजातिय भेद भाव की नीति की, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तराष्ट्रीय मंचों पर बराबर निन्दा की है, और उस देश में सभी राजनैतिक कैदियों की रिहाई की बार-बार मांग की है। इस वर्ष 21 अक्तूबर को दक्षिण अफ्रीका राजनैतिक कैदियों के प्रति सहानुभूति दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र विशेष राजनैतिक समिति को प्रेषित संदेश में भी प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई है।

भारतीय नर्तकी को पाकिस्तान में प्रदर्शन करने की अनुमति न दिया जाना

3089. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारतीय शास्त्रीय नर्तकी भारती शिवाजी को पाकिस्तान में भारत के स्वाधीनता दिवस समारोहों में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई : और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हाँ।

(ख) 22 जून, 1982 को इस्लामाबाद में हमारे राजदूतावास ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय से अनुरोध किया था कि वे श्रीमती भारती शिवाजी और उनके दल के अन्य सदस्यों को भारत के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कराचीं में नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति दें। बार-बार याद दिलाये जाने पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के राजदूतावास ने 1 अगस्त को वीजा जारी किऐ थे, लेकिन उसी दिन शाम को पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद स्थित हमारे राजदूतावास को यह बताया कि ये वीजा गलती से दिये गये हैं और वस्तुत: ये वीजा पाकिस्तान की की यात्रा के लिए है, नृत्य कार्यक्रम पेश करने के लिए नहीं। परिणामत: श्रीमती भारती शिवाजी और उनके दल की पाकिस्तान यात्रा रद्द करने का निश्चय किया गया।

भारत में तम्बाकू के उपयोग में वृद्धि और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यक्त चिंता

3090. **श्रीमती माधुरी सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परि ार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तृतीय विश्क के देशों में धुम्रपान की महामारी और उससे होने वाले फेफड़ों के कैंसर तथा "कार्डियो वैस्क्यूलर" रोग के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा व्यक्त चिंता की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में हाल ही में वर्षों में तम्बाकू के उपयोग में वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया है और लोगों द्वारा धुम्रपान पर औसतन कितनी आय खर्च की जाती है ; और

(ग) हमारे देश में धुम्रपान की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्रॉनिकल में प्रकाशित एक लेखा में "विश्व में तम्बाकू का सेवन' शीर्षक के अन्तर्गत एक ऐसा विवरण दिया गया है कि विकासशील देशों से तम्बाकू उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

(ख) नहीं।

(ग) सिग्रेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन, अधिनियम 1975 के उपबन्धों के अधीन सिगरेटों के सभी निर्माताओं अथवा उनका व्यापार करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि बिक्री के लिए रखे गए सभी डिब्बों अथवा पैकटों में "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" सांविधिक चेतावनी को स्पष्ट रूप से दिखाएं। ऐसी ही चेतावनी सभी विज्ञापनों में दिखाए जाने की जरूरत है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से कह दिया गया है कि वे इस कानून को समुचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करें ताकि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

अकाश्वाणी और दूरदर्शन ने अपनी वाणिज्यक सेवा में सिगरेट और अन्य तम्बाकू से बनी चीजों के बारे में विज्ञापन न लेने का निर्णय किया है।

काले बाजार में रेलवे टिकट बेचने के कारण गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

3091. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे टिकटों की बुकिंग के समय लोगों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा इस क्षेत्र में कुछ अनधिकृत व्यक्ति बहुत सक्रिय है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामान करना पड़ता है और अपने टिकट काले बाजार में खरीदने पड़ते हैं : और

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन महीनों के दौरान सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकानर्जुन) : (क) और (ख) गर्मियों की छुट्टियों पूजा की छुट्टियों, आदि जैसी व्यस्त अवधियों के दौरान अप्राधिकृत यात्रा एजेन्टों आर समाज विरोधी तत्वों द्वारा रेल में नाजायाज तौर से स्थान घेर लेने और मुनाफा लेकर उसे बेचने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। अन्य अवसरों पर आरक्षण काउन्टर से आसानी से सुलभ हो जाता है। पिछले तीन महीनों के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गत तीन महीनों के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं

3092. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत महीनों के दौरान हुई रेल दुर्घनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उन रेल दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जुलाई से सितम्बर, 82 तक के पिछले 3 महीनों के दौरान भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं का कोटिवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कोटि		दुर्घनाओं की संख्या
(i) टक्कर		11
(ii) पटरी से उतरना		197
(iii) समपार पर दुर्घटनाएं		15
(iv) गाड़ियों में आग लगना		6
	जोड़	229

(ख) और (ग) इन दुर्घनाओं के कारण जाहिर कारणों सहित नीचे दिये गये हैं :—

1. (i)	रेल कर्मचारियों की गलती	113
(ii)	रेल कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की गलती	19
2.	उपस्करों की खराबी—	
(i)	यांत्रिक	19

	कोटि	दुर्घटनाओं की संख्या
	(ii) रेल पथ	7
3.	आकस्मिक	12
4.	कारण जिसका पता नहीं लगाया जा सका	2
5.	ऐसे कारण जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।	

उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या

3093. **श्री सज्जन कुमार :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में गत तीन महीनों के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों का पता लगाने के लिए आरम्भ किए गए अभियान के अन्तर्गत बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनसे दण्ड स्वरूप कितनी राशि वसूल की गयी; और

(ख) भविष्य में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पहली जुलाई, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान उत्तर रेलवे में बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए 1.16 लाख व्यक्ति पकड़े गये। उनसे निम्नलिखित राशि वसूल की गयी :—

किराया—11.00 लाख रुपये
अधिप्रभार—11.87 लाख रुपये
न्यायिक-जुर्माना—4.59 लाख रुपये

(ख) टिकट कलक्टरों और चल टिकट परीक्षकों द्वारा की जाने वाली सामान्य जांचों के अलावा, भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध की गयी विशेष किस्म की कुछ जांचे इस प्रकार से हैं :—

(1) वरिष्ठ रेल अधिकारियों पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस कर्मचारियों को बड़ी संख्या में तैनात करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष गहन जांच आयोजित की जाती है जिसके साथ एक रेलवे मजिस्ट्रेट भी रहता है।

(2) राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध संयुक्त अभियान।

(3) चल टिकट परीक्षकों द्वारा सादे वस्त्रों में गुप्त रूप से जांच की जाती है।

(4) सघन अचानक जांचे करना विशेषकर रेलवे सुरक्षा बल/पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेटों के साथ सड़क परिवहन द्वारा जांच पार्टियां संचालित करना।

(5) मुख्यालय और मण्डल टिकट जांच दस्तों द्वारा मध्यवर्ती खंडों में गाड़ियां रोककर बदलाव जांच।

(6) एक रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर टिकटों की जांच करने के लिए तैनात करना।

(7) रेलों के सतर्कता संगठन द्वारा निवारात्मक जांच।

यात्रियों विशेषकर विद्यार्थियों के बीच बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार।

मूलत: बिना टिकट यात्रा और उससे सम्बद्ध असामाजिक गतिविधियां कानून और व्यवस्था की हालत से सम्बद्ध हैं। चूंकि रेलों पर कानून और व्यवस्था बनाये रखना और अपराधों की रोकथाम करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों का सहयोग मांगा गया है।

ग्रामीण दिल्ली में स्कूलों की कमी

3094. **श्री सज्जन कुमार :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे कितने गांव हैं जहां स्कूल की कोई सुविधा नहीं है;

(ग) दिल्ली के गांवों में 1982-83 के दौरान खोले जाने वाले स्कूलों का ब्योरा क्या है; और

(घ) एक गांव में कम से कम एक स्कूल सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन : (क) जी, नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली के सभी गांवों में एक अथवा दूसरे प्रकार के स्कूल हैं, अत: आमतौर पर वहां नए स्कूल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तथापि, स्थानीय जनसंख्या की मांग को देखते हुए विद्यमान स्कूलों के स्तर को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मांग प्राप्त होने पर उन पर गुणावगुण पर विचार किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व रेलवे के पनसकूरा-हल्दिया सैक्सन में स्टेशन/हाल्ट स्टेशन बनाना

3095. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के पनसकूरा-हल्दिया सैक्शन में कुछ स्टेशन/हाल्ट स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के उक्त सैक्सन में सूतहाटा और कालीमल स्टेशन बनाने के बारे में क्या निर्णय किया है; और

(घ) सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के उक्त अनुभाग में दुर्गाचाक (मचेडा-हल्दिया बस रोड के निकट), पहिवादल (दजली टिडल नहर के निकट) और भुवनेश्वर (तामलुक-पोन्सकुर बस रोड के निकट) हाल्ट स्टेशन बनाने के बारे में क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रत्येक प्रस्ताव के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) वेरदा और दुर्गाचक स्टेशनों के बीच सुताहाटा में एक यात्री हाल्ट खोलना इस प्रस्ताव की जांच की गयी थी परन्तु इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(2) तामलुक और रघुनाथबारी स्टेशनों के बीच कालीमल (राजगोदा) पर एक यात्री हाल्ट खोलना—

इस प्रस्ताव की भी जांच की गयी थी परन्तु इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(3) (क) दुर्गाचक और सिल्पाप्रवेश हाल्ट के बीच दुर्गाचक समपार पर तामलुक और रघुनाथबारी स्टेशनों के बीच मानिकतला/भुवनेश्वरपुर पर महिसादा स्टेशन के निकट (हिजली टिडल कैनाल) जियोनखाली पर एक यात्री हाल्ट खोलने के प्रस्तावों की दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

पूर्वी रेलवे के बहरामपुर-सियालदह सेक्शन पर तेज रफ्तार की गाड़ी का चलाना जाना

3096. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वी रेलवे के बहरामपुर-सियालदह सेक्शन पर तेज रफ्तार की कोई नई गाड़ी चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सेक्शन पर तेज रफ्तार की कोई गाड़ी न चलने के कारण लालगोला से सियालदह तक के यात्रियों को भारी कठिनाई उठानी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय के क्या प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) ठहरने वाली छः जोड़ी गाड़ियों के अतिरिक्त, सियालदह-रानाघाट-लालगोला खंड पर सीमित ठहरावों वाली एक जोड़ी तेज सवारी गाड़ी चलती है जिससे प्रातः/सायं की गाड़ी सेवाओं की व्यवस्था हो जाती है ।

कोचिंग स्टाफ की भारी तंगी के कारण सियालदह और लालगोला के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी आरम्भ करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है । तेज सवारी के वर्तमान ठहरावों को समाप्त करना भी वांछनीय नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर इन स्टेशनों के यात्रियों को एक गाड़ी से वंचित होना पड़ेगा ।

नाविकों की न्यूनतम मजदूरी

3097. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में नाविकों का वेतनमान क्या है;

(ख) नाविकों के वेतनमान के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) नाविकों के न्यूनतम वेतन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें स्वीकार न करने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार हमारे देश के नाविकों को नाम दर्ज कराने से लेकर रोजगार मिलने तक की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जहाज

मालिकों और नाविकों के प्रतिनिधियों के बीच आपस में हाल में हुए द्विपक्षीय नेशनल मैंटीटाइम बोर्ड करार के अनुसार इस समय भारत में नाविक सुकानी को मूलतः प्रतिमास 860 रुपए वेतन मिलता है जो बाकी सभी परिलब्धियों को मिलाकर प्रतिमास 2,000 रुपए से 2,500 रुपए होता है।

(ख) समर्थ नाविक के लिए मूल वेतन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सिफारिश संख्या 199 में पिछली बार अक्तूबर 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त समुद्री आयोग द्वारा संशोधन किया गया और यह सदस्य देशों में मुद्रा वृद्धि का औसत विकास कर मुद्रा की कीमत में ह्रास होने के कारण प्रतिमास 115 स्टर्लिंग पौंड और 276 अमेरिकी डालर किया गया।

(ग) नाविकों के न्यूनतम वेतन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश को नहीं मानने का कारण यह है कि श्रमिकों के लिए वेतन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित किया जाता है और ऐसा करने में देश की आर्थिक स्थिति और वेतन के सामान्य स्तर को ध्यान में रखा जाता है। इस-लिए प्रत्येक देश में नाविकों को वेतन की दर राष्ट्रीय वेतन पर आधारित होती है। नाविकों और जहाज मालिकों के प्रतिनिधियों ने आपस में द्विपक्षीय करार में भारतीय नाविकों की वेतन दर निश्चित करते समय सभी बातों को ध्यान में रखा है।

(घ) एडमिरल एस. एम. नन्दा (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि नाविकों को उनकी बेरोजगारी की अवधि में उचित आर्थिक सहायता देने के बारे में जहाज मालिकों और नाविकों द्वारा एक स्कीम तैयार की जानी चाहिए। लेकिन इस बारे में जहाज मालिकों और नाविकों ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) वेतन और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित मामले नेशनल मैरीटाइम बोर्ड द्वारा किए जाने हैं जिसमें जहाज मालिकों और नाविकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में तामलुक से दिघे तक नई रेल लाइन

3098. **प्रो० सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना अवधि में दक्षिण-पूर्व रेलवे में तामलुक से दिघे तक नई रेल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे में दिघे तक नई रेल लाइन बनाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से

(ग). खड़गपुर और दीघा के बीच 40 कि० मी० लम्बी बड़ी आमान की एक रेल लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण बजट में शामिल कर लिया गया है और सर्वेक्षण का काम चल रहा है। सर्वेक्षण की वर्तमान प्रगति 99 प्रतिशत है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और इसकी जांच कर लिए जाने के बाद ही इस परियोजना के बारे में अंतिम निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाये।

पार्सल कर्मचारियों द्वारा सतर्कता निरीक्षक का घेराव

3099. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मन्त्री नई दिल्ली के कुछ पार्सल कर्मचारियों द्वारा सतर्कता निरीक्षक के घेराव और गाली-गलौज के बारे में 24 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9110 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध इस बीच कोई दंडात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अक्तूबर 1981 की घटना के बाद, बिना किसी बाधा या अप्रिय घटना के, नयी दिल्ली के पार्सल कार्यालय की अनेक बार जांच की गयी थी। इस सम्बन्ध में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रश्न की जांच की गयी थी तथा कोई और कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में बिस्तरों और जनसंख्या का अनुपात

3100. **श्री के० मालन्ना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में बिस्तरों और जनसंख्या के बीच अलग-अलग अनुपात क्या है; और

(ख) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग-अलग मृत्यु दर और औसत जीवन काल क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1981 को ग्रामीण क्षेत्रों में 8,332 तथा शहरी क्षेत्रों में 400 आबादी पर एक पलंग होने का अनुमान है।

(ख) जन्मों और मोतों के बारे में भारत महापंजीयक के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार जो

प्राय: नमूना पंजीयन पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है 1980 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 आबादी पर मृत्युदर क्रमश: 13.5 और 8.0 है। पुरुषों और महिलाओ, दोनों के लिए भारत के महापंजीयक द्वारा 1976-81 में जीवन की औसत उम्र पुरुषों के लिए 52.6 और महिलाओं के लिए 51.6 होने का अनुमान लगाया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अलग-अलग हिसाब नहीं लगाया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना

3101. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनकी सेनाओं का दो देशों के बीच विवाद की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सेना के रूप में उपयोग किया जाता है ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है ; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ देशों में भारतीय सेनाओं से भी अपनी शांति सेनाएँ भेजकर सहयोग मांगा गया था।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) इस समय विश्व के पांच क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात है। इन सेनाओं में जिन देशों के कार्मिक हैं, उन देशों के नाम इस प्रकार हैं :

1. संयुक्त राष्ट्र युद्ध-विराम पर्यवेक्षण संगठन

अर्जेनटीना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाड़ा, चिली, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड न्यूजीलैंड, नार्वे, स्वीडन, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, संयुक्त राज्य अमरीका।

2. संयुक्त राष्ट्र बिलगाव प्रेक्षक सेना

आस्ट्रिया, कनाडा, फिनलैंड, पोलैंड, यू० एन० टी० एस० ओ०।

3. लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम सेना

फिजी, फ्रॉस, घना, आयरलैंड, इटली, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, स्वीडन, सेनेगल, नार्वे।

4. भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक ग्रुप

आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, नार्वे, स्वीडन तथा उरुग्वे।

5. साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र सेना

आस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड, किंगडम, आस्ट्रेलिया तथा स्वीडन।

(ख) संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना सामान्यत: सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए विशिष्ट निर्णयों के अनुसार की जाती है। इन सेनाओं का गठन और उनका प्रशासन उन देशों के सहयोग और परामर्श से किया जाता है जो इनके लिए अपने सैनिक भेजते हैं। इस समय इन शांति कार्यों के प्रश्न पर सभी पहलुओं से संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन समिति द्वारा व्यापक समीक्षा की जा रही है। भारत भी इस समिति का एक सदस्य है।

(ग) यद्यपि भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान किसी शान्ति सेना अथवा संगठन में कोई कार्मिक नहीं दिए हैं, भारत के सेवानिवृत्त लेफ्टि० जनरल प्रेमचन्द को सुरक्षा परिषद के संकल्प 435 (1978) के अन्तर्गत नामीबिया में युद्ध-विराम और चुनाव के निरीक्षण के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र पारमगन सहायता ग्रुप (यू० एन० टी० ए० जी०) के सैनिक घटक कमांडर नियुक्त किया गया है। संकल्प 435 (1978) के क्रियान्वयन का काम शुरू किया जाना है और संयुक्त राष्ट्र पारगमन सहायता ग्रुप के विस्तृत गठन पर कार्रवाई होनी है।

भारत-पाक सचिवों की वार्ता के परिणाम

3102. डा० कृपा सिंधु भोई
श्री चन्द्रजीत यादव } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त के दूसरे सप्ताह में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने इस्लामाबाद में भेंट की थी और बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन वार्ताओं का परिणाम क्या निकला और आगे की बातचीत के लिए क्या आधार तैयार किए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों विदेश सचिवों ने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और सार्वभौम मामलों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। यह दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारने और मजबूत करने की जो प्रक्रिया चल रही है, यह बातचीत भी उसी का एक अंग थी।

टी० वी० सैटों के लिए इलैक्ट्रानिक कैपोसिटेटर्स बनाने में निर्धन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने की परियोजना

3103. श्री बी० वी० देसाई : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपके मन्त्रालय द्वारा सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम अन्तर्गत टी० वी० सेटों के लिए इलेक्ट्रानिक केपोसिटेटर्स बनाने में निर्धन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए लखनऊ में एक परियोजना स्थापित की जा रही है ;

(ख) क्या मन्त्रालय बेतुल के आदिवासी जिले में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम के एक घड़ी के पुर्जे जोड़ने वाले एकक में भी सहायता कर रहा है ;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को किस सीमा तक सहायता दे रही है ; और

(घ) ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में अन्य कौन-कौन सी योजनाएँ आरम्भ की जा रही हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, भोपाल को उनकी परियोजना की प्रशिक्षण सेवा के लिए 6.81 लाख रुपए मंजूर किये गए हैं।

(घ) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा आयोजित परियोजना को महिलाओं के लिए रोजगार और आय सम्बन्धी प्रशिक्षण-व-रोजगार-व- उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत सलंग्न विवरण में उल्लिखित परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

उपरिउल्लिखित योजना के अलावा जिसके अन्तर्गत प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित परियोजनाओं के लिए सहायता की मंजूरी दी गई थी, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इस मन्त्रालय द्वारा फिल्हाल कोई नई योजना लागू नहीं की जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	संगठन का नाम	परियोजना	स्वीकृति राशि (लाख रुपयों में)	उन महिलाओं की संख्या जिनको प्रशिक्षण दिया जाना है।
1	2	3	4	5
1.	दि इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, भुवनेश्वर(उड़ीसा)	वस्त्र निर्माण	5.00	100

1	2	3	4	5
2.	दि पंजाब वीमन एण्ड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर कारपोरेशन चण्डीगढ़ (पंजाब)	सिले-सिलाए वस्त्र निर्माण	9.00	200
3.	राजस्थान स्टेट इण्ड-स्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान)	(1) वाच एसेम्बली	4.20	60
		(2) टी०वी० निर्माण	3.50	50
4.	य० पी० इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (उ० प्र०)	डिजिटल सिस्टम	7.64	95

मध्याह्न भोजन के कारण विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या में कमी होना

3104. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों द्वारा आरम्भ की गई मध्याह्न भोजन योजना से त्रिपक्षीय लाभ हुए हैं;

(ख) क्या मध्याह्न भोजन योजना से प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा है और उपस्थिति में सुधार हुआ है और विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई है ;

(ग) क्या नई दिल्ली में सितम्बर माह में प्रधान मंत्री और केन्द्र सरकार के आर्थिक और समाज कल्याण विभागों का काम देखने वाले सचिवों की बैठक में विद्यालय छोड़ने वालों के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लिए गए थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बैठक में लिए गए निर्णयों से राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है और उन्हें इस योजनाओं को क्रियान्वित करने को कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इन योजना को किस सीमा तक क्रियान्वित किया है और इस संबन्ध में अन्य कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)

(क) और (ख) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को लागू करने वाली राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यह मत है कि इस कार्यक्रम से प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश तथा उपस्थिति में वृद्धि होती है, जिससे स्कूल छोड़ने वालों की दरों को कम करने में सहायता मिलती है।

(ग) से (ङ) कथित बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के सम्बन्ध में की गई प्रगति पर विचार विमर्श किया गया। किसी भी पहलू पर कोई भी विशेष निर्णय नहीं लिया गया था।

स्नातकोत्तर संस्थानों के सम्बन्ध में समीक्षा समिति की रिपोर्ट

3105. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के स्नातकोत्तर संस्थान (पी० जी० आई०) ने संकाय स्टाफ की नियुक्ति और आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रणाली में कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश करने के साथ-साथ संस्थान में एक अनुसंधान संवर्ग के गठन का भी प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या संवीक्षा समिति ने, जिसने पी० जी० आई० और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्य चालन की जांच की थी, संस्थान को विभिन्न विभागों के कार्यचालन में त्रुटियों का उल्लेख किया है;

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय को रिपोर्ट कब भेजी गई थी;

(घ) सुझाए गए अन्य परिवर्तन कौन से हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों की जांच कर ली है और उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) से (ङ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के काम-काज पर पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट 30, अप्रैल, 1981 को प्रस्तुत की गई थी। इस समय इन दोनों संस्थानों के संस्थान-निकाय, जो स्वशासी और सांविधिक निकाय हैं, उस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं।

कोलम्बो में हुआ एशियाई जन संख्या सम्मेलन

6.310 **श्री बी० वी० देसाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 सितम्बर, 1982 को कोलम्बो में एशियाई जनसंख्या सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने यह कहा था कि भारत ने बड़ी हद तक जनसंख्या वृद्धि की दर पर नियन्त्रण कर कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो भारत किस हद तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सका है; और

(घ) और कौन कौन से विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय लिए गए थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हां।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने जो कहा वह इस प्रकार है :—

"हाल ही के सूचकों के अनुसार आबादी में वृद्धि की दर पर नियन्त्रण पाने में हम सफल हुए हैं और यह दर हाल के वशक में स्थिर रहती प्रतीत हो रही है।"

(ग) 1961-71 के दौरान 24·80 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 1971-81 में यह प्रतिशत 24.76 है जो 1981 की अन्तिम जनगणना आंकड़ों पर आधारित है।

(घ) इस सम्मेलन में जनांकीय स्थिति और दृष्टिकोण, आबादी और विकास सम्बन्धी एकीकृत नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, कार्यनीतियों, एकीकृत योजनाओं का मूल्यांकन, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग, विकास प्रक्रिया में महिलाओं का सहयोग, प्रवसन की समस्या, शहरीकरण सहित स्थानिक गतिशीलता, छोटे द्वीप वाले देशों की जनसंख्या समस्या और विकसित देशों तथा अन्य माध्यमों के बीच तकनीकी सहयोग के जरिए वित्तीय और तकनीकी सहायता विषयों पर चर्चा हुई।

निर्णय कोई नहीं लिए गये थे, लेकिन उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित जनसंख्या और विकास पर कार्यवाही करने के लिए एक आह्वान तैयार किया गया। सरकार को इस सम्मेलन की अन्तिम रिपोर्ट नहीं मिली है।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में दिए जाने वाले भोजन की कोटि

3107. श्री रासबिहारी बहेरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में दिए जाने वाले 'लंच' और 'डिनर' की कोटि संतोषजनक नहीं है।

(ख) यदि हां, तो भोजन के स्तर बेहतर बनाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस समय मार्गवर्ती स्थावर खान-पान यूनिटों द्वारा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में भोजन की किस्म के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, इस गाड़ी में अच्छी किस्म के लंच और डिनर का परोसना सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय चुनावों के दौरान छात्रों द्वारा सार्वजनिक बसों को विरूपित किया जाना

3108. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र चुनावों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों को विरुपित किया जाना पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली द्वारा छात्र समुदाय से एक सार्वजनिक अपील करके ऐसा न करने को कहे जाने का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1980, 1981 और 1982 में छात्र चुनावों के दौरान विरुपित हुई बसों पर पुन: रंग करने पर कितना व्यय किया गया;

(घ) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि छात्रों द्वारा भविष्य में इस प्रकार न किया जाए; और

(ङ) क्या यह सच है कि चुनाव के दिनों में देश के किसी अन्य भाग में सार्वजनिक बसों को प्राय: विरूपित नहीं किया जाता ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) यद्यपि वर्ष 1980 और 1981 में विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के दौरान छात्रों ने कितनी बसों को बदरंग किया, इसका सही पता नहीं है, फिर भी चालू वर्ष में बसों की दुबारा रंगाई करके उनको साफ-सुथरा बनाने में 3.92 लाख रुपये खर्च हुए।

(घ) इस वर्ष दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पूर्व जन संचार और स्थानीय प्रेस के माध्यम से अपील की गई कि निगम की बसें सार्वजनिक सम्पत्ति है; उसे क्षतिग्रस्त या बदरंग नहीं किया जाए। विश्वविद्यालय अधिकारियों से भी ऐसी ही अपील जारी करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम की बसों को बदरंग करने से रोकने के लिए इस वर्ष अध्यक्ष ने छात्र नेताओं की एक बैठक बुलाई थी।

(ङ) ऐसी घटना पर सरकार की नजर नहीं गई है।

नेशनल बुक ट्रस्ट में अनियमितताएँ

3109. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट में सरकारी धन के गबन और धोखाधड़ी के कुछ मामले हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जी हां। गबन के दो मामले हैं। एक मामला कागज, आफ-कट्स, चित्रों, आवरण पृष्ठों इत्यादि सामग्री के गबन से सम्बन्धित है। एक प्रारम्भिक जांच की गई थी जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया था और मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंप दिया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का निर्णय प्रतीक्षित है। दूसरा मामला कोषाध्यक्ष द्वारा गबन किए जाने से सम्बन्धित है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसके बयान के अनुसार, उसने उन पार्टियों के जाली हस्ताक्षरों से दो चेकों का भुगतान करा लिया जिनके पास चेक भेजे जाने थे। कोषाध्यक्ष ने राशि पुनः न्यास में जमा करा दी है। उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए विभागीय जांच हो रही है।

दिल्ली में हाल में बिछाई गई सड़कों की किस्म

3110. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम द्वारा हाल में बिछाई गई सड़कें अत्यधिक घटिया किस्म की हैं, जैसा कि सफदरजंग मकबरे और हवाई-अड्डे के बीच की बिछाई गई सड़क हरसुख मार्ग, मुनीरका फेज-दो तथा रामकृष्णपुरम के विभिन्न सेक्टरों में क्वार्टरों के सामने पहुंची सड़कों को देखा जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) उसकी किस्म में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी नहीं। नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने बताया कि ग्रीन पार्क से अफ्रिका एवेन्यू तक की सड़क

अच्छी दशा में नहीं थी और उसकी सतह पर्याप्त मोटी नहीं थी अत: फिलहाल उस पर बिटुमनी मेकाडेम डालकर पक्का कर दिया गया है और उस पर अस्फाल्ट कंक्रीट की ऊपरी सतह बाद में बिछाई जाएगी। उनके अनुसार मुनीरका चरण—II में कोई कार्य नहीं किया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका के अनुसार सफदरजंग मकबरा और हवाई अड्डे के बीच की सड़क को जिसमें दरारें पड़ गई थीं, बिटुमन की पतली तह डालकर मरम्मत कर दी गई है और उस पर दुबारा फर्श नहीं डाला गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार रामकृष्णपुरम के कुछ सेक्टरों में मकानों तक आने वाली सड़क पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 2 सेन्टीमीटर प्रिमिक्स की सतह बिछाई गई है।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप का उत्पादन

3111. **श्री डी०पी० यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि भाप से चलने वाले लोकोमोटिव अन्ततः उपयोग से हट जाएंगे। जमालपुर वर्कशाप में अब किन वस्तुओं का उत्पादन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : भाप रेल इंजन के कार्यकलाप की गिरावट को ध्यान में रखते हुए जमालपुर कारखाने में निम्नलिखित वैकल्पिक मदों को पहले ही स्थापित किया जा चुका है—

(i) क्रेनों का निर्माण,

(ii) उठाने वाले जैकों का निर्माण,

(iii) टिकट छापने की मशीनों का निर्माण,

(iv) डीजल शंटिंग रेल इंजन का आवधिक ओवरहाल,

(v) आन्तरिक अग्नि बक्सों का निर्माण ; और

(vi) मालडिब्बों के पुर्जों का निर्माण।

निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं अथवा उन्हें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है :

(i) मुख्य लाइन के डीजल रेल इंजनों का आवधिक ओवरहाल,

(ii) डीजल रेल इंजनों के पुर्जों का निर्माण,

(iii) अधिक भार उठाने वाली डीजल ब्रेक डाउन क्रेनों का निर्माण,

(iv) मालडिब्बों के स्प्रिंगों का निर्माण ; और

(v) एल०जी०सी०आई० का निर्माण और पिछवां दली वस्तुएं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निरीक्षक के चयन हेतु समय पर खोज

3112. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के भूतपूर्व निदेशक की पदावधि 19 अगस्त, 1982 को समाप्त होने से पूर्व ही उस पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति की खोज का काम अग्रिम रूप से किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो पद के अभी तक भरे न जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) चयन के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

बस रूटों का नम्बर दिखाना और दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा शैडों से आते और जाते समय यात्री को बसों में बैठाना

3113. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसें शैडों से बाहर आते समय और शैडों में जाते समय बस रूट की संख्या नहीं प्रदर्शित करते और यात्रियों को नहीं बिठाते, जिसके कारण प्रतीक्षा कर रही जनता को असुविधा होती है और दिल्ली परिवहन निगम को वित्तीय हानि होती है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं। इसके लिए स्थाई आदेश हैं कि जो भी बसें डिपो जायें और जो भी बसें डिपो से आयें तब वह अपने गन्तव्य स्थान का बोर्ड जरूर लगाएं और रास्ते में बस स्टैंडों पर खड़े यात्रियों को बस में बिठाएं। इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए बार-बार कहा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पतालों में बाह्य रोगी विभागों में काम के घण्टे तथा रोगी के लिए प्रतीक्षा का समय

3114. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या बाह्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अस्पतालों में बाह्य रोगी विभागों में काम के घण्टे क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि रोगी की पारी आने से पूर्व उसे 2–3 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) प्रतीक्षा अवधि को न्यूनतम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) दिल्ली के अधिकतर सरकारी अस्पतालों के बाह्य रोगी विभाग दिन के पहले वाले आधे समय के लिए ही खुलते हैं। ये विभाग ऐसी स्थितियों में कार्य करते हैं जहां रोगियों की संख्या बढ़ती ही रहती है और रोगियों को पंजीकरण कराने के बाद जांच तथा अन्य परीक्षण आदि कराने की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। मुख्यतया इन्हीं पहलुओं से पता चलता है कि बाह्य रोगी विभाग में सेवाएं प्रदान करने में कितना समय लगता है। बाह्य रोगी विभाग की मौजूदा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के अलावा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में पांच-पांच सौ पलंगों वाले दो और सौ-सौ पलंगों वाले तीन अस्पताल खोलने का प्रावधान किया गया है ताकि जरूरी सेवाएं प्रदान की जा सकें। आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए दिल्ली में छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है।

समुद्र तटीय राजमार्ग

3115. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक निर्मित समुद्रतटीय राजमार्गों की किलोमीटरों में कुल लम्बाई कितनी है और इस समय निर्माण के लिए शेष राजमार्ग की लम्बाई कितनी है ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें समुद्रतटीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है और उनकी राज्यवार लम्बाई कितनी है और प्रत्येक राज्य निर्माण के लिए शेष राजमार्ग की लम्बाई कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) संवैधानिक रूप में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित सड़कों के लिए उत्तरदायी है। देश में बंगलादेश की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल सा बिछा हुआ है। जिसके तहत गुजरात में कांडला से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क और पोरबंदर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ख आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 17, 17-क, 47, 7, 7क-, 49, 45, 5,5 क, 6 और 35 भी है जो बड़े-बड़े पत्तनों, तट पर स्थित बड़े-बड़े उद्योग केन्द्रों और पर्यटन स्थानों को आपस में जोड़ते हैं या इनके अत्यन्त निकट से

होकर या इनके समानान्तर होकर गुजरते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने, गुजरात राज्य में राज्य सड़क रूटों के निकट तटीय राजमार्ग के लिए अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्त्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि और ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत लगभग 810.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी अनुमोदित की है। तमिलनाडु में पूर्वीतट राजमार्ग के लिए अतंर्राज्यीय या आर्थिक महत्त्व के राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि और ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत अब तक 445.00 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की थी।

गुजरात में तटीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बदलना

3116. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी**
श्री छीतूभाई गामित } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तटीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में कब तक बदला जायगा, और क्या वेस्टर्न जोनल काउन्सिल ने इसको बदलने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है ; और

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तटीय राजमार्ग में सड़क और पुलों का निर्माण करने के लिए धनराशि की मांग की है और क्या राज्य सरकार को शीघ्र धनराशि दी जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पश्चिम क्षेत्रीय परिषद ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ विचाराधीन तटीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल करने की सिफारिश की थी। किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण भारत सरकार इस समय किसी भी राज्य के किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने में असमर्थ है और यह बात इस सड़क पर भी लागू होती है। तो भी भारत सरकार इस क्षेत्र में यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस सड़क के विकास के लिए राज्य सरकार को अलग से वित्तीय सहायता देती रही है। और इस संबंध में केन्द्रीय सरकारी कोष से और अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम के तहत दी गई है जो 31-3-1980 तक 7.60 करोड़ रुपये है। अभी हाल ही में गुजरात सरकार को 50 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई है जो 100 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 50 प्रतिशत है यह ऋण सहायता इस सड़क के कुछ चुने हुए खंडों के सुधार कार्य के लिए है। जिसमें पुलों का निर्माण कार्य भी शामिल है। लागत का शेष 50 प्रतिशत रुपया और इससे अधिक व्यय हुआ तो वह खर्च राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूरा करेगी।

दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम स्कूलों में रिक्त पद

3117. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम से सहायता प्राप्त स्कूलों में अलग-अलग

कितने पद खाली हैं और कब से ;

(ख) क्या यह सच है कि इन स्कूलों में नया शैक्षिक सत्र मई मास से आरम्भ होता है

(ग) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम द्वारा इन रिक्त पदों के लिए 'पोस्ट फिक्सेशन' करने के आदेश कब किये गए; और

(घ) सहायता प्राप्त उन स्कूलों अथवा उनकी प्रबन्ध समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो शिक्षा निदेशालय के आदेशों का पालन नहीं करते ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार योग सहित विभिन्न विषयों के अध्यापकों के 595 पद तथा लिपिक वर्गीय ग्रेड में 137 पद सहायता प्राप्त स्कूलों में रिक्त पड़े हैं।

दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उन अधीन स्कूलों में 14 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें से 3 पद 1979 से तथा 11 पद, 1982 से रिक्त हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पोस्ट फिक्सेशन के आदेश जुलाई/अगस्त, 1982 में जारी किए गए थे।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा जब कभी आदेशों /नियमो के उल्लंघन का कोई मामला सूचित किया जाता है तो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

मन्त्रालय में संवर्गवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

3118. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मन्त्रालय में प्रत्येक ग्रेड संवर्ग (संवर्गवार) में कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ;

(ख) तदर्थ या नियमित आधार पर अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को छोड़कर आरक्षित पदों (संवर्गवार) पर संवर्ग वार कुल कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उक्त मन्त्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बने आरक्षण आदेशों का ठीक-ठीक पालन नहीं किया गया ; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने पद संवर्गवार रिक्त पड़े हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) प्रत्येक ग्रेड के पदों की संख्या विवरण I में दी गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की मात्रा का निर्धारण कुल पदों के आधार पर न करके किसी विशिष्ट ग्रेड में समय-समय पर होने वाली रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जातियों के लिए पन्द्रह प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित रहती हैं और अनुसूचित जातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत।

(ख) विदेश मन्त्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति के कर्मचारियों की 31-12-1981 को कुल संख्या (श्रेणी - वार) विवरण II में देखी जा सकती है।

(ग) विदेश मन्त्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी आदेशों पर अमल किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 1981 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बिना भरे गए पदों की कुल संख्या श्रेणी-वार विवरण III में देखें। ये रिक्तियां अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा नहीं भरी जा सकीं क्योंकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के योग्य प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे। आमतौर पर ये पद अगले वर्ष भरे जाते हैं।

विवरण I

विदेश मंत्रालय के प्रत्येक ग्रेड, संवर्ग में कुल पदों की संख्या

संवर्ग/पद	पदों की संख्या
1. भारतीय विदेश सेवा ग्रेड I	18
2. भारतीय विदेश सेवा ग्रेड II	22
3. भारतीय विदेश सेवा ग्रेड III	81
4. भारतीय विदेश सेवा ग्रेड IV	83
5. भारतीय विदेश सेवा का अवर वेतन-मान	249
6. भारतीय विदेश सेवा का अवर वेतन-मान	100
7. प्रशिक्षण आरक्षित (भारतीय विदेश सेवा का अवर वेतन-मान)	50
8. छुट्टी आरक्षित	19
9. प्रशिक्षण आरक्षित	19
10. प्रतिनियुक्ति आरक्षित	20
11. भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड I	119

संवर्ग/पद	पदों की संख्या
12. भारतीय विदेश सेवा (ख) के एकीकृत ग्रेड II, III	325
13. भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड IV	917
14. भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड V और VI	690
15. साइफर उप संवर्ग का ग्रेड II	195
16. स्टेनो ग्राफर उप संवगं का प्रवरण ग्रेड	50
17. स्टेनो ग्राफरों के उप संवर्ग का ग्रेड I	75
18. स्टेनो ग्राफरों के उप संवर्ग का ग्रेड II	539
19. स्टेनो ग्राफरों के उप संवर्ग का ग्रेड III	120
20. आई एस आई /जन संपर्क अधिकारी/सूचना अधिकारी	19
21. विधि अधिकारी	19
22. अनुसंधान अधिकारी	42
22. हिन्दी अधिकारी	18
24. पुस्तकालय स्टाफ	16
25. दुभाषिए	33
26. तकनीकी स्टाफ	41
27. शोफर	114
28. सुरक्षा गार्ड (जिसमें भारत का महाकौंसलावास, न्यूयार्क में डोरमैन भी शामिल है)	219
29. दफ्तरी, डिस्पैच राइडर, जमादार	220
30. चपरासी	298
31. फ्राश/झाड़ूकश/कुक	47
32. छुटपुट पद	64

विवरण II

विदेश मंत्रालय में आरक्षित पदों (श्रेणी-वार) पर इस समय काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कुल कर्मचारियों की संख्या

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
वर्ग "क"	25	8
वर्ग "ख"	133	13
वर्ग "ग"	90	40
वर्ग "घ"	149	1

विवरण III

अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1981 के दौरान न भरी गई रिक्तियों की संख्या

वर्ग	भरी न गई रिक्तियों की संख्या	
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां
वर्ग "क"	11	6
वर्ग "ख"	41	40
वर्ग "ग"	37	25
वर्ग "घ"	शून्य	

ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के साथ हुई वार्ता

3119. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्रीमती मारगरेट थेचर 29 सितम्बर, 1982 को नई दिल्ली में अपने अल्पकालीन विश्राम के दौरान नाश्ते पर प्रधान मंत्री से मिली थीं, और

(ख) यदि हां, तो मुलाकात के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक एवं अन्य मामलों में भारत-ब्रिटेन सहयोग के व्यापक दायरे पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भी विचार-विमर्श किया जिसमें पश्चिम एशिया का प्रश्न भी शामिल था। दोनों नेताओं के बीच, श्रीमती थैचर की चीन और जापान की तथा हमारी प्रधान मन्त्री की अमरीका और रूस की यात्राओं के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

गांधी शांति प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान

3120. **श्री एम०रा मगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष यादव } : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78 से 1980-81

वर्ष के दौरान गांधी शांति प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो गांधी शांति प्रतिष्ठान की सभी शाखाओं/केन्द्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष वार कितना सहायता अनुदान दिया गया ;

(ग) क्या इस संस्थान के भागलपुर केन्द्र को कोई सहायता अनुदान दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो 1977-78 से 1980-81 के दौरान विशेष रूप से वर्ष वार कितनी सहायता दी गई थी;

(ङ) क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान के भागलपुर केन्द्र द्वारा धन के दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में आया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) गांधी शांति प्रगिष्ठान को "प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंन्सियों के लिए वित्तीय सहायता की योजना" के अन्तर्गत सहायक अनुदान संस्वीकृत किया गया था।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है ।

(ङ) और (च) सरकार ने प्रतिष्ठान द्वारा निधियों के दुरुपयोग सहित इसके कार्य-कलापों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया है जिसमें न्यायमूर्ति श्री पी. डी. कुदाल हैं। इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत अनुदानों से सम्बन्धित रिकार्ड पहले से ही आयोग को भेजे जा चुके हैं। आगे की कार्रवाई आयोग के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

विवरण

क्र० सं०	शाखा का नाम	1977-78 के दौरान मुक्त किया गया अनुदान	1978-79 के दौरान मुक्त किया गया अनुदान	1979-80 के दौरान मुक्त किया गया अनुदान	1980-81 के दौरान मुक्त किया गया अनुदान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
		रु०	रु०	रु०	रु०	
1.	मुख्य कार्यालय नई दिल्ली	36,000/—	2,247/—	94,052/—	—	लेखे निपटाए जा चुके हैं।
2.	भागलपुर (बिहार)	—	1,46,323/—	1,78,350/—	—	1978-79-80 के दौरान भागलपुर शाखा को संस्वीकृत अनुदान में से 1,05,615/—रु० निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अभी तक मुक्त नहीं किए गए हैं :—
						(1) 190 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को जारी रखना — 83,602/—रु० का अनुदान एजेन्सी को देय है। जांच पूरी होने पर अनुदान दे दिया जाएगा।
						(1) उत्तर साक्षारता और अनुवर्ती परियोजना —22,013/—रु० का अनुदान परियोजना के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
3.	रांची (बिहार)	—	25,000/—	—	—	12,614/—रु० देय है बिहार सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
4.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	—	50,000/—	—	34,235/— (1981-82)	लेखे निपटा दिए गए हैं।
5.	जयपुर (राजस्थान)	—	25,000/—	—	—	राजस्थान सरकार की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।
6.	जोधपुर (राजस्थान)	—	25,000/—	—	—	18,186/—रु० देय है। जांच लम्बित होने के कारण राशि अभी तकमु क्त नहींकी गई है।
7.	अजमेर (राजस्थान)	—	25,000/—	—	—	राजस्थान सरकार की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा क्लिनिक शेम्पू का विपणन

3121. **श्री के०ए० राजन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और औषधि प्रशासक महाराष्ट्र राज्य ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा क्लिनिक शेम्पू के लेबल पर उसके चिकित्सीय तत्व लिखकर उसे सौन्दर्य प्रसाधन के रूप में विपणन करने पर उसके विरुद्ध क्या कर्यवाही की है; और

(ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के द्वारा और अधिक प्रभावी चिकित्सीय तत्वों का दावा करते हुए और सौन्दर्य प्रसाधन के रूप में विपणन करते हुए 'क्लिनिक स्पेशल' को किस प्रकार बेचा जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विकसित देशों में प्रतिबंधित औषधियां

3122. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियों ने बहुत सी ऐसी औषधियों का विकास किया है जिन पर विकसित देशों में प्रतिबन्ध लगा है परन्तु तीसरे विश्व के देशों में उनका विपणन किया जाता है, यदि हां, तो ऐसी औषधियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में इनमें से (वर्षवार) कितनी औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विकसित देशों में प्रतिबन्धित किन्तु तीसरे विश्व के देशों में अभी भी बेची जा रही दवाइयों के नामों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है । जहां तक भारत का संबंध है, कतिपय देशों द्वारा अपने बाजारों से कुछेक दवाइयां वापस ले लेने से संबंधित सूचना मुख्यतया विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से प्राप्त होती है । अब तक कुछेक देशों में प्रतिबन्धित/वापस ले ली गई 20 दवाइयों की सूची प्राप्त हुई है । इनमें से 16 दवाइयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है या देश में उनकी बिक्री का अनुमोदन नहीं दिया गया है शेष चार दवाइयों अर्थात् (1) नाइट्रोफ्यूरम योग (2) फेनफारमिन (3) होलोजिनेटेड हाइड्रोआक्सीक्वीनोलाइन्स और (4) लाइनेस्ट्रेनॉल उत्पादों की बड़ी खुराकों के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से यह विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया कि इन दवाइयों की देश में इस शर्त पर बिक्री करने की अनुमति दे दी जाए कि उनके लेबलों पैकटों के अन्दर रखे जाने

वाले साहित्य में सावधानी संबंधी ब्यौरा और उन बीमारियों के नाम लिखे जाएं जिनमें ये दवाइयां हानिकारक होती हैं। यद्यपि ये चारों दवाइयां कुछेक देशों में प्रतिबन्धित हैं तथापि कई विकसित देशों में इनकी बिक्री अब भी की जा रही है और ये दवाइयां भेषज संहिताओं में सरकारी औषधियों के रूप में शामिल हैं अर्थात् फेनफारमिन-बी०पी० 1980, क्लियोक्वीनॉल-बी०पी० 1980, लाइनेस्ट्रीनाल-बी०पी० 1980 और नाइट्रोफ्यूरन योग-बी०पी० 1980 और यू० एस०पी-20

(ख) पिछले तीन वर्षों में सरकार ने निम्नलिखित पांच औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कार्यवाही की है—

(1) एमिडोपाराइन और उसके योग।

(2) फिनेसिटिन और उसके योग।

(3) पीथाफाइरालीन लवण और उनके योग।

(4) टेट्रासाइक्लिन के तरल मुखसेव्य योग और

(5) गर्भधारण की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हार्मोनल योग।

भारतीय अधिकारियों को सूचना दिए बिना अमरीकी दूतावास विद्यालय द्वारा भारतीय और अमरीकी नागरिकों को पारिश्रमिक का भुगतान

3123. **श्री आर०एन० राकेश :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अध्ययन का अमरीकी संस्थान (हैदराबाद और दिल्ली) और अमरीकी दूतावास विद्यालय भारतीय और अमरीकी विद्वानों तथा अध्यापकों को डालरों और रुपयों में पारश्रमिक का भारतीय अधिकारियों को पूरी जानकारी दिए बिना भुगतान कर रहे हैं; और

(ख) क्या अमरीकी दूतावास भी डालरों के बदले में बाजार भाव से 20 प्रतिशत अधिक पर भारतीय मुद्रा बेच रहा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) (क) और (ख) अमरीकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज अमरीका एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। जिस समय इस संस्थान को भारत में स्थापित किए जाने की अनुमति दी गई थी उस समय इस प्रकार की सहमति हुई थी कि इस संस्थान के कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। भारत सरकार की अनुमति संस्थान की आन्तरिक आर्थिक कार्य-प्रणाली के लिए नहीं, बल्कि केवल इन्हीं कार्यक्रमों तक के लिए ही सीमित थी। लेकिन यह संस्थान भारतीय अध्येयताओं को और भारत प्रवास के दौरान अमरीकी अध्येयताओं

को डालरों में अदायगी नहीं करता है। अमरीकन एम्बेसी स्कूल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत है। इस संबंध में भारत सरकार और अमरीका सरकार के बीच एक सहमति है जिसके अनुसार अमरीकी राष्ट्रिकों को स्कूल के स्टाफ के रूप में भरती के बारे में, जिसकी संख्या 16 से अधिक नहीं होगी और जिन्हें भारत स्थित अमरीकी राजदूतावास के कर्मचारी-वर्ग के सदस्य माना जाएगा, भारत सरकार को सूचित किया जाता है और उसकी स्वीकृति ली जाती है। इसलिए वे 1961 के आय-कर अधिनियम के अधीन संगत छूटें पाने के हकदार हैं। लेकिन वे अन्य विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के हकदार नहीं होंगे जो राजदूतावास के अन्य कर्मचारियों को मिलती हैं।

जहां तक अमरीकी राजदूतावास द्वारा दी जाने वाली विनिमय सुविधाओं का सम्बन्ध है, भारत और अमरीका की सरकारों के बीच 1965 में यह सहमति हुई थी कि भारत में अमरीकी कृषि उत्पादों की बिक्री से अमरीका को रुपयों में जो धन प्राप्त होगा उसके एक हिस्से का उपयोग अमरीकी पर्यटक यात्रा और अन्य प्रयोजनों के लिए कर सकेंगे। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अमरीका के राजदूतावास के वितरण अधिकारी (या उसके एजेंट) को अमरीकी पर्यटकों द्वारा लाए गए डालर-चैकों आदि का भारतीय मुद्रा में भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह व्यवस्था की गई कि विनिमय दर सम मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए और अमरीकी राजदूतावास इस व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

किराये के सैनिकों के रूप में गोरखा लोगों को अन्य देशों में भेजा जाना

3124. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में किराए के सैनिकों के रूप में गोरखा लोगों को हमारे पड़ोसी देश नेपाल से ब्रिटेन तथा अन्य देशों को भेजा जाता है;

(ख) क्या किराए के इन गोरखा सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से अथवा भारतीय वायु सीमा से नेपाल के बाहर भेजा जाता है;

(ग) क्या किराए के इन सैनिकों को नेपाल से ब्रिटेन तथा अन्य देशों को भारत सरकार की सहमति, जानकारी से अथवा किसी समझौते के अन्तर्गत भेजा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे ब्यौरे क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल के गोरखा ब्रिटेन की सेना में नियमित सैनिक के रूप में भर्ती किए जाते हैं।

स्त्री रोगों की वर्तमान औषधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद वैकल्पिक औषधियां

3125. श्री वीरेन घोष : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्त्री रोगों के लिए स्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनेक औषधियों के बारे में एक नोटिस जारी किया गया है कि इनके निर्माण और बिक्री पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगाया जाएगा ;

(ख) अब चिकित्सा कार्य में लगे डाक्टर उन महिलाओं की चिकित्सा किस प्रकार करेंगे जो इन रोगों की शिकार हैं; और

(ग) वर्तमान औषधियों के स्थान पर काम में लाने के लिए तैयार की गई वैकल्पिक दवाओं के बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेशनल के निश्चित मिश्रणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इन मिश्रणों के उत्पादन पर 31 सितम्बर, 1982 से और उनकी बिक्री पर 10 जून, 1983 से प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया गया है।

(ख) और (ग) प्रोजेस्टेशनल योगों के मिश्रण और एक ईस्ट्रोजन के मिश्रण को जब चिकित्सा व्यवसाय सुरक्षित और आवश्यक समझेगा, वह इन औषधियों को अलग से दे सकता है।

अन्य देशों में कार्यरत भारतीय डाक्टर और भारत को हानि

3127. श्री एस० एम० कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि भारत के लगभग 15,000 डाक्टर अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं जिससे भारत को 14 करोड़, 40 लाख अमरीकी डालर का नुकसान हुआ है जो प्रशिक्षण आदि के रूप में उन पर व्यय किया गया ; और

(ख) ऐसे कितने अर्हता प्राप्त डाक्टर हैं जिन्हें गत दो वर्ष में रोजगार नहीं मिल सका है तथा जिन्होंने देश से बाहर जाने के लिए भी आवेदन किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी०शंकरानन्द): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन से पता चला है कि लगभग 15,000 भारतीय डाक्टर इस समय देश के बाहर काम कर रहे हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि उनके अध्ययन पर होने वाला खर्च 1440 लाख अमरीकी डालर के आस-पास बैठता है।

(ख) कई देशों में भारतीय डाक्टरों के अपनी इच्छा से बसने के कारण ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

स्त्री रोगों में प्रयोग की जाने वाली विदेशों में प्रतिबंधित दवाओं के नाम

3128. **श्री नीरेन घोष :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्त्री रोगों में प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन देशों के नाम बताएगी जिनमें इन दवाओं के स्त्री रोगों में प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आस्ट्रेलिया सरकार ने लिनेस्ट्रेनोल की अधिक खुराक वाले सभी फार्मास्यूटिकल योगों को जो स्त्री रोगों में प्रयोग किए जाते हैं, बाजार से हटाने के आदेश दिए गए हैं। जहां तक भारत का संबंध है, सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की सलाह पर लिनेस्ट्रेनोल के एकल घटक वाले योगों को बेचे जाने की अनुमति दी हुई है यद्यपि ओस्ट्रेनेन युक्त लिनेस्ट्रेनोल की अधिक खुराक वाले योगों पर अब प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

कुछ अन्य योग जैसे अर्गिनान का मेन्स्ट्रोजेन, ग्लैक्सो लेबोरेटरीज का ठेक्रोडिल तथा निकोलस लेबोटेरीज। का आरसेक्रोन। डिसेक्रोन भी इनके निर्माता देशों सहित अधिकांश विकसित देशों में इस समय नहीं बेचे जाते हैं।

सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में प्रतिपूर्ति के लम्बित बिल

3129. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मातृत्व सेवाओं के सम्बन्ध में प्रभारों की प्रतिपूर्ति के अनेक बिल सफदरजंग अस्पताल में लम्बित हैं जिसके कारण अनेक सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय रूप से असुविधा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने बिल अदायगी के लिए लम्बित हैं और कब से लम्बित हैं तथा किस तारीख तक से बिल पास कर दिए गए हैं; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और शेष लम्बित बिलों की अदायगी कब तक कर दी जायगी तथा इस बारे में क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) से (ग) : यह बताया गया

है कि प्रतिपूर्ति का एक मामला संबंधित चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण न मिलने के कारण सितम्बर, 1982 से लंबित पड़ा है। आशा है कि इस दावे का निपटान शीघ्र हो जायेगा।

तेल की गाद के घोटाले में बंबई पत्तन-न्यास के उच्च अधिकारियों का हाथ होने का कथित आरोप

3130. **श्री के०ए० राजन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई पत्तन न्यास के गोदी प्रबन्धक को, तेल की गाद के घोटाले में उसका हाथ होने के कथित आरोप के कारण हाल ही में हिरासत में लिया गया था और 10,000 रुपये के जमानत पर छोड़ा गया है

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उसके मुक्त होने तथा उसकी सूचना बंबई पत्तन न्यास के प्रशासन को भेजे जाने के पश्चात् गोदी प्रबन्धक ने 21 सितम्बर, 1982 को कार्यालय में उपस्थित हुआ और बंबई पत्तन न्यास के कर्मचारियों की बैठक में भाग लिया जो केन्द्रीय परिवहन सचिव द्वारा आयोजित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) क्या उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री सीताराम केसरी : (क) जी हां।

(ख) सेवड़ी से साबुन बनाने वाले एक कारखाने को बम्बई पोर्ट ट्रस्ट से हाजी बन्दर फिश हवार्फ बेसीन में अपने कारखाने के तेल के कचरे को गिराने का लाइसेंस प्राप्त है। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट तेल का कचरा गिराने के बारे में उच्चतम बोली देने वाली गैर सरकारी पार्टी के साथ करार करता है। 23-7-82 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मैं० हाजी सोप वर्क्स, बम्बई को 2418 रुपये का ठेका दिया गया था। जब बम्बई पोर्ट के डाक विभाग ने नए ठेके के लिए मुहरबन्द टेंडर आमंत्रित किए तब उन्नीस टेंडर प्राप्त हुए थे और टेंडर पर कार्रवाई करने के दौरान न्यूनतम टेंडरों में एक टेंडर में 1,01,000 रुपये को मिटाकर 4,01,000 रुपये किया हुआ पाया गया। डॉक प्रबन्धक, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने आदेश जारी किया कि इस टेंडर को रद्द किया जाय और खुली नीलामी की जाए और सभी उन्नीस टेंडर देने वालों को इसमें शामिल होने की सलाह दी गई। तदनुसार एक सार्वजनिक नीलामी की गई और 6 लाख रुपए की उच्चतम बोली दी गई। चूंकि पहले के 2418 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़कर ये राशि 6 लाख रुपए हो गई जो आश्चर्यजनक थी, इसलिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने इस नीलामी के अनुसार कार्य करना जनहित में उचित नहीं समझा और इस

नीलामी को रद्द करने के आदेश जारी किए गए। फिलहाल बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने पुरानी शर्तों पर पिछले ठेकेदार को ही मासिक आधार पर तेल कचरा हटाने की अनुमति दे दी है।

किसी एक टेंडर कर्ता की शिकायत पर सामान्य शाखा, अपराध शाखा, खुफिया विभाग, बम्बई ने भारतीय दंड संहिता के 120 ख के साथ पठित धारा 417-511-468-471 के तहत एक मामला दर्ज किया है। श्री पी. एस. रंगनेकर, डॉक प्रबन्धक, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को 20-9-82 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उसी दिन अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मेजिस्ट्रेट, 28वां कोर्ट, इस्फमानेड, बम्बई ने जमानत पर छोड़ दिया।

(ग) और (घ) : महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए श्री पी. एस. रंगनेकर डॉक प्रबन्धक को 27. 9.1982 से निलम्बित कर दिया गया। निलंबन से पूर्व वे अपने कार्य पर गए और 21 सितम्बर, 1982 को परिवहन सचिव द्वारा ली गई बैठक में भी सम्मिलित हुए। यह भी उल्लेखनीय है कि 21 सितम्बर, 1982 की बैठक के समय परिवहन सचिव को श्री रंगनेकर के गिरफ्तार होने और बाद में जमानत पर रिहा होने की सूचना नहीं थी।

(ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सामान्य शाखा, अपराध शाखा, खुफिया विभाग, बम्बई ने मामला दर्ज किया है। वे आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

नई दिल्ली में कैंसर के टर्मिनल रोगियों के लिए एक गृह की स्थापना करना

3131. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्तापल के दो कैंसर विशेषज्ञों ने नई दिल्ली में कैंसर के टर्मिनल रोगियों के लिए एक गृह की स्थापना की योजना बनाने के विचार से हाल में नई दिल्ली का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में नई दिल्ली के कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी लोगों से बातचीत की थी ; और

(ग) सरकार की उनकी योजना पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) (क) से (ग) सरकार को नई दिल्ली में कैंसर के स्थायी रोगियों के लिए एक गृह की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित व्यक्तियों की संख्या

3132. **श्री चित्त महाटा**
श्री नवीनर वाणी } :क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर अब तक इसके अन्तर्गत राज्यवार और वर्ष-वार कुल कितने व्यक्ति शिक्षित हो गये हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्यवार और वर्षवार अब तक कितनी धनराशि खर्च हुईहै और स्वीकृत हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दाखिल किए गए लोगों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (अनुबंध-I)

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान किया गया राज्य वार खर्च दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (अनुबंध-II)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 5558/82]

स्त्री रोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व विशेषज्ञों की राय लेना

3133. **श्री वीरेन घोष :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों द्वारा विभिन्न स्त्री रोगों के लिए की जाने वाली औषधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला नोटिस जारी करने से पूर्व भारत के प्रसूति विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों के निकाय से राय मांगी गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) यदि राय मांगी गई थी, तो क्या यह सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दी गई थी ;

(घ) क्या उस राय को स्वीकार कर लिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) जी हां, ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेशनल मिश्रणों की निर्धारित खुराकों पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी और उसने देश में अन्त:स्रावक तथा स्त्री रोग वैज्ञानिकों की राय मांगी थी।

स्त्री रोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विशेषज्ञों की राय को स्वीकार न करना

3134. **श्री वीरेन घोष** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 23 जुलाई, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि भारत के औषध नियंत्रक ने जनता के दबाव के कारण स्त्री रोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली हार्मोन औषधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है यद्यपि विशेषज्ञों और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने, जिसको कि वह मामला भेजा गया था, इन औषधियों पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध सलाह दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों की राय को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) (क) और (ख) हार्मोन औषधियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध के बारे में 23 जुलाई 1982 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार की सरकार को जानकारी है । यह अनुमान लगाना सही नहीं है कि ऐसा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की सिफारिश के विरुद्ध लोगों के दबाव में आकर किया गया है ।

वस्तुतः भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की विशिष्ट-सलाह के आधार पर ही सरकार ने देश में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेशनल के निश्चित खुराक वाले योगों पर प्रतिबंध लगाने और 31.12.82 से उनका निर्माण तथा 30.6.83 से उनकी बिक्री बन्द करने का निर्णय लिया गया है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का छपाई कार्य करने वाले प्रेस

3135. **प्रो० अजित कुमार मेहता** क्या : शिक्षा और संकृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए अपने पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम हेतु मुद्रण प्रेसों को कार्य दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो जिन प्रेसों को मुद्रण कार्य दिया गया, उनके ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों की संख्या कितनी है ;

(घ) इन प्रेसों ने "एन. सी. ई. आर. टी." के कुल कितने मूल्य के मुद्रण आदेशों का कार्यान्वयन किया ;

(ङ) कितनी बार मुद्रण आदेशों का समय पर कार्यान्वयन नहीं किया गया और

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उन पर कितनी बार तथा कितना आर्थिक जुर्माना लगाया गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, हां ,

(ख) एक विवरण संलग्न है (ग्रंथालय में रखा गया देखिऐ संख्या एल०टी० 5559/82)

(ग) 212.51 लाख

(घ) 1,12,89,679.40 रु.

(ङ) 146.

(च) 146 अवसरों पर 2,74,728.45 रु. का जुर्माना लगाया गया था ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के सेवाकाल समाप्ति पर अधिकार

3126. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के रूप में अपना सेवा काल समाप्त होने के बाद निवृत मान निदेशन नि:शुल्क सज्जित आवास और चौबीस घंटों के लिए नि:शुल्क चौकीदार का अधिकारी है और इसका व्यय कौन वहन करता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): रा०शै०अनु० तथा प्र०परि० के नियमानुसार रा०शै० अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिवार का निदेशक सेवानिवृति के बाद दो महीने की अवधि के लिए नि:शुल्क सज्जित आवास की इन सुविधाओं के लिए हकदार है ।

"शिक्षा के लिये भोजन नीति" की योजना

3137. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों तथा आदिवासी छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने की घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए उनमें शिक्षा के लिए अधिक रुचि पैदा करने के लिए "शिक्षा के लिए भोजन नीति" बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके लिए की जाने वाली कार्य-वाही का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश द्वारा फालतू गैस की सप्लाई

3139. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी
श्री चित बसु
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश के पास फालतू गैस है जिसे वह भारत को सप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पाइपलाइन के न होने के कारण गैस का लाया जाना संभव नहीं है;

(ग) क्या बंगलादेश सरकार ने हमें इस मसले पर संक्षिप्त जानकारी दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) (क) से (घ) : भारत द्वारा बंगलादेश से प्राकृतिक गैस आयात करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जुलाई, 1980 में ढाका में बात-चीत हुई थी। यह बातचीत अन्वेषणात्मक थी और किसी भी पत्र द्वारा कोई निश्चित वचनबद्धता नहीं की गई थी।

भारतीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्था (दिल्ली) को अनुदान

3140. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान दिल्ली को प्रबन्ध प्रशिक्षण के लिए अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 से अगस्त, 1982 तक कितनी धन राशि दी गई है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र ने इस संस्थान के प्रशिक्षार्थियों को बहुत कम महत्त्व दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी , नहीं। दिल्ली में ऐसा कोई मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजे के भुगतान के बारे में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन

3141. **श्री के० मालन्ना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को, जिसकी कोई गलती नहीं है, दोषी सिद्ध किए बिना मुआवजे के लिए दावा करने का अधिकार है और उसे मुआवजे का भुगतान किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि यदि कोई चालक निर्दोष है तो वह निर्दोष होने पर भी दंड मिलने के डर से भागने का यत्न करेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि लोगों को केवल दोषी पाये जाने पर ही दंड दिया जाय ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) अभी हाल ही में यथा संशोधित मोटरयान अधिनियम 1939 में सभी तीनों प्रकार की दुर्घटनाओं के मामले में अर्थात् दोष के प्रमाण के आधार पर मुआवजे के दावे, दोष का प्रमाण नहीं पाये जाने के आधार पर मुआवजे के दावे और टक्कर मारकर भाग जाने पर दावे के मामले में अब टक्कर मारने वाली गाड़ी का पता नहीं चलता है, आहत व्यक्तियों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। मोटर यान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मुआवजे की अदायगी का उत्तरदायित्व सम्बन्धित गाड़ी के मालिक/बीमा करवाने वालों पर है इनके/गाड़ी के ब्यौरे से सम्बन्धित सूचना मुआवजे के दावे के मामलों में जरूरी होती है। यदि ड्राइवर भाग जाता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

(ग) जी, नहीं।

सुपर बाजार को हुई हानि

3142. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र (बैलेन्स शीट) के अनुसार अर्थात वर्ष 1981-82 तक राजधानी की सुपर बाजार नामक संस्था को कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) इस हानि को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) व (ख) 1978-79 के परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, सुपर बाजार, दिल्ली की 30-6-1979 को कुल 81.16 लाख रुपये की संचित हानि थी। 30-6-1982 को संचित हानि (अनन्तिम तथा जिसकी लेखा परीक्षा अभी होनी है) के घटकर लगभग 22 लाख रुपये तक रह जाने की आशा है।

स्टोर 1972-73 से लगातार लाभ कमा रहा है। इसकी कुल बिक्री में समग्र रूप से सुधार होने तथा प्राप्त अनुभव के फलस्वरूप स्टोर के लाभ में भविष्य में और सुधार होने की आशा है।

अपहरण के सम्बन्ध में झूठे टेलीफोन सन्देश

3143. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 के दौरान भारत के विभिन्न भागों में विमान अपहरण की अनेक घटनायें हुई हैं ;

(ख) विभिन्न स्रोतों से अपहरण के कितने टेलीफोन संदेश आये जो झूठे साबित हुए ; और

(ग) कितनी बार जांच के लिए विमानों को देर से उड़ाया गया और उसमें कितना समय लिया गया ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ। 1 जनवरी, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि में देश में विमान के अपहरण की तीन घटनाएं हुई थीं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के विज्ञापन व्यय

3144. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के विज्ञापन व्यय पर कुल राजस्व के 0.10 प्रतिशत की सीमा है ;

(ख) क्या 1981 में पंजाब एण्ड सिंध बैंक का विज्ञापन खर्च 42.01 लाख तक पहुंच गया था और वह बैंक के कुल राजस्व की 0.55 प्रतिशत था ;

(ग) क्या इस खर्चे की बहुत बड़ी धनराशि समाप्त हो चुके और अविद्यमान समाचार पत्रों को दी गई थी जिनकी प्रसार संख्या नगण्य थी ;

(घ) क्या इस तरह से जारी की गई अधिकांश धनराशि का उपयोग इन समाप्त हो चुके और अविद्यमान समाचार पत्रों को पहले दिये गये ओवर ड्राफ्टों/ऋणों की अदायगी हेतु किया गया था ;

(ङ) क्या ये विज्ञापन जारी करते समय उप महाप्रबन्धक ने जारी की गई धनराशि में से 15 से 50 प्रतिशत तक की कटौती करते हुए आर्थिक लाभ उठाया ; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1982 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सलाह दी है कि प्रचार पर होने वाला उनका व्यय, बैंक की सकल आय के 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के लेखा-परीक्षित लेखों के अनुसार 31-12-1981 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनका विज्ञापन खर्च 42.09 लाख रुपये था जो सकल आय का 0.55 प्रतिशत बैठता है।

(ग) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अनुसार जहां तक जानकारी प्राप्त है, बन्द हो चुकी अथवा अविद्यान पत्रिकाओं के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई। किन्तु कुछ विज्ञापन छोटे क्षेत्रीय समाचार पत्रों को दिये जाते हैं।

(घ) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अनुसार कुछ उन प्रकाशनों के मामले में जो बैंक से अग्रिम सुविधाओं का उपभोग करते हैं, विज्ञापनों के सम्बन्ध में उन्हें दी जाने वाली रकम को आंशिक रूप से बैंक ऋणों/ओवर ड्राफ्टों के सन्दर्भ में समायोजित कर लिया जाता है। लेकिन जहां तक पता लगाया जा सका है, ये प्रकाशन न तो बन्द हुए हैं और न ही अविद्यमान हैं।

(ङ) और (च) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अनुसार विज्ञापनों के सभी बिलों की समुचित जांच पड़ताल की जाती है और अदायगियां केवल चैकों तथा जमा सूचनाओं (क्रेडिट एडवाइस) के जरिये की जाती हैं। कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे यह कहा जा सके कि बैंक के किसी पदाधिकारी ने जारी की गई राशियों से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त किया है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एयरबसों की खरीद

3145. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में "इण्डियन एयरलाइन्स" द्वारा कुल कितनी एयरबसें और अन्य विमान खरीदे गए हैं ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में ऐसी और एयरबसें तथा अन्य विमान खरीदने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष ऐसी कुल कितनी और एयरबसें तथा अन्य विमान खरीदने का विचार किया गया है ; और

(घ) किस वर्ष तक इण्डियन एयरलाइन्स के सभी रूटों पर "जेट" विमानों की सेवा शुरू हो सकती है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स ने 1982-83 में दो एयरबस और चार बोइंग-737 विमान प्राप्त किए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं है।

(घ) इस समय जिन मार्गों पर टर्बो-प्राप विमान प्रचालन करते हैं उन पर यातायात की कम मांग से निकट भविष्य में उन मार्गों पर अधिक बड़े-जैट विमान के औचित्य नहीं है। इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा अपने सभी मार्गों पर केवल जैट प्रचालित किए जा सकते हैं जब यातायात की मांग में सुधार/वृद्धि होती है या जब उपयुक्त छोटा जैट विमान उपलब्ध हो जाता है।

वित्त मन्त्री की जीवन बीमा निगम की ट्रेड-यूनियनों के प्रतिनियमों के साथ बैठक

3146. **प्रो० मधु दन्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्री की जीवन बीमा निगम की सभी ट्रेड-यूनियनों के

प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने उन्हें यह सुझाव दिया था कि मांग-पत्र जीवन बीमा निगम के प्रस्तावित विखंडन और माइक्रो-प्रोसेसर्स आदि सहित तभी विचाराधीन मामलों पर वे अपने निश्चित विचार भेजें तथा क्या उन्होंने यह कहा था कि सरकार को जीवन बीमा निगम की यूनियनों के साथ टकराव का कोई इरादा नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा की यूनियनों ने वित्त मंत्री को अपने निश्चित विचार भेज दिए हैं, क्या सरकार का विचार विचाराधीन-मामलों के निपटान के लिए यूनियनों के साथ बातचीत शुरू करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) बहुत से व्यक्ति अनौपचारिक रूप से समय-समय पर वित्त मन्त्री से मिलते रहे हैं। उन्होंने सरकार और नियम के विचारार्थ विभिन्न सुझाव दिए हैं और विविध मांगें की हैं।

चीनी का निर्यात

3147. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी का निर्यात किया जा रहा है ; यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा ;

(ख) किन-किन देशों को चीनी का निर्यात किया जा रहा है और किस दर पर ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हमारे देश ने चीनी के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो देश में चीनी की मांग को पूरा करने तथा इसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु अपने चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। वित्तीय वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा निम्नांकित प्रकार है :

वर्ष	मात्रा लाख मे० टन	मूल्य करोड़ रुपये
1980-81	0.715	35.96
1981-82	1.386	49.22

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा को अभी अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चीनी का निर्यात इण्डोनेशियां, सं० रा० अमरीका, मिस्र चीन तथा माल्दीव को अधिक से अधिक उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किया गया है।

(ग) तथा (घ) 1981-82 मौसम में 84.34 लाख मे० टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप 1 अक्तूबर, 1982 को लगभग 33 लाख मे० टन की एक बड़ी मात्रा आगे ले जाई गई। उत्पादन में यह वृद्धि सरकार द्वारा किये गये निम्नलिखित उपायों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है :

(1) 1980-81 तथा 1981-82 मौसमों में चीनी फैक्टरियों द्वारा देय गन्ने की न्यूनतम कानूनी कीमत 8.5 प्रतिशत वसूली को जोड़ते हुए 13.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी जबकि 1979-80 औसत के लिए 12.50 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित थी। तथापि, फैक्टरियों द्वारा वास्तव में अदा की गई गन्ने की कीमतें बहुत अधिक थीं।

(2) 1980-81 और 1981-82 मौसमों के लिये अखिल भारतीय भारित औसत लेवी चीनी कीमतें क्रमशः लगभग 285 रु० और 290 रु० प्रति क्विंटल थी जबकि 1978-79 के लिए केवल 220 रु० प्रति क्विंटल थीं।

(3) 1981-82 मौसम के लिए पहले और बाद की पेराई के लिए उत्पादन शुल्क छूट के रूप में प्रोत्साहन दिया गया था।

(4) अपेक्षाकृत अधिक मुक्त बिक्री कोटा और उत्पादन शुल्क की रियायती दर के रूप में नई फैक्टरियों और बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई।

(5) छठी योजना अवधि के दौरान नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना तथा विद्यमान एककों में विस्तार करने के लिए लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद चीनी का निर्यात अधिकाधिक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

बिहार के स्टेट बैंक आफ इण्डिया में ऋण सुविधा को कम करना

3148. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के स्टेट बैंक आफ इण्डिया में ऋण सुविधा में कमी कर दी गई है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी ऋण कटौती करने के परिणामस्वरूप बिहार राज्य में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने लघु उद्योगों सहित अपने सभी ग्राहकों के मामले में ऋण देना पूर्णतः बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे छोटे उद्यमियों को धन का संकट पैदा हो गया है और उनके बन्द होने की नौबत आ गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अन्य स्थानीय मुख्यालयों में इस प्रकार की ऋण कटौतियों में छूट प्रदान कर दी गई है ; और

(ङ) यदि भाग (क), (ख), (ग) और (घ) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार में लघु उद्योगों को ऋण-सुविधाएं शीघ्र बहाल कराने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना दी है कि उसने बिहार में निर्बन्ध (ब्लैंकेट) ऋण नियन्त्रण लागू नहीं किया है। यद्यपि, वित्तीय वर्ष 1981-82 के उत्तरार्द्ध के दौरान भारतीय स्टेट बैंक समेत वाणिज्यिक बैंकों को बढ़े हुए नकदी प्रारक्षित और सांविधिक नकदी अनुपात लागू करना अपेक्षित था, तथापि उनसे विशिष्ट रूप से कहा गया था कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के, जिनमें अन्य के साथ-साथ छोटे पैमाने के उद्योग भी शामिल हैं, ऋण प्रवाह को न रोकें। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंकों की नकदी की स्थिति को सरल बनाने के उपाय किए जा रहे और बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की सलाह भी दी गई है। बैंकों को ये अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वे अपने अग्रिमों को 1985 तक 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें।

उत्तर प्रदेश के लिए "वायुदूत" सेवा

3149. **श्री जैनुल बशर** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से स्थानों को "वायुदूत" सेवा से जोड़ा जा चुका है ;

(ख) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां अब तक "वायुदूत" सेवा शुरू की जा चुकी है ; और

(ग) ऐसे शेष स्थान कौन-कौन से हैं जहां "वायुदूत" सेवा शुरू की जाएगी तथा यह कब तक वहां शुरू कर दी जाएगी ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उत्तर प्रदेश में देहरादून को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ा जा चुका है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) वायुदूत द्वारा आज तक निम्नलिखित स्टेशनों को विमान सेवा द्वारा जोड़ा जा चुका है :—

उत्तर पूर्वी क्षेत्र

1. गोहाटी
2. शिलांग
3. सिल्चर
4. अगरतला
5. कैलाशहर
6. छबुआ
7. तेजू

उत्तरी क्षेत्र

1. लुधियाना
2. देहरादून
3. हिसार
4. चंडीगढ़
5. कुल्लू

पूर्वी क्षेत्र

1. कलकत्ता
2. जमशेदपुर
3. राउरकेला
4. रांची
5. पटना
6. गया

(ग) निम्नलिखित स्टेशनों को वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। समय-सारणी को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश	: गाजीपुर, पन्तनगर, राय बरेली
मध्य प्रदेश	: जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर
उड़ीसा	: झारसुगुडा
बिहार	: पूर्णिया, भागलपुर
राजस्थान	: कोटा, जैसलमेर, बीकानेर
गुजरात	: सूरत, दमन (राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के बाद
(गोवा, दमन और दीव)	दीव सहित चार और केन्द्रों को भी सम्मिलित किया जाना है)
आन्ध्र प्रदेश	: कुद्दापा, राजमुंदरी, वारंगल
महाराष्ट्र	: नान्देड़

तमिल नाडु	: तंजावुर, चेतीनाद, तिरुनेलवेली
कर्नाटक	: मैसूर, हुबली, रायचूर
केरल	: कालीकट
पश्चिमी बंगाल	: कूच बिहार
अरुणाचल प्रदेश	: एलोंग, जीरो, डपोरिजो, पासीघाट

डुप्लीकेट राशन-कार्ड

3150. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खाद्य और आपूर्ति विभाग (दिल्ली प्रशासन) ऐसे मामलों में जब मूल राशन कार्ड खो जाता है या कार्डधारी द्वारा विकृत हो जाता है, निर्धारित शुल्क लेने के बावजूद डुप्लीकेट राशन-कार्ड जारी नहीं करता है तथा कार्डधारी से पुलिस की दर्ज प्रथम-सूचना-रिपोर्ट और 2/- रुपये के स्टैम्प-पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : दिल्ली प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली प्रशासन डुप्लीकेट खाद्य कार्ड जारी करने से पहले खोये हुए कार्ड के बारे में पुलिस-रिपोर्ट की एक प्रति मांगता है, ताकि कार्ड का दुरुपयोग न किया जा सके तथा आवेदक की नेकनीयती का भी पता चल सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का नामांकन

3151. **श्री भीखा भाई** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संस्थाओं के अन्तर्नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन रोकने वाला कोई विशिष्ट खण्ड नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को गैर सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामांकित न करने के क्या कारण हैं, जिनके पास उद्योग वाणिज्य, प्रशासन, ट्रेड यूनियन या सामाजिक क्षेत्र की प्रमाणित योग्यता है ;

(ग) क्या अनुचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्कृष्ट व्यक्तियों के नामांकन की सिफारिश उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(घ) उनके मन्त्रालय के अधीन उन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा उनकी सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनके बोर्डो में गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामांकित किए जाते हैं तथा उनका कार्यकाल कितना होता है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी, नहीं ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर, अतीत में भी विचार किया गया है और उन्हें आई० टी० डी० सी० के निदेशक-मण्डल में नियुक्त किया गया है। निगम की आवश्यकताओं और उपलब्ध विशेषज्ञता को मद्देनजर रखते हुए मार्च, 1983 में आई० टी० डी० सी० के बोर्ड का गठन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का यथोचित ध्यान रखा जाएगा ।

(घ) पर्यटन मन्त्रालय के अधीन भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ही एकमात्र पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग है । आई० टी० डी० सी० के बोर्ड का कार्यकाल साधारणतया दो वर्ष है ।

वस्त्रों के लिए निर्यातोन्मुख परियोजनाएं

3152. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात, विशेषकर वस्त्र निर्यात में आई गिरावट को कम करने के प्रयत्न में वस्त्रों के लिए निर्यातोन्मुख परियोजनाएं स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र, विशेषकर विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की क्या भूमिका होगी ; और

(ग) इसे स्वीकृति मिलने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख स्कीम स्थापित करने की योजना पहले से ही लागू है जिसके अन्तर्गत वस्त्र भी आते हैं। योजना के ब्यौरे वाणिज्य मन्त्रालय के संकल्प दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 में निहित हैं जो 1982-83 के लिये आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट-33 पर है । निजी क्षेत्र के एकक इसमें भाग लेने के पात्र हैं । उक्त संकल्प के पैरा-2 में दिये गये कार्यों की व्यवस्था के अतिरिक्त विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदें वस्त्र निर्यात के सम्बन्ध में अपनी सामान्य भूमिका निभाती रहेंगी।

"ट्रेड काट्रेक्ट्स विद् पोलैंड इन डालर्स" शीर्षक से समाचार

3153. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 1982 के "फाइनैन्सियल एक्सप्रैस" में "ट्रेड कान्ट्रेक्ट्स विद पोलैंड इन डालर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा और अवधि क्या है तथा प्रत्येक देश के ऐसे शिष्ट-मण्डलों के नेताओं तथा अन्य सदस्यों के नाम और ओहदे क्या हैं, जिन्होंने एक दूसरे देश की यात्रा की थी ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय रुपये की बजाय अमरीकी डालर में व्यापार ठेके निष्पादित करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस लेन-देन में भारत को कितना लाभ अथवा हानि होगी ; और

(ङ) क्या अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) जनवरी 1981 में पोलैंड के साथ हस्ताक्षर किये गये व्यापार तथा भुगतान करार के अनुसार, जो दिसम्बर, 1985 तक वैध है, पोलैंड को अनुमति है कि वह भारत को किये जाने वाले अपने निर्यातों के लिये अमरीकी डालरों में भुगतान की शर्तें कोट करे। तथापि, भुगतान डालर-रुपया दर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रुपयों में ही किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, पोलैंड के साथ रुपया व्यापार व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हाल ही में इस सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिनिधिमण्डल भारत से पोलैंड गया और न ही पोलैंड से भारत आया।

(ङ) जी नहीं।

वाराणसी छावनी में सड़क का बन्द किया जाना

3154. श्री निहाल सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी छावनी द्वारा पारित दिनांक 13 मई, 1982 के संकल्प संख्या 24 के उत्तर में सर्वे नं० 275 की सड़क को बन्द करने से सम्बन्धित सेन्ट्रल कमान्ड के जनरल आफिसर कमानडिंग-इन चीफ की अनुमति किस तारीख को प्राप्त हुई थी ;

(ख) 'सी' श्रेणी की उक्त सड़क को 'ए' श्रेणी की सड़क में परिवर्तित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति किस तारीख से प्राप्त हुई थी ;

(ग) वाराणसी छावनी की सर्वे नं० 275 की बन्द सड़क के बदले में एक वैकल्पिक सकरे पथ के निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है और खर्च होने की सम्भावना है ; और

(घ) यह निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मध्य कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ ने इस मार्ग को बन्द करने की स्वीकृति 21-6-1982 को दी थी। छावनी बोर्ड के पास ये आदेश 13 जुलाई, 1982 को प्राप्त हुए।

(ख) वाराणसी छावनी में सर्वे नं० 275 की भूमि को 'सी' श्रेणी से 'ए-I' में परिवर्तित करने के बारे में स्वीकृति देने का प्रस्ताव 9-7-1982 को प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) वैकल्पिक मार्ग के लिए अभी तक कोई अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

एयर इण्डियन द्वारा मानार्थ हवाई टिकटों का जारी किया जाना

3155. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि एयर इन्डिया अपने ट्रेवल-एजेन्टों के माध्यम से अपने नियमित ग्राहकों को कभी-कभी मानार्थ हवाई-टिकट जारी करती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टिकटों को जारी करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और अपनाए जाते हैं ; और

(ग) गत एक वर्ष में ऐसे कितने टिकट जारी किए गए हैं और किस-किस को जारी किए गए हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ। निःशुल्क टिकटें एयर इन्डिया के अन्तर्देशीय सैक्टरों पर प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संस्थाओं को जारी की जाती हैं।

(ख) निःशुल्क टिकटें जारी करने का मानदण्ड निगम को निम्नलिखित की वजह से होने वाले लाभ हैं :

(i) अभिवृद्धित राजस्व की उत्पत्ति।

(ii) बढ़ा हुआ प्रचार, या।

(iii) बदले में प्रदान की गई सेवाएं।

(ग) भारत में 1981-82 के दौरान महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संस्थाओं को जारी किए गए निःशुल्क टिकटों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

अप्रैल	1981—25
मई	1981—11
जून	1981—12
जुलाई	1981—08
अगस्त	1981—28
सितम्बर	1981—15
अक्तूबर	1981—44
नवम्बर	1981—49
दिसम्बर	1981—46
जनवरी	1982—37
फरवरी	1982—40
मार्च	1982—33
कुल	348

वेतन बचत योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा पालिसियां

3156. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1981 और 31 मार्च, 1982 के दिन वेतन बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितनी-कितनी जीवन-बीमा पालिसियां चल रहीं थीं ; और

(ख) 31 मार्च, 1981 और 31 मार्च, 1982 के दिन उपरोक्त पालिसियों के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का बीमा किया हुआ था ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वेतन बचत योजना के अन्तर्गत, 31 मार्च, 1981 और 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान नये कारबार का ब्यौरा इस-प्रकार है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष	पालिसियों की संख्या (लाख)	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए)
31-3-81	5.58	552
31-3-82	5.65	602

इस योजना के अन्तर्गत निगम के चालू कारबार के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

खाद्य पदार्थों का आयात

3157. श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा 1970 में देशवार आयातित खाद्य पदार्थों की मात्रा कितनी है ;

(ख) भारत द्वारा 1980-81 और 1981-82 में देशवार आयातित खाद्य पदार्थों की मात्रा कितनी है ; और

(ग) खाद्य पदार्थों के आयात के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) वास्तविक आयातों के देश/वस्तुवार आंकड़े फरवरी, 1981 तक उपलब्ध हैं । उपलब्ध जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशों में पर्यटक कार्यालय खोला जाना

3158. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में और अधिक पर्यटक कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस पर्यटक कार्यालयों के मुख्य कृत्य क्या हैं, तथा वे किस प्रकार सफल हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सरकार ने कोलम्बो, दुबई और काठमांडू में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए पर्यटक कार्यालय खोलने का पहले ही निर्णय ले लिया है और ये कार्यालय कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के बाद सम्भवतः शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे । इसके अलावा, कुआलालम्पुर, कैराकस और हांगकांग में नए पर्यटक कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है ।

(ख) पर्यटक कार्यालय का मुख्य काम भारत की ओर पर्यटक यातायात का संवर्धन करना है । ऐसा विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जाता है जिनमें ये शामिल हैं—विज्ञापन, प्रचार, यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा प्रचालकों के साथ सीधा संपर्क, फिल्म शो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, यात्रा प्रदर्शिनियां और मेलों का आयोजन, पर्यटक सूचना प्रदान करना, यात्रा लेखकों, फोटोग्राफरों, फिल्म तथा टी० वी० निर्माताओं के साथ संपर्क, उन्हें भारत की यात्रा करने और भारत का संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

भारत की ओर आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों में बराबर वृद्धि होती रही है जैसा कि 1977 से 1981 के 5 वर्षों के आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

वर्ष	भारत आने वाले पर्यटक आगमनों की संख्या	प्रतिशत अन्तर	विश्व पर्यटन में प्रतिशत अन्तर
1977	640,422	19.9	8.3%
1978	747,995	16.8	7.6%
1979	764,781	2.2	4.8%
1980	800,150	4.6	3.0%
1981	853,148	6.6	4.1%

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमनों के इन आंकड़ों में पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों और नेपाल से आने वाले ऐसे राष्ट्रिकों भी जो स्थल मार्गों द्वारा भारत में प्रवेश करते हैं, शामिल नहीं हैं।

मिजोरम सरकार द्वारा हेलीकाप्टर सेवा आरम्भ किया जाना

3159. **डा० आर० रोचुआना :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजोरम सरकार का विचार सितम्बर, 1982 से सिलचर से एजल तक सिविलियन लोगों के लिए हैलीकाप्टर सेवा आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) मिजोरम में "थर्ड लेवल" विमान सेवा कब तक आरम्भ करने का मंत्रालय का विचार है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस समय मिजोरम ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक ऐसा राज्य या संघ शासित क्षेत्र है, जहां के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की कोई सेवा उपलब्ध नहीं है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अपर्याप्त आधार संरचनात्मक सुविधाओं के कारण मिजोरम के लिए फिलहाल वायुदूत सेवाओं का विस्तार करना सम्भव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

व्यापार में घाटा

3160. श्री चित्त महाटा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में कुल कितना व्यापार में घाटा होने का अनुमान है ;

(ख) वर्ष 1982-83 का अनुमानित निर्यात और आयात कितना है ; और

(ग) सरकार ने चालू वित्तीय वर्षों में व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इस स्तर पर 1982-83 के लिए अनुमानित व्यापार घाटे अथवा आयात की मात्रा बताना कठिन है। तथापि सरकार ने इस वर्ष के लिए 8650 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि निर्यात निष्पादन तथा आयात प्रतिस्थापन में वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो ऐसी सम्भावना है कि 1982-83 में पिछले वर्ष की तुलना में कम घाटा हो सकता है।

सरकार व्यापार घाटे पर नियन्त्रण रखने के विचार से कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, अलौह धातुएं, खाद्य तेल आदि जैसी आयात की मदों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर निर्यातों का अधिकतम बढ़ाने तथा जहां भी सम्भव हो आयात के प्रतिस्थापन के लिए सभी प्रयत्न कर रही है। इन उपायों का मुख्य अभिप्राय निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिये उत्पादन की घरेलू बाधाओं को दूर करना है। इस दिशा में जो कुछ मुख्य उपाय किये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

1. निर्यात हेतु उत्पादन को "लाइसेंस शुदा क्षमता" और प्रभुत्व के प्रयोजन के लिए शामिल न करना।

2. निर्यात के लिए ऐसी नई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जो उस वस्तु से भिन्न हो, जिसके उत्पादन के लिए औद्योगिक एकक को लाइसेंस दिया गया हो।

3. निर्यात उत्पादन के लिए उन्नत और आधुनिक टेकनालाजी के आयात के सम्बन्ध में अनुकूल व्यवहार करना, जिनमें रायल्टी का एक सुबूत भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो।

4. सभी शर्त प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के साथ मुक्त व्यापार जोन जैसा व्यवहार करना।

5. निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योगों की परिवर्धित सूची में स्वत: विस्तार की अनुमति देना।

6. इन्जीनियरी की कुछ मदों और अन्य निर्यातोन्मुख उद्योगों के सम्बन्ध में रियायती ब्याज पर लदान पूर्व ऋण की अवधि को 135 से बढ़ाकर 180 दिन करना।

7. मैट्रोपोलिटिन नगरों में ऐसे एककों के सम्बन्ध में जो निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं, नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गये प्रतिबन्धों में चयनात्मक आधार पर छूट।

8. जो एग्जिम बैंक हाल ही में स्थापित हुआ है उसके बारे में ऐसी आशा है कि यह निर्यात वित्त की व्यवस्था में वृद्धि करेगा।

9. इंजीनियरी माल के निर्यातकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इस्पात अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दिया जा रहा है। निर्यात होने के बाद निर्यातकों को घरेलू कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

10. शुल्क वापसी के दिये जाने में विलम्ब को कम करने के लिए नीतियों और क्रिया-विधियों का सुव्यवस्थीकरण।

11. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाना।

12. नकद मुआवजा सहायता देने की नीति की अवधि 31 मार्च, 1985 तक 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है।

13. 1982-83 के लिए चालू आयात व निर्यात नीति "उत्पादकता वर्ष और निर्यात के वर्षों में और गति पैदा करने की आवश्यकता के रूप में निर्धारित की गई है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र में कृतिक दल

3162. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या निर्यात नीति को उदार बनाए जाने पर बल देने के कारण मंगलौर को मुक्त व्यापार क्षेत्र में बनाये जाने के अवसर बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या इस बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी कृतिक दल को अनुदेश दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इस प्रश्न पर कि क्या देश में और मुक्त व्यापार जोन स्थापित किये जाने चाहिए सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। श्री पी० एल० टण्डन की अध्यक्षता में स्थापित टास्क फोर्स का एक विचारार्थ विषय यह सुझाव देना था कि क्या देश में और मुक्त जोन स्थापित किये जाने चाहिए अथवा नहीं। टास्क फोर्स को नये मुक्त व्यापार जोनों के स्थानों की सिफारिश करने के लिए नहीं कहा गया था। टास्क फोर्स भी प्रमुख सिफारिशें अनुबन्ध में देखी जा सकती है :

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5560/82]

भारत-सोवियत आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार

3163. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर 1980 में हस्ताक्षरित भारत-सोवियत आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत कुछ धनराशि का भारत को भुगतान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य में से सरकार द्वारा अब तक खर्च की गई धनराशि से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इस करार के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जानी थी ; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में सन्दर्भित परियोजनाओं का काम शुरू हो गया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत और सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के बीच 10 दिसम्बर, 1980 को हस्ताक्षरित आर्थिक और तकनीकी करार में सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ की सरकार द्वारा भारत सरकार को पारस्परिक सहमति से स्वीकृत निम्नलिखित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 52 करोड़ रूबल की राशि दिये जाने के लिए एक आर्थिक ऋण की व्यवस्था है :

(क) प्रति वर्ष 140 लाख मेट्रिक टन कोयले की कुल क्षमता वाली निगाही कोयला खान का जिसमें पहले चरण में दो सज्जीकरण-संयत्रों और लगभग 900 किलोमीटर विद्युत पारेषण लाइनों सहित 42 लाख मेट्रिक टन क्षमता शामिल है, (सिंगरौली कोयला निक्षेपों पर) विभिन्न चरणों में निर्माण करने के साथ विंध्याचल में 1260 मेगावाट क्षमता के (जिसमें क्षमता को 3000 मेगावाट तक बढ़ाने की की संभावना हो) समन्वित तापीय संयंत्र का निर्माण ।

(ख) नई प्रौद्योगिकी शुरू कर के तथा उपस्कर के आधुनिकीकरण द्वारा भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों की क्षमता का क्रमशः प्रति वर्ष 50 और 55 लाख मेट्रिक टन इस्पात तक विस्तार।

(ग) प्रति वर्ष 28 लाख मैट्रिक टन कोयले की क्षमता वाली झंजरा कोयला खान का निर्माण (जिसमें 2 शाफ्ट लगाने का काम शामिल है)।

(घ) झरिया कोयला निक्षेपों में प्रति वर्ष कुल 120 लाख मैट्रिक टन की क्षमता वाली मुकुन्दा विस्तृत खान के पहले चरण (40 लाख मैट्रिक टन) का समन्धित विकास, जिसमें कोयला उत्पादन, कोयला प्रक्षालन संयंत्र 100 मेगावाट तापीय विद्युत संयंत्र और पोषण लाइन शामिल है।

(ङ) परस्पर स्वीकृत क्षेत्रों में कोयले का भूगर्भीय पूर्वेक्षण।

(च) भू-मौतिकीय पूर्वेक्षण और छिद्रण कार्यों, निक्षेपों के विकास की आधारभूत तकनीकी अवधारणा के प्रतिपादन और उत्पादन सुविधाओं की संस्थापना सहित तेल और गैस के लिए परस्पर स्वीकृत आशाप्रद तटवर्ती क्षेत्र में समन्वित कार्यों का निष्पादन।

(छ) निष्क्रिय और कम उत्पादिता वाले कूओं से मरम्मत करके और उत्पादन के आधुनिक तरीके अपनाकर तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन।

(ज) सिंचाई के क्षेत्र में, सिंचाई की लाइनिंग करने और नहरों के निर्माण में दिग्विस्फोटक तकनीक के प्रयोग के लिए पूर्व रचित प्रतिबलित कंक्रीट के ढांचो के निर्माण के लिए एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और एक उद्यम का निर्माण।

2. अब तक किये गये संविदाओं का मूल्य और अब तक संवितरित राशियां नीचे दी गई हैं :—

परियोजनाएं	किए गये संविदाओं के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा की राशि	(करोड़ रुपए) संवितरित राशि
1. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (रुग्ण कूओं का पुनरूद्धार) (उपस्कर और सेवाओं की पूर्ति)	2.564	1.127
2. विंध्याचल तापीय विद्युत परियोजना (उपस्कर और सेवाओं की पूर्ति)	295.000	0.021

1	2	3
3. निगाही कोयला परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।	2.813	—
4. मुकुंदा विवृत खान के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना ।	3.860	1.544
5. पूर्व रचित प्रतिबलित कंक्रीट के ढ़ाचों के निर्माण और दिग्विस्फोटक तकनीकों के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करना ।	0.259	0.004
6. कोयला निक्षेपों के बारे में भू-भौतिकीय आंकड़ों के लिए सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ।	0.013	—

हथकरघा फैक्ट्रियां को ही रही कठिनाइयां

3164. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धागे और स्टेपल के महंगे होने के कारण हथकरघा फैक्ट्रियों को निर्बल वर्गों के लिए कपड़े का उत्पादन करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य में धागे के महंगे होने के कारण बुनकरों की कोई विशेष अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बुनकरों को दी गई रियायत की बलपूर्वक वसूली की जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान यार्न (सूती, स्टेपल तथा रेशम) की कीमत में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जमा-ऋण-अनुपात

3165. श्री अनन्त रामुलु मुल्लु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में जमा की जाने वाली राशि और दिए जाने वाले ऋण का अनुपात शनैः शनैः प्रतिकूल होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में गत तीन वर्ष का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों में धनराशि जमा कराने सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं । पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के ऋण जमा अनुपात वृद्धिशील प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :—

निम्नलिखित वर्षों के दिसम्बर के अन्त की स्थिति के अनुसार	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1979	56.20
1980	56.91
1980	60.62

अलबत्ता, ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये थे अग्रिम ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग किये गये बैंकों के कुल अग्रिम का प्रतिनिधित्व नहीं करते । जून, 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनसंख्या समूहों के ऋणों की व्यावसायिक पद्धति के अध्ययन से प्रकट होता है कि कृषि क्षेत्र में दिये गये प्रत्यक्ष वित्त में से, जिसका कि स्पष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग किया गया था, कम से कम 64.0 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण शाखाओं के अलावा अन्य शाखाओं द्वारा सुलभ कराया गया था ।

बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में दिये जाने वाले अपने अग्रिमों के अनुपात को बढ़ाकर अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें । इसी अवधि में बैंकों द्वारा कृषि तथा इसकी सहायक गतिविधियों के वास्ते दिये जाने वाले ऋणों का लक्ष्य, बैंकों के कुल अग्रिमों का 16 प्रतिशत रखा गया है । बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अपने कुल अग्रिमों में से कारीगरों, शिल्पकारों तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योगों एवं लघु एककों के (जिसे 25000 रुपये से अधिक आवश्यकता न हो) अंश को बढ़ाकर दुगुना कर दें । बैंक, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं तथा संयुक्त कार्यान्वयन के वास्ते जिला ऋण आयोजनाओं में

नियमित योजनाओं को आगे बढ़ा रहें हैं। इन उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लिए गए अग्रिम धन और ऋण को लोगों/कम्पनियों द्वारा वापस न किया जाना

3166. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लिए गए अग्रिम धन और ऋण को वापस चुकाने के पिछले तीन वर्षों में बार-बार भेजे गये अनुस्मारकों के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों तथा एकाधिकार और बड़े व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित कम्पनियों ने इस ऋण और अग्रिम धन राशि को वापिस नहीं चुकाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ऋण तथा अग्रिम धन की रकम का ब्यौरा क्या है जिसे वसूल करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने 1978-1982 के बीच की वसूली प्रक्रिया शुरू की जा रही है ;

(ग) तत्सम्बन्धी बैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले का कितनी धनराशि से सम्बन्ध है ; और

(घ) 31 मार्च, 1982 को बकाया कुल अग्रिम राशियों की तुलना में ऐसे ऋणों की प्रतिशतता कितनी थी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं द्वारा सरकारी क्षेत्र के ऋणों की आपकी अदायगी में किये गये व्यतिक्रमों से सम्बन्धित सूक्ष्म ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। शाखाओं के विस्तृत जाल के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के आंकड़ों के संकलन में जितना अधिक श्रम तथा समय लगेगा वह वांछित परिणामों से कहीं अधिक होगा। अलबत्ता, यह सही है कि विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं की ओर से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुछ राशियां अतिदेय है। इन अतिदेशों के कारण प्रत्येक मामले में अलग-अलग होंगे। ऋण-कर्त्ताओं को समझाना बुझाना तथा अदायगी योग्य राशि की वसूली करना बैंकों की जिम्मेदारी है।

(ख) से (घ) 1978 से 1981 तक की अवधि के लिए जिन खातों के विषय में मुकदमें दायर किये गये हैं उनकी संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशियों के साथ-साथ कुल बकाया राशि के अग्रिमों की तुलना में अतिदेय राशि के अग्रिमों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में बैंकवार ब्यौरों को एक ही बार की कार्रवाई के रूप में एकत्र करने का प्रयास किया गया था। यद्यपि, सरकारी क्षेत्र के 14 बैंकों के सम्बन्ध में दायर किये गये मुकदमें वाले खातों की संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि से सम्बन्धित सूचना पूरी तरह से उपलब्ध हो गई, 7 अन्य बैंकों के सम्बन्ध में यह सूचना

केवल आंशिक रूप में ही उपलब्ध हुई और शेष 7 बैंकों के वास्ते इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

बकाया राशि के कुल अग्रिमों के मुकाबले अतिदेव अग्रिमों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में यह सूचना केवल 13 बैंकों के बारे में ही पूर्णतया उपलब्ध है।

उपर्युक्त सूचना एक बार के आधार पर एकत्र की गई थी लेकिन लम्बे प्रयासों के बावजूद सभी सम्बद्ध सूचना एकत्र नहीं की जा सकी।

फिर भी अनुबन्ध में दी गई उपलब्ध सूचना मांगी गई सूचना का कुछ हद तक उदाहरण-चित्र प्रस्तुत करती है।

[ग्रंथालय में एक गया। देखिए संख्या एल० टी० 5561/82]

पूना में "लाइट एण्ड साउन्ड" यूनिटों की स्थापना

3167. **श्री वी० एन० गाडगिल :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार विभिन्न ऐतिहासिक पर्यटक-स्थलों में "लाइट एण्ड साउन्ड" यूनिटों की स्थापना करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग ने पूना के सोवर वाऊ पैलेस में ऐसे ही एक यूनिट की स्थापना पर आपत्ति की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार का पूना में ऐसे यूनिट की स्थापना करने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) यदि धनराशियां उपलब्ध हुई और पारस्परिक प्राथमिकताएं अनुकूल रहीं, तो सरकार का अनुमोदित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले कुछ चुने हुए स्थानों पर ध्वनि-व-प्रकाश कार्यक्रमों को शुरू करने का इरादा है ;

(ख) और (ग) महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित तीन स्थानों पर ध्वनि-व-प्रकाश कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है।

1. शानदार बाड़ा, पुणे।
2. दौलताबाद किला, जिला औरंगाबाद।
3. रायगढ़ किला, जिला रायगढ़।

ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। अन्तिम निर्णय लेने के बाद यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उनसे क्लियरेंस देने के लिए भेजा जाएगा।

डेनिस सरकार द्वारा तमिलनाडु को सप्लाई किए गए रिगों की सीमा-शुल्क से छूट

3168. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने यह अनुरोध किया है कि "डी० ए० एन० आई० ए०" के अन्तर्गत डेनिश सरकार द्वारा सप्लाई किया जाने वाले रिगों को तमिलनाडु से छूट प्रदान की जाए तथा इस सम्बन्ध ने शुल्क की जितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, उसका तमिलनाडु सरकार को पुनर्भुगतान कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) जी, हां। "डी० ए० एम० आई० डी० ए०" द्वारा तमिलनाडु की राज्य सरकार को उनके जल-पूर्ति कार्यक्रम हेतु उपहार स्वरूप दिए गए रिगों पर आयात शुल्क को अदायगी से छूट देने के निमित्त तमिलनाडु को राज्य सरकार से एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

इस बीच ऐसा समझा गया है कि यह राज्य सरकार शुल्क अदा करके रिगों एवं अन्य उपकरणों की कुछ पैसों की निकासी कर चुकी है। पहले से अदा किया जा चुके शुल्क वापस किए जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि में छूटें पीछे की तारीख से नहीं दी जा सकतीं।

केनरा बैंक की रामकृष्णपुरम में सुबह काम करने वाली शाखा खोलने में संचालन सम्बन्धी कठिनाइयां

3169. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री केनरा बैंक द्वारा सुबह काम करने वाली शाखाएं खोलने के बारे में 13 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5243 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केनरा बैंक की रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सुबह काम करने वाली अपनी शाखा सुबह 8.30 बजे खोलने में संचालन सम्बन्धी क्या कठिनाइयां हैं जब इण्डियन बैंक इसके निकट ही इसी समय पर अपनी शाखा शान्तिनिकेतन में खोल रहा है ; और

(ख) ग्राहकों को सुविधाएं देने के विचार से, जिनमें अधिकांश व्यक्ति श्रमजीवी हैं इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये बैंक का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) केनरा बैंक के अनुसार उनकी रामकृष्णपुरम शाखा कार्यालय जाने वालों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मिले जुले ग्राहक-वर्ग को

सेवा प्रदान कर रही है। अत:, बैंक ने अपने अधिकांश ग्राहकों की सुविधा के वास्ते अपना कार्यालय समय प्रात: 9.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक कर दिया है। विशेषत: कार्यालय जाने वालों आदि के लाभ के वास्ते, जिन्हें सप्ताह के दिनों में बैंक से व्यवहार करने में अन्यथा कठिनाई होती है, यह शाखा रविवार को भी खुली रहती है।

स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स का कार्यकरण

3170 **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1978 में स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स के अधिग्रहण के बाद इसके कार्य सम्बन्धी परिणाम क्या रहे हैं ;

(ख) निरन्तर उत्पादन होते रहने तथा उत्पादकता में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम आधुनिकीकरण की योजना को अपना रहा है और यदि हां, तो भारी कार्य-बल और इकानोमी के हित में अब तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है और लगाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स के अधिग्रहण के बाद से उसके कार्य सम्बन्धी परिणाम निम्नांकित हैं :

वर्ष	कार्य सम्बन्धी परिणाम (अनन्तिम) (लाख रु० में)
1978-79	200.00 लाभ
1979-80	61.48 ,,
1980-81	68.51 ,,
1981-82	777.58 हानि

(ख) लगातार उत्पादन और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिये संयंत्र तथा उपस्कर के उचित रख-रखाव के लिये समय पर माल की तथा आवश्यक चीजों की अधिप्राप्ति के लिये उपाय किये गये हैं।

(ग) इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिये अब तक कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है। मिलों के आधुनिकीकरण पर पूंजी निवेश करने पर विचार उनके भविष्य के बारे में निर्णय हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

सिग्रेट कम्पनियों का विवाद-ग्रस्त उत्पादन-शुल्क

3171. **श्री आर० मधुकुमारन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण सिग्रेट उद्योग ने धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारणीय मूल्य निकालने की विधि को नियत करने के लिए न्यायालय की शरण ली है और यदि हां, तो कौन-कौन सी कम्पनियों ने न्यायालय में मामला दायर किया है ; और

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम की धारा 4 से सम्बन्धित मूल्य-निर्धारण का मामला कब से न्यायालय के विचाराधीन है तथा प्रत्येक कम्पनी के संचित उत्पादन शुल्क की कितनी-कितनी धनराशि विवाद-ग्रस्त हो गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) निम्नलिखित सिगरेट कम्पनियां अदालत में पहुंची हैं :—

1. आई० टी० सी० लिमिटेड ।
2. गोल्डन टोबेको कम्पनी ।
3. गॉडफ्रे फिलिप्स (इण्डिया) लि० ।
4. एशिया टोबेको कम्पनी ।
5. जे० एण्ड के० सिगरेट लि० ।
6. वजीर सुलतान टोबेको कम्पनी लि० ।
7. नव भारत टोबेको कम्पनी ।
8. नेशनल टोबेको कंम्पनी लि० ।
9. यूनिवर्सल टोबेको कम्पनी लि० ।
10. डंकन एग्रो-इण्डस्ट्रीज लि० ।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की वर्तमान धारा 4, 1-10-1975 से लागू हुई थी और तभी से सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों ने मूल्यांकन सम्बन्धी मामलों में समय-समय पर अदालतों के दरबाजे खटखटाये हैं ।

उत्पादन शुल्क की ऐसी संचित रकमों के सम्बन्ध में सूचना, जो प्रत्येक कम्पनी के सिलसिले में विवादास्पद है, एकत्र की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जायेगा ।

चेथाक्कल में रबर बोर्ड का प्रायोगिक केन्द्र

3172. श्री वी० के० नायर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेथाक्कल स्थित रबर बोर्ड केन्द्र प्रायोगिक केन्द्र के रबर बागानों को जो कि बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत बागान की परिभाषा के अधीन आता है, लेखों के मामले में रबर बोर्ड द्वारा एक पृथक एकक नहीं माना जाता है ;

(ख) क्या यह एकक प्राकृतिक रबर और पौधों तथा लेन-देन के अन्य माध्यम से भारी लाभ कमाता रहा है ;

(ग) क्या सम्बन्धित कर्मचारी, समान बागानों में दिए जाने वाले, वार्षिक बोनस और अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करते रहे हैं ; और

(घ) इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) चेथाक्कल स्थित रबर बोर्ड के केन्द्रीय प्रायोगिक केन्द्र से सम्बन्धित खर्च का हिसाब रबर बोर्ड द्वारा अलग से रखा जाता है। तथापि, बोर्ड द्वारा कोई अलग प्रोफार्मा लेखे नहीं रखे जा रहे हैं। चूंकि लाभ तथा हानि का कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा है इस लिये इस सम्बन्ध में हुए लाभ तथा हानि का पता लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोगिक केन्द्र में कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा 8-1/3 प्रतिशत की दर पर अनुक्रमी अनुदान दिया जाता है।

सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषदों को कुछ शक्तियां सरकार को देने के निर्देश

3173. श्री एम० राजशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 जनवरी, 1982 के पत्र संख्या 6/1/एम० डी० ए०/82 और वैसी ही अन्य पत्रों द्वारा भारतीय निर्यात संगठनों के फैडरेशन और निर्यात संवर्धन परिषदों को निर्देश दिये हैं कि वे जारी किए गए नोटिस में उल्लिखित कुछ शक्तियां सरकार को देते हुए एसोशियेशन के ज्ञापन और अन्तर्नियमों में संशोधन करें ;

(ख) उन निर्यात संवर्धन परिषदों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार की इच्छा के अनुसार संशोधन कर लिये हैं ;

(ग) उन निर्यात संवर्धन परिषदों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं, जिन्होंने कि सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया है ; और

(घ) यदि निर्देश का पालन न किया गया है तो इस मामले में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, 4 फरवरी, 1982 के परिपत्र के अतिरिक्त और कोई पत्र नहीं हैं।

(ख) सरकार के अनुदान प्राप्त करने वाली 15 परिषदों में से तीन परिषदें अर्थात् हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, तैयार चमड़े और चमड़े की विनिर्मित वस्तुओं को निर्यात संवर्धन परिषद, कानपुर और ऊन तथा ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद ने ऊपर बताए गये परिपत्र में प्रस्तावित अनुच्छेद को निगमित किया है।

(ग) बाकी 12 निर्यात संवर्धन परिषदों (सूची संलग्न) ने मामले को अपनी प्रशासन समिति के सम्मुख रखने अथवा कम्पनी कानून बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की है।

(घ) उपरोक्त प्रश्न को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	निर्यात संवर्धन परिषदों के नाम
1.	खेलकूद के सामान की निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
2.	प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।
3.	इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।
4.	रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।
5.	साधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।
6.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।
7.	मूलभूत रसायन, भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।
8.	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।
9.	रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।
10.	काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन।
11.	मसालों की निर्यात संवर्धन परिषद, एर्नाकुलम।
12.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास।

वस्त्र उद्योग को फिर से उठाना

3174. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वस्त्र उद्योग को फिर से उठाने के लिए वर्तमान मंदे की स्थिति का उपयोग करने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) उद्योग तथा साथ ही रुई अर्थ व्यवस्था के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान वस्त्र नीति में सन्तुलित विकास की व्यवस्था है । तदनुसार मानव-निर्मित रेशों/मार्न के उत्पादन की स्वदेशी क्षमता में वृद्धि करने के उपाय किये गये हैं और ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयातों द्वारा उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है ।

पोलियस्टर यार्न के वांछनीय ब्लेंडों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए चालू बजट में राजकोषीय लेवियां भी घोषित की गई हैं ।

दिल्ली पर्यटन विकास निगम के कुछ कर्मचारियों से धनराशि की वसूली

3175. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पर्यटन विकास निगम के कुछ कर्मचारियों से कुछ धन-राशि की वसूली बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं और वे किन पदों पर हैं और उनमें से प्रत्येक से वसूल की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पूरी राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) दिल्ली पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी धन का दुर्विनियोजन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) बकाया राशि में टूअर टिकट और साहित्य का ऐसा स्टाक शामिल है, जिसकी बिक्री नहीं की गई है और जो इन मदों की बिक्री के लिए रनिंग अकाउंट का एक हिस्सा हैं । इन्हें सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर डिपाजिट कराया जाता है ।

(ख) 25-9-82 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों के नाम और उनसे बकाया राशि (रनिंग अकाउंट) को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) कर्मचारी समय-समय पर राशियां डिपाजिट कराते रहते हैं और टिकटों का ऐसा स्टाक जिसकी बिक्री नहीं की गई है उसे वे अपने पास, विभिन्न सूचना काउंटरों पर बेचने के लिए रख लेते हैं ।

(घ) अकाउंट्स का यथाशीघ्र निपटान करने के लिए हमेशा ठोस प्रयास किए जाते हैं । एकाउंट्स के समाधान सम्बन्धी कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई (यदि, कोई हुई) करने का प्रश्न उठेगा ।

क्रम सं०	नाम	विवरण				रिमार्क्स
		दिनांक 31-8-1982 को बकाया राशि	1-9-1982 से 25-9-1982 तक डिपाजिट किया गया स्टाक	1-9-1982 से 25-9-1982 तक डिपाजिट की गई राशि	26-9-1982 को बकाया राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राजीव शर्मा	4,936-00	—	1,801-00	3,135-00	
2.	श्री राजकुमार	4,533-50	2,430-00	—	2,103-50	
3.	कुमारी अनु सिंह	16,670-00	—	—	16,670-00	
4.	कुमारी नम्रता अरोरा	27,975-00	2,762-00	5,798-00	19,415-00	
5.	कुमारी हरप्रीत रेखी	31,241-00	280-00	3,070-00	27,891-00	
6.	श्री शैलन्द्र बिष्ट	11,275-00	720-00	3,465-00	7,090-00	
7.	श्री चन्द्रशेखर	25,845-00	—	6,395-00	19,450-00	
8.	श्री राजिन्दर सिंह	15,110-00	3,000-00	—	12,110-00	
9.	श्री सूर्यकांत	7,634-00	9,795-00	9,153-00	2,686-00	
10.	श्री एस० एम० जाकिर अली	9,680-50	—	—	2,680-50	
11.	श्री सुनील गौर	778-50	—	—	778-50	

1 2	3	4	5	6	
12. श्री यू० सी० मिश्रा	4,574-00	—	750-00	3,824-00	
13. श्रीमती आशा आल्हुवालिया	90,248-00	—	—	20,248-00	
14. कुमारी रंजना गुलाटी	610-00	—	305-00	305-00	
15. कुमारी सरिता सक्सेना	9,587-50	3,510-00	1,840-00	4,237-50	
16. श्री अमिताभ शर्मा	1,071-50	—	—	1,071-50	
17. श्री अशोक कक्कड़	1,893-50	—	—	1,883-50	
18. श्री इन्द्रसेन बन्सल	14,245-00	—	775-00	13,470-00	
19. श्री सुशील भाटो	5,900-00	720-00	5,180-00	शून्य	
20. श्री मणिकान्त छाबरा	11,980-00	—	—	11,980-00	
21. श्री पी० के० श्रीवास	23,763-00	—	—	23,763-00	
22. कुमारी नीलम शर्मा	26,602-00	—	3,994-00	22,608-00	
23. श्री अशोक भागो	16,638-00	30-00	30-00	16,608-00	
24. श्री कैलाश चन्द पीपल	20,508-00	8,581-00	18,000-00	6,563-00	आधिक्य
			+490-00		
25. श्री कमल सिंह	9,671-00	—	350-00	9,321-00	
26. कुमारी गीता गुप्ता	22,915-00	8,240-00	14,736-00	61-00	आधिक्य
27. कुमारी अजंता सन्याल	13,675-00	—	—	13,675-00	
28. श्री प्रमोद कुमार शर्मा	12,350-00	2,730-00	5,973-00	3,64700	

1 2	3	4	5	6
29. श्री संजय कपूर	4,365-00	—	—	4,365-00
30. श्री सुशील सक्सेना	1,175-00	—	—	1,175-00
31. श्री प्रदीप कुमार	513-00	—	129-00	384-00
32. श्रीमती अंजलि जैन	9,361-00	—	1,000-00	8,361-00
33. श्री एम० एस० श्रीधर	386-00	—	—	386-00
34. श्रीमती मधु श्रीधर	183-00	—	—	183-00
35. श्रीमती आर० के० ऊषा	2,728-00	—	—	2,728-00
36. श्री सुमन शर्मा	1,663-00	—	—	1,663-00
	जोड़ : 4,85,244-00		76,234-00	

विमान कम्पनियों द्वारा छूट दिये जाने के कारण विदेशी मुद्रा की निकासी

3176. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 35 विमान कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छूट दिए जाने के कारण दुर्लभ विदेशी मुद्रा की निकासी होती है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ाये गये व्यय को घटा कर टिकटों के प्रत्यक्ष मूल्य (फैस) के आधार पर आय बाहर भेजने की अनुमति देता है ; और

(ख) इस अनैतिक प्रथा रोकने के लिये सरकार क्या विभिन्न उपाय कर रही है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत को/से संचालित कई विदेशी कम्पनियों द्वारा किरायों में अवैध छूट दिये जाने और इसी प्रकार की अनैतिक प्रथाओं को अपनाये जाने की ओर सरकार का ध्यान खींचा गया है। ऐसे मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाती है।

कुम्भलगढ़ फोर्ट का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

3177. **श्री दीन बन्धु वर्मा :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुम्भलगढ़ किले का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी सर्वेक्षण दल को सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि कुम्भलगढ़ किला बहुत ऊंचाई पर स्थित है जो पर्यटक सौंदर्य स्थल तथा पर्वतीय स्थल के रूप में एक साथ विकसित किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) पर्यटन मन्त्रालय ने 3.50 लाख रु० की अनुमानित लागत पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय के केन्द्रीय नगर व ग्राम आयोजन संगठन (टी० सी० पी० ओ०) के माध्यम से हल्दीघाटी, रकता-तलाई, गोगुंडा, कुम्भलगढ़ और चावन्द को शामिल करते हुए मेवाड़ कम्पलैक्स की एक मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग योजना) तैयार करवाई थी। यह मास्टर प्लान टी० पी० सी० ओ० द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है और इसकी एक प्रति राजस्थान सरकार को अनुमोदन प्रदान करने तथा स्थानीय नगर व ग्राम आयोजन अधिनियम के अधीन अधिसूचित करने के लिए भिजवाई गई है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद मास्टर प्लान के अनुसार विकास

कार्य धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए शुरू किये जाएंगे ।

गुजरात का आयातित पामोलिन तेल के लिए अनुरोध

3178. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने वर्ष 1981-82 हेतु आयातित पामोलिन तेल की अपनी मांग से केन्द्र को अवगत करा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1981 से सितम्बर, 1982 तक इस राज्य को पामोलिन तेल की कितनी मात्रा आवंटित की गई ;

(ग) क्या राज्य की पामोलिन तेल की कुल आवश्यकता की तुलना आवंटित मात्रा कम है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य की वास्तविक आवश्यकता और राज्य के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार का वर्ष के शेष महीनों में कमी पूरी करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार ने तेल वर्ष 1981-82 (नवम्बर, 1981 से अक्तूबर, 1982) के लिए आयातित खाद्य तेल की अपनी मांग 1,06 000 मीटरी टन सूचित की थी। सार्वजनिक वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर मास-दर-मास आधार पर किया जाता है, जैसे मांग, खपत का स्वरूप, राज्य/उस क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक, पहले किए गये आवंटन तथा उनमें से उठाई गई मात्रा ।

गुजरात देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्यों में से एक है। मूंगफली के तेल के अलावा, इस राज्य में तिल के तेल, रेपसीड तेल तथा सरसों के तेल का उत्पादन भी होता है। इसे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आयात किया गया सोयाबीन तथा रेपसीड तेल भी प्राप्त होता है । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को आयातित पामोलीन तेल का आवंटन किया जा रहा है ।

नवम्बर, 1981 से अक्तूबर, 1982 की अवधि के दौरान, गुजरात के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 43.565 मीटरी टन पामोलीन तेल का आवंटन किया गया है और ऊपर दी गई बातों को देखते हुए यह आवंटन, कुल मिलाकर, पर्याप्त समझा जाता है ।

मन्त्रालय की कार्यालय परिषद में सिविल एकाउन्टस एम्पलाईज एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व

3179. **श्री एम० अरुणाचलम :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मन्त्रालय की सिविल एकाउन्ट्स एम्पलाइज एसोशिएशन को सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार जोर दिये जाने के बावजूद मन्त्रायल की कार्यालय परिषद में इस एसोसिएशन को किन कारणों से अब तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टनाभि राम राव) : (क) "केन्द्रीय लेखा कर्मचारी संघ" नामक एक संस्था को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। यह मान्यता उन्हें केवल सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करने तथा सदस्यों की सामूहिक शिकायतों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने की सुविधा देने के लिए दी गई है और न कि संयुक्त परामर्श दाता तन्त्र के प्रयोजन के लिए।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस संस्था को दी गई मान्यता संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र के प्रयोजन के लिए नहीं थी और इसलिए इस संस्था को मन्त्रालय की कार्यालय परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

मशीन औजारों की सप्लाई के लिए सोवियत संघ के साथ समझौता

3180. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दिसम्बर, 1981 में, मशीन औजारों की सप्लाई के लिए सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो पहले वे कितनी मात्रा में सप्लाई किए गये हैं अथवा किये जाने का विचार है और उसका मूल्य कितना है ;

(ग) भारत, समझौते के अंग के रूप में सोवियत संघ से किन-किन वस्तुओं का आयात करेगा ; और

(घ) क्या भुगतान रुपये में किया जाएगा अथवा रूबल में और इससे भारत कहां तक लाभ की स्थिति में होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दिसम्बर, 1981 में सोवियत संघ के साथ एक व्यापार सलेख पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें अन्य बातों के सा

साथ सोवियत संघ को 1982 में मशीन टूल्स के निर्यात की व्यवस्था है। इस सलेख के अनुसरण में भारतीय निर्यातकों और सोवियत संघ में आयातक संगठन के बीच निर्यात के लिए संविदाएं सम्पन्न की जानी थी।

(ख) सप्लाई किये गये/सप्लाई किये जाने वाले मशीन टूल्स की मात्रा/मूल्य के ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 1982 में सोवियत संघ को 9 करोड़ रु० मूल्य के मशीन टूल्स सप्लाई किये जायेंगे।

(ग) व्यापार संलेख में सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली मदों की एक सूची और सोवियत संघ से आयात की जाने वाली मदों की एक सूची दी गई है। प्वाइन्ट-दर-प्वाइन्ट कोई सन्तुलन नहीं है। समग्र निर्यात समग्र आयातों के बराबर होने की आशा है।

(घ) निर्यातों के लिए भुगतान भारतीय रुपये में किया जायेगा। निर्यातों तथा साथ ही आयातों के लिए भुगतान सन्तुलित आधार पर मुक्त विदेशी मुद्रा का आश्रय लिए बिना भारतीय रुपये में किये जाते हैं।

चाय बोर्ड द्वारा हानिकारक अपशिष्ट चाय का बेचा जाना

3181. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में चाय बोर्ड, औषध नियन्त्रक और चाय उत्पादक सभी राज्यों से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू करने में सहयोग देने का आग्रह किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड अपशिष्ट चाय बेच रहा है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और

(ङ) इस मामले में सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बदरपुर और सिलचर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 की मरम्मत करना

3182. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदरपुर और सिलचर (आसाम) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 शोचनीय स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क की जो मिजोरम, मणिपुर और कचारकी जीवन रेखा है, मरम्मत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दिसम्बर, 1981 में सीमा सड़क संगठन ने बदरपुर और सिलचर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 का काम असम लोक निर्माण विभाग से अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों ने इस सड़क की स्थिति की जांच की और बताया कि कहीं-कहीं पर सड़क सवारी के लिए उपयुक्त नहीं है। 19 कि० मी० की दूरी पर बारक नदी द्वारा कटाव की भी समस्या है।

(ख) इस सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग की विशिष्टियों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से सुधार करने का प्रस्ताव है। इन निर्माण कार्यों के पेन्डिंग रहते हुए 1981-82 में कुछ मरम्मत का काम किया गया। चालू वर्ष में लगभग 30 लाख रुपये खर्च करके इन सड़कों की विशेष मरम्मत करने का प्रस्ताव है। बारक नदी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए 19 वें कि० मी० पर सड़क को रेलवे लाइन के दक्षिण से ले जाकर उसमें अस्थायी मोड़ देने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पर्यटक स्थलों का विकास

3183. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पर्यटन महत्व के स्थानों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गये हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल में एक वन गृह की स्थापना की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 50.00 लाख रु० का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार भी नि:शुल्क भूमि, पानी, एप्रोच रोड, स्ट्रीट लाईट, बिजली कनेक्शन और स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था करते हुए इस परियोजना में भागीदार है।

भारतीय सीमाओं के पास पाकिस्तानी सेना

3184. **श्री बालकृष्ण वासनिक**: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन समाचार पत्रों में छपे समाचारों में कोई सच्चाई है कि पाकिस्तान द्वारा 3,50,000 सैनिकों को भारतीय सीमाओं के निकट तैनात किया गया है, नए सैनिक हवाई अड्डों तथा सामरिक महत्व की सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है और एक बड़ी शक्ति की सहायता से भारतीय क्षेत्र की गहरे में जाकर टोह लेने की प्रणाली तैयार की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की सीमाओं के पार इन सैनिक गतिविधियों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) हाल ही में भारतीय सीमा के साथ पाकिस्तानी सेनाओं के असामान्य जमाव या भारत के साथ लगने वाली पाकिस्तानी सीमा में सैनिक गतिविधियों में किसी तरह की महत्वपूर्ण वृद्धि के बारे में कोई समाचार नहीं है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के समीप कुछ हवाई अड्डों का निर्माण किया है और कुछ सड़कें बनाई जा रही है या उनकी मरम्मत की जा रही है।

इस बारे में भी कोई विश्वस्त सूचना नहीं है कि किसी बाहरी सहायता से भारतीय सीमा में व्यापक टोह लेने की कोई योजना बनाई जा रही है।

सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर नजर रखती है और र क्षा तैयारियों को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए उचित उपाय करती है।

केन्द्रीय मन्त्रियों/संसद सदस्यों/अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशों के सरकारी दौरे

3185. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान
श्री ए० के० राय } ; क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मन्त्रियों, संसद सदस्यों और अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में विदेशों के कितने सरकारी दौरे किये गये ; और

(ख) इन दौरों में उनमें से कितनों ने भाग लिया और कितना व्यय हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 तथा 1.4.82 से 30.9.82 तक की अवधि के लिए सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सूखे के दौरान कृत्रिम वर्षा करने के लिए अनुसंधान

3186. स्वामी इन्द्रवेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूखे की स्थितियों के दौरान कृत्रिम वर्षा करने के लिए कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के असाधारण वैज्ञानिक कार्य में कब तक सफलता उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है और इस बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं । भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, मूल बादलों के जरिए अधिकाधिक वर्षा की साध्यता का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र के सिरूर और बारामती क्षेत्रों पर वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध कृत्रिम वर्षा करने के परीक्षण करता रहा है ।

(ख) परीक्षण की वर्तमान स्थिति में ऐसी समय-सीमा विनिर्दिष्ट बताना कठिन है कि जब निश्चित वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना हो ।

हिन्दुस्तान लीवर को अन्य कम्पनियों का जौब-कार्य करने हेतु लाइसेंस

3187. श्री नारायण चौबे
श्री एम० एम० लारेंस } : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर के पास अन्य कम्पनियों का तेलों के परिष्करण से सम्बद्ध जौब कार्य करने का लाइसेंस है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा संस्थापित क्षमता का उपयोग

3188. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर को उपलब्ध की जा सकने वाली वार्षिक क्षमता कितनी है और इन क्षमताओं का कहां तक उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या उपरोक्त एकक और अधिक क्रयादेशों के लिए लालायित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हमारी आत्मनिर्भरता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके बारे में उपचारात्मक उपाय क्या किए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) यद्यपि इस समय हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की सभी फैक्टरियों की प्राप्य वार्षिक क्षमता 155 लाख स्टेन्डर्ड मैन आवर्स (एस० एम० एच०) है जबकि 1981-82 के दौरान कुल 70% क्षमता का उपयोग हुआ। परन्तु हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की बंगलौर यूनिट में 1981-82 के दौरान 55% क्षमता का उपयोग हुआ।

पारस्परिक तथा गैर-पारस्परिक दोनों ही प्रकार के उपाय अपनाकर हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की बंगलौर यूनिट की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं लेकिन इसका आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

3189. श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री फूल चन्द वर्मा } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा क

कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष सरकारी क्षेत्र के कई उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में इन उद्योगों के उत्पादन में अब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वर्ष 1980-81 की तुलना में 1981-82 के दौरान क्षेत्रवार उत्पादन अर्थात् इस्पात में 21, कोयले में 9%, लिग्नाइट में 20%, पेट्रोलियम में 43%, कच्चे तेल के उत्पादन में 17%, उर्वरक (नाइट्रोजन) में 47%, सीमेंट में 78% तथा भारी इंजिनियरी माल में 23% वृद्धि हुई है।

रुई की खपत और उसका उत्पादन

3190. श्री चित्त महाटा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कपड़ा मिलों में सितम्बर, 1981 से अब तक कितनी मात्रा में रुई की खपत हुई और इसी अवधि के दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में रुई उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) रुई मौसम

सितम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 के लिए मिल उद्योग द्वारा रुई की खपत और देश में रुई का उत्पादन क्रमशः 70.35 लाख गांठें और 84.00 लाख गांठें होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) छठी योजना के 92 लाख गांठों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई गई है :—

(1) सुधरी उत्पादन टैक्नालोजी का तेजी से विस्तार करना।

(2) सिंचित कपास के अन्तर्गत विशेषरूप से बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना।

(3) संकर कपास के अन्तर्गत क्षेत्र में अधिकाधिक वृद्धि करना।

(4) एकीकृत नाशक कीट प्रबन्ध।

सुधरी हुई टैक्नालोजी अपनाकर रुई उत्पादन बढ़ाने के प्रयास 1971-72 में केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात् गहन रुई विकास कार्यक्रम आरम्भ करके शुरू की गई थी।

रुई के उत्पादन में हुई प्रगति की स्थिति का पता निम्नलिखित उत्पादन आंकड़ों में चलेगा :—

रुई वर्ष सितम्बर-अगस्त	उत्पादन (170 कि०ग्रा० वाली लाख गांठों में)
1951-52	32.76
1961-62	48.50
1971-72	69.50
1972-73	57.35
1973-74	63.09
1974-75	71.56
1975-76	59.50
1976-77	58.39
1977-78	72.43
1978-79	79.58
1979-80	76.98
1980-81	76-00 (अ)
1981-82	84.00 (अ)

(अ) अनन्तिम।

सरकारी उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग

3191. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी उपक्रमों के क्या नाम हैं जिनमें राजभाषा का अधिकतम प्रयोग होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : किसी उद्यम के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में हिन्दी में किये गये कार्य की मात्रा के आधार पर सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने हिन्दी में प्रति कर्मचारी अधिकतम सरकारी काम किया है।

पाकिस्तान द्वारा प्राप्त किए गए एफ-16 लड़ाकू विमान

3192. **श्री विरदा राम फलवारिया** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को शीघ्र ही एफ-16 लड़ाकू विमानों की पहली खेप प्राप्त होने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस विमान से अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) ; (क) सरकार ने इस बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) हमारे सुरक्षा परिवेश पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार निगरानी रखती है और पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिये उचित उपाय करती है। इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों के ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

नेपाल को चावल की सप्लाई

3193. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेपाल को 10,000 टन चावल की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रयोजन के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) चावल की सप्लाई किस तारीख से शुरू की जाएगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ 21-9-1982 को, वस्तु ऋण आधार पर अक्तूबर-

नवम्बर 1982 अवधि के दौरान सुपुर्द किए जाने के लिए 10,000 मैं० टन चावल सप्लाई करने के लिए एक करार किया है ।

डाईज एण्ड केमीकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन द्वारा किए गये अभ्यावेदन का ब्यौरा

3194. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1982 में बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में डाईज एण्ड मर्चेन्ट्स एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु डाइज एण्ड केमिकल्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, मद्रास द्वारा प्रधान मन्त्री को सम्बोधित 24-5-1982 का एक अभ्यावेदन जून, 1982 में प्राप्त हुआ था, जिसमें बिक्री कर को समाप्त कर उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया था । चूंकि संविधान के अन्तर्गत बिक्री कर मुख्यत: एक राज्य कराधान का विषय है और इसकी पद्धति में कोई भी सुधार, केवल राज्यों के परामर्श और उनके सहयोग से ही किया जा सकता है । अत: इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार करने के लिए केन्द्रीय वित्त मन्त्री, पहले ही सितम्बर, 1980 में और फिर फरवरी, 1981 में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं । सम्मेलन ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की सिफारिश की थी जिसका कार्य वनस्पति, औषधियों तथा दवाइयों, सीमेंट, कागज तथा गत्ते और पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री-कर के स्थान पर अरिरिक्त शुल्क लगाने की योजना के वित्तीय प्रभावों का तथा इस बात का अध्ययन करना होगा कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, राज्य सरकार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है और समिति का मामले पर विचार कर रही है ।

औद्योगिक और कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

3195. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में, औद्योगिक उत्पादों और कृषि उत्पादों दोनों में मूल्य वृद्धि का अलग-अलग प्रतिशत कितना है ;

(ख) कृषि उत्पादों की तुलना में औद्योगिक उत्पादों के मूल्य में अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) और आगे मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विनिर्मित उत्पादों और कृषि उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांकों में 1980-81 में (मार्च 1980 की तुलना में मार्च 1981 की तुलना में) क्रमश: 13.5 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, इसकी तुलना में 1979-80 के दौरान इनमें क्रमश: 26.1 प्रतिशत और 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) मुद्रा स्फीतिकारी दबावों को नियन्त्रित करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, जिनमें ये उपाय शामिल हैं। उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि करने के लिए किये गये उपाय, आधार-भूत ढांचे के कार्य-निष्पादन में सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियन्त्रित करना आदि। मूल्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि जो उपाय करने आवश्यक हों वे किये जा सकें।

निर्यात मदों के लिए नकद क्षतिपूर्ति समर्थन की दरें निश्चित करना

3196. **श्री के० लकप्पा**
श्री अर्जुन सेठी
श्री भीकू राम जैन } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने हाल ही में, अधिकांश पात्र निर्यात मदों के लिए नकद प्रतिपूर्ति समर्थन की दरों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात मदों की नकद क्षतिपूर्ति समर्थन की दरों का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्यातकों की क्षतिपूर्ति देने और वार्षिक विकास में भारत की वर्तमान अवस्था में अन्तर्निहित अक्षमताओं को दूर करने के लिए नकद प्रतिपूर्ति समर्थन कार्यक्रम किस आधार पर तैयार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1 अक्तूबर, 1982 से लागू नकद मुआवजा सहायता की दरें विभिन्न मदों के लिए निम्नलिखित उत्पाद समूहों के अन्तर्गत घोषित की गई हैं :—

1. इंजीनियरी उत्पाद

2. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद

3. प्लास्टिक उत्पाद

4. खेलकूद का सामान

5. साधित खाद्य पदार्थ

6. चमड़ा उत्पाद

7. ऊनी वस्त्र

8. जूट उत्पाद

9. संश्लिष्ट एवं रेयन वस्त्र

10. ऊनी कालीन सहित हस्तशिल्प की वस्तुएं।

नकद मुआवजा सहायता की दरें, निर्यात की मदों के एफ० ओ० बी० मूल्य के 3 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच हैं।

(ग) नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित करने के मुख्य मानदण्ड (क) आयातित अथवा देश में खरीदे गये अन्तर्निष्ट माल पर बिक्री कर सहित अप्रत्यक्ष करों, जो शुल्क वापसी के बाद बगैर वापिस किये हुए रह जाते हैं (ख) निर्यात उत्पादन सम्बन्धी कार्यकारी पूंजी पर भारत में देय ब्याज की ऊंची दर (ग) निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजीगत माल की अधिक लागत के रूप में निर्यातकों के सामने आने वाली बाधाओं को निष्प्रभावी बनाना है।

नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित करते समय भाड़ा हानि, नये उत्पादों एवं बाजारों का विकास, मद को उत्पादित करने वाले उद्योग का स्वरूप—वह लघु उद्योग हैं—पर कुटीर क्षेत्र में हैं आदि जैसे तथ्यों पर भी विचार किया जाता है।

हिन्दुस्तान लीवर के माध्यम से विदेशी मुद्रा का देश से बाहर भेजा जाना

3197. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर के माध्यम से देश से बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा निर्यात द्वारा इसकी अर्जित विदेशी मुद्रा से कहीं अधिक है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि देश से बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा को कम दर्शाया गया है ताकि यूनीलिवर, कम्पनी सम्पूर्ण विश्व में फैली अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से अपना ध्यान पूर्णतः निर्यात पर लगा सकें ; और

(ग) गत पाँच वर्षों के, देश से बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा विदेशी मुद्रा की निकासी/प्राप्ति प्रकट करने वाला एक विवरण संलग्न है। उन आंकड़ों से स्पष्टतः पता चलता है कि कम्पनी के कारबार के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में सारवान मात्रा में विदेशी-मुद्रा की प्राप्ति हुई है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

विदेशी मुद्रा के रूप में प्रेषणाए/व्यय	1977	1978	1979	1980	1981
कच्चा माल, संघटक आदि	9.91	6.37	8.85	10.53	16.57
पूंजीगत वस्तुएं	0.03	2.37	0.61	0.77	0.31
भंडार और फालतू पुर्जे	0.06	0.14	0.17	0.09	0.27
तकनीकी फीस/ सेवा फीस	—	0.28	0.39	—	—
रायल्टी	—	—	—	0.13	0.21
अन्य	0.35	0.33	0.62	0.15	3.48
लाभांश	3.07	2.26	3.15	1.45	—
जोड़	13.42	11.75	13.79	13.12	20.84
विदेशी मुद्रा के रूप में प्रेषणाएं					
निर्यात	16.73	17.03	30.83	41.42	67.03
अन्य (भाड़ा, बीमा, दावे आदि)	0.58	1.11	1.48	1.23	1.52
जोड़	17.31	18.14	32.31	42.65	68.55

मुक्त व्यापार क्षेत्रों के बारे में टंडन समिति की रिपोर्ट

3198. श्री सुभाष यादव
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री एस० बी० सिदनाल
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टंडन समिति, जिसका गठन देश में मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रश्न पर जांच करने के लिए किया गया था, में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच सिफारिशों पर विचार किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें अनुबन्ध में दर्शायी गई हैं ।
[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5562/82]

(ग) ये सिफारिशें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित हैं । वाणिज्य मन्त्रालय इन सिफारिशों से सम्बन्धित निर्णयों पर सहायता देने के लिए प्रमुख अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है ।

जाड़े के दौरान लेह से पाक्षिक हेलीकाप्टर सेवा की मांग

3199. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख के कारगिल जिले में जस्कार के लोग डाक, यात्री और चिकित्सक सुविधाएं ले जाने के लिए लेह से, खासतौर पर जाड़े के दौरान, एक पाक्षिक हैलीकाप्टर सेवा शुरू करने की मांग करते रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार घाटी के अवरुद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सरकार भारतीय वायु सेना डाक-तार विभाग और राज्य सरकार के सहयोग से इस प्रकार की किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मन्त्रालय में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

पोलिस्ट्रीन का आयात

3200. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27-9-82 के फाइनेनसियल एक्सप्रैस की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि उन देशों से पोलिस्ट्रीन के आयात को बढ़ावा देकर जो अपने अतिरिक्त उत्पादन को वहां, जहां भी उन्हें उसकी बिक्री हेतु बाजार मिल सकते हैं, पटक देना चाहते हैं, पोलिस्ट्रीन को इस उत्पादकता वर्ष में अपनी 66 प्रतिशत क्षमता को प्रयोग में न लाने पर बाध्य किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में गत वर्षों के दौरान देश में किए गए पोलिस्ट्रीन के आयात के बारे में ब्यौरा क्या है साथ ही इसका वर्ष-बार कितना उपयोग हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1978-79 से 1980-81 के दौरान (फरवरी 1981 तक) पोलिस्ट्रीन व उसके कोपोलीमर के आयात का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (मै० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1978-79	3671	253.44
1979-80	1789	192.61
1980-81	4306	399.43

(फरवरी, 81 तक)

फरवरी, 1981 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। देश में इस मद की मांग लगभग 15,000 मै० टन० प्रतिवर्ष है।

पटना अर्बन कोआपरेटिव बैंक में जालसाजी के मामले

3201. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना अर्बन कोआपरेटिव बैंक में जालसाजी के अनेक मामले सरकार की जानकारी में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामले किस प्रकार के और कितने हैं ;

(ग) उन मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के क्या नाम हैं ; और

(घ) क्या इस बीच कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहें ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंकों का सांविधिक निरीक्षण करता है। सहकारी बैंकों के लेखों की लेखा-परीक्षा राज्य सरकार की सहकारी समितियों के पंजीकार (रजिस्ट्रार) के आदेशों के अन्तर्गत की जाती है।

बैंक के कार्यकरण में, सहकारिता विभाग के लेखा-परीक्षकों द्वारा बताई गई अनियमितताओं के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, 1975 में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए बैंक परिचालनों के त्वरित अध्ययन के आधार पर बैंक के कार्यकरण में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं। बैंक को अधिस्थगन (मारेटोरियम) में रख दिया गया था। दूसरे त्वरित अध्ययन से पता चला कि बैंक का कार्यकरण, जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल था। अप्रैल, 1976 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, इस बैंक को बैंकिंग कारबार जारी रखने का लाइसेंस देने से इंकार कर दिया तथा सहकारी समितियों के पंजीकार से बैंक के कार्यकलापों के परिसमापन के वास्ते अनुरोध किया। बैंक परिसमापन की प्रक्रिया में है और भारतीय रिजर्व बैंक को इससे कोई रिटर्न आदि प्राप्त नहीं हुई है और न ही इसके परिसमापन में आने के बाद उसने इस बैंक का निरीक्षण किया है।

जीवन बीमा निगम के बोर्ड में नियुक्ति करने में देरी

3202. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1980 के बाद से इतने लम्बे समय तक भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण थे ; और

(ख) क्या यह सच है कि 28 सितम्बर, 1982 को जीवन बीमा निगम बोर्ड के सदस्यों की संख्या घट कर केवल चार रह गई है जो किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या से भी कम है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पहली सितम्बर, 1980 को जीवन बीमा निगम बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। निगम के प्रस्तावित पुनर्गठन की दृष्टि से और पुनर्गठन आवश्यक नहीं समझा गया।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि 28 सितम्बर, 1982 की जीवन बीमा निगम के बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई थी।

दिल्ली छावनी में प्रज्वलन शील वस्तुओं के भन्डारण/जमा किए गए जाने को विनियमित करने के लिए उप नियम बनाने हेतु उप समिति का गठन

3203. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि::

(क) क्या यह सच हैं कि दिल्ली छावनी में प्रज्वलनशील वस्तुओं के भण्डारण/जमा किए जाने की विनियमित करने के लिए उप नियम बनाने हेतु एक उप समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका योगदान क्या है; इसका गठन कब किया गया था, इसको कब तक अपना प्रतिवेदन देने को कहा गया है और इसके निर्देश पद क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा 19-2-1982 को निर्वाचित तीन सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया गया। छावनी बोर्ड दिल्ली ने समिति को रिपोर्ट देने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की है। समिति को दिल्ली छावनी में ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण और संग्रहण करने के बारे में उसी पैटर्न पर उप नियम बनाने को कहा गया है जिस पैटर्न पर दिल्ली नगर निगम ने बनाए हैं।

उद्योगों तथा ग्रामीण जन समुदायों को बैंक ऋण

3204. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योगों, मध्यम उद्योगों, लघु उद्योगों को बैंक ऋण देने तथा गरीब लोगों को ग्रामीण ऋण देने की प्रतिशतता कितनी-कितनी है ;

(ख) वर्ष 1975 और 1979 के लिए आंकड़ें क्या हैं ; और

(ग) ग्रामीण जन-समुदाय को उस अवधि में, जब काम का मौसम नहीं हो, लाभप्रद रोजगार के प्रति अभिमुख करने हेतु क्या अन्य प्रोत्साहन दिये जाते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

कुल अग्रिमों में उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों का प्रतिशत

	जून, 1975	जून, 1979	जून, 1980
बड़े और मध्यम उद्योग	44.1	33.8	34.8
छोटे पैमाने के उद्योग	12.4	11.9	11.9

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिम जून, 1975, जून 1979 और दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उनके कुल अग्रिमों का क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत बैठते थे।

(ग) डेयरी विकास, मुर्गी पालन आदि जैसे कृषि से सम्बन्धित कार्यकलापों में बैंक किसानों की सक्रियता से सहायता करते हैं। समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार से प्राप्त राज सहायता (सबसिडी) और बैंकों को ऋणों के रूप में सहायता की व्यवस्था की जाती है जिससे कि लाभ प्राप्त कर्ता लाभप्रद रोजगार स्कीमों में लग सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुधारने के वास्ते भी कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के वास्ते अग्रिमों के 40 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में 16 प्रतिशत अग्रिमों से जिस को प्राप्त करना है तथा ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं को 60 प्रतिशत का ऋण : जमा अनुपात प्राप्त करना है। कमजोर वर्गों को बैंक ऋण की सुविधा मुहैया करने के वास्ते उनसे मध्यवर्ती एजेंसियों स्थापित करने के वास्ते भी कहा गया है।

बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं में विशेष रूप से तकनीकी कर्मचारियों समेत समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था करें ताकि विकासात्मक ऋणों को सम्भव बनाया जा सके।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में समग्र शाखा-जाल को सुदृढ़ करने के अलावा कमजोर सहकारी ढांचे और अपर्याप्त वाणिज्यिक बैंक व्याप्ति वाले विनिर्धारित क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं।

तमिलनाडु और केरल में पर्यटन संवर्धन कार्य

3205. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार तथा तमिलनाडु और केरल में उसके उपक्रमों के पर्यटन संवर्धन कार्य किन-किन स्थानों पर किए जाते हैं ;

(ख) इन स्थानों पर पर्यटन संवर्धन कार्यों के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में इन स्थानों पर खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन राज्यों में यदि किन्हीं नये स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के पर्यटन संवर्धन कार्य किए जाने हों, तो वे कौन-कौन से स्थान हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ऐसे स्थान जहां पर पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटक सुविधाएं जुटायी हैं वे ये हैं—तमिलनाडु

के अन्तर्गत मैमल्लापुरम, मदुरै, तंजौर, तिरूचिरापल्ली, कांचीपुरम, उटकमंड, रामेश्वरम, कोड्डकनाल, कन्याकुमारी, तिरूचेंदूर, मद्रास और मदुमलाई क्रीड़ा अभ्यारण्य और केरल के अन्तर्गत थैकड़ी/पेरियार झील, कोचीन, त्रिवेन्द्रम. चेरूथुरूती और कोवलम। इसके अलावा, विभाग ने इन दोनों राज्यों के पर्यटक अभिरूचि के स्थानों पर अनेक ब्रोशर भी प्रकाशित कराए हैं।

(ख) तमिलनाडु और केरल राज्यों में पर्यटक सुविधाओं का सृजन करने के वास्ते मार्च, 82 तक क्रमश: लगभग 1.52 करोड़ रुपये और 3.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर भी खर्चा किया गया था।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से परामर्श करके, यात्रा परिपथों की एक नई स्कीम प्रकल्पित की गई है जिसे व्यवहार्यता प्रमाणित करने, परस्पर प्राथमिकताएं अनुकूल होने और धन-राशि उपलब्ध होने की शर्त पर केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों द्वारा आगामी 10 वर्षों के दौरान अवस्थानुसार ढग से कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भ किया जाएगा। परिपथों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

तमिलनाडु

1. मद्राम महाबलीपुरम थिरूकाजहुलकुन्द्रम-कांचीपुरम-तिरूचिरापल्ली-तंजावुर-पुड्डकोटई-मदुरै-रामेश्वरम-कन्याकुमारी-कोर्टल्लम-मद्रास/त्रिवेन्द्रम।

2. मद्रास-कृष्णागिरि-होगेनकल-येराकाड-कोयम्बटूर-उथागमण्डलम (बांदीपुर-मैसूर-बंगलौर)-मद्रास।

3. रामेश्वरम-मदुरै-कोड्डकनाल-पुड्डकोटई-तिरूचिरापल्ली-तंजावुर-महाबलीपुरम-मद्रास।

केरल

1. त्रिवेद्रम/कोवलम/वेल्ली-वर्कला-क्वीलोन-अरनमुल्ला-कोट्टायम-कुमारकोम-थैकडी-मुन्नार-कोचीन-त्रिवेन्द्रम।

2. कोचीन-त्रिचुर-गुरूवयूर-चेरूथुरूती-मालमपुजहा-कोटक्कल-कोजिकोडे-सुलतान्ज बैटरी-मन्नानटोडी-कान्हानोरा-एजहूमलाई-कोचीन/मंगलौर।

अप्रत्यक्ष करों की वसूली

3206. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रत्यक्ष करों की वसूली आशा से कम हुई है ;

(ख) क्या इन करों की वसूली में कमी के कारणों तथा क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) इस वर्ष सितम्बर माह तक सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की हुई वास्तविक वसूली से पता चलता है कि यह वर्ष 1982-83 के आनुपातिक बजट अनुमानों की तुलना में कम है। जहां तक उत्पादन शुल्क माल का सम्बन्ध है, विशेषकर सिगरेटों, पेट्रोलियम उत्पादों, बिजली, मानव-निर्मित वस्त्रों, मानव-निर्मित तन्तुओं और धागों, गैर-सैलुलोजिक कते धागे, लौह एवं इस्पात उत्पादों, विद्युत तारों और कैबलों तथा मोटर वाहनों के सम्बन्ध में कमी देखी गयी है। इस कमी के पीछे कारण अलग-अलग हैं, किन्तु मोटे तौर पर इनका उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है—इस अवधि में अपेक्षाकृत कम निकासियां होना, अदालती मामले एवं अन्य विवाद होना और शुल्क की बकाया रकमों का भी होना। सीमाशुल्क सम्बन्धी राजस्व में कमी मुख्यतया रसायनों, लोहे एवं इस्पात, मानव-निर्मित तन्तुओं और तन्तु टी० के सम्बन्ध में आई है। यहां पर भी कारण विदेशों में वस्तुओं की दरों में कमी आने तथा अदालती मामले होने और कर सम्बन्फी विवाद होने हैं। सरकार उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है, राजस्व-वसूलियों के रुख पर कड़ी निगरानी रख रही है।

आवश्यक वस्तुओं के कालाबाजारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही

3207. **श्री जय नारायण रौत** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 1981 के दौरान और आज तक खाद्यान्न, चीनी और खाद्य तेलों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के कितने-कितने कालाबाजारियों और जमाखोरों को पकड़ा गया ;

(ख) जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और वे कितने मूल्य की हैं ; और

(ग) इस प्रकार पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कड़े उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) 22 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार 1981 के दौरान पकड़े गये आवश्यक वस्तुओं के कालाबाजारियों तथा जमाखोरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है और साथ में पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा तथा उनके मूल्य भी दिये गये हैं। 9 अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उक्त सूचना और 1982 की अब तक की ऐसी ही सूचना एकत्र की

जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5563/82]

(ग) इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिली रिपोर्टों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उसके तहत जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दण्डिक उपबन्धों को हाल ही में आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981, जिसे 1.9.1982 से लागू किया गया है, के अधिनियमित किए जाने से और अधिक सख्त बना दिया गया है। इसके आवश्यक वस्तुओं के कालाबाजारियों और जमाखोरों के लिए और अधिक निवारक सिद्ध होने की उम्मीद है।

लनकरसर, बीकानेर में चांदमारी क्षेत्र

3208. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चांदमारी क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से बीकानेर जिले की लूनकरनरसर तहसील के 34 गांवों को खाली करा रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब इस चांदमारी क्षेत्र में गोली चलाने का अभ्यास शुरू होता है, तो किसानों को अपने खेतों में नहीं जाने दिया जाता है और पशु रुके रहते हैं ;

(ग) क्या इन 34 गांवों का क्षेत्र असिंचित है तथा हर वर्ष वे अकाल से प्रभावित होते हैं ;

(घ) क्या इन गांवों में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ङ) क्या सरकार को यह पता है कि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है तथा पशुधन का केन्द्र है और दिल्ली की दुग्ध डेयरियों को अधिकांश सप्लाई इन गांवों से होती है ; और

(च) क्या सरकार का विचार इन 34 गांवों को अलग छोड़ देने और चांदमारी क्षेत्र की स्थापना किसी अन्य खाली क्षेत्र में कराने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मैनोयवर्स, फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रेक्टिस अधिनियम, 1938, जिसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाता है; के अन्तर्गत अधिसूचित रेंज इस क्षेत्र में

1975 से लागू है। सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव कुछ अतिरिक्त क्षेत्र सहित इस क्षेत्र को अर्जित करने का है। फील्ड फायरिंग के दौरान इस क्षेत्र के खतरनाक जोन में जान की जो क्षति होगी तथा मनुष्यों और पशुओं को जो हानि पहुंचेगी उसके जोखिम को देखते हुए इनको इस क्षेत्र से खाली कराना होगा। इसी प्रकार इन्हें वास्तविक फायरिंग के दौरान इस खतरनाक जोन में जाने से रोका जाता है। प्रभावित व्यक्तियों के सामान्य जीवन में इससे जो अव्यवस्था पैदा हो जाती है उसके बदले उन्हें पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है।

2. जिस सामान्य क्षेत्र को अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव है वह सुखग्रस्त क्षेत्र है जिसमें किसी प्रकार की सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र में आबादी बहुत कम है और यहां बालू के टीलों से भरा हुआ है। इस क्षेत्र के ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। जिस क्षेत्र को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है उसी की सीमाएं राजस्थान सरकार के साथ परामर्श करके निर्धारित की जा रही हैं जिससे यहां के स्थानीय निवासियों को कम से कम हटाना पड़े। चूंकि इस समय कोई ऐसा अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जिसमें इस प्रस्ताव के बजाये स्थानीय लोगों को कम कठिनाइयां उठानी पड़े इसलिए इसके लिए वैकल्पिक स्थलों का पता लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान कई स्थलों के सूझाव दिए गए थे और इन सभी पर राज्य सरकार और थल सेना प्राधिकारियों को परामर्श से सावधानीपूर्वक विचार किया गया परन्तु इस उद्देश्य के लिए किसी भी स्थल को उपयुक्त नहीं पाया गया है।

पति-पत्नियों की आय को एक आदमी की आय मानना

3209. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर कानून के अन्तर्गत पति-पत्नियों की आय को एक आदमी की आय मानने से महिलाओं को अधिक स्तर पर अदा करने के लिए विवश होना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन उपबन्धों से भेदभाव होता है तथा महिलाओं को समानता दिये जाने से इनकार किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान उपबन्धों की जांच करने तथा महिलाओं को आय के स्वतन्त्र स्तर का अधिकार देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० बी० पी० पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के संगत उपबन्धों और उनकी संवैधानिक वैधता को स्पष्ट करने वाली एक टिप्पणी संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5564/82]

(ग) उक्त टिप्पणी में निर्दिष्ट स्थिति को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

कपड़े पर "सेकन्ड्स" शब्द का अंकित किया जाना

3210. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया यह सच है कि मिल में बने कपड़े पर मीटरवार यह अंकित नहीं होता है कि क्या यह कपड़ा "फ्रेश" किस्म का है या "सैकन्ड्स" किस्म का और "थान" के सामने के भाग को ऊपरी भाग को नीचे करते हुए जनता को धोखा देने के लिए पुनः समेट दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ग्राहकों को समझाने की दृष्टि से कपड़े पर मोटे अक्षरों में मीटरवार "सैकन्ड्स" शब्द अंकित किया जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सूती वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश, 1948 और उसके अधीन बनाये गये चिन्ह विनियमनों के अन्तर्गत "दूसरे दर्जे का" शब्द मीटर-वार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अंकित किया जाता है । इसके अलावा सूती वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश, 1948 के खंड 27 के अनुसार, जहां पर कपड़े के किसी भी टुकड़े के एक हिस्से में चिन्ह अंकित करना अपेक्षित है और उस टुकड़े की जब तक इकाई पीस के रूप में बेचा नहीं जाता, तब तक उक्त चिन्ह लगा हुआ कपड़े का भाग किसी भी समय उस टुकड़े में से काटा नहीं जाएगा अथवा अलग नहीं किया जाएगा जब तक उक्त चिन्ह लगे हुए भाग के साथ का भाग बेच नहीं दिया जाता । इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता किसी भी समय इस कानूनी चिन्ह की जांच कर सके कि क्या उससे धोखा तो नहीं हो रहा है । वास्तव में प्रश्न में उल्लिखित किस्म की कोई भी शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है ।

अर्द्ध-परिष्कृत, तैयार चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य

3211. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्द्ध-परिष्कृत, तैयार चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के लिए वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित 460 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य अब तक कहां तक पूरा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि अर्द्ध-परिष्कृत और तैयार चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के लिए कोई क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो 1982-83 के लिये निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) अप्रैल-अगस्त, 1982 के दौरान चमड़े के उत्पादों के 136.11 करोड़ रुपये के कुल निर्यात हुए। मन्त्री के रुखों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा बाजार में मंदी है। तथापि, बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करना, विदेशी मेलों में निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा भाग लिया जाना आदि जैसे अनेक उपायों के जरिये भारतीय चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

लाख की खपत और निर्यात

3212. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी मात्रा में लाख का निर्यात किया जाता है और उसकी देश में कितनी खपत होती है ;

(ख) कुटीर एककों की संख्या कितनी है और उनमें कितने श्रमिक नियुक्त हैं ;

(ग) लाख का उत्पादन बढ़ाने और देश में तथा विदेशों में उसकी बिक्री का क्षेत्र बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(घ) औद्योगीकृत देशों की आवश्यकता को पूरा करने के विचार से मार्किट का अध्ययन करने के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या सहायता का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या लाख उद्योग के विकास के लिये एक विशिष्ट एजेंसी स्थापित करने का भी विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान लैंडलाख सहित चमड़े के निर्यात निम्नलिखित हैं—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1979-80	11,115	11.41
1980-81	10,318	12.50
1981-82	10,700	15.66

चमड़े की औसतन वार्षिक घरेलू खपत 1500 मै० टन होने का अनुमान है।

(ख) लगभग 100 कुटीर एकक कार्य कर रहे हैं जिनमें लगभग 6000 कामगार कार्यरत हैं। इसमें विनिर्माता निर्यातक भी शामिल हैं क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां लघु उद्योग एककों के रूप में पंजीकृत हैं।

(ग) लाख के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भविष्य में वृक्षों में संचारण के लिए ब्रूड लाख की सप्लाई के लिए सम्बन्धित राज्यों और लाख विकास निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से उपाय किये जा रहे हैं। लाख की घरेलू खपत को बढ़ाने और विदेशों में इसके प्रयोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

(घ) एस० डी० ए०, आई० टी० सी०, सी० एफ० टी० सी० आदि जैसे विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद से समय-समय पर बाजार अध्ययन करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव को सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा।

(ङ) लाख उद्योग के विकास के लिये विशिष्ट अभिकरण स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

शहरों तथा प्रसिद्ध स्थानों पर पर्यटन पर अत्यधिक बल देना

3213. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हमारे देश में शहरों तथा प्रसिद्ध स्थानों पर पर्यटन के विकास पर अत्यधिक बल देने की प्रवृति बढ़ रही है और देश के दूर-दराज के स्थानों पर अभिरुचि के विभिन्न स्थानों के बारे में लोगों को अवगत नहीं कराया जा रहा है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी, नहीं। पर्यटन संवर्धन के लिए विविध क्षेत्रों में जहां पर्यटक अभिरुचि के स्थान हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हों, सचेतन प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके यात्रा परिपथों की एक स्कीम भी तैयार की गई है जिसका कार्यान्वयन धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, अगले दशक के दौरान किया जाएगा। तथापि, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है, कि इसके लिए अत्यधिक आधारिक संरचना की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए काफी संसाधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है। अत: यह तर्कसंगत ही है कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्यटन का विकास उन्हीं स्थानों पर किया जाए जहां ऐसी आधारिक संरचना पहले से ही उपलब्ध है अथवा इसकी व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक आसानी पूर्वक की जा सकती है।

जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों (राजस्थान) में पर्यटन का विकास

3214. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान

राज्य के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में पर्यटन के विकास के लिए क्या-क्या कार्य आरम्भ किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं और उन पर व्यय के रूप में कुल कितनी राशि खर्च की जायगी और उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने गदीसर टैंक और सूर्यास्त केन्द्र पर पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए राजस्थान सरकार को 3.78 लाख रुपए और साथ ही जैसलमेर जिले में मोमल पर्यटक बंगला काम्पलैक्स के विस्तार के लिए 7 लाख रुपये की धन-राशियां स्वीकृत की हैं।

धनराशियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, एकीकृत और समन्वित विकास के लिए राजस्थान की राज्य सरकार के साथ परामर्श करके जो यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं उनमें जैसलमेर और जोधपुर को शामिल किया गया है। बाड़मेर जिले को यात्रा परिपथों में शामिल नहीं किया गया है।

सरायों का निर्माण

3215. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा गठित यात्री आवास विकास समिति ने देश में कम लागत पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरायों के निर्माण हेतु कुछ स्थानों का चयन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्यवार चयन किये गये स्थानों के नाम क्या हैं और सरायों के निर्माण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा निर्माण के लिए कौन-सी तारीखों का लक्ष्य रखा गया है।

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जी, हां।

(ख) भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने धर्मशालाओं के निर्माण के लिए चित्रकूट (मध्य प्रदेश) और वृन्दावन (उत्तर प्रदेश) में पहले से ही स्थानों का चयन कर लिया है। पुरी (उड़ीसा), बिहार शरीफ, द्वारका (गुजरात), नैनादेवी (हिमाचल प्रदेश), जोशामठ (उत्तर प्रदेश), अजमेर (राजस्थान), कम्पिल (उत्तर प्रदेश) और पांडिचेरी में धर्मशालाओं का निर्माण भी समिति के विचाराधीन है। चित्रकूट (मध्य प्रदेश) में धर्मशाला के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका और वृन्दावन (उत्तर प्रदेश) में धर्मशाला के निर्माण का कार्य चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

हुबली में हवाई पट्टी का निर्माण

3216. **श्री डी० के० नायकर** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य में हुबली और रायचूर को "थर्ड लाइन" विमान सेवा के अन्तर्गत लाने की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने की स्थिति में हुबली स्थित किरलोस्कर कम्पनी ने हुबली में वहां पर इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित भूमि पर हवाई पट्टी मुफ्त बनाने की पेशकश की है ;

(ग) किरलोस्कर को अनुमति देने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) हुबली और रायचूर में सरकार कार्य कब तक आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । मैसर्स किरलोस्कर कम्पनी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केवल हवाई-पट्टी के आंशिक विकास के लिए है । सरकार हवाई-पट्टी के विकास को कर्णाटक राज्य सरकार के सहयोग से किए जाने को प्राथमिकता देती है।

(घ) आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने के बाद ही, हुबली तथा रायचूर के लिए वायुदूत सेवा पर विचार किया जायेगा ।

व्यापारिक गृहों द्वारा कर अपवंचन

3217. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में व्यापारिक गृह बड़े पैमाने पर कर अपवंचन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो बड़े गृहों की ओर करों की कितनी राशि बकाया है और सरकार ने बड़े गृहों द्वारा करों के अपवंचन के विरुद्ध क्या निवारक कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) कुछ व्यापारिक गृहों द्वारा कर अपवंचन के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं। ऐसे सभी मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की जानी है।

10 शीर्षस्थ औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित करदाताओं के सम्बन्ध में सूचना इस समय केवल 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है। इन गृहों तथा फर्मों की शिनाख्त एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत 31.12.1980 की स्थिति के अनुसार उनके पंजीकरण के आधार पर की जा रही है। उक्त सूचना नीचे सारणी में दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	औद्योगिक गृह का नाम	फर्मों की संख्या	बकाया कर	मांग जो अप्रवर्तनीय है
1.	बिरला	14	207.19	760.17
2.	टाटा	4	4.58	98.48
3.	मफतलाल	—	—	—
4.	जे० के० सिंघानिया	4	275.67	282.31
5.	थापर	1	—	16.37
6.	आई० सी० आई०	2	—	770.28
7.	साराभाई	2	1.09	27.28
8.	ए० सी० सी०	—	—	—
9.	बंगुर	1	24.51	—
10.	श्रीराम	2	27.30	147.48

उपर्युक्त गृहों की तरफ जहां तक सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश को खाद्य तेल की सप्लाई

3218. **श्री राम अवध : क्या नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को चालू वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेल उपलब्ध कराया गया है और बर्ष की शेष अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में तेल उपलब्ध कराए जाने की आशा है; और

(ख) यह मात्रा राज्य की आवश्यकता से कितनी कम पड़ती है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) व (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 1981 से अक्तूबर, 1982) के लिए आयातित खाद्य तेलों की निम्नांकित मांग सूचित की थी :

आर०बी०डी० ताड़ का तेल	**रेपसीड तेल**
24,000 मीटरी टन	18,000 मीटरी टन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों का आबंटन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है, जैसे मांग, खपत का स्वरूप, राज्य/क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध मात्रा, पहले किए गए आबंटन तथा उनमें से उठाई गई मात्रा ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, नवम्बर, 1981 से अक्तूबर 1982 के दौरान उत्तर प्रदेश को आयातित खाद्य तेलों की निम्नांकित मात्रा आबंटित की गई है :

आर०बी०डी० ताड़ का तेल	**रेपसीड तेल (परिष्कृत)**
16,350 मीटरी टन	10,056 मीटरी टन

परियोजनाओं के लिए आयातित उपकरण पर कर से छूट

3219. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने आई०बी०आर०डी० द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिए आयातित उपकरणों पर पांच वर्षों तक उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क के भुगतान से छूट देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि इससे परियोजना की लागत कम कैसे होगी; और

(ग) इससे राजकोष को कितनी हानि होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार ने दिनांक 10-9-1982 की अधिसूचना सं० 210-सी०शु० तथा सं०211-सीमा शुल्क द्वारा, देश में आई०डी०ए०/आइ०बी० आर०डी०/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को सप्लाई किये जाने वाले माल के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा संघटकों को आयात शुल्कों की अदायगी से छूट दी है इस छूट की वैधता अवधि 5 साल है।

(ख) और (ग) आई०डी०ए०|आई०बी०आर०डी० आदि द्वारा आमंत्रित अन्तरर्राष्ट्रीय निविदाओं के सम्बन्ध में भारतीय बोलीदाताओं को होने वाली कर-हानि को दूर करने के उद्देश्य से सफल भारतीय बोली दाताओं को नकद प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी गई है। ऐसी परियोजनाओं को की जाने वाली सप्लाइयों पर शुल्क लगाने और फिर नकद प्रतिपूर्ति सहायता के जरिए उसकी वापस-अदायगी करने की बजाय, दिनांक 10-9-1982 की अधिसूचना सं० 210-सीमाशुल्क और सं० 211-सीमाशुल्क का आशय इन सप्लाइयों पर प्रारम्भ में ही छूट देना है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन परियोजनाओं को कोई नया अथवा अतिरिक्त लाभ दिया गया है अथवा यह कि राजकोष को कोई तदनुरूपी हानि हुई है।

सोवियत रूस को काली मिर्च का निर्यात

3221. **श्री बी०एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस को 1981-82 के दौरान काली मिर्च का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या सोवियत रूस में काली मिर्च की मांग कम हो रही है;

(ग) उत्पादित काली मिर्च में से कितने प्रतिशत मिर्च का उस देश को निर्यात किया जाता है ; और

(घ) काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) 1981-82 में सोवियत संघ को काली मिर्च के हमारे निर्यात 19.9 करोड़ रु० मूल्य के 1,4775 में टन हुए थे। 1982-83 में भी उतनी ही मात्रा के निर्यात होने की आशा है।

(ख) सोवियत संघ में काली मिर्च के लिए मांग पद्धति संबंधी कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) सोवियत संघ भारतीय काली मिर्च का प्रमुख आयातक है तथा वर्ष 1980-81 में उसने काली मिर्च के हमारे कुल निर्यातों का 51% और 1981-82 में 71% का आयात किया।

(घ) सरकार ने पश्चिम यूरोपीय बाजारों को मसाले निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल को

स्वीकृति दे दी है। निर्यात संभाव्यता वाले देशों में प्रदर्शनियों में भाग लेकर काली मिर्च के निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्बाध व्यापार जोनों के उद्देश्य

3222. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में निर्बाध व्यापार जोनों के उद्देश्य कहां तक प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ख) क्या निर्बाध जोन स्थापित करने की मूल नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मुक्त व्यापार क्षेत्रों में वृद्धि का रुख रहा है और वहां से होने वाले निर्यातों में तेजी से वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नोक्ति आंकड़ों में दिया गया है—

वर्ष	कांडला	सांताक्रुज एक्सपोर्ट इलेक्ट्रोनिक्स प्रोसेसिंग जोन
		(करोड़ रु० में)
1979-80	9.40	11.14
1980-81	25.52	18.85
1981-82	70.04	29.62
1982-83 (30-9-82 तक)	66.12	24.73
विगत वर्ष अर्थात् 1981-82 की उसी अवधि के दौरान निर्यात	23.46	12.43

(ख) पूर्णत: काली मिर्च के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उद्योग लगाने के लिए अमरीकी पूंजीपति को निमन्त्रण

3223. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में भारत में उद्योग लगाने के लिए अमरीकी पूंजीपति को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में उद्योग की स्थापना के लिए अमेरिका को किन-किन रियायतों की पेशकश की गई है; और

(ग) क्या यह आत्म-निर्भरता सम्बन्धी नीति के खिलाफ बात नहीं है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) 12 सितम्बर, 1982 को, अमरीकी तथा भारतीय प्रतिनिधियों के साथ न्यूयार्क में सम्पन्न एक बैठक में मन्त्री महोदय ने विदेशी गैर-सरकारी निवेश के प्रति अपनाई गई सरकार की नीति की व्यवस्था की थी और यह स्पष्ट किया था कि किन-किन क्षेत्रों में विदेशी गैर-सरकारी निवेश की अनुमति दी जाती है और किन क्षेत्रों में नहीं दी जाती। इसके साथ ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों द्वारा निभाई जा रही अपनी-अपनी भूमिका का वृत्तांत भी दिया था। मन्त्री महोदय ने उनसे कहा कि सरकार का विदेशी निवेश नीति के अनुरूप कार्य करते हुए वे भारतीय बाजार की लाभदायिनी क्षमता का फायदा उठाएँ।

(ख) विदेशी निवेशकों को वैसे कोई अलग रियायतें नहीं दी जातीं। नए पूंजी निवेशों पर जो राजकोषीय तथा कर सम्बन्धी रियायतें उपलब्ध हैं, वे भी उनको हासिल करने के हकदार हैं।

(ग) सरकार की विदेश निवेश नीति के अन्तर्गत आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है और विदेशी निवेशकों को प्रौद्योगिकी तथा अन्य आवश्यकताओं की अनुपूर्ति करने की भूमिका भी प्रदान कर दी गई है।

चाय बागानों के विकास की योजना

3224. **श्री नीरेन घोष** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों का विकास करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई राशि मन्जूर की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी हां। चाय बोर्ड द्वारा तैयार की गई चाय उद्योग सम्बन्धी छठी पंचवर्षीय योजना में यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि चाय की निर्यात तथा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मौजूदा चाय बागानों तथा चाय कारखानों का विकास करना तथा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय की खेती शुरू करने की संभाव्यता का पता लगाना आवश्यक होगा। मौजूदा चाय एस्टेटों, बागों के विकास

के लिए उपायों में नये क्षेत्रों में विस्तीर्ण रोपण, पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन रोपण तथा पुराने तथा अलाभकारी चाय क्षेत्रों का पुनर्नवीकरण, प्रौसेसिंग मशीनरी का प्रतिस्थापन। नवीकरण, कारखाना क्षमता में वृद्धि करना, सिंचाई सुविधाओं का सृजन आदि शामिल हैं।

चाय बोर्ड अपनी सतत विकास योजनाओं अर्थात् चाय बागान वित्त योजना, चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपकरण किराया खरीद योजना, पुनर्रोपण तथा पुनर्नवीकरण उपदान योजना तथा लघु उपजकर्ताओं के लिए अन्य योजनाओं आदि के अन्तर्गत मौजूदा उपजकर्ताओं को अपने विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मेघालय, मिजोरम, अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों में बोर्ड के सहयोग तथा वित्तीय सहायता से चाय नर्सरियां और अथवा प्रायोगिक चाय बागान स्थापित किए गए हैं।

सरकार द्वारा एक नई चाय एकक वित्तपोषण योजना स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत उपरोक्त गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय की खेती के विस्तार की व्यवस्था है।

दार्जिलिंग चाय बागानों को पुन: सक्षम बनाने के लिए बोर्ड की ब्याज उपदान योजना व्यय वित्त समिति द्वारा योजना ढांचे के अन्तर्गत अनुमोदित कर दी गई है।

(ग) तथा (घ) जी हां। चाय बोर्ड ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चाय एस्टेटों को ऋण तथा उपदान दिए हैं। उनके शुरूआत से योजना-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	योजना का नाम प्रारंभ के वर्ष के साथ	योजना के शुरू होने के समय से कुल स्वीकृत वितरित सहायता	सहायता के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र मामलों की संख्या
1.	बागान वित्त योजना, 1962	7·79 करोड़ रु०	10,004,32 हैक्टेयर
2.	किराया खरीद योजना, 1960	38·34 करोड़ रु०	2126 मामले
3.	चाय पुनरोपण उपदान योजना, 1968	3·96 करोड़ रु० (राशि वितरित)	स्वीकृत मामलों के आधार पर जिनमें मोटे तौर पर लगभग 12,500 एच.ए. का क्षेत्र शामिल है।
4.	चाय क्षेत्र पुनर्नवीकरण तथा समेकन उपदान योजना, 1975	49·16 लाख रु० (राशि स्वीकृत)	1576·04 हेक्टेयर (क्षेत्र स्वीकृत)

उपरोक्त सहायता चाय बोर्ड की ए. आर.डी.सी. तथा आई.डी.वी.आई. योजनाओं के जरिए दिए गए सुलभ ऋणों के अलावा रही है ।

भारत में चलने वाली विदेशी एयरलाइनें

3225. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या **नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में इस समय कितनी विदेशी एयरलाइन्स चलती हैं ;

(ख) ये विदेशी एयरलाइनें कौन-कौन सी हैं और वे किन-किन भारतीय हवाई अड्डों से होकर चलती हैं; और

(ग) उन विदेशी एयरलाइनों की संख्या क्या है जो क्रमशः बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में चलती हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) इस समय 37 विदेशी एयरलाइनें भारत को/से होकर अनुसूचित सेवाएं प्रचालित करती हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(ग) इस समय बम्बई में 29 विदेशी एयरलाइनें प्रचालन करती हैं दिल्ली में 18, कलकत्ता में 7 और मद्रास में 3 विदेशी एयरलाइनें प्रचालन करती हैं ।

विवरण

भारत के लिए/से होते हुए अनुसूचित सेवाएँ परिचालित करने वाली विदेशी एयरलाइनों की सूची

क्रम संख्या	एयरलाइन का नाम	विमान क्षेत्र का नाम
1.	एयरोफ्लोट	दिल्ली/कलकत्ता/बम्बई (टीएल)**
2.	एयरफ्रांस	दिल्ली/बम्बई
3.	एयर लंका	बम्बई/मद्रास/त्रिवेन्द्रम/त्रिची
4.	एयरमॉरीशस	बम्बई
5.	अलितालिया	बम्बई/दिल्ली
6.	अलयेमडायमन एयरलाइन्स	बम्बई
7.	एरियाना अफगान एयरलाइन्स	दिल्ली/अमृतसर

1	2	3
8.	बंगलादेश विमान	बम्बई/कलकत्ता
9.	ब्रिटिश एयरवेज	बम्बई/दिल्ली/कलकत्ता
10.	वर्मा एयरवेज	कलकत्ता
11.	कैथैपैसिफिक एयरवेज	बम्बई
12.	चैकोस्लोवाक एयरलाइन्स	बम्बई
13.	इजीप्ट एयरलाइन्स	बम्बई
14.	इथोपियन एयरलाइन्स	बम्बई
15.	गल्फ एयर	दिल्ली/बम्बई
16.	इराकी एयरवेज	बम्बई/दिल्ली
17.	ईरान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स	बम्बई
18.	जापान एयरलाइन्स	दिल्ली
19.	केन्या एयरवेज	बम्बई
20.	के.एल.एम. रॉयल डच एयरलाइन्स	दिल्ली
21.	कुवैत एयरवेज	दिल्ली/बम्बई
22.	लुफ्थांजा जर्मन एयरवेज	बम्बई/दिल्ली
23.	मलेशियन एयरलाइन्स सिस्टम	मद्रास
24.	पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरलाइन्स	दिल्ली/बम्बई
25.	पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए)	दिल्ली/बम्बई
26.	क्वांटास	बम्बई
27.	रॉयल नेपाल एयरलाइन्स	दिल्ली/पटना/कलकत्ता
28.	सबीना वेल्जियन वर्ल्ड एयरलाइन्स	बम्बई
29.	सऊदी अरेबियन एयरलाइन्स	बम्बई/दिल्ली
30.	स्कैंडीनेवियन एयरलाइन्स	दिल्ली/कलकत्ता
31.	सिंगापुर एयरलाइन्स	मद्रास/बम्बई
32.	स्विस-एयर	बम्बई
33.	सीरियन अरब एयरलाइन्स	बम्बई/दिल्ली

1	2	3
34.	थाई इन्टरनेशनल एयरवेज	दिल्ली/कलकत्ता
35.	ट्रांस मैडीट्रेनियन एयरवेज	बम्बई
36.	यमन एयरवेज	बम्बई
37.	जाम्बिया एयरवेज	बम्बई

**तकनीकी अवतरण

सैकरीन का आयात

3226. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में सैकरीन के आयात की अनुमति दी है; और

(ख) सैकरीन का देश में कितना उत्पादन होता है और देश के बाजार में इसकी मांग कितनी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सैकरीन सोडियम सैकरीन आयात नीति के परिशिष्ट 4 (रोक लगी सूची) में है।

(ख) संगठित क्षेत्र में सैकरीन का घरेलू उत्पादन निम्नांकित प्रकार रहा है :

वर्ष	उत्पादन (मे० टन)
1979	82·25
1980	92·31
1981	78·17

घरेलू मांग का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है

सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात सम्बन्धी ल

3227. **श्री कुवंर राम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात में वृद्धि की गुंजाइश को देखते हुए निर्यात व्यापार से बिचौयिों को हटा देने और निर्यातप्रक्रिया के बारे में आम दर्जियों को शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के लिए विभिन्न देशों को देशवार, सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक मामले में कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री : (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) परिधान निर्यात नीति सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सार्वजनिक सूचनाओं के जरिए घोषित की जाती है । यह नीति सामान्यत: काफी समय रहते घोषित की जाती है और प्रचार माध्यम के जरिए व्यापक तौर पर जानकारी दी जाती है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की नीति के ब्यौरों की जानकारी अपने सदस्यों को देने के लिए अपने स्वयं की व्यापारिक सूचनाएं प्रकाशित करती है। इस सम्बन्ध में जो आगे सूचना चाहे वे सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों अथवा परिधान निर्यात सम्वर्धन परिषद से सम्पर्क कर सकते हैं ।

(ख) सिले-सिलाए परिधानों के लिए देशवार कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। 1982-83 के दौरान सभी देशों को परिधानों के निर्यात का लक्ष्य 750 करोड़ रु० है। आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

मंगलौर हवाई अड्डे की इमारत का विस्तार

3228. **श्री आस्कार फर्नांडीस** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर हवाई अड्डे की इमारत के विस्तार का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह कार्य कब तक शुरू किए जाने और उसके पूरा होने की सम्भावना है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)

(क) जी, हां । 28·55 लाख रुपये की अनुमानित लागत से टर्मिनल भवन के विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस विस्तार से प्रस्थान क्षेत्र, आगमन हाल, समान एकत्र करने और सुपुर्दगी के क्षेत्रों की व्यवस्था होगी ।

(ख) इस कार्य के लिए मंजूरी दे दी गई है और कार्य को सौंपे जाने के बाद इसको पूरा करने के लिए लगभग एक वर्ष लगेगा ।

3229. **श्री बी० डी० सिंह :**
श्री रशीद मसूद: } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत वर्ष 1981 और 1982 में (आज तक) वास्तव में कितने

लोगों को हिरासत में लिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छलयोजक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी प्राप्ति में यह विफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कानून में कमियां दूर करने लिए इस अधिनियम की संमीक्षा की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 1981 और 1982 (25-9-1982 तक) के दौरान क्रमशः 360 और 419 व्यक्तियों को नजरबन्द करने केआ देश जारी किए गए थे। उसी अवधि के दौरान नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 265 और 351 थी।

(ख) तथा (ग) तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी, नजरबन्द व्यक्तियों, उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों तथा उनके सम्बन्धियों के सभी उपयुक्त मामलों में सम्पत्ति के समपहरण के लिए कार्यवाही करते हैं। तथापि, अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बहुत अधिक संख्या में रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं और सक्षम अधिकारी के आदेशों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में स्थगन आदेश दिया गया है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया है कि वह उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़ी याचिकाओं को अपने क्षेत्राधिकार में ले ले। इन याचिकाओं की सुनवाई शीघ्र तय करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी

3231. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम तथा संख्या कितनी है जिनके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी के पद नहीं हैं;

(ख) क्या जहाँ ये पद हैं वहाँ हिन्दी अधिकारियों को हिन्दी अनुभाग का कार्य स्वतन्त्र रूप से सौंपा हुआ है या उन्हें कुछ अन्य कार्य भी दिया गया है; और

(ग) यदि उन्हें कोई अन्य कार्य दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों (जिनके कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं हैं), तथा आंध्र बैंक को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(ख) हिन्दी अधिकारियों को, सम्बन्ध कार्यालय के मुख्य अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के

अधीन, बैंकों में हिन्दी कक्षों/अनुभागों का कार्य स्वतन्त्र रूप से सौंपा गया है। उनका कार्य हिन्दी संबंधी कामकाज तक सीमित है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्थान में होटल और लॉज सुविधायें

3232. **श्री बिरदा राम फुलवारिया**: क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखकर वहां होटल बनाने और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान ने पर्यटन केन्द्रों का उचित विकास नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों का विकास कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री खुशीद आलम खॉन : (क) जी, हाँ। केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने जैसलमेर में मोमल पर्यटक बंगले के विस्तार के लिए 7 लाख रुपए का एक प्रावधान किया है। इस उद्देश्य के लिए 4 लाख रुपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने 16.40 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर रणथम्बौर में झूमर भावरी हंटिंग लॉज के नवीकरण मरम्मत और साजसज्जा का प्रस्ताव सन्बन्धी कार्य शुरू किया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए 10 लाख रुपये रिलीज किए जाने की सम्भावना है।

1980-81 के दौरान 15.50 लाख रुपये की लागत पर भारत पर्यटन विकास निगम ने होटल जयपुर का विस्तार किया है और उदयपुर में होटल के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

(ख), (ग) और (घ) : केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने निर्माण और आवास मन्त्रालय के नगर व ग्राम आयोजन संगठन द्वारा हल्दीघाटी, चावंद, रक्त-तलाई, गोगुंडा और कुम्भगढ़ को शामिल करते हुए मेवाड़ काम्पलैक्स के बारे में मास्टर प्लान (भूमि उपयोग योजना) तैयार कराई है। मास्टर प्लान राज्य सरकार को अनुमोदन और अधिसूचना के लिए भिजवाई जा चुकी है। इसके अलावा केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय की जैसलमेर में भदीसर और सूर्यास्त केन्द्र के विकास की योजनाएँ हैं। इस उद्देश्य के लिए 3.40 लाख रुपए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

3233. **श्री लक्ष्मण मालिक** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने 1981-82 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की थी;

(ख) इस वर्ष में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वार विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तव में अर्जित मुद्रा में कितना अन्तर है;

(ग) सरकार ने वर्ष 1982-83 में विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि के किए क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य (श्री खुशीद आलम खॉन) : (क)वर्ष 1981-82 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आय 903.91 लाख रुपए के लगभ थी ।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान निगम की विदेशी मुद्रा आय उसकी प्रत्याशित आय से 60 लाख रुपये अधिक रही ।

(ग) और (घ) आई० टी० डी० सी० द्वारा 1982-83 के दौरान अपनी विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने के जो प्रयास लिए गए हैं उनमें इसकी शूल्क/कर-मुक्त दुकानों में प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर आकर्षक ज्यादा खपत वाली वस्तुएँ (फास्ट मूविंग आर्टिकल्ज) उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आकर्षक फॉरन ग्रुप टूअर्स और विदेशों में प्रोमोशन और सेल्ज सम्बन्धी यात्राओं के द्वारा अपने होटलों के लिए कन्वेन्शन ट्रेफिक, इसकी ट्रेवल एजेंसी (अशोक ट्रेवल एण्ड टूअर्स) के माध्यम से बिक्री हेतु निगम द्वारा अर्जित सुविधाओं की पैकेजिग, विदेशी पर्यटकों के लिए मर्सिडीज डीजल प्रचालित वातानुकूलित कारों और नए कोचों के रूप में बेहतर परिवहन सुविधाएँ देना शामिल है । आई०टी०डी० सी० ने एशियाई खेल 1982 के यात्रियों के लिए सस्ते पैकेज टूअर्स की भी मार्केटिंग की है और बौद्ध-तीर्थ यात्रियों के लिए रेल-यात्रा का भी संवर्धन कर रहा है जिसके निकट भविष्य में शुरू किए जाने की सम्भावना है ।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

3234. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के सूरतगढ़ जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां से राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ खोलने की मांग की गई है;

(ख) कितने स्थानों में उपर्युक्त शाखाएँ खोलने की मंजूरी दी गई है; और

(ग) उनमें से कितने स्थानों पर अब तक शाखाएँ खुल गयीं हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) से (ग) ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक

की शाखाएं खोलने की अपनी योजना के अनुसरण में, जिलों का निर्धारण करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों को आमन्त्रित करता है। शाखा खोलने के सम्बन्ध में जनता, संस्थाओं स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त सुझावों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक गुण-दोष के आधार पर विचार करता है।

जनवरी, 1979 से 31 मार्च, 1982 की अवधि के दौरान, सूरत जिले में, अपने शाखा जाल में, वाणिज्यिक बैंकों ने 25 शाखाओं की वृद्धि की। 31.3.1982 की स्थिति के मुताबिक, इस जिले में शाखाएं खोलने के वास्ते, बैंकों के पास 8 प्राधिकृतियां/लाइसेंस बकाया थे। इन स्थानों का केन्द्रवार, श्रेणीवार और बैंकवार ब्यौरा मालूम किया जा रहा है तथा सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

तटरक्षकों को अधिक सफल बनाना

3235. **श्री के०ए० स्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे तटरक्षकों की कार्मिक-वार और उपकरण-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान संख्या प्रभावी रूप से निगरानी रखने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो तटरक्षकों को अधिक सफल बनाने के लिए आगे क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) तट रक्षक संगठन में उपस्करों और कार्मिकों की वर्तमान क्षमता इस प्रकार है :—

उपस्कर

(क) फ्रिगेट	—	2
(ख) गश्ती नौकाएँ	—	5
(ग) फास्ट इन्टरसेप्टर नौकाएं	—	8
(घ) हेलीकाप्टर	—	2
(ङ) सीवर्ड डिफेंस नौकाएँ	—	2

कार्मिक

उपर्युक्त नौकाओं/हेलीकाप्टरों के लिए तट रक्षक संगठन के पास पर्याप्त कार्मिक हैं। जहाँ तक सम्भव होता है कर्मियों को भारतीय नौ सेना से आदमी लेकर पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) अपनी समुद्री सीमाओं पर अधिक प्रभावी गश्त लगाने के लिए तट रक्षक

संगठन की क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। तट रक्षक की विकास योजना 1979-84 में तट रक्षक संगठन के वर्तमान फोर्स लेवल में वृद्धि करने की दृष्टि से आधुनिक पोतों, विमानों और हेलीकाप्टरों को शामिल करने का प्रावधान है।

विमान बनाने वाली कम्पनियां

3136. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विमान बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम ही देश में एक ऐसी कम्पनी है जो वायुयानों का निर्माण कर रही है।

जलपहाड़, लेबोंग और बैरकपुर छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान की अदायगी

3237. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलपहाड़, लेबोंग और बैरकपुर छावनी बोर्ड कर्मचारियों को छावनी लेखा संहिता 1924 के अनुच्छेद 19 (ख) के अन्तर्गत जनरल कमान अफसर, पूर्वी कमान ने वर्ष 1977, 1978 और 1979 में 100/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह अनुदान की मंजूरी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या जलपहाड़ लेबोंग छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में यह मंजूरी वापस ले ली गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नियोक्ता और कर्मचारियों में बेहतर सम्बन्ध रखने की दृष्टि से इस मामले पर पुनर्विचार करने और इसकी मंजूरी पुनः देने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला अनुग्रह अनुदान छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता, इसलिए यह निर्णय किया गया कि भविष्य में उन्हें यह अनुदान न दिया जाए।

(ग) जी नहीं, पहले ही अदा की जा चुकी राशि वापस ली जाएगी।

लघु उत्पादकों के निर्यात पर सर्विस चार्ज

3238. **श्री एस०ए० दोराइ बस्तियान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने लघु उत्पादकों के सामान के निर्यात की व्यवस्था के लिए विशेषकर लघु उद्योग नमक उत्पादक संघ के नमक के निर्यात पर प्रतिशत लिए जाने वाला सर्विस चार्ज की नीति छोड़ दी है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अब नमक के निर्यात की व्यवस्था के लिए लघु उत्पादकों से 15 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह सरकार की इस सार्वजनिक घोषणा के विपरीत है कि राज्य व्यापार निगम लाभ कमाने वाला संगठन है विशेषकर जहाँ तक लघु उद्योगों और लघु उत्पादकों के निर्यात का सम्बन्ध है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) लघु उत्पादकों द्वारा नमक के निर्यात से सम्बन्धित नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सप्लायरों को हमेशा की तरह सेवा प्रभार के रूप में प्रतिशत कटौती करने के बाद जो वे कोट करते हैं, दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली से मान्ट्रियल के बीच प्रथम एयरबस सेवा

3229. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने के प्रारम्भ में एयर-इंडिया ने नई दिल्ली और मान्ट्रियल के बीच प्रथम एयरबस सेवा चलाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस निःशुल्क भ्रमण के लिए किन-किन सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था;

(ग) उड़ान में तथा उड़ान के बाद इन आमंत्रित व्यक्तियों के रहने और भोजन आदि पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) "प्रथम" उड़ान के नाम पर इस निःशुल्क यात्रा के कारण राजस्व की कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) कनाडा को "एयर इंडिया" द्वारा शुरू की जाने वाली एयर-सर्विस की इस प्रथम उड़ान ने यातायात की किन सम्भावनाओं का पता चला ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालत के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारत तथा कनाडा के बीच 2 अक्तूबर, 1982 को एयर इण्डिया द्वारा परिचालित प्रथम उड़ान में 253 यात्री तथा 1473 कि०ग्रा० सामान ले जाया गया तथा कनाडा भारत सैक्टर पर वापसी उड़ान में 393 यात्री तथा 11781 कि० ग्रा० सामान का वहन किया गया। पहली उड़ान से ऐसे संकेत मिलते हैं कि यातायात संभाव्यता अच्छी है।

आयकर मुख्यालय का विभाग से गुंतूर स्थानान्तरण

3240. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपका मुख्यालय को विभाग से गुंतूर अन्तरित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) क्या आयकर आयुक्त, हैदराबाद ने अन्तरण की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पाट्टभि राम राव) : (क) जी, हाँ। आयकर आयुक्त के मुख्यालय को विभाग गुंतूर स्थानान्तरित किए जाने का अनुरोध किया गया था।

(ख) आयकर आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद से कोई रिपोर्ट नहीं मँगवाई गई थी। आयकर आयुक्त, विशाखापत्तनम से रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिन्होंने इस स्थानान्तरण की सिफारिश नहीं की।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन

3241. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र में 1982-83 में उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन के आँकड़े क्या हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) उत्पादन बढ़ाने और इस उद्योग को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है; और

(ङ) राष्ट्रीय हथकरघा वित्तपोषण और विकास निगम कब तक काम करना शुरू कर देगी तथा इससे उद्योग को क्या लाभ पहुँचेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पटिल) : (क) 1982-83 के लिए

उत्पादन आंकड़े वर्ष पूरा होने बाद ही उपलब्ध होंगे।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1981-82	3113 मिलियन मीटर
1980-81	3100 मिलियन मीटर
1979-80	2900 मिलियन मीटर

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए हथकरघा उत्पादन का लक्ष्य 4100 मिलियन मीटर निर्धारित किया गया है।

(घ) तथा (ङ) सरकार ने हैंक यार्न की अपेक्षित मात्राएँ उचित कीमतों पर सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) सभी यार्न कताई मिलों को बाजार डिलिवरियों के लिए उनके यार्न के कुल उत्पादन का 50% हैंक की शक्ल में पैक करना होगा। इसमें से 85% 40 एस काउन्ट से कम होगा।

(2) हैंक यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 2 मिलियन अतिरिक्त तकुए लगाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, संगठित सहकारी क्षेत्र के लिए बँधी हुई क्षमता सृजन करने के लिए हथकरघा बुनकर सहकारी क्षेत्र में 25.000 तकुए वाली प्रत्येक 25 कताई मिलें स्थापित की जा रही हैं। हथकरघा क्षेत्र के लिए छठी योजना में 32 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(3) सहकारिताओं और निगम क्षेत्रों के द्वारा बंधे प्रयोग के लिए सहकारी कताई मिलों, राज्य व्यापार निगम मिलों और एन०टी०सी० मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न को पूल करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है।

(4) प्रस्ताविक राष्ट्रीय हथकरघा वित्त तथा विकास निगम की मुख्य गतिविधियों के रूप में निम्नलिखित होगी :—

(1) हथकरघा क्षेत्र में हैंक यार्न तथा अन्य कच्चे माल जैसे रंजकों और रसायनों की खरीद तथा वितरण;

(2) हथकरघा क्षेत्र में जितनी आवश्यक समझी जाएं उतनी खुदरा दुकानें खोलकर उत्पादन और विपणन को तेज करना;

(3) गैर-हथकरघा क्षेत्र में कताई/रीलिंग कार्यों का वित्त पोषण करना।

निगम के इस वर्ष के अन्त से पूर्व कार्य आरम्भ कर देने की आशा है।

अखबारी कागज का मूल्य

3242. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हाई-सीसेल" के मामले में जुलाई-सितम्बर, 1982 के लिए आयातित अखबारी कागज का मूल्य 120 रु० प्रति टन कम कर दिया गया है और सुरक्षित भण्डार से बेचे जाने वाले कागज का मूल्य 40 रुपये प्रति टन बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो मूल्यों में इस प्रकार की भिन्नता कीमत के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) आयातित अखबारी कागज की बिक्री की कीमत हर तिमाही में निर्धारित की जाती है और हाई सी सेल और एक्स-बफर सेल के बीच 50 रु० मैट्रिक टन का कीमत अन्तर बनाए रखा जाता है। जब बफर स्टाक अधिक था तो अखबारी कागज उद्योग के लिये बफर स्टाक से खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक्स-बफर स्टाक की बिक्री हेतु कीमत कम कर दी गई थी। जब बफर स्टाक उचित मात्रा में था तो इस प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया और कीमत अन्तर को पुनः लागू किया गया।

गत तीन तिमाहियों की कीमतें निम्नोक्त प्रकार थीं :

तिमाही	एच०एस०एस०	बफर
जन०/मार्च	5960	6010
अप्रैल/जून	6120	6010
जुलाई/सितम्बर	6000	6050

व्यापार में अन्तर

3243. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि अप्रैल और मई की अवधि के दौरन भारत के आयात-निर्यात व्यापार का अन्तर पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में दुगुना था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) अप्रैल-मई, 1982 के लिए भारत के विदेश व्यापार सम्बन्धी अद्यतन अनुपूरक आँकड़ों का हिसाब लगाने के बाद अनुमानित व्यापार अन्तराल निम्नोक्त प्रकार बैठता है :—

(मूल्य करोड़ रु०)

क्षेत्र	अप्रैल-मई 1982	अप्रैल-मई 1981
निर्यात	1308.91	1283.38
आयात	2317.81	1927.58
व्यापार संतुलन	1008.90	644.20

सरकार विभिन्न उपायों द्वारा निर्यातों को अधिक से अधिक करके और घरेलू तथा साथ ही निर्यात प्रयोजनों दोनों के लिए उत्पादन बढ़ाकर यथासम्भव आयात प्रतिस्थापन करके इस घाटे को कम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कम विकसित देशों द्वारा ऋण का उपयोग न किया जाना

3244. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कम विकसित देशों को द्विपक्षीय आधार पर मंजूर किए गए ऋण में से 75 प्रतिशत ऋण का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस धनराशि के पूर्ण उपयोग के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर मंजूर किया जाता है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपलब्ध ऋणों के तेजी से उपयोग की सुनिश्चित व्यवस्था करना उसी सरकार का काम होता है, जिसको रियायती शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु जिन मामलों में संविदा निष्पादन तथा जहाजी लदान आदि में देरी होने के कारण ऋण के उपयोग में विलम्ब हो जाए, उन मामलों में, विदेशी सरकार के अनुरोध पर, समय बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई हैं।

(ग) सामान्यत: ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं जिनकी वापसी अदायगी की अवधि 15 वर्ष होती है, जिसमें 2-3 वर्ष की शोधन स्थगनावधि भी शामिल है।

भारतीय वायु सेना में जनशक्ति की कमी

2245. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना में, विशेष रूप से तकनीकी तन्त्र में जनशक्ति

की कमी होने की संभावना है और पायलट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की वास्तव में कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग (पायलट) और विमानन इन्जीनियरिंग (ए) शाखाओं में कुछ कमी है परन्तु यह कमी किसी तरह गम्भीर नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में अलग-अलग शाखाओं में जो कमी है उसके बारे में ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा। निजी/सरकारी क्षेत्रों की माँग, उम्मीदवारों की कड़ी जांच और रक्षा सेनाओं में भर्ती के लिए चिकित्सा संम्बन्धी माप दण्ड कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह कमी रह गई है।

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जिनमें प्रचार माध्यम में वृद्धि करना, अन्तिम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्रों को एयरोनाटिकल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए अनुमति देना, समाचार पत्र में विज्ञापन देने और पाठ्यक्रम शुरू करने के बीच लगने वाले समय को कम करना शामिल है। वायु सैनिकों को ब्रांच कमीशन देने के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा फ्लाइंग (पायलट) और एयरोनाटिकल इन्जीनियरिंग ब्रांचों के अफसरों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं इनमें फ्लाइंग वेतन को दुगुना करना, तकनीकी वेतन की मन्जूरी, एक्वाड्रन लीडरों और विंग कमांडरों के लिए चयन ग्रेड शुरू करना, पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिए पदों का दर्जा बढ़ाना शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अंशकालिक चेयरमैन की नियुक्ति

3246. **श्री बी० पी० देसाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (पी०एस०ई०बी०) ने सरकारी उपक्रमों के लिए 23 अंशकालीक चेयरमैन नियुक्त करने की सिफ़ारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकारी उद्यम चयन बोर्ड ने इस वर्ष में 62 पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 72 बोर्ड लेवल निदेशक रखने की भी सिफारिश की है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अधिकांश सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो उनमें से कितनी सिफ़ारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) अब तक क्रियान्वित न की गई अन्य सिफ़ारिशें कौन सी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सितम्बर 1981 से अगस्त, 1982 के दौरान सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने अंशकालिक अध्यक्षों के 23 पदों, पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशकों) के 62 पदों और सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पूर्णकालिक कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों के 72 पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिशें की हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) सरकार ने 17 अंशकालिक अध्यक्षों, 47 पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा 59 कार्यपालक/कार्यकारी निदेशकों के बारे में सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशें स्वीकार की हैं। शेष सिफारिशों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है और उनमें से अधिकांश सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशें

1. **अंशकालिक अध्यक्ष के लिये :**
   1. हस्तशिल्प व हथकरघा निर्यात निगम
   2. हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड
   3. नेशनल फर्टिलाइजरस लिमिटेड
   4. खनिज गवेषण निगम
   5. जल एवं विद्युत परामर्शदायी सेवा (भारत) लिमिटेड
   6. स्कूटरस इण्डिया लिमिटेड
2. **पर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिये :**
   1. अध्यक्ष राष्ट्रीय बीज निगम/राज्य फार्म निगम
   2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट्स एण्ड सांभर साल्ट्स लिमिटेड
   3. प्रबन्ध निदेशक, केरल अखबारी कागज़ परियोजना
   4. प्रबन्ध निदेशक, पारादीप इस्पात सन्यन्त्र
   5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कोल इण्डिया लिमिटेड
   6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई) लिमिटेड
   7. प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन
9. प्रबन्ध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन
10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन
11. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि०
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
14. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
15. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स लि०

3. पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारियों/कार्यात्मक निदेशकों के लिए :

1. निदेशक (पी), राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
2. निदेशक (वाणिज्यिक), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
3. कार्यकारी निदेशक, धातु एवं खनिज व्यापार निगम
4. निदेशक (प्रचालन), हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन
5. निदेशक (वित्त एवं वाणिज्यिक), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
6. निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7. निदेशक (घड़ियां), हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
8. निदेशक (शोधक कारखाने), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
9. निदेशक (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी
10. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
11. निदेशक (तकनीकी), रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज़ लिमिटेड
12. निदेशक वित्त), इण्यिन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
13. निदेशक (तकनीकी), कोल इण्डिया लिमिटेड

प्रादेशिक सेना की सेवा स्थितियों के सम्बन्ध में अध्ययन दल

3247. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना की सेवा स्थितियों के अध्ययन के लिए एक दल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है;

(ग) सरकार का विचार प्रादेशिक सेना को मजबूत और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क)एक समीति नियुक्त की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रादेशिक सेना को और अधिक आकर्षक बनाने और खासतौर पर प्रादेशिक सेना के कार्मिकों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने और प्रादेशिक सेना के सेवारत और सेवा-निवृत्त कर्मिकों के कल्याण के बारे में उपाय सुझाएँगी ।

(ख) आशा है कि समिति 31-10-1982 तक रिपोर्ट दे देगी ।

(ग) और (घ) प्रादेशिक सेना को मजबूत और लोकप्रिय बनाने के बारे में उपायों पर विचार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा ।

हीरों के निर्यात की सम्भावनायें

3248. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह कृपा करेंगे कि :

क्या हीरों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों को भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ यह प्रतिनिधिमंडल गया था;

(ग) प्रतिनिधिमंडल द्वारा संभावनाओं का किया गया मूल्यांकन क्या है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा भारत से हीरों का आयात करने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) विगत दो वर्षों में रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् ने (1) इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मनी (2) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और (3) सिंगापुर, मलेशिया, इन्डोनेशिया व थाई-लैंड को तीन हीरा प्रतिनिधिमंडल भेजे ।

(ग) तथा (घ) इन प्रतिनिधिमंडलों द्वारा किए गए बाजार मूल्यांकन के अनुसार पुर्तगाल को छोड़कर, इन देशों को तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यातों की आमतौर पर अच्छी सम्भाव्यताएँ हैं । भारत से तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरे आयात करने वाले देशों का विवरण संलग्न है ।

विवरण

(1981-82 के दौरान भारत से हीरे आयात करने वाले देशों की सूची)

आबूधाबी
अर्जेन्टीना
आस्ट्रेलिया
आस्ट्रिया
बेहरीन
बेल्जियम
ब्राजील
कनाडा
चिली
चीन
कांगो
डेनमार्क
दुबई
फ्रांस
फिनलैंड
घाना
ग्रीस
हांगकांग
इरान
ईराक
आयरलैंड
इज़राइल
इण्डोनेशिया
इटली
जापान
मैक्सीको
नीदरलैंड
नारवे
न्यूजीलैंड
ओमन
कतार
सऊदी अरब
सिंगापुर
स्पेन
श्रीलंका
स्वीडन
स्विटजरलैंड
सीरिया
तंजानिया
थाईलैंड
स०अ० अमीरात
ब्रिटेन
सं०रा० अमरीका
वेस्ट इण्डीज
प० जर्मनी
ज़ायरे

कुवैत

लेबनान

मलयेशिया

गुजरात में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3249. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न भागों में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए उठाए गए विभिन्न कदम क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) गुजरात में चालू वर्ष में पर्यटन केन्द्रों के विकास संबंधी योजना क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) और (ख) पर्यटन मन्त्रालय ने ससनगीर में डीज़ल जीप की खरीद के लिए 1.30 लाख रुपए रिलीज किए हैं। उकई में टेंट आवास की व्यवस्था करने के लिए के इस वर्ष के दौरान 4.36 लाख रुपए की एक राशि रिलीज की गई है और इसके अलावा उकई झील के वास्ते नावों की खरीद के लिए के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि रिलीज की है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मेलों और त्यौहार का आयोजन करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर 0.50 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम ने केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय की ओर से साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में गाँधी जी पर ध्वनि-व-प्रकाश कार्यक्रम का, जिसे पहले 1972 में माउंट किया गया था, संशोधन किया है।

भारत पर्यटन विकास निगम सोमनाथ, वेरावाल और द्वारका में संयुक्त उद्यम यात्री निवासों की स्थापना करने से सम्बन्धित सम्भावनाओं का भी पता लगा रहा है। उन्होंने गुजरात औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की ओर से बड़ौदा में एक होटल परियोजना के लिए एक टैक्नो-इक्नोमिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयार की है। इसी प्रकार गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के परामर्श सम्बन्धी एक कार्य के रूप में, छांछ महल को एक हालिडे रिसार्ट में परिवर्तित करने के वास्ते भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एक व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। भारत पर्यटन विकास निगम ने गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लिमिटेड को उनकी ओर से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में उनके प्रस्तावित होटलों का निर्माण करने और उनकी प्रबन्ध व्यवस्था करने के लिए भी अप्रोच किया है स्कीमें जी आईआई सी द्वारा तैयार की जा रही हैं।

अहमदाबाद में राज्य व्यापार निगम का एक डिपो खोला जाना

3250. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में आयातित दवाओं के वितरण के लिए राज्य

व्यापार निगम द्वारा एक शाखा चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है और वहां अहमदाबाद में आयातित बल्क दवाओं के वितरण के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा एक पूरा डिपो खोले जाने की अत्यधिक मांग है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1979-80 में स्टेट केमिकल एण्ड फार्मीस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने गुजरात में दवाओं का एक डिपो खोलने की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम की अहमदाबाद में एक शाखा है। जो अन्य बातों के साथ-साथ आयातित प्रचुर मात्रा में औषधियों के वितरण कार्य को देखता है। हमारी जानकारी के अनुसार यह कार्यालय संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रचुर मात्रा में औषधियों के आयत में उत्तरोतर कटौती पर विचार करते हुए महसूस किया गया कि केवल सरणीबद्ध औषधियों के लिए अहमदाबाद में एक डिपो खोलने के लिए प्रस्ताव में परिहार्य अतिरिक्त प्रशासनिक तथा उपरी खर्चे शामिल होंगे।

बिहार में भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ प्रबंध संवर्ग में रिक्त स्थान

3251. **श्री रामावतर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ प्रबन्ध संवर्ग में बड़ी संख्या में रिक्त स्थान है;

(ख) क्या यह सच है कि इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में अधिकारियों को लाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अन्य राज्यों से इस प्रकार अधिकारियों को लाने से बिहार राज्य में कार्य कर रहे कर्मचारियों के हितों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में अधिकारियों

को लाए जाने को रोक कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने हेतु हस्तक्षेप करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नए विश्राम घरों के निर्माण की योजना

3252. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों के लिए विभिन्न राज्यों में नए विश्राम घरों का निर्माण करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना लागू करने पर सरकार को कितना व्यय वहन करना पड़ेगा ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) पर्यटन मन्त्रालय ने देश में नए विश्राम गृहों के निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, विभिन्न राज्यों के सहयोग से, पर्यटन मन्त्रालय का पटना, नाम्ची (सिक्किम), अगरतला, गोहाटी, इम्फाल, शिलांग दीमापुर, इटानगर, और एजल में यूथ/टूरिस्ट होस्टलों के निर्माण के प्रस्ताव हैं। उपर्युक्त स्कीमों पर सरकार द्वारा अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान इनमें से कुछ स्थानों पर यूथ/टूरिस्ट होस्टलों का निर्माण शुरू होने की सम्भावना है।

निम्न-आय पर्यटन के संवर्धन के लिए, पर्यटन मन्त्रालय ने 1978 में भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक सोसाइटी रजिस्ट्रर्ड की थी। यह समिति देश भर में यात्रिकाओं (धर्मशालाओं) का निर्माण करेगी। एक यात्रिका का निर्माण पहले से ही चित्रकूट (एम०पी०) में शुरू हो गया है वृन्दावन (यू०पी०) में एक यात्रिका का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने की सम्भावना है। यात्रिकाओं के निर्माण पर किया जाने वाला खर्च केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, व्यक्तियों/न्यासों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों के अनुदानों से पूरा किया जाएगा।

हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गए पत्र :

3253. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नागर विमान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने वर्ष, 1982 के पहले छः महीनों में क और ख क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य को कुल कितने मूल पत्र भेजे और हिन्दी तथा अंग्रेजी अलग-अलग कितने पत्र भेजे गए;

(ख) क्या राजभाषा, अधिनियम, 1963 में सभी राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में जारी करने

की व्यवस्था है और ऐसा न करने पर अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में भेजे गए हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में इन राज्यों को सब मूल पत्र हिन्दी में भेजे जायें ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री : (श्री भागवत झा आजाद) : (क) नागर विमानन मन्त्रालय (मुख्य) द्वारा राज्यों को मूल रूप से पत्र आमतौर पर नहीं भेजे जाते हैं। तथापि, जब कभी कोई मूल पत्र "क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों को भेजा जाता है, वह हिन्दी में ही भेजा जाता है। वैसे वर्ष, 1982 की पहली छमाही में "क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों को मन्त्रालय (मुख्य) द्वारा मूल रूप से कोई पत्र नहीं भेजा गया।

इसके अलवा, हिन्दी में प्राप्त हुए सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं ।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं है।

(घ) नियमों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है ।

भारत और नेपाल के बीच दुहरा कराधान रोकने के लिए वार्ता

3254. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच दुहरा कराधान रोकने के लिए बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर कोई समझौता किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो दुहरे कराधान को रोकने और दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

गुजरात में दीव तक वायुदूत सेवा

3255. **श्री नवीन रवाणी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दीव को किसी एक विमान सेवा से जोड़ने की प्रबल मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे वायुदूत से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक तथा यह किस मार्ग से जोड़ा जाएगा ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवात झा आजाद) : (क) गुजरात सरकार ने दीव को वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) अपेक्षित आधोर संचरनात्मक सुविधाओं का विकास किए जाने के वाद ही समय-सारणी, मार्ग आदि का निर्धारण किया जाएगा ।

उचित दर दुकान धारकों को कमीशन

3256. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि उचित दर दुकान धारकों का खाद्यान्नों की बिक्री पर कमीशन 1965 में तय किया गया था और दुकानों के किराए, भाड़े और ब्याजदर में कई गुना वृद्धि होने के बावजूद उसमें वृद्धि नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर सार्वजननिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य वस्तुएँ देने से सम्बन्धित प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। इसमें समय-समय पर उचित दर के दुकानदारों के लिए अनुमत कमीशन नियत करना शामिल है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, करों, प्रासंगिक खर्चों तथा उचित दर के दुकानदारों को दी जाने वाली कमीशन को ध्यान में रखते हुए, उचित दर की दुकानों के माध्यय से उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले खाद्यान्यों के खुदरा मूल्य स्वयं नियत करते हैं ।

भारतीय कपास निगम द्वारा वसूल किए गए कपास भंडार के निपटान की सस्या

3257. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई कपड़ा मिलों को हड़ताल के परिणामस्वरूप कपास की अत्यधिक कमी होते हुए उपभोग के कारण, भारतीय कपास निगम द्वारा पिछले मौसम में, जब बहुत अधिक फसल हुई थी, भारी मात्रा में वसूल किए गए भण्डार को निपटाने में निगम को गम्भीर समस्याओं का सामना

करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो इस समय इसके पास कितना भण्डार है;

(ख) क्या पंजाब में शीघ्र ही नई फसल बाजार में आने लगेगी; और

(ग) भारतीय कपास निगम का नई फसल की वसूली करने से पूर्व वर्तमान भण्डार को किस प्रकार निपटाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारतीय रूई निगम के पास रूई के स्टाक जमा हो जाने का कारण केवल बम्बई में वस्त्र मिलों की हड़ताल ही नहीं है; अन्य कारण इस प्रकार हैं : (1) वित्तीय कठिनाई के कारण मिलों से पर्याप्त मांग की कमी; (2) बिजली में कटौतियाँ; (3) कपड़े के बिना बिके स्टाक और उद्योग की नकदी की स्थिति अच्छी न होना आदि । निगम के पास इस समय रूई की लगभग 4 लाख गांठों का स्टाक है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) यह जरूरी नहीं है कि निगम पहले विद्यमान स्टाकों को बेचे और फिर रूई की नई फसल को खरीद के लिए बाजार में प्रवेश करे । तथापि, दर में कमी विशेष रूप से पुराने स्टाकों के सम्बन्ध में दर में कमी, छूट अवधि में ढील, मियादी बीजक और साथ ही निगम के प्रोफार्मा में एल/सी के आधार पर उधार पर बिक्री जैसी सुविधाएँ देकर और निगम अपने नियति करके विद्यमान स्टाकों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों सहकारी एककों और निजी क्षेत्र की मिलों को बेचने का हर सम्भव प्रयास कर रहा है ।

अफगानिस्तान से मेवों के आयात में कमी

3258. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अफगानिस्तान से मौसम के मेवों के आयात में अत्यधिक कमी हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी व्यापारियों तथा राज्य व्यापार ऐजेंसियों को कितना-कितना कोटा आबंटित किया गया है; और

(घ) क्या यह आयात पाकिस्तान के मार्ग से किया गया है अथवा इसका कुछ भाग बम्बई के मार्ग से सभी आया है ।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) 1980-81 के दौरान (फरवरी, 1981 तक) अफगानिस्तान का भारत को होने वाले मौसमी मेवों (खजूर को

काजू को छोड़कर) के निर्यात में सर्वाधिक भाग था। फरवरी, 1981 के बाद के आयात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) चालू आयात नीति में गैर-सरकारी व्यापारियों तथा राज्य व्यापार अभिकरणों को कोई अलग कोटे आबंटित नहीं किए गए हैं। आयात की अनुमति इस व्यापार में लगे हुए व्यापारियों को एक विनिर्दिष्ट अवधि में उनके विगत आयातों के अधार पर दी जाती है।

(घ) आयात हवाई मार्ग, स्थल मार्ग अथवा समुद्री मार्ग द्वारा किए जा सकते हैं।

रूस से किताबें, पत्रिकाएं और साहित्य का आयात

3259. **श्री एन.के. शेजवलकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से 1981 के बीच प्रतिवर्ष रूस से भारत द्वारा कितने मूल्य की किताबें, पत्रिकाएं और साहित्य का आयात किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में ही भारत से कुल कितने मूल्य की पुस्तकों तथा ऐसी सामग्री का निर्यात रूस को किया गया; और

(ग) यदि इसमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त हो तो उसका ब्यौरा क्या है और इसमें भारत को कितना लाभ हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सोवियत संघ के साथ व्यापार द्विपक्षीय सन्तुलित आधार पर अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में किया जाता है। इस प्रकार कोई मुक्त विदेशी मुद्रा भुगतान अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

लन्दन में राष्ट्रमण्ल देशों के वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन

3260. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने विश्व बैंक से गरीब देशों को उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की जोरदार वकालत की है और बिना वर्तमान पूंजी प्रसार के 2·5 बिलियन डालर देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या भारत ने सितम्बर में लन्दन में राष्ट्रमण्डल देशों के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में दो दिन की बातचीत के दौरान भी इसकी वकालत की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने भारत के इस सुझाव को मान लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रमण्डलीय वित्त मन्त्री सम्मेलन और अगस्त/सितम्बर, 1982 में टोरेंटो में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की हुई वार्षिक बैठक में भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि विकासशील देशों को जिन मौजूदा कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है उनसे उनकी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई है और इसे देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि उनको दी जाने वाली रियायती सहायता की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। विशेष रूप से, यह मांग की गई कि शीघ्र ही ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय पुनीर्नर्माण और विकास बैंक के ऋणों में वास्तव में ठोस वृद्धि की जा सके। इसी तरह से, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के आगामी सातवें पुनर्भरण से यह पता चलना चाहिए कि इसमें छठे पुनर्भरण के मुकाबले वास्तविक रूप से काफी अधिक वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) इन सुझावों को विकासशील देशों से काफी समर्थन मिला। फिर भी, विश्व बैंक ऋणों के स्तरों में वृद्धि करने के संबन्ध में अभी अन्तिम रूप से मतैक्य नहीं हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानान्तरण के माध्यम से कर्मचारियों की बदली

3261. **श्री वी०वी० देसाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्थानान्तरण के माध्यम से आवधिक रूप से अपने कर्मचारियों की बदली करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक अधिकारी को तीन वर्ष में और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को पांच वर्ष में स्थानान्तरित करने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां तो क्या मन्त्रालय से जारी किए गए इस आदेश को राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यान्वित कर रहे हैं; और

(घ) इस निदेश को क्रियान्वित कराये जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और ऐसा करने से किस सीमा तक कार्यकुशलता बढ़ी है और बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार कहां तक दूर हुआ है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ख) जी, हां। इस बात पर विचार करते हुए कि यदि कर्मचारी को एक ही स्थान पर अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि तक तैनात किया जाए तो उसमें निहित स्वार्थों के विकसित होने की सम्भावना रहती है, सरकार ने सरकारी

क्षेत्र के बैंकों को इस प्रकार की सलाह दी है। बैंकों ने सरकार की इस सलाह को कार्यान्वित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की है। उठाये गए इन कदमों के प्रभाव को मूल्यांकित करना अभी समय-पूर्व होगा लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि कर्मचारियों को समय-समय पर बारी-बारी से स्थानान्तरित करते रहने से बैंकों के कार्यचालन पर यथासमय अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच के विरुद्ध विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कार्यवाही

3262. **श्री बी. वी देसाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली औषध कम्पनी स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के उस निदेश को कथित रूप से न मानने के लिए कार्यवाही की है जिसके अनुसार इस कम्पनी से अपनी विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत तक कम करने की अपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कम्पनी को आदेश की अनुपालना के लिए दिए गए समय के समाप्त हो जाने के बाद इस मामले को वित्त मन्त्रालय के सम्बद्ध प्रवर्तन निदेशालय को कानूनी कार्यवाही हेतु सौंपा हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच (आई) लिमिटेड द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत जारी किए गए मार्ग निर्देशों का पालन न किए जाने से सम्बन्धित मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया है।

(ख) जी हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले को, अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के बाद ही, प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुरूप जो दण्डनीय कार्यवाही की जानी है, उसका निर्णय प्रवर्तन निदेशालय ही करेगा।

राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा कमीशन का भुगतान

3263. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वित्त** मन्त्री राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा कमीशन के भुगतान के लिए प्रक्रिया का अध्ययन के बारे में 19 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.पी.एफ. योजना और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अन्तर्गत एजेंसी कमीशन

के भुगतान के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में किए गए अध्ययन प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिश की गई है;

(ख) यह अध्ययन प्रतिवेदन कब पेश किया गया था और इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिए;

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या विशेष कारण हैं और निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में, पेरौल बचत योजना के बारे में प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि लोक भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अभिकर्ताओं को कमीशन की अदायगी करने से सम्बन्धित काम को जमा राशियां स्वीकार करने वाले कार्यालयों द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह वैकल्पिक सिफारिश भी की गई है कि यदि जमा के स्रोत पर कमीशन की अदायगी करने के सुझाव के कार्यान्वयन में कठिनाई हो तो अपनाई जाने वाली पद्धति में कुछ परिवर्तनों के साथ, यह काम राष्ट्रीय बचत के क्षेत्रीय निदेशकों को पास ही रहने दिया जाए। जहाँ तक महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अन्तर्गत एजेंसी कमीशन की अदायगी का सम्बन्ध है, अध्ययन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि इस काम को, जो इस समय क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय बचत के कार्यालयों में किया जा रहा है, डाकघरों को अन्तरित कर दिया जाए।

(ख) और (ग) अध्ययन रिपोर्ट अक्टूबर, 1981 में पेश की गई थी। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रीय बचत आयुक्त, और महानिदेशक, डाक घर तार के साथ विचार-विमर्श करते हुए अभी विचार किया जा रहा है और इस पर यथाशीघ्र अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं

(ङ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी रिजर्व में सोना

3264. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी रिजर्व में कितने मूल्य का और कितना सोना है; और

(ख) देश में इस समय चल रहे कागजी मुद्रा के नोटों और सिक्कों का कुल मूल्य क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकारी रिजर्व में रखे गए सोने का मूल्य तथा उसकी मात्रा नीचे दी गई है; (30.4.1982 को)

मात्रा (शुद्ध किलो ग्राम में)	मूल्य (करोड़ रुपए)
70,288·79	59·62

(अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की; 995·0 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की 84·4 रुपए दर के के अनुसार मूल्य)

उपर्युक्त आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए मौद्रिक स्वर्ण भण्डार (रिजर्व) के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं।

(ख) 30 जून, 1982 को परिचालित बैंक और करेंसी नोटों तथा सिक्कों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :

	करोड़ रुपए
(i) बैंक नोट	16,065·00
(ii) एक रुपए के करेंसी नोट	215·05
(iii) सिक्के (दशमिक रुपए के सिक्कों सहित)	426·61

ऋण-पत्रों के लिए परवर्ती बाजार का बनाया जाना

3265. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वित्तीय संस्थान संसाधन जुटाने में कम्पनियों की सहायता की दृष्टि से ऋण पत्रों के लिए परवर्ती बाजार बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ऋण-पत्र 'परिवर्तनीय' होंगे अथवा 'अपरिवर्तनीय';

(ग) वित्तीय संस्थानों की भूमिका क्या होगी तथा क्या उनका विचार उक्त निवेशों के बारे में सुरक्षा के सम्बन्ध में किसी उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने का है; और

(घ) क्या वे इन ऋण पत्रों के अध्ययन से खुले बाजार से उनके द्वारा जुटाई गई राशियों

के साथ ऋण देने की अपनी सुविधाओं को उक्त कम्पनियों से सम्बद्ध करेंगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) ऋण-पत्रों के लिए द्वितीय स्थानस्थ बाजार की स्थापना के प्रयोजन से वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हाल ही में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5569/82)**

छोटे सिक्कों की ढलाई

3266. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम मूल्य के सिक्कों जैसे 2 पैसे, 3 पैसे और 5 पैसे पर आने वाले अधिक खर्च को देखते हुए उनकी ढलाई बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का सरकारी लेखा और भुगतान में 5 पैसे कम और उससे अधिक 10 पैसे तक 'राउंड आफ' का और इससे जनता को होने वाली अनावश्यक कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1973-74 से एक पैसे तथा 3 पैसे के सिक्कों का उत्पादन बन्द कर दिया गया और 2 पैसे के सिक्के को 1979-80 में बन्द कर दिया गया, इसका कारण इन छोटे सिक्कों की मांग में कमी होना था। फिर भी, 5 पैसे के सिक्के की ढलाई बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(ख) एक पैसा, 2 पैसे और 3 पैसे के सिक्कों की ढलाई बन्द करने से जनता को अपना लेन-देन करने में होने वाली कठिनाई/असुविधा दूर करने के लिए सरकारी और अन्य लेन देनों को 5 पैसे के नजदीकी गुणकों में पूर्णांकित करने के लिए आवश्यक निदेश दे दिए गए हैं।

मिलों का कपास की सप्लाई लेने से इन्कार करना

3267. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपास निगम ने जुलाई 1977 से 1979 तक विभिन्न मिलों को कपास सप्लाई करने के लिए विदेशी सप्लायरों को सप्लाई आदेश दिए थे लेकिन मिलों के प्रबन्धकों ने उसे लेने से इन्कार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों का ब्यौरा क्या है जिनके प्रबन्धकों ने सप्लाई लेने से इन्कार किया था; और

(ग) इसके कारण निगम को कितना घाटा उठाना पड़ा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) अनेक मिलों ने ये गांठें क्लीयर नहीं की और इसके परिणामस्वरूप भारतीय रूई निगम को ये गांठें क्लीयर करनी पड़ीं और उन्हें बाजार में निपटाना पड़ा। निगम ने उनके द्वारा उठाए गए लगभग 22.53 करोड़ रु० के घाटे की वसूली के लिए दोषी मिलों के खिलाफ 93 मुकदमें दायर किए हैं। प्रत्येक मिल में विभाजित घाटे की राशि से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

उन मिलों के नाम तथा पते दर्शाने वाला विवरण जिनके खिलाफ भारतीय रूई निगम द्वारा अपनी ओर से आयात की गयी रूई की फिर बिक्री करने पर उसके द्वारा उठाए गए घाटे की वसूली के लिए मुकदमें दायर किए गए हैं।

क्र० सं०	मिल का नाम	हानि का दावा (रु०)
1.	श्री सीताराम मिल्स लि० बम्बई	1,99,935.39
2.	अमीताभ टेक्सटाइल, देहरादून	24,400.79
3.	माधवनगर कॉटन मिल्स, सांगली	79,629.61
4.	निमार टेक्सटाइल, म०प्र०	99,828.30
5.	निरंजन मिल्स, सूरत	3,75,960.38
6.	गीतांजली मिल्स, मद्रास	86,432·56
7.	बिनोद मिल्स, म०प्र०	5,74,367.13
8.	एफित्तस्टोन स्पि० एंड वीवि०, बम्बई	7,68,155.81
9.	कॉप० टैक्सटाइल मिल्स, बुलन्दशहर	7,72,068.41
10.	पटेल मिल्स, अहमदाबाद	2,96,486.36
11.	माधवनगर कॉटन मिल्स, साँगली	13,24,650.29
12.	अमीताभ टेक्सटाइल मिल्स, देहरादून	19,75,440.40
13.	महालक्ष्मी फाइबर एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	10,25,676.13
14.	मै० वसन्ता मिल्स लि०, कोयम्बतूर	28,189.00
15.	वी. आर. टेक्सटाइल, कोयम्बतूर	18,69,188.00
16.	कॉप० स्पि० मिल्स, बुरहानपुर	13,56,523.09

17.	आदित्य मिल्स लि०, राजस्थान	33,13,821.39
18.	मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, राजस्थान	39,07,669.34
19.	आन्ध्र कॉटन मिल्स, आन्ध्र प्रदेश	6,59,958.68
20.	विलासपुर स्पि० मिल्स लि०, कलकत्ता	30,63,897.44
21.	पी. जी. टेक्सटाइल मिल्स, बड़ोदा	7,94,504.85
22.	कान्ती कॉटन मिल्स, सुरेन्द्रनगर	11,48,120.50
23.	श्री सीताराम मिल्स लि०, बम्बई	16,16,429.95
24.	श्री भवानी काटन मिल्स लि०, नई दिल्ली	27,43,028.72
25.	क्वालिटी स्पि० मिल्स लि०, पोलाची	40,10,255.55
26.	राजस्थान स्पि० एंड वीवि० मिल्स, भीलवाड़ा	14,09,947.67
27.	अमोसी टैक्सटाइल मिल्स लि० ,लखनऊ	8,50,000.00
28.	श्री यमुना मिल्स लि०, बड़ोदा	24,46,464.10
29.	भानगोध्या कॉटन मिल्स, कलकत्ता	5,24,702.14
30.	श्री सीताराम मिल्स लि०, मदुराई	19,85,811.22
31.	श्री सिवाकामी मिल्स लि०, मदुराई	13,21,162.96
32.	श्री सीताराम मिल्स लि०, बम्बई	22,08,837.69
33.	सारनबगोर काटन मैन्यू कं०, अहमदाबाद	41,69,795.02
34.	सुन्दरराजा मिल्स लि०, तमिलनाडु	29,72,496.42
35.	बम्बई डाइंग मैन्यू० कं०	94,45,861.32
36.	त्रिमूर्ति मिल्स लि०, पीलामीदू	32,98,970.42
37.	रामकुमार मिल्स लि० बंगलौर	14,56,720.94
38.	हाडा एण्ड शक्तिगढ़ इंड०, कलकत्ता	2,42,088.82
39.	हाडा एण्ड शक्तिगढ़ इंड०, कलकत्ता	35,22,178.85
40.	जोशी मिल्स लि०, कोयम्बतूर	52,64,325.04
41.	राजगोपाल टैक्सटाइल मिल्स	16,17,645.04
42.	वीरराघव टैक्सटाइल मिल्स, उत्तीरमरूर	3,04,753·60

43.	बोरा कॉटन मिल्स, कलकत्ता	23,97,374.52
44.	एल्गिन मिल्स लि०, कानपुर	6,66,212.89
45.	क्वालिटी मिल्स लि०, कानपुर	3,93,409.00
46.	भालकिया मिल्स लि०, अहमदाबाद	28,98,582.80
47.	भालकिया मिल्स, अहमदाबाद	16,88,915.70
48.	वर्धमान महावीर ग्रुप, लुधियाना	4,24,885.52
49.	—वही—	36,46,576.67
50.	—वही—	54,46,208.00
51.	हाडा एण्ड शक्तिगढ़ टैक्सटाइल लि०, कलकत्ता	20,87,524.48
52.	राधाकृष्ण मिल्स, कोयम्बतूर	27,36,851.14
53.	मदुरा कोट्स लि०, मदुराई	27,350,781.14
54.	इण्डिया जूट कं० लि०, कलकत्ता	4,49,783.73
55.	मोदी स्पि० एण्ड वीवि० मिल्स, उ०प्र०	62,17,970.62
56.	श्री कृष्ण राजिन्द्र मिल्स लि०, मैसूर	42,99.314.54
57.	पुलीकार मिल्स लि०, तिरूचिंगाडू, तमिलनाडु	17,91,729.56
58.	हतिसिंह मिल्स लि०, अहमदाबाद	11,30,544.38
59.	एल्गिन मिल्स लि०, कानपुर	30,48,8768.39
60.	जी टी एन टैक्सटाइल, आल्वे	5,59,968.41
61.	अलगप्पा काटन मिल्स, तमिलनाडु	15,43,633.84
62.	अमोसी टैक्सटाइल मिल्स, लखनऊ	15,39,090.55
63.	कॉप० टैक्सटाइल मिल्स, बुलन्दशहर	15,78,006.49
64.	बीजापुर काप० स्पि० मिल्स, बीजापुर	16,64,783.97
65.	मद्रास स्पिनर्स, केरल	13,30,555.74
66.	पलानी अन्दावर मिल्स, कोयम्बतूर	2,38,530.84
67.	भिवानी मिल्स लि०, कोयम्बतूर	15,02,259.88
68.	मगम्माई काटन मिल्स लि०, मद्रास	1,47,520.00
69.	श्री शानमूगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	9,93,513.36

70.	पेरीयर डिस्ट्रिक काप० मिल्स, कोयम्बतूर	7,66,983.10
71.	सिद्धपुर मिल्स प्रा० लि०, अहमदाबाद	14,53,234.63
72.	—वही—	3,62,815.38
73.	एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइल मिल्स लि०, मद्रास-1	1,16,88,475.22
74.	अमीताभ टैक्सटाइल मिल्स, देहरादून	5,11,560.89
75.	चकोलस स्पि० एण्ड वीवि० मिल्स, अल्वे	3,34,603.60
76.	काप० टैक्सटाइल मिल्स, बुलन्दशहर	7,97,053.60
77.	तिरुपत्ती मिल्स लि०, केरल	10,84,547.21
78.	ट्रांसपोर्ट कारपो० लि०, मुकेश टैक्सटाइल, सिकन्द्राबाद	22,78,578.45
79.	हाडा एण्ड शक्तिगढ़ मिल्स, कलकत्ता	16,36,185.47
80.	महालक्ष्मी फाइबर लि०, कलकत्ता	50,39,082.63
81.	बिनोद मिल्स कं० लि०	52,54,272.74
82.	एल्फिास्टोन स्पि० एण्ड वीवि० बम्बई	15,01,108.37
83.	—वही—	55,53,268.00
84.	फोनेक्स मिल्स लि०, बम्बई	76,79,733.44
85.	राजप्रकाश स्पि० मिल्स लि०, गुजरात	35,66,860.00
86.	निमार टैक्सटाइल, म०प्र०	18,47,585.90
87.	गायकवाड़ मिल्स लि०, बम्बई	9,83,035.63
88.	श्री गंगा टैक्सटाइल, कोयम्बतूर	16,48,231.16
89.	निरंजन मिल्स लि०	41,28,785.12
90.	बंगोध्या काटन मिल्स	7,93,461.48
91.	कोठारी मद्रास लि०, मद्रास	36,24,150.72
92.	न्यू कोमर्शियल मिल्स, अहमदाबाद	8,08,527.31
93.	काउनपुर टैक्सटाइल, उ०प्र०	2,30,250.59

नौ सेना के लिए सी हैरियर विमान का प्राप्त किया जाना

3268. **श्री बाला साहेब बिखे पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी नौ सेना के लिए सी हैरियर विमानों को प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि फॉकलैंड युद्ध के दौरान इन हैरियरों का कार्य सन्तोषजनक नहीं रह सका था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन हैरियरों को टेंडम में, न कि अकेले इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है और इन्हें स्टैंड ऑफ इन्टरसेप्ट किया जा सकता है और यदि हाँ, तो सरकार ने इन्हें प्राप्त करने का निर्णय ले लिया है; तो उन्हें प्राप्त करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) फॉकलैंड युद्ध से पहले नौसेना के लिए 8 सी हैरियर विमानों को प्राप्त करने के आर्डर दे दिए गए थे।

(ख) और (ग) फाकलैंड युद्ध में सी हैरियर विमानों की कार्यकुशलता के बारे में सरकार ने परस्पर विरोधी रिपोर्टें देखी हैं।

इन विमानों को और प्राप्त करने के बारे में निर्णय इनका मूल्यांकन करने के बाद लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानों में जलवायु सम्बन्धी परिवर्तन

3269. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नागर-विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में गंगा के समूचे मैदान की जलवायु में परिवर्तन हो गया है, जिसमें मौसम विज्ञान के एक अध्ययन के अनुसार गत 100 वर्षों के दौरान वर्षा में धीरे-धीरे कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी भागों में पिछले 100 वर्ष की वर्षा के सांख्यिकीय अध्ययन से कम होने की प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती।

(ख) प्रश्न नहीं है।

पाम और सोयाबीन तेलों का उत्पादन

3270. **श्री नवीन खाणी**
श्री जी० बाई० कृष्णन } क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अधिकतर पाम ऑयल और सोयाबीन के तेल का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) उन राज्यों में 1981-82 के बर्षों में इन दो तेलों की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया; और

(ग) देश में इन दो तेलों का कुल कितना उत्पादन होता है और कितना आयात करना पड़ता है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) ताड़ के तेल का उत्पादन केरल और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में होता है। सोयाबीन के तेल का उत्पादन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में होता है।

(ख) व (ग) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में ताड़ के तेल और सोयाबीन तेल के हुए उत्पादन और उनकी आयात की गई मात्रा नीचे दी गई है :

तेल	उत्पादित मात्रा (मीटरी टनों में)	आयात की गई मात्रा (मीटरी टनों में)
ताड़ का तेल	219.72	3,72,893
सोयाबीन का तेल	45,000*	5'27,549

*अन्तिम

ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

3271. **श्री बाला साहेब बिखे पाटिल** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दोनों जनसंख्या और आवश्यक वस्तुओं के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी है ताकि इससे ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हो सकें;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि गैर-सरकारी व्यापार के माध्यम से इन वस्तुओं का वितरण करने में असफलता मिली है क्योंकि इससे मुनाफाखोर और काला बाजारी बढ़ती है और सामान कम तोला जाता है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कार्य के लिए सहकारिता क्षेत्र का उपयोग

करने की आवश्यकता पर विचार किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक वस्तुएं सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए सहकारी समितियों को इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका सौंपी जाये; ताकि समय बीतने के साथ सम्पूर्ण फुटकर बिक्री केन्द्र उनके द्वारा चलाए जा सकें। इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निदेश जारी किए गए हैं। अत: राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जहां कोई उचित दर की दुकान सही ढंग से काम नहीं कर रही हो, वहां ऐसी दुकानों का कार्य दूसरों के साथ-साथ सहकारी समिति को सौंपा जाये। जहां नई उचित दर की दुकान खोली जानी है, वहां राज्य सरकार को चाहिए कि वह विशेषकर ग्रामीण तथा दुर्गम इलाकों में सहकारी समितियों को बिक्री केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार करे। परिणामस्वरूप, विभिन्न राज्यों अब सहकारी समितियां धीरे-धीरे अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएँ सप्लाई करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

पटसन मिलें स्थापित करने हेतु लाइसेन्स जारी करना

3272. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को कुछ राज्यों से पटसन मिलें स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेन्स के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे आवदेन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या आई०डी०सी० उड़ीसा से केन्द्रपाड़ा में पटसन मिल स्थापित करने हेतु ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो मंजूरी तब तक दी जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 1. बिहार

2. असम

3. मेघालय

4. उड़ीसा

(ग) तथा (घ) उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम ने केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा में जूट मिल स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स देने के लिए आवेदन किया था जिसे मई, 1981 में अस्वीकृत क दिया गया था। यदि औद्योगिक विकास निगम द्वारा पुनः आवेदन किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार उस समय नए सिरे से विचार करने को तैयार है।

राज्यों को अतिरिक्त बिजली करघे

3273. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नयी कपड़ा नीति के अनुसार हथकरघा सहकारिता समितियों के लिए 25,000 अतिरिक्त बिजली करघे राज्यों को आवंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्यों के वर्तमान बिजली करघों के कार्यकरण और उनके धागे के करोटे की समस्याओं, दायित्वों और समिति के साथ लम्बे समय से चले आ रहे मामलों के बारे सर्वेक्षण किया है;

(ग) 31 मार्च, 1982 के दिन प्रत्येक राज्य में कितने बिजली करघे स्थापित किए गए थे और उनमें से हथकरघा सहकारी समितियों के अन्तर्गत कितने थे और गैर-सरकारी स्वामित्व में कितने बिजली करघे थे और प्रत्येक श्रेणी में कितने बिजली बिजली करघे बन्द पड़े थे; और

(घ) प्रत्येक राज्य को कितने अतिरिक्त बिजली करघे दिए जाएंगे और इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने नमूना आधार पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है।

(ग) विभिन्न राज्यों में अधिकृत बिजलीकरघों की कुल संख्या के ब्यौरे विवरण "क" पर दिए गए विवरण में दिए गये हैं। स्वामित्व पद्धति के ब्योरे तथा कार्य न कर रहे करघों की संख्या सामान्यतः सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। कार्य न कर रहे करघों की संख्या समय-समय पर अलग-अलग होती है।

(घ) 25,000 बिजली करघों का राज्यवार आबंटन विवरण "ख" में दिए गए विवरण में किया गया है। अपनाया गया मुख्य मानदण्ड यह है कि कम बिजली करघे वाले राज्यों को अधिक बिजली करघे दिये जाने चाहिए।

विवरण-क

प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में 1-3-1982 की स्थिति के अनुसार अधिकृत बिजली करघे दर्शाने वाला विवरण :

आंध्र प्रदेश	15,008
आसाम	1,576
बिहार	7,650
चण्डीगढ़	56
दादर नागर हवेली	250
दिल्ली	1,908
गोवा दमन और दिव	100
गुजरात	89,282
हरियाणा	1,838
हिमाचल प्रदेश	614
जम्मू और कश्मीर	572
काँडला फ़री जोन	68
कर्नाटक	32,848
केरल	6,498
मध्य प्रदेश	14,997
महाराष्ट्र	2,09943
मणीपुर	32
नागालैंड	6
उड़ीसा	3,688
पांडिचेरी	1,120
पंजाब	23,287
राजस्थान	7,826
तमिलनाडु	92,643
त्रिपुरा	24

उत्तर प्रदेश	24,126
पश्चिमी बंगाल	14,662
	5,50,622

विवरण-ख

हथकरघा सहकारी समितियों को आबंटन के लिए छठी पंचवीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में आबंटित बिजलीकरघा कोटा दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	हथकरघा सहकारी समितियों को आबंटन के लिए बिजली करघों की संख्या
आसाम	2,000
हरियाणा	2,000
केरल	2,000
उड़ीसा	2,000
राजस्थान	2,000
हिमाचल प्रदेश	1,000
जम्मू और कश्मीर	1,000
मणीपुर	1,000
मेघालय	1,000
नागालैंड	1,000
सिक्किम	1,000
त्रिपुरा	1,000
बिहार	1,000
आंध्र प्रदेश	700
गुजरात	700
कर्नाटक	700
मध्य प्रदेश	700
महाराष्ट्र	700

पंजाब	700
तमिलनाडू	700
उत्तर प्रदेश	700
पश्चिमी बंगाल	700
दिल्ली	350
पांडिचेरी	350
योग	25,000

1982-83 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कार्य योजना

3274. **श्री भीम सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्ष 1982-83 के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यमों की 1982-83 की कार्य योजना से है। सरकारी उद्यम कार्यालय ने सभी सरकारी उद्यमों से अनुरोध किया है कि वे पिछले वर्ष की अपनी वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के आधार पर 1982-83 वर्ष के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार करें।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों के कार्यचालन में एक प्रमुख अन्तर्बाधा यह रही है कि प्रत्येक सरकारी उद्यम में ऐसे स्पष्टतः निर्धारित लक्ष्य नहीं हैं। जिनके आधार पर उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा, इस प्रकार कार्य-निष्पादन आंकने के लिए माप दण्डों में कोई एक रूपता नहीं हैं। अतः सरकारी उद्यम कार्यालय ने एक आदर्श योजना तैयार की है और सभी सरकारी उद्यमों को यह सलाह दी है कि वे इस आदर्श योजना में कार्य-निष्पादन के निर्दिष्ट लक्ष्यों के आधार पर वर्ष 1982-83 के लिए तदनुसार अपनी कार्य योजना तैयार करें। यह कार्य अब पूरा हो चुका है।

(ग) 132 सरकारी उद्यमों ने 1980-81 व 1981-82 वर्ष के दौरान अपनी वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के आधार पर 1982-83 के लिए अपनी कार्य-योजना तैयार की है। सरकारी उद्यम कार्यालय ने इन कार्य योजनाओं की और अधिक छानबीन करने के बाद उन्हें समे-

कित किया तथा विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी उद्यमों में परिचालित किया है। चूंकि यह इस प्रकार का पहला प्रयास परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है, अत: मंत्रालयों और सरकारी उद्यमों को यह सलाह दी गई कि इस जानकारी का प्रयोग केवल आन्तरिक संदर्भ में ही करें।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

3275. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री फूलचन्द वर्मा } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष सरकारी क्षेत्र की कई औद्योगिक इकाइयों ने लाभ कमाया था;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक इकाई ने गत वर्ष कितना-कितना लाभ कमाया था;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य भी बढ़े हैं, और;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय में किए गए सरसरे मूल्यांकन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के लगभग 99 उद्यमों ने 1981-82 वर्ष के दौरान लाभ कमाया है। यह मूल्यांकन अन्तिम लेखों पर आधारित है। विस्तृत परीक्षित लेखे, जिनसे इन उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ की सही राशि का पता चलेगा, अभी उपलब्ध नही हैं। जिन प्रमुख उद्यमों ने काफी लाभ कमाया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. केन्द्रीय भाण्डागार निगम
2. खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड
3. भारतीय राज्य व्यापार निगम
4. इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटिड
5. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
6. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
7. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
8. मझगांवा डाक लिमिटेड
9. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
10. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

11. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
12. ग्राम विद्युतीकरण लिमिटेड
13. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिमिटेड
14. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
15. भारतीय सीमेंट निगम
16. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
17. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
18. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
19. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
20. बोंगाई गाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
22. भारतीय तेल निगम लिमिटेड
23. इण्डियन पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड
24. ऑयल इण्डिया लिमिटेड
25. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
26. भारतीय नौवाहन निगम लिमिटेड
27. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
28. एयर इण्डिया
29. इण्डियन एयर लाइन्स
30. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लिमिटेड
31. आवास एवं नगर विकास निगम

(ग) और (घ) पिछले दो वर्ष के दौरान इन उद्यमों में काम में आने वाली सामग्री की लागत में हुई वृद्धि के अनुसार इनके उत्पादों/सेवाओं के मूल्य समय-समय पर समायोजित किए गए हैं।

स्टैनलैस स्टील सामग्री का निर्यात

3276. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेनलैस स्टील उद्योग एसोसिएशन ने स्टैनलेस स्टील सामग्री का निर्यात बढ़ाने के लिए गत जुलाई और अगस्त महीने के दौरान वाणिज्य मन्त्रालय को चार

अभ्यावेदन भेजे हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) स्टैनलेस स्टील के निर्यात और आयात की क्या स्थिति है और गत तीन वर्षों के दौरान इससे क्या सामान तैयार किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। तत्कालीन वाणिज्य इस्पात तथा खान मन्त्री को सम्बोधित चार अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे शामिल थे :—

(1) स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के निर्यात के लिए आयात नीति के परिशिष्ट 19 तथा परिशिष्ट 29 प्रयोजनार्थ, निविष्ट-उत्पादन मानदण्ड में आशोधन।

(2) विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए सरकार, निर्यात सम्वर्धन समर्थकों तथा उद्योग के प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाना।

2. जहां तक ऊपर (1) का सम्बन्ध है इस मामले पर आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में विचार किया गया था और एसोसिएशन को यह सूचित किया गया था कि पहले से अपनाए गये मानदण्डों को बदला नहीं जा सकता है।

जहां तक ऊपर (2) का सम्बन्ध है, एसोसिएशन द्वारा उठाये गए मामले जाँच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और उद्योग के प्रतिनिधियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए मन्त्रालय द्वारा 3 नवम्बर, 1982 को एक बैठक बुलाई गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्टैनलेस स्टील की सामग्री तथा माल के निर्यात तथा आयात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	निर्यात (लाख रु० में)
1978-79	381·7
1979-80	557.5
1980-81	701.0
	आयात
1978-79	259.0
1979-80	2,081.0
1980-81	3,967.0

अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में बिजली के संकट के कारण जबरन छुट्टी

3277. **श्री नारायण चौबे :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद की कपड़ा मिलों का उत्पादन हाल में बिजली की कटौती संकट के कारण प्रभावित हुआ था और कामगारों को जबरन छुट्टी दी गयी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) अहमदाबाद की वस्त्र मिलें कुछ समय से बिजली की कटौती अनुभव कर रही हैं केवल बिजली की कटौती के कारण प्रभावित उत्पादन की मात्रा का पता लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि कुछ अन्य परिवर्तनशील तत्व भी अन्तर्ग्रस्त हैं। उद्योग बिजली की सप्लाई में कटौती को उत्पादन पर किसी उल्लेखनीय प्रभाव डाले बिना किफायती उपाय अपना करके लगभग 10 प्रतिशत तक खपा सकती है। दूसरे बिजली की सप्लाई में कटौती की पूर्ति अधिकांश वस्त्र मिलों द्वारा उनके द्वारा स्थापित जनेरेटिंग सैटों का अधिक इस्तेमाल करके की जाती है। उन कामगारों की संख्या बताना भी संभव नहीं है जिन्हें केवल बिजली कटौती/संकट के कारण जबरी छुट्टी दी गई है।

मूल "डिस्पोजल आफ सरप्लस एण्ड डिपिसेंसीज स्कीम 1953" के उपबन्धों को लागू करना

3278. **श्री मंगल राम प्रेमी :**
श्री जगपाल सिंह : } क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में बदले गए मूल "डिस्पोजल आफ सरपल्स एण्ड डिफीसेंसीज स्कीम, 1953" में जोड़े गए उपबन्धों का किस तारीख से कानून लागू किया गया;

(ख) क्या गृह मन्त्रालय द्वारा 4 दिसम्बर, 1968 को जारी सरकुलर पत्र संख्या 1/10/65-सी-एल-III के अनुसार इसे पहले से लागू किया जाना था;

(ग) खण्ड "ख" के अन्तर्गत कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए;

(घ) उन प्रविष्टियों से होने वाले लाभों से मन्त्रालय के कितने कर्मचारी वंचित हो रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस अनियमितता को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है; अथवा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह कार्यवाही कब से की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) कोई उपबन्ध नहीं जोड़ा गया परन्तु 15 जून, 1981 से कुछ संशोधन किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) शून्य।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"एक्स-सिविलियन टीचर्स एसोसिएशन के आवेदन-पत्र

3279. श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री शिवचरण मर्मा : } क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जुलाई, 1981 को एक्स-सिविलियन टीचर्स एसोसिएशन की ओर से कोई आवेदन पत्र मिला है जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों से या तो उन्हें अपने पूर्व पदों पर अथवा उसी के बराबर के पदों पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार इस मामले में कोई ठोस निर्णय कब तक करेगी;

(घ) क्या यह सच है कि कार्यरत सिविलियन अध्यापकों को अपने पूर्व पदों पर पुनर्नियुक्त करने की अनुमति इस वर्ष जून में ले ली गई थी और यदि हां, तो उनकी पुनर्नियुक्ति के आदेश कब तक जारी किए जाएंगे;

(ङ) क्या इस मामले में इतना विलम्ब होने के कोई विशेष कारण हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

स्थानान्तरण होने पर मूल वेतन का संरक्षण

3280. श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री जगपाल सिंह : } क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय की दिनांक 31 मई, 1980 की कार्यालय ज्ञापन संख्या पी०सी० 1/01582/ओ०आर०क्यू०-4 (सिविल) (डी)/3140/डी (सिविल-I) में कर्मचारी के मूल वेतन को संरक्षण देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन के भाग ख के प्रावधानों को ("सरप्लस एण्ड डिफीसेन्जीज डिस्पोजल स्कीम) के अन्तर्गत किए गए स्थानान्तरणों के लिए लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस ज्ञापन के प्रावधानों से "सिविलियन पर्सनल रूटीन" आदेश संख्या 73/73 का उल्लंघन होता है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या "स्वेच्छिक स्थानान्तरणों" के मामले में इन कर्मचारियों को वरिष्ठता और मूल वेतन का संरक्षण दिया जा रहा है जबकि 8 मई, 1976 के सेना (आर्मी) आदेश संख्या 4/5/33 के अनुसार कार्यरत कर्मचारी का न तो मूल वेतन यथावत रहता है और न उसकी वरिष्ठता ही बनी रहती है; और

(ङ) उपर्युक्त खन्ड (क) में उल्लिखित भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यह प्रावधान कब तक लागू किए जाएंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) (क) जी, हां। अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरणों के बारे में।

(ख) उपर्युक्त सरकारी आदेश फालतू कर्मचारियों को समायोजित करने के मामलों पर लागू नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भुगतान कमी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को आश्वासन

3281. **श्री अशफाक हुसैन :**
श्री अमर राय प्रधान : } क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के भुगतान-कमी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को आश्वासन दिए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी संपूर्ण ब्यौरा क्या हैं (अमृत बाजार पत्रिका 21 अगस्त, 1982) ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार भारत के विस्तारित व्यवस्था कार्यक्रम के संबंध में 13 जुलाई, 1982 को दूसरे वर्ष (1982-83) के लिए संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य दे चुके हैं और सम्बन्धित कागजात पहले ही संसद पुस्तकालय में रख दिए गए हैं।

नवम्बर-दिसम्बर के लिए अंडों का अग्रिम सप्लाई मूल्य

3282. श्री अशफाक हुसैन
श्री के० ए० राजन
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति } : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवम्बर-दिसम्बर के लिए अण्डों का अग्रिम सप्लाई मूल्य प्रति अण्डा एक रुपया होने के से दिनांक 29-9-82 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसका अर्थ होगा कि खुदरा मूल्य प्रति अंडा 1.50 रुपये से 2 रुपये के बीच रहेगा; और

(घ) क्या इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार "एशियाड" के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण से अण्डों का आयात करने पर विचार कर रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली में विभिन्न बिक्री केन्द्रों, जिनमें सुपर बाजार की शाखायें भी शामिल हैं, के माध्यम से 50 पैसे प्रति अण्डे के खुदरा भाव पर बड़ी संख्या में अंडे बेचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है।

(घ) जी नहीं।

उद्योग, व्यापार और अर्थ-व्यवस्था पर ऋण कटौती का प्रभाव

3283. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष से पालन की जा रही ऋण कटौती नीति की व्यवहारिक जटिलताएं क्या हैं और इसने उद्योग, व्यापार और अर्थ-व्यवस्था के अन्य पक्षों को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ख) एक वर्ष पहले खाद्यान्न, चीनी, कपास, जूट वस्त्रों, दवाओं और जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार के लिए कुल कितना ऋण दिया गया था और इस समय कितना दिया गया है; और

(ग) क्या यह नीति लघु, मिनि और कुटीर उद्योगों तथा उत्पादक प्रयासों द्वारा एवं

नियोजन पाने वालों को ऋण देने के विरुद्ध थी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक सार्थक ऋण नीति को अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों को रोकने तथा योजनाबद्ध रूप में आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन देने के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। इस सन्दर्भ को देखते हुए नीति विषयक उपायों से यह उद्देश्य पूरा हुआ है। मुद्रास्फीति पर रोक लगी है। इसके साथ ही पेट्रोलियम को छोड़कर, औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यक बैंकों के अग्रिमों में, 1980-81 के 1835 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 1981-82 के दौरान 2177 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आग्रिमों में 1980-81 के 1774 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 1981-82 के दौरान 2163 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा, खाद्यान्न, खांडसारी समेत चीनी के थोक व्यापार सूती वस्त्र, कपास और कच्चे जूट आदि के क्षेत्रों को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े त्वरित अनुमानों पर आधारित हैं तथा नीचे दिए गए हैं :

	निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक बकाया	(करोड़ रुपए)
	जून 1981	जून 1982
1. खाद्यान्न	169·8	175·1
2. चीनी (खांडसारी समेत)	229·3	476·5
3. सूती वस्त्र तथा कपास	286·1	277·8
4. कच्चा जूट	41·0	35·6

"दवाइयों और जीवन की अन्य आवश्यकताओं" के सम्बन्ध में अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के ऋणों से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 1981-82 के उत्तरार्द्ध के दौरान भी, जबकि वाणिज्यिक बैंकों को मामूली से बढ़े हुए नकदी भंडार और सांविधानिक नकदी अनुपात को सुनिश्चित करना था, उन्हें विशिष्ट रूप से कहा गया था कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋणकर्ताओं के, जिनमें लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योग शामिल हैं, ऋण प्रवाह को न रोकें। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों की नकदी की स्थिति को सरल बनाने के उपाय किए जा रहे हैं और उन्हें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया है। बैंकों को ये अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे अपने कुल

ऋणों में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों के अंश को बढ़ाकर 1985 तक 40 प्रतिशत तक पहुँचा दें।

ऋण-पत्र (डिबेन्चर) जारी किया जाना

3284. **श्री रीता लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने परिवर्तनीय एवं गैर-परिवर्तनीय ऋण-पत्र जारी करके पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाली कम्पनियों को सम्बद्ध कम्पनी के निदेशकों कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भिन्न रंग के आवेदन पत्रों पर आवेदन करने पर उन्हें निश्चित आवंटन हेतु उनका अंश आरक्षित रखने की अनुमति देने के लिए कोई दिशा निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या;

(ग) क्या उनको पता है कि इनका कुछ अंश विभिन्न मन्त्रालयों में इन कम्पनियों के मामले से सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों द्वारा भी हथियाया जा रहा है; और

(घ) क्या वे अपने मन्त्रालय के अधिकारियों से यह पता करेंगे कि उन्होंने चालू वर्ष में पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाली विभिन्न कम्पनियों से अपने एवं अपने रिश्तेदारों के नाम पर कितने ऋण-पत्रों के आवंटन प्राप्त किए और क्या उन सब ने इस बारे में सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की थी और क्या वे यह जानकारी सभा पटल पर रखेंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने परिवर्तनीय एवं गैर-परिवर्तनीय दोनों प्रकार के ऋण-पत्रों (डिबेन्चर) को जारी करके पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाली कम्पनियों को भिन्न रंग के आवेदन-पत्रों पर आवेदन करने पर निश्चित आवंटन हेतु उनका कुछ अंश आरक्षित रखने की अनुमति देने के लिए कोई विशिष्ट मार्ग-निदेश जारी नहीं किए हैं, किन्तु सरकार कम्पनियों को सामान्यतः, उनके द्वारा अनुरोध करने पर, कम्पनियों के कर्मचारियों को ऋण-पत्रों (डिबेन्चर) के प्रस्तावित निगम का 5 प्रतिशत अंश तथा कम्पनियों के कारबार से संबंधित सहयोगियों को निगम का 2·5 प्रतिशत अंश आरक्षित रखने की अनुमति दे देती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न के भाग (ड़) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत और इटली के बीच व्यापार

3285. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और इटली के बीच व्यापार के आदान प्रदान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत और इटली के बीच व्यापार और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) भारत तथा इटली के बीच 1978-79 से 1980-81 तक के तीन वर्ष का व्यापार कारोबार नीचे दिया जाता है :

(मूल्य लाख रु० में)

	1978-78	1979-80	1980-81
निर्यात	13787	21274	15155
आयात	12109	17889	24248

(ख) मिशनों के आदान-प्रदान, मेलों में भाग लेने के माध्यम से भारत तथा इटली के बीच व्यापार तथा औधोगिक सहयोग के सम्वर्धन तथा उसे सुकर बनाए जाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की इस सम्पूर्ण श्रृंखला में हुए विकासों की आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-इटली संयुक्त समिति के तन्त्र के माध्यम से निरन्तर समीक्षा की जाती है।

रसायनों का निर्यात

3286. **श्री भीकू राम जैन**
श्री नवीन रवाणी } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायनों के अधिक निर्यात में आने वाली समस्याओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हाँ। निर्यातों सम्बन्धी समस्याओं एवं मामलों का निरन्तर मूल्यांकन किया जाता है और जैसे एवं जब आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। रासायनिक पदार्थों के निर्यातकों के साथ हाल ही में की बैठकों के दौरान उठाई गई मुख्य समस्याओं में निर्यात वित्त/ऋण, करो में छूट, नकद मुआवजा सहायता, आयात प्रतिपूर्ति लाभ, नौवहन तथा परिवहन समस्याओं आदि से सम्बन्धित समस्याएं शामिल थीं। सरकार निर्यातों में वृद्धि करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और इसे प्राप्त करने हेतु सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा हाल ही में नकद मुआवजा सहायता की दरों की समीक्षा भी की गई है।

सेना के विद्यालयों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण।

3287. **श्री मोती भाई आर. चौधरी**
श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री बापू साहिब परूलेकर } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने भी कुछ मार्गनिर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेतारहाट पठार क्षेत्र का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

3288. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य सरकार ने नेतारहाट पठार क्षेत्र (जिला पालामऊ बिहार) का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वियन के लिए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खर्शेद आलम खाँ): (क) और (ख) पर्यटन मन्त्रालय के नेतारहाट पठार क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नेतारहाट में एक पर्यटक गृह के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजा गया एक प्रस्ताव, मन्त्रालय के विचाराधीन है। तथापि, अभी तक इस गृह के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिय गया है।

पाक रक्षा उद्देश्यों के लिए चीन द्वारा यूरेनियम को समृद्ध बनाने में सहायता

3289. श्री बाला साहिब बिखे पाटिल
श्री जगदीश टाइटलर
श्रीमती प्रमिला दण्डवते
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री रशीद मसूद
श्री जगपाल सिंह
: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन रक्षा उद्देश्यों के लिए यूरेनियम को समृद्ध बनाने में पाकिस्तान को सहायता दे रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल एक वर्ष पूर्व अमरीका चीन को आणविक सहायता दे रहा था;

(ग) क्या भारत सरकार ने चीन को दी गई अमरीकी आणविक सहायता को पाकिस्तान को आगे देने के प्रश्न पर अमरीकी सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अमरीका सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार ने इस प्रकार की रिपोर्टों को देखा है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई पक्की सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कूच-बिहार से वायुदूत सेवा का आरम्भ

3290. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कूच-बिहार से वायुदूत सेवा किस तारीख से आरम्भ की जाएगी; और

(ख) इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद कूच-बिहार को वायुदूत सेवा से जोड़ा जाएगा। कूच-बिहार हवाई अड्डे के विकास का कार्य चल रहा है और इसके जून, 1983 तक पूरे हो जाने की संभावना है। इस कार्य में भवन और धावनपथ परिसर, सुरक्षा सेवाओं की व्यवस्था, एम० टी० वाहन तथा दूर संचार और मार्ग निर्देशन के साधनों की व्यवस्था शामिल है।

औद्योगिक घरानों से एकत्रित आय-कर

3291. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) पिछले पांच वर्षों में देश के बड़े औद्योगिक घरानों की वर्ष बार कुल पूंजी कितनी थी;

(ख) पिछले पांच वर्षों में इन घरानों को वर्षवार कुल कितना लाभ हुआ,

(ग) इन घरानों पर पिछले पांच वर्षों के लिए वर्षवार कितना आयकर बकाया है; और

(घ) उन्होंने किस वर्ष के लिए आयकर का भुगतान नहीं किया है और सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि मांगी गई सूचना चोटी के 20 औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में है। वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 में चोटी के 20 औद्योगिक घरानों की चुकता पूंजी तथा कर लगाने से पूर्व लाभों को दर्शाने वाला एक विवरण (31-12-1980 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्तियों के अनुसार) संलग्न है। वर्ष 1981 के लिए इसी प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है क्योंकि कुछ कम्पनियों के तुलन-पत्र अभी भी प्राप्त होने हैं। वर्ष 1982 के लिए सूचना के संकलन का कार्य हाथ में लिया जाना है।

(ग) सभी बड़े औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में प्रश्न में मांगी गई पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यदि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी कम्पनियों के सम्बन्ध में यह सूचना एकत्र की जाती है तो उसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा। बड़े औद्योगिक घरानों की तरफ बकाया करों के बारे में सूचना उन मामलों में समय-समय पर दी जाती है जब किसी भी कम्पनी के बारे में इस प्रकार की मांगे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 10 लाख रुपए से अधिक हो जाती हैं। 31-3-1978 तथा 31-3-1979 के सम्बन्ध में इस प्रकार के आंकड़े लोक-लेखा समिति (1980-81) की 34वीं रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं जिसे 31-3-1981 को सदन पटल पर रख दिया गया है। 31-3-1980 तथा 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार की सूचना दिनांक 30 जुलाई, 1982 को राज्य सभा के वर्षाऋतु सत्र में, राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 422 के उत्तर के संलग्न विवरण-पत्र में दी गई थी। चोटी के 20 औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार इसी प्रकार की सूचना विवरण 11 में दिए गए विवरण-पत्र में दी गई है।

(घ) जहां तक प्रश्न के भाग (घ) का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनिय है कि इस मन्त्रालय के पास यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यदि मानयीय सदस्य चाहें तो किसी विशिष्ट मामले के बारे में अपेक्षित सूचना प्रधान की जा सकती है।

विवरण I (करोड़ रु० में)

क्र० सं०	औद्योगिक घराने का नाम	1978 संदत्त पूंजी	1978 कर-पूर्व लाभ	1979 संदत्त पूंजी	1979 कर-पूर्व लाभ	1980 संदत्त पूंजी	1980 कर-पूर्व लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टाटा	165.26	51.24	182.42	91.63	188.55	110.03
2.	बिड़ला	151.56	98.81	156·19	121.02	167.11	121.15
3.	मफतलाल	57.09	39.07	61.99	39.86	72.00	31.93
4.	जे०के० सिंघानिया	45.71	13.50	49.87	13.12	46.61	18.21
5.	थापर	38.33	20.24	44.30	24.41	52.48	28.40
6.	आई०सी०आई०	57.36	26.38	57.36	29.82	64.13	10.74
7.	साराभाई	14.08	5.18	20.10	17.53	20.29	17.70
8.	ए०सी०सी०	38.43	15.63	38.43	14.72	44.17	8.05
9.	बांगुर	35.40	13.27	35.47	14.71	35.17	21.01
10.	श्रीराम	28.61	8.35	28.60	16.16	28.03	9.24
11.	किर्लोस्कर	28.60	9.11	29.44	12.35	2.9.41	24.29
12.	हिन्दुस्तान लीवर	24.76	28.32	33.52	32.75	35.52	31.37
13.	लारसन एण्ड टूब्रो	23.85	19.52	26.31	22.47	28.41	24.63
14.	सिन्धिया	19.27(—)	7.77	19.27(—)	9.85	19.27	5.37
15.	आयल इण्डिया	33.93	15.67	33.93	13.96	33.93	10.12
16.	मोदी	18.89	13.05	21.88	14.66	21.88	10.66
17.	टी०वी०एस अय्यंगर	26.87	15.53	27.44	20.04	27.19	25.11
18.	महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा	15.99	5.85	16.58	14.47	20.85	18.54
19.	चौगुले	20.30(—)	2.73	22.56(—)	2.66	23.69(—)	2.24
20.	बजाज	22.84	12.57	23.08	14.35	23.09	19.93

विवरण-II

(रकम लाख रुपयों में)

क्र० सं०	औद्योगिक घराने का नाम	कम्पनियों की संख्या	बकाया कर	उगाह योग्य न बनी मांगें
1	2	3	4	5
1.	टाटा	4	4.58	98.48
2.	बिड़ला	14	207.19	760.17
3.	मफ्तलाल	—	—	—
4.	जे०के० सिंघानिया	4	275.67	282.31
5.	थापर	1	—	16.37
6.	आई०सी०आई	2	—	770.28
7.	साराभाई	2	1.09	27.28
8.	ए०सी०सी०	—	—	—
9.	बांगुड़	1	24.51	—
10.	श्रीराम	2	27.30	147.48
11	किर्लोस्कर	—	—	—
12.	हिन्दुस्तान लीवर	1	—	47.05
13.	लारसन एण्ड टूब्रो	—	—	—
14.	सिंधिया	—	—	—
15.	आयल इण्डिया	2	281.06	80.11
16.	मोदी	1	—	99.73
17.	टी०वी०एस० अय्यंगर	3	—	61.35
18.	महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा	1	30.74	13.74
19.	चौगुले	1	4.73	37.83
20.	बजाज	—	—	—

*टिप्पणी : यह सूचना, प्रत्येक समूह की केवल उन कम्पनियों के सम्बन्ध में है जिनकी ओर, 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार, कुल 10 लाख रुपए अथवा उससे अधिक के आयकर की मांग बकाया थी।

आयातित लेटैक्स रबड़ के मूल्य में क

3292. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित लेटेक्स रबड़ के जमा भंडार को देखते हुए राज्य व्यापार निगकी इसके मूल्य कम करने के अनुदेश दिए हैं ;

(ख) क्या इससे स्वदेशी रबड़ उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम अब भी अपने भंडार के समाप्त करने में कठिनाई महसूस कर सकता है ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि आयातित रबड़ स्वदेशी लेटैक्स रबड़ उद्योग पर प्रतिकूल असर न डाले ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य व्यापार निगम सरकार के साथ उचित परामर्श करने के बाद अपने स्टाक का समापन करेगा। चूंकि राज्य व्यापार निगम द्वारा रखे गये लेटैक्स रबड़ का स्टाक बहुत कम है जो 400 मी० टन से भी कम है, अतः इससे देश में रबड़ लेटैक्स उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा।

खेल सामग्री के निर्यात का संवर्धन

3293. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेल सामग्री की विदेशों को बिक्री बढ़ाने के लिए खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् के अधीन खेल सामग्री प्रदर्शनी आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है ;

(ख) विश्व के किन देशों में ये प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी ;

(ग) खेल सामग्री के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का गैर-परम्परागत खेल सामग्री को भी प्रोत्साहन देने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो खेल सामग्री के निर्यात और उत्पादन में विविधता लाने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद् को निम्नलिखित मेलों में भाग लेने की अनुमति दी है :—

(1) स्पोगा मेला, कोल्न, पश्चिम जर्मनी।

(2) इस्पो मेला, म्यूनिख, पश्चिम जर्मनी।

(3) एन० एस० जी० ए० कान्वेन्शन एण्ड शो, शिकागो।

(4) गल्फ होम लेजर एग्जीबीशन, दुबई।

(5) सऊदी होम एण्ड लेजर शो, रियाद।

(6) स्पोरेक्स 82, सिंगापुर ;

(7) भारतीय प्रदर्शनी, लंदन, ब्रिटेन।

(ग) खेल सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं/ उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) खेल सामान के निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता दी जा रही है।

(2) नायलान गट, एशवुड तथा बीचवुड, विलोक्लेफ्ट्स, फेदर्स तथा कार्क बाटम के आयातों की शुल्क मुक्त अनुमति दी गई है।

(3) खेल सामान के व्यापारी वर्ग और परिषद् को सहायता अनुदान सहित मेलों/ प्रदर्शनियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

(4) विदेशों में बिक्री दल/अध्ययन दल प्रायोजित करना।

(5) सरकार ने खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद् को 19 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1982 तक एशियाड 82 के समय खेल सामान मेला आयोजित करने की भी अनुमति दी है।

(घ) और (ङ) जी हां। भारतीय व्यापारियों को गैर-परम्परागत मदों की जानकारी देने के उद्देश्य से सरकार विदेशों में विभिन्न सर्वेक्षण दल/अध्ययन दल प्रायोजित कर रही है। सरकार खेल सामान के लिए शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना को भी प्रोत्साहन दे रही है। जहां तक खेल सामान का सम्बन्ध है निर्यातक समुदाय की किसी भी समस्या को हल करने के लिए निर्यातकों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं और इनके अच्छे परिणाम निकले हैं।

सरकार ने कांडला मुक्त व्यापार जोन में दो एकक स्थापित करने का भी अनुमोदन किया है जो स्लीपिंग बैग्स, स्की बाइन्डिग्स जैसी गैर-परम्परागत खेल सामान मदों का विनिर्माण करेंगे ।

वस्त्रों के लिए निर्यातोन्मुख परियोजनाएं

3294. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्रों के लिए निर्यातोन्मुख परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक नई योजना तैयार की है ;

(ख) क्या ऐसा निर्यात विशेषकर भारतीय फैबरिक के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का केवल निर्यात के लिए उत्पादित वस्त्रों की घरेलू बिक्री को स्वीकृति देने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार हमारे वस्त्रों और फैबरिक को खुले विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए आधुनिकतम मशीनों के आयात की अनुमति देने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना के लिए योजना के अन्तर्गत, जो निर्यात बढ़ाने के लिए पहले से ही बनाई गई है, वस्त्र भी आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत अस्वीकृत माल की केरल अनुमेय प्रतिशतता को ही घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति दी जाती है।

(घ) 1982-83 के लिए आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत वस्त्र मशीनरी की चुनिन्दा मदों के आयात के लिए अनुमति दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के आवासों पर सीमा शुल्क छापे

3295. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उ॰ र प्रदेश में सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे बरामद की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने 1982 के दौरान उत्तर प्रदेश में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय और निवासस्थान पर कोई छापा नहीं मारा।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई योजनायें

3296. श्री बापू साहिब पल्लेकर
श्री रवीन्द्र वर्मा } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक ग्रामीण विकास विभाग का सृजन किया गया है ;

(ख) क्या इस विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। इसे ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग कहा जाता है।

(ख) और (ग) यह विभाग सामान्यतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की देख रेख और विशेषतः ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन (मानिटरिंग) स्कंध के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण विकास की स्कीमें ऋण संस्थाओं और सरकार द्वारा तैयार की जाएंगी।

रुपयों में अदायगी करने वाले देशों तथा भारतीय रुपये मंजूर न करने वाले देशों से आयात और उनका निर्यात

3297. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश व्यापार के लिए रुपयों में अदायगी करने वाले देशों तथा भारतीय रुपये को स्वीकार न करने वाले देशों के साथ देश-वार आयात एवं निर्यात के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ;

(ख) व्यापार नीति तथा विनियम के द्वारा विदेशी मुद्रा के क्षेत्रों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) ऐसी किन-किन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है जो देश में उपलब्ध हैं और पिछले 3 वर्षों में विदेशी मुद्रा के रूप में उस पर कितना व्यय हुआ है और स्वदेशी वस्तुओं के लिए बाजार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1978-81 के दौरान रुपये में अदायगी करने वाले देशों (बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, सोवियत संघ, युगोस्लाविया तथा रुमानिया) को भारत के औसतन निर्यात लगभग 16 प्रतिशत किये गए जबकि रुपये में अदायगी न करने वाले देशों को औसतन निर्यात 84 प्रतिशत हुए। इसी अवधि के दौरान रुपये में अदायगी करने वाले देशों से भारत के आयात प्रति वर्ष औसतन लगभग 11 प्रतिशत हुए जबकि रुपये में अदायगी न करने वाले देशों से भारत के आयात 29 प्रतिशत थे ।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए देश की व्यापारिक तथा विनियम नीति के माध्यम से अनेक उपाय किये गये हैं। सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन तथा साथ ही आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिये उत्पादन की घरेलू बाधाओं को दूर करना है। घरेलू उत्पादन आधार का विस्तार किया जा रहा है तथा विविधीकरण किया जा रहा है ताकि क्रूड आयल, उर्वरक, इस्पात, आलोह धातु खाद्य तेल, आदि जैसी मदों का आयात प्रतिस्थापित किया जा सके। उसी समय आमतौर पर सरकार की नीति उन मदों के आयातों की जिनके लिए आन्तरिक सप्लाई उपलब्ध है अनुमति तब तक न देना है जब तक ये आयात देश की समग्र निकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने, कीमत स्थिर बनाये रखने और घरेलू कमियों की सम्भाव्यता को पूरा करने में समीकरण भंडार बनाये जाने के लिए अपेक्षित न हो ।

नौसेना रक्षा उत्पादन

3298. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नौसेना रक्षा उत्पादन, विशेष रूप से लड़ाकू जहाजों, पनडुब्बियों, विमान-वाहक-जहाजों आदि के उत्पादन को सुनिश्चित करने सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) अपने समुद्र-तटों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्य और क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में गार्डन रीच, मझगांव, विश्वाखापत्तनम, गोआ शिपयार्डों द्वारा क्या वास्तईक भूमिका निभायी जा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) अपने हित के क्षेत्रों में भौगोलिक-सामरिक परिस्थितियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और रक्षा योजनाओं को

बदलती परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जाता है। जहाजों को देश में ही बनाने के बारे में रक्षा मन्त्रालय के अंतर्गत गार्डन रीच, मझगांव डाक और गोआ शिपयार्ड की क्षमता का नौसेना तथा तट रक्षक संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के युद्धपोतों, पनडुब्बियों और दूसरी तरह के पोतों का उत्पादन करने के लिए अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा रहा है। नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम नौसेना के लिए किसी प्रकार के नए पोतों का निर्माण नहीं कर रहा है लेकिन नौसेना के पोतों की मरम्मत और ड्राई डाकिंग में उनकी मदद कर रहा है।

सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के विलय का लाभ

3299. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदेश सं० एफ-(3)-ई० बी०-82 दिनांक 8-4-82 के पेरा 3(111) (क) के अनुसार 320 पाइन्ट तक महंगाई भत्ते के विलय किये जाने पर जो कर्मचारी 31-1-82 से 29-6-82 के बीच सेवा निवृत्त हुये हैं, उन्हें आधे महंगाई वेतन के विलय का लाभ मिलेगा और जो 29-6-1982 के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई वेतन के पूर्ण विलय का लाभ मिलेगा ;

(ख) आधे महंगाई वेतन के विलय के लिए मई, 1979 के आदेश में पूरे छः महीनों को शामिल करने और अप्रैल, 1982 के आदेश द्वारा छः से भी कम महीनों को शामिल करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अप्रैल, 1982 के आदेश में अवधि को 5 महीने से भी कम न करने तथा 31-1-1982 से 30-5-82 के बीच की अवधि शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं और जो 31-1-1982 और 29-6-1982 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उनके साथ न्याय करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी हां।

(ख) मई, 1979 में जारी किए गए आदेश के अन्तर्गत, जिन्हें बाद में वित्त मन्त्रालय के 24-7-1979 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया था, मिलने वाले आधे/पूरे विलयन का लाभ उसी आधार पर था जो कि 8-4-1982 के आदेशों के मामले में था।

(ग) सम्भवतः इसका संकेत 29-6-1982 तक सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पूरे लाभ के विलयन की स्वीकृति की ओर है। सामान्य पेंशन नियमों के अन्तर्गत उक्त आदेशों का पूरा लाभ ऐसे कर्मचारियों को स्वीकार्य होता जिन्होंने 10 मास से अनाधिक अवधि के लिए

महंगाई वेतन प्राप्त किया हो। उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए महंगाई वेतन प्राप्त किया हो, तो इस कारण के पेंशन सम्बन्धी लाभ तदानुरूप अपेक्षाकृत कम होते। सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक रियायत के रूप में यह निर्धारित किया गया है कि जो कर्मचारी इन आदेशों के प्रभावी होने के 5 मास के अन्दर सेवा-निवृत्त होते हैं उन्हें महंगाई वेतन का 50 प्रतिशत तक लाभ दिया जाए जबकि इस अवधि के बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह लाभ पूर्णरूप से दिया जाए। अतः ये आदेश सामान्य नियमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों के मुकाबले में अधिक उदारीकृत थे।

बड़ी कम्पनियों को करों में छूट का लाभ

3300. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ी कम्पनियों को करों में दी गई छूट के लाभों की जांच करने के आदेश दिए थे क्योंकि ऐसा अनुमान था कि उनसे और मध्यम दर्जे की कम्पनियों से, जिनकी संख्या लगभग 1600 दी, राजकोष को प्रति वर्ष 500 से 800 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) काले धन और लेखा बाह्य धन को पकड़ने के लिए दिल्ली में पोश कालोनियों में किये गये सर्वेक्षण के परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मई, 1982 में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) को यह निदेश किया था कि वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कुछ बड़े घरानों से सम्बद्ध प्रमुख कम्पनियों का इस दृष्टि से नमूना अध्ययन करे कि जिससे पता लग सके कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में किए गए कर-निर्धारणों में उन्होंने कितनी कर-रियायतों का लाभ उठाया।

(ख) उक्त अध्ययन के मुख्य निष्पक्षों का सारांश, एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आयकर विभाग ने 3180 गृह-सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया है जिसके परिणामतः वर्ष 1979-80 के दौरान, जब सर्वेक्षण की इन कार्यवाहियों के अन्तर्गत गृह सम्पत्तियों को भी शामिल कर लिया गया था, धन कर सम्बन्धी 916 नए मामलों का पता लगा।

विवरण

जून, 1982 में निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच) द्वारा प्रस्तुत नमूना अध्ययन के अन्तर्गत 9 औद्योगिक समूहों से सम्बद्ध 49 कम्पनियों को लिया गया। था अध्ययन के प्रयोजनार्थ, इन 49 कम्पनियों से सम्बन्धित कुल मिलाकर 66 कर निर्धारणों की जांच की गयी थी।

2. इस अध्ययन से पता चलता है कि इन 66 कर निर्धारणों के अन्तर्गत आने वाले वर्षों के कुल लेखागत लाभ की राशि, 137.13 करोड़ रुपये बनी। तथापि, आरक्षित निधि, कर-व्यवस्थाओं आदि जैसी कतिपय राशियों के कारण समायोजन करने के बाद कुल समायोजित लेखागत लाभों की राशि, 228.89 करोड़ रुपए हुई। इसके विपरीत, कर लगने योग्य कुल आय 163.60 करोड़ रुपए बनती थी। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्थित विभिन्न कर प्रोत्साहनों के आधार पर कम्पनियों को, उनकी कर योग्य आय की संभावना में, कुल 66.19 करोड़ रुपये की कटौती का हक था। कर-प्रोत्साहनों के रूप में कुल कटौती कुल समायोजित लेखागत लाभों की 28.92 प्रतिशत बनी। इन प्रोत्साहनों के परिणामत: कर-राहत की कुल राशि 38.22 करोड़ रुपये बनी।

3. इन कर-निर्धारणों में संदेय आयकर अर्थात 96.80 करोड़ रु० की राशि 228.89 करोड़ रु० के समायोजित लेखागत लाभों का 42.29 प्रतिशत बनती है।

4. विभिन्न अनुमत्य कर-प्रोत्साहनों में से मुख्य पांच प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं :—

	कर-प्रोत्साहन	कर लगने योग्य आय की सम्भावना में अनुसत्य की रकम।
1.	आयकर अधिनियम की धारा 32क के अन्तर्गत निवेश छूट।	22.75 करोड़ रुपये
2.	आयकर अधिनियम की धारा 80ज के अन्तर्गत, नए औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में कर छूट।	10.63 करोड़ रु०
3.	समायोलित कम्पनियों का अन-वशोषित मूल्य ह्रास तथा संचित हानि जिसे आयकर अधिनियम की धारा 72-क के अन्तर्गत समामेलन के अनुमोदित मामलों में समामेलित कम्पनियों के कर-निर्धारण में समायोजित करने के लिए अनुमत्य किया जाता है।	5.50 करोड़ रु०
4.	आयकर अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत वैज्ञानिक-अनुसंधान पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में कटौती।	3.76 करोड़ रु०

1	2	3
5.	आयकर अधिनियम की धारा 80 ज के अन्तर्गत, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में, कर छूट ।	3.38 करोड़ रु०

तस्करी की कलाई घड़ियां जब्त करना

3301. **श्री सुभाष यादव**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री राम विलास पासवान } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 सितम्बर, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें बताया गया है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने 25 सितम्बर, 1982, शनिवार को अलसुबह एक पोत से 57.33 लाख रुपये से अधिक मूल्य की तस्करी से लायी गई कलाई घड़ियां जब्त की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) देश के समुद्र तट पर तस्करी की गति विधियां रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 24 और 25 सितम्बर, 1982 की रात को बम्बई के सीमाशुल्क निवारक समाहर्तालय के अधिकारियों ने, जो प्राप्त गुप्त सूचना के मुताबिक विशेष निगरानी रखे हुए थे, कूफे परेड-हाजी अली क्षेत्र में समुद्र-तट के समीप आता हुआ एक जलयान देखा । जब अधिकारी नरीमन प्वाइंट स्थित उस स्थान की ओर दौड़े तो जलयान वापस मुड़ गया तथा गहरे समुद्र की ओर जाने लगा । समुद्र में तथा सड़क पर गश्त की तत्काल व्यवस्था की गई ; मार्ग में जलयान को रोके जाने का खतरा महसूस होने पर कर्मीदल के सदस्य उसे बीच कैण्डी के पास किनारे तक दौड़कर ले गये और उन्होंने बच निकलने का प्रयास किया । भागे जा रहे कर्मीदल के सदस्यों में से एक को पकड़ लिया गया तथा गिरफ्तार कर लिया गया । इस कार्यवाही में कुल मिलाकर लगभग 62 लाख रुपये मूल्य के कलाई घड़ियों के 55 पैकेटों का अभिग्रहण किया गया ।

(घ) समुद्र के रास्ते होने वाली तस्करी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी, विशेषकर तस्करी के लिए सुगम्य पश्चिमी समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में, रखी जा रही है । हालांकि समुद्री गश्त

तेज कर दी गई है, फिर भी समुद्र तट रक्षक दलों को तैनात किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में समुद्र तटीय क्षेत्रों की छान-बीन करें और सहायक सड़कों पर गाड़ियों के यातायात की जांच करें। गश्त के लिए चलते-फिरते रात्रि दस्तों जैसे विशेष दस्ते बनाये गये हैं।

अहमदाबाद में पांच सितारा होटल

3302. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अहमदाबाद के औद्योगिक एवं-वाणिज्यिक-एवं-सांस्कृतिक-एवं-ऐतिहासिक महत्व को देखते हुये, अहमदाबाद में पांच सितारा होटल के निर्माण की बड़ी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना में अहमदाबाद में एक 5-स्टार होटल के निर्माण के लिए किसी प्रावधान की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

दरियों, चादरों और गलीचों का निर्यात

3303. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में दरियों, चादरों और गलीचों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जिन्हें ये वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं और वर्ष 1981-82 में इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्यात के लिये दरी और गलीचा निर्माताओं को कतिपय प्रोत्साहन दिये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विदेशों में दरियों चादरों तथा कालीनों की अच्छी मांग है।

(ख) इनका निर्यात मुख्य रूप से प० यूरोप, पूर्व यूरोप, उत्तर अमरीका, आस्ट्रेलिया, पूर्व एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा ओसीनिया के देशों को किया जाता है। 81-82 के लिए इन वस्तुओं के निर्यात के अनन्तिम आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(क) ऊनी कालीन नमदे सहित गलीचे तथा ड्रगेट 156.69 करोड़ रु०

(ख) हथकरघा फर्श बिछावन 2.91 करोड़ रु०

(ग) पलंग पोश तथा चादरें 43.85 करोड़ रु०

(ग) तथा (घ) कालीनों आदि के निर्यातों के बदले निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध है :—

1. नकद मुआवजा सहायता

1. ऊनी कालीन, गलीचे, टैपेस्ट्री गलीचे, नमदे (इनमें वे शामिल नहीं हैं जिनमें 30 प्रतिशत से कम ऊन का अंश हो), ऊनी चटाइयां तथा पट्टियां :—

(क) वे जिनका एफ० ओ० बी० मूल्य 250 रु० प्रति वर्ग मीटर से कम हो —7 प्रतिशत

(ख) वे जिनका एफ० ओ० बी० मूल्य 250 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो —17 प्रतिशत

2. कालीन, दरियां तथा बकरी के बाल की पट्टियां —7 प्रतिशत

3. सभी प्रकार के मशीन से बने ऊनी कालीन —5 प्रतिशत

2. आयात प्रतिपूर्ति

निर्यात उत्पादन	आयात प्रतिपूर्ति प्रतिशतता	आयात के लिए स्वीकृत सामग्री
1. ऊनी कालीन, ड्रगेट दरियां जिनमें वजन में 50 प्रतिशत से अधिक ऊन हो	10 प्रतिशत	(क) सोडियम हाइड्रो-सल्फइट (ख) पोलिथिलीनन मोल्डिंग पाउडर (ग) बूल वेस्ट
2. नमदे तथा गलीचे जिनमें वजन में 30 प्रतिशत से अधिक ऊन हो	15 प्रतिशत	(क) बूल वेस्ट (ख) पैकिंग सामग्री अर्थात् एल० डी० पी० ई० (10%)

3. निर्यातक, सरकार द्वारा निर्धारित रूप में शुल्क वापसी और ऊनी कालीनों के निर्यात

के सम्बन्ध में निर्यातकों को जारी किये गये आर० ई० पी० लाइसेंस के आधार पर कच्ची ऊन के शुल्क मुक्त आयात, प्रदर्शनियों तथा निर्यात संवर्धन सम्बन्धी अन्य गतिविधियों, में भाग लेने के लिए सहायता आदि जैसी अन्य सुविधाओं के भी पात्र हैं।

खनिज और धातु व्यापार निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या

3304. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1982 के दिन खनिज और धातु व्यापार निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की (संवर्गवार, पदवार) स्वीकृत संख्या और वर्तमान संख्या क्या है ;

(ख) उपरोक्त (क) की संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की (संवर्गवार, पदवार) संख्या क्या है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1977 से आज तक खनिज और धातु व्यापार निगम में ओ० एम० (लेखा), फील्ड आफिसर्स, ए० ए० एम० और ए० डी० एम० और समकक्ष संवर्गों में सृजित और भरे गये पदों की (संवर्गवार, पदवार, वर्षवार) संख्या क्या है ;

(घ) उपरोक्त (ग) की संख्या में से आरक्षित किये गये और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गये पदों की (संवर्गवार, पदवार, वर्षवार) संख्या क्या है ;

(ङ) क्या सरकार को प्रारम्भिक भरती में आरक्षण और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति के अनुचित क्रियान्वयन के बारे में अनुसूचित जाति उत्थान संघ, विशाखापत्तनम द्वारा की गयी शिकायतों की जानकारी है ; और

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 31.8.1982 को खनिज व धातु व्यापार निगम के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या तथा वर्तमान संख्या क्रमशः 492 तथा 469 है। इस संख्या में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिकारियों की संख्या क्रमशः 23 तथा 24 है।

जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है एकीकृति संख्या तथा वर्तमान संख्या क्रमशः 3,254 तथा 3,035 है। इस संख्या में से 282 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित तथा 78 अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है। संवर्गवार तथा पदवार स्थिति अनुबन्ध I में दर्शाई गई है।

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरेवार स्थिति अनुबन्ध-II में दर्शाई गई है।

(घ) इस सम्बन्ध में स्थिति अनुबन्ध-III में दर्शाई गई है।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5365/82]

(ङ) तथा (च) अनुसूचित जाति उत्थान संघ, विशाखापत्तनम, ने अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की प्रारम्भिक भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में समय-समय पर आरोप लगाए है। इन रिपोर्टों की जांच की गई और उन्हें निराधार पाया गया।

रक्षा बजट में वृद्धि

3305. **श्री ए० के० राय :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 25 वर्षों में रक्षा बजट में 20 गुनी वृद्धि हुई है, यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरे तथा वर्षवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यह वृद्धि आत्मनिर्भर रक्षा उद्योगों के विकास करने और उस अनुपात में अधिक पूंजी निवेश किए जाने के कारण हुई है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय रक्षा के स्वदेशीकरण पर निगरानी रखने वाला कोई संगठन उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 1957-58 में रक्षा व्यय 279.66 करोड़ रुपये था। 1982-83 के लिए बजट अनुमान 5,100 करोड़ रुपये है। इस प्रकार से वर्तमान कीमतों की तुलना में रक्षा व्यय में अठारह गुने की वृद्धि हुई है। तुलना के लिए यह 1957-58 की कीमतों से चार गुना बढ़ा है। 1957-58 से वर्षवार रक्षा व्यय विवरण में दिखाया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

बजट प्राक्कलन

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1957-58	279.66
1958-59	305.14
1959-60	275.42
1960-61	310.00

1	2
1961-62	314.93
1962-63	376.00
1963-64	867.23
1964-65	853.90
1965-66	878.79
1966-67	918.27
1967-68	963.37
1968-69	1015.26
1969-70	1110.00
1970-71	1151.51
1971-72	1241.66
1972-73	1408.36
1973-74	1600.00
1974-75	1915.00
1975-76	2274.00
1976-77	2544.00
1977-78	2751.53
1978-79	2944.97
1979-80	3050.00
1980-81	3600.00
1981-82	4200.00
1982-83	5100.00

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कोपरा और नारियल का तेल

3306. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के बाद आज तक राज्य व्यापार निगम अथवा गैर-सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात किए गए कोपरा और नारियल के तेल की मात्रा क्या है ; और

(ख) कोपरा और नारियल के तेल का भारत में प्रतिवर्ष कितना उत्पादन किया गया और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 1980 के बाद मार्गीकरण अभिकरण के रूप में कोपरा और नारियल के तेल का आयात नहीं किया है। गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा जनवरी तथा फरवरी 1981 के दौरान किए गए आयात का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

कोपरा	2,856 मै० टन
नारियल का तेल	5,777 मै० टन

फरवरी, 1981 के बाद की अवधि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

केरल में आय कर से छूट प्राप्त न्यास

3307. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन न्यासों, समितियों अथवा संस्थाओं की संख्या क्या है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(22) के अन्तर्गत आयकर से छूट दी गयी है ; और

(ख) उनके नाम तथा अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) केरल के उन न्यासों, समितियों (सोसाइटियों), संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचना जिन्होंने अपनी आय-विवरणियां दाखिल कर दी हैं और जिन्हें ऐसी विवरणियों पर, कर-निर्धारण वर्ष 1978-80 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(22) के अन्तर्गत कर से छूट दी गई है, उनके नाम, तथा संस्थापक का नाम, कुल निवेश, कुल सकल प्राप्तियां और कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 के लिए व्यय की मुख्य मदों के सम्बन्ध में ब्यौरा एकत्र किया जायगा तथा सदन पटल पर रख दिया जायगा।

दिल्ली में आई० टी० डी० सी० होटलों में कर्मचारियों की संख्या

3308. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आई० टी० डी० सी० द्वारा चलाये जा रहे होटलों में कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ख) उनमें से कितने प्रबन्ध कर्मचारी हैं और कितने गैर-प्रबन्ध कर्मचारी हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आई० टी० डी० सी० द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे 8 होटलों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 4527 है। अपेक्षित ब्रेक-अप नीचे दिया गया है :

प्रबन्धकीय	...	195
गैर-प्रबन्धकीय	...	4332
जोड़		4527

गैर सरकारी एजेंसियों से पुरस्कार मिलने पर खिलाड़ियों को करों में छूट देना

3309. श्री एस० बी० सिदनाल
श्री आर० पी० गायकवाड } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी एजेंसियों से पुरस्कार मिलने पर खिलाड़ी कराधान में छूट के पात्र नहीं होते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का कर नियमों की जांच करने और क्रिकेट के टेस्ट खिलाड़ियों सहित खिलाड़ियों को प्रोत्सान देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(17-क) में, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य या योग्यता के लिए अपना निर्धन, कमजोर और बीमार व्यक्तियों के कष्ट कम करने हेतु सेवा के लिए अथवा खेल या क्रीडाओं में प्रवीणता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जो किसी राज्य सरकार द्वारा घोषित या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित अनुमोदित पुरस्कार के अनुसरण में किए गए संदाय को, चाहे नकदी में हो या वस्तु रूप में, आयकर से छूट दिए जाने की व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए भाग (ख) के सम्बन्ध में, उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत को जर्मन संघीय गणराज्य से सहायता

3310. श्री एन० के० शेजवलकर
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 22 सितम्बर, 1982 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस

समाचार की जानकारी है कि भारत की जर्मन संघीय गणराज्य से कम विपक्षीय सहायता मिलने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा ऐसा निर्णय लिए जाने के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो त्रुटियों को सुधारने के लिए और जर्मन संघीय गणराज्य से सहायता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिसमें जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा 1983 के दौरान भारत को दी जाने वाली द्विपक्षीय सहायता में कमी करने का निश्चय किया गया हो ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सरकारी आवास में किरायेदारों के रूप में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राशन कार्ड

3311. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन विभाग के प्राधिकारी ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनको सरकारी आवास आवंटित नहीं होता परन्तु जो किरायेदार के रूप में वहां पर रहते हैं और जब उनको एक क्वाटर से दूसरे क्वाटर में अथवा उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है अपने विद्यमान राशन कार्ड स्थानान्तरित कराने और सम्पदा निदेशालय द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र मांगकर, जबकि सम्पदा निदेशालय ऐसा कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करता, परेशान करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह मांग केवल ऐसे मामलों में ही क्यों की जाती है जिनका स्थानान्तरण हो जाता है और अन्य लोगों से भी क्यों नहीं की जाती ; और

(ग) क्या कोई ऐसा पत्र सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें नया कार्ड प्राप्त करने, उसका नवीकरण कराने, उसको अलग-अलग कराने आदि की पूरी प्रक्रियाएं निहित हो ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं । दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये नवीनतम अनुदेशों के अनुसार सरकारी आवास में रहने वाले

या शेयर करने वाले गैर-आवंटियों को खाद्य-कार्ड उस आवास के आवंटी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संघ क्षेत्र दिल्ली में स्थायी रूप से रहने वाले या रहने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, जो एक नया पारिवारिक उपभोक्ता कार्ड प्राप्त करना चाहता है, उस क्षेत्र से सम्बन्धित मण्डल के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के पास आवेदन करना होता है, जहां वह रहता है अथवा रहना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, और उसे यह आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सत्य तथा सही जानकारी देते हुए देना होता है। आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी की सत्यता की जांच करने की दृष्टि से पूछताछ करने के बाद खाद्य कार्ड जारी कर दिये जाते हैं।

यदि कोई कार्डधारी लगातार छः सप्ताह तक वस्तुएं नहीं लेता है तो खाद्य कार्ड रद्द हो जाता है। ऐसे मामलों में यथोचित जांच-पड़ताल के बाद रद्द कार्ड के बदले में नया खाद्य कार्ड जारी कर दिया जाता है।

खाद्य-कार्ड को अलग-अलग कराने की अनुमति इन मामलों में दी जाती है:—

(क) जहां परिवार का कोई सदस्य अपनी शादी के कारण अलग हो गया हो ;

(ख) जहां परिवार का कोई सदस्य पृथक हो जाने/अलग व्यापार/रोजगार शुरू करने के कारण अलग हो गया हो ; और

(ग) जहां परिवार के मौजूदा सदस्यों ने गम्भीर विवाद/मतभेद की वजह से अपनी रसोई अलग-अलग कर ली हो।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 में संशोधन

3312. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक खाताधारियों को नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 में संशोधन का प्रस्ताव कब करेगी ;

(ख) इस संशोधन विधेयक को, जिससे देश के करोड़ों बैंक खाताधारियों को सहायता मिलेगी, लाने में विलम्ब के क्या विशेष कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव में खातेदारों को नामांकन सुविधा देने के वास्ते की गई

व्यवस्था को विधेयक के विस्तृत मसौदे में शामिल कर लिया गया है जिसको कि सरकार द्वारा अन्य अनेक बैंकिंग कानूनों में संशोधनों के साथ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है। इस मसौदा विधेयक को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के वास्ते प्रयास किये जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के सदस्यों द्वारा विदेशी वस्तुओं का बेचा जाना

3313. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के सदस्य जो विदेशों में निःशुल्क जाते हैं धन कमाने के लिए सिंगापुर और हांगकांग से बड़ी मात्रा में विदेशी वस्तुएं लाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर बेचने के लिए वस्तुएं खरीदने पर कोई रोक लगाने अथवा इस सुविधा को समाप्त करने और उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का हिसाब किताब इस प्रमाणपत्र के साथ सरकार को देने का विचार है कि वे वस्तुएं उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए है और वे बेची नहीं जायेंगी ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस प्रकार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जाम्बिया में संयुक्त क्षेत्र की बैंकिंग कम्पनी

3314. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक अधिकारियों ने जाम्बिया में संयुक्त क्षेत्र में बैंकिंग कम्पनी की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य बैंक, संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी स्थापित करने के सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रयास में सहयोग देंगे ; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त उपक्रम के ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) बैंक आफ़ बड़ौदा और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के सहयोग से जांबिया में बैंक आफ इंडिया द्वारा एक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के वास्ते सिद्धांत: मंजूरी दे दी गई है। सम्बन्धित बैंकों द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, इस प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे है।

वायुदूत सेवा के साथ अधिक स्थानों को जोड़ा जाना

3315. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर**
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक स्थानों को वायुदूत सेवाओं से जोड़कर उनके भारत के विमान मानचित्र पर लाया जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के राज्य वार नाम क्या हैं जिनको इस प्रयोजन के लिये चुना गया है और प्रत्येक मामले में उनको किस तारीख तक वायुदूत सेवा से जोड़ा जायेगा ; और

(ग) क्या ऐसे राज्यों को इसके लिए प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें पर्याप्त विमान सम्पर्क नहीं हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, हां।

(ख) विमान तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर सरकार की लगभग 34 और स्टेशनों के लिये वायुदूत सेवाओं का विस्तार करने की योजनाएं हैं। (विवरण संलग्न)।

(ग) जी, हां, बशर्ते कि आधार-संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों।

विवरण

उन स्टेशनों की सूची, जिन्हें वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है :

उत्तर प्रदेश	:	गाजीपुर, पंतनगर, राय बरेली
मध्य प्रदेश	:	जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर
उड़ीसा	:	झारसुगुडा
बिहार	:	पूर्णिया, भागलपुर

राजस्थान	:	कोटा, जैसलमेर, बीकानेर
गुजरात और (गोवा दमन दीव)	:	सूरत, दमन (राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के बाद दीव सहित चार केन्द्रों को भी सम्मिलित किया जाना है)
आंध्र प्रदेश	:	कुद्दापा, राजमुंदरी, वारंगल
महाराष्ट्र	:	नान्देड़
तमिलनाडू	:	तंजाउर, चेतीनाद, तिरुनेलवेली
कर्नाटक	:	मैसूर, हुबली, रायचूर
केरल	:	कालीकट
पश्चिमी बंगाल	:	कूच बिहार
अरुणाचल प्रदेश	:	एलोंग, जीरो, डपोरिजो, पासीघाट

नारियल तेल तथा नारियल का आयात

3316. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल तेल और नारियल का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले 2 वर्षों में किस-किस देश से किस-किस कीमत पर नारियल के तेल तथा नारियल का आयात किया गया ;

(ग) क्या नारियल विकास बोर्ड ने सुझाव दिया था कि देश में नारियल उत्पादकों के कल्याण के लिए नारियल के तेल तथा नारियल का आयात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ;

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रक्रिया है ; और

(ङ) देश में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नारियल के तेल तथा कोपरा का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से मार्गीकृत है। मार्गीकरण अभिकरण ने अभी तक कोई आयात नहीं किया है। पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में इन मदों के आयात के लिए सीमित व्यवस्था है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1979-80 तथा 1980-81 (फरवरी 1981 तक) के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। फरवरी 1981 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) नारियल विकास बोर्ड से एक अभ्यावेदन मिला है कि नारियल के तेल तथा कोपरा के आयात की अनुमति प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर भी नहीं दी जानी चाहिए। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सका। निर्यातों के बदले प्रतिपूर्ति के रूप में आयातों की अनुमति विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के लिए दी जाती है।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(मात्रा-मे० टन)
(मूल्य लाख रु० में)

क्रमांक	मद का विवरण	आई० टी० सी० रिवा० 2 कोड नं०	1979-806 मात्रा	1979-806 मूल्य	1980-81 (फरवरी, 81) मात्रा	1980-81 (फरवरी, 81) मूल्य
1.	**नारियल का तेल**	424.3000				
	मलयेशिया		—	—	1044	55.50
	सिंगापुर		—	—	5294	259.25
		योग	—	—	6338	314.75
2.	**कोपरा**	223.1000				
	मलेशिया		15	0.79	6996	276.93
	सिचल्स		—	—	1	0.04
	तंजानियां गणराज्य		452	18.54	3270	155.80
	अन्य पू० अफ्रीकी देश		—	—	1000	40.72
		योग	467	19.37	11267	473.49

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम है और संशोधित किए जा सकते हैं।

स्रोत : 1979-80—स्टास्टिक्ल आफ दी फारेन ट्रेड आफ इण्डिया, वाल्यूम II आयात, वाणिज्यिक अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता।

स्रोत : 1980-81—(फरवरी 1981 तक) : आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मन्त्रालय के कार्यालय में वाणिज्यिक अंक संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता से प्राप्त अग्रिम आंकड़े।

टोरोंटो में विश्व बैंक बैठक

3317. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोरोन्टो में विश्व बैंक अधिकारियों की हाल में हुई बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों ने आगामी 2 वर्षों में 3.5 बिलियन डालर की विश्व व्यापी निधि बनाने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को आगामी 2 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की कम से कम 30 प्रतिशत निधियां ऋण के रूप में देने का आश्वासन दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत को ऋण देने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) टोरोंटो में हाल में हुई विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में यह संकेत दिया गया था कि राजकोषीय वर्ष 1983 और 1984 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को लगभग 3.3 अरब डालर का बचनबद्धता प्राधिकार होगा। इसके पश्चात ऐसे संकेत मिलते रहे हैं कि इन बचनबद्धता राशियों में कुछ वृद्धि हो सकती है।

(ख) और (ग) इन बैठकों में विभिन्न देशों को किए जाने वाले सहायता के संवितरणों पर विचार नहीं किया जाता। किन्तु, जुलाई, 1982 में पेरिस में हुई सहायता संघ की बैठकों में यह संकेत दिया गया था कि बैंक के राजकोषीय वर्ष 1983 के दौरान बैंक समूह से भारत को उपलब्ध सहायता की राशि लगभग 2.2 अरब डालर होगी। इसके बाद यह संकेत मिले हैं कि इस राशि में से 3.1 अरब डालर की राशि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से उपलब्ध होगी राजकोषीय वर्ष 1984 के सम्बन्ध में साधनों के संवितरण पर अभी विरोध नहीं हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन दल द्वारा यात्रियों को अधिक राहत देने का सुझाव

3318. **श्री आर० बी० गायकवाड** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन के दल ने भारतीय हवाई अड्डों का दौरा किया था और यात्रियों एवं विमान कम्पनियों को अधिक राहत देने के लिये कुछ कदमों की सुझाव दिया था ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन दल ने उत्प्रवास तथा सीमा शुल्क नियंत्रण तथा अन्य समस्याओं में सुधार के भी सुझाव दिये थे ; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ के एक विकास परियोजना दल ने 24-6-80 से 30-6-80 तक भारत का दौरा किया। दल द्वारा की गयी सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(i) बहिर्गामी क्लीयरेंस प्रक्रिया के लिए यात्री माल-सूची अथवा नामावली की अपेक्षा का समाप्त किया जाना।

(ii) उत्प्रवास संरक्षणालय का विमान क्षेत्र से दूर पुनःस्थापित करना।

(iii) बहिर्गामी सीमा-शुल्क पहचान/यात्री सामान की जांच को समाप्त करना।

(iv) विमान क्षेत्र परिचालनों के अनुरूप एक सुरक्षा बल की स्थापना।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ के दल द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन तभी किया जाता है, जब कभी वे व्यवहार्य तथा हमारे राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप पाई जाती हैं।

50 रुपए और 100 रुपए मूल्य के करेंसी नोटों का मुद्रण

3319. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 50 रुपए और 100 रुपए मूल्य के करेंसी नोटों का मुद्रण रोकने का विचार है और वह उसके बदले सिक्के चलाने की आवश्यकता महसूस करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक गृहों के विरुद्ध कर अपवंचन के मामले

3320. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृहों तथा अन्यों के विरुद्ध कर अपवंचन के अनेक मामले अभी भी अम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो बड़े औद्योगिक गृहों के विरुद्ध ऐसे मामलों के ब्यौरे क्या हैं तथा उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन मामलों के तेजी से निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) प्रश्न में मांगी गई सूचना उन बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में हैं जिनमें से प्रत्येक की बहुत-सी सहायक कम्पनियां हैं तथा कर अपवंचन के ऐसे अन्य मामलों के बारे में है जिनकी संख्या बहुत अधिक है। प्रश्न के विस्तृत विषय-क्षेत्र को देखते हुए 31 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार 10 शीर्षस्थ औद्योगिक गृहों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। इन गृहों और कम्पनियों की शिनाख्त एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार उनके पंजीकरण के आधार पर की जा रही है और वह सूचना लोकसभा के सदन पटल पर रखी दी जाएगी।

पाक आर्मी में मैन पावर सब सब-स्टैंनशली शीर्षक समाचार

3321. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 सितम्बर, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "पाक आर्मीमैनपावर सब सब-स्टेन्शली" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट देखी है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा सैनिकों और साज़ सामान में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरायन) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के ब्यौरे बताना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) सरकार रक्षा तैयारियों की योजनाओं को अद्यतन बनाते समय इस प्रकार की सभी घटनाओं को ध्यान में रखती है।

पिल्लई समिति द्वारा की गई सिफारिशें

3322. **श्री फूल चन्द वर्मा**
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिल्लई समिति की रिपोर्ट में की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, जो सरकार को स्वीकार्य है ; और

(ख) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों के मानकन के लिए जुलाई, 1973 में प्रो० वी० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने जो अपने अध्यक्ष के नाम पर पिल्ले समिति की नाम से प्रसिद्ध है, मई, 1974 में अपनी रिपोर्ट पेश की । सरकार ने पिल्ले समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में सुझाव देने के लिए, सितम्बर, 1976 में बैंकरों का एक अध्ययन दल नियुक्त किया ; समिति ने कार्यान्वयन तरीके के बारे में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया और अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1977 में पेश की । सरकार ने बैंकरों के समूह द्वारा यथासंशोधित पिल्ले समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया । बैंकरों के समूह द्वारा यथासंशोधित उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें अनुबन्ध में दी गयी हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5566/82]

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों के अन्तः के बैंक स्थानांतरों से सम्बद्ध सिफारिशों को छोड़कर पिल्ले समिति की सभी सिफारिशें । जुलाई, 1979 से 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यान्वियन कर दी गयी हैं । इन सिफारिशों को 1 अक्टूबर, 1979 से यथावश्यक परिवर्तन सहित भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों में भी लागू कर दिया गया है । सरकार ने अप्रैल, 1980 में राष्ट्रीयकृत 6 बैंकों के अफसरों पर भी पिल्ले समिति योजना लागू करने का निर्णय किया है ।

परिचालन में नकली नोट

3323. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ऊंचे मूल्य के नकली करेंसी नोटों के परिचालन में आने की घटनाएं बढ़ रही हैं ;

(ख) करेंसी परिचालन में नकली नोटों के कितने मामलों का पता लगाया गया और वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 (जून के अन्त तक) इस प्रकार कितनी राशि जब्त की गई ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ बाहरी देश तस्करी के द्वारा नकली अथवा डुप्लीकेट भारतीय करेंसी को मार्किट में लगाकर भारत में आर्थिक संकट को और गंभीर बनाना चाहते हैं ;

(घ) क्या नकली अथवा डुप्लीकेट भारतीय करेंसी की छपाई करने वाले नकली छापेखानों का पता लगाया गया और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) देश में इस समय परिचालित नकली डुप्लीकेट करेंसी के बारे में अनुमान क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) देश के विभिन्न भागों में, समय-समय पर, नकली करेंसी नोटों के मामलों का पता लगा है। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि नकली मुद्रा से संबंधित अपराधों के लिए कानून में कठोर निवारक दण्ड की व्यवस्था है। इस प्रकार के गैर-कानूनी और राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों में लगे अपराधियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आर्थिक अपराध स्कन्ध में एक "कक्ष" नकली मुद्रा बनाने के अपराधों की जांच करता है। नकली जाली मुद्रा बनाने के मामलों की जांच राज्य पुलिस विभागों द्वारा स्वतन्त्र रूप में भी की जाती है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 1980 1981 और 1982 (जून के अन्त तक) के दौरान पता लगाए गए नकली नोटों की कुल संख्या और जब्त की गई राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	नोटों की कुल संख्या	कुल राशि
1980	22261	11,89,366/-रुपए
1981	6298	5,70,265/-रुपए
1982 (जून के अंत तक)	463	31,501/-रुपए

तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) देश के कतिपय भागों में कुछ विदेशी एजेंसियों की इस प्रकार की गतिविधियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(घ) हाल ही में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, दो मामलों में, एक महाराष्ट्र में और दूसरे पश्चिम बंगाल में, पुलिस द्वारा छपाई की मशीनें और ब्लाक जब्त किए गए हैं और इन मामलों की जांच की जा रही है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) यह संभव नहीं है कि परिचालन में नकली डुप्लीकेट करेंसी की संख्या का अनुमान लगाया जा सके।

भैंसों का निर्यात

3324. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवित भैंसों का दुबई तथा अन्य देशों को विदेशियों के लिए खाद्य के रूप में निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 (जून के अन्त तक) के दौरान कितनी भैंसों का निर्यात किया गया तथा उनके निर्यात से कितनी आय हुई ;

(ग) क्या निर्यात किये जाने वाले पशु के चयन का कोई मानदण्ड है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और इसके लिए कौन सा संगठन है ;

(घ) क्या जनता के आन्दोलन तथा जीव दया मण्डल के विरोध के कारण केरल से भैंसों का निर्यात रोक दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की भैंसों जैसे दुधारू पशुओं का मांस के लिए निर्यात करने के बारे में क्या नीति है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जीवित भैंसें (केवल निकृष्ट) तथा भैंसे, जिनका प्रजनन तथा भारवहन प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं होता, जीवित वजन के 5 रु० प्रति कि० ग्रा० की न्यूनतम निर्यात कीमत (एफ० ओ० बी०) तथा निर्यातकों द्वारा इस आशय की घोषणा की कि निर्यात के लिए प्रस्तावित जीवित भैंसें केवल निकृष्ट हैं, जो प्रजनन तथा भारवहन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, की शर्त के अधीन ओ० जी० एल० 3 के अन्तर्गत निर्यात करने की अनुमति है। जीवित भैंसों का निर्यात तथा उससे निर्यात आय निम्नलिखित अनुसार है :—

वर्ष	(मात्रा अददों में) मात्रा**	(मूल्य लाख रु० में) मूल्य**
1979-80	1334	26.90
1980-81	7700	140.53
1981-82 (अप्रैल-मई)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(घ) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) मांस के लिए दुधारू पशु के निर्यात पर रोक है।

**आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महा निदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इण्डिया से लिये गये हैं।

विदेशी ऋण

3325. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में विदेशी ऋण की कुल धनराशि में वृद्धि होती रही है। गत तीन वर्षों में समाप्तियों पर विदेशी ऋण के आंकड़े दें ;

(ख) विदेशी ऋण की वापस अदायगी हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है और क्या कोई देश ऋणों को आंशिक तौर पर अथवा पूरी तरह बट्टे खाते में डालने अथवा उन्हें दीर्घावधि ऋणों में तब्दील करने हेतु सहमत हो गया है ;

(ग) उन ऋणों का ब्यौरा क्या है जिनकी वापस भुगतान करने की माफी अवधि सहित अवधि पूरी हो गई है ; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान ऋण की धनराशि खर्च की गई थी और आत्मनिर्भरता की ओर उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर ऋणों के सम्बन्ध में बकाया विदेशी ऋण इस प्रकार रहा :—

इस तारीख को	राशि (चालू दरों पर करोड़ रुपए)
1-4-1980	12178.42
1-4-1981	13479.27
1-4-1982	15444.77

(ख) विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी प्रत्येक ऋण के लिए हस्ताक्षरित करार में दी गई परिशोधन अनुसूची के अनुसार की जाती है। कोई भी देश ऋणों को आंशिक रूप से या पूरी तरह बट्टे खाते डालने अथवा उन्हें दीर्घावधिक ऋणों में परिवर्तित करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। लेकिन आस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और जापान जैसे देशों ने ऋण राहत की व्यवस्था की है।

(ग) ऋणों की वापसी अदायगी करारों में सम्मत रियायती और वापसी अदायगी की

अवधि के भीतर की जा रही है। इस तरह ऐसा कोई ऋण नहीं है जो वापसी अदायगी और रियायती अवधि समाप्त होने पर बकाया रहा हो।

(घ) सहायता का इस्तेमाल बिजली, रेलों, तेल और गैस, इस्पात, उर्वरक, सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार के 1982-83 के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध-IV में दिया गया है जो पहले ही संसद में पेश किया जा चुका है। आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न परियोजनाओं के काम में हुई प्रगति के प्रभाव को अलग से बताना कठिन है। फिर भी, इन वर्षों में अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर स्वावलम्बी होती गई है, यद्यपि विदेशी सहायता अब भी सीमान्तिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात में कमी

3326. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में कोई गिरावट रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	रु० (करोड़ में)
1979-80	398.77
1980-81	481.36
1981-82	669.80

अनन्तिम

स्त्रोत : अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

3327. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने कार्य कर रहे 166 सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ-

प्रदता एवं वास्तविक उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 1981-82 के लिए कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का मूल्यांकन क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा इन सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 के दौरान लाभकारिता के रूप में सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन उद्यमों के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप न दे दिया जाय और उनकी लेखा परीक्षा न हो जाए। अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर, सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन से यह दिखाई पड़ता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें, जो अनंतिम हैं, इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
बिक्री	35853.96
मूल्यह्रास कर और ब्याज की व्यवस्था के बाद कुल निवल लाभ	403.70
(कम्पनियों की संख्या)	(169)
कर और ब्याज से पहले (मूल्यह्रास के बाद) सकल लाभ	2482.06
(कम्पनियों की संख्या)	(169)
लगी पूंजी	21393.68
लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ का प्रतिशत	11.60

1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में काम में आने वाली प्रमुख औद्योगिक सामग्री तथा अन्य आधारभूत माल के उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

इस्पाती डले (लाख टन)	66.4
कोयला (लाख टन)	1096.03
कच्चा तेल (लाख टन)	162
उर्वरक (एन) (लाख टन)	16.26

प्रशासनिक मन्त्रालय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन का निरन्तर परिवीक्षण करते रहते हैं। इनके कार्य-निस्पादन को बेहतर बनाने में सरकारी उद्यम कार्यालय प्रशासनिक मन्त्रालयों और सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों की मदद करता है। इस मूल्यांकन के कारण उद्यमों के कार्य-निष्पादन में जिन खामियों का पता चलता है, उनकी जानकारी प्रशासनिक मन्त्रालयों को दी जाती है, ताकि उस पर समुचित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

अमरीका में अमेरिकी और भारतीय व्यापारियों को वित्त मन्त्री का आश्वासन

3328. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अपनी अमरीकी यात्रा के दौरान उन्होंने अमरीकी और भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को यह आश्वासन दिया था कि भारत में विदेशी पूंजी निवेश सुरक्षित है तथा निकट भविष्य में उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोका-कोला और आई० बी० एम० को भारत में अपने उद्योग शुरू करने की अनुमति दी जाएगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें न्यूयार्क में हुए विचार-विमर्श के बारे में बताया गया है।

विवरण

(क) 12 सितम्बर, 1982 को न्यूयार्क में अमरीकी तथा भारतीय दोनों, उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक के दौरान, मैंने विदेशी गैर-सरकारी निवेश के प्रति हमारी सरकार की नीति की व्याख्या की थी और यह बता दिया था कि इस प्रकार का निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया जा सकता है और किन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों की अपनी-अपनी भूमिका और भारत में निवेश सम्बन्धी वातावरण में विद्यमान स्थिरता का भी उल्लेख किया था। मैंने यह भी बताया था कि जब एक बार किसी विदेशी उद्यम को सरकार की घोषित नीति की परिधि के अन्दर स्थापित होने की अनुमति दे दी जाती है, तब घरेलू उद्यमों के मुकाबले में उस उद्यम से किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि लोक-नीति और लोकहित के अनुसरण में की जाने वाली राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्यवाही को छोड़कर, किसी भी घरेलू या विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की नीति भारत सरकार की नहीं है।

(ख) इन दो कम्पनियों ने देश में अपना कारबार समाप्त करने का फैसला इसलिए किया था, क्योंकि वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत इन पर लागू अपेक्षाओं को

पूरा नहीं कर सकी थीं । इनको भारत में अपना कारबार दुबारा शुरू करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि ये विदेशी निवेशों सम्बन्धी सरकार की घोषित नीति की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए नए सिरे से कारबार शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र न दे दें।

कलकत्ता पटसन मिलों में बारी-बारी से तालाबन्दी

3329. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने कलकत्ता पटसन मिलों में 1981 से बारी-बारी से तालाबन्दी लागू कर रखी है ;

(ख) क्या कलकत्ता की पटसन मिलों में बारी-बारी से इस प्रकार तालाबन्दी के कारण लगभग 50 से 60 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता की पटसन मिलों में बारी-बारी से यह तालाबन्दी पश्चिम बंगाल सरकार से अनुमति प्राप्त करके की जा रही है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार का बारी-बारी से तालाबन्दी करने की इस प्रणाली के कारण मिलों से बेकार हुए श्रमिकों को रोजगार देने के लिये इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन को बारी-बारी से तालाबन्दी करना छोड़ देने और कलकत्ता में सभी रुग्ण पटसन मिलों को खोलने के लिए बाध्य करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं। तथापि, पिछले दो वर्षों में तालाबन्दी की घटना में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, जो उद्योग द्वारा उठाई गई विभिन्न कठिनाइयों के कारण मई-अगस्त 1982 के दौरान उच्च स्तर पर पहुंच गई ।

(ख) इस समय 12 मिलें बन्द/तालाबन्दी की स्थिति में हैं जिनमें लगभग 37,140 कामगार काम कर रहे थे।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

अन्तरिक्ष में संयुक्त उड़ान के लिए अन्तरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण

3330. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पायलटों का चयन कर लिया है और उन्हें अन्तरिक्षयान में संयुक्त उड़ान के लिए अन्तरिक्ष यात्रियों के रूप से प्रशिक्षण के लिए सोवियत संघ भेज दिया है ;

(ख) अन्तरिक्षयान में संयुक्त प्रशिक्षण के लिए सोवियत संघ ने पायलटों की मांग कब की थी और पायलटों के चयन में उतनी अधिक देरी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तरिक्ष प्रशिक्षण के लिए पायलटों के चयन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन क्या थे और क्या पायलटों के चयन में इन मार्गदर्शनों का पालन किया गया था ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां ।

(ख) अंतरिक्ष यात्रियों के चयन और प्रशिक्षण का शिड्यूल दोनों देशों के विशेषज्ञों ने निर्धारित किया है । इनके चयन में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) पायलटों के चयन के लिए सोवियत संघ की सरकार के साथ परामर्श करके विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए गए थे । इन सिद्धांतों के अन्तर्गत चयन की विस्तृत प्रक्रिया शामिल की गई थी जिसमें भारतीय और सोवियत विशेषज्ञों द्वारा पायलटों की डाक्टरी और मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी शामिल थी जिसका पालन किया गया ।

समुद्री उत्पादों पर कृत्य बल

3331. **श्री नरसिम्हा रेड्डी**
श्री एस० एम० कृष्ण } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादों विषयक कृत्य बल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने किन-किन मुख्य सिफारिशों को स्वीकार किया है और उनको कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) समुद्री उत्पादों से सम्बन्धित कार्य दल ने 10.9.1982 को इस मन्त्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । कार्य दल द्वारा 120 सिफारिशें की गई हैं जिन पर विचार किया जा रहा है । सरकार जिन सिफारिशों को स्वीकार करेगी उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा ।

अण्डों का निर्यात

3332. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा अण्डों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अण्डों का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है ;

(ग) कितने प्रतिशत अण्डों का निर्यात किया जाता है और किस मूल्य पर ;

(घ) क्या निर्यात के कारण घरेलू बाजार में अण्डों की कीमतों में वृद्धि हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो अण्डों के निर्यात को बनाए रखने के साथ-साथ मूल्यस्तर को भी बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जिन मुख्य देशों को अण्डों का निर्यात किया जा रहा है उनमें ये शामिल हैं :—

यूनाइटेड अरब अमीरात, कतार, यमन अरब गणराज्य, ओमान, सऊदी अरब तथा कुवैत।

(ग) निर्यात की मात्रा अण्डों के अनुमानित उत्पादन की नाममात्र 0.8% की बैठती है। इसकी पहले से ही न्यूनतम कीमत है और निर्यात की 40 रु० प्रति सैकड़ा एफ० ओ० बी० की न्यूनतम निर्यात कीमत है अध्ययधीन अनुमति दी जाती है।

(घ) जी नहीं। चूंकि निर्यात मुश्किल से उत्पादन का 0.8% होता है, इसलिए इसका घरेलू कीमतों को बढ़ाने में विशेष प्रभाव नहीं हो सकता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी गोदावरी जिले की आदिवासी पट्टी में कॉफी बागान

3333. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले की आदिवासी पट्टी में कॉफी बागान के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) आन्ध्र प्रदेश में हालांकि राज्य सरकार द्वारा स्थापित आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम तथा गिरिजन सहकारी निगम कॉफी विकास कार्यक्रमों के लिए प्रभारी है फिर भी कॉफी बोर्ड इस समय अपने चिन्तापली स्थित क्षेत्रीय गवेषणा केन्द्र तथा विशाखापत्तनम जिले में मिनिमुलूर स्थित प्रादेशिक क्षेत्रीय योगात्मक केन्द्र की मार्फत गवेषणा तथा विस्तार सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कॉफी बोर्ड घरी हुई बीज सामग्री भी सप्लाई कर रहा है और कॉफी बागान में लगे कामगारों को प्रशिक्षण

—0

सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड अपने विकास कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में ऋण तथा उपदान दे रहा है।

(ख) कॉफी बागान के लिए आवश्यक निवेश और इसका विस्तार राज्य निगमों द्वारा किया जाता है। कॉफी बोर्ड ने अपनी ओर से 1979-80 के बाद (अगस्त, 1982 तक) आन्ध्र प्रदेश को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :—

(1) विस्तार उपदान 10,71,720/-रु०

(2) किराया खरीद ऋण 60,20,150/-रु०

काफी उत्पादन द्वारा अधिक लाभ से प्रोत्साहित होकर तथा इसके द्वारा स्थायी पुनर्वास होने के कारण इस फसल के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में अनेक आदिवासी परिवारों ने काफी उत्पादन आरम्भ किया है। पूर्व गोदावरी जिले में काफी के अन्तर्गत वर्तमान क्षेत्र लगभग 123 हैक्टर है।

एशियाड के दौरान दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

3334. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाड के दौरान दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में आशंकाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से एशियाई खेल, 1982 के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकताओं की पुनरीक्षा करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। उपर्युक्त के आधार पर चुनी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टाक बनाने के लिए प्रबन्ध कर दिये गये हैं, ताकि एशियाई खेलों के दौरान ये आसानी से मिल सकें तथा इनके मूल्य स्तर को बनाये रखा जा सके। दिल्ली प्रशासन के खाद्य विभाग का प्रवर्तन विंग भी विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों के कार्य पर पूरी नजर रखेगा।

आशा है कि उपर्युक्त उपायों से एशियाई खेल, 1982 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अवांछित वृद्धि को रोका जा सकेगा।

रुपए का अवमूल्यन

3335. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से रुपये का मूल्य पाउण्ड तथा डालर के साथ कितनी बार घटाया और बढ़ाया गया ; और

(ख) पिछले मूल्य सूचकांक के अनुसार अब रुपये का तुलनात्मक मूल्य क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रुपये का विदेशी मूल्य, जो 25 सितम्बर, 1975 से लागू हुआ है, उप देशों की मुद्रा की भारित डलिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है जो व्यापार में भारत के मुख्य भागीदार हैं और इसमें पाउण्ड स्टर्लिंग मध्यवर्ती मुद्रा होती हैं। विश्व बाजार में अन्य मुद्राओं की विनिमय दरों में जैसे परिवर्तन होते हैं, पाउण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये की विनिमय दर में भी परिवर्तन होता है और तदनुसार उसमें समायोजन किया जाता है। इस प्रबन्ध के अन्तर्गत पहली जनवरी 198 : से 20 अक्तूबर, 1982 की अवधि के दौरान पाउण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की विनिमय दर में 91 बार बढ़ायी गयी तथा 90 बार घटायी गयी।

रुपए तथा अमरीकी डालर के बीच विनिमय दर प्रतिदिन निकाली जाती है, जिसका हिसाब लगाने के लिए चालू पाउण्ड स्टर्लिंग को प्रयोग में लाया जाता है और लंदन के बाजार में इससे पहले दिन की पाउण्ड स्टर्लिंग अमरीकी डालर की दर का प्रयोग करते हुए उसे रुपया, — अमरीकी डालर में अंतरित किया जाता है। चूंकि, विश्व बाजार में पाउण्ड स्टर्लिंग अमरीकी डालर की दर प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए रुपए तथा अमरीकी डालर के बीच की विनिमय दर भी लगभग प्रतिदिन बदलती रहती है।

(ख) देश में रुपए की क्रय शक्ति जैसी कि अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युतक्रम से मापी जाती है, 1960 को आधार मान कर अगस्त 1982-(नवीनतम उपलब्ध) के लिए 20.49 पैसे बैठती है।

बम्बई में मारे गये छापों में दस्तावेज जब्त किया जाना

3336. **श्री भीखाभाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर बम्बई में चालू वर्ष में प्रतिमास औद्योगिक गृहों, आभूषण व्यापारियों, सिनेमा गृहों तथा अन्यों पर कितने छापे मारे गए ;

(ख) उनके दौरान चल सम्पत्ति/डिबेन्चरों/शेयर सर्टिफिकेट्स/विक्रय/खरीद सम्बन्धी कितने दस्तावेज जब्त किये गये ; और

(ग) क्या सरकार की चल सम्पत्ति को रोक रखने की नीति है हालांकि उक्त मदों के सम्बन्ध में आयकर अथवा धन कर में विवरणियां दाखिल की गई हों ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) महोदय, चालू वर्ष के विभिन्न महीनों में, बम्बई महानगर में ली गई तलाशियों की संख्या तथा पकड़ी गई प्रथम

दृष्ट्या लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है :—

माह	ली गई तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई प्रथम-दृष्ट्या लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य
जनवरी, 1982	112	37.51
फरवरी, 1982	325	80.26
मार्च, 1982	62	23.25
अप्रैल, 1982	88	82.45
मई, 1982	9	19.39
जून, 1982	82	.1984
जुलाई, 1982	82	66.64
अगस्त, 1982	112	67.09
सितम्बर, 1982 (अनन्तिम)	119	107.36

(ग) पकड़ी गई परिसम्पत्तियों को, कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप देकर निकाली गई कर मांगों के प्रति विनियोजित कर दिया जाता है तथा कर-मांगों से अधिक परिसम्पत्तियों को यदि कोई हों तो, सम्बन्धित व्यक्तियों को वापस कर दिया जाता है।

वित्त मन्त्रालय में सी० एस० एस० एस० विभाग में निजी सचिवों और वरिष्ठ निजी सहायकों के ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3337. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय/विभागों में सी० एस० एस० एस० में कुल कितने निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सहायक हैं ;

(ख) उनके मन्त्रालय में सी० एस० एस० एस० विभाग में निजी सचिवों और वरिष्ठ निजी सहायकों के ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कितने प्रतिशत स्थान हैं।

(ग) क्या यह सच है कि निजी सचिवों/वरिष्ठ निजी सहायकों के ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दो प्रतिशत अधिकारी भी नहीं है ;

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित पदों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार की नीति क्या है और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वित्त मन्त्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिवों के 29 पद और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के 86 पद हैं।

(ख) इन ग्रेडों में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या को हिसाब में लेने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निजी सचिवों तथा वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों का प्रतिशत क्रमशः लगभग 17.2 और 4.6 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) निजी सचिवों और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण सम्बन्धी सरकार के आदेशों का पूर्ण सावधानी से अनुपालन किया जा रहा हैं। उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए अलग जोन निर्धारित किए गए हैं। ये सामान्य वर्ग में आने वाले अधिकारियों पर लागू जोनों की अपेक्षा अधिक उदारीकृत हैं। पिछले निर्धारित जोनों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उपलब्ध उम्मीदवारों को, जिन्होंने पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा शर्त को पूरा कर लिया है, इन ग्रेडों में पदोन्नत किया गया है और निजी सचिवों के ग्रेड के लिए कुछ व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है हालांकि वे पदोन्नति के निर्धारित जोन से बाहर हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामांकन

3338. **श्री भीखा भाई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्नियमों में ऐसी कोई विशेष धारा नहीं जो सभी सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों के गैर-सरकारी नामांकन पर रोक लगाये ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं कि उद्योग, वाणिज्यिक प्रशासन, मजदूर संगठनों अथवा सामाजिक क्षेत्रों में से सरकारी क्षेत्र में

विश्वास रखने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के योग्य व्यक्तियों का गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशकों के रूप में नामांकन क्यों नहीं किया जाता ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्कृष्ट व्यक्तियों का नामांकन करने की कोई सिफारिशें उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) उनके मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों एवं उनकी उपकम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके बोर्डों में गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशकों का नामांकन किया जाना है और उनका कार्यकाल क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामांकित करने में अन्तर नियमावली से कहीं भी कोई रोक नहीं लगती है।

(ख) गैर-सरकारी निदेशकों के पद पर नियुक्ति उस क्षेत्र में अभ्यार्थि की पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार पर की जाती है। इसके लिए जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) रक्षा मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित नौ उपक्रम आते है :—

1. हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर
2. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर
3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर
4. मझगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई
5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा
7. प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद
8. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
9. मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद

(टिप्पणी : गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड की एक सहायक यूनिट है।)

अन्तर नियमावली में इन उपक्रमों में गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है।

सी.एस.एस.एस. में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सहायकों की श्रेणी में आरक्षण

3339. **श्री भीजा भाई** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में 1 जनवरी, 1982 को सी एस एस एस काडर में कुल कितने निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सहायक थे;

(ख) 1 जनवरी, 1982 को उपर्युक्त भाग (क) में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या प्रतिशत है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सहायकों के ग्रेड में दो प्रतिशत अधिकारी भी उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ग्रेडों के लिए उनके मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सी एस एस एस में निजी सचिवों और वरिष्ठ निजी सहायकों के ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अद्यतन प्रतिनिधित्व देने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) 1 जनवरी, 1982 को रक्षा मन्त्रालय में निजी सचिवों और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" और "ख") के 18 पद थे। इनमें से एक पद अर्थात् कुल संख्या का 5·55% पर अनुसूचित जाति का सदस्य नियुक्त था। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए आदेशों में वर्णित सरकारी नीति के अनुसार इन दोनों ग्रेडों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में कारवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

सेना के अधिकारियों के पदों के लिए विज्ञापन

3340. **श्री जी. नरसिन्हा रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना अधिकारियों के पदों के कुल कितने रिक्त स्थानों को विज्ञापित किया गया है;

(ख) उन केन्द्रों की कुल संख्या और उन समाचार पत्रों/माध्यमों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से उन पदो को विज्ञापित किया जा रहा है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षा में भाग लेने वाले और चुने गए उम्मीदवारों की केन्द्रवार कुल संख्या कितनी है ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचित थल सेना अफसरों के पदों की कुल संख्या 4101 है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली रक्षा सेवा परीक्षाओं के लिए 30 केन्द्र हैं। जिन समाचार पत्रों/प्रचार माध्यमों के माध्यम से इन पदों को विज्ञापित किया जा रहा है उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जो उम्मीदवार 1979, 1980 और 1981 की अवधि में सम्मिलित रक्षा सेवाओं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं में बैठे थे उनके बारे में केन्द्र-वार विवरणों को दिखाने वाले दो विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5566/82**]

उपर्युक्त परीक्षाओं की लिखित परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के आधार पर जिन अन्ययार्थियों की नियुक्ति की सिफारिशकी गई उनकी संख्या वाले दो विवरण भी संलग्न हैं। हालांकि उनका चयन चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इन उम्मीदवारों की संख्या केन्द्रवार अलग-अलग नहीं बनाई जाती है।

"स्पेन ट्रेडस शूज फार प्लेन्स" शीर्षक से समाचार

3341. **श्री ए० के० राय** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "पेट्रियट" दिनांक 15 अगस्त 1982 में "स्पेन ट्रेडस शूज फार प्लेन्स विद दी यू०एस०ए०" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या एक प्रमुख चर्म निर्यातित देश होने के नाते भारत के विकशित देशों को इस प्रकार की पेशकश करने को कोई योजना है यदि हाँ, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी हां।

(ख) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाधीन नहीं है।

चीन के साथ व्यापार

3342. **श्री नीरेन घोष** :क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन की अर्थव्यवस्था और भारत की व्यवस्था एक दूसरे की अनुपूरक हैं;

(ख) गत दो वर्षों में भारत और चीन के बीच कितना व्यापार हुआ है; और

(ग) व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत तथा चीन के विकास के वर्तमान स्तर को देखते हुए दोनों अर्थव्यवस्थाएँ अनुपूरक की तुलना में अधिक प्रतियोगी हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत तथा चीन के बीच व्यापार की राशि नीचे दी गई है

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	चीन को निर्यात	चीन से आयत	शेष
1979-80	2048	2624	(—) 576
1980-81	2363	8199	(—) 5836

(ग) भारत तथा चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच अनेक प्रतिनिधिमण्डलों के आदान प्रदान हुए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा साईकल रिक्शा चालकों को ऋण

3343. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नगर निगम तथा अन्य प्राधिकारी साईकल रिक्शाओं के मालिकों को लाइसेंस जारी करते हैं रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों को नहीं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि आमतौर पर रिक्शा चालक बहुत निर्धन होते हैं और वे अपनी रिक्शा नहीं बना सकते; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को रिक्शा खरीदने हेतु ऋण देने के लिए निदेश देने का है ?

वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) सभी नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

परन्तु यह मालूम हुआ है कि दिल्ली नगर निगम रिक्शा चालकों को उनकी शारीरिक स्वस्थता के आधार पर लाइसेंस जारी करता है।

दिल्ली नगर निगम ने केवल उन पात्र रिक्शा चालकों को, जो स्वयं रिक्शाओं के मालिक हों, नये लाइसेंस जारी करने की एक योजना तैयार की है। लेकिन न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञाएँ जारी किए जाने के कारण यह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के अन्तर्गत रिक्शा के स्वामित्व के लिए रिक्शा चालकों को रियायती शर्तों पर ऋण देने के लिए बैंकों के पास से पहले ही योजनाएँ मौजूद हैं।

उड़ीसा के लघु किसानों के ऋण माफ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति

3344. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में बाढ़ की हालत को ध्यान में रखते हुए लघु किसानों द्वारा सहकारी संस्थाओं से लिए गए ऋण माफ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऋणों के रूप में कितनी राशि दी गई है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में अनुमति दे दी है ?

वित्त मन्त्री (**श्री प्रणव मुखर्जी**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी संस्थाओं की देय रकमों को निबन्ध रूप से बट्टे खाते डालने के पक्ष में नहीं है। स्थायी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, ऋणों की अदायगी का कार्यक्रम फिर से निर्धारित करने, फसली ऋणों को मध्यमावधि ऋणों में परिवर्तन करने तथा नये ऋण प्रदान करने आदि के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सहायता सुलभ कराई जाती है। केन्द्रीय दल हानि का मूल्यांकन भी करते हैं तथा उनकी सिफारिशों पर, राहत कार्य के व्यय के वास्ते सम्बद्ध राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाती है।

उड़ीसा में बैंकों की शाखायें

3345. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में औसतन कितने व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है और उसका समग्र राष्ट्रीय अनुपात क्या है।

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा और पूरे देश के बीच अनुपात में बहुत अंतर है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या है और इस असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए गए है;

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की

शाखाओं में ऋण और जमा धनराशि का अनुपात क्या है और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय औसत क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इसमें बहुत अन्तर है और यदि हां, तो उसके कारण क्या है और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (**श्री प्रणव मुखर्जी**) :(क) से (ग) राष्ट्रीयकरण की अवधि के बाद शाखा विस्तार नीति पर जोर देने का उद्देश्य यह रहा है कि बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को कम किया जाए। जून, 1969 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में औसतन 2,12000 लोगों के लिए एक शाखा थी जबकि समूचे देश के लिए औसतन 65,000 लोगों (1961 की जनगणना के अनुसार) के वास्ते एक शाखा थी। मार्च, 1982 तक यह असमानता काफी कम हो गई है—उड़ीसा में 22000 लोगों के लिए एक शाखा है जबकि इसकी तुलना में समूचे देश के लिए 18000 लोगों (1981 की जनगणना के अनुसार) के लिए एक शाखा है। 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के लिए वर्तमान बैंक शाखा लाइसेंसिंग नीति इस प्रकार तैयार की गई है कि इस प्रक्रिया का और आगे विस्तार हो। इस नीति के अनुसार मार्च, 1985 के अन्त तक, 1981 की जनगणना के आधार पर, ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में औसतन 17000 की आबादी के लिए एक बैंक कार्यालय की व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले जारी किए गए लाइसेंसों तथा बैंकों के पास कार्यान्वयन के लिए पड़े लाइसेंसों के अलावा उक्त नीति की अवधि में उड़ीसा के सभी जिलों के उन ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां प्रति बैंक कार्यालय औसत आबादी 17,000 (1981 की जनगणना) से अधिक है, 350 अतिरिक्त कार्यालय खोले जाने की आशा है।

(घ) दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण जमा अनुपात क्रमशः 97·5 प्रतिशत तथा 53.8 प्रतिशत था जबकि समूचे देश में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं का औसत अनुपात क्रमशः 60·6 प्रतिशत तथा 51·4 प्रतिशत था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। किन्तु यह उल्लेख किया जा सकता है कि बैंकों से कहा गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की गति तेज करें, ताकि मार्च, 1985 तक इन क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले ऋण का अंश, कुल ऋण के 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाए। उक्त तारीख तक कृषि और सम्बन्धित कार्यकलापों के क्षेत्र के लिए ऋण राशि, कुल ऋण के 16 प्रतिशत के बराबर निश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की रफ्तार को बढ़ाने के उद्देश्य से और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जा रहे हैं तथा उनके लिए सुलभ पुनर्वित की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि इन उपायों से उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की गति बनी रहेगी तथा उसमें और वृद्धि भी होगी।

देश में विमान मार्गों के लिए विमानों की संख्या में वृद्धि

3346. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्यमान विमान मार्गों और प्रस्तावित "फीडर" सेवाओं के लिए विमानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस देश में विमान यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु ये आवश्यकताएँ पूरी करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजनाएँ हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में "वायुदूत" कहां तक सहायक हो सकता है ?

नागर विमानान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) सरकार आधार संरचनात्मक सुविधाओं के उपलब्ध होने पर और भी नए स्थानों को वायुदूत सेवाओं से जोड़ना चाहती है । वायुदूत सेवाओं के लिए विभिन्न विमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई गई है ।

पांच तारा होटलों में योग्यता प्राप्त दैनिक वृत्ति कर्मचारी

3347. **श्री जी० वाई० कृष्णन**
श्री के० मालन्ना } : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधीन कनिष्ठ, अशोक यात्री निवास जैसे पांच तारा होटलों में अनेक योग्यता प्राप्त युवक दैनिक वृत्ति पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन होटलों में नियुक्ति भी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन योग्यता प्राप्त युवकों को उनके अनुभव और समय के अनुरूप उचित रोजगार देने के लिए चयन करने का है जो इन होटलों में नैमित्तिक श्रमिक आदि के रूप में दैनिक वृत्ति स्वीकार करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कुतुब और कनिष्ठ होटलों में बहुत ही कम संख्या में कर्मचारी दैनिक वृत्ति पर कार्य कर रहे हैं ।

(ख) इन होटलों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की जा रही है ।

(ग) और (घ) आई० टी० डी० सी० के भर्ती और प्रोन्नति नियम 1982 के अनुसार, योग्य कर्मचारियों को, जिनमें दैनिक वृत्ति पर कार्यरत स्टाफ भी शामिल है, इन होटलों में उपयुक्त कार्य (जाब) देने के लिए विचार किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के छोटे किसानों को दिए गए ऋण माफ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति

3348. **श्री अनंत रामुलु मल्लू** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसे छोटे किसानों के ऋण माफ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है जिन्होंने सहकारी संस्थाओं से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण की राशि कितनी है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालने के बारे में इस राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) एक नीति के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अतिदेय राशियों को निबंध रूप से बट्टे खाते डालने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे वसूली का सामान्य वातावरण दूषित होता है और उसके परिणाम स्वरूप वित्तीय संस्थाओं की विश्वसनीयता क्षीण होती है तथा यह निधियों के आदान-प्रदान के चक्र तथा इस प्रकार की संस्थाओं के स्वस्थ विकास के प्रतिकूल है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण ऋण की वापसी अदायगी में किसानों के असमर्थ रहने की स्थिति में ऋणों को परिवर्तित करने की सुविधा, नये ऋणों की मंजूरी, वापसी अदायगी के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण आदि की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए प्रबन्ध पहले से मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित कर दिए हैं।

कृषि कर लगाया जाना

3349. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि कर लगाया जाता है,

(ख) इस कर के लगाने से होने वाली सकल आय का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में प्रभारीय कर की क्या दर है,

(ग) क्या कर योग्य सकल आय और इस कर की दर सभी राज्यों संघ क्षेत्रों में समान है,

और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को कर योग्य सकल आय और कर की दर समान बनाने की सलाह देने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

त्यौहारों के मौसम के लिए आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई

3350 **श्री एन०ई० होरो** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार त्यौहारों के मौसम के लिए आयातित खाद्य तेलों की अधिक सप्लाई करने की स्थिति में है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे उचित दर दुकानों के माध्यम से सप्लाई करने का है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार प्रति माह, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर की दुकानों और सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को देने के लिए आयातित खाद्य तेलों का आबंटन करती है। इस वर्ष सितम्बर और अक्तूबर के त्यौहार के महीनों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति-माह 55,000 मीटरी टन खाद्य तेल आबंटित किया गया है यह आबंटन अगस्त, 1982 के आबंटन की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। सार्वजनिक वितरण के लिए नवम्बर, 1982 में भी इनकी अधिक मात्रा आबंटित की जा रही है।

किर्बी प्लेस, दिल्ली छावनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से हुंडियां लेने में लगने वाला समय

3351. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि किर्बी प्लेस, दिल्ली छावनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से हुंडिया लिने में अत्यधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्राहकों का समय बचाने लिए इनका समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस आशय की कोई शिकायत बैंक से नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के फार्मूले की पुनरीक्षा

3352. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने का वर्तमान फार्मूला पुराना पड़ गया है और सरकार का विचार उसकी पुनरीक्षा करने का है,

(ख) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ग) यदि हां, तो उसके विषय-वस्तु क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) : जी, नहीं,

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक कार्मिकों को उचित नाप बिना वर्दी की सप्लाई

3353. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवानों को जो वर्दी सप्लाई की जाती है उसकी सप्लाई बिना नाप लिए की जाती है और जवानों को उसकी फिटिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है ; और

(ख) क्या सरकार ने अब सैनिक कार्मिकों के लिए टैरीकाट की वर्दी की मंजूरी दी है और क्या सरकार का विचार प्रत्येक जवान का नाप लेकर वर्दी सिलवाने का प्रबंध करने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (के०पी०सिंह देव) : (क) जवानों की वर्दियां विभिन्न साइजों में आर्डनेंस फैक्ट्रियों में सिली जाती है। प्रत्येक यूनिट अपने पास जूनियर कमीशन अफसरों/अन्य रैंकों की साइज रोल रखती है जिसमें प्रत्येक जवान के लिए आवश्यक वर्दी का साइज होता है। इसके बाद आवश्यक साईजों की वर्दियां प्राप्त की जाती है और उन्हें जे०सी०ओ०/अन्य रैंकों को जारी कर दिया जाता है। सही फिटिंग के लिए छोटी-मोटी एडजस्टमेंट यूनिट के दर्जी द्वारा नि:शुल्क की जाती है।

(ख) थल सेना में टेरीकोट की नई वर्दियां शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। मानव आकार (एन्थ्रोपोमीट्रिक) है विस्तृत अध्ययन करने के बाद नई साइज रोल तैयार कर ली गई है। इन वर्दियों को भी आर्डनेंस फैक्ट्रीयों में नए साइजों में सिला जा रहा है और यूनिटों को उनकी नई

साइज रोलों के मुंताबिक उनकी मांग के आधार पर जारी कर दिया जाएगा। थल सेना के प्रत्येक जवान का नाप लेने के बाद बर्दियों को सिलना व्यवहारिक नहीं है।

गत दो वर्षों के दौरान विमानों का अपहरण

3354. **श्री निहाल सिंह** : क्या **नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने भारतीय विमानों का अपहरण किया गया और इस सम्बन्ध में कितने अपहरणकर्त्ता गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ;

(ख) क्या सरकार का विचार विमानों के अपहरण की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करते हुए संसद में विधेयक पुनःस्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (**श्री भागवत झा आजाद**) : (क) पिछले दो वर्षों में भारतीय विमानों के अपहरण की चार घटनाएँ हुई। अपहरणकर्त्ताओं की संख्या तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) **दिनांक 29.9.1981** : इंडियन एअर लाइंस की दिल्ली-श्रीनगर उड़ान को अपहरण करके लाहौर ले जाया गया था।

(क) गजेन्द्र सिंह, (ख) करण सिंह, (ग) सतनाम सिंह, (घ) जसबीर सिंह तथा (ङ) हरनाम सिंह नामक पांच व्यक्ति दिल्ली से विमान पर सवार हुए थे तथा उन्होंने इसका अपहरण किया था, वे 30 सितम्बर, 1981 को सवेरे पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा पकड़ लिए गए थे। इस संबन्ध में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/397/398/365, आयुध अधिनियम की धारा 27 और भारतीय विमान अधिनियम की धारा 10 के अधीन दिनांक 29.9.81 को एफ.आई.आर. संख्या 165 के अधीन एक मुकदमा दर्ज किया था। यह अभी जांचाधीन है। अभियुक्त अभी भी पाकिस्तानी प्राधिकारियों के कब्जे में हैं।

(2) **दिनांक 26.11.1981** : एअर इण्डिया के सैशल्ज-बम्बई की उड़ान 44 दक्षिणी अफ्रीकी श्वेत आतंकवादियों द्वारा अपहरण करके डर्बन ले जाई गयी थी।

(3) **दिनांक 4.8.82** : इण्डियन एअरलाइन्स की दिल्ली-श्रीनगर उड़ान का अपहरण कर लिया गया था। परन्तु पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इसे लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दी थी, इसी-लिए यह अमृतसर पर उतरा था।

मोहिन्दर सिंह नामक एक व्यक्ति ने विमान का अपहरण कर लिया था और उसने बाद में अमृतसर में प्राधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365/342/506/120-ख तथा भारतीय विमान अधिनियम की धारा 10 के अधीन दिनांक 4.8.82 की एफ०आई०आर० संख्या 335 के अधीन पंजाब पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया तथा जांच कार्य चल रहा है।

(4) दिनांक 20.8.1982 : इण्डियन एअर लाइन्स की बम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली उड़ान का अपहरण कर लिया गया था, परन्तु पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इसे लाहौर में उतरने की की अनुमति नहीं दी थी, इस लिए यह अमृतसर पर उतरा था।

मनजीत सिंह नामक एक सिक्ख युवक विमान का अपहरण करने में सफल रहा था तथा अन्त में अमृतसर में उतरा था, वह कमांडो कार्रवाई में मारा गया बताया गया। अपहरणकर्त्ता की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है।

(ख) और (ग) : अपहरण तथा नागर विमानन के विरुद्ध किसी भी गैरकानूनी कार्य के लिए मनोवैज्ञानिक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त कानून बनाने का प्रस्ताव है। लगाए जाने वाले निवारक दंड विचाराधीन हैं। इस विषय में दो विधेयक संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

बी-775 विमान की परीक्षण उड़ान

3355. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो सौ सीटों वाले बी-757 विमान का परीक्षण उड़ान मंगलौर हवाई अड्डे पर की गयी है; यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) यह नया विमान सेवा में कब चालू किया जाएगा ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। इण्डियन एअर लाइन्स के निमन्त्रण पर मंगलौर विमान क्षेत्र पर 25 अगस्त, 1982 को बोइंग कम्पनी द्वारा बोइंग 757 की प्रदर्शन उड़ान की गई थी। इस प्रदर्शन उड़ान से यह सिद्ध हुआ कि मंगलौर विमान क्षेत्र पर बी-757 विमान को प्रचालित करना साध्य है।

(ख) इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्वामित्व में कारें

3356. **श्री ओस्कर फर्नांडीस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के स्वामित्व में कितनी कारें हैं;

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कितने चालक नियुक्त किए गए हैं; और

(ग) चालकों को क्या वेतन-मान दिया जा रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) प्रबन्धकों तथा बैंकिंग उद्योग के लिए लागू बैंक कर्मचारियों के मध्य हुए तीसरे द्विपक्षीय समझौते के अनुसार जो कि 1-9-78 से प्रभावी हुआ था, अधीनस्थ संवर्ग से सम्बन्धित "क" श्रेणी के सभी बैंकों में शासकीय कारों के सभी पूर्णकालिक नियमित ड्राइवर 245-7-280-10-330-12-390-15-435-20-455 रुपये के वेतनमान में वेतन पाने के हकदार हैं । वे स्वीकार्य मँहगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों के अतिरिक्त, 104 रुपये प्रतिमाह के विशेष भत्ते के भी पात्र हैं।

संकाय सदस्य-हिन्दी के पदों का भरा जाना

3357. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हाल ही में संकाय सदस्य-हिन्दी के पद भरे हैं ।

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के क्या नाम हैं; तथा क्या शेष बैंकों का विचार भी इन पदों को भरने का है;

(ग) यदि हां, तो इन बैंकों द्वारा इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या जिन बैंकों में ये पद भरे जा चुके हैं उनमें हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम की गति तेज की गई है अथवा क्या इन बैंकों में हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त हो रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का पढ़ाया जाना

3358. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने हिन्दी पढ़ाने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाये हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या "ए" क्षेत्र में बैंकों के प्रशिक्षण कालेजों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने के कुछ विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) से (घ) : कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के वास्ते राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गये प्रबन्धों में उनकी अपनी शिक्षण योजनाएँ अथवा गृह-मन्त्रालय द्वारा आयोजित ऐसी योजनाओं में स्टाफ को नामित करना अथवा उन्हें शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा शुरू किए गए पत्राचार पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देना शामिल है। इस सम्बन्ध में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बराबर प्रयास किये जा रहे हैं।

अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुछ हिन्दी विषयक सत्र भी आरम्भ किए हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि वे "क" क्षेत्र में प्रवर्तन (इण्डकशन) पाठ्यक्रम हिन्दी के माध्यम से शुरू करें।

कच्चे चमड़े का निर्यात

3359. **श्री बिरदाराम फुलवारिया :**

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या है जिनको भारत कच्चे चमड़े का निर्यात करता है और सरकार उससे प्रति वर्ष कितने मुद्रा अर्जित करती है तथा तत्सम्बंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सभी प्रकार की कच्ची चमड़ियों तथा खालों (म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा यथा प्रमाणित मेमनों के लोम चर्म, कच्ची तथा अम्ल-मार्जित एवं आवारा कुत्तों की खालों को छोड़कर) के निर्यातों पर रोक है। कच्ची चमड़ियों तथा खालों की स्वीकार्य किस्मों के निर्यात बहुत ही नगण्य रहे हैं और इन मदों के आयातकर्त्ता देश पश्चिमी जर्मनी, जापान, ब्रिटेन आदि हैं।

चालू वर्ष में विमान सेवाओं से जोड़े जाने वाले नगर

3360. **श्री बिरदाराम फुलवारिया :** क्या **नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन प्रमुख नगरों के नाम क्या हैं जिनके लिये चालू वर्ष से विमान सेवायें आरम्भ कर दी गई हैं; और

(ख) उन नगरों के नाम क्या हैं जिनके लिए सरकार का विचार निकट भविष्य में विमान सेवा आरम्भ करने का है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) वर्तमान वर्ष में निम्नलिखित शहरों को वायुदूत द्वारा वायु सेवा से जोड़ा गया है।

चण्डीगढ़;	पटना;
कुल्लू;	राउरकेला;
देहरादून;	गया; और
लुधियाना;	हिसार।
कलकत्ता;	
राँची;	
जमशेदपुर;	

(ख) वायुवान तथा अन्य आधारिक सुविधायें उपलब्ध होने पर कोटा (राजस्थान), सन्त-नगर (उत्तर प्रदेश), पूर्णिया (बिहार) को वायुदूत द्वारा प्रावस्थ तरीके से वायु सेवा से जोड़े जाने की संभावना है।

भारत पर विदेशी ऋण

3361. श्री सूरज भान
श्री अटल बिहारी बाजपेयी } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा लिए गए कुल विदेशी ऋण के नवीनतम आंकड़े क्या हैं तथा देशवार और एजेन्सीवार उसे कितनी धनराशि का भुगतान करना है; और

(ख) उपर्युक्त ऋण पर ब्याज के तौर पर वार्षिक कितनी धनराशि चुकानी पड़ती है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान सरकारी खाते के ऋणों के ब्याज को अदायगियों की अनुमानित राशि 304·65 करोड़ रुपए है।

विवरण

31.7.1982 की स्थिति के अनुसार सरकारी खाते के बकाया ऋण

क्रम संख्या	देश/संस्था	राशि (करोड़ रुपए)
क. द्विपक्षीय		
1.	आस्ट्रिया	28·63
2.	बेलजियम	64·39

3.	कनाडा	452·09
4.	डेनमार्क	27·48
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	1347·15
6.	फ्रांस	304·87
7.	इटली	11·37
8.	जापान	953·40
9.	नीदरलैंड	532·51
10.	स्वीडन	—
11.	स्विट्जरलैंड	18·39
12.	यूनाइटेड किंगडम	703·87
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	3009·15
14.	चेकोस्लोवाकिया	20·26
15.	हंगरी	7·85
16.	पोलैंड	3·91
17.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	197·90
18.	यूगोस्लाविया	—
19.	संयुक्त अरब अमीरात	59·13
20.	आबुधाबी निधि	16·22
21.	कुवैत निधि	80·43
22.	सऊदी निधि	83·44
23.	इराक	53·83
24.	ईरान	679·18

ख. बहुपक्षीय

25.	अन्तराष्ट्रीय पुर्ननिर्माण और विकास बैंक	819·01
26.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	5750·45
27.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्रवाई ऋण)	50·75

28.	ओपेक	72·73
29.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	26·83
30.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषन्यास निधि	556·65
	जोड़	15,949·87

तस्करी में वृद्धि

3362. **श्रीराम जेठमलानी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 और 1981-82 में पिछले दो वर्षों की तुलना में तस्करी में 10 गुनी वृद्धि हुई है जबकि जो तस्करी का माल पकड़ा नहीं गया है उसकी मात्रा पकड़े गये माल से कई गुनी ज्यादा है;

(ख) उक्त दो वर्षों में पकड़े गये कितने मामलों में मुकदमा चलाया गया और उक्त मामलों में कितने ऐसे हैं जिनकी जांच इसलिए लम्बित है कि न्यायालय में मामला दायर नहीं किया गया है ?

(ग) क्या तस्करी खाड़ी के देशों से 90 प्रतिशत होती है; और

(घ) यदि नहीं तो खाड़ी के देशों से होने वाली तस्करी की सही प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभी राम राव) : (क),(घ) तस्करी चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा होने के कारण इससे सही तौर पर यह पता नहीं चलता कि कितने मूल्य की कितनी तस्करी होगी । इसलिए किन्हीं अवधियों अथवा क्षेत्रों विशेष के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह बता पाना कठिन होगा कि वस्तुतः कितनी तस्करी हुई है।

फिर भी रिपोर्टों के निरीक्षण तथा पकड़े गए तस्करी के मामलों के आधार पर, जो आम अनुमान लगाया गया है, वह यह कि पिछले कुछ समय से जैसी कि स्थिति है, तस्करी के प्रयासों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। खाड़ी के देशों तथा भारत के बीच तस्करी का अधिकांश धन्धा होता है ।

तस्करी पर काबू पाने के लिए, समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले निवारक तथा अन्य उपाय अर्थात् प्रशासनिक, संगठनात्मक, आर्थिक और जहां आवश्यक हो, विधायी उपाय किए जाते ही रहते हैं ।

सीमाशुल्क अधिकारियों ने विभिन्न वर्षों में जो माल पकड़ा है, उसके निम्नलिखित आंकड़ों से तस्करी-निवारक प्रयासों के परिणामों की झलक मिलती है :—

वर्ष	तस्करी के पकड़े गए माल का लगभग मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1977	29.94
1978	30.94
1979	40.42
1980	52·85
1981	39.72
1982 (अगस्त तक)	43.68 (आँकड़े अन्तिम हैं)

(ख) वर्ष 1980 से 1982 (अगस्त तक) के दौरान जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था, उनकी संख्या निम्नानुसार है, (इनमें, पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पकड़े गए मामलों के सम्बन्ध में चलाए गए मुकदमे भी हैं) :—

वर्ष	जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनकी सं०
1980	1350
1981	1573
1982 (अगस्त तक)	892 (आँकड़े अन्तिम हैं)

31-8-1982 की स्थिति के अनुसार, 6543 मामले जाँच-पड़ताल अधीन हैं। ये आँकड़े अन्तिम हैं।

शाखाओं/अनुभागों द्वारा औद्योगिक घराने के प्रतिनिधियों को सीधे दिए गए आयात-निर्यात लाइसेंस/सी०सी० पी० अथवा अन्य पत्राचार

3363. **श्री सनत कुमार मन्डल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय अथवा सी०सी०आई० एण्ड० ई० कार्यालय में ऐसे कोई स्पष्ट अनुदेश है जिनके अनुसार शाखाएं अनुभाग औद्योगिक घरानों के सम्पर्क आफीसरों/प्रतिनिधियों को आयात/निर्यात लाइसेंस/सी०सी०पी० अथवा अन्य पत्र सीधे ही भेज सकते हैं :

(ख) यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ऐसी प्रथा अनेक कदाचारों से भरपूर है जो उनके मन्त्रालय/उसके सम्बद्ध कार्यालयों के अधिकारी की सांठ-गांठ से व्यापारियों के सशक्त

प्रतिनिधियों द्वारा किये जाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो पूरी प्रक्रिया को सुचारु बनाने और ऐसे कदाचारों के अवसरों को नष्ट करने के लिये उनका कौन-से कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से

(घ) आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में शाखाओं/अनुभागों को फर्मों के सम्पर्क अधिकारियों/प्रतिनिधियों से मुलाकात करने अथवा उनको लाइसेंस/सी सी.पी. देने के लिये प्राधिकृत नहीं किया गया है। वास्तव में शाखायें अनुभाग, जो सभी कार्यालय की दूसरी मंजिल से ऊपर स्थित हैं, सुरक्षा जोन में हैं और अतः वे फर्मों के आगन्तुकों/प्रतिनिधियों के लिए खुले नहीं हैं। इसके अलावा, केवल उप मुख्य नियंत्रक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को फर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने अथवा मिलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

'इण्डियन नेवी मेकिंग बेक्स' शीर्षक से समाचार

3364. **श्री जैनुल बशर** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 सितंबर, 1982 के 'इण्डिया टुडे' में प्रकाशित 'इण्डियन नेवी बेक्स' शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि भारतीय नौ सेना के पास अपनी वायु सुरक्षा के लिए अपना विमान बेड़ा होना चाहिए ; और

(ग) यदि हाँ, तो नौ सेना को हेरियर विमानों की मांग के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) (क) जी हाँ। 'इण्डिया टूडे' में प्रकाशित समाचार की सरकार को जानकारी है।

(ख) और (ग) यह बात मान ली गई है कि भारतीय नौ सेना के पास वायुयानों का अपना बेड़ा हो। सरकार ने आठ सी हैरियर विमानों का अर्जन करने के बारे में अपनी स्वीकृति पहले ही दे दी है जिनमें दो प्रशिक्षण विमान हैं।

रक्षा मन्त्रालय द्वारा जूतों तथा चमड़े के अन्य माल की खरीद

3365. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में तथा 1 अप्रैल, 1982 से 31 अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान रक्षा मन्त्रालय द्वारा खरीदे गए जूतों तथा चमड़े के अन्य माल का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : रक्षा मन्त्रालय (रक्षा पूर्ति विभाग) डी०एम०एस० बूट (डायरेक्ट माउल्डेड सोल बूट) और बूट एंकल खरीद रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए ठेकों का विवरण संलग्न है। इन मदों के लिए 1.4.1982 से 31.8.1982 की अवधि में कोई भी ठेका नहीं किया गया है।

विवरण

रक्षा मन्त्राल (रक्षा पूर्ति विभाग) द्वारा डी०एम० एस० बूट और बूट एंकलों के लिए दिए गए आर्डरों का ब्यौरा

क्रम सं०	ठेका का नम्बर और तारीख	मद	फर्म का नाम	मात्रा/दर
डी०एम०एस० बूट				
1.	1015 दिनांक 22-1-79	डी०एम० एस० बूट	मैसर्स टेफकों, कानपुर	1,00,000 जोड़े (1979-80 में 78·95 रु० और 1980-81 में 82·12 रु०)
2.	1140 दिनांक 26-4-80	वही	वही	4,49,00 जोड़े (1980-81 में 82·37 रु०)
3.	1243 दिनांक 19-11-81	वही	मैसर्स कैरी फुटवीयर, कानपुर	20,000 जोड़े (85 रु० प्रति जोड़ा)
4.	1244 दिनांक 19-11-81	वही	मैसर्स राज रमन इंडस्ट्री कानपुर	20,000 जोड़े (85 रु० प्रति जोड़ा)
5.	1245 दिनांक 19-11-81	वही	मैसर्स अशरफ एक्सपोर्ट, कानपुर	40,000 जोड़े (83 रु० प्रति जोड़ा)
6.	1246 दिनांक 19-11-81	वही	मैसर्स स्कोलास्ट प्राइवेट कानपुर	20,000 जोड़े (85 रु० प्रति जोड़ा)

7.	टेलीग्राफिक कान्ट्रेक्ट दिनांक 14-10-82	वही	मैसर्स कैरी फुट-वीयर कानपुर	30,841 जोड़े (84·50 रु० प्रति जोड़ा)
8.	वही	वही	मैसर्स राज रमन इण्डस्ट्री कानपुर	30,842 जोड़े (84·50 रु० प्रति जोड़ा)
9.	वही	वही	मैसर्स अशरफ एक्सपोर्ट, कानपुर	30,841 जोड़े (82·50 रु० प्रति जोड़ा)
10.	वही	वही	मैसर्स स्कोलास्ट, प्राइवेट कानपुर	30,841 जोड़े (84·50 रु० प्रति जोड़ा)

बूट एंकल

1.	1258 दिनांक 12-1-82	बूट एंकल	मैसर्स शिव बूट फैक्टरी, आगरा	15,000 जोड़े (73·50 रु० प्रति जोड़ा)
2.	1259 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स महाजन बूट, आगरा	9,000 जोड़े (4,000 जोड़ों के लिए 64·22 रु० प्रति जोड़ा) (4000 जोड़ों के लिए 66·50 रु० प्रति जोड़ा) (1000 जोड़ों के लिए 70·74 रु० जोड़ा)
3.	1260 दिनांक 12-1-82	वही	जोर्डन शू फैक्टरी आगरा	3000 जोड़े (1000 जोड़ों के लिए 68 रु० प्रति जोड़ा) (1,000 जोड़ों के

				लिए 69·75 रु०प्रति जोड़ा)
4.	1261 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स राजीव शू आगरा	5,000 जोड़े (65 रु० प्रति जोड़ा)
5.	1262 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स भारत लेदर कारपोरेशन, नई दिल्ली	39000 जोड़े (73·50 रु० प्रति जोड़ा)
6.	1263 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स मुनान्को फुटवीयर, आगरा	9000 जोड़े (73·50 रु० प्रति जोड़ा)
7.	1264 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स अशोक बूट फैक्टरी, आगरा	9000 जोड़े (73.50 रु० प्रति जोड़ा)
8.	1265 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स न्यू एडवांस शू आगरा	6000 जोड़े (73.50 रु० प्रति जोड़ा)
9.	1266 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स नार्थ इण्डिया बूट फैक्टरी, आगरा	15000 जोड़े (73.50 रु० प्रति जोड़ा)
10.	1267 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स काम्बेट बूट कम्पनी, आगरा	12000 जोड़े (73·50 रु० प्रति जोड़ा)
11.	1268 दिनांक 12-1-82	वही	मैसर्स संजीव लेदर कारपोरेशन आगरा	3000 जोड़े (1500 जोड़ों के लिए 70·44 रु० प्रति जोड़ा) (1500 जोड़ों के लिए 72·04 रु० प्रति जोड़ा)

वर्दिया बनाने के लिए कपड़े की खरीद

3366. **श्री अशपाक हुसैन :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से 31 अगस्त, 1982 तक की की अवधि के दौरान रक्षा मन्त्रालय द्वारा वर्दियां बनाने के लिए कपड़े की खरीद से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये खरीद खुले टेन्डर के माध्यम से की गई थी अथवा किसी अन्य ढंग से;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की राष्ट्रीय कपड़ा नियम और राज्य सरकारों की हथकरघा निगमों के गैर-सरकारी कपड़ा मिलों और गैर सरकारी क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के समतुल्य समझा जाता है अथवा सरकारी क्षेत्र और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है ;

(घ) क्या इन खरीद्दारियों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ये शिकायतें किस किस्म की हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर वेंकटरामन) (क) रक्षा मन्त्रालय (रक्षा पूर्ति विभाग) ने मैसर्स नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो अक्तूबर, 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान भारतीय सेना की नई वर्दियों के 30·3 लाख मीटर प्लेन वींव पालिस्टर और काटन ओ जी. कपड़े के लिए तीन आर्डर दिए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा दिए गए ठेकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । एक अप्रैल, 1982 से 31 अगस्त, 1982 के दौरान कोई खरीद नहीं की गई ।

(ख) और (ग) परिस्थितियों के आधार पर खरीद या तो खुली निविदाओं या सीमित निविदाओं के माध्यम से की जाती है। नई वर्दियों को बनाने के लिए कपड़े की खरीद के लिए खुली निविदाएं मांगी गई थीं। लेकिन बाद में मैसर्स नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के साथ बात-चीत की गई और उनको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से प्राप्त न्यूनतम स्वीकार्य निविदा पर मूल्य में लगभग 10% की प्राथमिकता देकर सारी जरूरत के लिए आर्डर दे दिया गया ।

(घ) और (ङ) देरी, शेड के अन्तर आदि को छोड़कर इस प्रकार की खरीद के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा एक निजी फर्म को उप ठेका दिए जाने के मामले में इस प्रकरण पर लोक सभा में वाणिज्य मन्त्री द्वारा 9-7-1982 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में आधे घण्टे की बहरा में चर्चा की जा चुकी हैं। संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विभाग द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

विवरण

क्रम सं०	ठेका नम्बर और तारीख	मद	फर्म का नाम	मात्रा/दर
1.	1239 दिनांक 16. 10. 81	प्लेन वीव पालिस्टर और ओ जी सूती कपड़ा	मैसर्स इण्डिया युनाइटेड मिल्स बम्बई— एन टी सी की एक यूनिट	10,000 मीटर (43·50 रुपये प्रति मीटर)
2.	1249 दिनांक 2. 12. 81	— वही —	मैसर्स एन टी सी नई दिल्ली-1	5 लाख मीटर (49/- रु० प्रति मीटर)
3.	1257 दिनांक 5. 1. 82	— वही —	— वही—	25; 20, 300 मी० (49/-रु० प्रति मीटर)

विश्व बैंक से नए ऋण प्राप्त होना

3367. **श्री एस० एस० कृष्ण** : क्या बित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को निकट भविष्य में विश्व बैंक अथवा इसकी एजेंसियों से भारी मात्रा में नए ऋण मिलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो संभावित ऋण किस प्रकार के हैं और उनकी राशि कितनी होगी ; और

(ग) इन ऋणों का किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाना है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जुलाई, 1982 में पैरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठकों में यह संकेत दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से बैंक के राजकोषीय वर्ष 1983 में भारत को लगभग 2·2 अरब डालर की सहायता मिलेगी। बाद में हमें ऐसे अस्थायी संकेत मिले हैं जिनके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 1·1 अरब डालर और बाकी की राशि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण तथा विकास बैंक से प्राप्त होगी।

(ग) हमने बैंक के राजकोषीय वर्ष 1983 के लिए बैंक समूह के सम्मुख परियोजना की एक शृंखला प्रस्तुत की है। परियोजनाओं को वास्तव में सहायता की राशि से जोड़ने का काम अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना की तैयारी तथा संसाधन के स्तर पर निर्भर करता है।

सिले सिलाये कपड़ों के निर्यातकों पर रोक लगाने की संभावना

3368. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 सितम्बर, 1982 के "इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ प्रमुख वस्त्र निर्यातकों पर वस्त्रों के निर्यात पर रोक लगाये जाने की संभावना है;

(ख) क्या उनके द्वारा इटली से अपने आयातकर्ता पार्टनर का साँठ-गाँठ से किए गए अवैध निर्यात का पता लगने के बाद कुछ मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) हाल ही में कुछ एसे मामले प्रकाश में आये हैं जिससे प्रतीत होता है कि निर्यातकों ने अनाधिकृत ढंग से इटली को निर्यात किए हैं।

(ग) सम्बन्धित पार्टियों के खिलाफ पहले ही कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

कर्मचारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति

3369. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, बम्बई, कलत्ता और दिल्ली के स्थानीय मुख्यालयों से 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितने कर्मचारियों को विदेशों में प्रतिनियुक्ति की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान पटना स्थानीय मुख्यालय से कितने कर्मचारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति की गई; और

(ग) यदि आँकड़े पटना के स्थानीय मुख्यालय से विदेशों में प्रतिनियुक्ति की अत्यन्त कम प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं तो उस स्थिति में क्या सरकार पटना स्थानीय मुख्यालय में कार्य कर रहे योग्य कर्मचारियों के साथ किए गए भेदभाव को कम करने हेतु हस्तक्षेप करेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष योजनाओं के लिये बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों को राज्य सरकारों द्वारा गारन्टी देना

3370. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष योजनाओं के लिये बैंकों द्वारा दिये गए अग्रिम ऋणों को राज्य सरकारों द्वारा गारन्टी दिये जाने के फलस्वरूप वर्ष 1980-81 के अन्त तक राज्य सरकारों की तरफ कुल कितनी धनराशि बकाया है, और

(ख) राज्य सरकारों द्वारा देय बकाया धनराशि में अब तक कितनी कमी आयी है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बांगला देश को चीन से हथियारों की सप्लाई

3371. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि चीन बड़ी मात्रा में बांगला देश को सैनिक हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि चीन बांगला देश का प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र बन गया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विदेश सचिव के स्तर पर कोलम्बो, काठमांडू और इस्लामाबाद में बैठकें हुई हैं और यदि हाँ, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सरकार ने इस प्रकार की रिपोर्टें देखी हैं कि चीन बंगला देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए सैनिक उपस्कर और प्रशिक्षण सुविधाएँ मुहैया कर रहा है ।

(ग) दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पर विदेश सचिव के स्तर पर कोलम्बो, काठमांडू और इस्लामाबाद में जो बैठकें हुई थीं उनका बंगलादेश को चीनी शस्त्रों की सप्लाई से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती की घटनायें

3372. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1982 को समाप्त होने वाले पिछले तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती लूटपाट की कितनी घटनायें हुई;

(ख) डकैती की इन घटनाओं में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस सिलसिले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पहली जून, 1982 से 31 अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान भारत में वाणिज्यिक बैंकों में डकैतियों/लूटपाटों की 26 वारदातें हुई थीं और कुल 58.91 लाख रुपए (लगभग) तथा 1·64 लाख रुपए(लगभग) के मूल्य के सोने/चांदी के आभूषण छीन लिए गए थे।

(ग) बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन डकैतियों/लूटपाटों के सम्बन्ध में अब तक 26 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुठभेड़ में 12 व्यक्तियों के गोली से उड़ा दिए जाने की सूचना मिली है।

उद्योगों की स्थापना में कुवैत का पूंजी निवेश

3373. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ प्रमुख उद्योगों की स्थापना के बारे में कुवैत की कुछ संयुक्त पूंजी निवेश कम्पनियों के साथ बातचीत पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कुवैत का पूंजी निवेश भारत में किस क्षेत्र के लिए मांगा जा रहा है और उनके पूंजी निवेश का तरीका क्या होगा;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुवैत के साथ किसी समझौते को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योगों में कुवैती निधियों के निवेश की सुविधा के लिए कुवैत के सहयोग से एक संयुक्त निवेश कम्पनी की स्थापना करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। इस सम्बन्ध में कुवैती तथा भारतीय अधिकारियों के साथ प्रारम्भिक बातचीत हुई है। प्रस्तावित कम्पनी के स्थापित किये जाने पर उसके द्वारा किए जाने वाले निवेश के क्षेत्रों तथा निवेश की प्रणाली के सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरे का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) अभी समझौते पर अन्तिम रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आधे दिन कार्य करने वाले कार्यालयों लेट ड्युटी भत्ता

3374 **श्री निहाल सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कार्यालयों में प्रति सप्ताह बुधवार और शनिवार को आधा कार्य दिवश माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस शेकार के कार्यालयों में बुधवार और शनिवार को लेट ड्यूटी देनी होती है तो ऐसे मामले में कुछ कर्मचारियों को कर्यालय समय के पश्चात् आवश्यक सरकारी काम के लिए रोक लिया जाता है। और

(ग) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों को लेट ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०पी०सिंह देव) (क) जी, हां।

(ख) लेट ड्यूटी कार्यालय के निर्धारित समय के बाद एक घंटे फ्री काम करने के बाद शुरू होती है। आधे दिनों में सामान्य कार्य की अवधि 2·00 बजे अपराह्न तक होती है।

(ग) कार्य की आवश्यकता को देखते हुए या तो समयापरि भत्ता दिया जाता है या प्रतिपूरक छुट्टी दी जाती है।

केन्द्रीय सचिवालय सहकारी भण्डार लिमिटेड,दिल्ली का निरीक्षण

3375. श्री **राजनाण सोनकर शास्त्री** :क्या **नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रजिस्ट्रार, कोओपरेटिव सोसायटीज, दिल्ली, प्रशासन ने दिल्ली कोआपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1972 की धारा 54 के अंतर्गत, केन्द्रीय सचिवालय सहकारी भण्डार लिमिटेड. कृषि भवन, नई दिल्ली के निरीक्षण के आदेश दिए हैं ;

(ख) क्या रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसयटी दिल्ली ने उक्त सोसायटी को कहा है कि सदस्यों के लंबित आवेदन पत्रों को निपटाया जाए ; और

(ग) क्या रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी, दिल्ली को कहा गया है कि वे 1963 में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखकर वर्तमान सहकारी उपभोक्ता सोसायटियों से परामर्श करके उनको केन्द्रीय कर्मचारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली के साथ मिलाने के मामले की जांच करे।

नागिरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) : जी हां।

(ख) : जी हां।

(ग) : पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली से प्रशासन, दिल्ली से कहा गया है कि वे वर्तमान सोसायटियों से परामर्श करके केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसायटी के साथ मिलाने/सम्बद्ध करने के मामले की जाँच करें।

वियतनाम को रेल इंजन का निर्यात

3376. **श्री एन०के० शजवलकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान जुलाई, 1982 के "फइनेन्सियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित

"वियतनाम में बाई 20 लोकोज फ्राम इंडिया" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वियतनाम का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम तथा उनका दर्जा क्या है, वे वहां कितने समय रहे, उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया तथा उन्होंने वियतनाम के अपने सहयोगियों के साथ क्या चर्चा की और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) वियतनाम को निर्यात किए जाने वाले रेल इंजनों की लागत का ब्यौरा क्या है और इससे भारत कितना लाभान्वित होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) डीजल लोकोमोटिव वर्कस के सर्वश्री वी०एम०वर्मा, उप मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर तथा एस० गुप्ता, उप मुख्य इलैक्ट्रिकल इंजीनियर ने 8 दिनों की अवधि के लिए जुलाई, 1982 के महीने में पी.ई.सी. की ओर से वियतनाम में हनोई तथा हाइफांग का दौरा किया था । उन्होंने वियतनाम के प्राधिकारियों के साथ उनकी आवश्यकता वाले डीजल लोकोमोटिवस का तकनीकी विशिष्टियों के संबंध में विचार-विमर्श किया । उन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये । डीजल लोकोमाटिवस की तत्काल आवश्यकता 20 (लगभग) बताई गई थी ।

(ग) लागत का निर्णय नहीं किया गया है। वियतनाम के साथ संविदा के हस्ताक्षर किये जाने पर भारत डीजल लोकोमोटिव के लिए इस बाजार में प्रवेश कर सकेगा ।

सउदी अरब को रेल वैगनों का निर्यात

3377. श्री **पी०एम० सईद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा सऊदी अरब को रेल वैगनों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भारत में वैगनों की पहले से कमी है और इस निर्णय से स्थिति और भी बिगड़ जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) देश में उपलब्ध वैगन विनिर्माण क्षमता पर्याप्त है ।

सोयाबीन के "प्रोसेसिंग" संयंत्र

3378. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन आफ इण्डिया ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखकर और अधिक "प्रोसेसिंग" संयन्त्र लगाने की अनुमति दी जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) और (ख)

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, सोयाबीन संसाधन संयन्त्र लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । भारत सरकार द्वारा सोयाबीन संसाधन

कॉम्प्लैक्स स्थापित करने की एक स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है।

वस्त्र उद्योग के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का बनाया जाना

3379. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग के लिये एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है जिसमें श्रम संघों, नियोजकों और सरकार के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होंगे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पैनल कब, कहाँ और किस प्रकार कार्य करेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी हाँ।

(ख) त्रिपक्षीय समिति के गठन से सम्बन्धित संकल्प की एक प्रति संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5568/82)

(ग) यह समिति अपनी क्रियाविधि के अनुसार सलाह देने के लिए स्वतन्त्र होगी और यह बम्बई से काम करेगी।

विश्व बैंक द्वारा अपना ऊर्जा संगठन स्थापित करने की संभावनाएँ

3380. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की 1982 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा विकास कार्यक्रमों को वित्त देने के लिए विश्व बैंक द्वारा अपना एक ऊर्जा संगठन स्थापित किए जाने की संभावनाएँ कम हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसा निकाय स्थापित करने के प्रस्ताव का बड़ी संख्या में विकासशील देशों ने समर्थन किया है और विकास समितियों ने उस पर अपनी सहमति दी है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को बैंक के कुछ कार्यकारी निर्देशकों में से किसी ने अस्वीकृत कर दिया था;

(घ) क्या भारत को आशा थी कि इस प्रस्ताव से उसे काफी हद तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :- (क) से (ङ) तक : विश्व बैंक की 1982 की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि प्रस्तावित ऊर्जा संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में सहमति होने की तत्काल संभावना नहीं है। जबकि विश्व बैंक के कई कार्यकारी निदेशकों ने महसूस किया कि ऊर्जा संगठन की स्थापना कर, जिसके प्रस्ताव का राजकोषीय वर्ष 1931 में विकास समिति द्वारा पृष्ठांकन किया गया था, विकासशील देशों में ऊर्जा निवेश के लिए अतिरिक्त रकम जुटाने का सबसे अधिक आकर्षक तरीका रह गया है, किन्तु कुछ अन्य कार्यकारी निदेशकों ने महसूस किया कि सहवित्तपोषण व्यवस्था जैसे ऊर्जा निवेशों के बढ़े हुए कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के कार्य में बैंक को समर्थ बनाने के लिए वैकल्पिक तरीकों की खोज की जानी चाहिए। भारत सरकार महसूस करती है कि वर्तमान परिस्थितियों में, ऊर्जा संगठन की तत्काल स्थापना विकासशील देशों में ऊर्जा निवेश के लिए अतिरिक्त रकम जुटाने का सबसे अधिक प्रभावकारी तरीका होगा और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब दूसरे विषय को लूंगा। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त होता है। सभा में शून्य-काल है। यदि कोई व्यवस्था के प्रश्न को उठाना चाहता है तो उसें मेरी अनुमति अवश्य लेनी होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले के सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है आप मेरे पास आयें और मुझे मेरे कक्ष में मिलें। मैं आपको नियमों के बारे में स्पष्ट कर सकता हूं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देने में मेरे मन्त्रालय की रुचि है। मेरा यह विचार था कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो चुका है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : (बंकुरा) : मैंने बम्बई में वस्त्रों मिलों के 45,000 श्रमिकों की छटनी सम्बन्धी स्थगत प्रस्ताव के बारे में नोटिस दिया है। यह एक गम्भीर बात है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक निरन्तर जारी रहने वाला मामला है और सहमति रोक दी गई है।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : परसों माननिय सूचना और प्रसारण मन्त्री ने भरी सभा में एक वक्तव्य दिया था। हम उस वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे। भारतीय दण्ड संहिता तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में बिहार द्वारा संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में कल इस के विरुद्ध एक रैली की गई थी जो देश तथा दिल्ली के इतिहास में अभूतपूर्व थी। हम चाहते हैं कि सरकार को राष्ट्रपति की सहमति को रोक देना चाहिए तथा सरकार को उसके सम्बन्ध में एक विशिष्ट आश्वासन देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री महोदय को लिख सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब तक आप संतोषप्रद उत्तर नहीं देते हैं, तब तक मेरे लिए बैठना कठिन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि आपकी टांगों में कुछ कष्ट है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : किन नियमों के अन्तर्गत प्रश्न के एक अंश को निकाल दिया गया था, क्योंकि आपका कार्यालय तथा अध्यक्ष महोदय का कार्यालय भी कुछ नियमों के अन्तर्गत काम करता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा । मैंने इस बारे में अन्तिम उत्तर नहीं दिया है । मैंने कहा है कि आप कृपया अध्यक्ष महोदय को लिखिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले की जांच की जायेगी और आप संतुष्ट हो जायेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सभा को इस बारे में जानकारी दी जाये कि किन नियमों के अन्तर्गत प्रश्न के एक अंश को निकाल दिया गया था ? इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन सम्बन्धी मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना उत्तर दे दिया है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केन्द्रीय सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए । राष्ट्रपति को इस प्रैस विधेयक को सहमति प्रदान नहीं करनी चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के धीमी गति से कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नियम 377 के अधीन एक सूचना दी है । मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी इस सूचना का क्या हुआ ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली नागरी कला आयोग सेवा की शर्तें संशोधन नियम, 1982

श्री भीष्म नारायण की ओर से निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महंती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा के निबन्धन तथा शर्तें) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 814 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5539/82]

बेतवा नदीबोर्ड (संशोधन) विनियम, 1982

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अन्तर्गत बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विनियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम०-1/बी०आर०बी०/टी० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 5540/82]

बाजार ऋणों के बारे में विवरण

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री पट्टाभि राम राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

अक्तूबर, 1982 में जारी किए गए बाजार ऋणों के परिणामों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5541/82]**

तटरक्षक अधीनस्थ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण के सम्बन्ध में समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारी (तकनीकी शाखा) भर्ती नियम, 1982, जो 9 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 235 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तटरक्षक अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) भर्ती नियम, 1982, जो 9 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 236 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-5542/82]

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत डाइनेमिक्स लिमटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(तीन) उपयुक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी०-5543/82] ।

कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर, जयपुर, नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर, गोरखपुर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर, आदि के प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :—मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा, (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ (उ०प्र०) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) तुंगभद्रा ग्रामीण, बैंक, बेलारी (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू (जम्मू और काश्मीर) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) सरस्वती ग्रामीण बैंक, बहराइच (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) गुड़गाँव ग्रामीण बैंक, गुड़गाँव (हरियाणा) का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पन्द्रह) क बैंक नोंग कोंग डोंग की खासी जैतिया शिलांग का बैंक 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सोलह) फरुक्खाबाद ग्रामीण बैंक, फरुक्खाबाद (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, को 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सत्रह) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पश्चिमी बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(अठारह) बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलनगीर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(उन्नीस) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बीस) प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक, नालवाड़ी (असम) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(इक्कीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुडप्पा (आं. प्र.) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बाईस) मयूरकाशी ग्रामीण बैंक, सूरी, (जिला बीरभूम) (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेईस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौबीस) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरु (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पच्चीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे ओर उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छब्बीस) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्ताईस) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(अठाईस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्तीस) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(इकत्तीस) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (म०प्र०) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बत्तीस) मगद ग्रामीण बैंक, गया (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तैंतीस) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपोर (उड़ीसा) का 3 . दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौंतीस) दक्षिण मालावार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पैंतीस) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नानूर (केरल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छतीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला (त्रिपुरा) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सैंतीस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(अड़तीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी (हि० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(उनतालीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उ० प्र०) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चालीस) दुर्ग-राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक, राजनन्दगांव (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(इकतालीस) उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बयालीस) पांड्यन ग्रामीण बैंक, सट्टूर (तमिलनाडु) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तैंतालीस) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चवालीस) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पैंतालीस) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छियालीस) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सैंतालीस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अड़तालीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उनचास) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज (गुजरात) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पचास) जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(इक्यावन) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार) का 31 दिसम्बर; 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बावन) नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ (बिहार) का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तिरेपन) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौवन) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पचपन) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छप्पन) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्तावन) श्री अनन्त ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन।

(अट्ठावन) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उनसठ) पालाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टेनगन्ज, (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(साठ) किसान ग्रामीण बैंक, बुदायूं (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(इकसठ) कालाहान्डी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानीपाटन (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परिक्षक का प्रतिवेदन।

(बासठ) झबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झबुआ (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(त्रिसठ) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौसठ) बैतरणी ग्राम्य बैंक, बाडीपाडा (उड़ीसा) का 31 दिसम्वर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पैंसठ) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छियासठ) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और ऊन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सड़सठ) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अड़सठ) लाडिया ग्रामीण बैंक, कृष्णनगर (पश्चिमी बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उनहत्तर) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्तर) फतहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतहपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(इकहत्तर) सागर ग्रामीण बैंक, अमलता (पश्चिमी बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बहत्तर) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तिहत्तर) बर्दवान ग्रामीण बैंक; बर्दमान (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तथा लेखें और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौहत्तर) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पचहत्तर) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) को 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छहत्तर) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़ (महाराष्ट्र) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सतहत्तर) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठहत्तर) हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उनासी) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अस्सी) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इटावा (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(इक्यासी) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर,

1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बयासी) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखें तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तिरासी) लक्ष्मी गांवलिया बैंक, गोलाघाट (असम) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौरासी) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पचासी) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (मध्यप्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छियासी) ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक, बरहामपुर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1981 का समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सतासी) अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठासी) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नवासी) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नब्बे) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(इक्यानवें) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बानवें) एटा ग्रामीण बैंक, एटा (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तिरानवें) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौरानवें) दामोह-पन्ना-सागरीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दामोह (मध्यप्रदेश) का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पिचानवें) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छियानवें) कछार ग्रामीण बैंक, सिल्चर (असम) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सतानवें) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल (मणिपुर) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठानवें) कमराज रूरल बैंक, सोपोर (जम्मू तथा काश्मीर) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(निन्यानवे) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सौ) ढेकानल ग्राम्य बैंक, ढेकानल (उड़ीसा) का 32 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

(एक सौ एक) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(एक सौ दो) बनसकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक, गुजरात का 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[मंत्रालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5544/82]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी हैं :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 में 34 नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 1982 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 18 अक्तूबर, 1982 की बैठक में पारित किया गया था। और राज्य सभा को उसकी सिफारशों के लिए भेजा गया था। वापिस लौटाने का निर्देश हुआ है और यह बताना है कि हमें सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में असम विनियोग (संख्याकड) विधेयक, 1982 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 18 अक्तूबर, 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने का निर्देश हुआ है और यह बताना हैं कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनिबम (6) के उपबन्धों में अनुसरण में विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1982 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 19 अक्तूबर, 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने का निर्देश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं, जिनकी सूचना गत 5 अक्तूबर, 1982 को सदन को दी गयी थी।

(1) नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1982

(2) राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया भाग) विधेयक, 1982

उपाध्यक्ष महोदय : मैं 377 के अन्तर्गत दिए गए वक्तव्यों पर उत्तर नहीं दे सकता। आपको इस बारे में अध्यक्ष से मिलना चाहिए अथवा मेरे कक्ष में मुझसे मिलें।

अब श्री पासवान।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति में जो कहा और जो यहां इन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया उन दोनों में अन्तर है। और इसीलिये हम लोग उस पर क्लेरिफिकेशन चाहते थे। तो या तो आप इस पर डिबेट कराइये प्रैस की स्वतन्त्रता के ऊपर, प्रैस की हत्या करने की जो साजिश है, इस पर या तो आप बहस कराइये या मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन के रूप में स्टेटमेंट दिलाइये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपने देखा कल बोट क्लब पर कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उत्तर दे दिया है। मैंने पहले ही श्री रूप चन्द पाल को उत्तर दे दिया है।

श्री रामविलास पासवान : मैंने जो कुछ हिन्दी में कहा है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा। मैंने जो कुछ कहा..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है।

श्री रामविलास पासवान : मंत्री महोदय ने जो कुछ परामर्शदात्री समिति को बताया और जो कुछ संसद को बताया दोनों में अन्तर है; दोनों में असंगतियां हैं। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। या तो मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए अथवा आप हमें अनुमति दें..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दें। आप नोटिस दे सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कल एक विशाल प्रदर्शन हुआ था।..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी इसी बारे में बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कोई और मुद्दा उठा रहा हूं। अभी तक हमें सरकार की ओर से कोई वक्तव्य प्राप्त नहीं हो सका है कि क्या वे इस विधेयक को वापस लेंगी अथवा नहीं। हम चाहते हैं कि यह सम्पूर्ण विधेयक ही वापस लिया जाये। पत्रकार भी यही चाहते हैं। किन्तु सरकार सम्पूर्ण मामले को भ्रामक बनाने का प्रयास कर रही हैं और उन्होंने विपक्ष पर आरोप भी लगाये हैं। (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार चाहते हैं कि विपक्ष द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया जाना चाहिए (व्यवधान) इस प्रकार वह सम्पूर्ण देश और सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। हम विचारों की स्वतन्त्रता हेतु लड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मुझे सभी को अनुमति देनी होगी। यदि केवल एक मानवीय सदस्य अधिक समय लेता है..... (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने बार बार····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री इन्द्रजीत गुप्ता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जो कुछ श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे हैं मुझे वह भी सुनना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहार) : कृपया मेरे साथ सहमत हों। आज शुक्रवार है। इस सूत्र में असमान्य परिस्थितियों के कारण सदन दस दिन के लिए स्थगित हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : असमान्य परिस्थितियां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समान्यतः शुक्रवार को अगले सप्ताह की कार्यवाही की घोषणा की जाती है। उन्होंने अभी घोषणा नहीं की है। आज सदन स्थगित हो रहा है। जब दोबारा सदन बैठेगा तो यह केवल 4 दिन हेतु बैठेगा। मैं नहीं जानता कि क्या कार्यवाही पर निर्णय हेतु कार्य मंत्रणा समिति के पास समय होगा। मेरा मुद्दा यह है कि इस सत्र के शुरू में····· (व्यवधान)

उपायध्क्ष कहोदय : मुझे बताया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था— मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ और अधिक ध्यान दें— वह भी बैठक में उपस्थित थे। हमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस सत्र के दौरान समय निकाला जायेगा·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : छठी योजना।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : कि कम से कम योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए समय निकाला जाएगा। आज तक संसद द्वारा योजना पर चर्चा नहीं की गई। मैंने प्रश्न किया था कि क्या, अब जबकि आधा समय बीत गया है, मध्यावधि मूल्यांकन का प्रलेख अथवा कोई वक्तव्य सरकार द्वारा यहां रखा जाए तथा हमें उस पर चर्चा की अनुमति दी जाए। और हमें सरकार द्वार आश्वासन भी दिया गया कि वे सम्बन्धित मंत्रालयों से बात करेंगे तथा इसके लिए व्यवस्था करेंगे। अब हम सत्र के अन्तिम चरण में है। आज से सदन 10 दिन के लिए स्थगित हो रहा है। तत्पश्चात् केवल 4 दिन के लिए बैठक होगी। हमें नहीं पता कि किन विषयों पर चर्चा की जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या छठी योजना का कोई पुनर्मूल्यांकन, मध्यावधि मूल्यांकन अथवा कोई पत्र प्रस्तुत किया जाने वाला है; क्या हमें उस पर चर्चा का कोई अवसर दिया जायेगा। इस सम्पूर्ण मामले को अगले वर्ष फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। अब से फरवरी तक कोई सत्र नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में सरकार द्वारा ध्यान दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि इस पर सरकार गौर करेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री भगत कुछ कह सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं । वह उत्तर देने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : संसदीय कार्य मंत्री को कुछ कहना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके मुद्दे का वह उत्तर दे रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पहले हमें सूचित करो कि क्या कोई योजना भी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया गम्भीर हों । उन्होंने काफी गम्भीर मामला उठाया है और वह उत्तर दे रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक गम्भीर मामला है । क्या आप समझाते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं ।

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)—

जो कुछ माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है मैं वह योजना मंत्री के ध्यान में लाऊंगा । में इस मामले को कार्य मंत्रणा समिगि में भी उठाउँगा और तब तक कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार कर सकती है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने एक विषय पर काफी नोटिस दिए हैं जो आपके लिए काफी महत्व का है। आप दलितो और हरिजनों के लिए कार्य करते हैं·····

उपाध्यक्ष महोदय : उतना नहीं जितना आप करते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते (रायपुर) : आप में और उनमें अन्तर भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दोनों एक ही स्थान से हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : देश में इस बात पर सम्पूर्ण एकता है कि इस देश के हरिजनों के लिए अत्यधिक कार्य करने वाले व्यक्ति डा० अम्बेडकर हैं । महाराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम भी उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव है । सरकार ऐसा करने से इनकार कर रही है। इस संसद को इसका पता होना चाहिए और महाराष्ट्र के दलितों को आश्वासन भी दे दिया जाना चाहिए कि संसद मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का डा० अम्बेडकर के नाम पर नया नाम रखने के लिए कदम उठायेगी। (व्यवधान) क्या आप इससे सहमत हैं अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई राय नहीं दे सकता ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में विचार और अभिव्यक्ति के प्रश्न को लेकर विधान के प्रावधानों पर आयात किया जा रहा है । हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है कि बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाये। इस बारे में सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : इस बात के लिए हमारा भी समर्थन है। **(व्यवधान)**

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके आश्वासन की ओर आपका ध्यान खींचना है। तीन, चार दिन पहले जब यहां कहा गया था कि बिहार में 100 से ज्यादा लोग भूख से मर चुके हैं, वहां हालत बहुत खराब होती जा रही है तो आपने आश्वासन दिया था कि इन्फार्मेशन मंगा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उस बारे में क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो आश्वासन मैंने उस दिन दिया था वही आज भी दे रहा हूँ। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप बिहार में और लोगों के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने उस दिन कहा था अध्यक्ष ने यह मामला खाद्य मन्त्री को भेजा है। हम तथ्य का पता लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में खाद्य मन्त्री से चर्चा की है। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : (नई दिल्ली) बिहार सरकार ने पहले की इन्कार कर दिया है। वह कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि लोग भूख से मर रहे हैं। बिहार को एक संसदीय समिति भेजी जाये (व्यवधन) मैं एक सुझाव देना चाहता हुं। आज सदन 10 दिन के लिये स्थगित हो रहा है। आप संसदीय समिति बना सकते है जो बिहार के कुछ क्षेत्रों के तथ्यों का पता लगाने हेतु दौरा करे कि क्या कोई मृत्यु हुई भी है कि नहीं। हम बिहार सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकता दक्षिण) : हम सभी श्री वाजपेयी का समर्थन करते हैं।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : (गढ़वाल) में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी हैं। बिहार के लोग मर रहे हैं। इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री शिबु सोरन और एक अन्य माननीय सदस्य ने बिहार से अपनी व्यक्तिगत जान पहचान के आधार पर पता लगाया है। उन्होंने हमें तार भेजा है। मैंने अध्यक्ष को एक पत्र भेजा है और यह भी बताया है कि बिहार में लोग मरे हैं। उनका दु:ख उन लोगों पर पुलिस अत्याचार से और बढ़ रहा है आदिवासियों को पीटा जा रहा है और वे भूख और पुलिस की मार से मरे हैं। अब प्रश्न काफी सरल है। आप

[श्री हेंमवती नःदन बहुगुणा]

यह कह सकते हैं कि आप मामले की जाँच कर रहे हैं और आपका अशवासन इस सदन। आश्वासन है। किन्तु, महोदय क्या बिहार में मरते हुए लोग आपके आश्वासन का इन्तजार करेंगे। इसलिए या तो श्री वाजपेयी का सुझाव कि लोक सभा की सदस्दीय दल-एक छोटा सा दल यह देखने के लिए बिहार भेजा जाये कि क्या ऐसा वहां हो रहा है अथवा नहीं और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने सचिव को भेजें तथा एक नया इतिहास और नया रिकार्ड बनायें। संचिव आपको सूचित करते रहेंगे और परामर्श देते रहेंगे। उन्हें स्वयं यह देखने दें कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है ?

एक माननीय सदस्य : वह भी तो जा सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हाँ वह भी तो जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हाल्दर। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामबिलास पासवान, मैंने पहले ही कहा है कि..... (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 100 लोग मर गये है और आप इन्तजार कर रहे हैं कि 200 लोग मर जायें ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कैसे सुन सकता हूं ? अब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और और संकल्पों सम्बन्धी समिति—श्री श्रीनिवास प्रसाद।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों संकलपों तथा संबंधी समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्फी समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

याचिका समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, मैं याचिका समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तेरहवां (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा यह सं० 12 श्री रामविलास पासवान।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मन्त्री जी उत्तर देंगे। उन्होंने इस मामले को उठाया है।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मी० वेंकटसुब्बरया) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हमारे ध्यान में कुछ मामले आए हैं.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उन्होंने यह मामला नहीं उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब इसे हम उठा रहे हैं। पासवान जी आप अपने साथियों से कहिए कि वे बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मेरी बात सुननी चाहिए। हमने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं। प्रतिपक्ष जो कुछ भी कहना चाहते हैं ये वे कह चुके और यदि आप अब भी जिद्द करते हैं तो यह सम्भव नहीं हैं। यहां हर कार्य के लिए समय की सीमा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें। हां तो पासवान जी।

(व्यवधान)

उसे सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें।

(व्यवधान)

श्री धनिक लाल मन्डल (झंझारपुर) : महोदय, मुखमरी से होने वाली मौतों के सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं ?

कार्यवाही-वृत्तान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन की कार्यवाही चला रहा हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : धनिक लाल मंडल जी, आप बैठ जाइये। मैंने, अब आपके साथी श्री पासवान जी को मामला उठाने के लिए बुलाया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री रामविलास पासवान : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका दृष्टिकोण क्या है ? अब आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मंडल : आप देख रहे हैं कि मैं मूखमरी से होने वाली मौतों की बात कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसके बारे में पहले ही बोल दिया है। मुखमरी सम्बन्धी मौतों और इन सबके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है ।

(व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : वहां अकाल पड़ा हुआ है। वहां कोई भी सहायता कार्य शुरू नहीं किया गया है। लोग मर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। पासवान जी, क्या आप बोलना चाहते हैं ? अन्यथा, मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं। **(व्यवधान)**

आप ध्यानाकर्षण मामले पर मंत्री जी का ध्यान दिलाइये।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : यह एक विशेष मामला है ।

श्री रशीद मशूद (सहारनपुर) : आप किस नियम के अन्तर्गत इसे अस्वीकार कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा ।

(व्यवधान)

वे सदन में उपस्थित हैं । (व्यवधान)

क्या आप चाहते हैं कि मैं नियम बताऊँ ? मैं आपको नियम बताता हूँ । जब किसी विषय पर वाद-विवाद न चल रहा हो .....

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिए । मुझे नियमों का पता है । मैं आपको नियम बताता हूँ । जब किसी विषय पर वाद-विवाद चल रहा हो .....

(व्यवधान)

यह सब क्या हो रहा है । यदि कोई सदस्य बोलना चाहता है तो उसे व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मेरी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करें ।

श्री रामविलास पासवान : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई मामला नहीं है । मुझे आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देनी चाहिए । मैं आपको यही बात कह रहा हूं । नियम यह है ।

"उसी समय भी सदन में सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ; बशर्ते अध्यक्ष इसे उठाने की अनुमति दें .....

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिए ।

चूंकि अब कोई चर्चा नहीं हो रही, इसलिए, नियम के अनुसार आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए । पासवान जी, आप क्या चाहते हैं ? यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आपको मुझे कहना चाहिए । कोई औचित्य का प्रश्न नहीं होगा । किसी नियम के उल्लंघन पर ही तो आप औचित्य का प्रश्न उठा सकते हैं । परन्तु यदि आप चाहते हैं तो अब स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, बिहार की सरकार कहती है कि एक भी आदमी भूख से नहीं मरा लेकिन मेरे पास 50 आदमियों की सूचना है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले से ही हमारे विचाराधीन है । मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं । अब भी पासवान ध्यानाकर्षण पर बोलेंगे ।

श्री धनिक लाल मंडल : कृपया कुछ कहिए। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामविलास पासवान बोलें।

श्री हरिकेश बहादुर : नियम 197 के अंतर्गत मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। सदन में ध्यानाकर्षण पर चर्चा हो रही है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंडल द्वारा ऐसा एक महत्त्वपूर्ण मामला उठाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला सभी सदस्यों द्वारा रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री धनिकलाल मंडल : इस समाचार पत्र में मुखमरी से हुई मौतों के सम्बन्ध में —नाम, गाँव, जिला आदि दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंडल जी, मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। मैंने सभी सदस्यों को उत्तर दे दिया है। मैंने श्री अटल, श्री बहुगुणा और अन्य सदस्यों को उत्तर दे दिया है।

अब मैं ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में श्री रामविलास पासवान को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल मत कीजिए।

(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
दिल्ली में आप्रवास बीसा की जालसाजी का पता चलने का समाचार

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

दिल्ली में आप्रवास बीसा की जालसाजी का पता चलने के समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

---

* * कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बरय्या) : उपाध्यक्ष महोदय दिल्ली के कुछ एक मामले ध्यान में आए हैं जिनमें कुछ बेइमान लोगों ने विदेशों में अप्रवास करने वाले नौकरी ढूंढने वाले लोगों के साथ धोखा-धड़ी की है इसके लिए उन्होंने यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज जिसमें पासपोर्ट और वीसा शामिल हैं की भी धोखाधड़ी की है। वर्ष 1982 के दौरान, दिल्ली पुलिस ने ग्रुपों में जालसाजी करने वाले वीसा जालसाजों के विरुद्ध 7 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान इसी प्रकार के अन्य 36 व्यक्तिगत मामले भी दर्ज किए गए हैं। 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उनके नाम क्या हैं? इनके नाम बताइए ताकि लोग इनके नाम जान सकें।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्री अग्रवाल, आप भी मन्त्री रहे हैं। मैं वही कर रहा हूं जो आपने पहले किया था। यदि पूरक-प्रश्नपूछे जाते हैं और मेरा उत्तर देना जरूरी है, तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे पूरक प्रश्न पूछने और जानकारी मांगने की अनुमति नहीं मिलेगी इसलिए मैं बीच में पूछ रहा हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मेरे वक्तव्य देने के बाद आप पूछ सकते हैं।

महोदय, 37 मामलों की जांच की जा रही है और 3 मामलों में चालान न्यायालय में दायर किए गए हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है। 3 मामलों का पता नहीं चला है।

10 अक्टूबर 1982 को रिपोर्ट किए गए ताजा मामले में दिल्ली के तीन ट्रेवल ऐजेंटों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से बहुत से पासपोर्ट और अन्य जाली कागजात मिले हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, गिरफ़्तार व्यक्तियों ने बहुत से लोगों को लूटा है। इन मामलों की जांच की जा रही है।

भारतीय परयज धारक, जो विदेश में भ्रमण करने जाना चाहते हैं, नौकर आदि के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें अपने पासपोर्ट पर सम्बन्ध देश का वीसा प्राप्त करने के लिए भारत में उस देश के दूतावास को आवेदन पत्र देन होता है। प्रत्येक मिशन की वीसा देने सम्बन्धी प्रक्रिया और उन द्वारा लिया जाने वाला समय अलग-अलग है वीसा और नौकरी सम्बन्धी धोखाधड़ी के संबन्ध में जालसाजी और धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर, पुलिस कानून के संबन्ध प्रावधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करती है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस के सतर्कता-व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया गया हैं ताकि ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी मिल सके।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सदन आज फिर जाली वीसा के बारे में विचार कर रहा है। इसी सम्बन्ध में मैंने कालिंग एटेंशन दिया है। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर समय-समय पर जाली वीसा के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। विभिन्न समाचार पत्रों ने भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुझे दुःख हुआ

[श्री रामविलास पासवान]

क्योंकि सरकार ने फिर वही घिसा-पिटा जवाब, बना बनाया जवाब दे दिया है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बतलाने का काम किया है कि यह जालसाजी का कारण क्या होता है। जाली वीसा कहां से उत्पन्न होता है और दूसरी बात इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बेसिक बात यह है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह सिर्फ आपके ही मंत्रालय का काम नहीं है। इसमें सिर्फ होम मिनिस्ट्री ही जिम्मेदार नहीं है, लेबर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता था, कि दोनों मिनिस्टरों की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए था, तो निश्चित तरीके से कुछ सुधार हो सकता था। लेकिन सरकार ने अपना जवाब दे दिया कि 50 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और 37 मामलों की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस को जैसे ही वीसा के सम्बन्ध में जालसाजी और धोखाधड़ी तथा नौकरी के बारे में घोटाला करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो वह अपराधियों के विरुद्ध कानून के सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करती है।

यह शिकायत आपको किसे के द्वारा मिलती है। जब आपको आम आदमी शिकायत करेगा, तब आपकी नजर खुलेगी, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है, गुप्तचर विभाग है या दूसरा विभाग है, उनसे कभी आपको शिकायत मिली हैं। जब कभी आपको शिकायत मिलती है, तभी आपकी नजर जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जालसाजी का जन्म कहां से होता है। आज हिन्दुस्तान में बेरोजगारी की समस्या है। जहां कहीं लोगों को मालूम होता है कि रोजगार मिलने वाला है, तो लोग रोजगार पाने के लिए गांव से दौड़कर दिल्ली आते हैं, बम्बई आते हैं। जब हताश होते जाते हैं। कि यहां भी काम नहीं मिलेगा, तो वे बाहर विदेशों में जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि विदेशों में जाकर काम करोगे तो पैसा मिलेगा। इस प्रकार वे घर-बार छोड़कर जेवर-गहना बेचकर आता है, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंसी नहीं है। जब मानवीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो प्राइवेट एजेंसीज को अलाउ किया है ये कौन-कौन सी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सारा दोष इंतजाम में है। इंतजाम में दोष की वजह से यहां सब होता है। आप देखिए नाईजीरिया के दूतावास में वीसा विभाग बन्द पड़ा है। वहां बेरोजगार लोग चक्कर लगाते हैं तो वहां उनको दलाल मिलते हैं। वे उनसे पैसा लेकर उनको जाली पासपोर्ट, जाली वीसा और जाली फर्म का नाम देते हैं और कहते हैं कि वहां चले जाओ, तुमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब वह आदमी वहां जाता है तो वैसी कोई फर्म नहीं होती। इसके बाद कहीं पुलिस के चक्कर में आ जाता है तो पुलिस उसको बन्द कर देती है। इस तरह के समाचार भी आए हैं कि इंडियन एजेंसी के द्वारा ऐसे लोगों को छुड़वाकर स्वदेश भेजा गया है। इस तरह के कारोबार चल रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान

एंबेसी है, वहां चले जाइए तो वहां भीड़ लगी रहती है। सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तरफ तो सरकार यहां पर लोगों को रोजगार नहीं दे पाती और भुखमरी की स्थिति है, नौजवान पढ़-लिख कर मारे-मारे फिर रहे हैं, उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया है और जब विदेश के बारे में वह सोचता है तो आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती है ? सरकारी अफसरों और प्राइवेट एजेंसियों की सांठगांठ से ये सारे काम चलते हैं। सरकार अपनी जवाबदेही से हट नहीं सकती और जिन लोगों को सरकार ने लाइसेंस दिए हैं, वे भी किसी न किसी रूप में इस धंधे को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, कोई इस तरह का कारपोरेशन तैयार किया जाए और प्राइवेट एजेंसियों से इस काम को लेकर अपनी एजेंसी के माध्यम से रोजगार के इच्छुक लोगों को विदेश भेजने का काम किया जाए ?

मैं बताना चाहता हू, यह "ब्लिट्ज" है इसमें नाम देकर के सारा विवरण छापा गया है करोड़ों रुपए का बीसा घोटाला" 15 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक दिए गए हैं। लेकिन सरकार तो अखबारों को गाली देगी, अखबारों को बदनाम करने की कोशिश करेगी, अखबारों पर प्रतिबन्ध लगाने का काम होता है, जरनलिस्टों को पीटने का काम होता है, लेकिन अन्त में समाचार भी अखबार का ही सही निकलता है। जब अखबार में निकलता है तब सरकार का ध्यान जाता है और सरकार कहती है कि यह समाचार सही है।

मैंने इसके बारे में एक बार राज्यसभा में भी प्रश्न उठाया था, तब भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था और अब फिर घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक यह पुनरावृत्ति होती रहेगी।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है। अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से कितने लोगों पर कार्यवाही की गई है, कितने लोगों को कौन-कौन सी सजाएं दी गई हैं। जो वर्तमान कानून है क्या उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है अगर है तो उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो बीसा के बंगलिंग्स हुए हैं, रैकेट पाए गए हैं, क्या उनमें सरकारी अधिकारियों का भी हाथ रहा है। अगर है तो कितने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। कितने रैकेटियर्स को पकड़ कर जेल में बन्द करने का काम किया गया है। और आगे के लिए सरकार के पास क्या योजना है, जिसके तरहत सरकार लोगों को विदेश भेजने की व्यवस्था करे और जालसाजी करने वालों को मौका न मिले।

क्या सरकार अपनी एजेंसी को इतना चुस्त और स्वस्थ कर देगी, जिसके माध्यम से जो लोग विदेश में जाना चाहें, वह चले जाएं और वहां जाकर फंसे नहीं, उनको रोजगार भी मिले। हमारे यहां से कुछ लोगों को ले जाया गया कि तुमको तीन हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन उनका जो पास-

पोर्ट होता है, वह जेब में रखा रहता है। जहां एक तरफ जाली वीसा और जाली कारोबार होता है, वहां दूसरी तरफ. जो सही काम से जाते हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता है।

मैं, दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, क्या केन्द्रीय सरकार अपना कारपोरेशन बनाने के लिए विचार करती है जिसके माध्यम से लोगों को विदेश में भेजने का काम हो सके। दूसरा, अभी तक आपने किन-किन और कितने लोगों को एजेंसी दी है और लोगों को विदेश में भेजने की उनकी कैपेसिटी क्या है ? तीसरा, आपने अभी तक कितने लोगों तथा अफसरों के विरोध में कार्यवाही की है जो जाली वीसा का काम करते हैं ?

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य ने कुछ व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए हैं और सभी सुरों को पेश किया है जो ...

उपाध्यक्ष महोदय : अन्त में उन्होंने कुछ प्रश्न बड़े स्पष्ट रूप से पूछे हैं।

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : नहीं, नहीं, उन्होंने कुछ बहुत संगत प्रश्न पूछे थे। यदि वे मेरी बात थोड़ा धैर्य से सुनें तो मैं सभी का एक-एक करके जवाब दूंगा।

एक अधिनियम या आप्रवासी अधिनियम,1922 उसका प्रारूप ब्रिटिश शासनकाल में करारबद्ध मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। जो लोग विदेश काम करने जाते हैं उन्हें वीसा देने के लिए उसी अधिनियम का पालन किया जा रहा है।

किन्तु 1979 में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि:

"वह अधिनियम बहुत पुराना हो गया है और विदेश में काम करने वाले मजदूरों की स्थितियों के अनुरूप भी नहीं है।"

उन्होंने कहा :

"इससे पूर्व सभी भरती एजेंसियों द्वारा सरकार से पंजीकृत कराना अपेक्षित है और ऐसे एजेन्ट 802 हैं।"

उस समय अर्थात 1979 में।

उच्चतम न्यायालय ने पंजीकरण की प्रणाली को इस हद तक अमान्य घोषित कर दिया कि वह बिना किसी कानूनी समर्थन के मात्र प्रशासनिक ही हो गया था। परिणामस्वरूप भरती का क्षेत्र सभी के लिए खुल गया और कोई भी व्यक्ति बिना किसी जांच की या पूर्वानुमति के विदेश में कार्य करने के लिए भरती कर सकते हैं। उद्यम के इस विशेष क्षेत्र में काफी पैसा मिल जाता है, इसलिए पंजीकरण अपेक्षता समाप्त करने से भर्ती करने वाले ऐजेंटों की संख्या में बेरोक-टोक वृद्धि हुई जो शीघ्र लाभ पाने की इच्छुक नियमित रूप से गठित फर्म अथवा निजी व्यक्ति, कोई भी

हो सकता था। इसलिए सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं हुआ कि वह उन व्यक्तियों की खबर रख सके जो निर्यात के लिए 'मैन पावर' भर्ती करके शीघ्र मुनाफा कमा रहे हैं।

यह हमारी समस्या है।

इसके पश्चात, मजदूरों की भर्ती करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने कुछेक मार्ग निर्देश निर्धारित किए हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार भर्ती उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार की जाती है जिसके अनुसार विदेशी नियोक्ता या तो सीधे अपने प्रतिनिधियों के जरिए अथवा उनकी ओर से अधिकृत किसी भारतीय ऐजेंसी के जरिए वर्करों की भर्ती कर सकता है। इसके लिए, यह अपेक्षा की जाती है कि भर्ती करने वाली ऐजेंसियां उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार आप्रवास संबन्धी औपचारिताएं पूरी करें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की गई है कि उसमें रोजगार ठेके का पँजीकरण, तथा आप्रवासी के प्रोटेक्टर के पास सिक्योरिटी जमा आदि को भी दिया जाए। किसी अधिनियम के अभाव में जो भी मार्ग निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं, सरकार उनका पालन कर रही है।

श्रम मंत्रालय ने अब ठीक ही बताया है — पहले यह विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता था और श्रम मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया। इसी लिए, इन लोगों के विदेश जाने को विनियमित करने के लिए यह एक विस्तृत विधान बना रही है। विस्तृत विधान बनाने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी गठित की गई है। इसका प्रमुख आशय यह है कि जब इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाए तथा इसे कानून बनाने के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो कुछेक महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए अथवा उन पर विचार किया जाना चाहिए। इस विधेयक को प्रतिपादित करते समय मंत्रीजी ने इन कुछेक बाधाओं को ध्यान में रखा है।

इस प्रकार के विशेष मंत्रालयों, विशेष रूप से वो जिनकी विदेश में परियोजनाएं चल रही हैं, को इस प्रस्ताव में दिलचस्पी है। तथा इस विधेयक में दिए गए प्रस्ताव में विदेश श्रम बाजार में क्षमताओं का प्रभावी रूप से उपयोग करने का भी जिक्र है इसमें भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति पर विचार किया गया है, तथा इसे भारतीय वर्करों के बाहर जाने पर रोक लगाने वाला अथवा भारतीयों द्वारा विदेशों में परियोजनाएं निष्पादित करने में होने वाली प्रतिस्पर्धा को कम करने वाला भी नहीं होना चाहिए।

यह वह मार्ग निदेश अथवा मार्ग निर्देशक तथ्य है जो यह मंत्रालय इन मामलों को विनियमित करने के लिए एक विस्तृत विधेयक तैयार करने के लिए उपयोग में लाएगा ताकि बेईमान लोग स्थिति का फायदा न उठा सकें। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं इस देश में बेरोजगारी है तथा जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है 'मैनपावर' का उपयोग कुछ हद तक सीमित ही है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हमारी 'मैनपावर' का बहुत लाभदायक उपयोग किया

जा सकता है । हमारी भारत सरकार, यह कोशिश कर रही है कि इन लोगों को सही तरीके से बाहर भेजा जाए तथा इसमें जिन बातों को मैंने अभी जिक्र किया है, उन्हें ध्यान में रखा जाए और यह भी देखा जाए कि जो लोग इस प्रकार के काम में लगे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है । इस विधेयक में उन्होंने यह बताया है । मैंने दर्ज किए गए मामलों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाही के बारे में भी बता दिया है ।

माननीय सदस्य के फायदे के लिए मैं यह भी बता रहा हूं कि एक समय ओवरसीज मैनपावर कार्पोरेशन बनाए जाने का भी प्रस्ताव था । तथापि, इस प्रस्ताव को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि विदेश में जाने वालों की निरंतर होने वाली वृद्धि कोई निश्चित नहीं थी तथा हमारा उद्देश्य वर्करों को संरक्षण देना था । यही नहीं, बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने 'मैन-पावर' निगम गठित किए हैं । महोदय, उदाहरण के लिए आपके अपने राज्य तमिलनाडु ने भी ऐसा किया है । हम वैसे ही और निगम नहीं बनाना चाहते और न ही उनके लिए कठिनाई पैदा करना चाहते हैं । इसीलिए, भारत सरकार गंभीरता पूर्वक यह सोच रही है कि क्या हम एक प्रकार का ऐसा समन्वय कक्ष स्थापित कर सकते हैं जिसका काम यह देखना हो कि क्या विभिन्न राज्यों में गठित किए गए 'मैनपावर' निगमों को विनियमित किया जा सकता है, क्या भारत सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय में एक प्रकार से समन्वय का कार्य किया जाए । इस सम्बन्ध में ये महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने उत्प्रवासन के सम्बन्ध में भी बात कही है । उन्होंने यह कहा है कि उत्प्रवासन विभाग में कुछ गोल-माल है ।

मैं आपको बता सकता हूं कि हमने विदेशी नियोजकों की ओर से वर्करों को सभी जगह नियुक्त उद्देश्य से उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के 20 मार्च, 1979 के आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, कर्म अथवा संस्थान उसके अथवा उनके विदेशी मालिकों की ओर से वर्करों की भर्ती अथवा नियुक्ति कर सकता है बशर्ते कि उनके पास ये दस्तावेज हों :

(एक) विदेशी मालिक द्वारा भरा गया मुख्तारनामा हो जिसमें उन्हें प्राधिकृत किया गया है कि वह नौकरी वाले देश में भारतीय दूतावास द्वारा विधिवित प्रमाणित अपनी ओर से वर्करों को भर्ती करें;

(दो) भारतीय दूतावास द्वारा विधिवत प्रमाणित देय मंजूरी के साथ श्रेणी और रखे जाने वाले अपेक्षित श्रमिकों की संख्या को दर्शाने वाला मांग-पत्र ।

(तीन) नियोक्ता और कर्मचारी के बीच किया जाने वाला रोजगार समझौता, उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर उत्प्रवासी संरक्षक, जिनका कार्यालय बम्बई, कलकत्ता,

मद्रास, दिल्ली, कोचीन, त्रिवेन्द्रम और चंडीगढ़ में है, दस्तावेजों की पूरी जांच के उपरांत उत्प्रवास की अनुमति की इजाजत दे देता है।

उसके बाद भर्ती एजेंट को दस रुपए के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर बैल गारंटी बांड देना पड़ता है। नीचे दी गई श्रेणी के अनुसार बैंक गारंटी की राशि दी जाती है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसका विवरण दे सकता हूँ। बैंक गारंटी जमा होने के बाद उत्प्रवासी संरक्षक अन्तिम रूप से उत्प्रवास की अनुमति दे देता है और श्रमिक के पासपोर्ट पर तथा सेवा के समझौते पर, जिसकी एक प्रति इस अधिकारी के पास रजिस्टर्ड रहती है, उचित पृष्ठांकन कर देता है।

कुछेक मामलों में जहां उत्प्रवास की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, वहां इस अनुमति को रद्द करने के लिए आवश्यक पृष्ठांकन भी कर दिया जाता है। सही कुछेक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इस हेरा फेरी में शामिल हैं अभी तक तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य कुछ उदाहरण पेश करें तो मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि इस हेरा-फेरी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामविलास पासवान : आपने कितने लोगों को प्राइवेट लाइसेंस दिया है और कितने लोगों की कैपेसिटी के लिए ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं कह चुका हूं यह प्रणाली अब प्रचलित नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्ग निदेशों का पालन करते हैं। यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर ही लागू की गई है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछेक मार्ग-निदेश निर्धारित किए हैं और हम उनका पालन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान उत्प्रवास विधेयक पर बाद में चर्चा होगी। श्री मेहता, अब आप बोलिए।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कहीं तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है अपने बचाव के लिए.....

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : हमारे सबके बचाव के लिए। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पढ़ लेने दीजिए जो आपने स्वयं उद्धृत किया है दूसरे सदन में इसी विषय पर चर्चा के सम्बन्ध में :

'सर्वोच्च न्यायालय ने 'काउन्सल' को फिर आश्वासन दिया है। न्यायालय ने निम्न आदेश दिए हैं :—

"दिनांक 20 मार्च 1979 के आदेश जो कि दिनांक 30 जुलाई 1979 के आदेशों

[प्रो० अजीत कुमार मेहता]

के साथ पढ़े जाएं, का क्रियान्वयन तब तक के लिए रोक दिया जाए जब तक कि संसद इस विषय पर विधेयक पारित नहीं करती।"

यह 1979 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। मतलब यह कि 1979 में ही यह समस्या खड़ी हो गई थी और यह सरकार को मालूम था। 3 साल इस बिल को लाने में लगे, लेकिन अभी तक कामप्रीहेंसिव बिल तैयार नहीं हो सका। लगता है कि अचार की तरह से है कि जितने ज्यादा दिन लगाये जायें उतना ही अच्छा होगा। पता नहीं कब सामने आयेगा। वह बिल तो 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में एक डेड लाइन दे दी थी.....

श्री पी वेंकटसुब्बय्या : मार्गनिदेशन कि अंतिम सीमा।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मैंने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में एक डेड लाइन दे दिया था, कि इस समय तक, 30 जुलाई 1979 तक आ जाना चाहिए इसके बारे में। लेकिन उसको उन्होंने बाद में अमेंड किया जो कि मैंने पढ़ा है कि जब तक संसद इस विषय में विधेयक पारित नहीं कर देती।'

तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि टैक्नीकैलिटी का सहारा लेकर हम इस बिल को पेंडिंग रखें, पता नहीं कब तक ? ईटर्निटी तक ? तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन हमारे ख्याल में आपने टैक्नीकैलिटी का सहारा लिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कयामत तक.....

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सरकार ने कार्यबाही की है। उन्होंने कहा है कि 820 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि सरकार भी कार्यवाही कर रही है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइड लाइन्स दिया है और इतने दिनों तक जो कमियां हैं वह सामने आयी हैं.....उस पर आप क्या विचार करेंगे ?

एक तो यह है कि एम्लायर को डाइरेक्टली यहां पर रिक्रूट करना चाहिए, तो यह ठीक है। आपको पता है, हिन्दुस्तान में बहुत से अखबारों में ऐसे झूठे विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, नाइजेरिया और सऊदी अरेबिया की ओर से या और दूसरे-दूसरे स्थानों की ओर से, जहां कि मजदूरों के जाने की संभावना होती है, कि हमें इतने मजदूरों की जरूरत है। और वह वहीं रैकैटियर्स करवाते हैं। जब प्रकाशित हो जाता है तो उनके आधार पर ये लोगों को बरगलाकर भरती करना शुरू कर देते हैं।

दूसरी गाइड लाइन है जितने भी मजदूर भेजे जायें, प्रत्येक मजदूर के हिसाब से कुछ जमानत की रकम जमा करवा ली जाये। उसमें ये क्या करते हैं, रैकैटियर्स ? जितना रुपया जमा कराना है जमानत के रूप में, उतना रुपया वह पहले ही मजदूर से वसूल कर के रख लेते हैं, तब आगे की बात करते हैं कि भेजा जायेगा या नहीं भेजा जायेगा। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि रुपया जमा कर लेने के बाद भी उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वह घूमते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं दिनमान का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जयप्रकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बहुत पहले ही ऐसी धोखाधड़ी की थी और मजदूरों ने मांग की कि उनको विदेश भेजा जाना चाहिए, (व्यवधान)

"दिनमान" के 27 जून -3 जुलाई, 1982 के अंक में जो लिखा है, उससे पहले 27 मार्च, 82 के अंक में भी खबर प्रकाशित हुई थी। जिसमें कहा गया था कि जयप्रकाश कम्पनी के माध्यम से कुछ हजार मजदूरों की बहाली विदेश जाने के लिए हुई और उसके बाद उनको विदेश में न भेज कर वसन्त विहार के पांच सितारा होटल "सिद्धार्थ इंटर-कांटीनेन्टल" के निर्माण कार्य में लगा दिया गया और उनको उचित मजदूरी भी नहीं दी गई। इस पर उन मजदूरों ने संघर्ष किया और इस कम्पनी को सार्वजनिक रूप से मजदूरों से मांफी मांगनी पड़ी और मजबूर होकर उन मजदूरों को बगदाद भेजना पड़ा। वहां जाकर उन पर क्या जुल्म हुए, वह जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ—

> "मगर बगदाद में इन मजदूरों के लिए एक ज्यादा यातनापूर्ण नरक इंतजार कर रहा था जो उनकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। निर्माण मजदूर एकता समिति, दिल्ली के संयोजक को उड़िया में लिखे एक सामूहिक पत्र में, जिसके साथ डेढ़ सौ मजदूरों के हस्ताक्षर हैं, भारतीय मजदूरों ने वहां से किसी भी तरह मुक्त कराये जाने की मार्मिक अपील की है, "

और उनको बाहर पत्र भेजने की भी इजाजत नहीं थी। किसी तरह यह पत्र उन्होंने भेजा जो यहाँ मिला, उससे मामला प्रकाश में आया। आगे इस पत्रिका में क्या लिखा है।

> 'ईराक में इन मजदूरों को सुबह चार बजे जगाकर एक रोटी और एक कप चाय देकर बसों में बिठा दिया जाता है, पच्चीस तीस किलोमीटर की दूरी तक ये बसें मजदूरों को लेकर जाती हैं जहां वे दोपहर एक बजे तक काम करते हैं। एक बजे उन्हें खाने के लिए ले जाया जाता है। यह खाना कुत्तों के खाने लायक भी नहीं होता और भूखे मजदूरों के सामने बहुत थोड़ी मात्रा में फेंक दिया जाता है। खाने के बाद दुबारा काम शुरू होता है जो अमूमन ग्यारह बजे रात तक चलता है। सारे समय और जबर्दस्ती, गालीगलौज और धमकाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। आधी रात को काम से लौटने पर पता चलता है कि पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं। पेय जल का अत्यधिक अभाव उनकी जिंदगी की

[प्रो० अजीत कुमार मेहता]

एक सामान्य स्थिति बन जाता है। रात को खाने के नाम पर मुट्ठी दो मुट्ठी सूखा भात उन के सामने डाल दिया जाता है। सब्जी का होना न होना प्रबन्धकों की खुशी पर निर्भर करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इतना कुछ उद्धृत कर रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय, अन्यथा मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु, आप इतना अधिक समय नहीं ले सकते। आज की कार्यसूची में अन्य मदें भी हैं। उन पर भी तो विचार विमर्श करना है। अभी मुझे 377 के अधीन मामले भी निपटाने हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमेशा हमारे सामने लक्ष्मण-रेखा खींच देते हैं, थोड़ा रिलैक्स तो कीजिए।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : आप कोई सीमा मत रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब मैं अनुमति दे तो सकता हूँ परन्तु हमें दोपहर बाद 3-30 पर गैर सरकारी सदस्यों की कार्यसूची पर विचार करना है। उससे पूर्व 377 के अधीन काफी मदें हैं। सब सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप हमारे सामने लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं इससे क्रम टूट जाता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ। अन्यथा 377 के अधीन मामले दोपहर बाद 3-30 बजे नहीं लिए जा सकते। इसलिए आप कृपया अपना सहयोग दें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं कहना चाहता हूँ कि अंततोगत्वा जब ये मजदूर वहाँ से भारतीय दूतावास में पहुचे तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया गया। वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कम्पनी के लोग भारतीय दूतावास के अधिकारियों को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस अधिकारी जोर देकर कह रहा था कि फैसला वहीं करा दिया जाए, मगर दूतावास के अधिकारी मामले को अपने हाथ में लेने की जिद करते रहे। उसके बाद मजदूरों को खाने पर भेज दिया गया। दूतावास के अधिकारियों ने बाद में मजदूरों से कहा कि उनके कैम्प पर जा कर ही फैसला किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसको संक्षेप में बता दीजिए। आप पहले से इसे पढ़ लेते और इसका सार बता देते। आप तो एक छात्र की तरह पढ़े जा रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : चूंकि यह महत्त्वपूर्ण है इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता । आप कृपया अपना प्रश्न पूछें, यदि आप चाहते हैं कि मन्त्री महोदय इसका जवाब दें तो मैं आपको अनुमति दे सकता हूं ।

श्री रामअवतार शास्त्री : महोदय, आप इतना कठोर रवैया क्यों अपनाते हैं ?

प्रो अजित कुमार मेहता : ठीक है महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछता हूं ।

श्री रामअवतार शास्त्री : कभी तो बहुत उदार हो जाते हैं और कभी बहुत कठोर ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप प्रश्न पूछिए, वक्तव्य नहीं दीजिएगा ।

श्री अजित कुमार मेहता : महोदय मुझे पूरी बात कहने दें । यह रैलेवेंट प्वाइंट है । आप नहीं कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा । यह मैं औथेन्टिक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं परन्तु मुझे अपनी बात पूरी कह लेने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद आप प्रश्न पूछिए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं वायदा कर चुका हूं कि मैं कुछ विशेष उदाहरण देना चाहता हूं ।

उपाध्क्षय महोदय : परन्तु आप जितना समय चाहें उतना समय नहीं ले सकते । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बारह मिनट से अधिक समय ले चुके हैं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय केवल पांच मिनट और दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से कह चुका हूं कि हमें गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही और दोपहर का भोजन भी करना है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : तब तक मैं समाप्त करलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं । अन्यथा मैं अगले सदस्य को अनुमति दूं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं पर पहले मैं चाहता हूं कि ···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं लम्बे-चौड़े वक्तव्य की अनुमति नहीं दे सकता ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं वक्तव्य नहीं दे रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं अन्तिम वक्ता डा० कृपा सिंधु भाई से अगला प्रश्न रखने के लिए कह रहा हूं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : वहां जब दुतावास के अधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि बाद में वहां के कम्पनी वालों से मिलकर मजदूरों को ही कहा कि तुम जाकर काम करो नहीं तो तुम्हारे पासपोर्ट पर लिख दूंगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैं कहना चाहता हू कि पासपोर्ट भी पहले तो मजदूरों के हाथ में नहीं दिया गया, अपने पास रख लिया गया उसके वाद क्या होता कि जैसा आपने कहा...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप स्थिति से समझौता नही कर सकते तो क्षमा करे आप एक सफल सांसद नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेंहता : मैं आपसे कह चुका हूँ। कि मैं कुछ बिशेष मुद्दे रखना चाहता हुं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक दो मिनट के भीतर प्रश्न पूछिए।

प्रो० अजीत कुमार मेंहता : नो डिस्क्शन मैं कह रहा था कि जैसा आने जवाब दिया है, कि जैसे ही आपको पता चलता है, मामले पर कार्यवाही की जाती है। लेकिन आपने इस मामले की जाँच के लिए जिन को भेजा था, उसका जवाब आया कि जिस एजेन्सी का नाम दिया गया, वह एजेन्ट वहां से अपने स्थान बन्द करके चला गया है। वह एजेन्सी मिल नहीं रही है। लेकिन एसा हुआ कि उस एजेन्ट को लीगों ने पकड़कर थाने में भी पहुंचा दिया था। उसके बाद भोगेन्द्र झा जो की उस थाने के इन्चार्ज से वात हुई। थाने के इंचार्ज ने भोगेन्द्र झा जी को जो जवाब दिया वह मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होने कहा कि ...

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं कैसे जवाब दे सकता हूं ?

उपाध्यक्षमहोदय : वह एक चीज का उत्तर नही दे सकते। श्री भोगेन्द्र झा यहां बैठे क्या कर रहे हैं ?

प्रो० अजित कुमार मेंहता : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री भोगेन्द्र झा को थाने का इनचार्ज ने जवाव दिया कि उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन दूसरे दिन वह छोड़ दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकारी अधिकारियों की मिली-भगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे अभी प्रश्न पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बात पूरी कर चुके हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अब मैं अपना प्रश्न पूछता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रश्न दोपहर के भोजन के बाद पूछना चाहते हैं ? अभी प्रश्न पूछिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : विदेश विभाग के जिन अधिकारियों की ऐजेंटों से मिली-भगत है, क्या वे सरकार की नजर में हैं, यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

जो मजदूर विदेशों से वापस आना चाहते हैं, क्या सरकार उनको वापस लाने का प्रबन्ध करेगी ?

जब इतने दिनों से यह क्रम चल रहा है, जिसके समाचार बराबर पत्रों में आ रहे हैं, तो ऐसी एजेन्सियों का पता लगाने के प्रयास अब तक क्यों नहीं किए गए हैं, यदि किए गए हैं, तो ऐसी ऐजेन्सियां कितनी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जो एजेंट सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को ध्यान में रख कर कि बाहर भेजे जाने वाले प्रति-व्यक्ति के हिसाब से जमानत की रकम जमा करना एजेंट के लिए बाध्य कर दिया जाए, बाहर जाने वाले व्यक्ति से ही यह पैसा अग्रिम लेना शुरू करें, उनको रोकने के लिए सरकार कौन सा प्रावधान करने जा रही है ?

जो मजदूर विदेशों में भेजे जा चुके हैं, उनको मानवोचित सुविधा दिलाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

बेकारी से तंग आकर, मजबूर होकर अमानवीय शर्तों पर विदेश जाकर अपनी जीविका अर्जित करने की भारतीय मजदूरों की प्रवृति के प्रति अरुचि पैदा करने के लिए देश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन-सा कारगर कदम उठा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूरा हो चुका है। मन्त्री महोदय, आप अब उत्तर दे सकते हैं। यह प्रश्न कभी खत्म नहीं होगा।

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय, आपने मेरा प्रश्न तो शांति से खत्म ही नहीं होने दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आज आखिरी दिन है। इतनी सारी मदें अभी बाकी हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि यह मामला विदेश

[श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या]

मन्त्रायय के पास था फिर यह श्रम मन्त्रालय के अधीन आया। अब यह मेरे पास आ गया है तथा इसका जवाब मुझे देना पड़ रहा है।

विदेश मन्त्रालय से जब यह मामला श्रम-मन्त्रालय के पास सितम्बर, 1981 में आया तब से बेइमानी, सेवा की शर्तों को तोड़ना, कम राशि देना आदि से सम्बन्धित 158 व्यक्तिगत शिकायतें श्रम मन्त्रालय को प्राप्त हो चुकी हैं। उत्प्रवासी संरक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि वह इन मामलों में शामिल फर्मों को अप्रवास की अनुमति न प्रदान करें। सरकार के लिए ऐसे अपराधियों को दण्ड देना बहुत कठिन होता जा रहा है क्योंकि अव्वल तो इस बात का कोई सबूत ही नहीं होता। दूसरे एजेंटों को श्रमिकों से मनमानी फीस लेने से रोकने के लिए कोई कानूनी प्रावधान भी नहीं है। ठेके की शर्तों को बदलने और जीवन यापन। कार्य दशा ठीक न होने के मामलों में भारतीय मिशनों द्वारा आवश्यक सहायता दी जाती है जोकि पहले नियोक्ता से शिकायत दूर करने के लिए कहते हैं और यदि वह ऐसा नहीं करते तो वह मजदूरों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि वह स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले को उठा सकें।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को खासतौर पर यह हिदायत दी गई है कि जहां भी इन व्यक्तियों को भर्ती करते समय दी गई गारंटी या समझौते को तोड़ा गया है वहां वह इस मामले में हस्तक्षेप करें।

जहां तक व्यापक विधेयक का सम्बन्ध मन्त्री महोदय राज्य सभा में पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि अगले बजट सत्र एक व्यापक अप्रवास विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। यह उन्होंने कहा था।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जो अप्रवासी अधिकारी इन लोगों के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी ? आपने यह समाचार तो पढ़ा होगा।

श्री पी० बेंकट सुब्बय्या : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई विशिष्ट उदाहरण है तो उन्हें आप हमें बताइए। माननीय सदस्य ऐसे उदाहरण हमें बताएं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आपने यह समाचार तो पढ़ा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब पढ़ने के स्थान पर आपको इन के साथ-साथ नियम भी पढ़ने चाहिए। श्री कृपासिंधु भाई, अब आप बोलिए।

डा० कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : इस सभा में, इस प्रश्न पर कभी श्रम विभाग के कभी विदेश विभाग और कभी गृह मंत्रालय के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। पिछले सत्र में भी मैंने श्रम मंत्रालय से एक विशेष प्रश्न पूछा था तथा उन्होंने 1982-83 के दौरान एक व्यापक विधान लाने का आश्वासन दिया था। भारत में, विश्व में तीसरे नंबर पर, सबसे अधिक दक्षता प्राप्त लोग हैं तथा हमारे देश में अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक अदक्ष मजदूर हैं। चीन और अन्य विशाल जन-संख्या वाले देश से भी अधिक अंतराष्ट्रीय स्तर पर हमारे दक्षता प्राप्त मजदूरों की काफी प्रष्ठिठा है, क्योंकि वे मेहनत करने वाले लोग हैं। बहुत से देशों में दक्षता-प्राप्त मजदूरों की कमी है तथा वे भारत के दक्षता प्राप्त वर्करों को आधारभूत सुविधाओं, उद्योगों और अन्य स्थानों पर नियुक्त कर रहे हैं।

मंत्री महोदय द्वारा दिया गया जवाब स्पष्ट नहीं है। इस विवरण में उन्होंने बताया है "10 अक्तूबर, 1982 को पुलिस में दर्ज कराई गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 3 ट्रैवल एजेन्ट्स बन्दी बनाए गए।" विभाग द्वारा जो अनुवर्ती कार्यवाही की गई, उससे हमें अवगत कराया जाना चाहिए। विस्तृत विधान के विचारणीय विषय क्या हैं ? क्या सरकार मानवीय संसाधनों का देश से बाहर निर्यात करने के लिए अपनी स्वयं की निर्यात एजेंसी अथवा निगम बनाएगी ? देश में कानूनी रूप से पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की संख्या क्या है ? वे प्राधिकृत एजेंट हैं अथवा नहीं ? क्या सरकार ने मानवीय संसाधनों का निर्यात करने के लिए उन लोगों को परमिट दिए हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं अथवा जिन्हें निर्यात की जाने वाली 'मैन पावर' (व्यक्तियों) के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं उन व्यक्तियों के नाम जानना चाहता हूँ जिन्हें ये निर्यात लाइसेंस दिए गए है तथा किन परिस्थितियों में उन्हें ये लाइसेंस दिए गए ?

दक्षता प्राप्त वर्करों को भेजने के स्थान पर ये धोखेबाज अदक्ष लोगों को भेज देते हैं, बहुत से संसद सदस्य भी इसके शिकार हैं क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट पर हस्ताक्षर किए होते हैं। हमारे विदेशी मिशन उन्हें हमारे देश इसलिए वापिस भेजते हैं क्योंकि वे अदक्ष वर्कर हैं तथा उन परियोजनाओं में काम करने के उपयुक्त नहीं हैं। प्रोफेसर अजित कुमार मेहता ने मंत्री महोदय से एक संगत प्रश्न पूछा है। दिल्ली में कुछ दिन पहले सभी समाचार पत्रों में उड़िया मजदूरों को परेशान किए जाने से संबंधित खबर थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा इसे सरकार की जानकारी में भी लाया गया। मैसर्स जयप्रकाश एण्ड एसोसिएट्स नामक निर्माण कंपनी के उड़ीसा में कुछ एजेंट हैं। दो-तीन साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, अब वे लाखों के मालिक हैं। क्या गृह विभाग इसकी जांच करेगा कि ये एजेन्ट कौन हैं, उस समय इनकी परिसंपत्तियां क्या थी और अब क्या हैं तथा किस प्रकार उन्होंने इस पैसे का संचय किया। पहले इन मजदूरों को ऐसा कहा जाता था कि उन्हें ईराक, ईराक और अन्य देशों में 3000 रु० दिए जाएंगे। लेकिन अब यह पाया गया कि जिन लोगों को वहां भेजा गया वह अपने परिवार को केवल 800 रु० भेज रहे है तथा बाकी पैसा जयप्रकाश एण्ड एसोसिएट्स तथा अन्य लोगों द्वारा हड़प लिया जाता है। श्री मेहता ने यह भी बताया कि एक शिकायत

[डा० कृपा सिन्धु भोई]

यह भी है कि जिन लोगों को ईराक भेजा गया, वह बहुत ही खराब स्थिति में हैं। ईरान और ईराक में भेजे गए उस विशेष दस्ते की वर्तमान स्थिति क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी है। जयप्रकाश एण्ड एसोसिएट्स जिसने अभी हाल ही में बालपुर, उड़ीसा में एक 3 स्टार होटल का निर्माण किया है, के एजेन्ट के जरिए 300 से भी अधिक मजदूरों ने पैसा दिया। इन गरीब मजदूरों द्वारा दी गई राशी—प्रत्येक द्वारा 3-4 हजार रु० से अधिक, उसने अब तक नहीं लोटाई और अब दिल्ली में वे दर-दर भटक रहे हैं। बहुत से होटलों में उन्हें केवल 5 रु० रोज ही मिल पाते हैं, हमें नहीं मालूम सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है अथवा नहीं, मैं जानकारी उपलब्ध करा सकता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या गृह मंत्री इसकी जांच कराएंगे तथा इन मजदूरों को उनकी मजदूरी का सही वेतन दिला कर उन्हें उड़ीसा भेजने का उचित इन्तजाम करेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस विशेष कंपनी के संबंध में—मैसर्स जयप्रकाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, माननीय सदस्य द्वारा जिन तथ्यों का जिक्र किया गया है, इस समय मेरे पास नहीं हैं जो भी सूचना वह दे सकते हैं, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी रहूँगा। हम इस पर अवश्य ही कार्यवाही करेंगे। अगर उन्होंने किसी कानून अथवा अधिनियम का उल्लंघन किया है, तो उन्हें अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। हम पहले ही अनुदेश जारी कर चुके हैं—मैंने पहले ही पढ़कर सुना दिया है—कि अगर इनमें से किसी भी कंपनी अथवा व्यक्ति ने किसी कानून अथवा विनियम का उल्लंघन किया है, तो उन्हें काली सूची में शामिल किया जा सकता है तथा उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस व्यापक विधेयक के संबंध में मैंने पहले ही बता दिया है कि श्रम मंत्री ने राज्य सभा में बताया है कि वह संसद के बजट सत्र में एक विधेयक लाएंगे।

माननीय मंत्री ने दक्षता-प्राप्त मजदूरों और अदक्षता-प्राप्त मजदूरों के संबंध में कहा है। हमारे लोगों को विदेश भेजने का हमारा बहुत ही बड़ा रिकार्ड है। बहरीन में—विदेशों में काम कर रहे मजदूरों के आंकड़े मैं मोटे तौर पर दे रहा हूँ—इनकी संख्या 30,000 है ; ईराक में 27,000, जोर्डन में 4000 से 5000, कुवैत में 1,25,000, लीबिया में 40,000, ओमान में 65,000, कातार में 30,000, सऊदी अरब में 1,20,000 से 1,50,000, संयुक्त अरब अमीरात में 2,50,000 यमन अरब रिपब्लिक में 7,000 और यमन पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में 1000।

विदेशों में हमारे दूतावासों द्वारा इन लोगों की देखरेख के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है तथा जो भी सहायता आवश्यक हो, उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है।

इस संबंध में मैं आपको यह बता दूं कि श्रम मंत्रालय द्वारा एक पैंफलेट प्रकाशित किया गया है। इस पैंफलेट में रहने की शर्तें, काम करने की शर्तें और संभावित वेतन आदि का विवरण दिया गया है। यह पैंफलेट विदेशों में जाने वाले संभावित उत्प्रवासियों और बाहर रह रहे उत्प्रवासियों के निर्देशन के लिए तैयार किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और व्यापक प्रचार करने के लिए राज्य सरकारों को ये पैंफलेट भेजे गए हैं। इन पैंफलेट्स की प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा के डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच को संसद सदस्यों को बांटने के लिए दी गई है। संभावित उत्प्रवासियों की जानकारी के लिए कुछ करने एवं नहीं करने योग्य बातें प्रकाशित करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी अनुरोध किया गया है। सामान्य जानकारी के लिए एक छोटा वृत्त चित्र तैयार करने के लिए फिल्म प्रभाग से भी अनुरोध किया गया है।

हम सावधानी के सभी उपाय कर रहे हैं ताकि विदेश जाने के इच्छुक भोले-भाले लोगों का इन बेइमान लोगों द्वारा शोषण न किया जाए इसलिए, जो भी संभव है, वह किया जा रहा है।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 अक्टूबर को बीसा रैकेट का समाचार समाचार पत्रों में आया था जिसकी वजह से हम इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दो-नम्बर का धन्धा करने वाले बड़ी मात्रा में दिल्ली में ही नहीं है अपितु सारे देश में है। इनके माध्यम से जो देश में बेरोजगार लोग हैं, उन बेरोजगार लोगों को लालच देकर और यह बताकर कि विदेशों में यदि तुम रोजगार के लिए जाओगे तो तुम्हें इतनी सुविधायें मिलेंगी, इतना पैसा मिलेगा और आराम भी मिलेगा। इस लुभावने आकर्षण के कारण, बेरोजगारी की स्थिति के कारण, वह आदमी विदेश में चला जाता है। यह बात नहीं है कि बिना पढ़े-लिखे लोग जाते हैं, पढ़े-लिखे लोग भी जाते हैं। डाक्टर्स और इंजीनियर्स भी जाते हैं।

मैं आपको इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे एक मित्र इस योजना के अन्तर्गत विदेश में गए। वहां की स्थिति इतनी शर्मनाक है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं। वहां किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता है। यह एक दास्तान है, जिसको मैं मंत्री जी को अलग से बताऊंगा, लेकिन आज जो इस तरह के "रैकेट्स" हैं, इससे स्थिति बहुत खराब है।

आपने बताया कि 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 37 मामलों में जांच-पड़ताल चल रही। इस तरह के जो लोग जनता को फँसाने का काम करते हैं, इनके नाम अखबारों में प्रकाशित किए जाने चाहिएं ताकि अन्य लोग इनके चंगुल में न फँसें।

हमारे यहां से कुछ मजदूर आए थे, उनसे हजारों रुपया एडवांस के रूप में ले लिया गया। मैंने

[श्री सत्यनारायण जटिया]

इनकी मदद करना चाहा लेकिन उन लोगों ने वह पैसा वापिस नहीं किया। गरीब लोग अपने घर का जेवर बेच कर पैसा लाते हैं और उस पैसे को ये लोग ले लेते हैं। यह गुण्डों का एक बड़ा रैकेट होता है जो मेहनतकश लोगों का शोषण करता है। ये लोग हमारे देश के लिए कलंक हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरी मांग है कि इस तरह के जो लोग पकड़ में नहीं आते हैं, उनको पकड़ने के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करे और जो लोग पकड़े जाते हैं उनके नाम प्रकाशित किए जाएं, ताकि अन्य लोग इनके चंगुल में न आ सकें।

हमारे यहां इतनी बेरोजगारी है। दो करोड़ से ज्यादा खेतीहर मजदूर हैं और लाखों शिक्षित बेरोजगार हैं। रोजगार के लिए हर आदमी परेशान होता है। इसलिए सरकार की ओर से किसी प्रभावी एजेंसी का इंतजाम होना चाहिए जो विदेश में रोजगार पाने वालों को सही मार्ग दर्शन दे सके और जो लोग विदेश चले जाते हैं उनके साथ ठीक व्यवहार हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए भी सरकार व्यवस्था करे। इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है इसके बारे में जानकारी दी जाय ? (इति)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि जो लोग दोषी ठहराए जाए, उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएं। हम इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा करना संबद्ध नियमों और विनियमों के अन्तर्गत व्यवहार्य है.....

उपाध्यक्ष महोदय : ताकि वह दोबारा से ऐसा अपराध नहीं कर सकें।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस सुझाव पर अवश्य ही विचार किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने 'मैन पावर' (जनशक्ति) निगमों का गठन किया है ताकि इसे विनियमित, संघटित और युक्ति-युक्त बनाया जा सके। इस लिए हमने यह सोचा कि केन्द्र स्तर पर हमें अलग से एक अन्य 'मैन पावर' निगम बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि निगरानी और समन्वय का कार्य इस प्रकार किया जाए कि बेईमान लोग इन लोगों का शोषण नहीं कर सकें। मैं माननीय सदस्य को इसका आश्वासन देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा भोजनावकाश के लिए स्थगित होती है तथा 2 बजकर 20 मिनट पर पुनः समवेत होगी।

लोकसभा सध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 20 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 25 मिनट म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल के उत्तरी भाग के लिए पर्याप्त रेलगाड़ियां चलाने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित विवरण देता हूं :

केरल के उत्तरी भाग में रेल सुविधाएँ बहुत कम हैं। इन क्षेत्रों से हर रोज हजारों लोग बम्बई, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में जाते हैं। किसी सीधी गाड़ी के न होने के कारण इन यात्रियों को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेल-सुविधाओं में सुधार करने के लिए बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद मालावार की बराबर उपेक्षा की गई है।

अभी हाल ही में, रेलवे बोर्ड ने 1-10-1982 से नई चलाई गई मंगलौर-पालघाट लिंक एक्सप्रेस में दिल्ली के लिए 7 सीधे डिब्बे और बम्बई के लिए 2 सीधे डिब्बे लगाए जाने का निर्णय लिया। इसका जनता ने खुले तौर पर स्वागत किया। लेकिन, कितनी हैरानी की बात है कि बोर्ड ने अन्त में अचानक अपना निर्णय बदल लिया। इससे उत्तर केरल के लोगों में काफी रोष उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इन लोगों की काफी समय से यह शिकायत रही है कि रेलवे इनकी उपेक्षा कर रहा है। दिल्ली और बम्बई तक सीधे डिब्बे लगाए जाने से इस क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सकती थी। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध करूँगा कि वह उत्तर केरल की यात्रा करने वाली जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित उपाय करें :—

(1) जैसा कि रेलवे बोर्ड ने पहले निर्णय किया था, दिल्ली और बम्बई के लिए सीधे डिब्बे लगाये जाएँ।

(2) नई चालू की गई मंगलौर पालघाट सम्पर्क एक्सप्रैस रेल सेवा को कोयम्बतूर तक बढ़ाना।

(3) शोरनपुर जंक्शन में सम्पर्क लाइन पर एक प्लेटफार्म का निर्माण।

(दो) कुष्ठ नियंत्रण हेतु उपाय

श्री रासबिहारी बहेरा (कालाहांडी) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं :—

[श्री रासबिहारी बहेरा]

कुष्ठ रोग की भयानक बीमारी उड़ीसा में भीषण गति से बढ़ती जा रही है। इसने तटीय क्षेत्र के साथ-साथ बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामों को विशेष तौर पर लपेट में ले लिया है। एक अनुमान के आधार पर प्रति 1000 की जनसंख्या में से 15 कुष्ट-रोगी उड़ीसा के निवासी हैं। ऐसे कुष्ट रोगियों की संख्या बोलनगीर, संबलपुर, कालाहांडी तथा कुछ तटीय जिलों में भी बढ़ती जा रही है।

स व्यापक बीमारी का एक प्रमुख कारण स्रोतों के पानी में फ्लोराइट की मात्रा होना है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक मात्र पेय जल का स्रोत है, पुरी जिले में हर वर्ष भारी संख्या में कुष्ठ रोगी मरते हैं और उनके स्थान पर नए कुष्ट रोगी आ जाते हैं।

कुष्ट-रोग के नियन्त्रण के लिए यदि शीघ्र उपाय न किए गए तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अतः भारत सरकार को इस खतरनाक बीमारी के फैलाव व नियन्त्रण पाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। कुष्ठ-विरोधी कार्यक्रम जोरदार ढंग से लागू किए जाने चाहिए। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों को इस बीमारी पर नियन्त्रण पाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुष्ठ-रोगियों के लिए पुनर्वास कालोनियां अविलम्ब स्थापित की जानी चाहिए। कुष्ठ-रोगियों के उचित इलाज के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

(तीन) एसेटिक एसिड के विनिर्माताओं की मदद करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, अल्कोहल पर निर्भर रसायन उद्योग अधिक आपूर्ति के संकट से गुजर रहा है, पर इसमें एसिटिक अम्ल के उत्पादकों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है जो अपने उत्पादों को बेचने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

इस समस्या का मूल कारण यह है कि देश की स्थापित क्षमता देशी मांग से बहुत अधिक है तथा सरकार द्वारा विदेश से इसका आयात करने की अनुमति देने से समस्या और बढ़ गई है।

इस अम्ल की खपत इस समय आपूर्ति से कम है तथा इसके कारण उत्पादकों को अपनी व्यक्तिगत बिक्री बढ़ाने के लिए पर्याप्त मूल्य रियायत करनी पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों में मूल्य प्रति टन 2,000 रु० से 3,000 रु० तक घट चुके हैं पर इसके बावजूद भी सम्पूर्ण अम्ल उद्योग की कुल बिक्री पर कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकी है।

जब तक सरकार द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं प्रदान की जाती तब तक देश के 14 अम्ल उत्पाद को जिनकी व्यक्तिगत क्षमता 1500 टन से 900 टन तक है परेशानी उठाते रहेंगे। इसकी विदेशों में बिक्री होने से घरेलू स्टाक में से कुछ राहत मिलेगी तथा उत्पादकों को अपने उत्पादन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह सुझाव देता हूं कि इस रसायन के निर्यात का संवर्द्धन करने के

·ारत सरकार प्रयास आरम्भ करें। उत्पादकों को अपने उत्पाद की देशी बाजार में बेचने से सम्बन्धित सभी प्रकार की सहायता भी दी जानी चाहिए।

(चार) 1930 में कारावास का दण्ड भोगने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार जनों को पेंशन देना

श्री केशवराव पारधी (भण्डारा) : मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों को या उनके स्वर्ग-वास के बाद उनके पत्नी या बच्चों को पेंशन दी जाती है लेकिन देश में ऐसे बहुत से स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक हैं जिन्हें 1930 में जेल की सजा 6 माह या इसके ऊपर की सजा दी गई थी। बाद में गांधी-इर्विन पैक्ट, 1930 के तहत उन स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों की 6 माह से पहले ही छोड़ दिया गया है। इन स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों को या उनके पत्नी या बच्चों को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। आज उन स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों में से बहुतसारों का तो स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उनके पीछे पत्नी या बच्चों की हालत बहुत खराब है। खाने-पीने या रहने का कोई ठिकाना नहीं है और दूसरों पर आश्रित होकर जीवन यापन बड़ी कठिनाई से कर रहे हैं। उदाहरणतः मेरे क्षेत्र से भण्डारा (महाराष्ट्र) की रहने वाली एक महिला हैं। गांधी-इर्विन पैक्ट के तहत उनके पति को साढ़े चार माह में ही जेल से छोड़ दिया गया जबकि ऊन्हें 6 माह की सजा हुई थी। उनका स्वर्गवास हुए दो वर्ष हो चुके हैं। उनको पेन्शन मिलती थी लेकिन उनकी पत्नी को पेन्शन नहीं मिल रही है। मैंने इसके लिए प्रयत्न भी किये, बताया जाता है कि सजा 6 माह से कम भोगी है इस वजह से पेन्शन नहीं मिल सकती। फिर उनको पेन्शन क्यों दी गई जबकि आज उनकी पत्नी का जीवन यापन, पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे बहुत सारे स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक हैं जिन्हें गांधी-इर्विन पैक्ट के अन्तर्गत 6 माह की सजा होने के बाद भी पहले छोड़ दिया गया। ऐसे सभी स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों को पेन्शन दी जाए जिससे उनके पत्नी या बच्चों को जीवन-यापन करने में जो तकलीफ़ हो रही है वह तकलीफ दूर हो सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बिजली की भारी कमी

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मान्यवर, देश में बिजली की कमी है। सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश और मथुरा जिले में है। इसका एकमात्र हल यह है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था स्वयं करे। यदि शीघ्र बिजली की समस्या हल नहीं की जाती तो उससे रबी की फसल के उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जितने समय देने की घोषणा की जाती है उसकी चौथाई समय भी नहीं मिलती। तेल शोधक कारखाने, मथुरा में जितनी बिजली उत्पादन की क्षमता है उतनी कारखाने को आवश्यकता नहीं। कारखाने के अतिरिक्त बिजली को माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले और नगर को दे दें तो उससे सिंचाई को बिजली अधिक मिल जायेगी

[श्री दिगम्बर सिंह]

और मथुरा नगर जो अव्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश का सबसे गन्दा नगर है और रात के अँधेरे में जनता और देश और विदेश से आए यात्री गन्दगी से परेशान होते हैं और अगर बिजली के बिना नल न चलने से प्यासे मरते हैं उनको भी सुविधा होगी।

माननीय ऊर्जा मन्त्री दिवाली पर कारखाने की बची हुई बिजली लेकर कृष्ण भगवान की जन्म स्थली और बृजवासियों को कम से कम दिवाली पर अँधेरे से बचाने की कृपा करें और बड़ी कृपा हो यदि पवित्र नगरी की गन्दगी और अंधेरे को भी आकर देख लें।

(छः) केन्द्रीय विद्यालयों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में बी०ए० (गणित) तथा बी०एस०सी० (गणित) के बीच विषमता को दूर करने की आवश्यकता

श्री सुधीर गिरि (कंटई) : महोदय, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक ग्रेड में विज्ञान वर्ग 'क' में नियुक्ति के लिए केवल बी०एस०सी० (रसायन, भौतिकी तथा गणित आदि) को ही पात्र माना गया है जबकि बी०ए० (गणित) योग्यता वाले उम्मीदवारों को इसका पात्र नहीं माना गया है। जहां एक ओर शिक्षा निदेशालय में गणित के अध्यापकों की बहुत कमी है तो दूसरी ओर बी०ए० (गणित) योग्यता प्राप्त उम्मीदवार पिछले कई वर्षों से रोजगार कार्यालय तथा नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। और फिर इस समय शिक्षा निदेशालय की कुल मांग को पूरा करने वाले बी०एस०सी० उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय विद्यालयों, दिल्ली के सभी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बी०ए० (गणित) उम्मीदवारों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (गणित) पद के लिए पात्र माना गया है। शिक्षा निदेशालय में गणित अध्यापकों की कमी को देखते हुए मेरा शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री से आग्रह है कि वे इस मामले पर ध्यान दें तथा इस तरह के भेदभाव को दूर कर ऐसे सभी बी०ए० (गणित) उम्मीदवारों को शिक्षा निदेशालय में गणित अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र माना जाए। ऐसा करने से रोजगार कार्यालय, दिल्ली में बड़ी संख्या में पंजीकृत उम्मीदवार तथा नगर निगम प्राथमिक स्कूल, दिल्ली के सहायक अध्यापकों को लाभ होगा।

(सात) कृत्रिम धागे का आयात रोकने और रूई के निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में सिन्थैटिक यानं बाहर के देशों से बड़ी भारी तादाद में आ रहा है और कपड़ा मिलों वाले आज जो कपड़ा बना रहे

हैं, उसमें 80 प्रतिशत सिन्थैटिक यार्न और 20 प्रतिशत कॉटन-यार्न इस्तेमाल कर रहे हैं।

हमारे देश में जो कॉटन पैदा हो रही है, वह भी बड़ी भारी तादाद में हो रही है और इस देशी काटन और नरमें की खपत का स्थान सिन्थेटिक यार्न ने ले लिया है और एक्सपोर्ट हमारी कॉटन का नहीं के बराबर हो रहा है। इस सब का नतीजा यह हो रहा है कि कॉटन का भाव दिन-पर-दिन गिरता जा रहा है।

कॉटन के उत्पादन में जो खर्चा इस मँहगाई के जमाने में हो रहा है, उसका उचित मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है, वह बहुत कम है। जो सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है, उससे ज्यादा तो एक क्विंटल पर किसान का खर्च होता है।

प्रश्न यह है कि प्रथम तो सिन्थेटिक यार्न का आयात बन्द होना चाहिए, दूसरे हमारे देश का कपड़ा हमारे देश के मिलों में प्योर कौटन का बनाया जाना चाहिए और अगर सिन्थेटिक यार्न का कपड़ा हमारे देश के मिलों में बने तो कौटन एक्सपोर्ट खुले रूप से होना चाहिए ताकि किसान की कौटन का मूल्य बढ़ सके और किसान का घर पूरा हो सके।

मगर आज जो सिन्थैटिक यार्न का आयात किया जा रहा है और कौटन का निर्यात बन्द किया जा रहा है, यह किसान विरोधी है और मिल मालिकों के साथ भारी पक्षपात है। यह नीति कृषि प्रधान देश में अपनाई जानी उचित नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि किसान को लाभ पहुँचाने और कौटन उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए कौटन का निर्यात खुले रूप से किया जाना चाहिए और कौटन बाहर से मंगाई जाने में पूरी तरह रोक लगाई जाए, जैसे गत वर्ष पाकिस्तान से मंगाई गयी थी, और दूसरे सिन्थैटिक यार्न के आयात पर भी पाबन्दी लगाई जानी चाहिए।

(आठ) तमिलनाडु और पांडिचेरि के कपड़ा मजदूरों द्वारा हड़ताल किए जाने की सम्भावना

श्री इरा मोहन (कोयम्बतूर) : तमिलनाडु तथा पांडिचेरि की सभी कपड़ा मिल संगठनों ने 2 लाख से भी अधिक कर्मचारियों वाली सभी 130 संबद्ध मिलों में 11-11-82 से अनिश्चित-कालीन हड़ताल का संयुक्त रूप से आह्वान किया है। इन कारखानों में 2 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कोयम्बतूर शहर में ही 130 कपड़ा मिलें हैं जिनमें एक लाख से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं। कपड़ा मिल श्रमिक, प्रबन्धकों तथा सभी ट्रेड यूनियनों के बीच सर्वसम्मति से हुए एस० आई० एम० ए० फार्मूला के अन्तर्गत नियत वैधानिक न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस से अधिक प्राप्त करते हैं। अब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने पत्र फा०सं० 204-21-80 दो क दो दिनांक 4-12-80 के अन्तर्गत यह घोषणा की है कि बोनस के रूप में न्यूनतम वैधानिक 8.33 प्रति-

शोन

शत से अधिक दी जाने वाली राशि पर आयकर लगेगा। यह प्रबंधकों के लिए 8.33 प्रतिशत न्यूनतम वैधानिक बोनस घोषित करने का अनुकूल हथियार सिद्ध हुआ है।

यदि तमिलनाडु तथा पांडिचेरि के कपड़ा मिल श्रमिकों को 11.11.82 से हड़ताल पर जाने से न रोका गया तो उत्पादन में बड़ी हानि होगी जिसकी पूर्ति एक दशक में भी सम्भव नहीं हो पाएगी।

तमिलनाडु तथा पांडिचेरि के कपड़ा मिल श्रमिकों को बोनस अधिनियम के सुधार के रूप में बनाए गए एस० आई० एम० ए० फार्मूले के अधीन बोनस प्राप्त करने की सुविधा देकर केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड को इस आदेश को रद्द करने का निदेश देना चाहिए तथा सभी लाभ कमाने वाले संगठनों को बोनस के रूप में 8.33 प्रतिशत से अधिक दी जाने वाली राशि पर आयकर नहीं लगाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(नौ) पटना जंक्शन पर आरक्षण की सुविधा

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना बिहार की राजधानी है। वहां से प्रत्येक दिन हजारों यात्री राज्य और देश के सुदूर स्थानों तक यात्रा करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए वर्षों से पटना जंक्शन पर आरक्षण की व्यवस्था है। इसके लिए वहाँ बाजाप्ता कार्यालय खुला हुआ है। सभी गाड़ियों में आरक्षण के लिए वहां भीड़ लगी रहती है। भारी भीड़ को देखते हुए वहां आरक्षण की सुविधा और बढ़ाने की आवश्यकता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि रेलवे प्रशासन वहां से दैनिक आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पटना जंक्शन की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो जाएगी।

दक्षिणी पटना के निवासियों की सुविधा के लिए स्टेशन के दक्षिणी भाग करे बिगहिया में आरक्षण की सुविधा थी। परन्तु 20 अक्टूबर को उनसे यह सुविधा भी छीन ली गई है और दस वर्षों से चले आ रहे इस आरक्षण कार्यालय को बन्द कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप पटना के निवासियों में घोर क्षोभ है।

अतः रेल मन्त्री से मेरा अनुरोध होगा कि वह रेलवे प्रशासन के इस जन-विरोधी निर्णय को रद्द करें, पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पूर्व की तरह दैनिक आरक्षण-व्यवस्था चालू रखें, करे बिगहिया में बन्द आरक्षण व्यवस्था को पुनः चालू कर दें और दोनों स्थानों पर आरक्षण व्यवस्था को और मजबूत करें।

आशा है रेल मन्त्री का ध्यान इस ओर फौरन आकृष्ट होगा।

(दस) कांग्रेस (इ) के युवा कार्यकर्त्ताओं द्वारा संसद के एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

श्री कल्पनाथ सोनकर (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, 28-8-82 को जब मैं अपने क्षेत्र बस्ती से लखनऊ मेल द्वारा सुबह सवा आठ बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुँचा तो लगभग दो-ढाई बजे सौयूथ कांग्रेस (इ) के कार्यकर्त्ताओं ने नारे लगए और मेरे ऊपर टूट पड़े। मुझे बहुत मारा-पीटा और मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे नंगा कर दिया। स्टेशन पर खड़ी पुलिस यह सब देखती रही और मेरे बार-बार कहने पर भी कुछ नहीं बोली। जब यूथ कांग्रेस वालों ने बिजली के खम्भे से लगा कर मेरा गला दबाकर मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं "जान बचाओ" कहकर चिल्लाया। तब मेरे दो अंग रक्षकों में से एक ने हवाई फायर करके आक्रमणकारियों को भगाया।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : उन्हें यह बात कहने दीजिए। मैं जानता हूं, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा कहने की अनुमति प्रदान की है···।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति मिल चुकी है। वे इसे पढ़ रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सोनकर : जी हां। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान उपस्थित न करें। (व्यवधान)

उन्होंने एक प्रति दी है और मैं उस पर स्वीकृति प्रदान कर चुका हूं, कृपया बैठ जाइए।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। आप व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठा रहे हैं ? नहीं, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि उन्हें अनुमति दी जा चुकी है, अतः उन्हें यह व्यक्तव्य देने का पूरा अधिकार है।

श्री कृपासिंधु भोई : नहीं, वे वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री कल्पनाथ सोनकर : भागकर जब स्टेशन के बाहर आने लगा तब आक्रमणकारियों ने पुनः इकट्ठा होकर मेरे ऊपर सोड़ा की बोतले फेंकी और स्टेशन के बाहर पुलिस से कई बार टैक्सी दिलाने का अनुरोध किया। लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं एक मित्र की गाड़ी से घर आया।

[श्री कल्पनाथ सोनकर]

इस घटना की रिपोर्ट मैंने पुलिस को तत्काल दी; चोटें दिखाई, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक हरिजन संसद सदस्य पर इस तरह का आक्रमण शर्मनाक तथा निन्दनीय है।

आश्चर्य तो यह है कि मेरे दोनों अंग-रक्षकों को उप-पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ने अगली गाड़ी से लौट आने का निर्देश किया और वे लौट भी गए।

दिनांक 26-9-82 को मुझे सुबह सात बजे मेरे घर से बिना कोई वारंट, कारण या आधार के अवैधानिक ढंग से गिरफ्तार किया और यह कहकर कि सुल्तानपुर ले चल रहे हैं, बस्ती सुल्तानपुर के रास्ते से अलग कप्तानगंज के पास जंगल में मनवर नदी के किनारे ले गए और वहां मुझे 9 बजे से पौने दो बजे दोपहर तक नाजायज ढंग से रखा। इस बीच पुलिस वालों की फुसफुसाहट और चारों ओर से घेरने की तैयारी से यह साफ था कि वे मुझे एनकाउंटर करना चाहते थे। सौभाग्य से वहां पौने दो बजे ही संजय गांधी विचार मंच के कार्यकर्त्ता आ गए और चिल्लाने लगे कि आप लोग सोनकर साहब के साथ क्या कर रहे हैं। तब पुलिस वाले घबड़ा गए और सुल्तानपुर जेल ले आए।

जेल में मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

मेरे क्षेत्र बस्ती में अपराध बहुत होते हैं। कई विधायक तथा संसद सदस्यों को अपनी संसदीय जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकें। अंग रक्षक की व्यवस्था है। अकारण एक तरफा मेरे अंगरक्षक हटाने का कोई औचित्य नहीं। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। अनुरोध है कि शासन को मेरी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए निर्देश दें। मेरी मांग है कि इस मामले की जांच के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति बने ताकि तथ्यों की जानकरी इस सदन के सामने आ सके।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जो कुछ कहा गया है वह रिकार्ड न किया जाए।

(व्यवधान)

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में रेल डाक सेवा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में आर. एस. एस. कर्मचारियों द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 1982 से **वर्क टु रूल, रेफ्यूजल ऑफ ओवरटाइम, नान-को-आपरेशन विद दी डिपार्टमेंट** आदि आन्दोलन चलाए जा रहे हैं, जिससे हर रेलवे स्टेशन पर हजारों थैले डाक इकट्ठी हो गयी हैं और आम जनता को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्योंकि इससे हजारों बेरोजगार नौजवानों को साक्षात्कारपत्र, बीमारी पत्र, मनीआर्डर आदि सब नहीं मिल रहे हैं। हड़ताल करने वाली यूनियन कर्मचारियों को डरा धमका रही है और उन्हें काम पर नहीं जाने दे रही है। हड़ताल मध्य प्रदेश सर्कल द्वारा आर. एस. एस. की पालिसी बदल देने के कारण हुई है। अभी वर्तमान में जो पालिसी चालू की गई है, उससे पूरी डाक व्यवस्था गड़बड़ा गई है। मध्य प्रदेश सर्कल के आर. एस. एस. के 8 सैक्शन ट्रांजिट कर दिए गए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट पैटर्न सार्टिंग सिस्टम लागू किया है, उससे बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नाइट ड्यूटी समाप्त कर देने से भी डाक में गड़बड़ी हुई है। वहां पर अनट्रेण्ड लोगों को अस्थाई रूप से भर्ती कर कार्य कराने की जो व्यवस्था है, वह पूरी तरह फेल हो चुकी है।

आपके माध्यम से मैं भारत सरकार के संचार मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अति शीघ्र व्यवस्था में सुधार करें, भोपाल में ही एक ट्रेनिंग सेन्टर प्रारम्भ करें और कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार करें, जिससे कि आज जनता को राहत मिल सके।

(बारह) नगरीय क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों में हो रही भारी वृद्धि को रोकने की मांग

श्री ए०टी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलंबनीय सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूँ :—

गांवों में बढ़ती बेरोजगारी के कारण जीविकोपार्जन के लिए नौकरी, व्यवसाय तथा उद्योग आदि की खोज में लोगों का गांवों से शहरों तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में जाना जनवरत रूप से जारी है। सरकारों ने भी शिक्षित बेरोजगारों को अपने उद्योग या व्यवसाय स्थापित का स्व-रोजगार पाने हेतु योजनाएँ चलायी हैं। इन गतिविधियों के कारण शहरी क्षेत्रों में आवास, उद्योग तथा व्यवसाय हेतु भूमि की जरूरत आ पड़ी है तथा शहरी क्षेत्रों में भूमि की बहुत बड़ी मांग उठ रही है। इस अवसर का फायदा उठाकर फालतू पैसों तथा लेखा बाह्य तथा काला धन वाले लोगों ने शहरी क्षेत्रों तथा आसपास के क्षेत्रों में भूमि की खरीद पर पैसा लगाना शुरू कर दिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। इससे काले धन को सफेद धन में बदलने, आयकर बचाने व सरकार की स्वरोजगार की योजना पर पानी फेरने का सुनहरा मौका हाथ लग गया है। अल्प आय साधन वाले लोग जो अपना मकान, उद्योग या व्यवसाय चाहते हैं वे मौजूदा ऊंचे दामों पर शहरी क्षेत्रों में भूमि नहीं खरीद सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है और रोजगार तथा विकास के अवसरों में अवरोध आया है।

अतः भूमि की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना जरूरी हो गया है। शहरी भूमि (सीमांकन तथा

[श्री ए० टी० पाटिल]

विनियमन) अधिनियम 1976 में चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतों पर रोक लगाने की व्यवस्था है। इसे अन्य शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता, अतः इस अधिनियम में कुछ सुधार कर इसे म्यूनिसिपेल नगरों तथा शहरों में भी लागू करने की आवश्यकता है।

मामले का विचाराधीन होना बताया गया है। लेकिन सरकार द्वारा विचार करना एक लम्बी प्रक्रिया हो सकती है। जब तक सरकार कोई निर्णय लेती है तब तक यह अत्यन्त आवश्यक है। कि शहरी क्षेत्र के अलावा तथा शहरी क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के आस-पास भूमि के लगातार बढ़ते हुए मूल्य पर प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में रोक तथा नियन्त्रण लगाने के उपाय किये जायें।

इसलिए मैं सरकार से शहरी क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के आस-पास भूमि के लगातार बढ़ते हुए मूल्य पर रोक तथा नियन्त्रण लगाने के लिए या कानून द्वारा अथवा अन्य तरीकों से शीघ्र तथा तत्काल कार्यवाही करने की ज़ोरदार शब्दों में प्रार्थना करता हूं।

(तेरह) कुचिलीबाड़ी के निवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सदन को यह पता है कि बांगला देश गणराज्य तथा भारत गणराज्य के मध्य भारत के तीन बीघा क्षेत्र को बांगला देश को स्थायी तौर पर एक करार किया गया है। पट्टे-पर देने के सम्बन्ध में भारत बांगला देश संयुक्त विज्ञप्ति दिनांक 7-10-82 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है : सत्यापन तथा पट्टे के क्षेत्र की भूमि में चिह्न लगाने सहित पट्टे की शर्तों के कार्यान्वयन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दोनों देशों की सरकारें तत्काल कार्यवाही करने के लिए सहमत हो गयी थी।"

अतः यह प्रतीत होता है कि कार्यान्वयन की औपचारिकताएं अभी तैयार की जानी हैं। भारत के अभिन्न अंग कुचलीबारी क्षेत्र के 50 हजार निवासी तिन बीघा, जो भारत भूमि की जनता को कुचलीबाड़ी से जोड़ने वाली एक मात्र कड़ी है, के ऊपर केवल बांगला देश का क्षेत्राधिकार होने से भारत क्षेत्र से अलग हो जाएगा, ऐसी आशंका है। इन निवासियों की रक्षा तथा सुरक्षा स्वभावतः विभिन्न प्रकार के खतरों में पड़ जाएगी। अतः भारतीय क्षेत्र कुचलीबाड़ी क्षेत्र में अनिश्चयता की भावना पैदा हो गयी है। यह रूप सभी के लिए निःसंदेह भारी चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल सरकार इस ओर जागरूक है और उसने कतिपय औपचारिकताओं के सुझाव दिये हैं। मैं सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार के उन सुझावों पर विचार करने तथा उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना करता हूँ। यह भी नोट किया जाये की संयुक्त विज्ञप्ति में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है :—

"भारतीय पक्ष यह पुष्टि करता है फिर 1974 के भूमि सीमा करार के अभि समर्थन से पूर्व

भी यथा-सम्भव पट्टे की शर्तें कार्यान्वित की जाएगी।" मेरा विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि जहां तक तिन बीघा क्षेत्र को स्थायी पट्टे पर बांगला देश को देने के करार का सम्बन्ध है इसका मतलब यही है कि सभा अपनी राय प्रकट करने के अवसर से वंचित रह जाएगी। मैं एक बार फिर सरकार से कुचलीबाड़ी क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करने तथा उनकी पूरी रक्षा तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रार्थना करता हूँ जिसका भारत का प्रत्येक नागरिक हकदार है।

(चौदह) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले मध्य प्रदेश के लोगों को वित्तीय सहायता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्त्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा में स्वीकृत ग्रामीण विकास योजना (आइ०आर०डी०पी०) के अंतर्गत जिले के विभिन्न विकास खण्डों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासकीय अनुदान एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्रदान का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष 1981-82 और चालू वित्त वर्ष 1982-83 में अगस्त माह तक किए गए कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में आई०आर०डी०पी० योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए प्रकरणों में सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत हितग्राहियों को ही वास्तविक लाभ पहुँच सका है।

पिछले एक डेढ़ वर्ष में यह देखने में आया है कि विदिशा जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों का रवैया इस राष्ट्रीय महत्त्व की योजना के प्रति उदासीन रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम की इस महत्त्वपूर्ण योजना के प्रति जिले का लीड बैंक स्टेट बैंक आफ इन्दौर, उपेक्षापूर्ण है। पिछले वित्त वर्ष में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, विदिशा द्वारा 37 लाख रुपये का अनुदान और चालू वर्ष में 32 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया था इसमें से मात्र 2.45 लाख रुपए पिछले वर्ष और 2.34 लाख रुपए इस माली साल में वितरित किए गए हैं। शेष शासकीय राशि बैंकों में जमा पड़ी है।

मेरा अनुरोध है कि इस वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों, जिले का लीड बैंक, बैंक, स्टेट आफ इन्दौर एवं सम्बन्धित अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दें कि आगामी 6 माह में जिले के विभिन्न विकास खण्डों में गांव के गरीबों पर यह राशि अनिवार्य तौर पर खर्च की जावे। मुझे आशा है कि इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

(पन्द्रह) आन्ध्र प्रदेश के नांदियाल में एस०टी०डी० की सुविधा

श्री अनंत रामुल मल्लु (नगर कुरनूल) : आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र में नांदियाल एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। वहाँ आजकल कोई एस०टी०डी०(सीधे डायल घुमाकर बात करने की)सुविधा नहीं है। यह विश्वस्त रूप से पता चला है कि इस सुविधा को उपलब्ध करने के लिए सभी प्रकार की औपचारिकताओं को जिनमें नांदियाल और कुरनूल को रेडियो से जोड़ने का भी उपबंध है। बहुत पहले पूरा कर लिया गया है और कुरनूल तथा हैदराबाद के मध्य को क्लेसियल केबिल सिस्टम पहले से ही है। नांदियाल की जनता को इससे बड़ी निराशा है कि इस सुविधा को उपलब्ध करने के सम्बन्ध में जब प्रत्येक बात को अन्तिम रूप दे दिया गया है, यह असाधारण विलम्ब है। यह भी पता चला है कि नांदियाल के लिए हैदराबाद के एक बेज में लगी जिस मशीनरी की इस उद्देश्य के लिए आवश्यकता है उसे विजयवाड़ा में प्राप्त किया गया था और यह विशेषतौर से नांदियाल को देने के लिए थी, उसे अन्य राज्य के किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और मैं संचार मंत्री महोदय से इस मामले में तत्काल जांच करने तथा नांदियाल को बिना किसी और विलम्ब के एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध करने के तत्काल प्रबन्ध कराने की प्रार्थना करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, विधायी कार्य लेगें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 377 के अन्तर्गत इन नोटिसों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ, मैंने पहले ही नियम 377 के अन्तर्गत अपना नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे बोलने से पहले आप कैसे जानेंगे कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है, मैं चुपचाप आपको यह नहीं बता सकता हूं कि आपने किस नियम का उल्लंघन किया है। मुझे बोलना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है जिसे आप उठाना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बता रहा हूं कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने नियम 377 के अन्तर्गत प्रेस सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामले के लिए आपको एक नोटिस दिया था, आज अंतिम दिन है। हम मन्त्री महोदय को जो कुछ बताना चाहते हैं हम उसे 10 दिनों की अवधि में भी नहीं कर सकते। अतः मैं आपसे आपके कक्ष में मिला था और मुझे आपने आश्वासन दिया था कि मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति दी जाएगी। आपने मुझसे कहा था कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के बाद मैं यह मामला उठा सकता हूँ।

लेकिन डा० स्वामी ने इसे वापस ले लिया। मैंने आप को लिखित रूप में दिया था। इसके पश्चात् नैतिक रूप के साथ-साथ कानूनी रूप से मैं नियम 377 के अन्तर्गत मामले को उठाने के लिए पूछे जाने के लिए बाध्य हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरी क्षण में किस नियम के अन्तर्गत आपने इस अनुमति को वापस लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है।

"जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सभा में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बताएगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

प्रो० मधु दण्डवते : आपने मुझे अनुमति दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस मामले में पीछे हट रहे हैं। आप पद की विश्वसनीयता को नष्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे अपने कक्ष में कहा था कि मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति दी गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती कौल,

श्रीमती शीला कौल खड़ी हुई।

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदया कृपया आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न में बाधा न डालें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसके सम्बन्ध में स्पष्ट कारण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो निर्णय मैं दे चुका हूं उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकारण नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : सभा को इसे समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे निर्णय के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन यह अध्यक्ष की शक्तियों के क्षेत्र का कार्यपालिका द्वारा अति=

[प्रो० मधु दण्डवते]

है। और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती कौल।

श्रीमती शीला कौल : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान,

मैं प्रस्ताव रखता हूं :—

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922, विश्व भारती अधिनियम, 1951, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, और हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विचार किया जाये।"

इस विधेयक को लोक लेखा समिति तथा अधनीस्थ विधान सम्बन्धी और पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी लोक समितियों की सिफारिशों को मुख्य रूप से प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इन समितियों की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कानूनों, अध्यादेशों तथा विनियमों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशनार्थ तथा संसद के सम्मुख रखने तथा वार्षिक रिपोर्टों और वार्षिक लेखाओं को लेखा-परीक्षित कागज़ात के साथ संसद के सम्मुख रखने के भी उपबंध विधेयक में किए गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना और समय लेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : इसे पढ़ने के लिए ? लगभग छः या सात मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे पूरा कीजिए।

श्री चित्त बसु : यह कैसे पढ़ना जारी रख सकती हैं ? गैर-सरकारी सदस्यों की कार्य-सूची भी है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय आप अगली बार इसे जारी रखें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं मन्त्री महोदया से विधेयक पर विचार करने की प्रार्थना करता हूँ। इसका विश्वविद्यालयों के निवर्तमान वाइस चांसलरों के द्वारा विरोध किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर सरकारी सदस्यों की कार्य-सूची लेते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पाँचवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री वी० सी० श्री निवास प्रसाद (चामराज नगर) : मैं प्रस्ताव रखता हूँ :—

"कि यह सभा 22 अक्तूबर 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यावन के प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 22 अक्तूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्यावनवे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित किए जानें वाले विधेयक

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

(धारा 8 आदि का प्रतिस्थापन)

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापि

[उपाध्यक्ष महोदय]

करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीबापू साहिब पलेरुकर : मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूं।

विज्ञापनों में नारी शरीर प्रदर्शन पर पाबन्दी विधेयक

श्री मोहन लाल पटेल (जूनागढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विज्ञापन के प्रयोजनार्थ नारी के शरीर के प्रदर्शन पर पाबन्दी लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विज्ञापन के प्रयोजनार्थ नारी के शरीर के प्रदर्शन पर पाबन्दी लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन लाल पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

प्रति छात्र प्रवेशार्थ शुल्क प्रतिषेध विधेयक

श्री चित्तबसु (बारसार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रति छात्र प्रवेशार्थ शुल्क का प्रतिषेध करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रति छात्र प्रवेशार्थ का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

कृषि कर्मकार विधेयक

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के कल्याण प्रस्ताव तथा उनके रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और तत्सम्बन्धी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण तथा उनके रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियित करने और तत्सम्बन्धी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नान) : महोदय, मैं इस एकाधिकार का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिए हम अगली मद पर आते हैं।

———

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद 338 आदि का प्रतिस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 6 अगस्त, 1982 को पे

[उपाध्यक्ष महोदय]

किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगी अर्थात्—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

नियत समय : 3 घंटे

लिया जा चुका समय : 2 घंटे 25 मिनट

अतः मेरे विचार से अब मन्त्री जी को बोलना चाहिए।

मन्त्री जी, अब आप बोल सकते हैं। तत्पश्चात् श्री बनातवाला उत्तर देंगे।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : महोदय, जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब मैं समस्त बहस के दौरान सभा में उपस्थित रहा और मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुना।

(श्री एस० एम० कृष्ण पीठासीन हुए)

महोदय दुर्भाग्य की बात है कि कुछेक विपक्षी सदस्यों ने यह धारणा उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि सरकार अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विरोधी है। जैसा कि समस्त विश्व जानता है यह सरकार और यह दल, जिससे हम सम्बद्ध है, अल्पसंख्यकों एवं दलित लोगों के पक्ष में है। यही कारण है कि वे सदैव हमारा समर्थन करते रहे हैं, उन्हें हम पर पूरा विश्वास है कि हमारा दल एवं सरकार इन लोगों के यथाशीघ्र उत्थान हेतु भरसक प्रयत्नशील है।

वास्तव में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं विशेषतः प्रधान मन्त्री द्वारा तैयार 20-सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है। मैं इस विषय में सरकार के विभिन्न कार्यों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वे तथ्य प्रत्येक व्यक्ति को सुविदित है। परन्तु हमने विभिन्न अवसरों पर इस सभा में बार-बार यह घोषणा की है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आयोग द्वारा उनको निर्दिष्ट किए गए विषयों पर तुरन्त जानकारी प्रदान करके उसके कार्य में सहायता देने का महत्व समझाने का प्रयत्न किया है। हमारे कुछेक मित्रों ने यह भी कहा है कि अनेक राज्य सरकारें इस आयोग की सहायता नहीं कर रही हैं और मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर भी दे चुका हूं कि मैंने इस आयोग के सदस्यों के साथ चर्चा की थी और उन्होंने मुझे अपनी कठिनाईयां बताई थीं और अब स्थिति में सुधार हो रहा है। मेरे विचार में आयोग को अब कोई शिकायत नहीं है क्योंकि अब उन्हें राज्य सरकारों से अपेक्षित सहायता मिल रही है। सरकार ने

आयोग को यह भी सूचित कर दिया है कि यदि सरकार के समक्ष ऐसा कोई मामला लाया गया जिसमें कोई राज्य सरकार अथवा कोई अन्य प्राधिकरण आयोग के साथ उसके कार्य संपादन में पूर्ण सहयोग करने में असफल रहा हो तो सरकार उस बारे के उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मान्यवर, मेरा प्रोटेस्ट नोट कर लिया जाय। इतना इम्पोर्टेंट बिल है और हमारी तरफ से कोई बोला नहीं। हमारा भी तो कोई स्टैंड होना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर साहब ने अगर हमें इजाजत नहीं दी तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। उनको मुझे अलाऊ करना चाहिए था। इसके बारे में तो हमारा कुछ स्टैंड है, और हम बोलना चाहते थे जबकि हर पार्टी को बोलने का मौका मिला। माइनारिटी कमीशन बनाने का सवाल है। लेकिन आपने हमको मौका नहीं दिया। डिप्टी-स्पीकर साहब कह कर चले गये। मेरा नाम वहां दिया गया था और हम यहां बैठे रह गये। मुझे 5 मिनट का समय तो देते। इतने में कोई आसमान तो नहीं गिर जाता।

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय ने अभी अभी घोषणा की है कि इस बहस के लिए 3 घण्टे का समय आवंटित किया गया है। 2 घण्टे 20 मिनट पहले ही लिए जा चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मंत्री महोदय के बोलने के पश्चात उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता। आखिरकार यह मंत्री महोदय द्वारा किया गया हस्तक्षेप है।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारे दल की ओर से कोई भी नहीं बोला है।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात मंत्री महोदय द्वारा वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने से पूर्व कहनी चाहिए थी। उस समय आप चुप बैठे थे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पहले ही अपना नाम दे दिया था और मेरा यह विचार था कि मेरा नाम बुलाया जाएगा। अब मेरे दल की ओर से किसी ने भी वाद-विवद में हिस्सा नहीं लिया है। इसलिए मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय खड़े हो चुके हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, मैंने कुछ समय पहले जो कहा था वही फिर से कहूंगा। हमने इस सदन में कई बार यह घोषित किया है कि केन्द्रीय सरकार ने आयोग के काम को सुचारू बनाने के लिए, राज्य सरकारों को कई बार जताया है कि वे आयोग द्वारा भेजे गए मामलों के संबंध में तुरन्त जानकारी उपलब्ध कराएं। सरकार ने आयोग को भी यह सूचित किया है कि यदि कोई ऐसा मामला विशेष सरकार के बयान में लाया जाता है जिससे राज्य सरकार अथवा किसी अन्य

[श्री निहार रंजन लास्कर]

प्राधिकरण ने आयोग को पूरा सहयोग नहीं दिया है; सरकार स्वयं उस मामले को उचित रूप से उठाएगी।

मैंने स्वयं आयोग के सदस्यों से बातचीत की है और वे संतुष्ट हैं और अब उन्हें राज्य सरकारों से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है।

जैसा कि सदस्यों को मालूम है कि संविधान में भाषाई अल्प संख्यकों के लिए और अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए एक-एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है। जनता सरकार के समय में अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयोग की स्थापना की गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कार्यों में दोहरापन आ गया एक ही प्रकार के कार्य दो जगह होने लगे। इन दोनों आयोगों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव भी जनता सरकार के कार्य-काल में हुआ। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि आयोग कुशलता से कार्य करें। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सभी पहलुओं और कठिनाईयों पर विचार करना आवश्यक होगा। सदस्यों को इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है कि उनके सुझावों को नजरंदाज नहीं किया जाएगा और कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उन पर विचार किया जाएगा।

जो कुछ मैंने कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं श्री बनातवाला से अनुरोध करूँगा कि वह कृपया अपना विधेयक वापिस ले लें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय मुख्य प्रश्न का क्या हुआ? प्रश्न यह है कि क्या सरकार अल्प संख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को तैयार है?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, हम इस पहलू पर विचार कर रहे हैं और इसमें समय लगेगा किन्तु मैं आपको केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी सुझाव आपने दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा और हम दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेंगे।

सभापति महोदय : आपने जो भी सुझाव दिए हैं सरकार उस पर निर्णय लेगी। यही उत्तर है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रक्रिया के अनुसार, नियम साधारणतः इसकी अनुमति नहीं देते। हम नियमों से अलग किस प्रकार हो सकते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अत्यंत अनुभवी संसदवेत्ता को हमारी सहायता करनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन यह ठीक नहीं हुआ, मैंने अपना प्रोटेस्ट आपको बता दिया। यह गलत बात है। आपको मुझे बुलाना चाहिए था।

सभापति महोदय : आपका प्रोटेस्ट नोट कर लिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : पार्लियामेंट में जो मन में आये करें, प्रीसाईडिंग आफिसर किसी की सुनते नहीं, नाम रहता है, तब भी सुनते नहीं इतना इम्पार्टेन्ट मामला है, हमें भी अपनी पार्टी का व्यू बताना होगा।

नहीं तो हमें गलत समझा जाएगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभापति महोदय, मैं इस सदन के उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे इस विधेयक पर बहस में भाग लिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और उनका भी जिन्होंने भाग नहीं लिया।

श्री जी० एम० बनातवाला : निसन्देह उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय अर्थात् अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा तथा संविधिक शक्तियां देने के विषय पर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

महोदय, मैंने अपने आरम्भिक भाषण में उस दिन पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया था कि अल्पसंख्यक आयोग से संभावित प्रश्न, स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भी हमारे नेताओं का ध्यान आकर्षित करता रहा है। उसके पश्चात् यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो गया और अल्प-संख्यक आयोग को आवश्यक सांविधिक शक्तियां देने के संबंध में निरन्तर मांग की जा रही है, ताकि यह धर्म-निरपेक्ष भारत में अल्प-संख्यकों के भाग्य के संबंध में अपने पूर्व निश्चित कार्यों को कुशलता से निभा सकें।

सभापति महोदय : मैं आदरणीय मंत्री महोदय का इस विधेयक तथा अल्प संख्यकों से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्न के प्रति नाकारात्मक रवैया अपनाने से बचने के लिए आभारी हूं।

मंत्री महोदय उत्तर के पश्चात् मैं वास्तव में यह अनुभव करता हूं कि आज का वाद-विवाद दिशा-निर्देशक तथा उपयोगी रहा। मैं मंत्री महोदय से कम से कम यह वायदा करने के लिए आभारी हूं भले ही यह अस्पष्ट सा है। कम से कम इस वायदे से सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे अपने चुनाव-घोषणा पत्र से मुकर गए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : किन्तु यहां मैं एक बात कहूंगा कि इस सदन का लगभग आधा सत्र समाप्त हो चुका है और सरकार अल्प संख्यक आयोग को सांविधिक शक्तियां देने के प्रश्न पर

[श्री जी० एम० बनातवाला]

विचार कर रही है। मैं नही जानता कि द्विपक्ष क्या है। 1980 में जब कांग्रेस (आई) ने चुनाव लड़ा तो यह उसके घोषणा-पत्र में था। इसी घोषणा-पत्र के आधार पर वे सत्ता में आए। पिछली बार मैंने घोषणा-पत्र से यह उद्धरण दिया जिसमें राष्ट्र से यह वायदा किया गया था कि यदि वे सत्ता में लौटे तो अल्प-संख्यक आयोग को आवश्यक सांविधिक शक्तियां दी जाएंगी। क्या घोषणा-पत्रों को केवल उल्लंघन करने के लिए ही जारी किया जाता है ? राष्ट्र तथा अल्प-संख्यकों को एक पवित्र वचन दिया गया था। और आज इस सदन का आधा सत्र समाप्त हो जाने के पश्चात भी सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह यह देखे कि यह मामले तेजी से निपटाए जाएं सरकार का रवैया सहयोग पूर्ण नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। किन्तु कितने समय तक ? पिछली बार मैंने गालिब का शेर पढ़ा था और विधि उप-मंत्री ने उसे पूरा किया था। मैंने कहा था :

हमने माना कि तवक्कुल नहीं करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनाब ये तो तवक्कुल करने पर उतारू हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि तमाम राष्ट्र के हित में इसका तेजी से पालन हो। कछुए की चाल से नहीं बल्कि तेजी से।

आदरणीय मंत्री महोदय ने हमें बताया कि सरकार की यह नीति है कि अल्प-संख्यकों का विकास हो और सम्पूर्ण राष्ट्र एक अविछिन्न राष्ट्र के रूप में जुड़ा है। यह भले विचार हैं किन्तु इन पर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। संविधान कई अधिकारों की गारंटी देता है किन्तु उसके अमल के लिए किसी तंत्र का होना आवश्यक है और अल्प-संख्यक आयोग की परिकल्पना, इस प्रयोजन के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में की गई है। इसे प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए।

अल्प-संख्यक आयोग और इसके प्रभावी ढ़ंग से कार्य करने के संबंध में गृह मंत्रालय में तत्कालीन गृह राज्य-मंत्री जो इस समय इस सदन के विपक्ष के सदस्य हैं, अर्थात् श्री धनिकलाल मंडल, के भाषण से बेहतर उदाहरण नहीं दे सकता जब उन्होंने यही विधेयक प्रस्तुत करते समय जनता-काल में दिया था। विधेयक प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था :

"जैसी कि माननीय सदस्यों को जानकारी है आरम्भ में इन दो आयोगों का स्थापना प्रशासनिक आदेश द्वारा की गई थी और यह विचार किया गया कि यह उन लोगों को, जिनके हितों के लिए इनका गठन किया गया है, अधिक आश्वस्त कर सकेंगे यदि इन्हें कोई उचित संवैधानिकदर्जा दिया जाता है। इसे न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी महत्त्व देंगी।"

मैंने इसका उल्लेख क्यों किया है ? इसका कोई प्रयोजन है । प्रयोजन यह है कि इस मामले ने बहुत समय से सरकारों का ध्यान आकर्षित कर रखा है दल आते जाते रहते हैं किन्तु सरकारी विभाग इस मामले पर विचार कर रहे हैं और यही वे ठोस कारण हैं कि वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं जैसा कि हमें विशेष अवसर पर लोक सभा में बताया गया ।

इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस विशेष मामले में अकारण हिचक है। आदरणीय सदस्यों ने कहा है कि अल्पसंख्यक आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

श्री निहार रंजन लास्कर : विभिन्न आयोग कार्य कर रहे हैं जिनके कार्यों में दोहरापन आ रहा है, एक ही प्रकार के कार्य दो जगह हो रहे हैं। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं ।

श्री जी०एम० बनातवाला : सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही हैं। किन्तु अब मेरा पक्का विश्वास है कि जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और यह निर्णय सकारात्मक होगा; मुझे यही आशा है । अल्पसंख्यक इसका इन्तजार कर रहे हैं । राज्य मन्त्री ने कहा है कि राज्य सरकार को इस आशा के परिपत्र जारी कर दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक आयोग के साथ पूरा सहयोग करें । धन्यवाद । किन्तु, सभापति महोदय मैं आपको अल्पसंख्यक आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 73 से उद्धरण देने की आवश्यकता समझता हूं जो आयोग ने अलीगढ़ के दंगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए थे और आयोग चाहता था कि जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसके समक्ष प्रस्तुत हों पृष्ठ 73 पर इस पर लिखा है :

> "आयोग को राज्य सरकार से इस प्रकार के सहयोग की बिल्कुल आशा नहीं थी । जिन परिस्थितियों में आयोग को अपनी रिपोर्ट पूरी करनी पड़ी, खेद है कि वह दंगों को सम्भालने से सम्बन्धित हो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण जिला अधिकारियों के बयान लिए बिना पूरी करनी पड़ी ।"

यह टिप्पणियां अल्पसंख्यक आयोग की ही हैं, और मुद्दा यह है कि अल्पसंख्यक आयोग अफसरशाही की दया पर निर्भर है; अल्पसंख्यक आयोग के पास किसी को रिकार्ड के लिए बुलाने के लिए कोई शक्ति नहीं है; उनके पास किसी भी व्यक्ति को उनके समक्ष प्रकट होने के लिए बुलाने का अधिकार नहीं है । मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि अल्पसंख्यक आयोग आज जिस स्थिति में है वह केवल दिखावा मात्र है । इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह देखे कि अल्पसंख्यक आयोग को जल्द संविधिक शक्तियां और संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जिसकी इसे आवश्यकता है और जिसके बारे में मैं पहले ही काफी विस्तार से बोल चुका हूँ, और आयोग के अनुसार जिसके बिना इसके काम को क्षति पहुँचती है । अल्पसंख्यक आयोग की सबसे आखिरी रिपोर्ट में भी आयोग के प्रभावी रूप से कार्य करने के सम्बन्ध में कहा गया है; और यह देखने के लिए कि अल्पसंख्यक आयोग के कार्य को क्षति न पहुँचे, उसके पास कुछ सांविधिक शक्तियों का होना आवश्यक

[श्री जी० एम० बनातवाला]

है । मैंने इन रिपोर्टों में से पहले ही काफी विस्तार से उद्धरण दे चुका हूं और मुझे आशा है कि उन सभी को रिकार्ड किया गया है और वह सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

मैं, उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे विधेयक पर चर्चा करके अपना मूल्यवान योगदान दिया है । मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है । श्री मूलचन्द डागा भी बोले किन्तु वह स्पष्ट नहीं थे कि जहां तक विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है उनके क्या विचार हैं । निःसन्देह उन्होंने एक संगत तर्क दिया कि हमें अन्य बातों के बजाए इन लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए । हमें यह बात समझनी चाहिए कि अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक शक्तियां देना इसीलिए आवश्यक है कि यह अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर सकें ।

मैं सोचता हूं कि अब अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है । दुर्भाग्यवश यह हमारे वर्तमान सामाजिक परिवेश का ही एक भाग है ।

इसलिए समानता के मानदण्ड लागू करने मात्र से अल्पसंख्यकों के उत्थान की समस्या हल नहीं होती । मैं इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के आल इण्डिया रिपोर्टर 1974 में दिए गये मामला संख्या 1380 में उल्लिखित प्रसिद्ध सेंट जेवियर कालेज के मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश द्वारा की गई इन टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । उपर्युक्त ऑल इण्डिया रिपोर्टर के पृष्ठ 1406 पर माननीय न्यायाधीश ने कहा है :—

अल्बानिया स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ इन्टरनेशनल जस्टिस आफ मानटरी स्कूल के परामर्शदात्री मत (6 अप्रैल, 1935), कोर्ट पब्लिकेशन ए/बी संख्या 64, पृष्ठ 19 के अनुसार :

यहां प्रस्तुत: है समानता के कारण व्यवहार में अंतर होना आवश्यक है ताकि विभिन्न परिस्थितियों के अन्दर संतुलन स्थापित किया जा सके···। ऐसे मामलों की कल्पना करना आसान है जिनमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक जिनकी स्थिति और आवश्यकतायें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं के साथ समानता का व्यवहार करने पर असमानता सामने आती है । बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों के बीच समानता वास्तविक प्रभावी समानता होनी चाहिए ।''

इसके अतिरिक्त माननीय न्यायाधीश महोदय ने आगे यह भी कहा है—

''हमारा विचार है कि यह विचार ठोस है ।''

अत: सम्पूर्ण प्रश्न जो इस समय उठाया गया है वह इस बात पर निगरानी रखने के लिए है कि विद्यमान परिस्थिति में अपनाई गई सभी आवश्यक नीतियों पर विचार किया जाए । तथा हमने एक आयोग की स्थापना की हुई है जो कि उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त

रूप से कारगार है । विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वो दो महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें । पहली बात यह है कि उपर्युक्त आयोग के पास पर्याप्त सांविधिक शक्तियां और संवैधानिक हैसियत हो ताकि वह प्रभावी रूप से कार्य कर सके और दूसरी बात है अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति तथा उसकी शर्तों का निर्धारण । आज हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर नियुक्त किए जा रहे हैं । यह अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का संतोषजनक तरीका नहीं है । हर वर्ष सदस्यों को वार्षिक आधार पर नियुक्त किया जाता है । हर वर्ष उन्हें सरकार द्वारा नवीकरण किये जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यह अत्यन्त अवांछित स्थिति है कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल इस प्रकार से सरकार और कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर रहे । अतः मैं सरकार से आयोग के सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार करते समय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति अपनाये ताकि यह आयोग प्रभावशाली ढंग से तथा निर्भय रूप से कार्य कर सके ।

मैं सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के लिए हालांकि, यह आश्वासन अत्यन्त अस्पष्ट है, मैं धन्यवाद करूंगा कि सम्पूर्ण पहलू पर विचार किया जाएगा । मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात पर अधिक समय लगायेगी । मुझे यकीन है कि माननीय मन्त्री महोदय इस सदन में सरकार की ओर से सुझाव रखेंगे जोकि सदन के समक्ष प्रस्तुत इस विधेयक के उपबन्धों के अनुरूप ही होंगे । क्योंकि इन वर्षों के दौरान इस विधेयक के सम्बन्ध में लगभग राष्ट्रीय सहमति हो चुकी है । तथा मैं यह आशा करता हूं हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह आशा मनमोदक के समान ही है । माननीय मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसको देखते हुए मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ । मैं आशा करता हूं कि सरकार और अधिक तेजी से कार्य करेगी तथा अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी और इस सदन के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबन्धों को स्वीकार करेगी ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को उनके उत्तर के लिए धन्यवाद देता हूं तथा माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विधेयक पर बोलते हुए अपना अमूल्य योगदान दिया ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महदोय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में और अधिक संशोधन करने वाले इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीमान, मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

एकान्तता अधिकार विधयक

सभापति महोदय : अब हम अगले विधेयक पर अर्थात् एकान्तता अधिकार विधेयक पर विचार करेंगे ।

श्री वी. एन. गाडागिल (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एकान्तता के अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक असाधारण विधेयक प्रतीत हो सकता है क्योंकि इस देश में एकान्तता शब्द की अवधारणा बहुत गहरी नहीं है । मैं यह मानता हूं कि लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को एकान्तता को अधिकार होना चाहिए वस्तुतः कोई भी व्यक्ति यहां तक कह सकता है कि एकान्तता का अधिकार सभी प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकारों का स्रोत है ।

हाल के वर्षों में अत्यधिक तकनीकी विकास के साथ-साथ पश्चिमी देशों में एकान्तता को गम्भीर आघात पहुंचा है । ऐसा प्रतीत होता है कि जार्जआरवेल की पुस्तक 1984 की दुःस्वपन मई दुनिया एक वास्तविकता बनने जा रही है ।

आज के समय में व्यक्ति की एकान्तता पर तीन शक्तियां अर्थात् सरकार, बड़े निगम और बड़े प्रचार माध्यम गम्भीर रूप से हमला कर रहे हैं जैसा कि एक अंग्रेजी लेखक ने कहा है कि यह तीनों प्रकार के खतरे अति उत्साही सिपाही अति जिज्ञासु जांचकर्ता तथा अत्यधिक किच-किच करने वाले पत्रकार के समान है । पश्चिमी देशों में यह तीनों शक्तियां एकान्तता को भारी आघात पहुंचा रही हैं । एक प्रकार से यह विधेयक प्रत्याशी विधेयक है क्योंकि आने वाले 10 वर्षों में हमें भी इस देश में इस भयानक समस्या का सामना करना पड़ सकता है ।

मेरा यह विधेयक चार बातों की व्यवस्था के लिए है । मैं विधेयक का पाठ नहीं करूंगा । पहली बात यह है कि इस बिधेयक में प्रत्येक नागरिक को एकान्तता का कानूनी अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव है । दूसरे, इसको एक प्रकार से वस्तुतः प्रभावी बनाने और लॉ ऑफ टार्टस की तरह से तकनीकी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने इस अधिकार पर आघात अनुभव करता है तो वह ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में जाने का हकदार होगा । तीसरी बात यह है कि इस समस्या का इसमें दो प्रकार से समाधान किया गया है । पहला समाधान यह है कि न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध एकान्तता को आघात पहुंचने के लिए निषेधक स्थगन

आदेश दे सकती है और दूसरा वैकल्पिक उपचार यह है कि यदि इस प्रकार का आघात सिद्ध हो जाता है तो नागरिक को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। अन्त में मैंने कतिपय रक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की है। यदि जनहित में किसी औचित्यपूर्ण कारण की वजह से एकान्तता पर प्रकार का आक्रमण होता है तो इस स्थिति में एकान्तता का कोई अधिकार नहीं होगा। मोटे तौर पर यह चार अवधारणायें हैं।

इससे पहले कि मैं एकान्तता की अवधारणा के बारे में तकनीकि व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक दृष्टि से बताऊं। मैं इस सम्बन्ध में कतिपय गलत अवधारणाओं के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं इस विधेयक के मूल कारण का उल्लेख करना चाहूंगा। एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाला एक साप्ताहिक पत्र है जो कि श्री वाजपेयी जी के लिए पर्याप्त अनुकूल है। जब यह विधेयक प्रस्तावित किया गया तो इस पत्र में लिखा कि श्री गाडगिल ने यह विधेयक सरकार के कहने पर प्रस्तुत किया था। इस सबके पीछे कोई शैतानी दुष्चक्र है इसलिए श्री साठे के कहने पर मुझसे यह विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए कहा गया और मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया। यह न केवल मेरे लिए अनुचित है बल्कि बेचारे साठे जी को भी इस विधेयक के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। इस विधेयक को पुरः स्थापित किए जाने के बाद में उनसे लॉबी में मिला तो उन्होंने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो ? तुमने किस तरह का प्रस्तुत किया है! मुझसे इस बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। मैंने कहा कि पहली बार उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार के कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने उन्हें नहीं बताया ?

श्री वी०एन०गाडगिल : दूसरी गलत अवधारणा यह है कि एक तरह की पश्चिमी फैशन की हवा चल पड़ी है, जैसे कि प्रदूषण का नया विचार चल पड़ा है या कुछ लोग जैसा कहते हैं कि पर्यावरण की समस्या भारत में नहीं है यह एक विदेशों से आयातित अवधारणा है। इसी तरह मैंने अनुकरण के तौर पर इस एकान्तता की अवधारणा की कल्पना मात्र नहीं की है।

तीसरी जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहूँगा वह यह कि दिसम्बर, 1980 में मुझे बम्बई में ब्रिटिश कौन्सिल लाइब्रेरी जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने एक किताब देखी जिसका नाम था, **दि राइट टूनो** जिसके लेखक है फ्रांसिस विलियम्स जो कि प्रख्यात पत्रकार है तथा प्रधान मन्त्री एटली के प्रैस सचिव हैं। जब मैंने यह किताब पढ़नी आरम्भ की, मैं इस विषय की ओर आकृष्ट हुआ तथा मैंने बहुत सा साहित्य इकट्ठा किया और सोचा कि चूंकि इंग्लैंड तथा दूसरे देशों में इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है तो इस देश में भी शुरूआत क्यों न कर दी जाए। इस विधेयक की पृष्ठ भूमि यह है।

[श्री वी० एन० गाडगिल]

"एकांतता की क्या अवधारणा है ? पुरातन उदारवादी दृष्टि से देखा जाए तो इस सम्बन्ध में कवि मिल की कृति लिबर्टी से उद्धृत करना चाहूंगा। अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'एस्से ऑन लिबर्टी' में उन्होंने कहा है:

"कितने भी व्यक्तियों के कार्य स्वातन्त्र्य में हस्तक्षेप न करने की जो वैयक्तिक अथवा सामूहिक चेतावनी दी गयी है, उसका एकमात्र लक्ष्य है आत्मरक्षा।"

".....स्वयं अपने आप तथा अपने शरीर एवं मस्तिष्क की दृष्टि से व्यक्ति सर्वोपरि है।"

मेरे विचार से शास्त्रीय रूप से उदारवादी दृष्टि से एकान्तता की यही मूल अवधारणा है। आधुनिक समय में इसका विश्लेषण किया गया है। विभिन्न ढंगों से विस्तृत व्याख्या की गई है तथा आपकी अनुमति से मैं इन आधुनिक अवधारणाओं में से कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। अब मैं प्रो० आर्थर आर० मिलर लिखित पुस्तक 'असाल्ट आन प्राइवेसी' का हवाला देते हुए उसमें से उसकी एक परिभाषा यानि एक अवधारणा उद्धृत करूंगा। इस अवधारणा सम्बन्धी उसका विश्लेषण इस प्रकार है :—

"एकांतता एक विशेष प्रकार की स्वतन्त्रता है जिसे कुछ वैयक्तिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से स्वायतता प्राप्त करने का ऐसा प्रयास माना जा सकता है जो कि आवश्यक होने पर आधुनिक समाज के सभी प्रकार के दबावों से बचने के लिए किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक निजी जीवन होता है। उसमें उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है कि उसके अपने कुछ विचार एवम् निर्णय होते हैं जो पूरी तरह उसके अपने होते हैं। और जो प्रत्येक मूल्य के सम्बन्ध में दूसरे के साथ सहभागी होने की अनिवार्य बाध्यता अनुभव नहीं करता। उन व्यक्तियों के सम्बन्ध तक में भी नहीं जिन्हें वह प्यार करता है और जिन पर यकीन करता है।"

यह एक अतिवादी मामला है। परन्तु यह इस बात को समझने का ढंग है।

इसके अतिरिक्त इस बात को देखने का एक और दूसरा तरीका भी है जैसे कि न्यायाधीश ब्रेन्डिस का तरीका। मैं आरम्भ में ही बताना चाहूंगा कि एकान्तता सम्बन्धी यह सम्पूर्ण अभियान संयुक्त राज्य अमरीका में 1890 में ही आरम्भ हो गया था। प्रख्यात हार्वर्ड ला रिव्यू से पता चलता है कि प्रोफेसर ब्रेंडिस बाद में उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात न्यायाधीश ब्रेंडिस हो गए थे। उन्होंने एक लेख लिखा जो अब दृष्टान्त बन गया है और एकान्तता के सम्बन्ध में लिखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस लेख का हवाला देता है। बाद में एक निर्णय में भी उन्होंने यह कहा था कि :

"हमारे संविधान के निर्माताओं ने सरकार के प्रतिकूल प्रत्येक मनुष्य का एकान्तता का अधि-

कार दिया है जो कि सभी अधिकारों में सर्वाधिक व्यापक है तथा इस अधिकार का सभ्य व्यक्ति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व है। इस अधिकार की रक्षा के लिए व्यक्ति की एकान्तता में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अनुचित हस्तक्षेप को चतुर्थ संशोधन का उल्लंघन माना जाना चाहिए।"

इस प्रकार इसका अत्यन्त सुन्दर ढंग से निर्वचन किया गया है।

महोदय इसके अतिरिक्त नागरिक स्वतन्त्रता राष्ट्रीय परिषद जो कि इगलैंड में एक प्रसिद्ध संस्था है.....

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रो० रंगा, क्या आप एकान्तता नहीं चाहते ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : वह एकान्तता नहीं चाहते। इसलिए वह जा रहे हैं।

श्री वी०एन० गाडगिल : उस संस्था ने एकपरिभाषा दी है जो इस प्रकार है :—

"एकान्तता अधिकार किसी व्यक्ति का वह अधिकार है जिसमें वह यह निर्णय करता है कि वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यक्तिगत जीवन के तथ्यों को अन्य व्यक्तियों साथ किस सीमा तक बांटना चाहता है।"

इसे समझने का एक अन्य तरीका यह होगा जैसा कि एक लेखक ने बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया है। उसने कहा है :

"ऐसे बहुत से मौके होते हैं जब किसी व्यक्ति को ऐसी जगह की तलाश होती है जहां वह अपने आपको प्रकट करने से और अपने किन्हीं विशेष विचारों, गीतों की सनक अश्लील विचारों और शानो शौकत की व्यर्थता की भड़ास निकाल सके। तब वह व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहना और आनन्द उठाना चाहता है।"

यह इसे देखने का एक अन्य नजरिया है।

न्यायाविदों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की ब्रिटिश शाखा की एक प्रसिद्ध संस्था है जिसे 'जस्टिस' कहते हैं। उन्होंने एकान्तता की धारणा के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार एकान्तता का अर्थ है :

प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी शख्सियत को बनाए रखने, अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों तथा अपनी मुक्ति का मार्ग निर्धारित करने के सम्बन्ध में अन्य व्यक्तियों के साथ

[श्री वी०एन० गाडगिल]

परस्पर सम्बन्धों को किस सीमा तक बनाए रखना चाहता है।"

"कई बार ऐसा होता है कि हम एकान्तता चाहते हैं और कई बार हम अपने बन्धुओं का साथ चाहते हैं; कई बार हम एक या अधिक व्यक्ति जो हमारे निकट हैं हम उनके साथ सम्पर्क बनाने की आवश्यकता महसूस करते हैं और कई बार हम अपने आपको दूसरों से अलग रखना चाहते हैं। इन सबसे ऊपर यदि हम चाहें तो अपने विचारों, भावनाओं, विश्वासों, शकों, आशाओं, योजनाओं भयों और कल्पनाओं जिन्हें हम 'निजी' कहते हैं, हमें यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि हम किनके साथ किस सीमा तक उन्हें बांटना चाहते हैं।

कानूनी दृष्टिकोण से अमरीकी कानून के डीन प्रोफेसर ने इसका विश्लेषण इस प्रकार किया है :

उन्होंने कहा है कि इसके चार पहलू हैं :—

1. वादी के एकान्त अथवा एकाकीपन अथवा निजी मामलों में अतिक्रमण;

2. वादी के निजी तथ्यों का उलझनपूर्ण सार्वजनिक प्रकटन;

3. प्रचार द्वारा जनता की नजरों में वादी के बारे में गलत राय बनाना;

4. प्रतिवादी के लाभार्थ वादी के नाम अथवा समानता का दुरुपयोग।

प्रोफेसर वेस्टिन ने इसको चार शब्दों के द्वारा अलग रूप से इस प्रकार वर्णित किया है :—

1. एकाकीपन

2. घनिष्ठता

3. गुमनामी

4. संयम

न्यायमूर्ति डगलस ने, जिन्होंने भारत में आकर भाषण दिए थे, एक पंक्ति में इस प्रकार कहा है—

"एकान्त में रहने का अधिकार वस्तुतः सभी स्वतन्त्रता की शुरूआत है।"

इसके अतिरिक्त लार्ड गार्डनिर, वकील तथा न्यायमूर्ति ने इसे इस प्रकार कहा है :—

".....मैं इस बारे में काफी अर्से से रुचि लेता रहा हूं कि किस सीमा तक एक पुरुष

या महिला निजी जीवन के बारे में यह कह सकता है कि मेरी निजी जिन्दगी के बारे में आम जनता के लिए रुचि रखना अनुचित है तथा जिस हद तक व्यापारिक संगठनों को औद्योगिक जासूसी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, टेलीस्कोपिक लैंस के द्वारा हमारे घरों में घुसपैठ या बिस्तर के नीचे जासूसी उपकरण या निजी जासूस अथवा सैल्समैन द्वारा घरों में जाकर जबरदस्ती सामान बेचने के प्रयास.....।"

मेरे माननीय मित्र गृह सचिव तथा मैं इन मामलों की महत्ता को पूर्णतया समझते हैं तथा इस बारे में गतिविधियों तथा नागरिकों की इनसे सुरक्षोपाय खोजने सम्बन्धी भावना के बारे में प्रतिपूर्णतया जागरूक हैं।

अन्त में, जहां तक अवधारणा का सम्बन्ध है, अन्तिम पहलू के रूप मैं में 1890 में न्यायमूर्ति ब्रांडीस के हार्वर्ड विधि सम्बन्धी विशिष्ट लेख का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे विचार से यह इस अवधारणा के बारे में सर्वाधिक अच्छा वक्तव्य है।

"हाल की खोजों तथा व्यापारिक पद्धतियों केपरिणामस्वरूप व्यक्ति की सुरक्षा के लिए न्यायाधीश कूली के शब्दों में "अकेले रहने के अधिकार" दिलाने के प्रयास किए जाने चाहिए।"

तात्कालिक फोटो संगठनों और समाचारपत्र के उद्यमों ने जैसाकि न्यायाधीश कूले निजी और घरेलू जीवन संबंधी अधिकार का नाम लेते हैं, में हस्तक्षेप किया है और विविध उपकरण उनकी इस भविष्यवाणी की पुष्टि करते हैं कि "किसी बात को भी गुप्त रखने का प्रयास किया जाए तो भी उसका भांडा-फोड़ हो जायेगा" वर्षों से यह धारणा रही है कि प्राइवेट व्यक्तियों के चित्रों के अनधिकृत परिचलन को रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाना चाहिए और समाचारपत्रों द्वारा एकांतता के जीवन में हस्तक्षेप करने संबंधी इस बुराई को रोकने के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है और समाचारपत्रों द्वारा एकांतता के जीवन में हस्तक्षेप करने पर एक योग्य लेखक द्वारा चर्चा की गई है।

1890 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्रौद्योगिकी की प्रगति हमें कहां ले जायेगी। और इसने कहां पहुंचा दिया, मैं आपको अब दिखाऊंगा कि अब संगणक, गुप्त कैमरे, भनक के लिए, दख-लंदाजी के लिए, सनसुई दृष्टि के लिए हैं और संसार में इन सब यंत्रों का प्रचलन है। इस समय मैं इनमें से कुछ का हवाला दूंगा। अमरीका में क्या हुआ। यह एक साक्ष्य जो सीनेटर गोल्डवाटर द्वारा सीनेट समिति के समक्ष दिया गया :

"इस समय जो संगणक उपकरण हैं उनसे लाखों प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा सकती है, और इसमें सतत सुधार करने के लिए इन सभी सूचनाओं को हमेशा रखा जाता है। दूरी अब कोई बाधा नहीं है। संचार सर्कटों, टेलीफोन लाइनों, रेडियो तरंगों और लेजर बीम्ज को तीव्र ...

[श्री वी० एन० गाडगिल]

से सूचना भेजने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो संगणक की बराबरी कर सकता है। ये सामान्य समय लेती हैं। अब हम ऐसी प्रणाली के बारे में सुन रहे हैं जिसके, सम्भव है कि एक साथ कई हजार प्रयोक्ता अथवा टर्मिनल हो सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे कर। हमारी टेलीफोन की कालें हमारा बीमा, हमारे बैंक और हमारे वित्तीय लेन-देन, पेंशन में दिया गया पैसा, उधार ली गई हमारी पुस्तकों, हमारे हवाई जहाज और होटल के आरक्षणों, हमारी व्यावसायिक सोसाइटियों, हमारे पारिवारिक संबंध आदि का कार्य अब संगणकों द्वारा संभाला जा रहा है। जब तक सरकारी और निजी संगणकों के लिए विशिष्ट रूप से, अवांछित इतिहास लुप्त करने का कार्यक्रम नहीं बताया जाता तब तक ये हमारी विगत घटनाओं के ब्यौरे हमारे सामने आ सकते हैं। हमें प्रोग्रामों के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत आजादी सुरक्षित रह सके।"

महोदय, एक अन्य सीनेटर एडवार्ड वी० लांग की एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम 'इनट्रूडर' है। इसमें बहुत से ऐसे उपकरणों के चित्र जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति की एकांतता में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाता है। आपको इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपका पीछा किया जा रहा है, आप पर निगरानी रखी जा रही और आपकी बातें सुनी जा रही हैं। अब कार्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों से किये जाते हैं। विभिन्न ऐसे चित्र दिए हैं। जिनका उपयोग न केवल सरकार द्वारा किया गया है बल्कि प्राईवेट एजेंसियों, बड़े-बड़े निगमों और यहां तक कि समाचारपत्रों द्वारा भी किया गया है।

यह अब किस सीमा तक पहुंच चुका है ? मैं आपको नागरिक अधिकारों संबंधी राष्ट्रीय समिति के प्रतिवेदन का हवाला दता हूं। उसका यह सबूत है। यह श्री बेंड्रट का एक लेख है जो कि इस समय अत्यन्त विवादस्पद और लेबर पार्टी के प्रभावशाली मुखर नेता हैं। उन्होंने लिखा है :

"पिछले 25 वर्षों में विज्ञान के क्षेत्र में तीन महान प्रगतियां हुई थीं। इनमें से एक परमाणु उर्जा है जिसने हीरोशिमा और नागासाकी की घटना ने संसार को क्षुब्ध कर दिया। दूसरी प्रगति मनुष्य की अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता की खोज के संबंध में है जिसने संसार को रोमांचित कर दिया तीसरी प्रगति संगणक की खोज और अन्वेषण के संबंध में है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और जो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है।"

और इसने क्या-क्या कार्य किया है ?

"हमें इस बात से भय है कि सरकार द्वारा जन्म के समय ही प्रत्येक बच्चे का पता लगा लिया जायेगा और उसे उपयोग में लाया जायेगा और उसके द्वारा किये जाने वाला कार्य पूरे जीवन के लिये दर्ज किया जायेगा और विश्लेषित किया जायेगा तथा वर्गीकृत और पर्यवेक्षित

किया जायेगा और उसके परिवार, आय, उसकी आदतों, स्वास्थ्य, अर्हताओं, विश्वासों, नैतिक और दाण्डिक संबंधी प्रत्येक तथ्य किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध होंगे। यह अत्याचार है जो हमें सहन करना पड़ेगा।"

इसके अतिरिक्त इस प्रौद्योगिकीय विकास का एक अन्य पहलू है। इसे सीनेटर एडवर्ड वी० लांग द्वारा अपनी पुस्तक "इंवेजन आन प्राइवेसी" में अच्छी तरह दर्शाया गया है। वह 'रिकार्ड प्रिजन' के नाम से पुकारते हैं। इन प्रौद्योगिकीय आविष्कारों ने 'रिकार्ड प्रिजन' उत्पन्न की है जिसमें व्यक्ति को अब रहना पड़ता है और यह प्रायः एक कारावास, जिसमें उनके द्वारा एक प्रकार से एकत्र की गई जानकारी है, के समान है।

और फिर आर्थुर आर० मिलर द्वारा दिया गया एक अन्य उदाहरण है। अपनी पुस्तक "असाल्ट आन प्राइवेसी" में वह यह कहते हैं :

"लोगों और उनके संचार-कार्य पर निगरानी रखने के लिये वर्तमान निगरानी के तरीकों को अनिवार्य रूप से संगणकों द्वारा जोड़ दिए जाने से शायद वैयक्तिक स्वाधीनता को अत्यधिक भारी खतरा हुआ है। भेद जानने का एक साधारण सामजिक तरीका 'पैन रजिस्टर' है जो एक टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ दिये जाने पर बहुत से डैशें को रिकार्ड करता है जो एक विशेष टेलीफोन से डायल किये गये अंकों को दर्शाता है। भेद जानने की इस क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यदि 'पैन रजिस्टर' द्वारा प्राप्त की गई इस जानकारी को स्वतः विश्लेषण के लिये किसी केन्द्रीय संगणक में डाल दिया जाये। इस तकनीक के व्यापक प्रयोग से लोगों के बहुत बड़े ग्रुप में शीघ्र ही परिचित और लेन-देन के तरीकों का पता चलना है। तथापि व्यावहारिक रूप में कुछ वर्षों में 'पैन रजिस्टरों' के बिना ही टेलीफोन निगरानी करना संभव हो जायेगा।"

और अब यही हुआ है। एकान्तता की बजाए आप प्रोफेसर आर्थर के शब्दों में "एकान्तता समाप्त" कर रहे हैं। यह आधुनिक प्रौद्योगिक का प्रभाव है।

यह प्रभाव क्या है। इसे उन्होंने कविता में लिखा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का नवीनतम प्रभाव है कि जन्म से मृत्यु पर्यन्त हमारे समस्त कार्य कलाप एक बड़े कम्प्यूटर से नियंत्रित रहेंगे और हमारी सारी गतिविधियां यंत्रवत हो जायेंगी चाहे भले ही इसका आभास न हो।

नागरिक स्वाधीनता संबंधी एक सम्मेलन हुआ था और उन्होंने उदाहरण दिये हैं कि यह किस प्रकार हानिकारक है। यह भारत में हो सकता है जिसका कोई समाधान नहीं है। उदाहरणार्थ आप और आपका सहयोगी निदेशक अपने कार्यालय में कम्पनी की भावी विपणन नीति के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं। गली के पार परिसर से खिड़की खुली हुई है। अधिभोक्ता की अनुमति के बिना आपका व्यापारिक प्रतिद्वंदी माइक्रोफोन से आपकी बातचीत रिकार्ड करता है। इस समय आम

[श्री वी०एन० गाडगिल]

कानून कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। आप उसके खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही नहीं कर सकते हैं आपको यह सहन करना पड़ेगा।

एक अन्य उदाहरण है। आप अपने स्थानीय समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो जानी-मानी हस्ती के अर्थ में नहीं है मैं राजनीतिज्ञों अथवा जानी-मानी हस्तियों के लिये वकालत नहीं कर रहा हूं। अब एक दिन आपका स्थानीय समाचार-पत्र एक लेख प्रकाशित करता है जिसमें वे आपके बारे में कुछ तथ्य देते हैं कि 25 वर्ष पूर्व आपको चोरी करने के अपराध में सजा हुई थी और आपकी माता की पागल खाने में मृत्यु हुई थी। ये दोनों वक्तव्य सही हैं लेकिन आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप न्यायालय में कार्यवाही नहीं कर सकते कि "मेरा एकान्तता के अधिकार का हनन हुआ है।" इसमें सार्वजनिक हित सम्बद्ध नहीं है। यह जानने का अधिकार नहीं है यह केवल उत्सुकता का अधिकार है जिसे संतुष्ट किया जाना है।

मान लीजिए एकमात्र बच्चा कार दुर्घटना में मारा जाता है। संवाददाता आपको दिन और रात टेलीफोन करते हैं और आपका घर प्रेस और टेलिविजन के फोटोग्राफरों से घिरा हुआ है जो आप और आपकी पत्नी का फोटोग्राफ लेते हैं जब आप उन्हें दरवाजे पर दिखाई देते हैं। ये फोटोग्राफ समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं और दूरदर्शन के समाचार-बुलेटिन में दिखाये जाते हैं। आपके पास कोई समाधान नहीं है। आपको सहन करना पड़ेगा। आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह आम कानून है और भारतीय कानून है।

मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जिनमें सरकार, समाचार-पत्रों, टेलीविजन, विभिन्न अन्य एजेंसियो आदि द्वारा एकान्तता के अधिकार का हनन हुआ है। आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। यह केवल आपको सहन करना पड़ेगा।

श्री एन्थनी बारबर ने हाऊस ऑफ कामनज को बताया कि प्रत्येक वर्ष डाक अधिकारियों द्वारा 3 लाख पत्र खोले जाते हैं। यह स्वाधीन भूमि का हाल है। यह सरकार द्वारा किया गया एक प्रकार का अतिक्रमण है।

प्रो० मधु दण्डवते : टेलीफोनों को टेप करने का लाभ यह होता है कि वे सही रूप में कार्य करते रहते हैं।

श्री वी०एन० गाडगिल : आपको यह बात श्री स्टीफन को बतानी चाहिए थी। एक विस्मयकारक चीज मैंने देखी है वह यही है। मैं समझता हूं कि यह संसद सदस्यों पर लागू होती है। किन्तु इस पुस्तक में मैंने एक अत्यधिक विस्मयकारी विवरण देखा है। "हमारे देश" अर्थात् अमरीका, "का उच्चत्तम स्तर पर चुपके से किसी की बात सुनने का एकाधिकार नहीं है। यह भेद भी खुला कि उस घर में, जहां इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ रहती हैं और राजमाता मेहमान थीं, टेलीफोन पर

निगरानी रखी जाती थी। उनके टेलीफोन तक टेप किए जाते थे।" एकांतता के अधिकार के अतिक्रमण का एक और भी उदाहारण है। यह भी इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में, जैसा कि आप जानते हैं, एक वर्ग दक्षिणी अफ्रीका के और रंगभेद विरोधी नीति के विरुद्ध है। उन्हें क्या होता है ?

"जब 1969-70 के दौरान स्प्रिंग बुक उसे पढ़कर सुनाई गई बहुत से रंग विरोधी प्रदर्शनकारियों ने शिकायत की कि उनके फोटो पुलिस द्वारा एक मैच के दौरान लिए गए थे।"

क्योंकि वे प्रदर्शनकारी थे।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

फिर क्या हुआ ? खतरा यह है कि इस अधिकार का प्रयोग सरकार, निजी कम्पनियों और प्रचार माध्यमों द्वारा किया जाता है। भारत के बारे में बोलने से पहले, मुझे लोकतन्त्र के जन्मदाता देश ब्रिटेन के बारे में बोलने दें। यह सब कुछ वहां हुआ।

"7 जून, 1957 को श्री आर. ए. बटलर ने हाउस ऑफ कामन्ज में स्वीकार किया कि टेलीफ़ोन टेप किये जाते हैं। सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी जिसका नाम प्रिवी कौंसिल बरकौट कमेटी था उस देश में स्वयं को स्वाधीनता का चैम्पियन मानता है। उस समिति की रिपोर्ट क्या थी ? समिति की नियुक्ति टेलीफोन वालों को बीच में सुनने की जांच के लिए की गई थी और इसकी रिपोर्ट कहती है कि यह प्रथा तो आपत्तिजनक है किन्तु जरूरी भी है।

नवम्बर, 1966 में—श्री बाजपेयी दिलचस्पी लेंगे—श्री हैरल्ड विल्सन ने बताया कि उन्होंने कार्य-भार सम्भालते ही संसद सदस्यों के टेलीफ़ोनों को बीच में ही सुनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। किन्तु इन आश्वासन दिए जाने के काफी समय बाद सदन के दोनों पक्षों के कम से कम एक दर्जन संसद सदस्यों ने विरोध किया कि उनके टेलीफोन टेप किये जाते हैं। एक संसद सदस्य श्री टफटॉन बीनिश ने दावा किया कि 15 लेबर सांसदों से भी अधिक सांसदों का पुलिस द्वारा पीछा किया जाता है और उनके अपने ही दल के अनुरोध पर उनके टेलीफोन भी टेप किए जाते हैं। एक संसद सदस्यों ने ग्रह सचिव को शिकायत करते हुए लिखा कि :—

"अब में बड़ी आपत्तिजनक परिस्थिति में हूं कि मैं अनिश्चित काल तक पुलिस फोटोग्राफ फाइल में रहूंगी यद्यपि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया है और, इसलिए, मेरे पास अपने बारे में सफाई देने का भी कोई अवसर नहीं है।"

अमरीका में इससे भी बड़ी बारदातें होती हैं। अधिक विकसित देश है, इसलिए बड़ी बातें होती हैं।

[श्री वी० एन० गाडगिल]

वहां क्या हो रहा है ? हमने कानूनी प्रक्रिया की विशुद्धि की बात सुनी है। प्रोफेसर अर्थात् मिचकर कहते हैं,—

"यह सर्वविदित है कि जो भी सम्भावित जूरर की जांच करेगा बहुत से मामलों में जिसमें कि अमरीका एक वादी है, क्या सरकार मुकदमें और जूरी की सुनवाई में, चाहे जो भी जूरी की जांच करे एक पार्टी है।"

इसमें भी बड़ा आश्चर्य है !

श्री के० मायातेवर : आपके पास सदन का एकाधिकार है।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं काफी समय लेने जा रहा हूं।

"रिकार्ड जेल में सबसे बड़ी धमकी शायद यह है कि इसमें हमारी मूल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होता है। 1970 के आरम्भ में हुआ रहस्योद्घाटन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अमरीकी सेना सुनियोजित ढंग से बहुत से दलों के वैध राजनीतिक कार्यकलापों पर नजर रख रही है और "घटना" रिपोर्ट तैयार कर रही है तथा विभिन्न कानूनी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों के डोजियर तैयार कर रही है।"

एक भूतपूर्व सेना आसूचना अधिकारी श्री क्रिस्टोफर एच पाइले ने रहस्योदघाटन किया :

"वास्तव में सेना देश में सभी सक्रिय राजनैतिक दलों की सदस्यता, विचारधारा, कार्यक्रम और क्रियाओं की फाइलें रखती है। इनमें न केवल मिनट मैन और रेवोलूशनरी एक्शन मूवमेंट (राम) जैसे हिंसक प्रवृति के दल शामिल हैं, अपितु सर्दन क्रिस्टीयल लीडरशिप कानफ्रेंस, कलर्जी और लेयमैन युनाइटड एगेंस्ट दी वार इंन वियटनाम, दी एमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, वूमैन स्ट्राइक फार पीस और दी नैशनल एसोसिएशन फार दी अडवांसमैन्ट ऑफ कलर्ड पीपल्ज जैसे अहिंसक दलों के भी शामिल हैं।"

यहां तक कि इस स्वतन्त्र देश में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी नहीं छोड़े जाते। वही लेखक कहता है कि :

"इस वातावरण में हम विश्वविद्यालयों से बाहरी सूचना हेतु बढ़ी हुई मांग को पूरा करने की आशा कर सकते हैं। जांच के प्रयास निश्चय ही तीव्र होंगे यदि एफ.बी.आई. न्याय विभाग, स्थानीय कानून लागू करने वाली संस्थाएं और शैक्षिक संस्थानों द्वारा एकत्र किए जाने वाले आंकड़ों में समन्वय होगा। यदि कोई यह सोचता है कि यह धारणा कष्ट-कल्पित है तो उसे 22 सितम्बर,

1970 के राष्ट्रपति निक्सन के विश्वविद्यालय परिसरों में एक हजार नए एफ.बी.आई. एजेंटों के प्रयोग करने के लिए सांविधिक प्राधिकार बढ़ाने और धनराशि देने के अनुरोध के प्रभावों पर विचार करना चाहिए।"

अतः विश्वविद्यालय भी मुक्त नहीं हैं। क्या सीनेटर मुक्त हैं ? एक प्रमुख सीनेटर, वायने मौर्स ने सीनेट में यही कुछ कहा है :

"पिछले वर्ष एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने मुझे बताया कि उसका विश्वास है कि उसके कार्यालय में एक माइक्रोफोन छिपा हुआ है.....अथवा मेरे घर.....। एजेंट वह वार्तालाप दोहरा सकता था जो कुछ सीनेट भवन में मेरे कार्यालय तथा घर पर हुआ है।"

ऐसा तो वहां सीनेटर के साथ होता है। इसके बाद इसी पुस्तक "दा इन्टरूडर" में एक और दिलचस्प बात यह दी गई है कि :—

"चौथे दशक के मध्य में, न्यूयार्क सिटी पुलिस ने स्वयं एक ऐसे टेलीफ़ोन को टैप किया जो कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट की पत्नी को दिया गया था।"

आसूचना अधिकारी ने आगे बताया :

".....अक्टूबर, 1965 में एन. बी. सी. टेलीविजन कार्यक्रम में एक और अत्याधिक आश्चर्यजनक कहानी बताई गई....." आसूचना दल ने....."शिकागों स्थिति लगभग सभी होटलों को टेलीफोन किया.....चुपके से सुनने के कार्यकलापों में अति महत्वपूर्ण शिकार श्रीमती फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट हुई, जबकि उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया।"

यहां तक कि सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त लोगों का पीछा किया जाता है और टेलीफोन टैप किए जाते हैं। पश्चिमी देशों में निजी जीवन की गुप्तता का इस हद तक उल्लंघन किया जाता है।

वांस पैकर्ड द्वारा लिखित 'दा नेकेड सोसाइटी' नामक एक और पुस्तक है। इस पुस्तक के पृष्ठ 11 में बताया है :—

"फिलाडेल्फिया के भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने सीनेट समिति को बताया :—
'जिन शहरों में टेलीफोन टैप किए जाते हैं, उन शहरों में रहने वाले व्यावसायिक लोगों और राजनीति में लगे लोगों में आमतौर पर असुरक्षा की भावना पाई जाती है। प्रमुख व्यक्ति इस तथ्य के बावजूद कि वे कोई गलत काम नहीं करते, तब भी अपने टेलीफोनों का प्रयोग करने से निरंतर

[श्री बी० एन० गाडगिल]

डरते हैं। यह स्पष्ट है कि संचार की स्वतन्त्रता और एक स्वतन्त्र समाज में बिना किसी डर के रहने के वातावरण का जासूसों के कारण हनन हो रहा है।"

इसी पुस्तक के पृष्ठ 103 पर यह बताया गया है,— :

".....केवल वाशिंगटन क्षेत्र में ही 5000 से अधिक संयंत्र टेलीफोन चुपके से सुनने के लिए सरकारी टेलीफोनों से जुड़े हैं—हाऊस कमेटी आन गवर्नमेंट आपरेशन, 1962 की रिपोर्ट में से।"

"पेंटागन, अमरीकी सशस्त्र सेनाओं का मुख्यालय, किस प्रकार काम करता है ? यह भी उसी पुस्तक के पृष्ठ 110 से लिया गया है :

"लेखक बेन. एच. बैगडीकियन नें उन बहुत से लोगों के मिलने के बाद जो पेंटागन में काम करते हैं, या उससे सम्बद्ध हैं सूचित किया कि पेंटागन के अधिकांश अधिकारी यह समझ लें कि उनके कार्यालयों के भेद लिए जाते हैं—छिपे हुए माइक्रोफोनों द्वारा उन पर निगरानी रखी जाती है। लगभग सभी सुरक्षा पत्रकारों ने जिनसे भी मैंने बात की, माना कि उनके कार्यालय तथा घर के टेलीफोन किसी न किसी सरकारी संस्था द्वारा टैप किए जाते हैं।"

अगर सही स्थिति यह है तो क्या यह जार्ज ओरवैल के प्रसिद्ध 1948 उपन्यास में वर्णित लिखे शब्दों से अलग है ?

अन्त में मैं "हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ राइट टु प्राइवेसी" नामक पुस्तक का संदर्भ देना चाहता हूं। उसमें निम्नलिखित रूप से कहा गया है :

"आज के लोगों की अमरीकी इतिहास के किसी भी कील से कहीं अधिक सरकारी एजेन्सियों, कानून का प्रवर्तन करने वाले अधिकारियों, समाज विज्ञानियों तथा चुनाव प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा माप, निरीक्षण, गणना तथा जांच की जाती हैं। सम्भवतया इस पृथ्वी पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा और कोई राष्ट्र नहीं जहां व्यक्तिगत रूप से सूचना एकत्रित, रिकार्ड तथा प्रचारित की जाती हो।"

"संघ राज्य की सूचना एकत्रित करने तथा निगरानी संबंधी गतिविधियां इस हद तक विस्तृत हो गयीं हैं कि वे प्रत्येक अमरीकी व्यक्ति के एकांतता, भाषण देने, सभा करने, संघ बनाने तथा सरकार को याचिका देने आदि मूल अधिकारों के लिए खतरा पैदा कर रही है।" मैं समझता हूं कि औरवेल या हक्सले को ठीक से पढ़ने से कोई भी यह स्वीकार करेगा कि '1984' एक मन: स्थिति को चित्रित करता है। इतिहास के पिछले वर्षों में तानाशाही कीलदार बूटों, तथा टैंकों

तथा मशीनगनों से बोलबाला था। परन्तु यह तानाशाही संवैधानिक संरक्षणों के विरुद्ध बहुत दमनकारी व दुर्बलकारी हैं। मेरे विचार से कांग्रेस के लिए आज यह महान चुनौती ही सबसे बड़ा भय है।"

यह किसी सरकार द्वारा व्यक्ति के एकान्तता के अधिकार का उल्लंघन करने हेतु प्रयोग किया गया आधुनिक तकनीकी साधन हैं। एंथोनी थामसन की एक पुस्तक 'बिग ब्रादर्स इन ब्रिटेन' में भी ऐसे ही उदाहरण दिये हैं पर मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। अब में बड़े निगमों द्वारा एकान्तता के अतिक्रमण की बात करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं दो-एक उदाहरण दूंगा। द रिटेल क्रैडिट कम्पनी एक बड़े भू-भाग में विस्तृत आसूचना सेवा प्रदान करती है जिसमें 6000 पूर्वकालिक वैतनिक निरीक्षक हैं जो स्थाई रूप से काम करते हैं तथा इसके 1500 कार्यालय है तथा ओहियो क्षेत्र में ही इसके 64 कार्यालय हैं तथा इसके प्रतिनिधि मैक्सिको व यूरोप में हैं। कम्पनी के जांचकर्त्ता प्रतिदिन 90,000 जांच करते हैं जो कि अधिकांशतः व्यक्तिगत होती हैं।"

एक दूसरी कम्पनी—जो कि प्राइवेट जांच कम्पनी है—के पास 2.20 करोड़ से अधिक व्यक्ति हैं। इन सब के लिए व्यक्तिगत फाइलें तैयार की गई हैं। इस पुस्तक में जो आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि अमरीका की एसोसिएटेड क्रैडिट ब्यूरो ने लगभग हर दूसरे अमरीकी की फाइल बना रखी है। इस प्राइवेट कम्पनी द्वारा आधी जनसंख्या का रिकार्ड तथा छानबीन की गई है।

टेलीफोन की क्या स्थिति है? आप जानते हैं कि अमरीका में टेलीफोन सरकार के स्वामित्व में नहीं बल्कि प्राइवेट कम्पनियों के स्वामित्व में है। एक वर्ष में 'द पैसिफिक टेलीफोन व टेलीग्राम कम्पनी' केवल कैलिफोर्निया के ही 270 लाख टेलीफोन काल की जांच की गई। दूसरी एजेन्सी—मैं फिर एटलांटा आधारित क्रेडिट कम्पनी का संदर्भ नहीं दूंगा बल्कि दूसरा उदाहरण दूंगा—वह हूपर होम्स ब्यूरो की यह क्या विशेष कार्य करती है? क्योंकि अमेरिका में हर चीज की विशेषता प्राप्त है। वह बताया गया है कि यह गुप्त संगठन अपमानजनक सूचनाएं इकट्ठी करता है व इसके पास 90 या 100 लाख लोगों की फाइलें हैं।

अतः यदि आपको कोई अपेक्षित जानकारी चाहिए, तो आप इस कम्पनी से सम्पर्क करें और कम्पनी आपको वह जानकारी प्रदान करेगी। महोदय, एक अन्य गैर सरकारी कम्पनी भी है।

फैडरल हाउजिंग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्थापित प्राइवेट एजेन्सियां लोगों के वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध में लिख देती हैं। इस बात की परिकल्पना करना सरल है कि इस प्रकार का अनुमान किस सीमा तक अफवाहों एवं गप्पबाजी के आधार पर लगा लिया जाता है। परन्तु ऐसे समाचारों का चयन प्रकाशन अनन्य रूप से किया जाता है।

[श्री वी० एन० गाडगिल]

परिणामत: एक एसोसिएशन गठित की जा चुकी है और उस समय एसोशियन का नाम भी बड़ा दिलचस्प है। इस सीमा तक अतिक्रमण होता है कि लोग बहुत ही चिंतित है और यहां तक कि "आकड़ा प्रक्रियन "मशीन समाप्त कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी" गठित की जा चुकी है जिसके सदस्यों की संख्या 5000 है। यह एक अमरीकी सोसाइटी है।

उस संस्था के प्रमुख श्री हार्वे मैटूसो हैं। उनका कहना है :

".....लोगों को उनके इस्तेमाल की आदत डाली जा रही है। उन्हें आधुनिकता एवं नवीनता द्वारा सम्मोहित किया जा रहा है, उन्हें जुगत की चकाचौंध में चौंधिया दिया जाता है और उन्हें "ओरवेल" के कथनानुसार पुनर्विचार और "समाचार शिखर" पर चढ़ा दिया जाता है। गलतियों को न्यायोचित ठहराने के लिए अधिकार मांगे जा रहे हैं।

अब मैं एकान्तता के अधिकार पर प्रेस के अतिक्रमण पर आता हूं। यह तीसरी श्रेणी है। मैं पुन: 1890 से ही शुरू करता हूं। लगभग 100 वर्ष पूर्व न्यायाधीश ब्रेंडल के प्रसिद्ध लेख में प्रेस के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा था :

"ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार के संरक्षण की वांछनीयता—वास्तव में आवश्यकता के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता। प्रेस मर्यादा एवं शिष्टाचार की सभी सीमाओं को सभी दिशा में लांघ रही है। गप्पबाजी निकम्मेपन एवं धृष्टता का परिणाम नहीं है बल्कि यह एक व्यापार बन गया है, जिसे गुस्ताखी से किया जा रहा है। विषयासक्त रुचि को पूर्ण करने के लिए यौन-सम्बन्धों का ब्यौरा दैनिक समाचर पत्रों में छाप दिया जाता है। अकर्मण्यता को छुपाने के फिजूल की गप्पबाजी से स्तम्भ-दर-स्तम्भ भर दिए जाते हैं जिसके लिए सामग्री केवल घरेलू परिवेश में प्रवेश करने पर ही प्राप्त हो सकती है। उन्नत सभ्यता के परिवेश में जीवन अत्यन्त जटिल हो गया है अब ऐसी स्थिति आ गई हैं कि हमें विश्व से अपमान आवश्यक हो गया है और संस्कृति के प्रभाव से मानव प्रचार के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो गया है। परिणामत: एकान्तता मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक हो गयी है परन्तु आधुनिक उद्यम एवं आविष्कारों ने उसकी एकान्तता पर अतिक्रमण करके उसे मानसिक दु:ख एवं विषाद की स्थिति में छोड़ दिया है। यह स्थिति शारीरिक आघात से भी बुरी है। इस प्रकार के अतिक्रमणों से हुई हानि केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है जिन्हें पत्रकारिता अथवा अन्य उद्यमों का विषय बनाया गया है। वाणिज्य के अन्य विषयों की भांति इसमें भी सप्लाई के द्वारा ही मांग होती है। गप्पबाजी का सतत प्रसार एवं प्रचार हो जाता है। परिणामत: सामजिक स्तर एवं नैतिकता का ह्रास होता है। गप्पबाजी स्पष्टत: हनिकारक है और जब इसका व्यापक एवं सतत विस्तार हो जाता है तो यह एक बड़ी बुराई का रूप धारण कर लेती है। इससे बात का महत्त्व कम हो जाता है तथा इसका गलत अर्थ भी लगा लिया जाता है। जब व्यक्तिगत गप्पबाजी प्रकाशन का रूप धारण

कर समुदाय के वास्तविक हितों से संबन्धित विषयों हेतु उपलब्ध स्थान ले लेती है तो इसमें क्या आश्चर्य है यदि विवेकहीन पुरुष उसके सापेक्ष महत्त्व के बारे में गलती करते हैं। वह सहज ही समझ में आने वाली और मानव प्रकृति के उस कमजोर पक्ष को अच्छी लगने वाली होती है जो हमारे पड़ौसियों के दुर्भाग्यों एवं कमजोरियों से कभी भी पूर्णतः हतोत्साहित नहीं होती है। अतः इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह ऐसे लोगों के मस्तिष्क में भी स्थान बना लेती हैं जो दूसरी अच्छी बातें ग्रहण करने योग्य हैं। तुच्छता विचारों की दृढता एवं कोमलता को एकदम नष्ट कर देती है। उसके प्रभाव में उत्साह पनप नहीं सकता और कोई आवेग बना नहीं रह सकता।"

ये शब्द न्यायाधीश ब्रेन्डल ने कहा है—सार्वजनिक जीवन में रत राजनीतिज्ञ ने नहीं।

अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था :

"समाचार पत्र व्यवसाय एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। बहुत ही कम समाचार पत्र शिक्षित जनता का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। समाचार पत्रों की शृंखला, राष्ट्रीय समाचार-पत्र, राष्ट्रीय तार एवं समाचार सेवाएँ तथा एक समाचार-पत्र शहर, प्रेस की प्रमुख विशेषताएँ थी जिसका मुकाबला असम्भव हो गया था और जिसके पास जनमत को मोड़ने तथा घटनाक्रम परिवर्तित करने की प्रभावी एवं भारी शक्ति थी। इन भारी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अमरीकी जनता तक जान कारी पहुंचाने और जनमत तैयार करने की शक्ति कुछेक हाथों में केन्द्रित हो गई। इसी प्रकार किसी संज्ञा विशेष की ओर झुकाव रखने वाली एवं तोड़-मरोड़ कर समाचार प्रकाशित करने की प्रवृत्ति का कारण आधुनिक माध्यम-सम्राटों के पास भारी शक्ति संग्रह का होना हैं। जिन कारणों से अनेक महानगरीय समाचार-पत्र अदृश्य हो गए थे उन्हीं ने प्रकाशन माध्यम द्वारा पोषित विचारों का सार्वजनिक स्थल में प्रवेश प्रायः असम्भव कर दिया है। बताया गया है कि सूचित किए जाने के बारे में प्रथम संशोधन से जन हित खतरे में पड़ गया है क्योंकि "विचारों का सार्वजनिक स्थल" पर आज व्यवसाय-स्वामियों का एकाधिकार है।"

—अमरीका के मुख्य न्यायधीश का यह कथन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या आप कृपया एकान्तता के मामले को स्पष्ट करेंगे ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने इसका सविस्तार उल्लेख किया है। जब मैं इस विषय पर बोला था उस समय आप अनुपस्थित थे।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : आप सोवियत संघ एवं अरब से भी उद्धरण दे सकते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : यह कार्य मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं।

तत्पश्चात् ब्रिटेन में लार्ड लॉयड ने "पोर्टर एण्ड शाक्रॉस रिपोर्टस" की समीक्षा में प्रभावी बातें कहीं थी और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था :

"ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी समितियां प्रेस की आवाज की स्वतन्त्रता की मूर्ति की आवाज के रूप में सुनने को अत्यधिक तत्पर रही हैं। अमरीका के किसी प्रकाशन में इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि अमरीका के संवैधानिक कानून वास्तविकता एवं गैर-सरकारी बाधाओं के प्रति बिल्कुल उदासीन हैं···।"

सभापति महोदय : आप अब तक 45 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय मुझे 5 या 10 मिनट का समय और चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित विधेयक है। विषय है "एकान्तता अधिकार"।

श्री वी० एन० गाडगिल : राजनीतिक सच्चाई के फैलने में गैर-सरकारी रुकावटें हैं और यह उदासीनता उस समय अत्यन्त गंभीर हो जाती है जब कि अपेक्षाकृत कुछ निजी स्वार्थ न केवल सूचनाओं के नियन्त्रित करने की स्थिति में, बल्कि इसकी उपलब्धता तक के विषय में भी निर्णय करने की स्थिति में हों।

इसके बाद मैं चीफ जस्टिस बर्गर के कथन का उल्लेख करूँगा। उन्होंने इस प्रकार कहा है :—

"सरकार को बदनाम करने वाले कानूनों को समाप्त करने के विरुद्ध यह मामला उस समय अनिवार्य हो जाता है जबकि हमारे समाज में संचार के साधनों की बढ़ती हुई महत्त्वपूर्ण भूमिका है और इसके द्वारा कुछ व्यक्तियों के हाथों में दी गई विनाशकारी शक्तियां भी हैं।

लार्ड गुडमैन और जस्टिस कोदेन जैसे और भी कई लोग हैं जो 'कानून' पर लैक्चर देने भारत आए थे। उनमें से कइयों ने इस खतरे के बारे में चेतावनी दी है।"

और अब मैं समाचार पत्रों के एक अत्यन्त रोचक पक्ष के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महोदय 'द राइट आफ प्राइवेसी इन इंग्लैंड' (इंग्लैंड में एकान्तता के अधिकार) विषय पर कैनेथ यंगर समीति नाम की एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने यह सिद्ध किया है कि समाचार पत्रों द्वारा एकान्तता का अतिक्रमण करने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। यह समिति एकान्तता के अधिकार पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। इसमें बीस जाने माने वकील और समाज वैज्ञानिक थे। इसमें कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। मैं उनमें से कुछ बातों का उल्लेख यहां

यहाँ करूँगा। उन्होंने कहा :

"हमारे पास अन्य किसी भी विषय से अधिक समाचार पत्रों की गतिविधियों के बारे में ही अधिकतर शिकायतें आयीं थीं।"

वह भी राजनीतिज्ञों से नहीं बल्कि सामान्य नागरिकों की ओर से ये शिकायतें की गईं थीं। उन्होंने ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख किया है जहाँ कोई दुर्घटना हुई है और किस प्रकार से संवाद-दाताओं ने उस शोक संतप्त परिवार को तंग किया है; क्योंकि वे सोचते हैं कि समाचार देना, व्यक्ति-गत भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रो० मधु दण्डवते शायद इस बात को जानने के इच्छुक हों कि केनेथ यंगर समीति से क्या कहा गया था :

"प्रशिक्षण व्यवसाय के कुछ संगठनों ने स्कूल के मामलों की कुछ घटनाओं के लिए समाचार पत्रों के हस्तक्षेप पर आपत्ति की थी और इस मामले में संवाददाताओं से और अधिक सावधानी बरतने की माँग की थी।"

उसके बाद चिकित्सा व्यवसाय के बारे में सुनिए :—

"चिकित्सा-व्यवसाय के कुछ संगठनों द्वारा एक अलग ढंग से इसी प्रकार का विचार कर लिया गया है। उन्होंने समाचार पत्रों की इसलिए आलोचना की है कि समाचार पत्र वाले अपने समाचार पत्रों के लिए अस्पताल के समाचार प्राप्त करने के लिए, अस्पतालों के रोगियों की भलाई की प्रायः उपेक्षा करते हैं।"

इससे यह पता चलता है कि शिकायतें केवल राजनीतिज्ञों से ही नहीं मिली हैं।

समाचारपत्रों के बारे में सबसे मजेदार टिप्पणी रायल कमीशन की है :

"समाचार पत्रों की एक दूसरी मुख्य आलोचना जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महत्व के समाचार पत्रों के एक वर्ग के विरुद्ध की गई है, यह है कि उन्होंने समाचार प्राप्त करने के वास्ते आम लोगों तथा सार्वजनिक व्यक्तियों की आलोचना करने की आदत सी बना ली है...।"

यहाँ हम अपना यह विचार व्यक्त करते हैं जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर के कुछ समाचार पत्र निजी जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, वह समाचार पत्रों की कार्यविधि का सबसे घटिया पहलू है। प्रेस काउन्सिल के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने की या इसके किसी मामले पर पुनर्विचार करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। प्रेस काउंसिल की ही तरह हम पर भी कुछ घटिया मामलों के विषय में टिप्पणी करने के बारे में रोक लगी हुई है क्योंकि हमें विश्वास है कि ऐसा करने से प्रभावित व्यक्तियों को और भी संकट का सामना करना पड़ेगा।

[श्री वी०एन० गाडगिल]

अब देखिए, समाचारपत्रों की क्या दलील है ? उसे यहां बताया गया है :

"समाचार पत्र जो लोगों की एकान्तता का अतिक्रमण करते हैं सामान्यत: यह कहकर अपनी कार्यवाही को न्यायोचित बताते हैं कि उल्लिखत व्यक्ति सार्वजनिक व्यक्ति है जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करके अपने एकान्तता के अधिकार का हनन कर लिया है। ऐसे मामलों में आमतौर से "सार्वजनिक हितों" की दुहाई दी जाती है।"

"नागरिक अपनी एकान्तता को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। पत्रकार भी इसके अपवाद नहीं है। जब हमने सम्पादकों तथा पत्रकारों का सर्वेक्षण करने के लिए सोशल एण्ड कंयुनिटी प्लानिंग रिसर्च प्रारम्भ की तो हमने उन्हें एक लिखित प्रश्नावली भेजी और प्रश्नावली भरने वालों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में गारंटी दी कि किसी भी उत्तरदाता के नाम की जानकारी नहीं होने दी जायेगी, संवाददाताओं के वर्ग से प्राप्त उत्तरों की संख्या बहुत ही कम थी।"

क्यों ?

"किसी पत्रकार ने तो यह भी भावना व्यक्त की कि उनसे प्रश्न पूछना ही गलत है। पत्रकारों के व्यापारिक पत्र यू०के० प्रेस गजट ने जो सामान्यतया जनता के जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकारों की वकालत करता है, इस सर्वेक्षण के विरुद्ध अभियान ही शुरू कर दिया था। हमें यह बात बड़ी विचित्र लगी कि सम्पादकों ने उन प्रश्नों की अशिष्टता के बारे में आयोग से प्रत्यक्ष रूप से शिकायत की जो उनकी आय अथवा मत देने की आदत के बारे में पूछकर उनकी एकान्तता का अतिक्रमण करते थे, जबकि उनका नाम भी गुप्त रखने की गारंटी दे दी गई थी।

तो इसका क्या यह अर्थ है कि पत्रकारों को तो एकान्तता का अधिकार है लेकिन राजनितिज्ञों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि राजनीतिज्ञ राष्ट्रीयकृत होते हैं।

श्री वी० एन गाडगिल : अन्त में हमें समाचार पत्रों द्वारा यह बताया जाता है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है प्रेस परिषद के पास शिकायत करने का। मैं भारतीय प्रेस परिषद के अनुभव का उल्लेख नहीं करूंगा। ब्रिटिश प्रेस परिषद का यह अनुभव है कि पत्रकार लोग प्रेस परिषद की बिल्कुल परवाह नहीं करते। सबसे अधिक बिकने वाला समाचार पत्र 'द न्यूज आफ द वर्ल्ड' के मालिक ने तो प्रेस परिषद के सामने उपस्थित होने से ही इन्कार कर दिया था। जब एक पाठक ने 'एक्सप्रेस' के सम्पादक "जान गर्डन से इसकी शिकायत की तो उसने कहा, "आप प्रेस परिषद से शिकायत करना चाहते हैं·····? आप संयुक्त राष्ट्र संघ से क्यों नहीं शिकायत करते ? मैं आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करता।" तो यह अनुभव है ब्रिटिश प्रेस परिषद का। दूसरा रास्ता है मान-हानि का दावा करने का।

आप तो जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रेस परिषद के विरुद्ध दावा करता है तो क्या होता है। महोदय महाराष्ट्र में एक मन्त्री ने एक सम्पादक के खिलाफ मान हानि का दावा दायर कर दिया। उसे अपराधी घोषित किया गया और उसकी अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई और उसे जेल जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद जब वह बाहर आया तो आप जानते हैं क्या हुआ? पत्रकारों ने उसका एक वीर सम्पादक के रूप में स्वागत किया। इसलिए राजनीतिज्ञों को तो न्यायालय के फैसले को स्वीकार करना चाहिए परन्तु पत्रकारों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या यही तरीका है किसी चीज को परखने का? इसलिए मैं सोचता हूं कि गोपनीयता के अधिकार में न सरकार हस्तक्षेप करे, न बड़े-बड़े निगम और न ही समाचार पत्र आदि करें।

मैं यह कह कर अपना बयान समाप्त करूंगा कि भारत में इसकी शुरूआत कर दी गई है जो स्वागत योग्य हैं। हालांकि भारत में इस अधिकार को मान्यता प्राप्त नहीं है, परन्तु इसके लिए एक सार्वभौमिक घोषणा की गई है जिस पर हमारे हस्ताक्षर हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा विचाराधीन है। यह मुकदमा गोबिन्द बनाम मध्य प्रदेश है जिनमें इस अधिकार को मूल अधिकारों के एक अंश के रूप में मान्यता दिलाने की माँग की गई है। इसके बारे में मि० नारीमन द्वारा एक लेख लिखा गया था :

> "अत्यन्त निपुण न्यायिक मार्ग दर्शन से एवं बड़े मधुर शब्दों में उच्चतम न्यायालय ने एकान्तता के अधिकार को मूल अधिकारों के समकक्ष मान लिया है।"

यह मामला गोविंद बनाम मध्य प्रदेश सरकार का है। इसका निर्णय 18.3.1975 को हुआ था और उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट 946 के माध्यम से 1977 (3) में प्रकाशित किया गया, श्री नरीमन ने 'इण्डियन एडवोकेट' में यह लिखा है :--

> "निपुण न्यायिक परिचालन और नरम-यूनोक्ति से उच्चतम न्यायालय ने एकान्तता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।"

मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि मेरा विधेयक पूर्ण है मैं यह भी दावा नहीं कर रहा कि केवल यही सम्पूर्ण हल है, मेरा उद्देश्य इस समस्या की ओर ध्यान दिलाना है जो भविष्य में गंभीर हो जायेगी। अतःएव, मैं यह कहकर समाप्त करता हूँ कि इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए और मैं यह विधेयक स्वीकार करने के लिए सभा से अनुरोध करता हूँ।

श्री मूल चन्द डागा : सभापति जी, जिन्दगी में मैंने पहली बार इस प्रकार का गम्भीर भाषण सुना है। लेकिन जैसा मैंने देखा, जब कोई महान व्यक्ति कागज या किताब निकाल कर

[श्री मूलचन्द डागा]

अध्ययन करने लग जाता है, उसमें कुछ समय लगाता है तो उसके लिए मैं गाडगिल साहब का बड़ा आभार मानता हूं। वे बहुत सुन्दर बातें कहते हैं। मैं वह समझता हूं कि जीवन एक खोज है और सत्य भी एक खोज है, यह सब जानते हैं। खोज ही जीवन है आप भी खोज के आधार पर एक बड़े वैज्ञानिक बन रहे हैं क्योंकि आप निरंतर खोज ही करना चाहते हैं। क्योंकि हर एक को खोज करने का अधिकार है। मैं यह भी समझता हूं कि जब आदमी इस संसार में खो जाता है तो वह अपने से अलग हो जाता है। ज्यों ही कोई मनुष्य इस संसार में खोया, वह अपने से अलग हो जाता है। अब आप चाहते हैं कि प्राइवेट लाइफ हो, लेकिन आत्मा को विस्मृति के क्षण कैसे आयें। क्योंकि आदमी तो एक पक्षी की तरह है, जो पिंजड़े में पड़ा हुआ है और उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार व्यक्ति जब वासनाओं से, प्रसंसा को इच्छा से धन और लालच के लोभ से घिरा जाता है तो किसी का कैदी बन जाता है। जिस तरह एक पक्षी पिंजड़े में कैद रहता है। अब मेरी प्राइवेट लाइफ में मुझे अधिकार हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन मेरी प्राइवेट लाइफ पर हमला करे या न करे।

जब मैं इस बिल को पढ़ता हूं तो मानता हूं कि संसार में सब सुख चाहते हैं, ऋषि और मुनि भी चाहते हैं, वे भी दार्शनिक भाषा में कहते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर है। लेकिन हिन्दुस्तान में जिस तरह का शासन है, वह स्वतंत्रत प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मिक गणराज्य है। हम यह भी मानते हैं और कहते है कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात् सारा संसार एक कुटुम्ब है और हम भी उसी कुटुम्ब के मैम्बर हैं। अब आप कहना चाहते हैं कि—

निजि जीवन क्या है? एकान्तता का अभिप्राय है किसी भी व्यक्ति का स्वयं को, अपने परिवार या अपनी सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति से बचाना है।

तब तो मेरा ख्याल है कि इस परिभाषा को लेकर हमें संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मेरी स्वतंत्रता है और मुझे आजादी मिलनी चाहिए, बोलने की और विचार प्रकट करने की दोनों आजादी मिलनी चाहिए। जो कुछ मैं सोचता हूं, मुझे उसको कहने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं अपनी आजादी का इस प्रकार उपयोग करूं जिससे उसके कारण समाज में किसी प्रकार का विघ्न पैदा हो जाए। जिस समाज में मैं रहता हूं।

उदाहरण के लिए कोई कहता है कि प्रापर्टी रखना मेरा अधिकार है। हम समझते हैं कि यह अधिकार खत्म कर देना चाहिए। जो चीज किसी ने पैदा नहीं की, लेकिन किसी तरीके से उसको मिल गई, तो उस पर अधिकार जताने की बात समझ में नहीं आती।

इस बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में माननीय सदस्य ने कहा है :—

"प्रत्येक नागरिक को ऐसा जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, जिसमें सरकार या गैर-सरकारी अभिकरणों का किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप न हो।"

प्रश्न यह है कि अगर मनुष्य के जीवन में किसी का हस्तक्षेप न हो, तो क्या जिन्दगी आगे बढ़ती है। मैं समझता हूं कि सभी मनुष्य अन्योन्याश्रित हैं। व्यक्ति समाज का एक अंग है, समाज मनुष्यों से

बनता है और समाज से देश बनता है।

आज भी हमारे यहां दिगम्बरी साधु हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ा है, जिसमें एक महिला साधु से कहा गया है कि उसे कोर्ट में कपड़े पहन कर आना होगा। उस साधु ने कहा था कि मैं कभी वस्त्र धारण नहीं करती हूं, वस्त्र धारण न करने की मुझे आजादी है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं उनके भाषण के समय उपस्थित नहीं था। मैं बराबर उपस्थिति रहा, क्योंकि मैं उनकी बातों को गौर से सुनना चाहता था। हमारी जो फिलासफी है, दर्शन है, उसके अनुसार अगर कोई आदमी भगवान् से साक्षातकार कर ले, तो उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसी लिए धर्म-निरपेक्ष की बात कही जाती है। जो मेरे मन में आता है, वह मैं करता हूं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : आज तो गति का जीवन भी प्राइवेट नहीं रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : जीवन की प्राइवेसी के अधिकार की बात कही जाती है। किसका जीवन ? एक आदमी बाजार में निकलता है और जो मन चाहे, वह गीत गाता है। वह गा सकता है। लेकिन उसके गाने से पड़ोस के लोगों की प्राइवेट लाइफ पर असर पड़ता है। चांदनी रात है, मैं छत पर घूम रहा हूं और एक बड़ा सुन्दर गीत गा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : अकेले ?

श्री मूलचन्द डागा : अकेले—अगर कोई साथ हो, तो भी कोई बात नहीं है। पड़ोसी कहता है कि तुम मेरी प्राइवेसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कौन किसकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रहा है, यही बात विचारणीय है। माननीय सदस्य ने अपने बिल के रीजन्ज दिए हैं।

ऐसे हस्तक्षेप सम्बन्धी किसी कार्यवाही में यह प्रतिवाद होगा जिससे पता चलता है कि (क) प्रतिवादी ने जानबूझ कर एकान्तता के अधिकार का अतिबन्धन नहीं किया।

मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई भी बात न करे और "डोंट डिस्टर्ब" की प्लेट भी लगा देता हूँ लेकिन कोई बहुत जरूरी इन्फार्मेशन देनी हो और वह बतायी जाए, क्या तब भी आप यही कहेंगे कि मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया गया ? हमारे यहां कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है। हमारी जो संस्कृति है वह ऐसी है। हमारे यहां जो सम्बन्ध किए जाते हैं उनके लिए भी हम सारी बातें पूछते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो उससे भी डाक्टर पूछता है कि यह बीमारी तुम्हारे पिता को तो नहीं थी। क्या इसमें भी आप कहेंगे कि वह प्राइवेट लाइफ के सम्बन्ध में क्यों जानना चाहता है ? लेकिन ऐसा नहीं है। डाक्टर को तो उसका इलाज करने के लिए या सारी जानकारी चाहिये। एक वर्णसंकर औलाद जो होती है।

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं समझता हूं कि आपको निजी जीवन की काफी जानकारी है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर बहुत गौर करने की जरूरत है।

हमारे यहां जब लोग मिलते हैं तो सारी बातें जानने की उनकी इच्छा रहती है। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले यही पूछते हैं कि आप कहां के रहने वाले हैं—पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या गुजरात के हैं। इसी से वे जान जाते हैं कि अगर पंजाब का है तो ऐसा करेक्टर होगा, यू०पी० का है तो ऐसा करेक्टर होगा, गुजरात का है तो ऐसा करेक्टर होगा। इसी तरह से आप क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं—यह सारी बातें पूछी जाती हैं।

मैं समझता हूं आपने प्राइवेसी का बड़ा सूक्ष्म अध्ययन किया है और इतने सारे उद्धरण यहां पर कोट किए हैं। लेकिन प्राइवेसी की जो परिभाषा आपने दी है, वह मेरी समझ में नहीं आई। आपने केवल इतना ही लिखा है :

"अपने लिए एकान्तता सुरक्षित रखने का किसी व्यक्ति का अधिकार।"

अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे कि मुल्क और राष्ट्र को नुकसान पहुंचता हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह उसकी प्राइवेसी है जिसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।

समाज का भी और देश का भी कोई उद्देश्य होता है' अगर कोई आदमी कहता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ है। "एकान्तता अधिकार" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति का स्वयं को अपने परिवार या अपनी सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति से रक्षा करना है।" यह जो आपने अभी तक कहा है, इसकी परिभाषा पर जोर देने की जरूरत है।

3. "ऐसा व्यक्ति जिसके एकान्तता के अधिकार का गम्भीर और अनुचित प्रतिलंघन हुआ है उसके उस प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही करने का कारण होगा।"

यह भी एक बड़ा सवाल है। जो आपने कहा है—रीजनेबिल और अनरीजनेबिल। मैं किसी को रीजनेबिल समझता हूं और किसी को अनरीनेजबिल समझता हूं। मैं अपनी तरह से सोचता हूं और अपनी तरह से आप सोचते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, जो संस्कार छोड़ दिए गए हैं, उन संस्कारों को भुलाने की कोशिश मत करिए। यह नई फिलॉसोफी है। हजारों वर्षों का अनुभव, जिनके कारण संस्कार बन चुके हैं और उन संस्कारों को भूल जाते हैं और फिर उनकी पुनरावृत्ति क्यों होती हैं ? अपराध क्यों होते हैं, गुनाह क्यों होते हैं ? क्योंकि उसने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, जो संस्कार बने हैं, उन संस्कारों को भूल जाते हैं और हिस्ट्री पुनरावृत्ति करती है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य की खोज करते रहना चाहिए और मेरा जीवन

एक किताब है। मेरा जीवन ही सत्य की खोज है। मैं खोज करने का विरोधी नहीं हूं। एक उद्देश्य को लेकर जीवन है। जीवन किसलिए है, जीवन पर अधिकार एक का नहीं है। जिस जीवन पर अपना अधिकार है, वह जीवन आत्मसात कर लेता है, किसी आत्मा के साथ। मैं समझता हूं कि आत्मा अपने से अलग हो जाती है, तो वह जीता नहीं है, मरे हुए के समान रहता है।

सभापति महोदय : अब खोज की समाप्ति होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन जब तक वह आत्मसात नहीं कर लेता है, जितने क्षण वह अपनी आत्मा के साथ रहता है, वह है जीवन और जब वह दूर रह जाता है, तो जीवन नहीं है। वह बनावटी जीवन है।

इस विषय पर आपने कहा है कि "वादी प्रत्यक्षतः या अपने व्यवहार द्वारा अतिलंघन के लिए सहमत हुआ था।"

यह एक नई बात है। आपने कहा है कि "वादी प्रत्यक्षतः या अपने व्यवहार द्वारा अतिलंघन के लिए सहमत हुआ था।"

यह बिल काफी गहराई से सोचने का है। इस बिल के द्वारा एक मिसाल सामने रख दी गई गई है। इस ढंग से रखी है कि इसका हर एक वाक्य पर सोचना चाहिए। यदि इस बिल को इसी तरह पारित कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस बिल में इतनी लम्बी गुंजाइश रख दी गई है हमारे गाडगिल साहब ने, मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बिल को जानने में आपका उद्देश्य क्या है ? आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं ? किताबों के आधार पर नहीं, अपनी खुद की बुद्धि के आधार पर, ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, उसके आधार पर। जब आप जवाब दें, तो सोचकर बतायें इस बिल के द्वारा आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मनुष्य की प्राइवेसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। वह समाज का प्राणी है, तो उसको समाज के नियमों और मर्यादाओं के अनुकूल चलना पड़ेगा।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, आज मुझे भी गाडगिल की वक्तृता से उस घटना का स्मरण आता है, जो इंग्लैण्ड में 'हाउस आफ लार्ड्स' में एक बार घटी थी। कैंटरबरी के आर्कबिशप ने हाउस आफ लार्डस में एक नए गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था जिसके अन्तर्गत उन्होंने प्रस्ताव किया था कि व्यभिचार को दण्डनीय अपराध बनाया जाय। सरकार की ओर से लार्ड विंटरटन बहस का उत्तर देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सभा को बताया "माई लार्ड्स, मेरा विश्वास है कि माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने इस विधेयक के परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया है। यदि इस विधेयक को कानून बनाया जाता है, तो महा-

[श्री राम जेठमलानी]

माहिम की बहुत सी प्रजा से जेलों में दम तोड़ेगी और उनमें हाउस आफ लार्ड्स के भी कुछ सदस्यों शामिल होंगे।"

महोदय, जबकि मैं मानता हूं कि नाराज करने की ओर परेशान करने वाले व्यवहार के कुछ रूप हैं जिनको रोका जाना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को परेशान और नाराज न किया जाये, मैं नहीं समझता कि समय की यह माँग है कि हमें एकान्तता का अधिकार बनाना चाहिए। समय की माँग यह है कि हमें जानने के अधिकार को विकसित करना चाहिए और उसे सुदृढ़ बनाना चाहिए।

मेरे मित्र ने अमरीकी उच्चतम न्यायालय उनके विधिवेताओं को विस्तार से उद्धृत किया है। परन्तु वहां के न्यायविदों ने पहले से ही इससे भी अधिक मौलिक अधिकार स्थापित किया है, अर्थात् लोगों को यह जानने का अधिकार कि उन पर कैसे शासन किया जा रहा है। उस अधिकार को पूरी तरह से लागू करने के बाद ही वे लोग अब एकान्तता के अधिकार जैसे इन नए अधिकारों को ढूंढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम एकान्तता का ऐसा अधिकार नहीं दे सकते। हमारी जरूरत यह है कि आज आम व्यक्ति यह जान सके कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसका उसकी खुशी, सम्पन्नता और हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने जानने के इस सिद्धांत को विकसित करना हाल ही में शुरू किया है। जजों के प्रसिद्ध मामले में इसे हाल ही में विकसित किया गया है जिससे प्रतिपक्ष के मेरे मित्रों को खुशी हुई है। मुझे उम्मीद है, गाडगिल महोदय ने उस मामले को पढ़ लिया है और मैं समझता हूँ कि उनको उस मामले से प्रेरणा लेनी चाहिये थी और अमरीका में विचार की स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर एक विधेयक लाना चाहिये था जिसमें से उन्होंने काफी मात्रा में उद्धरण दिए हैं ताकि हम यह जान सकें कि हमारे शासक क्या कर रहे हैं, वे हम पर कैसे शासन कर रहे हैं और वे देश के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं।

मैंने कभी भी किसी वकील को नहीं सुना जिसने इस प्रकार की भाषा में अपना अधिकार प्रतिपादित किया हो, क्योंकि एकान्तता संबंधी अधिकार का अर्थ है किसी व्यक्ति का अपने लिए एकांत सुरक्षित करना। इसमें किसी अपराधी के फरार होने का अधिकार भी शामिल है। इसमें किसी पत्नी का अपने पति को छोड़कर भागने का अधिकार भी शामिल है। इस अधिकार में उसके पति का अपनी पत्नी और अपने ससुर से पृथक रहने का अधिकार भी शामिल है।

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये लोग, जो हमेशा इस बात का कड़ा समर्थन करते हैं कि सम्पत्ति एक अनैतिक बुराई है, विशेषकर गाडगिल महोदय किसी अन्य से अपनी सम्पत्ति अलग रखने के अधिकार की सुरक्षा करने के बारे में विचार क्यों करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बम्बई के उन अभागे पटरियों पर रहने वाले लोगों को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि लगता है कि वे अब मुकद्दमा जीत लेंगे। और गाडगिल महोदय, जिनकी जीवन की अपनी वास्तविक दार्शनिकता के प्रति निष्ठा है, अब वे उन धनी लोगों को सम्पत्ति से अलग करने की शुरूआत कर रहे हैं, जिनको डर है कि ये पगडंडियों पर रहने वाले लोग किसी दिन कोई और आश्रय न मिलने के कारण धनी लोगों की सम्पत्तियां न हथिया लें।

जो कुछ वे बचाना चाहते हैं उसे मैं समझता हूं। परन्तु मैं उन्हें बता दूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसके भी उप-सिद्धान्त है। यह उप-सिद्धान्त इस प्रकार हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी कमरा एक अंतरित मंदिर होता है जिसमें वह व्यक्ति विश्राम कर सकता है और उस मंदिर में उस व्यक्ति के अलावा किसी और को घुसने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों संबंधी अध्याय तीन में यह कहा गया है कि मुझे बोलने की स्वाधीनता का पूरा-पूरा अधिकार है, मुझे भगवान की अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार है, मुझे अपना मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विश्वास रखने का अधिकार है। और एक बार जब मैंने ऐसा विश्वास बना लिया है, न तो सारा संसार, न सभी विधायक, न ही संयुक्त सदन के 545 संसद सदस्य, उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यही एकांतता का अधिकार है जिसको सुदृढ़ भी किया जाना चाहिए। एकांतता के अधिकार की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की मजबूत दीवारों द्वारा सुरक्षा की गई है परन्तु मेरे मित्र अपनी दार्शनिकता की जटिलताओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे, जिसका इस विधेयक में पूर्वाभास कराया गया है। मैं यह कहता हूं कि इस देश में कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति, यहां तक कि अपने शारीरिक, अपने मानसिक स्वास्थ्य के मामले में छान बीन से नहीं बचा हुआ। जब महान राष्ट्रपति आइजनहावर पक्षाघात के दौरे से पीड़ित थे तो वे अस्पताल गये और उसके देश के लोगों ने मांग की थी कि उनके स्वास्थ्य के बारे में हर पांच मिनट के बाद बुलेटिन जारी किया जाये। किसी ने यह नहीं कहा कि राष्ट्रपति के स्वास्थ्य उनकी आंतड़ियों की गहराई से सूक्ष्मता से माप की जाये और उनकी आंतड़ियां काट दी जानी चाहिए। प्रत्येक मामला ब्यौरे का मामला है। मेरा यह मत है कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ या कम से कम प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय सम्भालने से पहले किसी मनोवैज्ञानिक के पास जांच के लिये जाना चाहिये ताकि उसके मानसिक स्वास्थ्य का पता चल सके। हमें नहीं मालूम कि वह निर्णय कैसे लेगा। हमें यह भी नहीं

[श्री राम जेठमलानी]

पता कि वह घर पर क्या करता है अथवा जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता है वह लोगों के साथ भी वैसा व्यवहार करेगा। इसलिए, हम उसके निजी जीवन के बारे में भी अच्छी तरह जानना चाहते हैं। आज इसके पीछे तर्क यह है कि हमें जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। साठे जी, या जो मंत्रीगण यहां बैठे हैं वे स्पष्टरूप से इस विधेयक का विरोध करेंगे और मैं उनके दल में फूट डालना चाहता तो मैंने गाडगिल महोदय के विधेयक का समर्थन किया होता और उन्हें आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया होता। परन्तु जो लोग इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि मंत्रीगण यह बात नहीं मानने वाले कि यह विधेयक पास किया जाना चाहिए। बैठ जाइए और गम्भीरता पूर्वक यह निर्णय कीजिए कि यह समय आपके अथवा मेरे लाभ के लिये नहीं आया परन्तु यह सभी के लाभ के लिए है क्योंकि इस कठोर चुनाव प्रक्रिया में और परिवर्तनों के द्वारा, जो चुनाव संबंधी नियम द्वारा इस देश में होते हैं, किसी दिन आप भी प्रतिपक्ष में होंगे। आप भी यह जानना चाहोगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए 'सूचना संबंधी अधिनियम, जानने संबंधी अधिकार को कानून बनाने दीजिए ताकि हम इसको जान सकें। महोदय यह एकांतता का अधिकार वही अधिकार है जिसको श्री गाडगिल ने अपने तक ही रखा है। हमारी सम्पत्ति संबंधी एकांतता का हमारा अधिकार दीवानी अतिचार और आपराधिक अतिचार द्वारा अच्छी प्रकार से सुरक्षित है। हमारे परिवार को सुरक्षित रखने संबंधी हमारा अधिकार की अपहरण संबंधी कानून और दण्ड संहिता के विभिन्न अन्य प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षा की गई है और इसमें 'लॉ आफ टोर्टस' भी शामिल हैं और व्यक्ति का स्वयं को अन्य व्यक्तियों से अलग रखने सम्बन्धी अधिकार, बशर्ते पुलिस को या न्यायालय को उसकी तलाश न हो जिसके लिए अलग व्यवस्था है उस व्यक्ति को प्राप्त है कि वह जहां कहीं चाहता है विश्राम करे। उनके मस्तिष्क में जेक्विलिन कैनेडी का उदाहरण होना जरूरी है। जब कैनेडी यूनान गई, तो दीवारों पर फोटोग्राफर खड़े थे, वे उसकी नंगी तस्वीरें लेने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार की बात से किसी भी सुन्दर महिला को चिढ़ हो सकती है। परन्तु, महोदय, इसी प्रकार की कोई घटना मेरे साथ होती है तो मैं संभवतः इसका स्वागत करूंगा। (व्यवधान) किस बात की सुरक्षा के लिए यह समर्थन मांगा जा रहा है, मुझे इसका पता नहीं। महोदय, मैं श्री डागा जैसा हूं, मुझे यह समझ नहीं आया कि श्री गाडगिल किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय बहुत सी पुस्तकों का हवाला देने में बहुत परिश्रम किया है। उनके मस्तिष्क में निश्चित रूप से कोई ऐसी बात है, जिसको निस्सन्देह, सम्भवतः उन्होंने स्पष्ट नहीं किया परन्तु एक बात बहुत स्पष्ट है कि उनको कोई बात खटक रही है और वे एक ऐसा कानून बनाना

चाहते हैं जिसके माध्यम से एकांतता की सुरक्षा की जा सके। दो माननीय सदस्य इसके बारे में बोल चुके हैं—एक तो प्रतिपक्ष के प्रसिद्ध वकील हैं और दूसरे श्री डागा जी। मैं तो केवल आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। उन्होंने अपने उदाहरणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी की प्रगति के बारे में बताया है जिसके द्वारा विज्ञापन में बहुत प्रगति हुई है। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि आज संगणक पद्धति के माध्यम से मनुष्य कहीं से कुछ भी ढूंढ सकता है। इसलिए, महोदय, यह घोषणा करना चाहता हूं कि अमुक-अमुक वस्तु निजी है, अपने विधेयक में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनका 'एकांतता' से क्या अभिप्राय है। यदि वे 'एकान्तता' की परिभाषा देना चाहते हैं, तो यह समस्या आएगी कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को लूटने या किसी की हत्या करने का प्रयास करता है अथवा ऐसी योजनाओं के बारे में टेलीफोन पर बात करता है···

यदि आज कोई एजेंसी—सरकारी या बड़ा निगम—उसके फोन के बारे में जानने के लिए टेप करना चाहे और इससे उनकी एकांतता में व्यवधान हो तो इसका अर्थ है कि इससे देश में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री यह बात बिल्कुल स्पष्ट करें क्योंकि यदि उस पक्ष के विज्ञ कानूनविद् तथा बड़े अनुभवी संसदविद् श्री डागा जी 'एकांतता' को नहीं समझ पाए हैं तो मेरे जैसा अल्पज्ञ व्यक्ति इसे कैसे समझ सकता है।

मैंने यूरोपीय देशों की यात्रा नहीं की है। परन्तु जिन लोगों ने यूरोपीय देशों की यात्रा की है वे कई कहानियां कहते हैं। वे यह कहते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि लोग एकांतता को हटाने का प्रयास करते हैं। वे इस देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कुछ भी एकांतता नहीं है। हर चीज टेलिविजन, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रही है। अगर श्री गाडगिल ने ऐसा कुछ अनुभव किया है कि जिससे वे यह कहें कि 'एकांतता' तकनालॉजी की उन्नति के साथ खत्म हो रही है तो 'एकांतता' को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है जिसे कि बताया जाना है। जब तक आप इसे स्पष्ट नहीं करते, यह समझना कठिन है कि एकांतता का अर्थ क्या है? श्री गाडगिल जिसे एकांतता समझे हैं, हो सकता है उसे मैं एकांतता न मानूं।

माननीय सदस्य ने अपने पूरे भाषण को तीन श्रेणियों में बांटा है :—

1. टैकनालाजी की उन्नति से एकांतता को खत्म करना।

2. प्राइवेट समाज में सरकारी हस्तक्षेप।

3. बड़े-बड़े निगम।

उन्होंने संभवत: संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राइवेट प्रणाली है। बड़े-बड़े निगम आदि राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों

[श्री जी. नरसिंहा रेड्डी]

में न होकर गैर-सरकारी क्षेत्रों में हैं। भारत में हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में कई चीजें गैर-सरकारी क्षेत्रों में हैं तो कई राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों में। हमारे देश में बड़े-बड़े निगमों का आधार टेलीफोन प्रणाली है जो कि भारत सरकार के स्वामित्व में है। उन्होंने कहा है कि कई संसद सदस्यों के टेलीफोन टेप किए जाते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो यह महसूस करते हैं कि देश के हित, जन हित को उन लोगों द्वारा हानि पहुंचाई जा रही है जो इसे एकान्तता कहते हैं, वे उन लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि इनका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करना है। अपनी योग्यता के द्वारा वे जीवन-क्रम में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं; अतः केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे टेलीफोन टेप करें तथा इस बात का पता लगाएं जिससे कि जो लोग इसे एकांतता कहते हैं, उनके कृत्यों से अन्य लोगों को परेशानी न उठानी पड़े।

मैं श्री गाडगिल से एक बार और अपील करता हूं, जैसा कि अन्य मित्रों ने भी कहा है कि "हमें यह पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि एकांतता का तात्पर्य क्या है?" यदि वे इसे स्पष्ट करें तो हम अपना दृष्टिकोण बेहतर ढंग से सामने रख सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री त्रिलोक चन्द्र (खुर्जा) : सभापति महोदय, श्री गाडगिल जो एकान्तता के अधिकार का बिल लाए हैं, यह बहुत गम्भीर विषय है। जितनी गंभीरता से उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के लिए तो यह मंजूर नहीं था, इस पर तो कहीं पूरे देश में बहस चलनी चाहिए थी। क्योंकि एकान्तता के अधिकार पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट के पास तो खुद ही इतना काम है कि वह निपट नहीं रहा। वह कैसे इस गम्भीर विषय पर बहस करे।

खैर, जब आपने यह ईश्यू यहां पर उठा ही दिया तो इस पर बहस होनी भी जरूरी है। लेकिन इस विषय का विस्तार इतना है कि गाडगिल साहब इस विषय को उठाकर कहां तक ले जाना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, वह स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने इतना विस्तृत इसे कर दिया है कि एक तरफ तो कहते हैं कि गवर्नमेंट टेलीफोन टेप करती है, चिट्ठियां खोलती है और विजिलेंस के लोग हमारे पीछे लगते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट ये सब काम करती है, तो वह तो गवर्नमेंट के काम हैं और उसको करने चाहिए। आप चाहते हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, वह ठीक बात है। लेकिन दूसरी तरफ, जहां तक आपका कहना है लाइफ में प्राइवेसी रहे, यदि घर में भी प्राइवेसी हो, पति और पत्नी के बीच प्राइवेसी रहे तो आखिर उस प्राइवेसी की सीमा आप कहां तक रखना

चाहते हैं। इस बिल से वह क्लिअर नहीं होता। यह सीमा इस बिल में क्लिअर होनी चाहिए थी। आखिर हम किस सीमा तक जाकर प्राइवेसी चाहते हैं। कहां तक हम इस पर विचार करें कहां तक हमारी सीमा रहे। इसलिए यह तो एक आध्यात्मिक विषय हो गया कि जहां तक चाहें, इसको ले जाएं।

मान्यवर, जहां तक इस ईश्यू का प्रश्न है, आप एकान्तता का अधिकार चाहते तो हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दूसरी बातों को आप छोड़ भी दें क्योंकि वे बड़ी टैक्नीकल चीजें हैं, यदि हम एक दूसरे की बात को ही समझ लें, क्योंकि आज जिन मुल्कों में टैक्नालोजी डैवलप्ड है, वही मुल्क दुनिया में सबसे उन्नत मुल्क गिने जाते हैं। इसीलिए जहां तक आपके एकान्तता का अधिकार का सवाल है, दुनिया में वैसा नहीं है। आज दुनिया में एक दूसरे की सीक्रेसी जानने के लिए हर प्रकार के उपाय बरते जा रहे हैं और हर मुल्क एक दूसरे के प्रति ऐसे उपाय काम में ला रहा है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, हमारा मुल्क तो इससे भी काफी आगे था। जहां तक टैक्नालोजी का सम्बन्ध है, हमारे यहां कभी पहले प्राइवेसी रही ही नहीं। प्राइवेसी का अधिकार कभी यहां नहीं रहा। आज हम जितने ज्योतिषी देखते हैं, योगी देखते हैं, मुनि देखते हैं, वे सब किसलिए हैं। उनका उद्देश्य ही यह है कि वे अपने पास कुछ ऐसी शक्तियां रखते हैं कि दूसरे आदमी के बारे में जान जाते हैं कि वह क्या कर रहा है। अन्तरात्मा की बात वे जानते हैं और इसीलिए लोग दूसरों के बारे में पता लगा लेते हैं। यह बहुत ही डैवलप्ड टैकनीक रही है। आज भी हमारे मुल्क की सरकार और प्रान्तों की सरकारें ज्योतिषी और योगियों पर ही चल रही हैं। आपने यह विषय उठाकर उस बात को बंद ही कर दिया। यदि एकान्तता का अधिकार कर दिया गया तो फिर किसी के बारे में कोई जान ही नहीं पायेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चल पायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल में एकान्तता के अधिकार की कुछ सीमा होनी चाहिए।

आप चाहते हैं कि एकान्तता का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन वहां तक जहां तक किसी की आजादी को खतरा न हो। लेकिन डाक्टर के मामले में क्या होगा क्योंकि वह तो बारीक से बारीक बात भी पूछेगा और आपको बतानी पड़ेगी। पुलिस के सब इंस्पैक्टर के पास सारी मशीनरी होती है, डंडा होता है और वह भी बारीक से बारीक बात क्राइम के बारे में मशीनों के जरिए पता लगाएगा। चाहे उसे डंडा मारना पड़े या किसी और अतिरिक्त साधनों से पता लगाए। वह तो हर तरह से क्राइम की तह में जाएगा।

इसलिए आप कैसे कहेंगे कि एकान्तता का अधिकार रहना चाहिए। यह तो बहुत मुश्किल काम है।

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

इसलिए इस बिल के जरिए यहां पर बहुत गम्भीर विषय उठाया गया है। मैं जानता हूं कि गाडगिल साहब ने जितनी विद्वत्ता के साथ इसके लिए तैयारी की है, यदि इसके बदले वे कोई लेख लिख दें तो स्टूडेंटस और दूसरे लोगों को उससे फायदा हो सकता है। जैसे कि कई लोग अध्ययन के बाद किताबें लिखते हैं। इस पर भी विस्तृत किताब लिखी जा सकती है। वे लोग उस पर विस्तृत विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में तो इतनी नौबत ही नहीं आई है कि इतनी सीक्रेसी मेन्टेन करने की आवश्यकता पड़े और लोग उसके लिए मांग करें। लेकिन कुछ सीमाओं के साथ प्रस्ताव का विषय ठीक है। क्योंकि हमारी प्रेस कुछ ऐसी गोपनीय बातें खोज-कर निकाल लेती है, जिनका निकालना बहुत जरूरी होता है। यदि प्रेस ने गोपनीयता नहीं बरती होती तो शायद अन्तुले साहब का मामला कभी जिक्र में न आता। यदि उस मामले को किसी ने खोला है तो वह प्रेस का ही काम है जिसने चारों तरफ से खोजखाज कर उसको निकाला। इसलिए यदि आप इस अधिकार को कुछ सीमा तक ले जाना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि वह अधिकार हमें मिलना चाहिए। जहां तक आजादी का प्रश्न है, आज हमारे पास सारी आजादियां हैं। प्राइवेट प्रोपर्टी की आजादी है। आज प्रोपर्टी का अधिकार तो किसी का अधिकार है ही नहीं। इसी भावना के कारण तो आज हमारे मुल्क की हालत चौपट हो रही है। आज हम कहते हैं कि हमारी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट प्रोपर्टी है और प्राइवेट मिलकियत है, यही चौपट होने का मूल आधार है। उसके बदले यदि हमारे अन्दर एक नेशन की भावना हो कि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, हम नेशन के लिए हैं, यह प्रोपर्टी नेशन की है तब काम चलेगा। आज लोग एक तरफ से इस मुल्क को नोचने पर लगे हैं, खसोटने पर लगे हुए हैं। सब अपना काम करेंगे और सोचेंगे कि हम मुल्क के लिए पैदा हुए हैं और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं।

हमारे मुल्क में राष्ट्रीयता की भावना सबसे कम है। हम पहले से ही कौमों, जातियों और धर्मों में बंटे हुए हैं। अगर यह बिल पास हो गया और एकांतता की भावना आ गई, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि फिर स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। इससे कोई लाभ नहीं होगा। हम बंटे हुए हैं और एक दूसरे के विचार और सीक्रेसी नहीं जान पाते। एकांतता का अधिकार गोपनीयता के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई चीज गोपनीय नहीं है, उसमें हर एक बात और हर एक डिसिजन पब्लिक का है। जो हम सोचते हैं, वह भी पब्लिक के हित के लिए सोचते हैं। सुरक्षा और अपने अधिकार के लिए जितनी एकांतता की आवश्यकता हो, उतनी मेनटेन करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं।

श्री गाडगिल बड़े विद्वान हैं, लेकिन उन्हें ऐसा बिल लगाना चाहिए था, जिस पर हम आसानी के साथ-विचार कर सकें। लेकिन उन्होंने एक फिलासफिक्ल मसला हाउस के सामने रख दिया है। इस पर कौन बहस करेगा ?—संन्यासी करेंगे या खुद माननीय सदस्य करेंगे। यह पार्लियामेंट संन्यासियों के लिए नहीं बनी है। यह तो गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों और मजलूमों को राहत देने के लिए बनी है। इस सूक्ष्म विषय पर अटक जाने से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पुराने जमाने में यही होता था कि वेद के श्लोक में उलझे रहो और कोई काम न करो। उसी तरह का यह बिल है—इस पर बहस होती रहे और कोई काम न हो। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह कोई दूसरे तरीके का बिल लाएं।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गाडगिल का एक बहुत महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व के ज्वलंत विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बधाई देता हूं।

इस विधेयक के प्रस्तुत कर्त्ता द्वारा गम्भीरता पूर्वक सामने रखे गये विचारों को कोई व्यक्ति मजाक के तौर पर ही उड़ा सकता है। ऐसा किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में किया जा सकता है—केवल इसी विधेयक के सम्बन्ध में ही क्यों ? एकान्तता प्राइवेट अंगों तथा अन्य सब बातों के बारे में बोलते हुए हमें इस विषय को सदन में हल्के फुल्के ढंग से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

मैं इससे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि हम एकांतता को मानते हैं पर किस एक सीमा तक तथा एकांतता की किस सीमा तक हमें जाना चाहिए। जिससे आगे बढ़ने पर एकांतता का अधिकार खत्म हो जाएगा ? उन्होंने बड़ा सुन्दर प्रश्न किया है। यह एक ऐसा सही तरीका है जो सदन के समक्ष गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा किसी समस्या के प्रति सदस्य द्वारा अपनाया जाना चाहिए। अत: मैं इस विधेयक पर इस दृष्टि से विचार करूंगा।

मेरे माननीय मित्र की गाडगिल ने 'एकांतता के अधिकार' को बहुत साधारण शब्दों में परिभाषित किया है। उन्होंने 'एकांतता के अधिकार' को उस आशय से किया है जिससे इसका अर्थ किसी व्यक्ति को एकांत में रहने के अधिकार से है। यह केवल उसके एकांत में रहने का अधिकार नहीं है, न ही संविधान या कानून द्वारा स्वीकृति प्रदान न किया गया एकांत में रहने का अधिकार है, क्योंकि ऐसे एकांतवास पर कोई विचार ही नहीं किया गया है। अत: किसी को आधारहीन तर्क नहीं करना चाहिए कि एकांकता की धारणा में किसी अपराधी को कानून की प्रक्रिया से अलग रहने की धारणा शामिल है। ऐसी बात नहीं है। इस परिभाषा में भी ऐसी धारणा नहीं है। यह

[श्री ए० टी० पाटिल]

बहुत सामान्य बात है । प्रत्येक धारणा शुरू में सामान्य होती है । एकांतता के अधिकार की धारणा का इस देश में विकास नहीं हुआ है । इसका आने वाले समय में विकास होगा या इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा । यदि लोग इसे स्वीकार नहीं करते तो यह अस्वीकृत हो जायेगा । लोगों को यह अधिकार है कि वह किसी धारणा विशेष का विकास करें या उसे अस्वीकृत कर दें । पर किसी भी व्यक्ति को सदन के समक्ष किसी धारणा को प्रस्तुत करने का अधिकार है, चाहे समाज उसे स्वीकार करे या नहीं ।

यह एकांतता का वह अधिकार है जिसे श्री गाडगिल समाज के सम्मुख विचारार्थ रख रहे है । अगर यह विधेयक सदन के समक्ष रखा गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि इसे स्वीकार कर लिया जाए और यह सब कानून बनाए जाए, यह अन्य लोगों मात्र हमारे विचारार्थ रखा गया है । इस सदन के जन प्रतिनिधियों के समक्ष एक मत प्रस्तुत किया जा रहा है कि इस धारणा विशेष को विचारार्थ रखा जाए और यदि इस पर विचार किया जाता है तो क्या इसे स्वीकार कर लिया जाए । यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो किस हद तक जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा है ? मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता है । उन्होंने इस धारणा को स्वीकार किया है । इन बातों पर विचार करना होता है और तब इन्हें स्वीकार किया जाता है ।

अब जहां तक सीमाओं का सम्बन्ध है एकांतता के अधिकार की परिभाषा के सम्बन्ध में इस विधेयक के पूरे खंड को पढ़ने की आवश्यकता नही है । परन्तु कोई कानूनी धारणा केवल उसे परिभाषित करने वाले खंडों से समझी नहीं जा सकती यह विधेयक के अन्य प्रावधानों के सन्दर्भ में भी समझी जा सकती है विशेषकर उन सीमाओं से जो किसी परिभाषण विशेष में निर्धारित की गई है जो कि सामान्य शब्दों में खंड में दिए गए है । हम एकांतता को स्वीकार करते हैं । लेकिन विधेयक के प्रस्तोता का कहना है कि सामान्य शब्दों में, विशेष शब्दों में इसमें सभी तरह की एकांतता नहीं है, इसकी सीमाएं हैं तथा सीमाओं को परिभाषित ज्ञान सम्मत होना है । यही पहली सीमा है । दूसरी स्वस्थ टिप्पणी है । एकांतता का अतिक्रमण नहीं किया जाऐ । उचित बात यह है कि किसी को भी एकांतता से वंचित नहीं रखा जाएगा । यदि कोई कार्य बिना ज्ञान के किया जाए यदि अज्ञान वश किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण हो तो वह बात अलग है । अत: यही एक सीमा है । तीसरी बात, पर्याप्त आवश्यकता की है । यदि समान मांग करे या राजनीतिक मांग हो कि उन्हें इससे आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें संरक्षण प्रदान होगा । उनके द्वारा किसी व्यक्ति की एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण करना वांछित नहीं समझा जाएगा । उन्हें संरक्षण दिया जायेगा ।

अब यदि किसी की अनुमति से यह कार्य किया जाए तो वह एकांतता के अधिकार का हनन नहीं होगा। चौथी बात इसके अधिकार की है। यह सदन सर्वोच्च तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था है जो ऐसी कोई शक्ति प्रदान कर सकती है जिसके अन्तर्गत एकांतता के प्रकट अधिकार या एकांतता के विद्यमान अधिकार का अतिक्रमण बिना किसी अधिकार विशेष के कानून के हनन के किया जा सकता है। अत: यह धारणा समान्य शब्दों में अनुत्तरित नहीं है। सदन को सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार है। इस पर सीमाएं निर्धारित करने की शक्ति सदन को प्रदान की गई है। और हम इसकी सीमाएं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है अत: हमें इसे सतही तौर पर नहीं लेना चाहिए जैसा कि माननीय सदस्यों ने किया है। यह कुछ वास्तव में खेदजनक है। ऐसा सदस्यों द्वारा यह नहीं किया जाना चाहिए था। पर उन्होंने ऐसा किया है, यही बात मैं कहना चाहता हूं। अब जहां तक एकांतता के अधिकार का प्रश्न है। यह प्रतिष्ठा के प्रश्न से अधिक है। प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय दण्ड संहिता द्वारा प्रदान किया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता में प्रतिष्ठा के अधिकार का अतिक्रमण करने को अपराध माना गया है। इसी संहिता में सुरक्षा भी प्रदान की गई है। जिसके द्वारा यदि इस अधिकार का कहीं उल्लंघन या विरोध हो तो उस अधिकार विशेष पर प्रकट विरोध या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से संरक्षण किया जायेगा। अत: ऐसी बात नहीं कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है। यह 'कानून' प्रतिष्ठा से ही सम्बद्ध है।

इस विधेयक के प्रस्तोता बड़े विद्वान है। उन्होंने इस पर कई पुस्तकें पढ़ी है तथा कई विशेषज्ञों का संदर्भ दिया है, जिसका कथा सारांश में यही है कि एकांतता का अधिकार व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में अपनी मान-मर्यादा बनाए रखने का अधिकार है। व्यक्ति की मान-मर्यादा क्या है ? मेरे माननीय मित्र ने यह कहा है। किसी समय में योगियों को ज्ञान प्राप्त होता था। उदाहरणार्थ महाभारत के संजय को युद्ध की गतिविधियों का पता था। यह पौराणिक प्रसंग है। मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता क्योंकि यह वास्तविकता हो सकती है या एक कथा, हमें इसमें नहीं पड़ना है। यह विश्वास की बात है न कि कोई कथा। पर इसके बावजूद जहां तक व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक गतिविधियों का सम्बन्ध है, किसी व्यक्ति का अपनी मान मर्यादा बनाए रखने के अधिकार में हस्तक्षेप न करने का भी अधिकार शामिल है।

मेरा विचार है कि तब परिभाषा पूरी हो जायेगी। मैं यह दोहराऊंगा कि प्रतिष्ठा का अधिकार एक व्यक्ति की अपना निजी, आंतरिक, दिमागीय तथा शारीरिक योग्यताओं, दिमागीय तथा शारीरिक स्वतन्त्रता का विकास करने का अधिकार है बशर्ते कि इससे किसी अन्य व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतन्त्रता को नुकसान न पहुंचता हो। मेरा विचार है कि यदि हम उस परिभाषा को मान लेते हैं जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने परिभाषा दी है तो एकान्तता का अधिकार

[श्री ए० टी० पाटिल]

पूरा हो जायेगा और यदि इसे उस अर्थ में समझा जाता है तो सम्पत्ति का हवला उस अर्थ में हवाला है । विभिन्न उदाहरणों का हवाला देना जिनमें सम्पत्ति का हवाला दिया गया हो, मेरे लिए बहुत उपयुक्त नहीं होगा। एक माननीय सज्जन जो कुछ समय पहले किसी यूनानी द्वीप का उदाहरण देकर बोल रहे थे। यूनान अथवा किसी यूनानी द्वीप में जाना आवश्यक नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिये एक पंच सितारा होटल ही पर्याप्त होगा । तब प्रश्न होगा क्या पंच सितारा होटलों की घटनाएं जिनका मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं हैं, वे कलाकारों अथवा जनता के एकान्तता के अधिकार का प्रतिक्रमण करना है।

यदि इस प्रकार के मामलों में एकान्तता अधिकार बिलकुल शामिल है, प्रश्न यह है क्या इस विधेयक के खण्ड चार के अन्तर्गत उपबंधित सुरक्षाओं में से किसी सुरक्षा से व्यक्ति को जनता अथवा कलाकार से सरंक्षण मिलेगा। वह एक साधारण प्रश्न है। इसी प्रकार, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, कुछ शब्द जो अच्छे नहीं हैं यद्यपि अपशब्द भी नहीं हैं, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य के लिए इस सभा में भी व्यक्त किए जाते हैं अथवा हमारे विधान मंडलों की किसी सभा में व्यक्त किए जाते हैं और बाद में उन्हें वापस ले लिया जाता है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वह एकान्तता के अधिकार का अतिक्रमण था ? फिर क्या खण्ड-4 बोलने वाले व्यक्ति की रक्षा करता है, प्रश्न यह है। सर्वप्रथम क्या यह एकान्तता के अधिकार का प्रतिक्रमण अथवा उन्मूलन है और यदि है तो फिर किस एकान्तता अथवा किस व्यक्ति के क्या जो व्यक्ति बोलता है अथवा जिस व्यक्ति के विरुद्ध बोला गया है, इन सभी बातों पर विचार करना पड़ेगा । फिर हम खण्ड-4 को यह देखने के लिए लेते हैं क्या उनमें से किसी को सरंक्षण दिया गया है । उदाहरण बहुत से हो सकते हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हमारी जनसंख्या के 60 प्रतिशत लोग जो गलियों में रहते हैं उनकी एकान्तता के बारे में क्या है ? उनकी एकान्तता को कौन सरंक्षण देता है ? उन्हें आवास दीजिए। आप एकान्तता की बातें कर रहे हैं.....

श्री ए०टी० पाटिल (कोलाबा) : मुझे श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती को धन्यवाद देना चाहिए । वह विषय को सामाजिक स्तर से आर्थिक स्तर पर ले गये हैं। मैं माननीय सदस्य को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यह सत्य है कि माननीय सदस्य ने गलियों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में कहा था। मैं एक दूसरा प्रश्न उठाऊंगा। मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा और वह मुझसे प्रश्न पूछेंगे। हम एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे। एक भिखारी जो अपनी जीविका कमाने में असमर्थ है उसकी क्या स्थिति होगी और

उसकी तुलना में जिस संविधान के द्वारा उसके लिए और अन्य व्यक्तियों के तथा उसके या दूसरे व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति किए जाने के लिए बनाए जाने की सम्भावना है, उसकी स्थिति क्या होगी ।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या उसे मत देने का अधिकार मिला है ?

श्री ए०टी० पाटिल : माननीय सदस्य ने उच्च अधिकार के बारे में कहा है । मैं वह उसके बारे में नहीं कहने जा रहा हूं । मेरी केवल शुरुआत है हमें इससे शुरुआत करनी चाहिए । क्या आप वास्तव में किसी अधिकार का दावा कर सकते हैं ? किसी व्यक्ति से संविधानिक अधिकार अथवा संविधानिक कर्त्तव्यों तथा दायित्वों को निभाने की अपेक्षा कर सकते हैं जिसे संविधानिक अधिकार के निष्पादन की शक्ति नहीं दे रहे हैं जो संविधान के अन्तर्गत उसे मिलनी चाहिए ? ये सब बातें हैं। यही नहीं हम आर्थिक संविधान के प्रति अंधे हैं । हम इस स्थिति की जागरूक हैं । प्रश्न यह है: जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम अपने को केवल उस विचार तक ही सीमित रखेंगे जो हमारे सामने हैं । हमें इसे छोड़ना चाहिए । यही, नहीं हमें इसे स्वीकार करना चाहिए । लेकिन हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए इसके क्षेत्र तथा सीमा के अन्तर्गत विचार क्या है । यद्यपि विभिन्न पहलुओं तथा विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए अधिक गुंजायश है । लेकिन फिर भी यदि हम अपने को केवल इस विधेयक तक ही सीमित रखते हैं तो हमें अपने ऊपर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए ।

जहां तक इस विधेयक द्वारा दिये गए अधिकार के भाग को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, यदि इसे न्यायालय में जाना है तो हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या होगा । आम तौर जब भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एक मान हानि का मामला फाइल किया है । तो इसमें वर्षों लगते हैं और यह वर्षों में समाप्त होता है और उस विशेष मामले के परीक्षण के दौरान वादी अथवा शिकायत-कर्त्ता एक अभियुक्त की स्थिति में आ जाता है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वह और बदनाम हो जाता है । उसकी प्रतिष्ठा और खराब हो जाती है । कानून की प्रक्रियाएं इस प्रकार की हैं कि कानून के अन्तर्गत दिए गए अधिकार को प्राप्त करने के लिए मामले को न्यायालय में ले जाना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है । अत: यदि मामला न्यायालय में जाता है, एकान्तता कहां है ? क्षतिपूर्ति स्वीकार करने से पहले वादी से सैकड़ों तथा हजारों प्रश्न पूछें जायेंगे । अत: इस स्थिति में मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है क्योंकि जो उपाय बताया गया है वह उचित अथवा समुचित उपाय होगा अन्यथा नहीं । यह एक बात है ।

[श्री ए० टी० पाटिल]

राहत है कि क्षतिपूर्तियां हर्जाने स्वीकार किए जाते हैं। प्रश्न यह है। क्या स्वीकृति हर्जाने वास्तविक राहत होगी जिसे हम सम्बन्धित व्यक्ति को दे सकते हैं और यदि उसे सिविल अधिकार अथवा दांडिक अधिकार है तो हर्जाने अथवा अन्य बातें होनी चाहिए। बहुत-सी बातें आएंगी। प्रश्न इतना सरल नहीं है। यद्यपि एकान्तता के अधिकार का विचार एक गम्भीर विचार है, यह एक महत्त्वपूर्ण विचार भी है जिसे आज केवल राजनीतिज्ञों द्वारा ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नोट किया जाना चाहिए।

जब एक व्यक्ति अपने अधिकार के बारे में सोचता है तो दूसरों के अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने यह पहले कहा है कि जब मैं अपनी क्षमता अपनी योग्यता अपने अधिकार अपनी शक्ति स्वतन्त्र रूप से अपनी बौद्धिक तथा शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करने के बारे में सोचता हूँ, तो मैं हमेशा दूसरों को दिए गए उसी प्रकार के अधिकार पर विचार करता हूँ यदि मैं अपने अधिकार में किसी का दखल नहीं चाहता हूँ तो उसे उसी प्रकार से दूसरों के भी अधिकारों की इज्जत भी करना चाहिए।

जहां तक मेरे अधिकारों का सम्बन्ध है .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय चाहते हैं ? मेरे विचार से आप समाप्त कर सकते हैं।

श्री ए०टी० पाटिल : मैं थोड़ा समय और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप और समय चाहते हैं तो आप अगली बार इसे जारी रख सकते हैं। अब 5·30 बजे हैं। मुझे श्रीमती सुशीला गोपालन को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए बुलाने दीजिए।

श्रमजीवी स्त्री कल्याण विधेयक

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : प्रस्ताव करता हूँ कि मैं विभिन्न उद्योगों तथा संस्थापनाओं में नियोजित स्त्रियों के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विभिन्न उद्योगों तथा संस्थापनाओं में नियोजित स्त्रियों के कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती सुशीला गोपालन ; मैं विधेयक पुर: स्थापित करती हूँ ।

संविधान (संशोधन विधेयक)

नये अनुच्छेद 174 क का अंत: स्थापन

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो. मधुदंडवते : मैं विधेयक पुन: स्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन विधेयक)

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने का अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दंडवते : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि मेरे दूसरे विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं उस पर विचार नहीं होगा।

आधे घंटे की चर्चा

दिल्ली में वाइरल ज्वर और मलेरिया

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा लेते हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार

यह आधे घण्टे की चर्चा है। आधे घंटे की चर्चा समाप्त होते ही मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जो उपस्थित नहीं हैं। उनके बारे में क्या है लेकिन वेलट में उनके नाम किसने रखे ? कम से कम मुझे सबसे पहले अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमन, यह वाद-विवाद दिनांक 7-10-1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 62 का माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर के कारण पैदा हुआ है। मैं यह आशा करता हूं कि उस दिन मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर देने में जिस दृष्टिकोण को अपनाया था उसके बारे में सभा को याद होगा, उससे ऐसा प्रतीत हुआ था कि उन्होंने मामले को बड़े ही साधारण तरीके से लिया था। लेकिन चूंकि हम सभी दिल्ली शहर की राजधानी में रहते हैं। हम इन मामलों की गहराई के बारे में जानते हैं कि इस विषाणु ज्वर तथा मलेरिया से दिल्ली की जनसंख्या का अधिकांश भाग प्रभावित है। लेकिन श्रीमान, उस दिन प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था "विषाणु ज्वर के कारण एक भी मृत्यु होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।" उस समय इस सभा के कुछ सदस्य पूछ रहे थे कि यदि कोई भी मृत्यु नहीं हुई है फिर भी सरकार को इस ओर गम्भीर होना चाहिए। क्या अब मैं 14 सितम्बर के "स्टेटमैन" की रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है "लड़की की मृत्यु के पश्चात् विद्यालय बन्द कर दिया गया था" रामाकृष्णपुरम का दिल्ली पब्लिक स्कूल "कक्षा ग्यारह की एक छात्रा की विषाणु ज्वर से मृत्यु होने के कारण शुक्रवार तक बन्द रहा है। जो शहर में एक महामारी की तरह फैल गया है।"

यद्यपि इसे अखबारों में प्रकाशित नहीं किया गया है, अपनी जानकारी के आधार पर मैं इस ज्वर से हुई मृत्यु के बारे में भी कुछ उदाहरण दे सकता हूं।

लाजपतनगर की दयानन्द कोलोनी में डेंगू ज्वर से एक महिला की मृत्यु के बारे में बताया गया है। तापक्रम 108 डिग्री तक हो गया उसे बेहोशी आ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले वह मर गई। मेरी जानकारी में मृत्यु का एक और मामला आया है। यह मामला लाजपत नगर के पास श्री निवासपुरी कोलोनी के एक बच्चे की मृत्यु का है। बच्चे की मृत्यु तेज़ बुखार से हुई। श्रीमन क्या आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या 7 अक्तूबर को सभा में प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् सरकार ने यह जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि क्या दिल्ली में विषाणु ज्वर, डेंगू ज्वर तथा मलेरिया से कोई मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो उस जांच का परिणाम क्या है ?

इसी प्रकार, सभा के कुछ सदस्यगण भी इस बुखार से बीमार हुए थे ?

मुझे बताया गया है कि केरल के एक संसद सदस्य श्री के० ए० राजन इस बुखार से बीमार हो गए थे। उसके पश्चात् उनकी हालत चिंताजनक हो गई और उन्हें अब इलाज के लिए रूस ले जाया गया है। और श्री बापूसाहिब परूलेकर जो बाद में प्रश्न पूछेंगे तथा इस वाद-विवाद में भाग लेंगे इस बुखार से बहुत दिनों तक बीमार रहे इसलिए उन दिनों वह सभा में आने लायक नहीं थे। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि दिल्ली में इस बुखार से कितने संसद सदस्य प्रभावित हुए हैं ?

इसी प्रकार श्रीमन उस दिन प्रश्न का उत्तर देते हुए मन्त्री महोदय ने कहा था कि इस बुखार को फैलाने वाला केवल एक ही किस्म का विषाणु है। उसके पश्चात् उन्होंने अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश की लेकिन अपनी गलती को न मानते हुए उन्होंने बात को तोड़-मरोड़ कर कहा "बुखार एक ही प्रकार का नहीं होता है। इसकी कुछ श्रेणियां तथा अन्य बातें होती हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या और कोई जांच की गई हैं अथवा नहीं और इस बुखार को फैलाने वाले विषाणु की आज भारत में कितनी किस्में हैं।

आज भारत में यह बुखार फैल रहा है। इस समय सारी दिल्ली में फैले हुए इस बुखार के लिए किस प्रकार के कीटाणु (वाइरस) जिम्मेदार हैं ? इसी प्रकार अनेकों समाचार पत्रों में भी इस वाइरस बुखार की चर्चा छपी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है आपको तो यह बुखार नहीं चढ़ा।

श्री नीलालोहियादसन नाडार : मुझे ये तीनों ही बीमारियां नहीं हुई हैं। समाचार पत्रों में इस तथ्य के बारे में छपा है कि (मस्तिष्क ज्वर मलेरिया) जो अधिकांशतः उन्हीं राज्यों में फैला हुआ था अब दिल्ली में भी फैल चुका है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। सरकार ने इस वायरस बीमारी को दिल्ली में और अधिक फैलने को

[श्री लीला लोहियादसन नाडार]

रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ? दिल्ली में मलेरिया और 'डेंगू' बुखार फैलने के क्या कारण हैं ? 12 अक्तूबर 1982 के दिन टाइम्स आफ इंडिया में यमुना पार की बस्तियों में फैली संक्रामक बीमारियों के बारे से समाचार छपा था । ये बीमारियां भी दिल्ली के आसपास फैली हुई हैं ।

इस बारे में विभिन्न प्रकार के विचार हैं। सितम्बर के अन्तिम सप्ताह के दिल्ली से निकलने वाले 'पैट्रियट' में भी दिल्ली में 'डेंगू' बुखार फैलने की खबरें छपी हैं । 26 सितम्बर के 'फ्री प्रेस जनरल' ने यह खबर छापी है कि महामारी के कीटाणुओं को पैदा करने का मुख्य स्रोत एशियाड के लिए बने टैंक हैं । अब एशियाड के लिए दिल्ली में चल रहे अनेकों निर्माण कार्यों के कारण, मच्छर और कीटाणु इन टैंकों, तालाबों और और पानी से भरे अन्य स्थलों में पैदा हो रहे हैं। इन बीमारियों के फैलाने में इन्हीं का मुख्य हाथ है। यह भी विचार किया गया है कि मलेरिया विरोधी उपायों में ढील-ढाल ने भी इन बीमारियों के फैलने में सहयोग दिया है। क्या इतने नाकारा हो गये हैं कि इन बीमारियों की रोकथाम भी नहीं कर सकते और इन मच्छरों तथा कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठा सकते ? इस समय हम लोग 'डेंगू' और मस्तिष्क ज्वर ('जैली बुल' मलेरिया) नामक मौसम बुखार से पीड़ित हैं। इस विषय में परस्पर विरोधी विचारधारायें भी हैं। यह बताया जाता है कि उन स्थानों में यह बीमारी उन्हीं स्थानों में फैल रही है जहां गन्दगी है और सफाई नहीं हो पाती। एक और विचारधारा यह भी है कि यह बीमारी स्टोरेज टैंकों में और अन्य छोटे टबों में पानी एक सप्ताह से अधिक पड़ा रहने या भावी उपयोग के लिए इसे बड़े वर्तनों में इकट्ठा करके रखने के कारण अन्य स्थानों में भी फैल रही है क्योंकि वहां मच्छर भारी संख्या में पैदा होते हैं और अन्ततः इन बीमारियों को फैलाते हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि सरकार के विचार से 'डेंगू' बुखार तथा मलेरिया फैलने के क्या कारण हैं ? कुछ दिन पूर्व अध्यक्ष महोदय ने भी इस सदन में किसी माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये एक प्रश्न विशेष के सिलसिले में एक प्रश्न पूछा था। भारतीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न यह था कि क्या दिल्ली में इस विषाणु बुखार (वाइरस फीवर) को फैलाने के जिम्मेदार कुछ अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा चलाया जा रहा मच्छर अनुसन्धान केन्द्र (मासकीटो रिसर्च सेंटर) हैं ? मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री महोदय को उस दिन अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्न की जानकारी है। मुझे आशा है कि वह उस प्रश्न का उत्तर आज जरूर देंगे। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान 10 अक्तूबर 1982 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित एक लेख (आर्टीकल) के विषय में आकर्षित करना चाहता हूं जो रहस्यमय अति-शक्ति-

शाली मच्छरों (सुपर मासकीटोज) के बारे में था। यह लेख संसद सदस्य डा० भाई महावीर द्वारा लिखा गया था। उन्होंने लिखा है :—

"इस वर्ष के शुरू में ही नई दिल्ली के समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था कि अमरीकी वैज्ञानिक पाकिस्तान में ऐसे अति शक्तिशाली मच्छरों को फैला रहे हैं जो कीटाणु युद्ध के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। एक अमरीकी वैज्ञानिक डा० कार्ल टेलर की पड़ौसी देश में उपस्थित की अनेकों बार आलोचना की गई है।"

अतः क्या मैं आपके अध्यक्ष से मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा लिखे गये इस लेटर पर ध्यान दिया है? यदि हां तो क्या सरकार ने इसे पढ़ा है इस लेख के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महोदय, इसके अलावा लोकसभा के पिछले सत्र में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए रक्षा मंत्री ने भी यह कहा था :—

"सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान जीवाणु युद्ध के कीटाणुओं को विकसित करने का प्रयास कर रहा।"

इस बात को देखते हुए, मैं उसी प्रश्न को दोहरा रहा हूं जो कई माननीय सदस्यों द्वारा उस दिन पूछा गया था और यहां तक कि अध्यक्ष महोदय ने भी उसी आशय का प्रश्न पूछा था :—

"क्या अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा चलाए जा रहे मच्छर अनुसंधान केन्द्र (मासकीटो रिसर्च सैंटर) लाहौर ने प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस विषाणु के फैलने में सहयोग दिया है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में यह विसाणु बुखार फैला है।"

महोदय, इसी तरह एक प्रश्न अमरीकी वैज्ञानिक डा० कार्ल टेलर के बारे में पूछा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने इस वैज्ञानिक के, पर्यटक हैसियत के अलावा भारत आगमन पर रोक लगा दी है?

महोदय उस दिन मन्त्री महोदय ने इस सदन में यह कहा था कि इस 'डेंगू' बुखार के लिए एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत कोई दवा नहीं है। तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं मंत्री जी से सूछा था कि क्या इस बुखार के लिए कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज है? इस पर हालांकि मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने कहा था कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि उनके पास इस बुखार का इलाज है। यह उत्तर मंत्री जी द्वारा 7 अक्तबर को दिया गया था। आज पन्द्रह दिन गुजर गए हैं। क्या मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या इन पन्द्रह दिनों के दौरान सरकार ने

[श्री नीलालोहिथादसन नाडार]

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक विशेषज्ञों के इस दावे के विषय में कोई जांच की थी कि उनके इस बुखार का इलाज करने की क्षमता है भी या नहीं ? यदि हां तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

महोदय, यह मलेरिया किस्म का बुखार अब राजधानी तक ही सीमित नहीं रहा है। इसलिए इस पर और भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में भी एक समाचार छपा है कि 2944 मलेरिया के मामलों का इलाज भिवानी में किया गया है। 25 अगस्त 1982 के कथन के अनुसार "कर्नाटक में मस्तिष्क ज्वर के कारण 248 मौतें हुई हैं।" कर्नाटक तो स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री का अपना ही राज्य है। इसी प्रकार त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री ने एक वक्तव्य में जो 25 अगस्त 1982 के 'द स्टेट्समैन' में छपा था, स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि "त्रिपुरा में मलेरिया के कारण मौतें हुई हैं।" उन्होंने यह बताया था कि मह मलेरिया सीमावर्ती क्षेत्रों अर्थात् त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा में फैलाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में इस किस्म के मलेरिया को फैलने से रोकने और मलेरिया बुखार से उस क्षेत्र के लोगों को दूर रखने के लिए सुझाव दिया है कि भारत और बांग्लादेश की सरकारों द्वा एक संयुक्त कार्यवाही की जाये। हाल ही में बंग्लादेश सरकार और भारत सरकार के प्रधानों की दिल्ली में एक बैठक हुई थी। क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या हाल ही में इस बैठक में क्या त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस सुझाव पर गम्भीरता से कोई विचार किया गया था ? क्या त्रिपुरा और बंगलादेश के उन भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक संयुक्त कार्यवाही पर कोई विचार-विमर्श किया गया था ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

इसी प्रकार से 'पैट्रियाट' में भी इस आशय का एक समाचार हाल ही में छपा है :—

> "विगत दशक के दौरान भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में मलेरिया 100 गुना बढ़ गया है जिससे प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है।"

हमारे अधिकांश वैज्ञानिकों, डाक्टरों और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों का यह दावा रहा है कि हमने मलेरिया उन्मूलन में सफलता प्राप्त कर ली है। परन्तु इस समाचार के अनुसार पिछले दशक में केवल भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि श्री लंका में भी मलेरिया के मामलों में 100 गुना वृद्धि हुई है। और इससे प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं।

24 सितम्बर के 'इंडियन एक्सप्रेस' में इस आशय का समाचार छपा है कि "उत्तर प्रदेश के नगरों में विषाणु बुखार भयानक रूप से फैला हुआ है।" यह इलाहाबाद, बरेली और कानपुर जिलों में फैला हुआ है। ये सभी समाचार यह दर्शाते हैं कि स्थिति गंभीर है। सरकार को इस मामले में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इस विषय में क्या कदम उठाए जा चुके हैं और आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे। वह अब भी नाडार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसके पश्चात् कुछ और भी माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे और उसके बाद मन्त्री जी उनका उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य इस विषय में कुछ गम्भीर टिप्पणीयाँ करेंगे और कुछ सुझाव भी देंगे। परन्तु जो कुछ उन्होंने सदन में कहा है वह इस प्रकार है जैसे कि वह कहीं दूर जाकर किसी जंगल में भटक गए हों और उन्हें यह पता नहीं लग पा रहा हो कि अब जाना कहां है ठीक इसी तरह वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विचार रहे हैं और वह भी मलेरिया और डेंगू की बात ही भूल गए हैं।

मुझे आशा थी कि पिछली बार मैंने जो उत्तर दिया था उसके बारे में वह कुछ सुझाव देंगे या कुछ टिप्पणियाँ करेंगे। परन्तु उन्होंने, डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर क्रिटीब्रल मलेरिया, कार्ल टेलर और सुरक्षा आदि के बारे में यहां चर्चा की है जो यहां चल रहे विचार-विमर्श के विषय से पूर्णतया असंगत है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : — यह सभी बातें संगत हैं। यह लेख मन्त्री महोदय द्वारा 7 अक्तूबर को उत्तर दिए जाने के पश्चात् छापा गया है। फिर भी वह इसे असंगत बता रहे हैं।

श्री बी०शंकरानन्द :— उन्हें यह पता होना चाहिए कि संगत क्या है और असंगत क्या है। मैं यह बात उन्हें नहीं सिखा सकता। वह एक सम्माननीय एवं जिम्मेदार सदस्य हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं उन्हें संगत और असंगत के बीच भेद करना सिखाऊंगा। जो कुछ मैंने कहा है वह यह है कि उनके द्वारा की गई टिप्पणीयाँ एकदम असंगत हैं।

मैंने दोनों सदनों में कई बार कहा है और यह पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बुखार के मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है और इन मामलों ने हमें इनका कारण खोजने के लिए विवश किया है अर्थात् बुखार के मामलों में वृद्धि क्यों हुई है। नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कम्यूनिकेबिल डिवीजन और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वाइरोलौजी के कर्मचारियों ने इसका अध्ययन किया और यह पता लगाया कि ये मामले डेंगू जीवाणु की वजह से हुए हैं।

इसके लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं जिनमें न केवल मच्छरों के अंडों को समाप्त करने

[श्री बी० शंकरानन्द]

के उपाय शामिल हैं बल्कि विभिन्न तरीकों द्वारा किए गए मच्छर विरोधी उपाय भी शामिल हैं। हम टेलीविजन और आकाशवाणी पर भी यह प्रचार कर रहे हैं और लोगों से यह सहयोग मांग रहे हैं कि वे कुछ खास-खास बातों का ध्यान रखें जो करनी हैं या जो नहीं करनी हैं। इन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जा चुका है। जैसा कि मैंने सदन में पहले ही कह दिया है कि यह बुखार घरों में पैदा होने वाले मच्छरों के कारण होता है। यह मच्छर घरों के भरे हुए पानी में पैदा होते हैं चाहे वह पानी ताजा ही क्यों न हो। ये मच्छर छाया में और किसी खास तापमान में पैदा होते हैं। हमें यह सावधानी बरतनी है कि कहीं पानी वाटर-कूलरों में या घरों में अथवा मकानों के आस-पास में इकट्ठा न रहने पाए। हम अपने सभी उपलब्ध प्रचार माध्यमों से जनता को यही सब कुछ करने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए जो अन्य बातें उन्होंने उठाई हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वे बातें डेंगू बुखार से ही सम्बन्ध नहीं रखती हैं। इसके बाद भी वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मलेरिया और डेंगू के मामलों में वृद्धि हो रही है। यदि उन्होंने यह तय कर लिया है कि किसी तथ्य को स्वीकार नहीं करना है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैंने यह सिद्ध करने के लिए तथ्य एवं आंकड़े पहले ही दे दिए हैं कि इस वर्ष मलेरिया बुखार के मामलों में काफी कमी आई है और डेंगू बुखार की घटनाओं में भी तेजी से कमी हो रही है ये आंकड़े सदन को पहले ही दिए जा चुके हैं और उन्हें यहां दुबारा बताने की आवश्यकता नहीं है।

जो कुछ मैं सदन को बताना चाहता हूं वह यह है कि हमें इस मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार का आतंक व भय पैदा न होने पाए। इससे आपको क्या मिलेगा ? मैंने स्वयं भी समाचार पत्रों की खबरें पढ़ी हैं। कुछ समाचार पत्रों में तो मैंने उनके मुख्य शीर्षकों में यह पढ़ा है कि "डेंगू ने एशियाड कैम्प में आतंक मचा दिया है।" उस समाचार में यह भी लिखा है कि एक खिलाड़ी पीलिया से पीड़ित है और इसी कारण उसे टीम में शामिल भी नहीं किया गया है।

इस तरह से चल रहा है और लोग अनावश्यक रूप से परेशान हैं। क्या मैं इस सभा से सहयोग की आशा कर सकता हूं ? कृपया इस मामले को सनसनीखेज बनाएं। इस पर कारगर ढंग से नियन्त्रण कर लिया गया है और बुखार की व्यापकता कम हो रही है। मैं माननीय सदस्य से इस स्थिति की महत्ता पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि बहुत जल्द एशियाड होने वाला है। दूसरे देशों के लोग इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं, न केवल खिलाड़ी बल्कि अन्य देशों के मैनेजर तथा पदाधिकारी भी यहां आ रहे हैं। इस बात से दिल्ली की जनता के दिमाग में कोई चिंताजनक बात नहीं आनी चाहिए। मैं उनसे आपके माध्यम से और इस सभा के माध्यम से

अनुरोध करता हूं और इस सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हमने इसशहर में डेंगू बुखार को काफी कम कर लिया है और सारे देश में मलेरिया पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। हमें अनावश्यक रूप से आतंकित नहीं होना चाहिए और न ही लोगों के दिमाग में आतंक की भावना को घर कर देना चाहिए क्योंकि इससे देश के हित तथा देश की छवि पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : इन्होंने मेरे विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। मैंने कई विशेष प्रश्न किए हैं लेकिन इन्होंने किसी का भी उत्तर नहीं दिया है। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है ?

उपाध्य महोदय : ठीक है।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास सेन्ट्रल) : मैं चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के लिए धन्यवाद देता हूं और श्री नाडार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह बताने का अवसर दिया कि विषाणु बुखार क्या है क्योंकि श्री नाडार को कुछ भ्रम है।

उस दिन में यहां था जब माननीय स्वास्थ्य मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। चिकित्सा व्यवसाय से सम्बद्ध होने के कारण मैं श्री नाडार को बताना चाहता हूं कि आमतौर पर विषाणु बुखार में एक बुखार शामिल किया जाता है जिसे एपिडेमिक प्लाप्रोडाइनिया कहते हैं और अन्यथा इसे बोर्नहोम्स की बीमारी कहा जाता है।

एक और बुखार है जिसे डेंगू बुखार या·····कहा जाता है। (**व्यवधान**)

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : यह तो शब्दों का जंजाल है·····(**व्यवधान**)

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने आपको बताया है। आप समझ नहीं सके। आप चाहते थे कि वे ही स्पष्ट करें ताकि आप समझ सकें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह डाक्टर हैं। इस सम्बन्ध में वे प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं। उनकी बात सुनिए।

एक माननीय सदस्य : सरकार को उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सीखने या जानने में कोई हर्ज नहीं है।

डा० ए० कलानिधि : इस डेंगू बुखार को डेन्डी-ओ बुखार भी कहते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी सीख सकते हैं। मैं भी सीख सकता हूं। कोई नुकसान नहीं है।

डा० ए० कलानिधि : डेन्गू बुखार को ब्रेक बोन (हड्डी तोड़) बुखार भी कहते हैं। तीसरा पीला बुखार है और चौथा फ्लेबोटॉमस बुखार है जिसे सेन्डफ्लाई बुखार भी कहते हैं। उस दिन माननीय मन्त्री ने केवल डेंगू बुखार का जिक्र किया था और उन्होंने विषाणु का भी उल्लेख किया था। विषाणु चार प्रकार के होते हैं, विषाणु चाहे कोई सा हो, चाहे वह ए. बी. सी. डी. या 1, 2, 3, 4 हो या उसे हम किसी और नाम से भी पुकारें, मुख्य लक्षण समान होते हैं, क्लीनिकल परिणाम भी समान होते हैं।

माननीय सदस्य ने एक और बात जो कही वह 'मिस्टीरियल मोस्किटोज' रहस्यमय मच्छरों के बारे में थी। एक मच्छर होता है जिसे 'एइडेस इजिप्टि आई' कहते हैं। यही मच्छर एक दूसरे में रोग फैलाता है और डेंगू बुखार फैलाता है। इससे शरीर में बहुत दर्द होता है। यह बीमारी स्व-नियन्त्रणकारी है, इससे मृत्यु नहीं होती। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूँ कि इससे कभी मृत्यु नहीं होती। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन मच्छरों में राजनीति मत लाईये।

डा० ए० कलानिधि : इसीलिए इस बुखार को 'सैडल बैक' बुखार भी कहते हैं। तापमान 106 तक चला जाता है और फिर सामान्य हो जाता है, चढ़ जाता है फिर उतर जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक तकनीकी विषय है। ये डाक्टर हैं।

डा० ए० कलानीधि : आठ दिन के बाद यह बुखार उतर जाता है। इससे मौत नहीं होती। माननीय सदस्य को जनता को यह कर गुमराह नहीं करना चाहिए कि डेन्ग्यू बुखार से मौत हो जाती है। लोग मरते हैं—जिनके बारे में हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं—वे दूसरे इन्फेक्शन से मर सकते हैं, सम्भवत: उनकी सामान्य हालत बहुत कमजोर हो जाने से अथवा श्वास प्रणाली में संक्रमण के कारण और ऐसे अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। वे डेंगू बुखार के कारण नहीं मरते। मैं माननीय सदस्य को यही बताना चाहता हूँ।

दूसरी बात मैं इलाज के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं माननीय मन्त्री के इस विचार से सहमत हूँ कि इसका कोई विशेष इलाज नहीं है। उन्होंने इस बीमारी को नियंत्रित करने की भी बात कही। इसका केवल एक टीका उपलब्ध है। उसका कारगर ढंग से विकास किया गया है। लेकिन वह वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री से केवल यह अनुरोध करता हूँ कि यह टीका उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे डेंगू बुखार के लिए इस्तेमाल किया जा सके और इस रोग से बचा जा सके।

माननीय सदस्य ने होमियोपेथ और सिद्धों की बात की है और यह दावा किया है कि वे इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। वे यह भी दावा करते रहे हैं कि वे कैंसर का इलाज कर सकते

हैं। वे दावा करते हैं लेकिन ये दावे झूठे होते हैं और बढ़ा-चढ़ाकर किये गए होते हैं। मैं श्री नाडार को बताना चाहता हूं कि इसका कोई उपचार नहीं है इसके लिए कोई दवाई नहीं है। आप इसका इलाज करें या न करें डाक्टर के पास जाएं या न जाएं आप 8 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। इलाज केवल (एनालजेसिक्स) पीड़ा दूर करने वाला इलाज है। पहले आपको यह देखना होगा कि कौन सी बीमारी है। तभी डेंगू बुखार का पता चल सकता है। सभी प्रकार के विषाणु संक्रमण से बुखार हो जाता है। विषाणु का पता लगाए बिना कोई कुछ नहीं बता सकता।

एक और बात जो हमें कहनी है वह मलेरिया के विरुद्ध किये जाने वाले उपायों की है। कुछ वर्ष पहले इस देश में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चला था। बाद में इसे 1958 के आस-पास राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया था। पता नहीं यह कार्यक्रम ठीक से चल रहा है या नहीं। इससे भी मौत नहीं होती। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बनने के बाद मलेरिया पर पूर्णत: काबू पा लिया गया था। मलेरिया का एक भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्ष से यह फिर से हो रहा है, सम्भवत: मच्छर पैदा होने के कारण या पानी ठहरने के स्थानों में वृद्धि या सफाई ठीक से न होने के कारण ऐसा हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संगठन को और मजबूत बनाया जाए। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पानी ठहरने के स्थानों को समाप्त करना चाहिए। जहां आवश्यक हो पाइरिथीरियम या डी. डी. टी. का छिड़काव किया जाना चाहिए और मच्छर विरोधी उपाय बड़े पैमाने पर किये जाने चाहिए।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जैसे समाचार साधनों को चाहिए कि वे मलेरिया निरोधक उपायों का प्रचार-प्रसार करें। वे दवाइयों के बारे में अंधाधुन्ध विज्ञापन दे रहे हैं।

मैं मंत्री जी से केवल यह कहना चाहता हूं कि आकाशवाणी पर विज्ञापन दिया जाता है कि जब भी बुखार हो, ठंड लगे तो क्लोरोक्वीन लेनी चाहिए। यह ऐसी दवाई है जो बहुत सावधानी पूर्वक ली जानी चाहिए। इस दवाई से आंखों तथा कानों में खराबी हो सकती है। जब भी कोई बुखार हो तो बेहतर यह होगा कि डाक्टर से सलाह ली जाए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मलेरिया के बारे में उसके लक्षणों के बारे में आकाशवाणी से प्रसारित विज्ञापनों में शब्दों का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और लोगों को डाक्टर से परामर्श करके ही क्लोरोक्वीन लेने या कोई और उपाय करने की सलाह दी जानी चाहिए।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : विषाणु बुखार तथा डेंगू बुखार जैसी बीमारियों की वृद्धि बहुत हो गयी है। यह बीमारी केवल दिल्ली शहर में ही नहीं फैल रही है बल्कि यह सारे देश में फैल रही है। हजारों लोग विषाणु तथा डेंगू बुखार से प्रभावित हुए हैं अत: सरकार को इस समस्या तथा बीमारी से लड़ने के लिए उपाय करना आवश्यक है।

[श्री सुधीर गिरि]

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इन बीमारियों के निम्नलिखित कारण बताये हैं :—

(1) मच्छर का काटना—एड्स एजिप्टी नामक मच्छर का दिन में काटना।

(2) भरे हुए तथा जमा पानी में भारी संख्या में लाखों मच्छरों का पैदा होना।

(3) दूषित पेयजल पीना।

(4) निर्धन जनता का खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य इस प्रकार के विषाणु के हमले को रोक नहीं पाता है।

(5) स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शिक्षा की कमी।

इस क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीमारी के लक्षण इस प्रकार हैं—भारी सिर दर्द, भ्रांति होना, नींद कम आना, चमड़ी में खारिश, आंतों में गड़बड़ होना, सामान्य कमजोरी, टांगों में कमजोरी हल्का पोलियो के समान, पीठ में दर्द विशेषतौर से रीढ़ की हड्डी की निचले भाग में दर्द भूख कम लगना आदि।

एक सूक्ष्मजीव विज्ञानी ने कहा था कि शहर के बहुत से डेंगू बुखार के मरीजों को लापरवाह डाक्टरों ने गलत स्टेराइड्स दिए थे। दिल्ली शहर में ऐसे डाक्टर हैं जो मरीजों की ठीक प्रकार देख-भाल नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप बहुत से मरीज मर जाते हैं।

कांग्रेस (आई) के 20-सूत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कहा है कि जनसंख्या की स्वास्थ्य समस्या के सम्बन्ध में निवारक प्रवर्तक तथा उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे। इन सब बातों को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारत में विषाणु बुखार का कब पता लगाया गया? इन स्थानों में अब तक किस प्रकार के निवारक तथा उपचारात्मक उपाय किए गए? वर्ष 1982-83 के दौरान इस प्रकार के उपायों के लिए कितना रुपया खर्च किया गया? जहां तक इस प्रकार की खतरे भरी बीमारियों का सम्बन्ध है और वर्ष 1982-83 के दौरान इस प्रकार के उपायों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई

मेरा अन्तिम प्रश्न है कि क्या यह सच है कि कीटनाशक दवाओं की घटिया किस्म की मच्छरों की भारी मात्रा में प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। श्री वर्मा तथा श्री बापूसाहिब परुलेकर अनुपस्थित हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि उन्हें डेंगू बुखार आ गया हो।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे विचार से वह बीमार हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन, जो माननीय सदस्य श्री नाडार के बाद बोले थे उन्होंने श्री नाडार को जानकारी देने की कोशिश की थी।

श्री रामावतार शास्त्री : आपको समझाने की।

श्री ए०नीलालोहियादसन नाडार : आपको भी समझाने की।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : यदि आपने वाद-विवाद के विभिन्न अवसरों पर मेरे वक्तव्यों को पढ़ा होता तो। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होते क्योंकि मैंने इन सभी मामलों के निदान शास्त्र कीटविज्ञान तथा रोगविज्ञान सम्बन्धी पहलू उनमें दिए थे।

यदि आपने वाद-विवाद को पढ़ा होता तो शायद आप यह प्रश्न नहीं पूछते। मुझे यह पता नहीं है कि आपने इसे भी पढ़ा है या नहीं। मुझे यह कहने में खेद है क्योंकि हम यहीं देश के गम्भीर स्वास्थ्य पहलुओं पर चर्चा करने आए हैं। हम देश के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हम संसद सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन उनका वक्तव्य सही नहीं है।

श्री ए०नीलालोहियादसन नाडार : जो कुछ मैंने कहा है वह सच है। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए यह वक्तव्य गलत नहीं है। श्री राजन, जो श्री शास्त्री जी की पार्टी के सदस्य हैं, बीमार हो गए हैं, अब वह मास्को में इलाज करा रहे हैं। यह सच है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, उनकी बात सुनिए।

श्री बी०शंकरानन्द : श्री नाडार, अधीर न हों, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं आपको यह बताऊंगा कि यह क्या है। मुझे श्री के०रा० राजन के मामले का पता है। श्री कल्याणसुन्दरम मेरे पास आए थे और वह मेरी मदद चाहते थे मैंने प्रबन्ध कर दिए थे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि श्री के०ए०राजन डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा।

श्री ए० नीलालोहियावसन नाडार : वह बीमार थे।

श्री बी०शंकरानन्द : मेरी बात सुनिए। सभा को गुमराह करने के लिए अनावश्यक रूप से कुछ गलत वक्तव्य न दें। आपको श्री कल्याण सुन्दरम से पूछना चाहिए, जो मुझसे मिले थे।

श्री ए०नीलालोहियादसन नाडार : श्री राजन सभा के सदस्य हैं । शास्त्री जी सभा में उनकी पार्टी के उपनेता हैं । शास्त्री जी को कहने दीजिए

(व्यवधान)

श्री बी०शंकरानन्द : श्री शास्त्री जी कहेंगे वह क्या कहना चाहते हैं । आपको उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है । वह आपकी अपेक्षा ज्यादा जानते हैं । अत: हमें गलत वक्तव्य नहीं देने चाहिए जिनसे अनावश्यक रूप से सभा गुमराह हो क्योंकि मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में श्री के०ए० राजन के इलाज के प्रबन्ध करवा दिए थे । लेकिन तब फिर श्री कल्याण सुदंरम मेरे पास आये और मुझे धन्यवाद दिया और कहा हम उन्हें मास्को ले जा रहे हैं तथा आपको आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद । आपको कारण जानने चाहिए थे । तब आप आते ।

अन्य सदस्य के बारे में जिसने मलेरिया तथा अन्य बातों के बारे में सारी बात बतायी है, बजट तथा उससे सम्बन्धित बातों के बारे में मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूँ ।

वर्ष 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था और फिर इसे 1958 कार्यक्रम में बदल दिया गया लेकिन 1965 में मलेरिया की घटनाएं घटकर लगभग शून्य हो गई लेकिन कुछ समय बाद ये फिर बढ़ाना शुरू हुई और 1976 में ये काफी बढ़ गई । मैं देश में कुल मलेरिया की घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ इस के आंकड़े इस प्रकार हैं ।

वर्ष 1977 में मलेरिया के 47,40,000 से अधिक मामले हुए । वर्ष 1981 में यह 47 लाख से घटकर 13 लाख से कुछ अधिक रह गए । 30 सितम्बर 1982 तक की रिपोर्ट के अनुसार आज मलेरिया के मामले केवल 9,97,000 अथवा 10 लाख के लगभग है । आप देख सकते हैं कि मलेरिया के मामले 47 लाख से घटकर वर्ष 1977 में 9 लाख से कुछ अधिक हो गये हैं । मेरा विचार है कि सदस्य इसकी सराहना करेंगे कि मलेरिया की वृद्धि में कमी हुई है ।

कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि क्लोरोक्विन से विषैले लक्षण पैदा हो जायेंगे और इससे नाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा । यदि इसकी सही खुराक दी जाती है तो मेरे विचार से यह समस्या पैदा नहीं होगी । यह चिकित्सा विशेषज्ञ की राय है । यह सही खुराक के ऊपर निर्भर करता है ।

श्री नाडार दिमागी मलेरिया के बारे में बहुत चिंतित हैं । मैं कहता हूँ कि दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में इससे मृत्यु की कोई घटना नहीं हुई है । कम से कम मृत्यु के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । उसने कुछ अन्य मृत्यु की घटनाओं का हवाला दिया है जो उनकी अपनी जानकारी में रही हैं । मुझे यह पता नहीं है कि वह डाक्टर हैं अथवा नहीं । उनका कहना है कि उन्हें डेंगू बुखार मलेरिया अथवा उस प्रकार के अन्य बुखारों से मरे इन व्यक्तियों का पता है । जैसा कि मैंने कहा है मुझे दी गई सूचना यह है और चिकित्सा विशेषज्ञों की राय है कि डेंगू से कभी मृत्यु नहीं होती है । आई. सी. एम. आर. द्वारा विषाणु को पहचान लिया गया है । जो विषाणु दिल्ली में विद्यमान रहता

आया है उसे डेंगी कहा गया है। इससे मृत्यु नहीं होती है। यह विशेषज्ञ की राय है। उसे मुझे सभा को बताना है।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार : मेरे द्वारा बतायी गई मृत्यु के बारे में क्या है। क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बी०शंकरानन्द : मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेंगू से मृत्यु नहीं होती है। इसके लिए मुझे और जांच करने की आवश्यता नहीं है।

मानीय सदस्य ने बजट के बारे में पूछा है। मैं मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में बता सकता हूँ।

श्री सुधीर गिरि : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सभी कारणों को हटाने के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको वही सूचना दे रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं अभी वर्ष 1982-83 के आंकड़े नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वर्ष 1982-83 अभी चल रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी धनराशि उपलब्ध की गई थी तथा कितनी खर्च की गई है के सम्बन्ध में आंकड़े वर्ष के अन्त में उपलब्ध होते हैं।

श्री ए० नीलालोहियावसन नाडार : आप कुछ रिपोर्ट मांग सकते थे।

श्री बी० शंकरानन्द : आपने प्रश्न किया है अब मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : क्या आपने अब तक का कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : राज्यों से भी तथ्य प्राप्त करने हैं।

श्री बी०शंकरानन्द : उन्हें न तो बजट और न दवाइयों की जानकारी है। उसे प्रश्न क्यों पूछने चाहिए ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह आप को अच्छी तरह बताना चाहते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : प्रो० मैं पढ़ाने लायक नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूँ ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने वर्ष 1981-82 के आंकड़े दिए हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : वर्ष 1980-81 से 4450 लाख रुपये का बजट रखा गया और अनुमानित व्यय 3320 लाख रुपये अधिक हुआ। वर्ष 1981-82 के लिए 5107 लाख रुपये का प्रावधान था तथा अनुमानित व्यय 5484 लाख रुपये से अधिक था। तदन्तर वर्ष 1982–83 के

[श्री बी० शंकरानन्द]

लिए बजट विनियोजन 5,500 लाख रुपये है। यह राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए है। कितना खर्च हुआ है, इस वित्तीय वर्ष के अन्त में बताने योग्य हूंगा।

श्री सुधीर गिरि : श्रीमान मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं। मैंने पूछा था कि भारत में विषाणु बीमारियों के कितने मामले हुए हैं। दूसरा प्रश्न यह है, वर्ष 1982-83 के लिए आंकड़े क्या हैं क्योंकि इसका कारण है कि बीमारी का आयाम इतना बढ़ गया है और हजारों व्यक्ति बीमारी से प्रभावित हो गए हैं। केवल दिल्ली शहर में ही हजारों लड़के तथा लड़कियां और विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी क्रमशः अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा कार्यालयों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको यह बीमारी हो गयी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के लिए कितनी धनराशि खर्च की गयी है और कितनी धनराशि खर्च की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानकारी कैसे दे सकते हैं जबकि खर्च करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन्, मैंने देश में मलेरिया की घटना के सम्बन्ध में आंकड़े दे दिये हैं और इस सम्बन्ध में कि इसमें बहुत कुछ कमी हो गयी है इसके लिए भी तथ्य तथा आंकड़े दे दिए हैं। मैंने बजट आंकड़े बजट प्राक्कलन तथा व्यय के अनुमान भी दिये हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : धनराशि के फायदे के लिए खर्च किया जाएगा वह यह कहते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन, माननीय सदस्य के यह दोहराने का लाभ क्या है कि हजारों व्यक्ति बीमार हुए हैं जबकि मैंने यह दिखाने के लिए तथ्य तथा आंकड़े दे दिए हैं कि मलेरिया की घटना कम हो गई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन, मलेरिया के मामले

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप बैठकर देख सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा स्थगित कर रहा हूं।

18·17 म० प०

सत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 नवम्बर 1982/11 कार्तिक 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2.